लोक-सभा

पेटेंट विधेयक, 1967

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

(27 फरवरी, 1970 को पेश किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 1970/माघ, 1891 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ
संयुक्त समिति की रचना	. . . .	i
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	. . . .	iii
विमति टिप्पण	. . . . .	xi
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	. . .	1
परिशिष्ट एक : विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव	. . . .	94
परिशिष्ट दो : राज्य सभा में प्रस्ताव	. . .	96
परिशिष्ट तीन : उन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे	.	97
परिशिष्ट चार : उन औद्योगिक एककों तथा अनुसन्धान संस्थाओं की सूची जिनके कार्यसंचालन का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिये संयुक्त समिति ने उनका निरीक्षण किया था	.	100
परिशिष्ट पांच : उन संघों आदि की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था	. .	104
*परिशिष्ट छः : संयुक्त समिति की बैठकों की कार्यवाही–सारांश		

*यह परिशिष्ट केवल अंग्रेजी संस्करण में दिया हुआ है ।

पेटेंट विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचना

राजेन्द्रनाथ बरुआ—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी० सी० देसाई
3. श्री बी० डी० देशमुख
4. श्री कंवर लाल गुप्त
5. श्री हरि कृष्ण
6. श्री अमिय कुमार किस्कु
7. श्री मधु लिमये
8. श्री एम० आर० मसानी
9. श्री जी० एस० मिश्र
10. श्री श्रीनिवास मिश्र
11. श्री जुगल मण्डल
12. श्री के० आनन्द नम्बियार
13. डा० सुशीला नायर
14. श्री सरजू पाण्डेय
15. श्री पी० पार्थसारथी
16. श्री टी० राम
17. श्री इरा सेझियान
18. श्री मद्दी सुदर्शनम
19. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
20. श्री रमेश चन्द्र व्यास
21. श्री फखरुद्दीन अली अहमद

*22.

---

* श्री दीवान चन्द शर्मा के निधन के कारण 22 दिसम्बर, 1969 से रिक्त।

राज्य सभा

23. श्री एस० के० वैशम्पायन
24. श्री कृष्ण कान्त
25. श्री आर० पी० खैतान
26. श्री अर्जुन अरोड़ा
27. श्री टी० वी० आनन्दन
28. श्री ओम मेहता
29. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी
30. श्री पीताम्बर दास
31. श्री दयाभाई वी० पटेल
32. श्री गोड़े मुराहरि
†33. श्री अच्युत मेनन

विधायी सलाहकार

श्री आर० वी० एस० पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त विधायी सलाहकार, विधि मंत्रालय ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० एल० विद्यासागर, संयुक्त सचिव
2. श्री आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव
3. डा० एस० वेदरमन, पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक
4. श्री आर० वी० पाई, पेटेन्ट तथा डिजाइन संयुक्त नियंत्रक
5. श्री हरगुणदास, अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उप-सचिव ।

†22 फरवरी, 1970 से त्यागपत्र दिया ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं उस संयुक्त समिति का सभापति जिसको पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समांकित करने वाला विधेयक* सौंपा गया था, उनकी ओर से प्रतिवेदन पेश करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर उनका प्रतिवेदन, जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक लगा है, पेश करता हूं।

2. विधेयक लोक सभा में 12 अगस्त, 1967 को पेश किया गया था। विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव 9 अगस्त, 1968 को औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा पेश किया गया था। 13 अगस्त, 1968 को प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा वह स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट—एक)

3. राज्य सभा ने 26 अगस्त, 1968 को उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा की तथा उस पर सहमत हुई। (परिशिष्टि—दो)।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश 28 अगस्त, 1968 को लोक सभा को पढ़कर सुनाया गया।

5. समिति की कुल मिलाकर 29 बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक कार्यक्रम बनाने के लिए 5 अक्तूबर, 1968 को हुई। इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसमें उन व्यक्तियों, लोक निकायों, व्यापार संगठनों तथा अन्य संस्थाओं से जो विधेयक के उपबन्धों के संबंध में समिति के समक्ष अपने सुझाव/विचार प्रस्तुत करने अथवा साक्ष्य देने के इच्छुक हों, 5 नवम्बर, 1968 तक उस पर लिखित ज्ञापन भेजने के लिये कहा जाये।

7. जैसा कि परिशिष्ट—तीन में दिया गया है, विधेयक के संबंध में समिति को विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों से 51 ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

8. 25 नवम्बर, 1968 की अपनी दूसरी बैठक में, समिति ने न केवल औषध निर्माण करने वाले एककों को देखने का निर्णय लिया अपितु रसायन मृत्कला शिल्प, पेट्रो-रसायन, इलक्ट्रौनिक्स आदि अन्य उद्योगों के, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के, एककों को भी देखने का निर्णय लिया ताकि सदस्यों

---

*दिनांक 12 अगस्त, 1967 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

को पेटेन्टों के कार्यचालन के विषय में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हो सके और वे यह जान सकें कि प्रस्तावित कानून में किस प्रकार से उपयुक्त सुधार तथा रूपभेद किया जा सकता है ।

9. समिति ने अपने को कई दलों में विभाजित कर लिया तथा लखनऊ, ऋषिकेश, बम्बई, बड़ौदा, पूना, कलकत्ता, आसन्सोल तथा हैदराबाद स्थित कतिपय औद्योगिक एककों, अनुसंधान केन्द्रों आदि को देखा (परिशिष्ट—चार) । इन स्थानों पर समिति के अध्ययन दलों के सदस्यों ने इन औद्योगिक एककों का कार्यसंचालन देखा तथा पेटन्टों और प्रस्तावित विधान के इन एककों के कार्यचालन पर संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की ।

10. क्रमशः 17, 20, 21, 22, 23, 24 तथा 25 जनवरी, 14 और 15 फरवरी, 17, 18, 19 और 20 जून तथा 16, 17, 18, 19 और 26 जुलाई, 1969 को हुई अपनी बैठकों में समिति ने 35 संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा दिये गए साक्ष्य को सुना । अपनी 29 जनवरी, 1970 की बैठक में समिति ने विधेयक के खण्ड 48 की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के महान्याय-वादी के विचार सुने ।

11. समिति ने निश्चय किया है कि उनके समक्ष दिये गये साक्ष्य को मुद्रित कराकर दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाना चाहिये ।

12. समिति का प्रतिवेदन लोक सभा के शरदकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात् 18 नवम्बर, 1968 तक पेश किया जाना था । क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सका, समिति ने इस समय को 31 मार्च, 1969 तक बढ़ाये जाने के लिए प्रार्थना की जिसकी 18 नवम्बर, 1968 को सभा द्वारा अनुमति दे दी गई । पुनः अनुरोध किये जाने पर, प्रतिवेदन पेश करने के समय को लोक सभा के वर्षाकालीन सत्र (1969) के अंतिम दिन तक बढ़ाने की सभा द्वारा अनुमति दी गई । फिर यह समय शरदकालीन सत्र (1969) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाया गया क्योंकि विधेयक पर खण्डवार विचार नहीं किया जा सका, इसलिए समिति के लिये यह संभव नहीं था कि वह निश्चित तिथि तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती । अतः समिति ने बजट सत्र (1970) के तीसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक फिर समय बढ़ाने की मांग की । 17 नवम्बर, 1969 को सभा द्वारा इसकी अनुमति दी गई ।

13. समिति ने अपनी 25वीं, 26वीं, 27वीं और 28वीं बैठकों में जो क्रमशः 27, 28, 29 और 30 जनवरी, 1970 को हुई थीं, विधेयक पर खण्डवार विचार किया ।

14. समिति ने 20 फरवरी, 1970 को अपने प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसको स्वीकृत किया ।

15. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचार अगले पैराग्राफ़ों में दिये गये हैं।

16. **खण्ड** 2(एक) **उपखण्ड** (1)(छ)--"खाद्य" की परिभाषा के अन्तर्गत केवल शिशुओं, रोगग्रस्तों अथवा स्वास्थ्योन्मुखों द्वारा खाद्य अथवा पेय की वस्तु के रूप में उपयोग के लिए आशयित पदार्थ आते हैं। समिति अनुभव करती है कि इस परिभाषा के अन्तर्गत पोषण की सभी वस्तुएं भी आनी चाहियें। परिभाषा में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(दो) **उप-खण्ड** (1)(ज)--समिति का विचार है कि केवल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को ही नहीं वरन् उन संस्थानों को भी, जिनका सम्पूर्ण अथवा अधिकांश वित्त पोषण उस परिषद् द्वारा किया जाता है, सरकारी उपक्रम माना जाना चाहिये। इसके साथ ही समिति यह भी अनुभव करती है कि विश्वविद्यालयों और अन्य वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थानों के, जिनका वित्त पोषण सरकार करती है, गठन और कृत्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें "सरकारी उपक्रम" नहीं माना जाना चाहिये। "सरकारी उपक्रम" की परिभाषा तदनुसार संशोधित कर दी गयी है।

(तीन) **उप-खण्ड** (1)(झ)--पौधों के संरक्षण अथवा परिरक्षण हेतु उपयोग के लिए आशयित कीटनाशी, रोगाणुनाशी, कवकनाशी तथा अन्य पदार्थ "ओषधि अथवा औषधि" की परिभाषा के क्षेत्र से स्पष्ट रूप से अलग रखे गये हैं। समिति अनुभव करती है कि कृषि के विकास के हित में, खाद्य, औषधियों तथा ओषधियों के क्षेत्र के गवेषणाओं के बारे में विधेयक में जो उपबन्ध किये गये हैं, वह कीटनाशी रोगाणुनाशी आदि के क्षेत्र के सभी आविष्कारों पर भी लागू होने चाहियें। अतः "ओषधि अथवा औषधि" की परिभाषा में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

17. **खण्ड** 3 (घ)--इस खण्ड के अभिप्राय को और स्पष्ट करने के लिये इस खण्ड में संशोधन किया गया है।

18. **खण्ड** 5--समिति अनुभव करती है कि उन आविष्कारों के मामले में जिनकी बाबत यह दावा है कि "वे ऐसे पदार्थों के विषय में हैं, जो खाद्य के रूप में या औषधि के रूप में उपयोग के लिए आशयित हैं या उपयोग में लाए जाने के योग्य हैं" और जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा (जिनके अन्तर्गत मिश्रधातु, समांजी कांच, अर्धचालक और अन्तराधातुक यौगिक आते हैं) तैयार या उत्पादित किए गए पदार्थों के सम्बन्ध में स्वयं उन पदार्थों की बाबत कोई पेटेन्ट नहीं दिया जायेगा और यह कि पेटेन्ट ऐसे पदार्थों के केवल विनिर्माण के ढंग या प्रक्रिया के सम्बन्ध में ही दिया जा सकेगा। यह खण्ड तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

19. **खण्ड** 8(1)(ख)—समिति अनुभव करती है कि भारत के बाहर बनाये गये पेटेन्टों के लिये आवेदन करने के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये आठ सप्ताह की कालावधि की व्यवस्था बहुत ही कठोर है तथा यह कि यह सीमा नियमों द्वारा निर्धारित की जाये । अतः खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

20. **खण्ड** 9—यह संशोधन मसौदे सम्बन्धी हैं ।

21. **खण्ड** 10(5)—समिति अनुभव करती है कि खण्ड 5 में निर्दिष्ट पदार्थों के तैयार करने की प्रक्रियाओं के वर्गगत दावों के क्षेत्र में प्रक्रियाओं की बहुतायतता नहीं आनी चाहिये तथा यह दावे विनिर्माण के केवल एकल ढंग या प्रक्रिया से ही सम्बन्धित होने चाहियें । खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

22. **खण्ड** 11 **और** 12—समिति अनुभव करती है कि पूर्ण विनिर्देश के दावों की पूर्विकता तारीखें निर्दिष्ट करने के उपबन्ध से कोई लाभ नहीं होगा और इसके विपरीत इससे पेटेन्ट कार्यालय पर अनावश्यक भार पड़ेगा ।

अतः **खण्ड** 11 के उपखण्ड 2 का लोप कर दिया गया है । खण्डों के अन्य संशोधन आनुषंगिक प्रकृति के हैं ।

23. **खण्ड** 25(1)(घ)—समिति अनुभव करती है कि भारत में किसी आविष्कार का केवल सार्वजनिक रूप से पूर्व ज्ञान अथवा सार्वजनिक रूप-से पूर्व उपयोग ही, और उसकी मात्र जानकारी या प्रयोग नहीं, आविष्कार के लिए पेटेन्ट की मंजूरी देने में आपत्ति का आधार होना चाहिये । उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

24. **खण्ड** 45—समिति के ध्यान में यह बात आई है कि खाद्य, औषधि और ओषधि के क्षेत्र में पेटेन्टों के लिए काफ़ी संख्या में आवेदन पत्र मिले हैं जिन पर, भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के नियम 47के उपनियम 3 (क) के अन्तर्गत तथा तदनन्तर भारतीय पेटेन्ट और डिज़ाइन अधिनियम, 1911 की धारा 73ग के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रक को भेजे गये निदेशों के अनुसरण में, कार्यवाही रोक दी गई थी । समिति महसूस करती है क्योंकि सरकारी निदेशों के कारण इन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपबन्ध किया जाये कि विचाराधीन आवेदन पत्रों पर मुद्रांकित पेटेन्टों की अवधि सामान्य हो । तदनुसार, इस खण्ड में एक उपबन्ध जोड़ दिया गया है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी विचाराधीन आवेदन पत्र पर पेटेन्ट की तारीख पूर्व विनिर्देश के फाइल करने की तारीख या नये पेटेंट अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, इन में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, डाली जाएगी ।

25. **नये खण्ड 47 और 48 (मूल खंड 48 और 47)**—समिति महसूस करती है कि मूल खण्ड 48 के उपबन्धों को भावी पेटेन्टों तक सीमित किया जा सकता है और उनकी सांविधिक मान्यता को सुनिश्चित करने के लिये भावी पेटेंटों को देने की शर्तों के रूप में फिर से निर्माण किया जा सकता है। तदनुसार मूल खण्ड 48 को नये खण्ड 47 के रूप में फिर से निर्माण किया गया है। नये खण्ड 47 और खण्ड 5 के संशोधनों के फलस्वरूप वर्तमान खण्ड 47 में, जो कि नये खण्ड 48 के रूप में परिवर्तित किया गया है, आवश्यक रूपभेद किये गये हैं।

26. **खण्ड 53 (एक) उपखण्ड (1)**—समिति महसूस करती है कि खाद्य, औषधि और औषधि के क्षेत्र में पेटेन्टों के लिए 10 वर्ष की जो अवधि रखी गई है वह बहुत लम्बी है और इसे घटा कर 7 वर्ष कर दिया जाये। उप-खण्ड में तदनुसार, संशोधन किया गया है। उप-खण्ड में किया गया दूसरा परिवर्तन खण्ड 5 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप है।

(दो) उपबन्ध (2)—समिति महसूस करती है कि भारतीय पेटेन्ट और डिज़ाइन अधिनियम, 1911 के अन्तर्गत अनुदत्त पेटेन्टों के लिए रखी गई अवधि को कम न किया जाये। इसलिए इस उप-खण्ड का लोप कर दिया गया है।

27. **खण्ड 64 (ए) उपबन्ध (1) (ङ), (च)**—समिति महसूस करती है कि दावे की पूर्विकता तारीख के पूर्व भारत में किसी आविष्कार का सार्वजनिक ज्ञान या सार्वजनिक उपयोग (और केवल ज्ञान या उपयोग मात्र नहीं) विखण्डन का आधार होना चाहिये। उपखण्डों में तदनुसार संशोधन किया गया है।

28. **खण्ड 68**—इस खण्ड में पेटेन्ट के समनुदेशन, बन्धक, अनुज्ञप्ति या उसमें किसी अन्य हित के सृजन सम्बन्धी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिये उनके निष्पादन की तारीख से छः मास की अवधि की व्यवस्था की गई है। नये अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व निष्पादित इस प्रकार के दस्तावेजों के मामले में, उक्त कालावधि पहले ही पूर्णतः या अंशतः समाप्त हो चुकी होगी। इसलिये, समिति महसूस करती है कि छः मास की अवधि की गणना नये अधिनियम के प्रारम्भ होने से या दस्तावेज के निष्पादन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की जाये। खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

29. **खण्ड 73 (2)**—नये पेटेन्ट अधिनियम के उचित प्रशासन और पेटेन्ट कार्यालय के कुशल कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिये उप-खण्ड (2) में संशोधन किया गया है।

30. **खण्ड 87 (1)**—समिति महसूस करती है कि इस खंड में उल्लिखित पेटेंटों को उनके मुद्रांकित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के बाद ही "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित हुआ समझा जाना चाहिये

ताकि पेटेंटधारी अपने आविष्कार का अधिकतम लाभ उठाने का अवसर प्राप्त कर सके। तदनुसार, समिति महसूस करती है कि भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के अन्तर्गत दिये गये पेटेंटों को नये अधिनियम के प्रारम्भ होने से या उनके मुद्रांकित किये जाने की तारीख से तीन वर्षों के अवसान से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उपरोक्त शब्दों से पृष्ठांकित हुआ समझा जाना चाहिये। नये अधिनियम के अन्तर्गत अनुदत्त पेटेंट उनके मुद्रांकित किये जाने की तारीख से लेकर तीन वर्षों के अवसान की तारीख से, 'अधिकार की अनुज्ञप्तियां' शब्दों से पृष्ठांकित हुआ समझा जाना चाहिये। उपखंड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

31. **खंड** 88–(i) समिति महसूस करती है कि इस खंड में उपबन्धित पेटेंटकृत वस्तु की शुद्ध कारखाना द्वारे पुंज-विक्रय कीमत के स्वामिस्व और अन्य पारिश्रमिक को चार प्रतिशत से बढ़ा कर पांच प्रतिशत कर दिया जाये। समिति को आश्वासन दिया गया कि पांच प्रतिशत केवल उच्चतम सीमा है और स्वामिस्व वास्तव में नियंत्रक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। इस खंड के उपखंड (5) को तदनुसार संशोधित किया गया है।

(ii) इस खंड में किए गए अन्य परिवर्तन आनुषंगिक प्रकृति के हैं।

32. **खंड** 90 (क) (तीन)---समिति महसूस करती है कि पेटेंटधारी को उस बाजार की जो कि वास्तव में विद्यमान नहीं है किन्तु जिसे बनाया जा सकता है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में पेटेंटकृत वस्तु का निर्माण न करने के कारण दण्ड देना अनुचित होगा। इसलिये समिति महसूस करती है कि खंड में उल्लिखित शब्द "या ऐसा बाजार जिसे बनाया जा सकता था उसे नहीं बनाया गया" का लोप कर दिया जाना चाहिये। इस खंड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

33. **खंड** 93---समिति महसूस करती है कि नियंत्रक को उपखंड (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का केवल अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिये ही प्रयोग करना चाहिये। खंड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

उपखंड (5) में जो परिवर्तन किये गये हैं वे प्रारूप सम्बन्धी हैं।

खंड 116 (2) को ध्यान में रखते हुये, उपखंड (6) को अनावश्यक मान कर हटा दिया गया है।

34. **खंड** 99. (एक)---समिति महसूस करती है कि खंड 2 (1) (ज) में परिभाषित् केवल 'सरकारी उपक्रमों' को अध्याय सत्रह में संकल्पित आविष्कारों का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिये। समिति ने अध्याय में

उल्लिखित ढंग से अन्य किसी उपक्रम द्वारा आविष्कारों के प्रयोग का अनुमोदन नहीं किया ।

(दो) क्योंकि नये खंड 47 में उल्लिखित शर्तें नये अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व दिये गये किसी पेटेंट के अन्तर्गत आने वाली किसी मशीन, उपकरण या अन्य वस्तु या किसी औषधि या ओषधि, के बारे में लागू नहीं होती; इसलिये समिति महसूस करती है कि इस खंड में ऐसी वस्तुओं के आयात या ऐसी ओषधियों या औषधियों के आयात और वितरण की व्यवस्था करने के लिये एक विशिष्ट उपबन्ध किया जा सकता है । इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि सरकार, यदि आवश्यकता पड़े, उन्हीं प्रयोजनों के लिए जो नये खंड 47 के अन्तर्गत दिये हैं ऐसी वस्तुओ, औषधियों या ओषधियों का आयात कर सकेगी किन्तु उसके लिये प्रतिकर देना होगा । खंड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

35. **खंड 100**––समिति महसूस करती है कि खाद्य, औषधि और ओषधि के क्षेत्र में आविष्कारों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दिये जाने वाले स्वामित्व या प्रतिकर की उच्चतम सीमा वही होनी चाहिये जो कि खंड 88 के संशोधित उपखंड (5) में उपबन्धित है । इस खंड के उपखंड (3) में तदनुसार संशोधन किया गया है । खंड में जो अन्य परिवर्तन किये गये हैं वे प्रारूप सम्बन्धी हैं या इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुये हैं ।

36. **खंड 107**––समिति महसूस करती है कि सावधानी के तौर पर यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि नये खंड 47 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किसी मशीन, उपकरण या वस्तु का निर्माण, प्रयोग या आयात अथवा किसी प्रक्रिया का उपयोग करने को या किसी ओषधि अथवा औषधि के आयात, प्रयोग या वितरण को अतिलंघन सम्बन्धी कार्यवाही में प्रतिरक्षा का आधार बनाया जाना चाहिये । खंड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

37. **खंड 116, उपखंड (2)**––इस संशोधन का अभिप्राय खंड 88 के उपखंड (3) के अन्तर्गत नियंत्रक द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था करना है ।

38. **खंड 144**––समिति महसूस करती है कि पेटेंट के लिये आवेदन-पत्र के विषय में खंड 13 के अन्तर्गत की गई खोज का परिणाम किसी व्यक्ति को बताने सम्बन्धी इस खंड के उपबन्धों का दुरुपयोग किया जा सकता है । इसलिये समिति महसूस करती है कि इस खंड के परन्तुक का लोप किया जा सकता है । इस खंड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

39. खंड 146--समिति यह महसूस करती है कि यदि पेटेंटकृत आविष्कारों के वाणिज्यिक स्तर पर क्रियान्वयन सम्बन्धी जानकारी को एकत्रित किया जाये और उसे समय-समय पर प्रकाशित किया जाये तो बड़ा लाभ होगा । तदनुसार, समिति महसूस करती है कि पेटेंटधारियों और लाइसेंसधारियों का यह दायित्व निर्धारित करने कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करें और नियंत्रक का यह दायित्व निर्धारित करने के लिये कि वह ऐसी जानकारी को सार्वधिक प्रकाशित करे इस खंड में उपबन्ध किये जाने चाहियें । इस खंड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

40. **अनुसूची**--ये संशोधन औपचारिक या परिणामी हैं ।

41. अधिनियमन सूत्र का संशोधन प्रारूप सम्बन्धी है ।

42. **खंड 1 उपखंड** (1)--संशोधन प्रारूप सम्बन्धी है ।

43. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये ।

राजेन्द्रनाथ बरुआ,
सभापति,
संयुक्त समिति ।

; ई दिल्ली ;
20 फरवरी, 1970 ।

विमति टिप्पण

एक

मैंने पेटेंट विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ध्यान से पढ़ा है। यद्यपि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक में मूल विधेयक की तुलना में कुछ बातों में सुधार हुआ है, इस विधेयक के आपत्तिजनक बातों को मौलिक रूप से हटाया नहीं गया है। इसलिये मैं इस समिति के प्रतिवेदन से सहमत नहीं हो सकता।

मैं मौलिक रूप से पेटेंट पद्धति का विरोध करता हूं। मेरा मत है कि पेटेंट पद्धति कई शर्तों से जुड़ी हुई विदेशी सहायता, विदेशी ऋणों पर ब्याज की ऊंची दरों, उत्पादन के लाभजनक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर काफी धनराशि का विदेशों को भेजा जाना, तकनीकी जानकारी तथा स्वामित्व के लिये अनुचित भुगतान और अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की प्रतिकूल शर्तों की तरह कुछ उन्नत औद्योगिक देशों द्वारा विश्व के निर्धन तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये देशों के शोषण का एक साधन है।

पेटेंट विधि के कारण पिछड़े देशों का तेजी से औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकास नही हो पाता है। इससे पेटेंट विधि की आड़ में विदेशी फर्मों को काफी मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है तथा वे मुनाफों की राशि को विदेशी मुद्रा में दूसरे देशों को भेज सकती हैं। भारत में अधिकांश पेटेंट विदेशी लोगों के हैं जब कि, जैसा कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से सिद्ध हुआ, बहुत कम भारतीयों को औद्योगिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों को पेटेंट विधियों से लाभ हुआ है।

रूस, इटली तथा जापान के आधुनिक इतिहास से, जो मानव इतिहास में विकास की उच्चतम दरों का दावा कर सकते हैं, पता चलता है कि जहां राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में प्रतिबन्धात्मक पेटेन्ट विधियों द्वारा अड़चन नहीं डाली जाती, वहां वे विकास के आरम्भिक चरणों में तेजी से प्रगति कर सकते हैं—निस्सन्देह अन्य बातें समान होनी चाहियें। इन तीनों देशों ने विदेशी आविष्कारों का मुक्त रूप से अनुकरण किया तथा उनका उपयोग किया और काफी उन्नत औद्योगिक देशों की पंक्ति में आने के बाद ही उन्होंने पेटेन्ट विधियों में रुचि लेनी आरम्भ की। अमरीका ने भी जर्मन पेटेंटों, विशेष रूप से रासायनिक, भेषजीय और औषधि उद्योगों सम्बन्धी आविष्कारों सम्बन्धी पेटेंटों का उन्मूलन तथा विनियोग करने के लिये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की पराजय का लाभ उठाया।

1911 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पेटेंट कानून शोषण का एक साधन था। स्वतन्त्र भारत में यह समाप्त कर दिया जाना चाहिये था लेकिन भारत सरकार ने अन्य क्षेत्रों की तरह इस के आवश्यक पहलुओं में पूर्वस्थिति बनाये रखने तथा बाध्य किये जाने पर इसमें हिचकिचाहट से संशोधन करने का निश्चय किया।

विदेशी कम्पनियों तथा निवेशकों के दबाव में आकर सरकार ने दो जांच समितियां नियुक्त कीं तथा पुराने हो चुके इस अधिनियम में एक छोटा सा संशोधन करने की युक्ति अपनाई। सरकार ने भारतीय उपभोक्ताओं तथा हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से न तो पेटेन्टों को पूर्णतः समाप्त किया और न ही तेजी से प्रगतिवादी किस्म का व्यापक विधान पास किया। 1953 में विधेयक पुरःस्थापित किया गया था लेकिन पहली लोक-सभा के विघटन पर इसे व्यपगत होने दिया गया। 1965 में एक नया विधेयक लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था लेकिन उसे भी व्यपगत होने दिया गया, यद्यपि संयुक्त समिति ने विधेयक पर विचार किया और सभा को अपने निष्कर्ष भेज दिये। वर्तमान विधेयक 1965 के विधेयक का संशोधित संस्करण है।

मुझे संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर निम्न आपत्तियां हैं :—

मेरी प्रथम मुख्य आपत्ति विधेयक की धारा 3 के बारे में है जिस में कहा गया है कि अधिनियम के अर्थ के भीतर क्या-क्या आविष्कार नहीं हैं। परिभाषा के अनुसार भेषजों तथा औषधियों, पोषण की वस्तुओं तथा कीटनाशी पदार्थ, जीवनाशी पदार्थों, कवकनाशी पदार्थों और घासपातनाशी पदार्थों आदि को, जो कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, अधिनियम के इस अर्थ के भीतर 'आविष्कार नहीं' माना जाना चाहिए था। इसमें वही सिद्धान्त लागू होता है जो धारा 4 में लागू होता है जिसमें कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित आविष्कारों की बाबत कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जायेगा। मुझे खेद है कि समिति के सभापति द्वारा मेरे ऐसे संशोधन को अस्वीकृत कर दिया गया।

मेरी दूसरी बड़ी आपत्ति धारा 53 अर्थात् उस अवधि के सम्बन्ध में है जिसके लिये पेटेन्ट अनदत्त किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थ, औषध तथा औषधियों के बारे में 7 वर्ष की अवधि बहुत ही अधिक है तथा अन्य आविष्कारों के बारे में 14 वर्ष की अवधि भी बहुत अधिक है। इस अवधि को कम किया जाना चाहिए। लेकिन संयुक्त समिति के बहुमत ने इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया।

तीसरे, महान्यायवादी द्वारा दी गई राय से प्रभावित हो कर सरकार ने धारा 47 और 48 पर एक संशोधन प्रस्तुत किया। इस बात की ओर ध्यान न देते हुए कि उच्चतम न्यायालय उपबन्धों को ठुकरा देगा, ठोस उपाय किये जाते तो अधिक

अच्छा होता। महान्यायवादी की समिति द्वारा पृच्छा से भी यह पता चला कि इस विधि अधिकारी ने दो राय दीं और शायद सरकार का महान्यायवादी द्वारा अपनी पूर्ववर्ती राय में रूपभेद से कुछ सम्बन्ध था। यह बहुत खेदजनक है।

सम्पत्ति अधिकारों और विशेष रूप से मुआवजे से सम्बन्धित खण्ड के कार्यक्षेत्र तथा स्वरूप का प्रश्न बहुत ही विवादास्पद प्रश्न बन गया है। इसकी ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए तथा समस्या का हर पहलू से सामना किया जाना चाहिए। समस्या से भागने या कानून की परिधि के भीतर रहने के उद्देश्य से बिना किसी सिद्धांत के समझौते करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसकी अदालतों द्वारा व्याख्या की जा सकती है। संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 19 (1) (छ), (च), 26 (ग) और (घ), 31, 31क और 31 ख में उल्लिखित सम्पत्ति के अधिकारों का उन्मूलन करने हेतु एक सारभूत संशोधन लाकर और इसे जनता को अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करके संविधान का आमूल संशोधन किया जाना चाहिए अथवा नया संविधान बनाने के लिए सार्व मताधिकार द्वारा निर्वाचित एक नई संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही आमूल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की राजनीति की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार व्यर्थ ही इस बात से भयभीत हो गई है कि कुछ मूल उपबन्धों अथवा नये आमूल संशोधनों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जायेगा।

चौथे, मैं धारा 88(5) का पूरा विरोध करता हूं जिसमें स्वामित्व 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। निस्संदेह यह अधिकतम सीमा के रूप में विहित है और कहा जाता है कि स्वामित्व वास्तव में नियंत्रक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। लेकिन इस उच्च सीमा के कारण पेटेंटकृत वस्तुओं के उत्पादकों को कानून के अन्तर्गत ग्राह्य अधिकतम स्वामित्व देने के लिए उनकी अनुचित मांगों को स्वीकार करने के लिए नियंत्रण पर दबाव डाला जायेगा। मेरा यह निश्चित मत है कि यह स्वामित्व अथवा अन्य पारिश्रमिक पेटेन्टकृत वस्तु में कारखाना द्वार शुद्ध विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

यह दुःख की बात है कि सरकार निहित स्वार्थों की सांठगांठ से काम करे और एक बहुत ही रूढ़िवादी तथा अप्रगतिशील नीति और ऐसे पेटेन्टों सम्बन्धी विधान का पक्ष ले जिससे देश के औद्योगिक, कृषि तथा वैज्ञानिक दृष्टि से तीव्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए मैं उपरोक्त बातों के आधार पर समिति की सिफारिशों पर अपनी विमति प्रकट करता हूं।

नई दिल्ली;
20 फरवरी, 1970

मधु लिमये
गोड़े मुराहरि

हम विमति टिप्पणी में यह दर्ज करना चाहते हैं कि पेटन्ट विधेयक, 1967 में अन्तर्निहित मूल सिद्धान्तों तथा भारत के और विदेशी साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् हम अपने आप को इस रूप से असहमत पाते हैं जिसमें प्रवर समिति के हमारे अधिकतर सहयोगियों ने विधेयक के कई मूलभूत खण्डों को स्वीकृति दी है । इस असहमति को मोटे तौर से दो मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत रखा जा सकता है :—

(क) यह विधेयक स्वीकृत किए गए रूप में पेटेन्ट प्रणाली के उद्देश्य और सिद्धांतों को ऊपरी रूप से तो मानता है परन्तु वास्तविकता यह है कि इसमें ऐसे खण्ड विद्यमान हैं जो पेटेन्ट प्रणाली की विचार धारा के विरुद्ध हैं; और

(ख) कई खण्डों में ऐसे उपबन्ध हैं जिनकी संवैधानिक वैधता हमारी राय में संदेहास्पद है और इसलिए उन पर उस सीमा तक पुनर्विचार किया जाना चाहिये जिस सीमा तक वह भारत के संविधान के विरुद्ध हैं । पहले हम ऊपर (क) के अन्तर्गत उत्पन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ।

सभी देशों में एक शताब्दी से अधिक समय से आविष्कारक को कानून द्वारा स्वामित्व अधिकार देने की और उन अधिकारों का विभिन्न प्रकार के अपवादों द्वारा हनन न होने देते हुए, तथा कुछ मामलों में उन्हें सीमित करने जो जनहित के लिये अत्यंत आवश्यक हो, प्रथा रही है । अधिकार पत्र के द्वारा इन अधिकारों को देने का यह औचित्य रहा है कि क्योंकि आविष्कारों पर बहुत अधिक धन राशि व्यय होती है और जब तक आविष्कारक को किसी की आशा न होगी तब तक वह यह व्यय नहीं करेगा । आविष्कारक धन व्यय करके जोखिम उठाता है, अर्थात् किसी कम्पनी अथवा फर्म को न केवल उसके अनुसंधान पर व्यय करने बल्कि आविष्कारित वस्तु को व्यापारिक उपयोगिता के स्तर पर लाने के लिये भी व्यय करने के लिये भी आकर्षित करता है । यदि आविष्कारक को केवल किसी विशेष कालावधि के लिये ही स्वामित्व अधिकार के रूप में पेटेन्ट से लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है तो क्या वह यह जोखिम उठायेगा । इसके अन्त में आविष्कारक तथा उन लोगों के प्रतिपूर्ति अथवा पारितोषिक का प्रश्न आता है जो औद्योगिक उपयोग के लिये आविष्कार करते हैं ।

बहुत से मदों में से जिन पर अनुसंधान किया जाता है, बहुत कम पेटेन्ट कराये जाते है । उनमें से बहुत तो इस कारण त्याग दिये जाते हैं क्योंकि उनका लाभकारी रूप से व्यापारिक उपयोग नहीं किया जा सकता । अतः यह आशय निकलता है कि जिस आविष्कार को व्यापारिक सफलता प्राप्त होती है उसका मूल्य वास्तव में बहुत अधिक होता है, और इसलिए यह पूर्णतः स्पष्ट है इस प्रकार के आविष्कारों को पेटेंन्ट करते समय सामाजिक तथा आर्थिक औचित्य का ध्यान रखना होगा ।

दुर्भाग्यवश आविष्कारों को पर्याप्त पेटेन्ट संरक्षण देने के सम्बन्ध में एक प्रकार का अन्तराबन्ध मिलेगा । एक ओर तो बहुत से लोग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास चाहते हैं और दूसरी ओर "एकाधिकार", "मूल्य निर्धारण", "समाजिक न्याय" तथा सारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिये सस्ते दाम पर औषधि तथा औषधि उपलब्ध करने के संबंध में हर प्रकार की दिखावटी बात करते हैं। इसके बावजूद भी वे जानते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि दृढ़ पेटेन्ट कानून के फलस्वरूप औषधि, औषधि तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में बहुत प्रगति हुई है ।

हम उस अवस्था में हैं जब हम चाहते हैं कि उद्योग अपने अधिक से अधिक संसाधनों का अनुसंधान तथा विकास कार्य में लगाये परन्तु यदि विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पारित कर दिया जाता है तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारे भारत के नागरिकों में आविष्कार के भाव जगाने के लिये औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के हेतु अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देने का विधेयक का जो मुख्य मूल उद्देश्य था, वह समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक के पारित किये जाने से पूरा नहीं होगा । हम समझते हैं कि यह विधेयक भारत में उद्योगों के तेजी से विकास के लिये पूंजी लगाने का उपयुक्त वातावरण तैयार नहीं करेगा—चाहे यह पूंजी भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई जाय अथवा आवश्यक होने पर विदेशी प्रौद्योगिकी तथा निवेश आयात करके किया जाय ।

निस्संदेह हमारे विचार में आविष्कारकों के अधिकारों के संबंध में विधेयक इतना अभावात्मक तथा निर्बन्धक है कि वास्तव में यह आविष्कारकों को विशेष-कर भारतीय आविष्कारकों को अपने मस्तिष्क की नई उपजों तथा अनुसंधान क्रियाकलापों की जानकारी देने के संबंध में बहुत कम प्रोत्साहन दिया जाता है । इसको हम विधेयक की मूलभूत कमजोरी मानते हैं विशेषकर उस समय जबकि भारत स्वयं नई खोजें करने की स्थिति में है, जिनका वह न केवल अपने विकास के लिये ही उपयोग करना चाहता वरन् वह चाहता है अन्य देश भी उससे लाभ उठायें ।

इस प्रकार हमें विश्वास है कि उस समय जबकि सारा संसार तथा विशेषकर भारत को अनुसंधान तथा विकास कार्य में निवेश के लिये प्रत्येक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, उस दशा में विधेयक के बहुत से खण्डों में अन्तर्निहित बातों से प्रगति रुक जायेगी; विचारों के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान का भारत लाभ नहीं उठा सकेगा; विदेशों में भारत के पेटेन्टों के उचित उपयोग में बाधा पड़ेगी; तथा फिर से वही परिस्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी जो पेटेन्ट विचारधारा बनने से पूर्व 16वीं शताब्दी के अन्त में वेनेशिया गणतंत्र में उपलब्ध थीं अर्थात् नये विचारों पर गोपनीय रूप से कार्य किया जाता था और सार्वजनिक लाभ के लिये उसको बताया नहीं जाता था ।

हमारे विचार में विधेयक के कई खण्डों के परिणामस्वरूप भारत की पहुंच केवल द्वितीय श्रेणी की पुरानी प्रौद्योगिकी तक ही रहेगी जिसका उपयोग सामग्री के दुर्लभ संसाधनों, मानव शक्ति तथा धन के रूप में ही महंगा नहीं पड़ेगा बल्कि

वह भारत को इस स्थिति में पहुंचा देगा कि वह कभी भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास तथा अत्यंत मंहगे क्षेत्रों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकेगा। इस संबंध में हम नये खण्ड 47 तथा 48 की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो पेटेन्ट प्रणाली की मूल विचारधारा को मौलिक रूप से अवहेलना करते हैं। नया खण्ड 47—पेटेन्ट की अनुमति की शर्तें—पेटेन्ट अधिकारों में इतनी अधिक कमी कर देता है कि नये आविष्कारों के पेटेन्ट कराने के लिये किसी को उत्साह नहीं रह जाता। खण्ड 47 में दी गई परिस्थितियों में सरकार द्वारा पेटेन्ट के उपयोग के लिये किसी मुआवजे अथवा पारितोषिक का अभाव अवश्य ही आविष्कारकों को अपने आविष्कारों की घोषणा करने के लिये हतोत्साहित करेगा। नया खण्ड 48—पटेंन्ट कर्त्ताओं के अधिकार—क्योंकि नये खण्ड 47 के सीमाओं के अधीन है इसलिए पेटेन्ट प्रणाली वर्तमान कानून की छाया मात्र रह जाती है। पुराने खण्ड 48 के सम्बन्ध में अपने संशोधनों द्वारा हमने यह सुनिश्चित करना चाहा था कि जिन परिस्थितियों म सरकार पेटेन्ट अधिकारों का उपयोग करेगी उनकी इसी खण्ड में स्पष्ट रूप से परिभाषा दी जायेगी तथा यह उपयोग आपवादिक परिस्थितियों में गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये ही किया जाना चाहिये। हमने यह भी सुनिश्चित करना चाहा था कि इस प्रकार के उपयोग के लिये पेटेन्ट धारी को उचित मुआवजा मिले। प्रवर समिति द्वारा अब किए गए संशोधनों से ये विचारधारायें पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गई हैं। हमें यह सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कहीं हम जल्दबाजी में ऐसे उपाय न अपना लें जिनसे पेटेंट से सम्बद्ध सभी वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जायें। ऐसा करना भूसी के साथ धान भी फेंक देना होगा।

हमारे विचार में एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें गुणदोष के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच की जाय तथा हस्तक्षेप की सीमा का सावधानी पूर्वक निर्धारण करने तथा पेटेंट धारियों द्वारा उठाये गये नुकसान के लिये पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था हो।

विधेयक के खण्ड 53—पेटेंट की अवधि—के सम्बन्ध में हमारे साथियों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी, हमारी राय के अनुसार, नये आविष्कारों के प्रकटीकरण के विरुद्ध प्रेरित करता है। अब जब कि विश्व में आम तौर पर पेटेन्टों की अवधि बढ़ाई जा रही है, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि पेटेन्टों की अवधि सामान्य तौर पर 16 वर्षों से घटा कर 14 वर्ष करना भारत के सर्वाधिक हित में है। जहां तक खाद्य, औषधि, औषधि तथा कीटनाशी पदार्थों का सम्बन्ध है, हमें यह देख कर दुःख हुआ कि विधेयक के प्रभारी मंत्री महोदय के विधेयक में उल्लिखित 10 वर्ष की अवधि को जो कि पहले ही कम है, घटा कर 7 वर्ष किये जाने का विरोध नहीं किया।

सभी लोग जानते हैं कि अनुसंधान पर लागत निरन्तर बढ़ती जा रही है और खाद्य, औषधि तथा औषधि के मामले में विशेष रूप से यह स्थिति है। नये विचारों के रचनाकारों तथा उन लोगों को, जो उन विचारों को वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद उत्पादों का रूप देते हैं, उचित अनुपात में अपना व्यय अवश्य

पूरा करना चाहिए, नहीं तो अनुसन्धान का क्रम रुक जायेगा । इसके अतिरिक्त औषधियों तथा औषधियों के मामले में एक नये रासायनिक यौगिक की, जिससे मूल्यांकन और लाक्षणिक जांच की लम्बी प्रक्रियाओं के माध्यम से एक नयी औषधि की कुछ आशायें हो सकती हैं और अन्ततः एक नयी औषधि तैयार हो सकती है, प्रथम खोज के बाद लगने वाला समय अधिकाधिक होता जा रहा है और उनके पार्श्व प्रभावों के लिए अधिक ज़ोरदार परीक्षण अपेक्षित है । यदि पेटेन्टों की अवधि घटाने की बजाय किसी मामले में बढ़ाई जा सकती है तो ऐसा इस वर्ग के पेटेन्टों में किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, पेटेन्टों की अवधि बढ़ाने के लिए विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है जैसा कि वर्तमान अधिनियम में है । हमारी राय के अनुसार यह एक गम्भीर त्रुटि है । हम उपरोक्त मामलों पर सावधानी से विचार करने का आग्रह करते हैं ताकि पेटेन्टों के अवधि सम्बन्धी भारतीय कानून को अधिक वास्तविक आधार पर लाया जा सके ।

हम खण्ड 88, विशेष रूप से खण्ड 88(5) की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं । हमारा यह विश्वास नहीं है कि उस रायल्टी पर कोई सांविधिक तथा मनमानी सीमा लगाना उचित है जो एक विशेष वर्ग के पेटेन्टों अर्थात् खाद्य, औषधि तथा औषधि में एक पेटेन्टधारी को एक 'अधिकार की अनुज्ञप्ति के अधीन उसके पेटेन्ट के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है और न ही हमारा यह विश्वास है कि इससे आविष्कारों को बढ़ावा मिलेगा । हमारा मत यह है कि ऐसे प्रयोग के लिए मुआवजा प्रत्येक मामले के केवल गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसमें आविष्कार की किस्म, लोक-धन में इसके योगदान तथा उन संसाधनों का--मानसिक, मानवीय तथा वित्तीय-मूल्य जो आविष्कार को जनता को उपलब्ध करने में खर्च किये गये हैं, का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारी राय के अनुसार दूसरी कोई प्रणाली उचित तथा सुनीति संगत नहीं है ।

इन तीन खण्डों के अतिरिक्त खण्ड 2(1) (चार) (कीटनाशी, रोगाणुनाशी, कवकनाशी पदार्थों आदि को औषधियों तथा औषधियों के वर्ग में लाना); खण्ड 43 (एक समय-सीमा का निर्धारित किया जाना जिस में नियंत्रक एक पेटेन्ट को मुद्रांकित करेगा); खण्ड 84 (वैवश्यक अनुज्ञप्तियां) ; खण्ड 103 (नये खण्ड 47 के अधीन पेटेन्टों के उपयोग के बारे में उच्च न्यायालय को अपीलका अधिकार) ; तथा खण्ड 116 (इस अधिनियम के अधीन दिये गये या निकाले गये किसी विनिश्चय, आदेश या निदेश से उच्च न्यायालय पेटेन्ट अपील न्यायाधिकरण को अपील) जैसे अन्य खण्ड हैं जिन पर सावधानी से पुनः विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से खण्ड 116 जिसमें कानून की उचित प्रक्रिया का मूलभूत प्रश्न है ।

अब हम शीर्ष (ख) के अन्तर्गत उठाये गये मामलों पर विचार करना चाहते हैं, अर्थात् वे खण्ड जिनकी संवैधानिक विधिमान्यता हमारी राय के अनुसार

संदेहास्पद है तथा जो भारतीय संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है ।

हमारी मौलिक स्थिति यह है कि वर्तमान भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 के अधीन प्रदान किये गये तथा इस विधेयक के अधीन पेटेन्टों के सम्बन्ध में किये जाने वाला विभेदमूलक व्यवहार कानून के सामने समानता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है ।

इसी तरह, विधेयक के अधीन पेटेन्टों के विभिन्न वर्गों के साथ किया गया विभेदमूलक व्यवहार उसी सिद्धान्त के प्रतिकूल है और इससे घोर भेदभाव होता है ।

इस दूसरे वर्ग में हम अन्य बातों के साथ-साथ नया खण्ड 47 (पेटेन्टों के अनुदान की शर्तें); खण्ड 53 (पेटेन्ट की अवधि) ; खण्ड 87 (अधिकार की अनुज्ञप्तियां) ; खण्ड 88 (अधिकार की अनुज्ञप्तियां) शब्दों से पेटेन्ट के पृष्ठांकित होने का प्रभाव) ; खण्ड 99, संशोधित रूप में (सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कारों के उपयोग का अर्थ) ; खण्ड 100, संशोधित रूप में (आविष्कारों का सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति तथा खण्ड 116 (अपीलें) रखेंगे ।

हमारा यह भी विचार है कि कुछ खण्ड और विशेष रूप से नया खण्ड 47 तथा संशोधित खण्ड 88(5) सम्पत्ति के अधिकार के सिद्धान्त के विरुद्ध है ।

हमारा विश्वास यह है कि उपरोक्त खण्डों के मामलों से अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रश्न पैदा होता है और हमारा विचार यह है कि यह नीति अपनाने का कोई लाभ नहीं है कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है । यह एक विलम्बकारी तथा महंगी प्रक्रिया सिद्ध होगी जैसा कि हाल ही में बैंक राष्ट्रीयकरण कानून में हुआ है तथा यह नये कानून के कारगर कार्यान्वयन के विरुद्ध होगा जिसके परिणामस्वरूप आविष्कारक अपने नये आविष्कारों को प्रकट नहीं करना चाहेंगे । इससे देश के विकास में बाधा पड़ेगी और भारतीय आविष्कारकों को, अन्य देशों के, जहां पेटेन्ट पद्धति चालू है, आविष्कारकों की तुलना में नुकसान होगा ।

उपरोक्त विचारों तथा अभिलेखबद्ध साक्ष्य के महत्व को देखते हुए, हमारा विचार है कि विधेयक के कुछ खण्ड हटा दिये जायें तथा दूसरों में रूपभेद करने की आवश्यकता है । ऐसा करने से ही विधेयक एक ऐसा विधान बनेगा जिससे आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा यह सुनिश्चित होगा कि भारत में उन पर सही ढंग से कार्य किया जाता है । तभी भारत अपने विकास सम्बन्धी उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए क्षेत्रों में अपना कार्य ठीक ढंग से कर सकेगा ।

हमारा विचार है कि जब तक यह रूपभेद नहीं किये जाते तब तक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को कानून का रूप नहीं दिया जाना चाहिये ।

नई दिल्ली,
20 फरवरी, 1970 ।

एम० आर० मसानी
डी० वी० पाटिल

तीन

सरकार ने सिद्धान्ततः भारत में पेटेंट विधि की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है और इसे विधेयक के—पेटेन्टकृत आविष्कारों के कार्यान्वयन में लागू होने वाले सामान्य सिद्धान्त—खण्ड 83 में समाविष्ट कर दिया गया है । उस खण्ड के उपखण्डें (क) और (ख) में दिये गये मूल उद्देश्यों के साथ, इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि आविष्कारों को विशेष कर देशी आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि ये कार्य भारत में हुए हैं और दूसरे पेटेन्ट कराने वालों को पेटेंटकृत वस्तुओं का आयात करने के लिए एकाधिकार न दिया जाये जिससे वे भोली-भाली जनता का शोषण कर सकते हैं ।

2. दूसरे उद्देश्य के सम्बन्ध में भारत में दोनों सरकार द्वारा और तीसरी पार्टी, द्वारा पेटेन्टों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में पर्याप्त उपबन्ध रखे गये हैं जिससे पेटेन्ट के अनुदान और सीमित अवधि के एकाधिकार के सृजन द्वारा पेटेंट धारियों को दिये गये अधिकारों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है । प्रथम मूल सिद्धान्त के बारे में यह बात है कि मैं संयुक्त समिति के अपने अधिकतर साथियों से असहमत हूं और विधेयक उस रूप से, जिसमें समिति से आया है, भी असहमत हूं । मेरे विचार में, विधेयक के अनेक खण्ड पेटेंट कानून, जैसा कि खण्ड 83 के उपखण्ड (क) में दिया गया है, की मूल सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं । वे श्री न्यायमूर्त्ति अयंगर द्वारा किये गये निश्चित विचारों के जो कि उन्होंने अपने प्रतिवेदन में दिनांक सितम्बर, 1959 पेटेन्ट कानून के संशोधन के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं, विरुद्ध हैं और समिति के समक्ष भारत और विदेशों के साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य की मुख्य प्रवृत्तियों से वे स्पष्टतः विपरीत पड़ते हैं। सारांशतः यह विधेयक पूर्णतः नकारात्मक विधेयक है जिससे आविष्कारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता जिसके कारण जो लोग नये विचार सामने लाते हैं उन्हें प्राप्त होने वाले पुरस्कार सीमित हो जाता है और उन्हें कम किया जाता है और जनहित के लिए इस प्रकार के विचार प्रकट करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है ।

3. तथापि मेरे विचार में, विधेयक में अन्य मूलभूत आपत्तियां भी हैं अर्थात् भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर बहुत से खण्डों को बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि उनमें भेद-भाव के तत्व विद्यमान हैं और इनमें

उस स्थिति में उचित मुआवजा मिलने की व्यवस्था नहीं है जबकि सरकार या तीसरी पार्टी द्वारा पेटेंट के अधिकारों का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है या उन्हें प्राप्त किया जाता ह। इसके अतिरिक्त नियन्त्रक या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लिये गये या जारी किये गये कुछ निर्णयों, अधिनियमों, आदेशों या निदेशों के सम्बन्ध में अपील की उपयुक्त व्यवस्था न करना हमारे लोक तन्त्र में उपयुक्त न्याय और कानून की उचित प्रक्रिया से वंचित करना है।

4. (क) मैं अब आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। हमें अपना विधान ऐसा बनाना चाहिए जिससे देश में उत्पादन बढ़े, क्योंकि इसके बिना हम सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय तथा समानता के, जिनकी हमारे संविधान में व्यवस्था है; उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः उन लोगों को जो मानवता के कल्याण के लिए सामान और सेवाओं की अधिक उपलब्धि के लिए अपने बौद्धिक और अन्य संसाधनों को लगाते हैं, उन्हें उचित सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिये। परन्तु कुछ मामलों में इस सामान्य न्याय की इस विधेयक में पूर्णतया उपेक्षा की गयी है। अन्य मामलों में इससे उपयुक्त पुरस्कार प्राप्त करने के अवसर कम हो जाते हैं और तब भी एक अन्य उदाहरण यह भी है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि आविष्कारों के गुण दोष क्या हैं, उन पर कितना समय और शक्ति लगी है अथवा उनसे जनसाधारण के कल्याण में कहां तक सहायता मिल सकती है, इससे प्राप्त किये जा सकने वाले पुरस्कार पर कानूनी और याइच्छिक सीमाएं लगाई गई हैं। या प्रथम श्रेणी में, मैं नये खण्ड 47 को रखता हं जो पेटेंट धारक को बिना मआवजा दिये पेटेंटकृत वस्तु का आयात करने या उपयोग करने के लिए सरकार को विशेषधिकार प्रदान करता है। यदि इसे वांछनीय समझा जाता है कि कुछ परिस्थितियों में सरकार को पेटेंट का उपयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए था तो उन परिस्थितियां विधेयक में ही स्पष्ट की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे प्रयोग के लिए उचित मुआवजा दे (पेटेंट धारक और सरकार द्वारा सहमत होने पर या किसी स्वतन्त्र न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय किये जाने पर, जैसी भी स्थिति हो) अन्यथा इसका परिणाम यह होगा कि अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र में सरकार की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी।

(ख) दूसरी श्रेणी में मैं खण्ड 53 को शामिल करता हूं जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा संशोधन किया गया और उसके बारे में अपनी स्थिति बाद में स्पष्ट कहुंगा। बढ़ती हुई तकनीकी जटिलताओं के संसार में, सभी पेटेंटों के लिए (सिवाय खाद्य, औषधि और औषधि के) आविष्कारकर्ता को उसके आविष्कार के लिए समुचित लाभ प्राप्त करने में 14 वर्ष की अवधि स्पष्टतः अपर्याप्त है। यह सुझाव देना कि औषधि और औषधि के क्षेत्रों में आविष्कारक को अपने आविष्कार के लिए समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सात वर्ष की अवधि पर्याप्त है, उस स्थिति की वास्तविकताओं की उपेक्षा करना है जिसमें बाजार में नई औषधि को लाने के लिए जो समय लगता है वह मनुष्यों पर ऐसी औषधियों के बढ़ते हुए

शक्तिशाली प्रभावों के कारण और अधिक बढ़ता जा रहा है । यह अनुसन्धान और विकास की बढ़ती हुई लगन की भी अवहेलना करता है । इसके अतिरिक्त, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं, पेटेंटों की अवधि बढ़ाने के लिए वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ने में मुझे कोई औचित्य नहीं दिखाई देता ।

(ग) मेरे विचार में, पेटेंट की अवधि मोहर लगाने की तारीख से आरम्भ करके इस स्थिति से कारगर ढंग से निपटा जा सकता था और इस तरह से नहीं जैसा कि इस समय पूर्ण विशिष्ट विवरणों को पूरा करने की तारीख से किया जाता है ।

(घ) मैं खण्ड 88 को भी इसी श्रेणी में रखूंगा जिसके बारे में मैं अपने विचार बाद में व्यक्त करूंगा ।

जैसा कि संयुक्त समिति ने स्वीकार किया है कि सार्वजनिक लाभ के लिए आविष्कार करने के लिए खण्ड 88 किसी व्यक्ति को, उसकी योग्यता को ध्यान में रखे बिना 'अधिकार के लाइसेंस' के लिए आवेदन देने की शक्ति प्रदान करता है और ऐसे उपयोग से रोकने के लिए न तो नियन्त्रक और न ही सरकार के पास कोई शक्ति है । यह न तो आविष्कार के स्वरूप का है और न ही आविष्कार का पूर्ण उपयोग करने के लिए पेटेंट कराने वाले व्यक्ति के द्वारा पहले किये गये उपायों का ध्यान करता है । न्यायाधीश श्री अयंगर ने इस मामले पर अच्छी तरह से विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि "चूंकि आविष्कार की यह श्रेणी (खाद्य, औषधि आदि) सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित है अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि यह गारण्टी दी जानी चाहिये कि उन लोगों को आविष्कार कार्य करने की अनुमति दी जाये जो ईमानदारी और कुशलता से उन्हें करने के लिये अर्हता प्राप्त हैं । मैं समझता हूं कि इन व्यक्तियों की जांच-पड़ताल, जिन्हें इन आविष्कारों का कार्य करने की अनुमति दी जाये, नियन्त्रक द्वारा किये जाने की बजाय केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिये....." [पैराग्राफ 646 (3), पृष्ठ 233] ।

(ङ) मैं खण्ड 88(5) को तीसरी श्रेणी में रखता हूं जो उस पुरस्कार पर अनुचित प्रबन्ध लगाता है जो आविष्कारक खाद्य, औषधियां औषधि के लिए अपने पेटेंट के प्रयोग के लिए प्राप्त कर सकता है और यह आविष्कार के स्वरूप की ओर ध्यान नहीं देता । मैं पुनः इस मामले पर न्यायाधीश श्री अयंगार के निष्कर्षों का उल्लेख करना चाहता हूं ; अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 74 पर, पैराग्राफ 173, उन्होंने यह कहा है कि "विभिन्न उद्योगों में प्रचलित रायल्टी की दरों में काफी विभिन्नताएं हैं और इसलिए एक समान पूर्वनिर्धारित अधिकतम दर निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।"

5. ऐसे और भी खण्ड हैं, यथा, संशोधित रूप में खण्ड 2 (ज), संशोधित रूप में खण्ड 64 तथा संशोधित रूप में खण्ड 90 जिनके बारे में मैं अपने अधिकतर साथियों के साथ सहमत नहीं हूं ।

6. अब मैं अपनी आपत्तियों की दूसरी श्रेणी पर आता हूं अर्थात् कुछ खण्डों को संविधान के क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया जाये । मेरे विचार में, इस नये अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान पेटेंटों और दिये जाने वाले पेटेंटों का निरूपण करने में विधेयक में स्पष्ट भेदभाव किया गया है । इसके अतिरिक्त, नये अधिनियम के अन्तर्गत, दिये जाने वाले आविष्कारों की विभिन्न श्रेणियों का निरूपण करने में स्पष्ट भेदभाव दिखाई देता है । प्रथम श्रेणी में खण्ड 47, खण्ड 53, खण्ड 87, खण्ड 88, खण्ड 99 और खण्ड 100 आते हैं । नया खण्ड 47 और खण्ड 53, 87, 88, 99 और 100 इस पेटेंट में दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि खाद्य, औषधि और औषधि आविष्कारों की अन्य श्रेणियों से पृथक् निरूपण के लिए बताये गये हैं । मेरे विचार में नये खण्ड 47 के बारे में भी इन आधारों पर आपत्ति उठाई जा सकती है कि यह संविधान में दिये हुए सम्पत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है । इस के अतिरिक्त खण्ड 116 के उपबन्धों का अभिप्राय न्याय से वंचित करना है और अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रक या केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये या जारी किये गये कुछ निर्णयों, अधिनियमों, आदेशों और निर्देशों में विधि की उचित प्रक्रिया किसी स्वतन्त्र न्यायिक अधिकरण में अपील करने योग्य नहीं है ।

7. पेटेंट कानून सम्बन्धी मामलों में शीघ्र तथा प्रभावी न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसमें तकनीकी बातें स्थायी रूप से निहित हैं, मैंने पेटेंट न्यायाधिकरण की स्थापना करने का सुझाव दिया था जिसमें महानियन्त्रक के सभी आदेशों से अपीलों की व्यवस्था थी । मेरे मस्तिष्क में आयकर न्यायाधिकरण की तरह का एक न्यायाधिकरण था । इस संस्था ने धन के लोभी आयकर अधिकारियों के कदाचारों के विरुद्ध करदाताओं के प्रति शीघ्र और प्रभावी न्याय करने में बहुत लाभदायक कार्य किया है । एक विशेष पेटेंट न्यायाधिकरण बनाया जाये क्योंकि इसमें पेटेंट कानून के विशेषज्ञों को पेटेंट के मामलों को निपटाने में उच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक समय मिलेगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन न्यायालयों में मामले काफी संख्या में अनिर्णीत पड़े रहते हैं और उन्हें महीनों तथा वर्षों तक सुनवाई के लिए नहीं लिया जाता । तथ्यों का निपटारा न्यायाधिकरण के स्तर पर किया जा सकता है और केवल कानूनी बातों को उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। मैं अब भी आशा करता हूं कि संसद इस मामले पर पुनर्विचार कर सकती है और पेटेंटों के कानून का कार्यान्वयन करने वाले कार्यपालिका अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए पेटेंट न्यायाधिकरण को एक प्रभावी न्यायालय के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दे सकती है ।

8. मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि जब तक बुनियादी सिद्धान्तों, जिनके बारे में मैंने ऊपर बताया है, और आवश्यक तदनुरूपी संशोधनों को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक म समाविष्ट नहीं किया जाता, तब तक इसे कानून न बनाया जाये क्योंकि इससे विधेयक के खण्ड 83 में उल्लिखित मूलभूत प्रयोजन, अर्थात् पेटेंट आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिये

अनुदत्त किये जाते हैं कि आविष्कार वाणिज्यिक मापमान पर और उस पूर्णतम विस्तार तक भारत में क्रियान्वित किये जाते हैं जो असम्यक् विलम्ब के बिना युक्तियुक्त रूप से साध्य हैं और वे केवल इसलिये अनुदत्त नहीं किये जाते हैं कि पेटेंटधारियों को पेटेंटकृत वस्तु के आयात के लिये एकाधिकार का उपयोग करने में समर्थ करें, पूरे नहीं होंगे ।

नई दिल्ली; सी० सी० देसाई ।

20 फरवरी, 1970

चार

प्रवर समिति के मेरे अधिकतर साथियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों विशेषकर खण्ड 48 (नया खण्ड 47), 53,88 तथा 116 के सम्बन्ध में, मैं अपनी विमति टिप्पण दर्ज करना चाहता हूं ।

पुराने खण्ड 48 के सम्बन्ध में मैंने यह सुझाव देते हुये एक संशोधन रखा था कि उक्त खंड के अन्तर्गत सरकार को शक्तियों का प्रयोग केवल गैर-वाणिज्यिक और धर्मार्थ प्रयोजनों तथा बाढ़ ; महामारी ; सूखा तथा ऐसी ही अन्य व्यापक विपदाओं के समय करना चाहिये । मैंने यह भी सुझाव दिया था कि इस पुराने उपयोग के लिये सरकार तथा पेटेंटधारी के बीच तय किया गया मुआवजा दिया जाना चाहिये और यदि इस प्रकार के समझौते के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जाये तो वह मुआवजा उच्च न्यायालय को तय करना चाहिये ।

प्रवर समिति द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई उसे ये दो सिद्धान्त बिल्कुल समाप्त हो गये हैं । मुआवजा दिये बगैर पेटेंट के उपयोग के सरकार के व्यापक तथा असीमित अधिकारों को जैसा कि अब नये खंड 48 में उपबन्ध किया गया है, मैं अनुचित समझता हूं । मैं यह भी समझता हूं कि भविष्य में नये खंड में 47 में दी गई शर्तों के अनुसार पेटेंटों का अनुदान से उस पेटेंट प्रणाली के, जो भारत विकास की इस अवस्था में भारत के लिये उपयुक्त है आधार के ही विरुद्ध है ।

जहां तक खंड 53 का सम्बन्ध है, मैंने एक संशोधन की यह सूचना दी थी कि खाद्य, औषधि अथवा औषधि के पेटेंट के सम्बन्ध में अवधि पेटेंट की तिथि से 14 वर्ष अथवा मुद्रांकन की तिथि से 10 वर्ष, जो भी बाद में हो, होनी चाहिये । प्रवर समिति द्वारा जिस संशोधन की सिफारिश की गई उसमें उन्होंने इस अवधि को घटा कर 7 वर्ष कर दिया जो नितान्त अपर्याप्त है । इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने अपने एक अन्य संशोधन में सुझाव दिया था, समय विस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मेरी राय में, प्रवर समिति अपने संशोधन द्वारा

भारतीय अनुसन्धान प्रयत्नों को बहुत हतोत्साहित करने का काम कर रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि 1911 के अधिनियम के अधीन प्राप्त उपयुक्त मामलों में पेटेंट अवधि बढ़ाने की विवेक शक्तियों को सरकार त्याग दे।

मैं ने खण्ड 88 पर दो संशोधनों का सुझाव दिया था। पहला संशोधन यह था कि इस बात का निश्चय करने के लिये कि अधिकार की अनुज्ञप्ति दी जाय अथवा नहीं, नियंत्रक को चाहिये कि वह अनुज्ञप्ति मांगने वाले व्यक्ति की सार्वजनिक हित में अविष्कार पर कार्य करने की योग्यता तथा पंजी जुटाने और अविष्कार पर कार्य करने में उस व्यक्ति द्वारा उठाये जाने वाले जोखिम का ध्यान रखे।

मेरा दूसरा संशोधन यह था कि जिस पेटेंट के स्वामी को अधिकार की अनुज्ञप्ति दी गई थी, उसको दी जाने वाली रायल्टी अथवा मुआवजा प्रत्येक मामले के गुण व दोष के आधार पर अधिनियम की धारा 95 के उपबन्धों के अनुसार, निश्चित किया जाना चाहिये। समिति ने इनमें से किसी संशोधन को स्वीकार करना ठीक नहीं समझा। नियंत्रक/केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध पर्याप्त उपाय की व्यवस्था करने के लिये मैंने खण्ड 116 में संशोधन का यह प्रस्ताव रखा था कि पुराने खण्ड 48 के अन्तर्गत सरकारी उपयोग, पेटेन्ट के समय विस्तारण तथा खण्ड 88 के अधीन दी जाने वाली रायल्टी के सम्बन्ध में अपील करने का अधिकार होना चाहिये।

समिति ने इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरी राय में जिस रूप में प्रवर समिति ने विधेयक की सिफारिश की है उसमें ऐसे उपबन्ध हैं जो अनुचित रूप से भेदभाव पूर्ण होने तथा सम्पत्ति अधिकार के विरुद्ध प्रेरित करने के कारण संविधान की शक्ति के परे समझे जा सकते हैं। अपील करने की उपयुक्त अधिकारों की व्यवस्था न करना भी कानून के नियम के प्रतिकूल है। इन कारणों से मैं प्रवर समिति द्वारा सिफारिश किये गये रूप में विधेयक से सहमत होने में असमर्थ हूं तथा अनुरोध करता हूं कि इसको अधिनियमित करके कानून न बनाया जाये

नई दिल्ली ;
24 फरवरी, 1970

हरि कृष्ण शास्त्री

पांच

यह विधान काफी वाद-विवाद का विषय है। दूसरे देशों के औषधि निर्माण उद्योग के बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाओं ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और भारत

में उनके सहयोगियों ने इसको खतम कराने के लिये उनकी ओर से कार्य किया। सभी लोग जानते हैं कि भारत में आवश्यक भेषजों की कीमतें बहुत ऊंची हैं। इसका एक कारण मूल्य वृद्धि को न रोकने में सरकार द्वारा अदा की गई भूमिका तथा मुख्य कारण 1911 के वर्तमान पेटेंट तथा डिजाइन अधिनियम के माध्यम से भारत में विदेशी उत्पादकों की संरक्षा है।

वर्तमान अधिनियम 1911 में अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा विदेशी स्वाभाविक रूप से ही औषध निर्माण उद्योग को पूर्ण अधिकार दिया गया और उस समय भारत में ऐसा कोई उद्योग नाम के लिये भी नहीं था। बाद में जो विभिन्न परिवर्तन हुये उनके कारण औषध-निर्माण उद्योग में भारतीय उद्यमों का धीरे-धीरे विकास हुआ और अब हम विभिन्न औषधियों के निर्माण के लिये अपेक्षित बहुत से आवश्यक मूल रासायनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं तथा थोड़े समय में हम मुख्य औषधियों के निर्माण में आत्म निर्भर हो जायेंगे।

भारत में औषधि निर्माण उद्योग के इस विकास क्रम में तथा इस देश के गरीब लोगों को सस्ती दरों पर औषधियां देने की क्षमता उत्पन्न करने की अविलम्ब आवश्यकता को देखते हुये वर्तमान पेटेंट अधिनियम एक भारी रुकावट है। वर्तमान अधिनियम के अनुसार जब पेटेन्ट अधिकार एक बार किसी पेटेंटी को प्रदत्त कर दिये जाते हैं तो केवल वह ही इसका निर्माण कर सकता है और उसके उत्पादन तथा सस्ते दामों पर बेचने की किसी दूसरे की चाहे कितनी भी क्षमता क्यों न हो, पेटेंट अधिकारों की अवधि समाप्त होने तक उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह 1911 के अधिनियम के कारण हमारे सामने विभिन्न तरीकों से बाधायें आती हैं। इसलिये इसमें आमूल परिवर्तन करने की मांग की गई। पहली लोक-सभा में विधान पास कराने का एक प्रयास किया गया लेकिन सफलता न मिली। पुनः तीसरी लोक-सभा में इसे अधिनियमित कराने का दूसरा प्रयास किया गया और 1966 में एक विधेयक पेश किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश यह भी व्यपगत हो गया क्योंकि यह समय पर पारित न हो सका। इस कानून को बदलवाने के लिये यह हम तीसरा प्रयास कर रहे हैं।

लेकिन मैंने देखा है कि इस प्रयास में भी बहुत से सदस्य इस आधार पर विदेशी एकाधिकारों के पुराने अधिकार बनाये रखने के पक्ष में प्रयत्न कर रहे हैं कि जब तक वर्तमान अधिकारों का परिरक्षण नहीं किया जायेगा तब तक निर्माताओं को ऐसी नई दवाइयां निकालने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जिनके सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा आविष्कार करने के लिये आरम्भ में काफी खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है।

वर्तमात स्थिति में, जब कि इस उद्योग का देश में विकास हो चुका है और हम लोगों के लिये सस्ते दामों पर अधिक अच्छी दवाइयों का अनुसन्धान तथा

आविष्कार करने के लिये अपनी क्षमता पर अधिक निर्भर करते हैं, ये तर्क अनुचित प्रतीत होते हैं। यदि हम वर्तमान पेटेंट अधिनियम द्वारा सुरक्षित विदेशी स्वार्थ द्वारा तैयार किये गये इस संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं निकलते तो हम स्थिति को सुधारने में अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिये हममें से कुछ ने प्रवर समिति में मांग की कि औषधि तथा खाद्य उद्योग को दिया गया पेटेंट संरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इसका श्री सी० सी० देसाई, श्री एम०आर० मसानी और उन जैसे अन्य माननीय सदस्यों ने घोर विरोध किया। उन्होंने यह दलील पेश की कि संरक्षण की अवधि ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिये। लेकिन अन्त में बहुमत ने यह स्वीकार किया कि इसे सात वर्ष तक सीमित कर दिया जाना चाहिये। इससे विधेयक में सुधार हुआ जिसमें दस वर्षों की अवधि निर्धारित की गई थी।

मुआवजे के भुगतान के प्रश्न पर, जब विभिन्न कारणों से पेटेंट अधिकार समाप्त कर दिये जाते हैं, समिति ने एक के बहुमत से उसकी सीमा की मात्रा 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी। यह विधेयक में नियत की गई सीमा से भी काफी अधिक है। मैंने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया क्योंकि मैंने महसूस किया कि सरकार निहित स्वार्थों के दबाव में आ गई है। 4 प्रतिशत की सीमा भी बहुत अधिक है क्योंकि इस समय जो मुआवजा दिया जाता है वह इस स्तर से काफी कम है और इस सीमा को बढ़ाने में कोई औचित्य नहीं है। अब इससे आगे अधिक मुआवजा देने की प्रवृत्ति होगी।

पेटेन्ट की अवधि सीमित करने में हमारे सामने जो दूसरी बड़ी रुकावट आई वह हमारे संविधान की वैधिक व्याख्या द्वारा रखी गई परिसीमा है। गोलकनाथ के मामले के बाद यह व्याख्या की जाती है कि संसद को वर्तमान सम्पत्ति अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए महान्यायवाद ने राय दी कि चूंकि वर्तमान पेटेन्ट अधिकार ऐसे हैं जो एक अधिनियम (यद्यपि 1911 का) द्वारा प्रदान किये गये हैं, इसलिए उन्हें अब समाप्त नहीं किया जा सकता और पहले प्रदान की गई अवधि बनी रहनी चाहिए। नहीं तो इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा ठुकरा दिये जाने का खतरा है।

यह दुःख की बात है कि संसद् सम्पत्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई प्रगतिशील कानून बनाने में असमर्थ है और जब कभी यह ऐसा प्रयास करती है तो गोलकनाथ के मामले का भूत तथा उच्चतम न्यायालय की शक्ति हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। किसी भी प्रकार का सम्पत्ति सम्बन्ध अधिकार इतना पवित्र और आदर्श बन गया है कि कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। इस मामले में वर्तमान अधिनियम के अधीन अधिकार प्रदान किया गया था लेकिन एक बार प्रदान कर देने के बाद इसे वे भी समाप्त नहीं कर सकते जिन्होंने यह अधिकार दिया था। हमारे संविधान की तथाकथित व्याख्या का ऐसा तर्क है। क्या कोई चीज इससे अधिक अनर्गल हो सकती है? इसलिए यह उचित समय

है कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन करने का विचार रखते हैं उसके अनुकूल हम अपने संविधान में परिवर्तन क ।

संवैधानिक अड़चन के कारण अब आगे औषधि उद्योग को दो प्रकार के पेटेन्ट प्रदान किये जायेंगे अर्थात् उनको, जो नया अधिनियम लागू होने से पहले विद्यमान होंगे, 14 वर्षों की अवधि के पेटेन्ट प्रदान किये जायेंगे तथा उसके बाद के उद्योगों को 7 वर्षों की अवधि के पेटेन्ट दिये जायेंगे। क्या यह भी "भेदभाव" के नाम पर न्यायालय द्वारा कानून विवाद का एक विषय बन जायेगा, यह बात अभी देखी जानी है ।

इस पृष्ठभूमि में, मुझे औषधियों के लिए 7 वर्षों की अवधि से हिचकिचाहट के साथ सहमत होना पड़ा यद्यपि मैंने औषधियों तथा खाद्य वस्तुओं के लिए पेटेन्ट संरक्षण के आमूल रूप से उन्मूलन का पूरा समर्थन किया।

जहां तक विधेयक के अन्य उपबन्धों तथा अन्य प्रकार के पेटेन्टों को दिये गये संरक्षण की अवधि का सम्बन्ध है, उनके बारे में अधिक विवाद नहीं था।

मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि इस टिप्पण में बताये गये परिवर्तनों को सभा द्वारा अन्तिम विचार के समय स्वीकार किया जाये।

के० आनन्द नम्बियार

नई दिल्ली;

24 फरवरी, 1970

छः

पेटेन्ट कानून के लाभकारी होने के लिए मूलरूप से इस बात की आवश्यकता है कि देश में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसन्धान का स्तर ऊंचा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हम अपने देश में अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। इसके परिणामस्वरूप विदेशी लोगों ने पेटेन्ट अधिनियम के कारण गरीब भारतीयों के हितों का हनन करके सम्पन्न हुए हैं भारत में पंजीकृत पेटेन्टों में से लगभग 85 प्रतिशत पेटेन्ट विदेशियों के हैं। इस तरह इस कानून ने एकाधिकारों की स्थापना करने में विदेशियों की रक्षा की है।

अधिकांश विदेशी, जो भारत में अपना पेटेन्ट रजिस्टर करवाते हैं, अपने पेटेन्टकृत उत्पादों का निर्माण इस देश में नहीं करते और इस तरह भारतीय निर्माताओं को इन चीजों का निर्माण करने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धन उपभोक्ताओं से इन औषधियों के लिए बहुत ऊंची कीमत वसूल की जाती है।

यहां तक कि ऐसी अधिकांश विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ की दर उनके द्वारा अपने देश में घोषित की गई शुद्ध दर से काफी अधिक होती है।

पेटेन्टों सम्बन्धी न्यायाधीश एन० राजागोपाल आयंगर की समिति ने इस प्रकार कहा है :—

"भारतीय पेटेन्ट पद्धति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही है।" समिति ने इस बात की भी पुष्टि की कि विदेशियों ने भारत में औद्योगिक प्रगति को रोकने के लिए पेटेन्ट कानून का दुरुपयोग किया है।

इसलिए हमारी यह दृढ़ राय है कि भारत में कम से कम 10 वर्षों के लिए कोई पेटेन्ट कानून नहीं होना चाहिए। देश में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसन्धान का स्तर ऊंचा हो जाने पर हम इस समस्या पर विचार कर सकते हैं। जापान में भी दूसरे विश्व युद्ध तक कोई पेटेन्ट कानून नहीं था। इटली में खाद्य, औषधि तथा रासायनिक पदार्थों के लिए कोई पेटेन्ट कानून न होने के कारण ही उसने काफी प्रगति की है।

संयुक्त समिति ने विधेयक में कुछ सराहनीय परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के तौर पर खण्ड 5 में इस ढंग से संशोधन किया गया है कि इसके कारण पदार्थों के लिए कोई पेटेन्ट प्रदान नहीं किया जायेगा और पेटेन्ट केवल निर्माण के तरीकों अथवा प्रक्रियाओं के लिए प्रदान किये जा सकते हैं। इसी तरह खण्ड 99 में केन्द्रीय सरकार को जनता के हित के लिए औषधियों का आयात करने तथा पेटेन्टों का प्रयोग करने की अधिक शक्तियां दी गई हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद, हम महसूस करते हैं कि यदि विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में सभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो यह देश के लिए हानिकारक होगा। देश को जो नुकसान हो रहा है, वह रोका नहीं जा सकेगा।

यदि सरकार इस विधेयक को पास करने पर कटिबद्ध है तो हम सिफारिश करते हैं कि इसे भारत के पददलित लोगों के लिए कम हानिकारक बनाने के लिए इसमें निम्न परिवर्तन किए जायें :—

(क) विदेशियों तथा भारतीयों के बीच साम्य के सिद्धांत का पेटेन्ट कानून से उन्मूलन कर दिया जाये :—केवल भारतीयों को अपने पेटेन्ट रजिस्टर कराने की अनुमति दी जानी चाहिए और किसी विदेशी का भारत में कोई पेटेन्ट नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से औषधियों, भेषज तथा खाद्य के मामले में इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि यदि हम इस ढंग से कानून का संशोधन करते हैं तो इसका अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा। यद्यपि चीन में कोई पेटेन्ट कानून नहीं है, फिर भी यूरोप के अनेक पूंजीवादी देश इसके साथ व्यापार करते हैं। दूसरे, ऐसे भारतीय

लोगों की संख्या नगण्य है। जो विदेशों में अपना नाम रजिस्टर करवायेंगे। इस तरह हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) खण्ड 88(5) में समिति ने स्वामित्व और अन्य पारिश्रमिक को पेटेन्टकृत वस्तु के शुद्ध कारखाना द्वारे पुंज विक्रय कीमत 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। हमारा समिति से पूर्णरूपेण मतभेद है। वास्तव में अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत में पेटेन्टकृत वस्तु की मांग बहुत अधिक है।

(ग) खण्ड 53(i) में समिति ने खाद्य, औषधि तथा ओषधियों के मामले में पेटेन्टों के लिए निर्धारित अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी है। हमारी राय में यह अवधि केवल 5 वर्ष होनी चाहिए थी। चूंकि भारत में ओषधियों, औषधियों तथा खाद्य की मांग अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, उस व्यक्ति को जो यहां अपने पेटेन्ट को रजिस्ट्रीकृत करवाता है पूरा मुआवजा मिलेगा। खण्ड 53 (एक) (ख) में उल्लिखित आविष्कार के बाद की अवधि भी 14 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दी जानी चाहिए।

(घ) जहां तक खण्ड 53(2) का सम्बन्ध है, समिति ने इस खण्ड का लोप कर दिया है क्योंकि इसने महसूस किया कि भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 के अन्तर्गत अनुदत्त पेटेन्टों की अवधियां कम नहीं की जानी चाहिए। हम समिति के विचारों से सहमत नहीं हैं। हमारा मत यह है कि नये पेटेन्टों के लिए हमने जो 5 वर्ष तथा 10 वर्ष की अवधियों का सुझाव दिया है वे अवधियां पुराने अधिनियम के अन्तर्गत अनुदत्त पेटेंटों पर भी लागू होनी चाहिए।

नई दिल्ली :
25 फरवरी, 1970

कंवर लाल गुप्ता
अटल बिहारी बाजपेयी
पीताम्बर दास

सात

मैं शिशुओं, बच्चों, गर्भवती तथा शिशुओं का पालन पोषण करने वाली महिलाओं, बीमार लोगों तथा उपशमी लोगों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों और जीवनरक्षक औषधियों के लिए पेटेन्ट देने की बात से सहमत नहीं हूं। यह देखने वाली बात है कि इस शताब्दी की प्रथम दशाब्दी से पूर्व औषधियों के मामले

में कोई पेटेन्ट नहीं थे। विश्व में कहीं भी किसी डाक्टर अथवा सर्जन द्वारा खोजी गई किसी शल्य चिकित्सा अथवा निदान सम्बन्धी कुशल प्रक्रियाओं अथवा इलाज के तरीकों के सम्बन्ध में कोई पेटेन्ट नहीं है। इसका, कोई कारण नहीं है कि औषधियों को; जो चिकित्सकों के लिए अत्यावश्यक साधन हैं, पेटेन्ट प्रदान करके मुनाफाखोरी का एक साधन क्यों बनाया जाये।

2. यह कहना मानव स्वभाव में आस्था का अभाव है कि केवल मुनाफे के प्रलोभन से ही वैज्ञानिक अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। वैज्ञानिकों को किसी भी तरह, एक नियम के तौर पर, पेटेन्टों से लाभ नहीं होता। आम तौर पर वित्त पोषकों को ही लाभ होता है। मानवता के हित में वैज्ञानिकों की खोजों का प्रयोग करना तथा यथासम्भव सस्ते से सस्ते मूल्यों पर ऐसी चीजें बनाना सरकार तथा लोक-हितैषी संस्थाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा।

3. देश के विकास की दृष्टि से भी, मेरा विचार है कि कम से कम अगले 30 वर्षों के लिए औषधियों तथा खाद्यों के सम्बन्ध में किन्ही पेटेन्टों की व्यवस्था न रखना बहुत ही उचित होगा ताकि भारत में हमारे वैज्ञानिकों को नयी प्रक्रियाओं का विकास करने तथा वैज्ञानिक जानकारी से लाभ उठाने का अवसर मिल सके जिससे हमारे देश में निर्धन लोगों को कम से कम सम्भव कीमत पर ऐसी आवश्यक औषधियां तथा खाद्य पदार्थ मिल सकें।

4. औषधियों तथा खाद्यों के मामले में पेटेन्टों के हानिकारक प्रभावों को कुछ हद तक दूर करने के लिए अधिकार लाइसेन्स का उपबन्ध किया गया था तथा अधिकतम स्वामिस्व 3 प्रतिशत नियत किया गया था, जिसे अब करों को छोड़कर 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। यह देश के अथवा हमारे अधिकांश लोगों के हित में नहीं है, जो कि निर्धन हैं। करों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत स्वामिस्व शुल्क का अर्थ 10 प्रतिशत से अधिक स्वामिस्व है और जब कि सरकार का यह इरादा हो सकता है कि यह अधिकतम सीमा है। व्यवहारिक रूप से इसका प्रभाव प्रतिकूल ही होने की सम्भावना है। इस बात को देखते हुए कि पिछले कई वर्षों में पेटेन्टों के नियंत्रक एक या दो प्रतिशत से अधिक के स्वामिस्व के लिए कभी सहमत नहीं हुए, तीन प्रतिशत स्वामिस्व जिसका आरम्भ में उपबन्ध किया गया था आवश्यकता से अधिक था।

5. उपरोक्त बातों के कारण मैं संयुक्त समिति के अधिकांश प्रतिवेदन से सहमत नहीं हो सकती।

नई दिल्ली ;
25 फरवरी, 1970

सुशीला नायर

मैंने सावधानीपूर्वक प्रतिवेदन को पढ़ा है। एक ओर मुझे यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि संयुक्त समिति को भेजे गये विधेयक में कम सुधार नहीं किये गये हैं, परन्तु मुझे कुछ मूल विषयों पर अपना विमति टिप्पण देना होगा।

यह मेरा निश्चित विचार रहा है कि अल्प विकसित विकासोन्मुख देशों को विकास पथ पर अग्रसित होते हुए आसानी से पेटेंट कानून के जाल में नहीं फंसना चाहिये। औषधियों तथा खाद्यों के विषय में प्रस्तावित पेटेन्टों से सहमत होना कठिन है। यहां यह बात याद दिलायी जा सकती है कि श्री जवाहर लाल नेहरू ने यह विचार व्यक्त किया बताते हैं कि खाद्य तथा औषधियों के मामले में कोई पेटेन्ट नहीं होने चाहिये। यद्यपि हम तर्क कर सकते हैं कि 10 वर्ष की अवधि को घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया है, परन्तु भारतीय लोगों की आवश्यकताओं तथा उनकी क्रयक्षमता को देखते हुए खाद्य तथा औषधियों का मूल्य न्यूनतम रखा जाना चाहिये। यदि खाद्य और औषधियों के लिये पेटेन्ट दिये गये तो यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। यदि हम औषधि उद्योग तथा मूल्यों के चढ़ाव-उतार के सम्पूर्ण इतिहास पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि भारत में बनी औषधियों की 50 करोड़ रुपये की उत्पादन लागत के मुकाबले उनका मूल्य 200 करोड़ रुपया बैठता है और इस प्रकार उनपर 400 प्रतिशत का अविश्वसनीय लाभ होता है। औषधियों तथा खाद्यों के संबंध में पेटेन्टों को देने के पक्ष में एक सीधा तर्क दिया गया है कि जब तक औषधि उद्योग को पेटेन्ट कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और जब तक इससे पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होगा तब तक अनुसंधान कार्य के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। औषध निर्माण उद्योग द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्य पर जो व्यय किया जाता है उसका अनुपात उसके कुल खर्चे की तुलना में नगण्य है। समाजवाद की स्थापना में संलग्न समाज में अनुसंधान तथा विकास कार्य राष्ट्रीय उत्तरदायित्व होना चाहिये तथा उसको गैर-सरकारी पूंजीपति के लाभ कमाने के उद्देश्य पर आश्रित नहीं होना चाहिये अथवा उस पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। अतः जहां तक खाद्यों और औषधियों का संबंध है, यह वांछनीय है कि पेटेन्ट पूर्णरूप से समाप्त किये जायें। किसी भी दशा में कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिये खाद्यों तथा औषधियों के संबंध में कोई पेटेन्ट कानून नहीं होना चाहिए।

इस समय स्वामित्व एक समान नहीं है, इसकी दर आधा से लेकर ढाई प्रतिशत तक है तथा अपवादस्वरूप मामलों में 4 प्रतिशत है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि (हालांकि विधेयक में केवल 4 प्रतिशत का

उपबन्ध किया गया था) सरकार ने संशोधन द्वारा इसको 5 प्रतिशत किया जो कि एक के बहुमत से स्वीकृत हो गया । मैं इस अवस्था में भी यह कहता हूं कि सरकार स्वामित्व को घटाने के लाभ को समझेगी और धारा 88 (5) के उपयुक्त संशोधन सभा में रखेगी ।

मैं आविष्कारक प्रमाणपत्रों का प्रयोग शुरू करने की सराहना करता हूं । इस आशय के संशोधन की सूचना दी गयी थी तथा संयुक्त समिति काफी बहुमत से इसको स्वीकृत करने के पक्ष में थी । क्योंकि संशोधन की स्वीकार करने के पूर्व प्रक्रिया संबंधी कुछ कार्यवाही की जानी थी अतः समिति ने इस पर चर्चा की तथा इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया और यह कार्य सरकार पर छोड़ दिया कि आविष्कारकों के प्रमाणपत्रों सम्बन्धी व्यवस्था को विधेयक का अंग बनाने के लिये वह आवश्यक उपाय करें । मेरा विश्वाश है कि सरकार इस प्रकार का संशोधन रखेगी। महान्याय-वादी द्वारा दी गयी राय से सीधे दो प्रश्न पैदा होते हैं । पहला यह कि क्या संसद् 1911 के अधिनियम के अधीन पहले से ही दिये गये पेटेन्टों की शर्तों में फेर वदल कर सकती है ? महा अधिवक्ता के अनुसार इसका उत्तर, उन्हीं के शब्दों में, यह प्रतीत होता है : "किसी विशेष श्रेणी के आविष्कारों के संबंध में पहले से दिये गये किसी अधिकार को भी संसद् छीन नहीं सकेगी।" दूसरे कानून भी किसी गरीब आदमी की सहायता नहीं कर सकेगा। दूसरी ओर, आपातकालीन स्थिति में यह रुकावट सिद्ध होगा क्यों कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 के उपबंधों के अधीन बिना मुआवजा दिये आयात नहीं किया जा सकता। आपातकालीन स्थिति में भी यदि संसद् द्वारा पारित कानून अनुच्छेद 19 के जो संपत्ति के अधिकार के रक्षण के लिये है, अनुसार नहीं है, तो संसद् की प्रभुसत्ता का भी कोई लाभ न होगा। अतः पेटेन्ट कानून अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 के संबंध में मूल समस्या पैदा करता है। अतः हमारा कर्त्तव्य है कि जनता के हित के लिये संतुलन की स्थिति का पता लगायें। यह भी उचित समय है कि इस विषय का गंभीरतापूर्वक पुनर्विलोकन करके उपचारात्मक उपाय किये जायें ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी मुकदमे में हाल ही में दिये गये निर्णय से यह स्पष्ट है कि संविधान में संशोधन करना परम आवश्यक है । यदि हम काननी व्यवस्था द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो इसके लिये हमें संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद् को पुनः देना होगा । संविधान लचीला होना चाहिये ताकि सामाजिक परिवर्तन किये जा सकें । यही चुनौती हमारे सम्मुख है यही समय है कि संसद् कुछ करे ।

नई दिल्ली;
26 फरवरी, 1970

कृष्णकान्त

पेटेन्ट विधेयक, 1967

खंडों का क्रम

खण्ड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं और निर्वचन ।

अध्याय 2

आविष्कार जो पेटेन्ट योग्य नहीं हैं

3. क्या-क्या आविष्कार नहीं हैं ।
4. परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित आविष्कार का पेटेन्ट न किया जा सकना ।
5. जहां-जहां कि विनिर्माण के ढंग या प्रक्रियाएं ही पेटेन्ट होने योग्य हैं, आविष्कार ।

अध्याय 3

पेटेन्टों के लिए आवेदन

6. पेटेन्टों के लिए आवेदन करने के हक़दार व्यक्ति ।
7. आवेदन का प्ररूप ।
8. विदेशी आवेदनों के बारे में जानकारी और उपक्रमण ।
9. अनन्तिम और पूर्ण विनिर्देश ।
10. विनिर्देशों की अन्तर्वस्तुएं ।
11. पूर्ण विनिर्देश के दावों की पूर्विकता तारीखें ।

अध्याय 4

आवेदनों की परीक्षा

12. आवेदन की परीक्षा ।
13. पूर्व प्रकाशन द्वारा और पूर्विक दावे द्वारा किए गए पूर्वानुमान की तलाश ।

14. नियंत्रक द्वारा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार ।

15. कतिपय दशाओं में आवेदनों को नामंजूर या संशोधित करने की अपेक्षा करने की नियंत्रक की शक्ति ।

16. नियंत्रक की आवेदन के विभाजन की बाबत आदेश देने की शक्ति ।

17. आवेदन पर तारीख लगाने की बाबत आदेश देने की नियंत्रक की शक्ति ।

18. पूर्वानुमान के मामलों में नियंत्रक की शक्तियां ।

19. विधायी अतिलंघन की दशा में नियंत्रक की शक्तियां ।

20. आवेदकों के प्रतिस्थापन आदि के संबंध में आदेश देने की नियंत्रक की शक्तियां ।

21. आवेदन को प्रतिग्रहण के लिए ठीक करने के लिए समय ।

22. पूर्ण विनिर्देश का प्रतिग्रहण ।

23. पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण का विज्ञापन ।

24. पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण का प्रभाव ।

अध्याय 5

पेटेन्टों के अनुदान का विरोध

25. पेटेन्ट के अनुदान का विरोध ।

26. "अभिप्राप्त" के मामलों में नियंत्रक आवेदन को विरोधी का आवेदन मान सकेगा ।

27. विरोध के बिना पेटेन्ट देने से इन्कार ।

28. पेटेन्ट में आविष्कर्ता का उस हैसियत में वर्णन ।

अध्याय 6

पूर्वानुमान

29. पूर्व प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान ।

30. सरकार को पूर्व संसूचना द्वारा पूर्वानुमान ।

31. लोक प्रदर्शन आदि द्वारा पूर्वानुमान ।

32. सार्वजनिक क्रियान्वयन द्वारा पूर्वानुमान ।

33. अनन्तिम विनिर्देश के पश्चात् उपयोग और प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान ।

34. यदि परिस्थितियां वही हैं जो धाराओं 29, 30, 31 और 32 में वर्णित हैं, तो पूर्वानुमान का न किया जाना ।

अध्याय 7

कतिपय आविष्कारों की गोपनीयता के लिए उपबन्ध

35. रक्षा के प्रयोजनों के लिए सुसंगत आविष्कारों के संबंध में गोपनीयता के निदेश ।
36. गोपनीयता निदेशों का कालिक रूप में पुनर्विलोकन किया जाना ।
37. गोपनीयता निदेशों के परिणाम ।
38. गोपनीयता निदेशों का प्रतिसंहरण और समय का विस्तार ।
39. निवासियों का भारत के बाहर पूर्व अनुज्ञा के बिना पेटेन्ट के लिए आवेदन न करना ।
40. धारा 35 या धारा 39 के उल्लंघन के लिए दायित्व ।
41. नियंत्रक और केन्द्रीय सरकार के आदेशों का अन्तिम होना ।
42. सरकार को प्रकटन के बारे में व्यावृत्तियां ।

अध्याय 8

पेटेन्टों का अनुदान और मुद्रांकन और तद्द्वारा प्रदत्त अधिकार

43. पेटेन्ट का अनुदान और मुद्रांकन ।
44. मृत आवेदक को अनुदत्त पेटेन्ट का संशोधन ।
45. पटन्ट की तारीख ।
46. पेटेन्ट का प्ररूप, विस्तार और प्रभाव ।
47. पेटेन्टों का अनुदान कतिपय शर्तों के अध्यधीन होना ।
48. पेटेन्टधारियों के अधिकार ।
49. अस्थायी या आकस्मिक रूप से भारत में आए विदेशी जलयानों, आदि पर उपयोग में लाए जाने से ही पेटेन्ट अधिकारों का अतिलंघन न होना ।
50. पेटेन्टों के सहस्वामियों के अधिकार ।
51. सहस्वामियों को निदेश देने की नियंत्रक की शक्ति ।
52. जहां कि वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता के प्रति कपट करके पेटेन्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कर लिया गया है, वहां वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता को पेटेन्ट का अनुदान ।
53. पटन्ट का अवधि ।

अयध्याय 9

अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट

54. अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट ।
55. अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट की अवधि ।
56. अतिरिक्ति के लिए पेटेन्टों की विधिमान्यत ।

अध्याय 10

आवेदनों और विनिर्देशों का संशोधन

57. नियंत्रक के समक्ष आवेदन और विनिर्देश का संशोधन ।
58. उच्च न्यायलय के समक्ष विनिर्देश का संशोधन ।
59. विनिर्देश या आवेदन के संशोधन के बारे में अनुपूरक उपबन्ध ।

अध्याय 11

व्यपगत पेटेन्टों का प्रत्यावर्तन

60. व्यपगत पेटेन्टों के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन ।
61. व्यपगत पेटेन्टों के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदनों के निपटाए जाने की प्रक्रिया ।
62. उन व्यपगत पेटेन्टों के, जो प्रत्यावर्तित हो गए हैं, पेटेन्टधारियों के अधिकार ।

अध्याय 12

पेटेन्टों का अम्यर्पण और प्रतिसंहरण

63. पेटेन्टों का अभ्यर्पण ।
64. पेटेन्टों का प्रतिसंहरण ।
65. परमाणु ऊर्जा से सम्बद्ध मामलों में केन्द्रीय सरकार के निदेशों पर पेटेन्ट का प्रतिसंहरण या पूर्ण विनिर्देश का संशोधन ।
66. लोक हित में पेटेन्ट का प्रतिसंहरण ।

अध्याय 13

पेटेन्टों का रजिस्टर

67. पेटेन्ट का रजिस्टर और उसमें प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ।
68. समनुदेशनों आदि का, जब तक कि वे लिखित और रजिस्ट्रीकृत न हों, विधिमान्य न होना ।
69. समनुदेशनों, संप्रदानों आदि का रजिस्ट्रीकरण ।
70. रजिस्ट्रीकृत अनुदत्ती या स्वत्वधारी की पेटेन्ट से बरतने की शक्ति ।
71. उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्टर की परिशुद्धि ।
72. रजिस्टर का निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहना ।

अध्याय 14

पेटेन्ट कार्यालय और स्थापन

73. नियंत्रक और अन्य आफ़िसर ।
74. पेटेन्ट कार्यालय और उसकी शाखाएं ।
75. पेटेन्ट कार्यालय के कर्मचारियों पर पेटेन्ट में अधिकार या हित के विषय में निर्बन्धन ।
76. आफ़िसरों और कर्मचारियों द्वारा जानकारी आदि का न देना ।

अध्याय 15

नियंत्रण की साधारणतः शक्तियां

77. नियंत्रक को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां प्राप्त होना ।
78. नियंत्रक की लिपिकीय गलतियों आदि को शुद्ध करने की शक्ति ।
79. साक्ष्य किस प्रकार से दिया जाए और उसकी बाबत नियंत्रक की शक्तियां ।
80. विवेकाश्रित शक्तियों का नियंत्रक द्वारा प्रयोग ।
81. समय के विस्तारण के लिए आवेदनों का नियंत्रक द्वारा निपटाया जाना ।

अध्याय 16

पेटेन्ट का क्रियान्वयन, वैवश्यक अनुज्ञप्तियां, अधिकार की अनुज्ञप्तियां और प्रतिसंहरण

82. "पेटेन्टकृत वस्तुओं" और "पेटेन्टधारी" की परिभाषाएं ।
83. पेटेन्टकृत आविष्कारों के क्रियान्वयन को लागू साधारण सिद्धान्त ।
84. वैवश्यक अनुज्ञप्तियां ।
85. वैवश्यक अनुज्ञप्तियों का अनुदान करने में विचार में लिए जाने वाले विषय ।
86. "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों का पेटेन्ट पर पृष्ठांकन ।
87. कतिपय पेटेन्टों का "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित होना समझा जाना ।
88. "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पेटेन्ट के पृष्ठांकित होने का प्रभाव ।
89. क्रियान्वित न किए जाने के कारण नियंत्रक द्वारा पेटेन्टों का प्रतिसंहरण ।
90. यह बात कि सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं, कब समझी जाएंगी ।
91. कतिपय मामलों में वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदनों को स्थगित करने, आदि के बारे में नियंत्रक की शक्ति ।
92. धाराओं 84, 86 और 89 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया ।
93. वैवश्यक अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करने की नियंत्रक की शक्तियां ।

94. वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के अनुदान के लिए साधारण प्रयोजन ।
95. वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के निबन्धन और शर्तें ।
96. सम्बन्धित पेटेन्टों का अनुज्ञापन ।
97. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना पर वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के लिए विशेष उपबन्ध ।
98. अनुज्ञप्ति के लिए आदेश का प्रवर्तन सम्पृक्त पक्षकारों के बीच विलेख के रूप में होगा ।

अध्याय 17

सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कारों का उपयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा आविष्कारों का अर्जन

99. सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कारों के उपयोग का अर्थ ।
100. आविष्कार का सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
101. सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कार के उपयोग की बाबत पर-व्यक्तियों के अधिकार ।
102. आविष्कारों और पेटेन्टों का केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जन ।
103. सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग के बारे में विवादों का उच्च न्यायालय को निर्देश ।

अध्याय 18

पेटेन्टों के अतिलंघन से संपृक्त वाद

104. अधिकारिता ।
105. अतिलंघन के बारे में घोषणा करने की न्यायालय की शक्ति ।
106. अतिलंघन कार्यवाहियों की निराधार धमकियों के मामलों में अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति ।
107. अतिलंघन के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं, आदि ।
108. अतिलंघन के लिए वादों में अनुतोष ।
109. अतिलंघन के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनन्य अनज्ञप्तिधारी का अधिकार ।
110. अतिलंघन के विरुद्ध कार्यवाहियां करने का अनुज्ञप्तिधारी का धारा 84 के अधीन अधिकार ।
111. अतिलंघन के लिए नुकसानी या लाभों का लेखा मंजूर करने की न्यायालय की शक्ति पर निर्बन्धन ।
112. कतिपय मामलों में व्यादेश अनुदत्त करने का न्यायालय की शक्ति पर निर्बन्धन ।
113. विनिर्देश की विधिमान्यता का प्रमाणपत्र और उसके अतिलंघन के लिए पश्चात्वर्ती वादों के खर्चे ।
114. भागतः विधिमान्य विनिर्देश के अतिलंघन के लिए अनुतोष ।
115. वैज्ञानिक सलाहकार ।

अध्याय 19

अपीलें

116. अपीलें ।
117. अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया ।

अध्याय 20

शास्तियां

118. कतिपय आविष्कारों से संबंधित गोपनीयता उपबन्धों का उल्लंघन ।
119. रजिस्टर इत्यादि में प्रविष्टियों का मिथ्याकरण ।
120. पेटेन्ट अधिकारों का अप्राधिकृत दावा ।
121. 'पेटेन्ट कार्यालय' शब्दों का सदोष उपयोग ।
122. सूचना देने से इन्कार करना या उसमें असफलता ।
123. अरजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ताओं द्वारा वृत्ति ।
124. कम्पनियों द्वारा अपराध ।

अध्याय 21

पेटेन्ट अभिकर्ता

125. पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्टर ।
126. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के तौर पर रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं ।
127. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के अधिकार ।
128. पेटेन्ट अभिकर्ताओं द्वारा कतिपय दस्तावेजें हस्ताक्षरित करना और सत्यापित करना ।
129. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के तौर पर वृत्ति करने पर निर्बन्धन ।
130. रजिस्टर से पेटेन्ट अभिकर्ताओं का हटाया जाना और प्रत्यावर्तन ।
131. कतिपय अभिकर्ताओं से व्यौहार करने से इन्कार करने की नियंत्रक की शक्ति ।
132. अभिकर्ताओं की हैसियत में कार्य करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के बारे में व्यावृत्तियां

अध्याय 22

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं

133. अभिसमय देशों के बारे में अधिसूचना ।
134. व्यतिकार के लिए उपबन्ध न करने वाले देशों के बारे में अधिसूचना ।
135. अभिसमय आवेदन ।
136. अभिसमय आवेदनों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध ।

137. बहुल पूर्विकताएं ।
138. अभिसमय आवेदनों के बारे में पूरक उपबन्ध ।
139. अधिनियम में के अन्य उपबन्धों का अभिसमय आवेदनों को लागू होना ।

अध्याय 23

प्रकीर्ण

140. कतिपय निर्बन्धनकारी शर्तों का परिवर्तन ।
141. कतिपय संविधान का पर्यवसान ।
142. फीसें ।
143. विनिर्देशों के प्रकाशन पर निर्बन्धन ।
144. परीक्षकों की रिपोर्टों का गोपनीय होना ।
145. पेटेन्टकृत आविष्कारों का प्रकाशन ।
146. पेटेन्टधारियों से जानकारी मांगने की नियंत्रक की शक्ति ।
147. प्रविष्टियों, दस्तावेजों आदि का साक्ष्य ।
148. शिशु, पागल आदि के द्वारा घोषणा ।
149. डाक द्वारा सूचनाओं आदि की तामील ।
150. खर्चों के लिए प्रतिभूति ।
151. न्यायालयों के आदेशों का नियंत्रक को पारेषण ।
152. विनिर्देशों आदि की प्रतियों का पारेषण और उनका निरीक्षण ।
153. पेटेन्टों से संबंधित जानकारी ।
154. पेटेन्टों की हानि या नाश ।
155. नियंत्रक की रिपोर्टों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
156. पेटेन्ट का सरकार को आबद्ध करना ।
157. समपहृत वस्तुओं को बेचने या उपयोग करने का सरकार का अधिकार ।
158. उच्च न्यायालयों की नियम बनाने की शक्ति ।
159. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
160. नियम संसद् के समक्ष रखे जाएंगे ।
161. 1911 के अधिनियम 2 के अधीन इन्कार किए हुए समझे गए कतिपय आवेदनों की बाबत विशेष उपबन्ध ।
162. 1911 के अधिनियम 2 का वहां तक निरसन जहां तक वह पेटेन्टों से सम्बद्ध है तथा व्यावृत्तियां ।
163. 1958 के अधिनियम 43 का संशोधन ।

अनुसूची

1967 का विधेयक सं० 120

पेटेन्ट विधेयक, 1967

(जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं हैं वे समिति द्वारा सुझाए] गए संशोधन उपदर्शित करते हैं, तारक चिन्ह लोप उपदर्शित करते हैं।

पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम पेटेन्ट अधिनियम, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति

किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं और निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "समनुदेशिती" के अन्तर्गत मृत समनुदेशिती का विधिक प्रतिनिधि आता है और किसी व्यक्ति के समनुदेशिती के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के या समनुदेशिती के प्रति निर्देश आते हैं ;

(ख) "नियंत्रक" से पेटेन्टों, डिजाइनों और व्यापार चिह्नों का महा-नियंत्रक, जो धारा 73 में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत है;

(ग) "अभिसमय आवेदन" से पेटेन्ट के लिए धारा 135 के आधार पर किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(घ) "अभिसमय देश" से धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में अधिसूचित देश अभिप्रेत है ;

(ङ) "जिला न्यायालय" का वही अर्थ है जो उस पद को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा समनुदिष्ट है ; 1908 का 5

(च) "अनन्य अनुज्ञप्ति" से पेटेन्टधारी से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है, जो अनुज्ञप्तिधारी को या अनुज्ञप्तिधारी और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, अन्य सब व्यक्तियों को (जिनके अन्तर्गत पेटेन्टधारी आता है) अपवर्जित करते हुए, पेटेन्टकृत आविष्कार के बारे में कोई अधिकार प्रदत्त करता है; तथा "अनन्य अनुज्ञप्तिधारी" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(छ) "खाद्य" से पोषण की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिशुओं, रोगग्रस्तों या स्वास्थ्योन्मुखों द्वारा खाद्य या पेय की वस्तु के रूप में उपयोग के लिए आशयित कोई पदार्थ भी है;

(ज) "सरकारी उपक्रम" से—

(i) सरकार के विभाग द्वारा, अथवा

(ii) केन्द्रीय, प्रान्तीय, अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित ऐसे निगम द्वारा, जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अथवा

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा-परिभाषित सरकारी कम्पनी द्वारा, 1956 का 1

चलाया जाने वाला कोई औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, और कोई ऐसी अन्य संस्था जिसका सम्पूर्ण वित्तपोषण या उसका बड़ा भाग उक्त परिषद् द्वारा किया जाता है, आती है;

(झ) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है—

(i) दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, दिल्ली का उच्च न्यायालय ;

(ii) मणिपुर के संघ राज्यक्षेत्र तथा त्रिपुरा के संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, असम का उच्च न्यायालय ;

(iii) अण्डमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ;

(iv) लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपों के संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, केरल का उच्च न्यायालय ;

(v) गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र तथा दादर और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, मुम्बई ** उच्च न्यायालय ;

(vi) पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, मद्रास ** उच्च न्यायालय ;

(vii) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, पंजाब और हरयाणा का उच्च न्यायालय; तथा

(viii) किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय ;

(ञ) "आविष्कार" से कोई नई और उपयोगी—

(i) विनिर्माण की कला, प्रक्रिया, ढंग या रीति ;

(ii) मशीन, साधित्र या अन्य वस्तु ; अथवा

(iii) विनिर्माण द्वारा उत्पादित पदार्थ;

अभिप्रेत है और उनमें से किसी का कोई नया और उपयोगी सुधार तथा अभिकथित आविष्कार इसके अन्तर्गत आते हैं ;

(ट) "विधिक प्रतिनिधि" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता है ;

(ठ) "ओषधि या औषधि" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) मानव प्राणियों या पशुओं के आन्तरिक या बाह्य उपयोग की सब औषधियां ;

(ii) मानव प्राणियों या पशुओं के रोगों के निदान, उपचार, कम करने या निवारण के लिए या में उपयोग के लिए आशयित सब पदार्थ ;

(iii) लोक स्वास्थ्य के अनुरक्षण या मानव प्राणियों या पशुओं में किसी महामारी रोग के निवारण या नियंत्रण के लिए या में उपयोग के लिए आशयित सब पदार्थ ;

(iv) कीटनाशी, रोगाणुनाशी, कवकनाशी, घासपातनाशी और सभी अन्य पदार्थ जो पौधों के संरक्षण या परिरक्षण के लिए उपयोग के लिए आशयित हों;

(v) वे सब रासायनिक पदार्थ जो ऊपर निर्दिष्ट की गई औषधियों या पदार्थों में से किसी ती तैयारी या विनिर्माण में मामूली तौर पर मध्यवर्तियों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं;

* * * *

(ड) "पेटेन्ट" से इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त पेटेन्ट अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धाराओं 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 78, 134, 140, 153, 154 और 156 और अध्यायों 16, 17 और 18 के प्रयोजनों के लिए ऐसा पेटन्ट आता है जो भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के अधीन अनुदत्त किया गया हो; 1911 का 2

(ढ) "पेटेन्ट अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में तत्समय रजिस्ट्रीकृत हो ;

(ण) "पेटेन्टकृत वस्तु" और "पेटन्टकृत प्रक्रिया" से क्रमश: ऐसी वस्तु या प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसकी बात कोई पेटेन्ट प्रवर्तन में है ;

(त) "पेटेन्टधारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पेटेन्ट के अनुदानगृहीता या स्वामी के रूप में तत्समय रजिस्टर में दर्ज है ;

(थ) "अतिरिक्त के लिए पेटेन्ट" से धारा 54 के अनुसार अनुदत्त पेटेन्ट अभिप्रेत है ;

(द) "पेटेन्ट कार्यालय" से धारा 74 में निर्दिष्ट पेटेन्ट कार्यालय अभिप्रेत है ;

(ध) "व्यक्ति" के अन्तर्गत सरकार आती है ;

(न) "हितबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो उसी क्षेत्र में अनुसन्धान करने में या उसके संप्रवर्तन में लगा है, जिससे आविष्कार सम्बद्ध है;

(प) "विहित" से, उच्च न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित और अन्य दशाओं में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) "विहित रीति" के अन्तर्गत विहित फ़ीस का संदाय आता है;

(ब) "पूर्विकता तारीख" का वही अर्थ है, जो उसे धारा 11 द्वारा समनुदिष्ट है;

(भ) "रजिस्टर" से पेटेन्टों का वह रजिस्टर अभिप्रेत है जो धारा 67 में निर्दिष्ट है;

(म) "वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता" के अन्तर्गत न तो आविष्कार का भारत में प्रथम आयातक आता है और न ऐसा व्यक्ति आता है, जिसे कोई आविष्कार भारत के बाहर से प्रथम बार संसूचित किया गया है ।

(2) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) नियंत्रक के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे आफ़िसर के प्रति निर्देश आता है, जो धारा 73 *** के अनुसरण में नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है;

(ख) पेटेन्ट कार्यालय के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत पेटेन्ट कार्यालय के किसी शाखा कार्यालय के प्रति निर्देश आता है ।

अध्याय 2

आविष्कार जो पेटेन्ट योग्य नहीं हैं

3. निम्नलिखित इस अधिनियम के अर्थ के भीतर आविष्कार नहीं हैं— क्या क्या अविष्कार नही है।

(क) आविष्कार जो तुच्छ है या ऐसी किसी बात का दावा करता है, जो सुदृढ़ प्राकृतिक नियमों के प्रत्यक्षतः प्रतिकूल है;

(ख) आविष्कार जिसका प्राथमिक या आशयित उपयोग विधि या नैतिकता के प्रतिकूल अथवा लोक स्वास्थ्य को क्षतिकर होगा;

(ग) वैज्ञानिक सिद्धान्त की खोज मात्र या अमूर्त सिद्धान्त का सूत्रीकरण;

(घ) ज्ञात पदार्थ के किसी नए गुण या नए उपयोग की या ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या साधित्र के उपयोग मात्र की खोज मात्र, जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया के परिणास्वरूप नया उत्पादन निकल न आए और उसमें कम से कम एक नया अभिकारक न लग जाए;

(ङ) सम्मिश्रण मात्र से ही, जिसके परिणामस्वरूप उसके घटकों के गुणों का केवल सम्मुच्चयन हो जाता है, अभिप्राप्त पदार्थ या ऐसे पदार्थ के उत्पादन की प्रक्रिया ;

(च) ऐसी ज्ञात युक्तियों का, जिनमें से हर एक किसी ज्ञात ढंग से एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य करती है, विन्यास, पुनर्विन्यास या द्विरावृत्ति मात्र ;

(छ) मशीन, साधित्र या अन्य उपस्कर को अधिक दक्षतापूर्ण बनाने के लिए, या विद्यमान मशीन, साधित्र या अन्य उपस्कर के सुधार या पुनरुद्धार के लिए, अथवा विनिर्माण के सुधार या नियंत्रण के लिए परीक्षण करने का ढंग या प्रक्रिया जो विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान लागू की जाती है ;

(ज) कृषि या उद्यान-कृषि का ढंग;

(झ) मानव प्राणियों के औषधीय, शल्यचिकित्सीय, रोगहारी, रोग-निरोधी या अन्य उपचार के लिए कोई प्रक्रिया या पशुओं या पौधों को रोगमुक्त करने के लिए या उनके या उनके उत्पादों के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने के लिए पशुओं या पौधों के वैसे ही उपचार के लिए कोई प्रक्रिया ।

परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित आविष्कार का पेटेन्ट न किया जा सकना ।

4. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाले परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित आविष्कारों की बाबत कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जाएगा । 1962 का 33

वहां जहां कि विनिर्माण के ढंग या प्रक्रिया ही पेटेन्ट होने योग्य कोई नहीं है, आविष्कार ।

5. उन आविष्कारों की दशा में--

(क) जिनकी बाबत यह दावा है कि वे ऐसे पदार्थों के विषय में हैं, जो खाद्य के रूप में या औषधि के रूप में उपयोग के लिए आशयित हैं या उपयोग में लाए जाने के योग्य हैं ;

(ख) जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा (जिनके अन्तर्गत मिश्रधातु, समांगी कांच, अर्धचालक और अन्तराधातुक यौगिक आते हैं) तैयार या उत्पादित किए गए पदार्थों से सम्बन्धित हैं;

कोई पेटेन्ट, स्वयं उन पदार्थों के लिए दावों की बाबत अनुदत्त नहीं किया जाएगा किन्तु विनिर्माण के ढंग या प्रक्रिया के दावे पेटेन्ट होने योग्य होंगे ।

अध्याय 3

पेटेन्टों के लिए आवेदन

पेटेन्टों के लिए आवेदन करने के हकदार व्यक्ति ।

6. (1) धारा 134 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि किसी आविष्कार के पेटेन्ट के लिए आवेदन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात्---

(क) आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उस व्यक्ति का समनुदेशिती हो जो ऐसा आवेदन करने के अधिकार की बाबत वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता होने का दावा करता है ;

(ग) किसी ऐसे मृत व्यक्ति का, जो अपनी मृत्यु से अव्यवहितपूर्व ऐसा आवेदन करने का हकदार था, विधिक प्रतिनिधि ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे अकेले चाहे किसी अन्य व्यक्ति से संयुक्ततः किया जा सकेगा ।

आवेदन का प्ररूप ।

7. (1) पेटेन्ट के लिए हर आवेदन केवल एक आविष्कार के लिए होगा और वह विहित प्ररूप में किया जाएगा तथा पेटेन्ट कार्यालय में फाइल किया जाएगा ।

(2) जहां कि कोई आवेदन, आविष्कार के लिए पेटेन्ट के वास्ते आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के आधार पर किया जाता है, वहां आवेदन के साथ या आवेदन फाइल करने के पश्चात् ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, आवेदन करने के अधिकार का सबूत देना होगा ।

(3) इस धारा के अधीन दिए गए हर आवेदन में यह कथन रहेगा कि आवेदक का आविष्कार पर कब्जा है और उसमें वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता होने का दावा करने वाले स्वामी का नाम रहेगा; और जहां कि ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति आवेदक या आवेदकों में से एक नहीं है, वहां आवेदन में एक घोषणा अन्तर्विष्ट होगी कि आवेदक का यह विश्वास है कि इस प्रकार नामित व्यक्ति वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता है ।

(4) एस हर आवेदन के साथ (जो अभिसमय आवेदन नहीं है) एक अनन्तिम या पूर्ण विनिर्देश दिया जाएगा ।

विदेशी आवेदनों के बारे में जानकारी और उपक्रमण ।

8. (1) जहां कि इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदक भारत के बाहर किसी देश में उसी या सारतः उसी आविष्कार की बाबत पेटेन्ट के लिए आवेदन को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति से संयुक्त होकर चला रहा है अथवा जहां कि उसके ज्ञान में ऐसा आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे व्युत्पन्न हक के अधीन वह दावा करता है अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उससे हक़ व्युत्पन्न हुआ है, चलाया जा रहा है, वहां वह अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित फ़ाइल करेगा—

(क) एक विवरण, जिसमें उस देश का नाम, जहां आवेदन चलाया जा रहा है, आवेदन का क्रम संख्यांक और उसे फ़ाइल करने की तारीख़ तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं, तथा

(ख) विहित समय के भीतर यह वचनबन्ध कि वह उसी या सारतः उसी आविष्कार से सम्बन्धित हर ऐसे अन्य आवेदन के बारे में, यदि कोई हो, जो भारत के बाहर किसी देश में, पूर्वोक्त खण्ड में निर्दिष्ट कथन के फ़ाइल किए जाने के पश्चात फाइल किया गया हो, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति के ब्यौरों की लिखित रूप में सूचना, नियंत्रक को भारत में फ़ाइल किए गए अपने पूर्ण विनिर्देश के प्रतिगृहीत होने की तारीख तक समय-समय पर देता रहेगा ।

(2) नियंत्रक आवेदक से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह उन आक्षेपों से (यदि कोई हों), जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट जैसे किसी आवेदन के बारे में इस आधार पर किए गए हों, कि आविष्कार नवीनता या पेटेन्ट योग्यता नहीं रखता, सम्बद्ध ब्यौरे, विनिर्देशों में किए गए संशोधन, उसकी बाबत अनुज्ञात दावे और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी वह अपेक्षित करे, वहां तक दे जहां तक कि वे आवेदक को उपलब्ध हों ।

अनन्तिम और पूर्ण विनिर्देश ।

9. (1) जहां कि पेटेन्ट के लिए आवेदन के साथ (जो अभिसमय आवेदन नहीं है) अनन्तिम विनिर्देश है, वहां आवेदन फ़ाइल किए जाने की तारीख से बारह मास के भीतर पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल किया जाएगा और यदि पूर्ण विनिर्देश इस प्रकार फ़ाइल नहीं किया गया है, तो आवेदन परित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा :

परन्तु पूर्ण विनिर्देश पूर्वोक्त तारीख़ से बारह मास के पश्चात् किन्तु उससे पन्द्रह मास के भीतर किसी भी समय उस दशा में फ़ाइल किया जा सकेगा, जिसमें कि नियंत्रक से इस आशय की प्रार्थना की जाती है और विहित फीस पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल किए जाने की तारीख़ को या उसके पूर्व दे दी जाती है ।

(2) जहां कि उसी आवेदक के नाम से दो या अधिक आवेदनों के साथ-साथ ऐसे आविष्कारों की बाबत, जो सजातीय हैं या जिनमें एक अन्य का उपान्तर है, अनन्तिम विनिर्देश है, और नियंत्रक की यह राय है कि ऐसे सम्पूर्ण आविष्कार ऐसे हैं कि उनसे एकल आविष्कार जनता है और जो उचित रूप से एक ही पेटेन्ट के अन्तर्गत आ सकते हैं, वहां वह ऐसे सब अनन्तिम विनिर्देशों की बाबत एक पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(3) जहां कि पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन के साथ (जो अभिसमय आवेदन नहीं है) ऐसा विनिर्देश है जिसका पूर्ण विनिर्देश होना तात्पर्यित है, वहां नियंत्रक, यदि आवेदक विनिर्देश के प्रतिगृहीत किए जाने के पूर्व किसी भी समय ऐसी प्रार्थना करता है तो, यह निर्देश दे सकेगा कि वह विनिर्देश इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनन्तिम विनिर्देश माना जाएगा और आवेदन पर तदनुसार आगे कार्यवाही कर सकेगा ।

(4) जहां कि पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में, जिसके साथ अनन्तिम विनिर्देश है, या ऐसा विनिर्देश है जो उपधारा (3) के अधीन निर्देश के आधार पर अनन्तिम विनिर्देश माना गया है, पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल कर दिया गया है, वहां नियंत्रक, यदि आवेदक पूर्ण विनिदश के प्रतिगृहीत किए जाने के पूर्व किसी भी समय ऐसी प्रार्थना करता है, तो अनन्तिम विनिदश को रद्द कर सकेगा और आवेदन को पूर्ण विनिर्देश किए जाने की तारीख से उत्तर-दिनांकित कर सकेगा ।

विनिर्देशों की अंतर्वस्तुएं ।

10. (1) हर विनिर्देश, चाहे वह अनन्तिम हो या पूर्ण, आविष्कार का वर्णन करेगा और वह आविष्कार से सम्बद्ध विषयवस्तु को पर्याप्त रूप से उपदर्शित करने वाले शीर्षक से आरम्भ होगा ।

(2) ऐसे किन्हीं नियमों के, जो इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अध्यधीन यह है कि किसी विनिर्देश के प्रयोजनों के लिए, चाहे वह पूर्ण हो या अनन्तिम, रेखाचित्र दिए जा सकेंगे और यदि नियंत्रक ऐसी अपेक्षा करे, तो दिए जाएंगे ; और जब तक नियंत्रक अन्यथा निदेश न दे, इस प्रकार दिए गए कोई रेखाचित्र विनिर्देश के भाग समझे जाएंगे और इस अधिनियम में विनिर्देश के प्रति निर्देशों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(3) यदि किसी विशिष्ट मामले में नियंत्रक समझता है कि आवेदन किसी ऐसी वस्तु के प्रतिमान या नमूने से आगे अनुपूरित किया जाना चाहिए जो आविष्कार को चित्रांकित करती है या जिसका आविष्कार को गठित करना अभिकथित है, तो ऐसा प्रतिमान या नमूना, जैसा वह अपेक्षित करे, आवेदन के प्रतिग्रहण के पूर्व दिया जाएगा किन्तु ऐसा प्रतिमान या नमूना विनिर्देश का भाग नहीं समझा जाएगा ।

(4) हर पूर्ण विनिर्देश—

(क) आविष्कार को और उसके प्रचालन या उपयोग को और उस ढंग को, जिसके द्वारा उसे क्रियान्वित किया जाता है, पूर्णत: और विशिष्टत: वर्णित करेगा ;

(ख) आविष्कार को क्रियान्वित करने के सर्वोत्तम ढंग को, जो आवेदक को ज्ञात है और जिसके लिए वह संरक्षण का दावा करने का हकदार है, प्रकट करेगा ; तथा

(ग) ऐसे दावे या दावों से समाप्त होगा जो उस आविष्कार की परिधि को परिभाषित करता या करते हों, जिसके लिए संरक्षण का दावा किया गया है ।

(5) पूर्ण विनिर्देश का दावा या दावे एकल आविष्कार से सम्बद्ध होंगे, स्पष्ट और संक्षिप्त होंगे तथा विनिर्देश में प्रकटित विषय पर ऋजुत: आधारित होंगे और ऐसे आविष्कार की दशा में, जो धारा 5 में निर्दिष्ट है, विनिर्माण के एकल ढंग या प्रक्रिया से सम्बद्ध होंगे।

(6) पूर्ण विनिर्देश के साथ या उस विनिर्देश के फ़ाइल किए जाने के पश्चात् ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी दशाओं में, जो विहित की जाएं, आविष्कार के आविष्कर्तृत्व के बारे में घोषणा विहित प्ररूप में दी जाएगी ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि अनन्तिम विनिर्देश के पश्चात् फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश में अनन्तिम विनिर्देश में वर्णित आविष्कार के ऐसे विकासों या अतिरिक्तियों की बाबत दावे सम्मिलित किए जा सकेंगे जो ऐसे विकास या अतिरिक्तियां हों, जिनकी बाबत पेटेन्ट के लिए धारा 6 के उपबन्धों के अधीन एक पृथक् आवेदन करने का हकदार आवेदक होगा ।

पूर्ण विनिर्देश के दावों की पूर्विकता तारीखें।

11. (1) पूर्ण विनिर्देश के हर एक दावे की एक पूर्विकता तारीख होगी।

* * * *

(2) जहां कि पूर्ण विनिर्देश ऐसे एकल आवेदन के अनुसरण में जिसके साथ—

(क) अनन्तिम विनिर्देश है; अथवा

(ख) ऐसा विनिर्देश है, जिसे धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन निर्देश के आधार पर अनन्तिम विनिर्देश माना जाता है;

फाइल किया जाता है और दावा खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विनिर्देश में प्रकटित विषय पर ऋजुतः आधारित है, वहां उस दावे की पूर्विकता तारीख सुसंगत विनिर्देश फाइल किए जाने की तारीख होगी ।

(3) जहां कि पूर्ण विनिर्देश ऐसे दो या अधिक आवेदनों के अनुसरण में फाइल किया जाता है, या उस पर कार्यवाही की जाती है, जिनके साथ ऐसे विनिर्देश जो उपधारा (2) में वर्णित हैं और दावा—

(क) उन विनिर्देशों में से किसी एक में प्रकटित विषय पर ऋजुतः आधारित है, वहां उस दावे की पूर्विकता तारीख उस विनिर्देश के साथ आवेदन फाइल किए जाने की तारीख होगी ;

(ख) भागतः एक में और भागतः दूसर में प्रकटित विषय पर ऋजुतः आधारित है, वहां उस दावे की पूर्विकता तारीख पश्चात्वर्ती तारीख के विनिर्देश के साथ आवेदन फाइल किए जाने की तारीख होगी ।

(4) जहां कि धारा 16 की उपधारा (1) के आधार पर किए गए अंतिरिक्त आवेदन के अनुसरण में पूर्ण विनिर्देश फाइल कर दिया गया है, और दावा यथास्थिति, चाहे अनन्तिम चाहे पूर्ण पूर्ववर्ती विनिर्देशों में से किसी में प्रकटित विषय पर ऋजुतः आधारित है, वहां उस दावे की पूर्विकता तारीख उस विनिर्देश के फाइल किए जाने की तारीख होगी, जिसमें वह विषय प्रथम बार प्रकट किया गया था ।

(5) जहां कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे की इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन, किन्तु इस उपधारा के उपबन्धों के अभाव में, दो या अधिक पूर्विकता तारीखें होंगी, वहां उस दावे की पूर्विकता तारीख उन तारीखों में से पूर्वतर या पूर्वतम होगी ।

(6) ऐसे किसी मामले में जिसे उपधाराएं (2), (3), (4) और (5) लागू नहीं होती हैं, दावे की पूर्विकता तारीख, धारा 137 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए पूर्ण विनिर्देश के फाइल किए जाने की तारीख होगी ।

(7) इस धारा में आवेदन या पूर्ण विनिर्देश के फाइल करने की तारीख के प्रति निर्देश, उन दशाओं में, जिनमें धारा 9 या धारा 17 के अधीन उत्तर-दिनांकन या यथास्थिति धारा 16 के अधीन पूर्व-दिनांकन हुआ है, ऐसे उत्तर-दिनांकित या पूर्व-दिनांकित तारीख के प्रति निर्देश होगा ।

(8) पेटेन्ट के पूर्ण विनिर्देश में कोई दावा—

(क) किसी आविष्कार का प्रकाशन या उपयोग ऐसे दावे की पूर्विकता तारीख को या के पश्चात् करने के कारण ही, वहां तक, जहां तक कि उस दावे में वह दावाकृत है, अथवा

(ख) ऐसे अन्य पेटेन्ट के अनुदान के जो उसी या पश्चात् की पूर्विकता तारीख के दावे में आविष्कार का दावा करता है कारण ही वहां तक जहां तक कि वह प्रथम वर्णित दावे में दावाकृत है,

अविधिमान्य न हो जाएगा ।

अध्याय 4

आवेदनों की परीक्षा

आवेदन की परीक्षा ।

12. (1) जब कि पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन की बाबत पूर्ण विनिर्देश फाइल कर दिया गया है, तब आवेदन और उससे सम्बद्ध विनिर्देश नियंत्रक द्वारा किसी परीक्षक को निम्नलिखित विषयों की बाबत उसको रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किए जाएंगे, अर्थात्—

(क) क्या आवेदन और उससे सम्बद्ध विनिर्देश इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं ;

(ख) क्या आवेदन के अनुसरण में इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने के बारे में आक्षेप करने का कोई विधिपूर्ण आधार है;

(ग) धारा 13 के अधीन किए गए अन्वेषणों का परिणाम; और

* * * * *

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(2) जिस परीक्षक को आवेदन और उससे सम्बद्ध विनिर्देश उपधारा (1) के अधीन निर्देशित किए जाएं वह मामूली तौर पर रिपोर्ट नियंत्रक को ऐसे निर्देश की तारीख से अट्ठारह मास की कालावधि के भीतर देगा ।

पूर्व प्रकाशन द्वारा और पूर्विक दावे द्वारा किए गए पूर्वानुमान की तलाश ।

13. (1) जिस परीक्षक को पेटेन्ट के लिए आवेदन धारा 12 के अधीन निर्देशित किया गया है, वह इस बात का विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ अन्वेषण करेगा कि आविष्कार का दावा, जहां तक कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है, क्या वहां तक वह—

(क) पेटेन्ट के लिए भारत में दिए गए और पहली जनवरी, 1912 को या उसके पश्चात् दिनांकित आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए किसी विनिर्देश में आवेदक के पूर्ण विनिर्देश फाइल करने की तारीख से पूर्व प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमानित हुआ है ;

(ख) ऐसे किसी दावे में या आवेदक के पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल किए जाने की तारीख को या के पश्चात् प्रकाशित किसी अन्य पूर्ण विनिर्देश में, जो पेटेन्ट के लिए भारत में दिए गए तथा उस तारीख के पूर्व-दिनांकित या उसके पहले की पूर्विकता तारीख का दावा करने वाले किसी आवेदन के अनुसरण में फाइल किया गया विनिर्देश है, दावाकृत है ।

(2) इसके अतिरिक्त, परीक्षक ऐसा अन्वेषण करेगा जैसा नियंत्रक इस बात का विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट करे कि क्या आविष्कार जहां तक कि वह पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत है, आवेदक के पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल करने की तारीख के पूर्व उपधारा (1) में वर्णित से भिन्न किसी दस्तावेज में भारत में या अन्यत्र प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमानित हुआ है।

(3) जहां कि पूर्ण विनिर्देश प्रतिगृहीत किए जाने से पूर्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संशोधित किया जाता है, वहां संशोधित विनिर्देश उसी रीति से परीक्षित और अन्वेषित किया जाएगा जैसे कि मूल विनिर्देश ।

(4) धारा 12 और इस धारा के अधीन अपेक्षित परीक्षा और अन्वेषण किसी पेटेन्ट की विधिमान्यता की किसी प्रकार से गारन्टी देने वाला नहीं समझा जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार या उसके किसी आफिसर द्वारा ऐसी किसी परीक्षा या अन्वेषण या किसी रिपोर्ट या उसके परिणामस्वरूप होने वाली अन्य कार्यवाहियों के कारण या के संसंग में कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

नियंत्रक द्वारा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार।

14. जहां कि पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन की बाबत नियंत्रक द्वारा प्राप्त परीक्षक की रिपोर्ट आवेदक के विरुद्ध है अथवा आवेदन या विनिर्देश का कोई संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित करता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन हो, वहां नियंत्रक आवेदन को एतस्मिन्पश्चात् आने वाले उपबन्धों के अनुसार निपटाने की कार्यवाही करने से पूर्व आक्षेपों का सार आवेदक को संसूचित करेगा और आवेदक को सुनवाई का अवसर विहित समय के भीतर उसके द्वारा इस बात की अपेक्षा की जाने पर देगा ।

कतिपय दशाओं में आवेदनों को नामंजूर या संशोधित करने की अपेक्षा करने की नियंत्रक की शक्ति।

15. (1) जहां कि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन या उसके अनुसरण में फाइल किया गया कोई विनिर्देश इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, वहां नियंत्रक या तो—

(क) आवेदन पर आगे कार्यवाही करने से इन्कार कर सकेगा; अथवा

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि आवेदन पर आगे कार्यवाही करने से पहले वह आवेदन, विनिर्देश या रेखाचित्र उसके समाधानप्रद रूप में संशोधित किया जाए ।

(2) यदि नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार इस अधिनियम के अर्थ में आविष्कार नहीं है या उसके अधीन पेटेन्ट योग्य नहीं है तो वह आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(3) यदि नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि कोई आविष्कार, जिसकी बाबत पेटेन्ट के लिए आवेदन किया गया है, किसी विधिविरुद्ध रीति उपयोग में लाया जा सकता है, तो वह आवेदन को तब के सिवाय नामंजूर कर सकेगा जब कि विनिर्देश में उस आविष्कार की बाबत उस उपयोग का ऐसा दावात्याग या उसकी अवैधता के प्रति ऐसा अन्य निर्देश अन्तःस्थापित कर उसे संशोधित कर दिया गया हो जैसा कि नियंत्रक ठीक समझे ।

नियंत्रक की आवेदन के विभाजन की बाबत आदेश देने की शक्ति।

16. (1) कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन किया है, पूर्ण विनिर्देश के प्रतिगृहीत होने से पूर्व किसी भी समय, यदि वह ऐसा चाहे या नियंत्रक द्वारा इस आधार पर कि पूर्ण विनिदेश के दावे एक से अधिक आविष्कार के सम्बन्ध में हैं, किए गए आक्षेप को दूर करने की दृष्टि से ऐसे आविष्कार की बाबत एक अतिरिक्त आवेदन कर सकेगा जो प्रथम वर्णित आवेदन की बाबत पहले ही फाइल किए गए अनन्तिम या पूर्ण विनिर्देश में प्रकटित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए अतिरिक्त आवेदन के साथ एक पूर्ण विनिर्देश होगा, किन्तु ऐसे पूर्ण विनिर्देश के अन्तर्गत ऐसी कोई बात न होगी जो प्रथम वर्णित आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश में सारतः प्रकटित नहीं हैं ।

(3) नियंत्रक या तो मूल या अतिरिक्त आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश के ऐसे संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि उक्त पूर्ण विनिर्देशों में से किसी के अन्तर्गत ऐसे किसी विषय का दावा नहीं है जिसका कि दूसरे में दावा किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त आवेदन और उसके साथ का पूर्ण विनिर्देश उस तारीख़ को फ़ाइल किए गए समझे जाएंगे जिसको प्रथम वर्णित आवेदन के अनुसरण में पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल किया गया था और अतिरिक्त आवेदन पर, धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन पूर्विकता तारीख़ के अवधारण के अध्यधीन रहते हुए, आगे की कार्यवाही मूल आवेदन के रूप में होगी ।

आवेदन पर तारीख लगाने की बाबत आदेश देने की नियंत्रक की शक्ति ।

17. (1) धारा 9 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अधीन आवेदन फ़ाइल किए जाने के पश्चात् और पूर्ण विनिर्देश प्रतिगृहीत किए जाने से पूर्व किसी भी समय नियंत्रक, विहित रीति से की गई आवेदक की प्रार्थना पर, यह निदेश दे सकेगा कि आवेदन उस तारीख़ से उत्तर-दिनांकित किया जाएगा जो प्रार्थना में विनिर्दिष्ट की जाए और वह आवेदन पर तदनुसार आगे कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु कोई भी आवेदन इस उपधारा के अधीन उस तारीख़ से उत्तर-दिनांकित न किया जाएगा जो उस तारीख़ के छह मास के पश्चात् की है जिसको

वह वास्तव में किया गया था या इस उपधारा के उपबन्धों के अभाव में किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कि कोई आवेदन या विनिर्देश (जिसके अन्तर्गत रेखाचित्र आते हैं) धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संशोधित किए जाने के लिए अपेक्षित है, वहां यदि नियंत्रक ऐसा निदेश दे तो, उस आवेदन या विनिर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख़ को, जब अपेक्षा का अनुपालन किया गया था, अथवा जहां कि आवेदन या विनिर्देश आवेदक को लौटाया जाए वहां, उस तारीख़ को जिसको वह अपेक्षा का अनुपालन करने के पश्चात् पुनः फ़ाइल किया जाए, किया गया था ।

पूर्वानुमान के मामलों में नियंत्रक की शक्तियां ।

18. (1) जहां कि नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि कोई आविष्कार, जहां तक कि वह पूर्ण विनिर्देश के दावे में दावाकृत है, धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट रीति से पूर्वानुमानित हुआ है, वहां वह पूर्ण विनिर्देश को प्रतिगृहीत करने से तब के सिवाय इंकार कर सकेगा जब कि आवेदक--

(क) नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर देता है कि उसके पूर्ण विनिर्देश के दावे की पूर्विकता तारीख़ सुसंगत दस्तावेज़ के प्रकाशन की तारीख़ के पश्चात् की नहीं है; अथवा

(ख) अपने पूर्ण विनिर्देश का नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में संशोधन कर देता है ।

(2) यदि नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अन्य पूर्ण विनिर्देश के दावे में उस आविष्कार का दावा किया गया है, तो वह एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह निर्देश दे सकेगा कि आवेदक के पूर्ण विनिर्देश में उस अन्य विनिर्देश का निर्देश लोक सूचना के रूप में अन्तःस्थापित किया जाए, जब तक कि ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए—

(क) आवेदक नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित नहीं कर देता कि उसके दावे की पूर्विकता तारीख़ उक्त अन्य विनिर्देश के दावे की पूर्विकता तारीख़ के पश्चात् की नहीं है; अथवा

(ख) पूर्ण विनिर्देश नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में संशोधित नहीं किया जाता ।

(3) यदि धारा 13 के अधीन अन्वेषण के परिणामस्वरूप या अन्यथा नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि--

(क) वह आविष्कार, जहां तक कि वह आवेदक के पूर्ण विनिर्देश के दावे में दावाकृत है, धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अन्य पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत हुआ है, तथा

(ख) ऐसा अन्य पूर्ण विनिर्देश आवेदक के दावे की पूर्विकता तारीख को या उसके पश्चात् प्रकाशित हुआ था,

तो, जब तक कि नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित नहीं कर दिया जाता कि आवेदक के दावे की पूर्विकता तारीख उस विनिर्देश के दावे की पूर्विकता तारीख के बाद की नहीं है, उपधारा (2) के उपबन्ध उसे उसी रीति से लागू होंगे जिससे वे आवेदक का पूर्ण विनिर्देश फ़ाइल किए जाने की तारीख को या उसके पश्चात् प्रकाशित विनिर्देश को लागू होते हैं।

(4) नियंत्रक का उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश का, जिसमें अन्य पूर्ण विनिर्देश के प्रति निर्देश के अन्तःस्थापन का निदेश हो, यदि और जब तक कि अन्य पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जाता, प्रभाव नहीं होगा।

विभावी अतिलंघन की दशा में नियंत्रक की शक्तियां।

19. (1) यदि इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों द्वारा अपेक्षित अन्वेषणों के या धारा 25 के अधीन कार्यवाही के फलस्वरूप नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि कोई आविष्कार जिसकी बाबत पेटेन्ट के लिए आवेदन किया गया है, किसी अन्य पेटेन्ट के दावे के अतिलंघन की सारवान जोखिम के बिना कार्यन्वित नहीं किया जा सकता, तो वह यह निदेश दे सकेगा कि आवेदक के पूर्ण विनिर्देश में उस अन्य पेटेन्ट का निर्देश लोक-सूचना के रूप में अन्तःस्थापित किया जाए, जब तक कि ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए—

(क) आवेदक नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित नहीं कर देता कि उस अन्य पेटेन्ट के उक्त दावे की विधिमान्यता का प्रतिवाद करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं; अथवा

(ख) पूर्ण विनिर्देश नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में संशोधित नहीं किया जाता।

(2) जहां कि उपधारा (1) के अधीन निदेश के अनुसरण में, पूर्ण विनिर्देश में अन्य पेटेन्ट का निर्देश अन्तःस्थापित किए जाने के पश्चात्—

(क) वह अन्य पेटेन्ट प्रतिसंहृत कर दिया जाता है या अन्यथा प्रवृत्त नहीं रह जाता है, अथवा

(ख) सुसंगत दावे का लोप करके उस अन्य पेटेन्ट के विनिर्देश को संशोधित कर दिया जाता है, अथवा

(ग) न्यायालय या नियंत्रक के समक्ष की कार्यवाहियों में यह पाया जाता है कि उस अन्य पेटेन्ट का सुसंगत दावा अविधिमान्य है या आवेदक के आविष्कार के किसी क्रियान्वयन से अतिलंघित नहीं होता है,

तो नियंत्रक आवेदक के आवेदन पर उस अन्य पेटेन्ट के प्रति निर्देश का लोप कर सकेगा।

आवेदकों के प्रतिस्थापन आदि के संबंध में आदेश देने की नियंत्रक की शक्तियां।

20. (1) यदि पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने से पूर्व किसी समय विहित रीति से दावा किए जाने पर नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि यदि पेटेन्ट तब अनुदत्त कर दिया गया तो दावेदार उसके या उसमें के आवेदक के हित का या पेटेन्ट के या उस हित के अविभाजित अंश का हकदार, पेटेन्ट के लिए आवेदक या आवेदकों में से किसी एक द्वारा किए गए किसी लिखित समनुदेशन या क़रार के आधार पर अथवा विधि की क्रिया से होगा, तो नियंत्रक, इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निदेश दे सकेगा कि आवेदन पर आगे कार्यवाही दावेदार के नाम से या दावेदारों और आवेदक या अन्य संयुक्त आवेदक या आवेदकों के नामों से, जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, होगी।

(2) कोई यथापूर्वोक्त जैसा निदेश किसी पेटेन्ट के लिए दो या अधिक संयुक्त आवेदकों में से किसी एक द्वारा किए गए किसी समनुदेशन या करार के आधार पर, अन्य संयुक्त आवेदक या आवेदकों की सम्मति के सिवाय नहीं दिया जाएगा।

(3) किसी आविष्कार के फायदे के किसी समनुदेशन या समनुदेशनार्थ करार के आधार पर यथापूर्वोक्त जैसा कोई निदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि—

(क) पेटेन्ट के लिए आवेदन के संख्यांक के निर्देश से उसमें आविष्कार की पहचान नहीं हो जाती; अथवा

(ख) समनुदेशन या करार करने वाले व्यक्ति द्वारा इस बात की अभिस्वीकृति नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि वह समनुदेशन या क़रार उस आविष्कार से सम्बद्ध है जिसकी बाबत आवेदन किया गया है; अथवा

(ग) न्यायालय के विनिश्चय द्वारा दावेदार के आविष्कार की बाबत अधिकार अन्तिम रूप से स्थापित नहीं हो जाते; अथवा

(घ) नियंत्रक ऐसे निदेश नहीं देता जो उपधारा (5) के अधीन उस आवेदन को आगे कार्यवाही किए जाने के योग्य करे या उस आगे कार्यवाही किए जाने की रीति को विनियमित करे।

(4) जहां कि पेटेन्ट के लिए दो या अधिक संयुक्त आवेदकों में से एक पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने से पूर्व किसी समय मर जाता है, वहां नियंत्रक उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों द्वारा इस निमित्त प्रार्थना किए जाने पर और मृतक के विधिक प्रतिनिधियों की सम्मति से यह निदेश दे सकेगा कि आवेदन पर आगे कार्यवाही केवल उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के नाम से की जाएगी।

(5) यदि पेटेन्ट के लिए संयुक्त आवेदकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो कि क्या या किस रीति से आवेदन पर आगे कार्यवाही की जाए, तो नियंत्रक, पक्षकारों में से किसी के द्वारा विहित रीति से उससे आवेदन किए जाने पर और सब सम्पृक्त पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे निदेश

दे सकेगा, जिन्हें वह आवेदन को पक्षकारों में से केवल एक या अधिक के नाम से कार्यवाही किए जाने के योग्य बनाने के लिए या उस रीति को विनियमित करने के लिए जिससे उसपर आगे कार्यवाही की जानी चाहए, या उन दोनों प्रयोजनों के लिए, जैसा भी मामले में अपेक्षित हो, ठीक समझे ।

आवेदन को प्रतिग्रहण के लिए ठीक करने के लिए समय ।

21. (1) पेटेन्ट के लिए आवेदन परित्यक्त किया गया समझा जाएगा, जब तक कि उस तारीख से जब आवेदन या पूर्ण विनिर्देश पर आक्षेपों का प्रथम कथन नयंत्रक द्वारा आवेदक को भेजा जाता है, पन्द्रह मास के भीतर, अथवा ऐसी दीर्घतर कालावधि के भीतर, जैसी इस धारा के निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन अनुज्ञात की जाए, आवेदक ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित सब अपेक्षाओं का चाहे वे पूर्ण विनिर्देश के संसंग में हों या आवेदन के सम्बन्ध में अन्यथा हों, अनुपालन न कर लिया हो ।

स्पष्टीकरण ––जहां कि आवेदन या कोई विनिर्देश या अभिसमय आवेदन की दशा में कोई दस्तावेज, जो उस आवेदन के भाग के रूप में फाइल किया गया है, कार्यवाही के दौरान नियंत्रक द्वारा आवेदक को लौटा दिया गया है, वहां आवेदक के बारे में यह न समझा जाएगा कि उसने ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, जब तक कि उसने वह पुनः फाइल न कर दिया हो ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पन्द्रह मास की कालावधि, आवेदक द्वारा विहित रीति से की गई प्राथना पर और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व इस प्रकार प्रार्थित अतिरिक्त कालावधि के लिए (जिसे इस धारा में एतत्पश्चात् बढ़ाई गई कालावधि कहा गया है) बढ़ाई जाएगी किन्तु इस प्रकार कि नियंत्रक की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की कुल कालावधि उस तारीख से जिसको उपधारा (1) में निर्दिष्ट आक्षेप आवेदक को भेजे जाएं, अट्ठारह मास से अधिक न हो जाए ।

(3) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पन्द्रह मास की कालावधि के अथवा बढ़ाई गई कालावधि के अवसान पर––

(क) मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट के वास्ते आवेदन की बाबत उच्च न्यायालय में कोई अपील लम्बित है, अथवा

(ख) अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के लिए आवेदन की दशा में या तो उस आवेदन की बाबत या मुख्य आविष्कार के लिए आवेदन की बाबत उच्च न्यायालय में कोई अपील लम्बित है,

तो वह समय जिसके भीतर नियंत्रक की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा, यथास्थिति, पन्द्रह मास की उक्त कालावधि अथवा बढ़ाई गई कालावधि के अवसान से पूर्व आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर, उस तारीख तक बढ़ा दिया जाएगा जिसे उच्च न्यायालय अवधारित करे ।

(4) यदि वह समय, जिसके भीतर उपधारा (3) में वर्णित अपील संस्थित की जा सकती है, अवसित नहीं हुआ है तो नियंत्रक यथास्थिति, पन्द्रह मास की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि को उस अतिरिक्त कालावधि का अवसान होने तक बढ़ा सकेगा जिसे वह अवधारित करे :

परन्तु यदि उक्त अतिरिक्त कालावधि के दौरान कोई अपील फाइल कर दी गई है और नियंत्रक की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उच्च न्यायालय ने कोई समय बढ़ाना मंजूर किया है तो उन अपेक्षाओं का अनुपालन न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए समय के भीतर किया जाएगा।

पूर्ण विनिर्देश का प्रतिग्रहण।

22. धारा 21 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में फाइल किया गया पूर्ण विनिर्देश नियंत्रक द्वारा उस धारा की उपधारा (1) में वर्णित अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा अनुपालन कर दिए जाने के पश्चात् किसी भी समय प्रतिगृहीत किया जा सकेगा और यदि वह उस धारा के अधीन उन अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अनुज्ञात कालावधि के भीतर इस प्रकार प्रतिगृहीत नहीं किया जाता, तो वह तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रतिगृहीत किया जाएगा :

परन्तु आवेदक नियंत्रक से विहित रीति से यह प्रार्थना करते हुए आवेदन कर सकेगा कि वह प्रतिग्रहण को ऐसी तारीख़ तक मुल्तवी कर दे [जो उस तारीख से अट्ठारह मास से आगे की न हो जब धारा 21 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आक्षेप आवेदक को भेजे जाते हैं] जो आवेदन में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो नियंत्रक तदनुसार प्रतिग्रहण को मुल्तवी कर सकेगा।

पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण का विज्ञापन।

23. पूर्ण विनिर्देश प्रतिगृहीत हो जाने पर, नियंत्रक उसकी सूचना आवेदक को देगा और शासकीय राजपत्र में इस तथ्य का विज्ञापन निकालेगा कि विनिर्देश प्रतिगृहीत कर लिया गया है और तदुपरि वह आवेदन और उन रेखाचित्रों सहित (यदि कोई हों) विनिर्देश, जो उसके अनुसरण में फाइल किए गए हैं, लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण का प्रभाव।

24. पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख को और उससे तथा उसकी बाबत पेटेन्ट मुद्रांकित किए जाने की तारीख़ तक आवेदक को उसी प्रकार के विशेषाधिकार और अधिकार होंगे, मानो आविष्कार के लिए पेटेन्ट पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख को मुद्रांकित किया गया था :

परन्तु जब तक कि पेटेन्ट मुद्रांकित नहीं कर दिया जाता, आवेदक अतिलंघन के लिए कोई कार्यवाही संस्थित करने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय 5

पेटेन्ट के अनुदान का विरोध

पेटेन्ट के अनुदान का विरोध।

25. (1) इस अधिनियम के अधीन पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख से चार मास के भीतर (अथवा कुल मिलाकर एक मास से अनधिक

ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जो नियंत्रक पूर्वोक्त चार मास के अवसान से पूर्व, विहित रीति से उससे किए गए आवेदन पर अनुज्ञात करे) किसी भी समय कोई हितबद्ध व्यक्ति पेटेन्ट के अनुदान के विरोध की सूचना निम्नलिखित में से किसी आधार पर—न कि किसी अन्य आधार पर— नियंत्रक को दे सकेगा, अर्थात्—

(क) पेटेन्ट के लिए आवेदन करने वाले ने, अथवा उस व्यक्ति ने, जिसके अधिकार से व्युत्पन्न हक के अधीन या माध्यम से वह दावा करता है, आविष्कार अथवा उसका कोई भाग उससे अथवा उस व्यक्ति से, जिसके अधिकार से व्युत्पन हक के अधीन या माध्यम से वह दावा करता है, सदोष अभिप्राप्त किया ;

(ख) आविष्कार का, जहां तक कि उसका दावा पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है, प्रकाशन दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्व—

(i) पेटेन्ट के लिए पहली जनवरी, 1912 को या के पश्चात् भारत में किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए किसी विनिर्देश में हुआ था, अथवा

(ii) भारत में या अन्यत्र, किसी अन्य दस्तावेज में हुआ था :

परन्तु जहां कि ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान गठित नहीं करता वहां उपखण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट आधार उपलभ्य नहीं रहेगा;

(ग) आविष्कार का, जहां तक कि उसका दावा पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है, दावा ऐसे पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है, जो आवेदक के दावे की पूर्विकता तारीख को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया गया था और भारत में पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में फाइल किया गया था, और जो ऐसा दावा है, जिसकी पूर्विकता तारीख आवेदक के दावे की पूर्विकता तारीख के पहले की है ;

(घ) आविष्कार, जहां तक कि उसका दावा पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है, उस दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्व भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी प्रक्रिया से सम्बन्धित आविष्कार के बारे में, जिसके लिए पेटेन्ट का दावा किया गया है, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह बात कि दावे की पूर्विक्ता तारीख से पूर्व वह भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग भारत में कर लिया गया था उस दशा में समझी जाएगी, जिसमें उस प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद उस तारीख से पहले ही भारत में आयात कर लिया गया था किन्तु उस दशा में नहीं जिसमें कि ऐसा आयात केवल युक्तियुक्त परीक्षण या प्रयोग के प्रयोजन के लिए किया गया था ।

(ङ) खण्ड (ख) में यथावर्णित रूप से प्रकाशित बात को ध्यान में रखते हुए अथवा आवेदक के दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्व भारत में जो कुछ उपयोग में लाया गया था उसको ध्यान में रखते हुए आविष्कार, जहां तक कि उसका दावा पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है, प्रत्यक्ष है और स्पष्टतया उसमें कोई आविष्कारपूर्ण कार्य अन्तर्वलित नहीं है ;

(च) पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में आविष्कार नहीं है, अथवा इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट योग्य नहीं है;

(छ) पूर्ण विनिर्देश आविष्कार या उसके कार्यान्वयन के ढंग का पर्याप्त रूप से और स्पष्टतया वर्णन नहीं करता है ;

(ज) आवेदक धारा 8 द्वारा अपेक्षित जानकारी नियंत्रक को प्रकट करने में असफल रहा है या उसने ऐसी जानकारी दी है, जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में उसके ज्ञान में मिथ्या थी ;

(झ) अभिसमय आवेदन की दशा में, आवेदक द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसके अधिकार से उसका हक व्युत्पन्न होता है, अभिसमय देश में आविष्कार के संरक्षणार्थ किए गए प्रथम आवेदन की तारीख से बारह मास के भीतर आवेदन नहीं किया गया था ।

(2) जहां कि विरोध की कोई ऐसी सूचना सम्यक्तः दी जाती है, वहां नियंत्रक आवेदक को अधिसूचित करेगा तथा आवेदक और विरोधी को मामले के विनिश्चय से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा ।

(3) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) में वर्णित आवेदन के अनुसरण में कोई पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया गया है, तो उस खण्ड में कथित आधार पर पेटेन्ट के अनुदान से इंकार नहीं किया जाएगा; तथा उस उपधारा के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए किसी गुप्त उपयोग को विचार में नहीं लाया जाएगा ।

"अभिप्राप्ति" के मामलों में नियंत्रक आवेदन को विरोधी का आवेदन मान सकेगा।

26. (1) जहां कि इस अधिनियम के अधीन किसी विरोध की कार्यवाही में—

(क) नियंत्रक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जहां तक कि आविष्कार का दावा पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है वहां तक वह विरोधी से धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में दी हुई रीति से अभिप्राप्त किया गया था और

वह उस आवेदन को उस आधार पर नामंजूर करता है, वहां वह उस विरोधी की ऐसी प्रार्थना पर, जो विहित रीति से की गई है, यह निदेश दे सकेगा कि आवेदन पर आगे कार्यवाही विरोधी के नाम से इस प्रकार होगी, मानो आवेदन और विनिर्देश विरोधी द्वारा उस तारीख को फाइल किए गए थे जब वे वस्तुतः फाइल किए गए थे;

(ख) नियंत्रक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूर्ण विनिर्देश में वर्णित आविष्कार का एक भाग विरोधी से इस प्रकार अभिप्राप्त किया गया था और वह यह अपेक्षा करने वाला आदेश पारित करता है कि विनिर्देश को आविष्कार के उस भाग को अपवर्जित करके संशोधित किया जाए, वहां विरोधी उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, आवेदक के विनिर्देश से इस प्रकार अपवर्जित किए गए आविष्कार के लिए पेटेन्ट के अनुदान के लिए पूर्ण विनिर्देश के साथ आवेदन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार फाइल कर सकेगा और नियंत्रक पूर्ण विनिर्देश के दावों की पूर्विकता तारीख से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह मान सकेगा कि ऐसा आवेदन और विनिर्देश उस तारीख को फाइल किए गए थे जब तत्स्थानी दस्तावेज पूर्वतर आवेदक द्वारा फाइल किया गया था या फाइल किया गया समझा गया था, किन्तु विरोधी के आवेदन पर अन्य सब प्रयोजनों के लिए आगे कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी, मानो वह इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन हो ।

(2) जहां कि विरोधी ने ऐसे आविष्कार के पेटेन्ट के लिए जिसके अन्तर्गत वह सम्पूर्ण आविष्कार है या उसका कोई भाग है, जो उससे अभिप्राप्त किया गया ठहराया गया है, नियंत्रक के उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख के, जिसमें पूर्ण विनिर्देश के संशोधन की अपेक्षा है, पूर्व आवेदन फाइल कर दिया है और ऐसा आवेदन लम्बित है, वहां नियंत्रक ऐसे आवेदन और विनिर्देश को, जहां तक कि उसका सम्बन्ध उस आविष्कार से है जो उससे अभिप्राप्त किया गया ठहराया गया है, इस अधिनियम के उन उपबन्धों के प्रयोजन के लिए जो पूर्ण विनिर्देश के दावों की पूर्विकता तारीखों से सम्बद्ध है, उस तारीख को फाइल किए गए मान सकेगा, जिसको तत्स्थानी दस्तावेज़ पूर्वतर आवेदक द्वारा फाइल की गई थी या फाइल की गई समझी गई थी, किन्तु विरोधी के आवेदन पर अन्य सब प्रयोजनों के लिए आगे कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी, मानो वह इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन हो ।

विरोध के बिना पेटेन्ट देने से इन्कार।

27. यदि पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के पश्चात् और उस पर पेटेन्ट के अनुदान से पूर्व किसी समय, धारा 25 के अधीन अनुदान के विरोध में कार्यवाहियों के परिणाम-

स्वरूप होने से अन्यथा यह सूचना नियंत्रक को मिलती है कि जहां तक कि आविष्कार का दावा पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है, वहां तक वह उस दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्व--

(क) पेटेन्ट के लिए आवेदन के, जो भारत में किया गया था और जिस पर पहली जनवरी, 1912 की या उसके पश्चात् की तारीख पड़ी थी, अनुसरण में फाइल किए गए किसी विनिर्देश में;

(ख) भारत में या अन्यत्र किसी अन्य दस्तावेज़ में,

प्रकाशित हो चुका है, तो नियंत्रक पेटेन्ट अनुदत्त करने से तब के सिवाय इन्कार कर सकेगा जब कि ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, पूर्ण विनिर्देश को उसके समाधानप्रद रूप में संशोधित कर दिया जाए :

परन्तु यदि ऐसा प्रकाशन धारा 29 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान नहीं गठित करता तो नियंत्रक खंड (ख) में विनिर्दिष्ट आधार पर पेटेन्ट अनुदान करने से इन्कार न करेगा ।

पेटेन्ट में आविष्कर्ता का उस हैसियत में वर्णन ।

28. (1) यदि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार की गई प्रार्थना या दावे पर नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है --

(क) कि वह व्यक्ति जिसकी बाबत या जिसके द्वारा प्रार्थना या दावा किया गया है, उस आविष्कार का या उस आविष्कार के सारवान् भाग का, जिसकी बाबत पेटेन्ट के लिए आवेदन किया गया है, आविष्कर्ता है; तथा

(ख) कि पेटेन्ट के लिए आवेदन उसके आविष्कर्ता होने का प्रत्यक्ष परिणाम है,

तो नियंत्रक इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आवेदन के अनुसरण में अनुदत्त किसी पेटेन्ट में, पूर्ण विनिर्देश में और पेटेन्टों के रजिस्टर में उसे आविष्कर्ता की हैसियत में वर्णित कराएगा :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के आविष्कर्ता की हैसियत में वर्णन से पेटेन्ट के अधीन के कोई अधिकार न तो प्रदत्त होंगे, न उनका अल्पीकरण होगा ।

(2) यह प्रार्थना कि कोई व्यक्ति यथापूर्वोक्त हैसियत में वर्णित किया जाए, पेटेन्ट के लिए आवेदक द्वारा या (जहां कि वह व्यक्ति जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह आविष्कर्ता है आवेदक या आवेदकों में से एक नहीं है, वहां) आवेदक और उस व्यक्ति द्वारा विहित रीति से की जा सकेगी ।

(3) यदि [उस व्यक्ति से भिन्न जिसकी बाबत प्रश्नास्पद आवेदन से सम्बन्धित प्रार्थना उपधारा (2) के अधीन की जा चुकी है] कोई व्यक्ति यह वांछा करता है कि वह यथापूर्वोक्त हैसियत में वर्णित किया जाए तो वह विहित रीति से उस निमित्त दावा कर सकेगा ।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन प्रार्थना या दावा, पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख के पश्चात् के दो मास से परतर न होने वाली तारीख तक अथवा (एक मास से अनधिक) ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जैसी नियंत्रक उक्त दो मास की कालावधि के अवसान से पूर्व अपने से किए गए इस निमित्त आवेदन विहित फीस दिए जाने के अध्यधीन करके अनुज्ञात करे, किया जाएगा ।

(5) यदि नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि प्रार्थना या दावा ऐसे तथ्यों पर आधारित है, जो उस व्यक्ति द्वारा जिसकी बाबत या जिसके द्वारा प्रार्थना या दावा किया गया है, धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन विरोध किए जाने की दशा में साबित होने पर उसे उस धारा के अधीन अनुतोष का हकदार बनाते, तो इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के आधीन कोई प्रार्थना या दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(6) उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जहां कि उपधारा (3) के अधीन दावा किया जाता है, वहां नियंत्रक उस दावे की सूचना पेटेन्ट के लिए हर आवेदक की (जो दावेदार नहीं है) और ऐसे अन्य किसी व्यक्ति को जिसे नियंत्रक हितबद्ध समझे, देगा; और उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन की गई किसी प्रार्थना या दावे का विनिश्चय करने के पूर्व नियंत्रक, यदि अपेक्षित हो, उस व्यक्ति को जिसकी बाबत या जिसके द्वारा प्रार्थना या दावा किया गया है और उपधारा (3) के अधीन दावे की दशा में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे दावे की सूचना यथापूर्वोक्त रूप से दी गई है, सुनवाई करेगा ।

(7) जहां कि इस धारा के अनुसरण में कोई व्यक्ति आविष्कर्ता की हैसियत में वर्णित किया गया है, वहां ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो यह अभिकथित करता है कि उसे इस प्रकार वर्णित नहीं किया जाना चाहिए था, किसी भी समय उस आशय के प्रमाणपत्र के लिए नियंत्रक से आवेदन कर सकेगा और नियंत्रक यदि अपेक्षित हो, ऐसे किसी व्यक्ति की सुनवाई करने के पश्चात् जिसे वह हितबद्ध समझे, ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो वह विनिर्देश और रजिस्टर को तदनुसार परिशोधित करेगा ।

अध्याय 6

पूर्वानुमान

पूर्व प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान ।

29. (1) पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार केवल इस कारण पूर्वानुमानित नहीं समझा जाएगा कि वह आविष्कार पेटेन्ट के लिए भारत में किए गए और पहली जनवरी, 1912 के पूर्व की तारीख के किसी आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए विनिर्देश में प्रकाशित किया गया था ।

(2) एतस्मिन्पश्चात् यथाउपवन्धित के अध्यधीन यह है कि यह बात कि पूर्व विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार पूर्वानुमानित किया गया है केवल इस कारण नहीं समझी जाएगी कि आविष्कार विनिर्देश के सुसंगत दावे की पूर्विकता तारीख से पहले प्रकाशित हो गया था, यदि पेटेन्टधारी या पेटेन्ट के लिए आवेदक साबित कर देता है कि :—

(क) प्रकाशित सामग्रो उससे या (जहां कि वह स्वयं वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता नहीं है, वहां) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, अभिप्राप्त की गई थी और उसकी सम्मति के या ऐसे किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना प्रकाशित की गई थी; तथा

(ख) जहां कि पेटेन्टधारी ने या पेटेन्ट के लिए आवेदक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है उस प्रकाशन की जानकारी पेटेन्ट के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व अथवा अभिसमय आवेदन की दशा में अभिसमय देश में संरक्षण के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व प्राप्त की थी, वहां यथास्थिति आवेदन अथवा अभिसमय देश में आवेदन तत्पश्चात् यावत् युक्तियुक्ततः साध्य शीघ्र किया गया था :

परन्तु यह उपधारा उस दशा में लागू न होगी जिस में आविष्कार दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्व या तो पेटेन्टधारी द्वारा या पेटेन्ट के लिए आवेदक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, अथवा पेटेन्टधारी या पेटेन्ट के लिए आवेदक की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, युक्तियुक्त परीक्षण के प्रयोजन के सिवाय, भारत में वाणिज्यिक रूप से क्रियान्वित किया गया है।

(3) जहां कि ऐसे व्यक्ति द्वारा , जो वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता है या जिसका हक़ उससे व्युत्पन्न होता है, किए गए पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में पूर्ण विनिर्देश फाइल किया गया है, वहां उस विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार केवल इस कारण से कि उसी आविष्कार की बाबत पेटेन्ट के लिए कोई अन्य आवेदन उस व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करके किया गया है, या केवल इस कारण से कि उस अन्य आवेदन के बारे में आवेदक द्वारा या उस आवेदक द्वारा किसी आविष्कार के किसी प्रकटन के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आविष्कार का उपयोग या प्रकाशन उस अन्य आवेदन के फाइल करने की तारीख के पश्चात् उस अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना किया गया था, पूर्वानुमानित किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा।

सरकार को पूर्व संसूचना द्वारा पूर्वानुमान।

30. सरकार को अथवा आविष्कार या उसके गुणागुण का अन्वेषण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संसूचना के या ऐसी संसूचना के परिणामस्वरूप अन्वेषण के प्रयोजन के लिए की गई

किसी बात के कारण ही यह न समझा जाएगा कि पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार पूर्वानुमानित हुआ है ।

लोक प्रदर्शन आदि द्वारा पूर्वानुमान ।

31. पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत कोई आविष्कार--

(क) किसी औद्योगिक या अन्य प्रदर्शनी में, जिस पर इस धारा के उपबन्धों का विस्तार केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर दिया गया है, वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता की या ऐसे व्यक्ति की, जिसका हक उससे व्युत्पन्न होता है, सम्मति से आविष्कार के प्रदर्शन के, या ऐसी प्रदर्शनी के प्रयोजन के लिए उस स्थान पर जहां वह हो रही है, उसकी सम्मति से उसके उपयोग के, अथवा

(ख) यथापूर्वोक्त जैसी किसी प्रदर्शनी में आविष्कार के प्रदर्शन या उपयोग के परिणामस्वरूप आविष्कार के किसी वर्णन के प्रकाशन के, अथवा

(ग) आविष्कार का उपयोग, यथापूर्वोक्त जैसी किसी प्रदर्शनी में उसका प्रदर्शन या उपयोग किए जाने के पश्चात् और प्रदर्शनी की कालावधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता को या ऐसे व्यक्ति की, जिसका हक उससे व्युत्पन्न होता है, सम्मति के बिना किए जाने के, अथवा

(घ) विज्ञ संस्था के समक्ष वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता द्वारा पठित अथवा उसकी सम्मति से ऐसी संस्था के संव्यवहार में प्रकाशित निबन्ध में आविष्कार के वर्णन के,

कारण ही पूर्वानुमानित हो गया है, यह बात उस दशा में न समझी जाएगी जिस में कि वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसका उससे हक़ व्युत्पन्न होता है, पेटेन्ट के लिए आवेदन यथास्थिति प्रदर्शनी के खुलने या निबन्ध के पढ़े जाने या प्रकाशन के पश्चात् के छह मास के अपश्चात् कर दिया है ।

सार्वजनिक क्रियान्वयन द्वारा पूर्वानुमान ।

32. पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार केवल इस कारण पूर्वानुमानित हुआ नहीं समझा जाएगा कि विनिर्देश के सुसंगत दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्व के एक वर्ष के भीतर किसी समय आविष्कार का भारत में सार्वजनिक क्रियान्वयन :—

(क) पेटेन्टधारी द्वारा या पेटेन्ट के लिए आवेदक द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है किया गया है, अथवा

(ख) पेटेन्टधारी की या पेटेन्ट के लिए आवेदक की या किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है,

यदि क्रियान्वयन युक्तियुक्त परीक्षण के प्रयोजन के लिए ही किया गया था और आविष्कार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि यह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक था कि उस प्रयोजन के लिए क्रियान्वयन सार्वजिनक रूप से किया जाना चाहिए।

अनन्तिम विनिर्देश के पश्चात् उपयोग और प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान।

33. (1) जहां कि अनन्तिम विनिर्देश के साथ किए गए आवेदन के अनुसरण में पूर्ण विनिर्देश फाइल किया जाता है, या उस पर आगे कार्यवाही की जाती है, अथवा जहां कि आवेदन के साथ फाइल किया गया पूर्ण विनिर्देश धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन किए गए निदेश के आधार पर अनन्तिम विनिर्देश माना जाता है वहां नियंत्रक पेटेन्ट अनुदत्त करने से इन्कार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नहीं करेगा और पेटेन्ट केवल इस कारण प्रतिसंहृत या अविधिमान्य नहीं किया जाएगा कि अनन्तिम विनिर्देश में या यथापूर्वोक्त रीति से अनन्तिम माने गए विनिर्देश में वर्णित कोई सामग्री उस विनिर्देश के फाइल किए जाने की तारीख के पश्चात् किसी समय भारत में उपयोग में लाई गई थी अथवा भारत में या अन्यत्र प्रकाशित की गई थी।

(2) जहां कि अभिसमय आवेदन के अनुसरण में पूर्ण विनिर्देश फाइल किया गया है, वहां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक केवल इस कारण पेटेन्ट अनुदत्त करने से इन्कार नहीं करेगा और पेटेन्ट प्रतिसंहृत या अविधिमान्य नहीं किया जाएगा कि अभिसमय देश में संरक्षण के लिए किसी आवेदन में प्रकटित कोई सामग्री जिस पर अभिसमय आवेदन आधारित है उस संरक्षणार्थ आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी समय भारत में उपयोग में लाई गई थी या भारत में या अन्यत्र प्रकाशित की गई थी।

यदि परिस्थितियां वही हैं जो धाराओं 29, 30 31 और 32 में वर्णित हैं, तो पूर्वानुमान का न किया जाना।

34. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक पेटेन्ट के लिए पूर्ण विनिर्देश का प्रतिग्रहण करने या पेटेन्ट अनुदत्त करने से इन्कार नहीं करेगा और किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण ही, जिनसे धारा 29 या धारा 30 या धारा 31 या धारा 32 के कारण विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार का पूर्वानुमान गठित नहीं होता, कोई पेटेन्ट प्रतिसंहृत या अविधिमान्य नहीं किया जाएगा।

अध्याय 7

कतिपय आविष्कारों की गोपनीयता के लिए उपबन्ध

रक्षा के प्रयोजनों के लिए सुसंगत आविष्कारों के संबंध में गोपनीयता के निदेश।

35. (1) जहां कि पेटेन्ट के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि आविष्कार उस वर्ग का है जिसका रक्षा के प्रयोजनों के लिए सुसंगत होना केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अधिसूचित किया गया है, या जहां कि आविष्कार उसे अन्यथा इस प्रकार सुसंगत प्रतीत होता है, वहां वह उस आविष्कार की बाबत जानकारी

के प्रकाशन का या निदेशों में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी जानकारी संसूचित किए जाने का प्रतिषेध या निर्बन्धन करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां कि नियंत्रक ऐसे कोई निदेश देता है जैसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं, वहां वह उस आवेदन और उन निदेशों की सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी सूचना की प्राप्ति पर विचार करेगी कि क्या आविष्कार का प्रकाशन भारत की रक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होगा और यदि ऐसा विचार करने पर उसे यह प्रतीत होता है कि आविष्कार का प्रकाशन, इस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, तो वह नियंत्रक को इस आशय की सूचना देगी जो तदुपरि निदेशों को प्रतिसंहृत करेगा और आवेदक को तदनुसार अधिसूचित करेगा ।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आविष्कार जिसके बारें में नियंत्रक ने ऐसे कोई निदेश नहीं दिए हैं जैसे कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं, रक्षा के प्रयोजनों के लिए सुसंगत है, वहां वह पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के पूर्व किसी समय इस आशय की अधिसूचना नियंत्रक को दे सकेगी और तदुपरि उस उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे , मानो वह आविष्कार उस वर्ग का है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और तदनुसार नियंत्रक अपने द्वारा निकाले गए निदेशों की सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

गोपनीयता निदेशों का कालिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाना ।

36. (1) इस प्रश्न पर कि क्या आविष्कार, जिसकी बाबत धारा 35 के अधीन निदेश दिए गए हैं, रक्षा के प्रयोजनों के लिए अब भी सुसंगत है, ऐसे निदेश निकाले जाने की तारीख से नौ मास के भीतर और तत्पश्चात् बारह मास से अनधिक के अन्तरालों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा और यदि ऐसे पुनर्विचार पर केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अब आविष्कार का प्रकाशन भारत की रक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होगा, तो वह तत्क्षण नियंत्रक को तदनुसार सूचना देगी और तदुपरि नियंत्रक अपने द्वारा पहले दिए गए निदेशों का प्रतिसंहरण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन के हर पुनर्विचार का परिणाम ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित किया या की जाए आवेदक को संसूचित कर दिया जाएगा ।

गोपनीयता निदेशों के परिणाम ।

37. (1) जब तक कि धारा 35 के अधीन कोई निदेश किसी आवेदन की बाबत प्रवृत्त रहते हैं, तब तक :—

(क) नियंत्रक उसे प्रतिगृहीत करने से इन्कार करने वाला आदेश पारित नहीं करेगा; तथा

(ख) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसकी बाबत नियंत्रक द्वारा पारित किसी आदेश की अपील न होगी :

परन्तु उस आवेदन पर कार्यवाही, निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, पूर्ण विनिर्देशों के प्रतिग्रहण के प्रक्रम तक हो सकेगी किन्तु प्रतिग्रहण न तो विज्ञापित किया जाएगा, न विनिर्देश प्रकाशित किया जाएगा और न उस आवेदन के अनुसरण में पेटेन्ट अनुदत्त किया जाएगा ।

(2) जहां कि ऐसे आविष्कार के लिए जिसकी बाबत धारा 35 के अधीन निदेश दिए गए हैं, पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में फाइल किया गया पूर्ण विनिर्देश उन निदेशों के प्रवृत्त बने रहने के दौरान प्रतिगृहीत किया जाता है, वहां :—

(क) यदि उन निदेशों के प्रवृत्त बने रहने के दौरान उस आविष्कार का कोई उपयोग सरकार द्वारा या उसके निमित्त या उसके आदेश से किया जाता है, तो धाराओं 100, 101 और 103 के उपबन्ध उस उपयोग के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो पेटेन्ट उस आविष्कार के लिए अनुदत्त किया गया था; तथा

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निदेशों के प्रवृत्त बने रहने के कारण पेटेन्ट के लिए आवेदक को कोई कठिनाई सहन करनी पड़ी है, तो केन्द्रीय सरकार उसे अभितोष के रूप में ऐसा संदाय(यदि कोई हो) कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार को, आविष्कार की नवीनता और उपयोगिता और वह प्रयोजन, जिसके लिए वह परिकल्पित है और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त प्रतीत हो ।

(3) जहां कि ऐसे आवेदन के अनुसरण में जिसकी बाबत धारा 35 के अधीन निदेश दिए गए हैं, पेटेन्ट अनुदत्त किया जाता है, वहां उस कालावधि की बाबत कोई नवीकरण फीस नहीं देय होगी जिसके दौरान वे निदेश प्रवृत्त थे ।

गोपनीयता निदेशों का प्रतिसंहरण और समय का विस्तार ।

38. जब कि धारा 35 के अधीन दिया गया कोई निदेश नियंत्रक द्वारा प्रतिसंहृत किया जाता है, तब इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबन्ध के होते हुए भी, जो वह समय विनिर्दिष्ट करता है, जिसके भीतर पेटेन्ट के लिए आवेदन के संसंग में कोई कार्यवाही की जानी चाहिए या कोई कार्य किया जाना चाहिए, नियंत्रक, आवेदन के ही संसंग में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी बात को करने के समय का विस्तार ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, कर सकेगा, चाहे उस समय का अवसान पहले हो गया हो या नहीं ।

निवासियों का भारत के बाहर पूर्व अनुज्ञा के बिना पेटेन्ट के लिए आवेदन न करना।

39. (1) भारत का निवासी कोई व्यक्ति, नियंत्रक द्वारा या उसकी ओर से अनुदत्त लिखित अनुज्ञा के प्राधिकार के सिवाय किसी आविष्कार के पेटेन्ट के अनुदत्त किए जाने के लिए भारत के बाहर तब के सिवाय न तो आवेदन करेगा न कराएगा, जब कि—

(क) उसी आविष्कार के पेटेन्ट के लिए भारत में आवेदन, भारत के बाहर आवेदन के कम से कम आठ सप्ताह पूर्व कर दिया गया हो ; तथा

(ख) या तो भारत में उस आवेदन के सम्बन्ध में धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश नहीं दिए गए हों या ऐसे सब निदेश प्रतिसंहृत कर दिए गए हों।

(2) नियंत्रक किसी व्यक्ति को भारत के बाहर आवेदन करने की लिखित अनुज्ञा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति के बिना न देगा।

(3) यह धारा ऐसे आविष्कार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, जिसके संरक्षणार्थ आवेदन पहले भारत के बाहर किसी देश में भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा फाइल कर दिया गया है।

धारा 35 या धारा 39 के उल्लंघन के लिए दायित्व।

40. यदि पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन की बाबत कोई व्यक्ति नियंत्रक द्वारा धारा 35 के अधीन दिए गए गोपनीयता की बाबत किसी निदेश का उल्लंघन करता है, या धारा 39 का उल्लंघन करके पेटेन्ट के अनुदान के लिए भारत के बाहर आवेदन करता है, या करवाता है, तो इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन के बारे में यह बात अध्याय 20 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समझी जाएगी कि वह परित्यक्त कर दिया गया है और अनुदत्त पेटेन्ट, यदि कोई हो, धारा 64 के अधीन प्रतिसंहरणीय होगा।

नियंत्रक और केन्द्रीय सरकार के आदेशों का अन्तिम होना।

41. नियंत्रक के गोपनीयता के बारे में निदेश देने वाले सब आदेश और साथ ही केन्द्रीय सरकार के इस अध्याय के अधीन सब आदेश अन्तिम होंगे और उन पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा।

सरकार को प्रकटन के बारे में व्यावृत्तियां।

42. इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ यह न लगाया जाएगा कि वह, केन्द्रीय सरकार को या उसके किसी विभाग को, आवेदन या विनिदेश पर यह विचार करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अध्याय के अधीन कोई आदेश किया जाना चाहिए या इस प्रकार किए गए आदेश को प्रतिसंहृत किया जाना चाहिए पेटेन्ट के लिए आवेदन या उसके अनुसरण में फाइल किए गए विनिर्देश से सम्पृक्त किसी जानकारी के नियंत्रक द्वारा प्रकटन का निवारण करती है।

अध्याय 8

पेटेन्टों का अनुदान और मुद्रांकन और तद्द्वारा प्रदत्त अधिकार

पेटेन्ट का अनुदान और मुद्रांकन ।

43. (1) जहां कि पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में पूर्ण विनिर्देश प्रतिगृहीत किया गया हो और या तो—

(क) आवेदन का धारा 25 के अधीन विरोध नहीं किया गया है और विरोध फाइल करने के लिए समय का अवसान हो गया है; अथवा

(ख) आवेदन का विरोध किया गया है और विरोध का अन्तिम रूप से विनिश्चय आवेदक के पक्ष में हो चुका है ; अथवा

(ग) आवेदन नियंत्रक द्वारा इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित किसी शक्ति के आधार पर नामंजूर नहीं किया है ;

वहां विहित प्ररूप में आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना पर, पेटेन्ट आवेदक को अथवा संयुक्त आवेदन की दशा में आवेदकों को संयुक्त रूप से अनुदत्त किया जाएगा, तथा नियंत्रक पेटेन्ट कार्यालय की मुद्रा से पेटेन्ट को मुद्रांकित कराएगा और वह तारीख, जिसको पेटेन्ट मुद्रांकित किया गया है, रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के और अतिरिक्ति के लिए पेटेन्टों की बाबत इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस धारा के अधीन पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने की प्रार्थना, पूर्ण विनिदेश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी :

परन्तु—

(क) जहां कि उक्त छह मास के अवसान पर पेटेन्ट के लिए उस आवेदन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नियंत्रक या उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है, वहां उस कार्यवाही के अन्तिम अवधारण के पश्चात् वह प्रार्थना विहित कालावधि के भीतर की जा सकेगी;

(ख) जहां कि आवेदक या आवेदकों में से एक उस समय के अवसान के पूर्व, जिसके भीतर इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन प्रार्थना अन्यथा की जा सकती थी, मर गया है, वहां उक्त प्रार्थना मृत्यु की तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर किसी समय या ऐसे पश्चात्वर्ती समय पर, जिसकी अनुज्ञा नियंत्रक दे, की जा सकेगी ।

(3) वह कालावधि, जिसके भीतर पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने की प्रार्थना उपधारा (2) के अधीन की जा सकेगी, नियंत्रक द्वारा समय-समय पर बढ़ाकर इतनी दीर्घतर कालावधि, जितनी कि इस निमित्त उससे किए गए आवेदन में विनिर्दिष्ट की जाएगी, उस दशा में की जा सकेगी जिसमें कि उस अधिक कालावधि के भीतर आवेदन किया जाता है और विहित फीस दे दी जाती है :

परन्तु प्रथम वर्णित कालावधि कुल मिलाकर तीन मास से अधिक के लिए इस उपधारा के अधीन नहीं बढ़ाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई कार्यवाही तब तक लम्बित समझी जाएगी जब तक कि उसमें किसी अपील के समय (उस समय के भावी विस्तारण के अतिरिक्त) का अवसान न हो गया हो, और कार्यवाही तब अन्तिम रूप से अवधारित समझी जाएगी जब उसमें किसी अपील के समय (किसी ऐसे विस्तारण के अतिरिक्त) का अवसान अपील किए गए बिना हो गया हो।

मृत आवेदक को अनुदत्त पेटेन्ट का संशोधन।

44. जहां कि इस अधिनियम के अधीन आवेदन के अनुसरण में कोई पेटेन्ट मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् किसी समय नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने से पूर्व वह व्यक्ति, जिसे पेटेन्ट अनुदत्त किया गया था, मर गया था या निगमित निकाय की दशा में, उसका अस्तित्व नहीं रह गया था, वहां नियंत्रक उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम प्रतिस्थापित करके, जिसको पेटेन्ट अनुदत्त किया जाना चाहिए था, पेटेन्ट का संशोधन कर सकेगा और पेटेन्ट तदनुसार प्रभावी होगा और सदैव से प्रभावी रहा है, यह समझा जाएगा।

पेटेन्ट की तारीख।

45. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि पेटेन्ट पर वह तारीख डाली जाएगी जिस तारीख को पूर्ण विनिर्देश फाइल किया गया था :

परन्तु किसी पेटेन्ट पर, जो कि उस आवेदन के अनुसरण में अनुदत्त किया गया है जिसे भारतीय पेटेंट और डिजायन अधिनियम, 1911 की धारा 78ग के अधीन निकाले गए कोई निदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, लागू थे, वह तारीख जो पूर्ण विनिदेश के फाइल करने की तारीख या ऐसे प्रारम्भ की तारीख, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, डाली जाएगी।

1911 का 2

(2) हर पेटेन्ट की तारीख रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी।

(3) पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख से पूर्व किए गए किसी अतिलंघन के बारे में कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न तो प्रारम्भ की जाएगी और न चलाई जाएगी।

पेटेन्ट का प्ररूप, विस्तार और प्रभाव।

46. (1) हर पेटेन्ट विहित प्ररूप में होगा और भारत में सर्वत्र प्रभावी होगा।

(2) एक पेटेन्ट केवल एक आविष्कार के लिए ही अनुदत्त किया जाएगा :

परन्तु कोई व्यक्ति इस बात के लिए सक्षम न होगा कि वह किसी वाद या अन्य कार्यवाही में पेटेन्ट पर इस आधार पर कोई आक्षेप करे कि वह एक से अधिक आविष्कारों के लिए अनुदत्त किया गया है।

पेटेन्टों का अनुदान कतिपय शर्तों के अध्यधीन होना।

47. इस अधिनियम के अधीन किसी पेटेन्ट का अनुदान इस शर्त के अध्यधीन होगा कि—

(1) कोई मशीन, उपकरण या अन्य वस्तु, जिसकी बाबत पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है, या कोई वस्तु जो ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई है जिसकी बाबत पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है, सरकार द्वारा या उसकी ओर से केवल उसके उपयोग के प्रयोजनार्थ आयात की जा सकेगी या बनायी जा सकेगी;

(2) कोई प्रक्रिया जिसकी बाबत पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है, सरकार द्वारा या उसकी ओर से केवल उसके उपयोग के प्रयोजनार्थ उपयोग की जा सकेगी;

(3) कोई मशीन, उपकरण या अन्य वस्तु जिसकी बाबत पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है या कोई वस्तु जो उस प्रक्रिया के उपयोग द्वारा बनाई गई जिसकी बाबत पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है, बनाई जा सकेगी या उपयोग की जा सकेगी, और कोई प्रक्रिया, जिसके बारे में पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा केवल प्रयोग या अनुसंधान के प्रयोजन के लिए जिसके अन्तर्गत शिष्यों को शिक्षण देना भी है, उपयोग की जा सकेगी; और

(4) किसी ओषधि या औषधि के बारे में किसी पेटेन्ट की दशा में वह ओषधि या औषधि सरकार द्वारा केवल अपने उपयोग के प्रयोजनार्थ या सरकार द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित किसी औषधालय, अस्पताल, या अन्य चिकित्सीय संस्था में या किसी ऐसे अन्य औषधालय, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था में जो केन्द्रीय सरकार उस लोक सेवा का ध्यान रखते हुए जो ऐसा औषधालय, अस्पताल या चिकित्सीय संस्था संपन्न करती हो, इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, वितरण के लिए, आयात की जा सकेगी ।

पेटेन्टधारियों के अधिकार ।

48. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त किया गया कोई पेटेन्ट, पेटेन्टधारी को भारत में उसके द्वारा या उसके अभिकर्ताओं या अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आविष्कार के करने, उपयोग, प्रयोग, विक्रय या वितरण का अनन्य अधिकार, प्रदत्त करेगा ।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों और धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुदत्त किया गया कोई पेटेन्ट पेटेन्टधारी को—

(क) उस दशा में जब पेटेन्ट किसी वस्तु या पदार्थ के लिए है, तो भारत में उसके द्वारा या उसके अभिकर्ताओं अथवा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसी वस्तु या पदार्थ के बनाए जाने, उपयोग, प्रयोग, विक्रय या वितरण का अनन्य अधिकार, प्रदत्त करेगा;

(ख) उस दशा में जब पेटेन्ट किसी वस्तु या पदार्थ के विनिर्माण के ढंग या प्रक्रिया के लिए है, तो भारत में उसके द्वारा, उसके अभिकर्ताओं अथवा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उस ढंग या प्रक्रिया के उपयोग अथवा प्रयोग का अनन्य अधिकार प्रदत्त करेगा

अस्थायी या आकस्मिक रूप से भारत में आए

49. (1) जहां कि विदेश में रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान अथवा किसी ऐसे देश में मामूली तौर पर निवास करने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्व का कोई स्थलयान भारत में (जिसके अन्तर्गत उसका प्रादेशिक जल

भी आता है) केवल अस्थायी या आकस्मिक रूप से आता है, वहां आविष्कार का उपयोग, यथास्थिति—

विदेशी जलयानों, आदि पर उपयोग में लाए जाने से ही पेटेन्ट अधिकारों का अतिलंघन न होना।

(क) जलयान के कार्य में या उसकी मशीनरी, लफती, साधित्र या अन्य उपसाधनों में करने के बारे में वहां तक, जहां तक कि आविष्कार का उपयोग जलयान पर और केवल उसकी आवश्यकताओं के लिए किया गया है; अथवा

(ख) वायुयान, या स्थलयान या उसके उपसाधनों के निर्माण या क्रियान्वयन में करने के बारे में;

यह न समझा जाएगा कि आविष्कार के लिए पेटेन्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिलंघन हुआ है।

(2) इस धारा का विस्तार उन जलयानों, वायुयानों या स्थलयानों पर न होगा, जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं जो ऐसे विदेश में मामूली तौर पर निवास करते हैं, जिसकी विधियां भारत में मामूली तौर पर निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व के जलयानों, वायुयानों या स्थलयानों में आविष्कारों के उपयोग की बाबत समरूपी अधिकार तब प्रदत्त नहीं करती है, जब वे उस विदेश के पत्तनों में या उसके प्रादेशिक जल में या अन्यथा उसके न्यायालयों की अधिकरिता में होते हैं।

पेटेन्टों के सहस्वामियों के अधिकार।

50. (1) जहां कि पेटेन्ट दो या अधिक व्यक्तियों को अनुदत्त किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से हर एक, जब तक कि तत्प्रतिकूल करार प्रवृत्त न हो, पेटेन्ट में बराबर अविभाजित अंश का हकदार होगा।

(2) इस धारा और धारा 51 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जहां कि दो या अधिक व्यक्ति पेटेन्ट के अनुदत्ती या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, वहां, जब तक कि तत्प्रतिकूल करार प्रवृत्त न हो, उनमें से हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को लेखा दिए बिना, पेटेन्टकृत आविष्कार को अपने फायदे के लिए, स्वयं या अपने अभिकर्ताओं द्वारा निर्मित करने, उपयोग करने, प्रयोग करने और बेचने का हकदार होगा।

(3) इस धारा में और धारा 51 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के और किसी तत्समय प्रवृत्त करार के अध्यधीन रहते हुए यह है कि जहां दो या अधिक व्यक्ति पेटेन्ट के अनुदत्ती या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, वहां पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी और पेटेन्ट में का कोई अंश ऐसे व्यक्तियों में से एक द्वारा, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की सम्मति के बिना, समनुदेशित नहीं किया जाएगा।

(4) जहां कि कोई पेटेन्टकृत वस्तु पेटेन्ट के अनुदत्ती या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्टीकृत दो या अधिक व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा बेची जाए, वहां क्रेता और उससे व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाला कोई व्यक्ति उस वस्तु को उसी रीति से बरतने का हकदार होगा, मानो वह वस्तु एकमात्र पेटेन्टधारी द्वारा बेची गई हो।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जंगम सम्पत्ति के स्वामित्व और न्यागमन को साधारणतया लागू विधि के नियम पेटेन्टों के सम्बन्ध

में लागू होंगे, और उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई बात न्यासियों या मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों के पारस्परिक अधिकारों और बाध्यताओं या उनके इस रूप में के अधिकारों या बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(6) इस धारा की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सृष्ट पेटेन्ट में भागिक हित के समनुदेशितियों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सहस्वामियों को निदेश देने के नियंत्रक की शक्ति।

51. (1) जहां कि दो या अधिक व्यक्ति पेटेन्ट के अनुदत्ती या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, वहां नियंत्रक विहित रीति से अपने से उन व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किए गए आवेदन पर, पेटेन्ट या उसमें के किसी हित को विक्रय करने या पट्टे पर देने, पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उसके सम्बन्ध में धारा 50 के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करने के बारे में, आवेदन के अनुसार ऐसे निदेश दे सकेगा, जैसे वह ठीक समझे।

(2) यदि पेटेन्ट के अनुदत्ती या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दिए गए किसी निदेश के अनुपालन के लिए अपेक्षित कोई लिखत निष्पादित करने या कोई अन्य बात करने में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत अन्य व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित प्रार्थना किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर असफल रहता है तो नियंत्रक विहित रूप से किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा उससे आवेदन किए जाने पर उस व्यक्ति के नाम में जिसने व्यतिक्रम किया है और उसकी ओर से वह लिखत निष्पादित करने या वह कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को सशक्त करने वाले निदेश दे सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन आवेदक के अनुसरण में कोई निदेश देने के पूर्व नियंत्रक—

(क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की दशा में पेटेन्ट के अनुदत्ती या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को;

(ख) उपधारा (2) के अधीन आवेदन की दशा में उस व्यक्ति को जिसने व्यतिक्रम किया है,

सुनवाई का अवसर देगा।

(4) इस धारा के अधीन ऐसा कोई निदेश नहीं दिया जाएगा जिससे न्यासियों के या मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों के पारस्परिक अधिकारों या बाध्यताओं पर या उनके इस रूप में अधिकारों या बाध्यताओं पर प्रभाव पड़े, या जो पेटेन्ट के अनुदत्ती या सहस्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बीच हुए किसी करार के निबन्धनों से असंगत हो।

जहां कि वास्तविक और प्रथम पेटेन्ट सदोष और अर्जीदाता या अन्य व्यक्ति के, जिसके अधीन या जिसके अधिकार

52. (1) जहां कि पेटेन्ट इस आधार पर प्रतिसंहृत किया गया है कि

से व्युत्पन्न हक के अधीन वह दावा करता है, अधिकारों का उल्लंघन करके अभिप्राप्त किया गया था अथवा जहां कि प्रतिसंहरण के लिए अर्जी में न्यायालय पेटेन्ट को प्रतिसंहृत करने के बजाय, इस निष्कर्ष के फलस्वरूप कि ऐसे दावे या दावों के अन्तर्गत आने वाला आविष्कार अर्जीदाता से अभिप्राप्त किया गया था, यह निदेश देता है कि पूर्ण विनिर्देश ऐसे दावे या दावों को निकाल कर संशोधित किया जाए, वहां न्यायालय इस प्रकार प्रतिसंहृत या संशोधन द्वारा अपवर्जित किए गए पेटेन्ट के स्थान पर, उसी कार्यवाही में पारित आदेश द्वारा अर्जीदाता को पूरा आविष्कार या उसके ऐसे भाग के पेटेन्ट का अनुदान अनुज्ञात कर सकेगा जिसके बारे में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वह पेटेन्टधारी द्वारा सदोष अभिप्राप्त किया गया है । आविष्कर्ता के प्रति कपट करके पेटेन्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कर लिया गया है, वहां वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता को पेटेन्ट का अनुशन ।

(2) जहां कि ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां नियंत्रक विहित रीति से प्रार्थना अर्जीदाता द्वारा किए जाने पर उसे—

(i) उन दशाओं में, जिनमें न्यायालय सम्पूर्ण पेटेन्ट अनुदत्त दिए जाने की अनुज्ञा देता है, उसी तारीख और संख्या वाला जो कि प्रतिसंहृत पेटेन्ट की थी नया पेटेन्ट अनुदत्त करेगा;

(ii) उन दशाओं में, जिनमें न्यायालय पेटेन्ट के केवल एक भाग के अनुदत्त किए जाने की अनुज्ञा देता है, ऐसे भाग के लिए उसी तारीख वाला जो प्रतिसंहृत पेटेन्ट की थी और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, डाली गई संख्या वाला नया पेटेन्ट अनुदत्त करेगा :

परन्तु नियंत्रक ऐसे अनुदान की शर्त के रूप में अर्जीदाता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में एक नया और पूर्ण विनिर्देश फाइल करे जिसमें वह आविष्कार के उस भाग का वर्णन और दावा करे जिसके लिए पेटेन्ट अनुदत्त किया जाना है ।

(3) इस धारा के अधीन अनुदत्त पेटेन्ट के किसी ऐसे अतिलंघन के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा, जो उस वास्तविक तारीख के पहले किया गया है जब वह पेटेन्ट अनुदत्त किया गया था ।

पेटेन्ट की अवधि ।

53. (1) इस अधिनियम में के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुदत्त हर पेटेन्ट की अवधि—

(क) किसी पदार्थ के विनिर्माण के ढंग या प्रक्रिया का दावा करने वाले आविष्कार के बारे में, * * * *

वहां जहां कि पदार्थ खाद्य या औषध या औषधि के रूप में उपयोग के लिए आशयित है या उपयोग किए जाने के योग्य है पेटेन्ट की तारीख से सात वर्ष की होगी; तथा

(ख) किसी अन्य आविष्कार के बारे में पेटेन्ट की तारीख से चौदह वर्ष की होगी ।

* * *

(2) किसी नवीकरण फीस के संदाय के लिए विहित कालावधि के अवसान पर पेटेन्ट उसमें या इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में प्रभावशील नहीं रह जाएगा, जिसमें कि वह फीस विहित कालावधि के भीतर या इस धारा के अधीन यथाविस्तारित कालावधि के भीतर नहीं दी जाती ।

(3) नवीकरण फीस दिए जाने के लिए विहित कालावधि का विस्तार विहित कालावधि से तीन मास अधिक लम्बी न होने वाली ऐसी कालावधि तक, जैसी कि नियंत्रक से की गई प्रार्थना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस दशा में किया जा सकेगा, जिसमें कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्रार्थना की जाती है और नवीकरण फीस तथा विहित अतिरिक्त फीस दे दी जाती है ।

अध्याय 9

अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट

अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट ।

54. (1) इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह कि जहां कि किसी ऐसे आविष्कार में जिसे इस अधिनियम में 'मुख्य आविष्कार' कहा गया है, जो उसके लिए फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश में वर्णित या प्रकटित है किसी सुधार या उपान्तर की बाबत पेटेन्ट के लिए आवेदन किया जाता है और आवेदक उस आविष्कार के पेटेन्ट के लिए भी आवेदन करता है या कर चुका है अथवा वह उसकी बाबत पेटेन्टधारी है, वहां, यदि आवेदक ऐसी प्रार्थना करता है तो, नियंत्रक उसे सुधार या उपान्तर के लिए पेटेन्ट अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के रूप में अनुदत्त कर सकेगा ।

(2) इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जहां कि कोई आविष्कार, जो किसी अन्य आविष्कार में सुधार या उपान्तर है, स्वतंत्र पेटेन्ट का विषय है और उस पेटेन्ट की बाबत पेटेन्टधारी मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट की बाबत भी पेटेन्टधारी है, वहां यदि पेटेन्टधारी ऐसी प्रार्थना करता है जो, नियंत्रक आदेश द्वारा सुधार या उपान्तर के लिए पेटेन्ट को प्रतिसंहृत कर सकेगा और उसकी बाबत अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट, जिस पर वही तारीख होगी, जो उस प्रकार प्रतिसंहृत पेटेन्ट की थी, पेटेन्टधारी को अनुदत्त कर सकेगा ।

(3) अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के रूप में कोई पेटेन्ट तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि विनिर्देश फाइल किए जाने की तारीख या तो वही न हो जो मुख्य आविष्कार की बाबत पूर्ण विनिर्देश फाइल किए जाने की थी या उसके पश्चात् की न हो ।

(4) मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने से पूर्व अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट मुद्रांकित नहीं किया जाएगा, और यदि उस कालावधि का जिसके भीतर इस उपधारा के उपबन्धों के अभाव में अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने के लिए प्रार्थना धारा 43 के अधीन की जा सकती थी, अवसान उस कालावधि से पूर्व हो जाता है जिसके भीतर मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने की प्रार्थना इस प्रकार की जा सके तो अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने के लिए प्रार्थना अन्तिमवर्णित कालावधि के भीतर किसी भी समय की जा सकेगी ।

अतिरिक्त के लिए पेटेन्ट की अवधि ।

55. (1) अतिरिक्त के लिए पेटेन्ट ऐसी अवधि के लिए अनुदत्त किया जाएगा जो मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट की अवधि के या उसके अनवसित भाग के बराबर है और वह उस अवधि के दौरान या मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट के पहले ही परिविरत हो जाने तक, न कि उसके आगे, प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु यदि मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट इस अधिनियम के अधीन प्रतिसंहृत कर दिया जाता है, तो यथास्थिति, न्यायालय या नियंत्रक, विहित रीति से प्रार्थना पेटेन्टधारी द्वारा किए जाने पर आदेश दे सकेगा कि अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट की अवधि के अवशिष्ट काल के लिए स्वतंत्र पेटेन्ट हो जाएगा और तदुपरि वह पेटेन्ट तदनुसार स्वतंत्र पेटेन्ट के रूप में प्रवृत्त बना रहेगा ।

(2) अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट की बाबत कोई नवीकरण फीस देय न होगी किन्तु यदि कोई ऐसा पेटेन्ट उपधारा (1) के अधीन स्वतंत्र पेटेन्ट हो जाता है, तो तत्पश्चात् वही फीस, और उन्हीं तारीखों को, देय होगी, मानो पेटेन्ट स्वतंत्र पेटेन्ट के रूप में मूलत: अनुदत्त किया गया हो ।

अतिरिक्ति के लिए पेटेन्टों की विधिमान्यता ।

56. (1) केवल इस आधार पर अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट अनुदत्त करने से इन्कार नहीं किया जाएगा और न अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के रूप में अनुदत्त पेटेन्ट प्रतिसंहृत या अविधिमान्य किया जाएगा कि पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार में कोई आविष्कारिक क्रिया—

(क) तत्सम्बद्ध पूर्ण विनिर्देश में वर्णित मुख्य आविष्कार, अथवा

(ख) मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट की अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के पूर्ण विनिर्देश में वर्णित मुख्य आविष्कार का या ऐसे अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के लिए आवेदन का सुधार या उपान्तर,

के किसी प्रकाशन या उपयोग को ध्यान में रखते हुए अन्तर्वलित नहीं है, और अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट की विधिमान्यता पर इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा कि वह आविष्कार स्वतन्त्र पेटेन्ट का विषय होना चाहिए था ।

(2) सन्देहों के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अतिरिक्ति के लिए पेटेन्ट के लिए आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत आविष्कार की नवीनता अवधारित करने में उस पूर्ण विनिर्देश का भी ध्यान रखा जाएगा जिसमें कि मुख्य आविष्कार वर्णित है ।

अध्याय 10

आवेदनों और विनिर्देशों का संशोधन

नियंत्रक के समक्ष आवेदन और विनिर्देश का संशोधन ।

57. (1) धारा 59 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि विहित रीति से इस धारा के अधीन आवेदन पेटेन्ट के लिए आवेदक या पेटेन्टधारी द्वारा किए जाने पर नियंत्रक पेटेन्ट के लिए आवेदन या पूर्ण विनर्देश को ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जैसी नियंत्रक ठीक समझे, संशोधित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु जब कि पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए कोई वाद किसी न्यायालय के समक्ष अथवा पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए कोई कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है, चाहे वह वाद या कार्यवाही संशोधन के लिए आवेदन के फाइल किए जाने के पूर्व, चाहे पश्चात् प्रारम्भ हुई हो, तब नियंत्रक पेटेन्ट के लिए आवेदन या विनिर्देश को इस धारा के अधीन संशोधित करने के लिए किसी आवेदन को न तो अनुज्ञात करने वाला और न इन्कार करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(2) पेटेन्ट के लिए आवेदन या विनिर्देश का इस धारा के अधीन संशोधन करने की इजाजत के लिए हर आवेदन में प्रतिस्थापित संशोधन की प्रकृति कथित होगी और उसमें उन कारणों की सब विशिष्टियां दी जाएंगी जिनके आधार पर आवेदन किया जाता है ।

(3) पेटेन्ट के लिए आवेदन या विनिर्देश को इस धारा के अधीन संशोधित करने की इजाजत के लिए जो आवेदन पूर्ण विनिर्देश के प्रतिगृहीत हो जाने के पश्चात् किया गया है, उसे हर आवेदन और प्रस्थापित संशोधन की प्रकृति का विज्ञापन विहित रीति से किया जाएगा ।

(4) जहां कि कोई आवेदन उपधारा (3) के अधीन विज्ञापित किया जाता है, वहां उसके विरोध की सूचना कोई हितबद्ध व्यक्ति उसके विज्ञापन के पश्चात् नियंत्रक को विहित कालावधि के भीतर दे सकेगा; और जहां कि ऐसी सूचना पूर्वोक्त कालावधि के भीतर दी जाती है, वहां नियंत्रक उस व्यक्ति को अधिसूचित करेगा जिसके द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन किया गया है और मामले का विनिश्चय करने के पूर्व वह उस व्यक्ति को और विरोधी को सुनवाई का अवसर देगा ।

(5) पूर्ण विनिर्देश का इस धारा के अधीन संशोधन, दावे की पूर्विकता तारीख का संशोधन हो सकेगा या ऐसा संशोधन इसके अन्तर्गत आ सकेगा ।

(6) इस धारा के उपबन्ध पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के पूर्व और पेटेन्ट के अनुदान के विरोध में कार्यवाहियों के अनुक्रम में पारित नियंत्रक के निदेशों का अनुपालन करने के लिए अपने विनिर्देश को संशोधित करने के उस अधिकार पर, जो पेटेन्ट के लिए आवेदक के हैं, प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे ।

उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्देश का संशोधन ।

58. (1) पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष की गई किसी कार्यवाही में उच्च न्यायालय, धारा 59 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए पेटेन्टधारी को अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने पूर्ण विनिर्देश को ऐसी रीति से और खर्च, विज्ञापन या अन्य बातों के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन, जैसे कि उच्च न्यायालय उचित समझे, संशोधित करे और यदि प्रतिसंहरण की किसी कार्यवाही में उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पेटेन्ट अविधिमान्य है तो वह पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के बजाए इस धारा के अधीन विनिर्देश के संशोधन की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) जहां कि इस धारा के अधीन आदेश के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से किया जाता है, वहां आवेदक उस आवेदन की सूचना नियंत्रक को देगा और

नियंत्रक उपसंजात होने और सुने जाने का हकदार होगा और यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाता है, तो उपस्थित होगा ।

(3) विनिर्देश का संशोधन करने की पेटेन्टधारी को अनुज्ञा देने वाले उच्च न्यायालय के सब आदेशों की प्रतिलिपियां उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रक को पारेषित की जाएंगी, जो उनकी प्राप्ति पर रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि और उसका निर्देश अंकित कराएगा ।

विनिर्देश या आवेदन के संशोधन के बारे में अनुपूरक उपबन्ध ।

59. (1) पेटेन्ट के लिए आवेदन या पूर्ण विनिर्देश का कोई भी संशोधन, दावात्याग, शुद्धि या स्पष्टीकरण के तौर पर किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा, और सुस्पष्ट भूल की शुद्धि के प्रयोजन के लिए किए जाने के सिवाय, कोई भी संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और पूर्ण विनिर्देश का कोई भी संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसका यह प्रभाव हो कि यथासंशोधित विनिर्देश में ऐसी बात का दावा या वर्णन हो जाए जो संशोधन से पूर्व के विनिर्देश में सारतः प्रकटित नहीं था या यह प्रभाव हो कि यथासंशोधित विनिर्देश का कोई दावा संशोधन से पूर्व के विनिर्देश के दावे के दायरे के भीतर पूर्णतः न आता हो ।

(2) जहां कि पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख के पश्चात् विनिर्देश का कोई संशोधन नियंत्रक या उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, वहां—

(क) वह संशोधन सब प्रयोजनों के लिए विनिर्देश का भाग बन गया समझा जाएगा ;

(ख) विनिर्देश के संशोधित किए जाने के तथ्य का विज्ञापन शासकीय राजपत्र में किया जाएगा; तथा

(ग) आवेदक या पेटेन्टधारी के संशोधन करने के अधिकार पर आक्षेप कपट के आधार पर किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(3) यथासंशोधित विनिर्देश का अर्थ लगाने में यथामूलतः प्रतिगृहीत विनिर्देश का निर्देश किया जा सकेगा ।

अध्याय 11

व्यपगत पेटेन्टों का प्रत्यावर्तन

व्यपगत पेटेंटों के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन ।

60. (1) जहां कि कोई पेटेन्ट विहित कालावधि के भीतर या धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन यथा विस्तारित उस कालावधि के भीतर किसी नवीकरण फीस के दिए जाने में असफलता होने के कारण प्रभावशील नहीं रह गया है, वहां पेटेन्टधारी या उसका विधिक प्रतिनिधि, और जहां पेटेन्ट दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित था वहां, नियंत्रक की इजाजत से, उनमें से एक या अधिक, दूसरों को सम्मिलित किए बिना, उस तारीख से एक मास के भीतर, जिसको पेटेन्ट प्रभावशील नहीं रह गया था, पेटेन्ट का प्रत्यावर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अनुदत्त पेटेन्टों को भी इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे कि विहित कालावधि के या धारा 53 की उपधारा (3) के प्रति निर्देश के लिए भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के अधीन उसके लिए विहित कालावधि के या उस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित किया जाएगा । 1911 का 2

(3) इस धारा के अधीन आवेदन में विहित रीति से सत्यापित एक कथन होगा जिसमें वे परिस्थितियां पूर्ण रूप से वर्णित होंगी जिनके फलस्वरूप विहित फीस देने में असफलता हुई, और नियंत्रक आवेदक से ऐसे अपर साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे ।

व्यपगत पेटेन्टों के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदनों के निपटाए जाने की प्रक्रिया ।

61. (1) यदि उन दशाओं में जहां कि आवेदक ऐसी वांछा करे या नियंत्रक ऐसा ठीक समझे, प्रथम दृष्ट्या नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि नवीकरण फीस के देने में असफलता अनाशयित थी और आवेदन करने में असम्यक् विलम्ब नहीं हुआ था तो वह आवेदन का विहित रीति से विज्ञापन करेगा; और कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उसके विरोध की नियंत्रक को सूचना विहित कालावधि के भीतर निम्नलिखित आधारों में से किसी भी या दोनों ही आधारों पर दे सकेगा, अर्थात्—

(क) कि नवीकरण फीस देने में असफलता अनाशयित नहीं थी; अथवा

(ख) कि आवेदन करने में असम्यक् विलम्ब हुआ है ।

(2) यदि विरोध की सूचना पूर्वोक्त कालावधि के भीतर दे दी जाती है, तो नियंत्रक आवेदक को अधिसूचित करेगा और मामले का विनिश्चय करने के पहले वह उसे तथा विरोधी को सुने जाने का अवसर देगा ।

(3) यदि पूर्वोक्त कालावधि के भीतर विरोध की कोई भी सूचना नहीं दी जाती है अथवा विरोध किए जाने की दशा में नियंत्रक का विनिश्चय आवेदक के पक्ष में है, तो नियंत्रक किसी असंदत्त नवीकरण-फीस और ऐसी अतिरिक्त फीस के, जैसी विहित की जाए, संदाय पर उस पेटेन्ट को और उस अतिरिक्त के पेटेन्ट को, जो आवेदन में विनिर्दिष्ट है और जो उस पेटेन्ट की समाप्ति पर प्रभावशील नहीं रह गया है, प्रत्यावर्तित करेगा ।

(4) यदि नियंत्रक ठीक समझे, तो वह पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन की शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किसी दस्तावेज या बात की प्रविष्टि जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना है, किन्तु जो इस प्रकार प्रविष्ट नहीं की गई है, रजिस्टर में की जाए ।

उन व्यपगत पेटेंटों के, जो प्रत्यावर्तित हो गए हैं, पेटेन्ट-धारियों के अधिकार ।

62. (1) जहां कि पेटेन्ट प्रत्यावर्तित किया जाता है, वहां पेटेन्ट-धारी के अधिकार ऐसे उपबन्धों के, जैसे विहित किए जाएं, तथा ऐसे अन्य उपबन्धों के अध्यधीन होंगे, जिन्हें नियंत्रक उन व्यक्तियों के संरक्षण या उन्हें प्रतिकर देने के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे जिन व्यक्तियों ने पेटेन्टकृत आविष्कार का उस तारीख के, जब पेटेन्ट निष्प्रभाव हो गया था और इस अध्याय के अधीन

पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन के विज्ञापन की तारीख के बीच में उपलाभ प्रारम्भ कर दिया था या उपलाभ उठाने के लिए संविदा द्वारा या अन्यथा निश्चित कदम उठाए थे ।

(2) पेटेन्ट के ऐसे अतिलंघन की बाबत कोई वाद या अन्य कार्यवाही प्रारम्भ या अभियोजित नहीं की जाएगी जो उस तारीख के जब पेटेन्ट निष्प्रभाव हो गया था और पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन के विज्ञापन की तारीख के बीच किया गया था ।

अध्याय 12

पेटेन्टों का अभ्यर्पण और प्रतिसंहरण

पेटेन्टों का अभ्यर्पण ।

63. (1) पेटेन्टधारी नियंत्रक को विहित रीति से सूचना देकर किसी भी समय अपने पेटेन्ट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना कर सकेगा ।

(2) जहां कि ऐसी प्रस्थापना की जाती है, वहां नियंत्रक उस प्रस्थापना को विहित रीति से विज्ञापित करेगा और पेटेन्टधारी से भिन्न ऐसे हर व्यक्ति को भी अधिसूचित करेगा जिसका नाम पेटेन्ट में हित रखने वाले के रूप में रजिस्टर में अंकित है ।

(3) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति ऐसे विज्ञापन के पश्चात् विहित कालावधि के भीतर नियंत्रक के उस अभ्यर्पण के विरोध की सूचना दे सकेगा और जहां कि कोई ऐसी सूचना दी जाती है, वहां नियंत्रक पेटेन्टधारी को अधिसूचित करेगा ।

(4) यदि पेटेन्टधारी और किसी विरोधी को, यदि वह सुने जाने का अभिलाषी है, सुनने के पश्चात् नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि पेटेन्ट उचित रूप से अभ्यर्पित किया जा सकेगा, तो वह प्रस्थापना को प्रतिगृहीत कर सकेगा और पेटेन्ट को आदेश द्वारा प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

पेटेन्टों का प्रतिसंहरण ।

64. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कोई भी पेटेन्ट, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अनुदत्त किया गया हो चाहे पश्चात् किसी हितबद्ध व्यक्ति की या केन्द्रीय सरकार की अर्जी पर या पेटेन्ट के उल्लंघन के किसी वाद में किसी प्रतिदावे पर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी पर प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) वह आविष्कार, जहां तक कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में वह दावाकृत है, भारत में अनुदत्त किसी अन्य पेटेन्ट के पूर्ण विनिर्देश में अन्तर्विष्ट पूर्वतर पूर्विकता तारीख के विधिमान्य दावे में दावाकृत था;

(ख) वह पेटेन्ट ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर अनुदत्त किया गया था, जो उसके लिए आवेदन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन हकदार नहीं था :

1911 का 2

परन्तु भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के अधीन अनुदत्त कोई पेटेन्ट इस आधार पर प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा कि

आवेदक भारत में उस आविष्कार का संसूचिती या आयातकर्ता था और इसलिए इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है;

(ग) वह पेटेन्ट अर्जीदाता के या किसी व्यक्ति के, जिसके अधीन या जिसके माध्यम से वह दावा करता है, अधिकारों का अतिलंघन करके सदोष अभिप्राप्त किया गया था;

(घ) पूर्ण विनिदेश के किसी दावे का विषय इस अधिनियम के अर्थ में आविष्कार नहीं है;

(ङ) दावे की पूर्विकता तारीख के पूर्व भारत में जो कुछ सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग में आता था या जो कुछ धारा 13 में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी में भारत में या अन्यत्र प्रकाशित हुआ थाँ, उसको ध्यान में रखते हुए, आविष्कार वहां तक जहां तक कि वह पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत है नया नहीं है;

परन्तु भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के अधीन अनुदत्त पेटेन्टों के सम्बन्ध में यह खंड ऐसे प्रभावशाली होगा मानो "या अन्यत्र" शब्द लुप्त कर दिए गए हों; 1911 का 2

(च) दावे की पूर्विकता तारीख के पूर्व भारत में जो कुछ सार्वजनिक रूप से ज्ञात था या सार्वजनिक रूप से उपयोग में आता था या जो कुछ भारत में या अन्यत्र प्रकाशित हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए आविष्कार वहां तक जहां तक कि वह पूर्ण विनिर्देश के दावे में दावाकृत है, सुस्पष्ट है और किसी आविष्कारिक क्रिया को अन्तर्वलित नहीं करता है :

परन्तु भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के अधीन अनुदत्त पेटेन्टों के सम्बन्ध में यह खंड ऐसे प्रभावशाली होगा मानो "या अन्यत्र" शब्द लुप्त कर दिए गए हों : 1911 का 2

(छ) आविष्कार वहां तक जहां तक कि वह पूर्ण विनिर्देश में वह दावाकृत है, उपयोगी नहीं है;

(ज) पूर्ण विनिर्देश में आविष्कार का तथा उसके कार्यान्वयन के ढंग का पर्याप्त और ठीक वर्णन नहीं है अर्थात यह कि पूर्ण विनिर्देश में यथा अन्तर्वष्टि उस आविष्कार को क्रियान्वित करने के लिए जिस ढंग का वर्णन है या जो अनुदेश हैं, वे स्वतः इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत में कोई व्यक्ति, जिसे उस कला का, जिससे वह आविष्कार सम्बद्ध है, औसत कौशल है या औसत ज्ञान है, उस आविष्कार को क्रियान्वित कर सके या यह कि उसमें कार्यान्वयन का वह उत्तम ढंग नहीं दिया गया है, जो पेटेन्ट के लिए आवेदक को ज्ञात था और जिसके लिए संरक्षण का दावा करने का वह हकदार था;

(झ) पूर्ण विनिर्देश के दावे का क्षेत्र पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है या पूर्ण विनिर्देश का कोई दावा विनिर्देश में प्रकटित सामग्री पर ठीक से आधारित नहीं है;

(ञ) पेटेन्ट मिथ्या सुझाव या व्यपदेशन पर अभिप्राप्त किया गया था;

(ट) पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे का विषय इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट योग्य नहीं है;

(ठ) आविष्कार, जहां तक कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में वह दावाकृत है, उस दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्व उपधारा (3) में यथा-वर्णित रीति से अन्यथा भारत में गुप्त रूप से उपयोग में आता था;

(ड) पेटेन्ट के लिए आवेदन करने वाला नियंत्रक को धारा 8 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रकट करने में असफल रहा है या उसने ऐसी जानकारी दी है जो उसके ज्ञान में किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या थी;

(ढ) आवेदक ने धारा 35 के अधीन पारित किसी गोपनीयता निदेश का उल्लंघन किया अथवा भारत के बाहर पेटेन्ट के अनुदान के लिए आवेदन धारा 39 का उल्लंघन कर के किया या करवाया;

(ण) धारा 57 या धारा 58 के अधीन पूर्ण विनिर्देश में संशोधन की इज़ाजत कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी ।

(2) उपधारा (1) के खंडों (ङ) और (च) के प्रयोजनों के लिए—

(क) इस बात को कि गुप्त उपयोग होता रहा है विचार में नहीं लिया जाएगा; तथा

(ख) जहां कि पेटेन्ट वर्णित या दावाकृत प्रक्रिया के लिए या ऐसी प्रक्रिया द्वारा यथानिर्मित उत्पाद के लिए है, वहां उस प्रक्रिया से विदेश में बनाए गए उत्पाद का भारत में आयात, आयात करने की तारीख़ को, उस दशा के सिवाय, जब कि ऐसा आयात युक्तियुक्त परीक्षण या प्रयोग ही के लिए किया गया था, उस आविष्कार का भारत में ज्ञान या उपयोग गठित करेगा ।

(3) आविष्कार के किसी ऐसे उपयोग को उपधारा (1) के खंड (ठ) के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा, जो—

(क) युक्तियुक्त परीक्षण या प्रयोग मात्र के लिए किया गया है; अथवा

(ख) पेटेन्ट के लिए आवेदक या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, उस आविष्कार के प्रत्यक्षतया या परोक्षतया सरकार को या यथा पूर्वोक्त रीति से प्राधिकृत व्यक्ति को या किसी सरकारी उपक्रम को संसूचित या प्रकटित कर देने के परिणामस्वरूप उस सरकार द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो सरकार द्वारा प्राधिकृत है, या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा किया गया है; अथवा

(ग) पेटेन्ट के लिए आवेदक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, उस आविष्कार के संसूचित या प्रकट किए जाने के परिणामस्वरूप और आवेदक की या किसी व्यक्ति की, जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, सम्मति या उपमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है ।

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई पेटेन्ट केन्द्रीय सरकार के आवेदन पर उस दशा में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, जिसमें कि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पेटेन्टधारी केन्द्रीय सरकार के धारा 99 के अर्थ में के प्रयोजनों के लिए पेटेन्ट-कृत आविष्कार को युक्तियुक्त निबन्धनों पर बनाने, उपयोग में लाने या प्रयोग करने की केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना का अनुपालन करने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहा है ।

(5) किसी पेटेन्ट के इस धारा के अधीन प्रतिसंहरण के लिए किसी अर्जी की सूचना की तामील ऐसे सब व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन के बारे में रजिस्टर से यह प्रतीत होता हो कि वह उस पेटेन्ट के स्वत्वधारी या उस में अंश या हित रखने वाले हैं और यह आवश्यक न होगा कि सूचना की तामील किसी अन्य व्यक्ति पर कराई जाए ।

परमाणु ऊर्जा से संबद्ध मामलों में केन्द्रीय सरकार के निदेशों पर पेटेन्ट का प्रतिसंहरण या पूर्ण विनिर्देश का संशोधन ।

65. (1) जहां कि पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के पश्चात् किसी समय केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन या पेटेन्ट परमाणु ऊर्जा से सम्बद्ध आविष्कार के लिए है जिस के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जा सकता, वहां वह नियंत्रक को निदेश दे सकेगी कि वह, यथास्थिति, आवेदन पर आगे कार्यवाही करने से इन्कार कर दे या पेटेन्ट को प्रतिसंहृत कर दे और तदुपरि नियंत्रक, यथास्थिति, आवेदक अथवा पेटेन्टधारी को और ऐसे हर अन्य व्यक्ति को, जिस का नाम पेटेन्ट में हित रखने वाले व्यक्ति के रूप में रजिस्टर में प्रविष्ट है, सूचना देने के उपरान्त और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन पर आगे कार्यवाही करने से इन्कार कर सकेगा या पेटेन्ट को प्रतिसंहृत कर सकेगा । 1962 का 33

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में नियंत्रक आवेदन पर आग कार्यवाही करने से इन्कार करने या पेटेन्ट प्रतिसंहृत करने के बजाए पेटेन्ट के लिए आवेदक को या पेटेन्टधारी को अनुज्ञा दे सकेगा कि वह पूर्ण विनिर्देश को ऐसी रीति से संशोधित करे, जैसी वह आवश्यक समझे ।

लोकहित में पेटेन्ट का प्रतिसंहरण ।

66. जहां कि केन्द्रीय सरकार की राय है कि पेटेन्ट या वह ढंग जिस में उसका प्रयोग किया जाता है, राज्य के लिए रिष्टिकारी या सर्वसाधारण पर साधारणतः प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, वहां वह पेटेन्टधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इस प्रभाव की घोषणा शासकीय राजपत्र में कर सकेगी और तदपुरान्त पेटेन्ट प्रतिसंहृत हो गया समझा जाएगा ।

अध्याय 13

पेटेन्टों का रजिस्टर

पेटेंटों का रजिस्टर और उसमें प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां।

67. (1) पेटेन्ट कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रविष्ट किए जाएंगे—

(क) पेटेन्टों के अनुदत्तियों के नाम और पते;

(ख) पेटेन्टों के समनुदेशनों और सम्प्रदानों की, पेटेन्टों के अधीन अनुज्ञप्तियों की और पेटेन्टों के संशोधनों, विस्तारणों और प्रतिसंहरणों की अधिसूचनाएं; तथा

(ग) पेटेन्टों की विधिमान्यता या स्वत्वधारिता पर प्रभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों की विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं।

(2) किसी न्यास की, चाहे वह अभिव्यक्त हो, चाहे विवक्षित या आन्वयिक, कोई सूचना रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी और किसी ऐसी सूचना का नियंत्रक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्टर को नियंत्रक के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन रखा जाएगा।

(4) सन्देहों के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान पेटेन्टों का रजिस्टर इस अधिनियम के अधीन के रजिस्टर में सम्मिलित कर लिया जाएगा और वह उसका भाग हो जाएगा।

समनुदेशनों आदि का, जब तक कि वे लिखित और रजिस्ट्रीकृत न हों, विधिमान्य न होना।

68. पेटेन्ट के या पेटेन्ट में के किसी अंश का समनुदेशन, पेटेन्ट का बन्धक, अनुज्ञप्ति या उसमें किसी अन्य हित का सृजन तब के सिवाय विधिमान्य न होगा जब कि वह लिखित रूप में है और सम्पृक्त पक्षकारों के बीच हुए करार को एक ऐसी दस्तावेज का रूप दे दिया गया है जिसमें उनके अधिकारों और बाध्यताओं को शासित करने वाले सब निबन्धन और शर्तें समाविष्ट हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ से या उस दस्तावेज के निष्पादन से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, छह मास के भीतर या कुल मिला कर छह मास से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जिसे विहित रीति के किए गए आवेदन पर नियंत्रक ने अनुज्ञात कर दिया है, ऐसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक के पास विहित रीति से कर दिया है;

परन्तु रजिस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात् दस्तावेज अपने निष्पादन की तारीख से प्रभावशील होगी।

समनुदेशनों, संप्रदानों आदि का रजिस्ट्रीकरण।

69. (1) जहां कि कोई व्यक्ति पेटेन्ट का या पेटेन्ट में अंश का हक़दार समनुदेशन, संप्रदान या विधि की क्रिया द्वारा हो जाता है, या पेटेन्ट में किसी अन्य हित का बन्धकदार या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में या अन्यथा हक़दार हो जाता है, वहां वह रजिस्टर में, यथास्थिति, अपने हक़ के अथवा अपने हित की सूचना के रजिस्ट्रीकरण के लिए नियंत्रक से विहित रीति से लिखित आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी ऐसे व्यक्ति के हक़ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जो पेटेन्ट का या पेटेन्ट में अंश का हकदार समनुदेशन द्वारा हो जाता है या पेटेन्ट में किसी अन्य हित का बन्धक, अनुज्ञप्ति या अन्य लिखित के आधार पर हक़दार हो जाता है, यथास्थिति, समनुदेशक, बन्धककर्ता, अनुज्ञापक द्वारा या उस लिखत के अन्य पक्षकार द्वारा उस रीति से किया जा सकेगा जो विहित है।

(3) जहां कि किसी व्यक्ति के हक़ के रजिस्ट्रीकरण के लिए इस धारा के अधीन आवेदन किया जाता है, वहां नियंत्रक, अपने को समाधान-प्रद रूप में हक़ साबित हो जाने पर---

(क) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति पेटेन्ट का या पेटेन्ट के हित का हक़दार है, रजिस्टर में उसको पेटेन्ट के स्वत्वधारी या सहस्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा और लिखित की या उस घटना की जिससे उसका हक़ व्युत्पन्न होता है, विशिष्टियां रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा; अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति पेटेन्ट में किसी अन्य हित का हक़दार है, उसके हित की सूचना उसको सृष्ट करने वाली लिखत की, यदि कोई हो, विशिष्टियों के साथ रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा :

परन्तु यदि पक्षकारों के बीच कोई ऐसा विवाद है कि समनुदेशन, बन्धक, अनुज्ञप्ति, पारेषण, विधि-क्रिया या किसी अन्य संव्यवहार ने पेटेन्ट का या उसमें किसी अंश या हित का हक़ ऐसे व्यक्ति में विधिमान्यत: निहित किया है या नहीं तो नियंत्रक यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई कार्रवाई करने से तब के सिवाय इन्कार कर सकेगा जब कि पक्षकारों के अधिकार सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित हो चुके हों।

(4) सारे क़रारों, अनुज्ञप्तियों और किसी पेटेन्ट के या तदधीन किसी अनुज्ञप्ति के हक़ पर प्रभाव डालने वाली अन्य दस्तावेज़ों की विहित रीति से अधिप्रमाणीकृत प्रतियां और ऐसी अन्य दस्तावेज़ें भी, जैसी विषयवस्तु से सुसंगत विहित की जाएं, नियंत्रक को पेटेन्ट कार्यालय में फाइल करने के लिए विहित रीति से दी जाएंगी :

परन्तु पेटेन्ट के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्तियों की दशा में, नियंत्रक, यदि पेटेन्टधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे प्रार्थना की गई हो तो, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि अनुज्ञप्ति के निबंधन किसी व्यक्ति पर न्यायालय के आदेश के अधीन के सिवाय प्रकट न किए जाएं।

(5) उपधारा (1) के अधीन आवदन के या रजिस्टर में परिशुद्धि के आवेदन के प्रयोजनों के सिवाय ऐसी दस्तावेज, जिसके बारे में उपधारा (3) के अधीन रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, नियंत्रक द्वारा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के पेटेन्ट के या उसमें अंश या हित के हक़ के साक्ष्य के रूप में तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब

तब कि नियंत्रक या न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अन्यथा लिखित निदेश न दे ।

रजिस्ट्रीकृत अनुदत्ती या स्वत्वधारी की पेटेन्ट से बरतने की शक्ति ।

70. पेटेन्ट के सहस्वामित्व के सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्तर्वष्टि उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और किसी अन्य व्यक्ति में निहित ऐसे अधिकारों के अध्यधीन रहते हुए जिनकी सूचना रजिस्टर में प्रविष्ट है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जो पेटेन्ट के अनुदत्ती या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, पेटेन्ट का समनुदेशन करने, उसके अधीन अनुज्ञप्तियां अनदत्त करने या उससे अन्यथा बरतने तथा ऐसे किसी समनुदेशन, अनुज्ञप्ति या बरतने के लिए किसी प्रतिफल के लिए प्रभावी रसीद देने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु पेटेन्ट की बाबत कोई साम्याएं उसी रीति से प्रवर्तित की जा सकेंगी जिस रीति से किसी अन्य जंगम सम्पत्ति की बाबत की जाती हैं ।

उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्टर की परिशुद्धि ।

71. (1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जो—

(क) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की अविद्यमानता या लोप से; अथवा

(ख) रजिस्टर में पर्याप्त हेतुक के बिना की गई किसी प्रविष्टि से; अथवा

(ग) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के सदोष बने रहने से; अथवा

(घ) रजिस्टर की किसी प्रविष्टि में किसी भूल या त्रुटि से;

व्यथित हो, रजिस्टर में कोई प्रविष्टि करने या उसमें कोई फेरफार करने या उसे निकाल देने के लिए ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में उच्च न्यायालय ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा जिसे रजिस्टर की परिशुद्धि के संसंग में विनिश्चित करना आवश्यक या इष्टकर हो ।

(3) उच्च न्यायालय से इस धारा के अधीन किए गए आवेदन की सूचना विहित रीति से नियंत्रक को दी जाएगी जिसे आवेदन किए जाने पर उपसंजात होने और सुनवाई का हक़ होगा और यदि न्यायालय द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाए तो वह उपसंजात होगा ।

(4) रजिस्टर की परिशुद्धि के इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय के किसी आदेश में यह निदेश दिया जाएगा कि परिशुद्धि की सूचना की नियंत्रक पर तामील विहित रीति से की जाए जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रजिस्टर की तदनुसार परिशुद्धि करेगा ।

रजिस्टर का निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहना ।

72. (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि रजिस्टर सब सुविधापूर्ण समयों पर लोक-निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा और रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की, पेटेन्ट कार्यालय की मुद्रा से मुद्रांकित प्रमाणित प्रतिलिपियां उनकी अपेक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति को विहित फीस का संदाय किए जाने पर दी जाएंगी ।

(2) रजिस्टर उन सब बातों का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगा जिनका उसमें प्रविष्ट किया जाना इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है ।

अध्याय 14

पेटेन्ट कार्यालय और स्थापन

नियंत्रक और अन्य आफिसर।

73. (1) व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया पेटेन्टों, डिजाइनों और व्यापार चिह्नों का महानियंत्रक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पेटेन्टों का नियंत्रक होगा। 1958 का 43

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार उतने परीक्षक और अन्य आफ़िसर, ऐसे पदाभिधानों से जिन्हें वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए आफ़िसर नियंत्रक के अधीक्षण और निदेशों के अधीन नियंत्रक के इस अधिनियम के अधीन के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जो उन्हें नियंत्रक, समय-समय पर, लिखित, साधारण या विशेष, आदेश द्वारा, निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करे।

(4) उपधारा (3) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए किसी आफिसर के समक्ष लम्बित कोई मामला प्रत्याहृत कर सकेगा और ऐसे मामले के साथ या तो स्वयं नए सिरे से या उस प्रक्रम से जहां से वह प्रत्याहृत किया गया था, संव्यवहार कर सकेगा या उस मामले को उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए किसी दूसरे आफिसर को अन्तरित कर सकेगा जो अन्तरण के आदेश के विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, मामले में या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से जहां से वह अन्तरित किया गया था, कार्यवाही कर सकेगा।

पेटेन्ट कार्यालय और उसकी शाखाएं।

74. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक कार्यालय होगा जो पेटेन्ट कार्यालय के नाम से ज्ञात होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के अधीन उपबन्धित पेटेन्ट कार्यालय इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट कार्यालय होगा। 1911 का 2

(3) पेटेन्ट कार्यालय का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और पेटेन्टों के रजिस्ट्रीकरण की सुविधा के प्रयोजन के लिए पेटेन्ट कार्यालय के शाखा कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर स्थापित किए जा सकेंगे, जैसे केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(4) पेटेन्ट कार्यालय की एक मुद्रा होगी।

पेटेन्ट कार्यालय के कर्मचारियों पर पेटन्ट में अधिकार या हित के विषय में निर्बन्धन।

75. पेटेन्ट कार्यालय के सब आफ़िसर और कर्मचारी उस कालावधि में जब कि वे अपने पद धारण करते हैं इस बात के लिए अयोग्य होंगे कि वे, विरासत या वसीयत के सिवाय, ऐसे किसी पेटेन्ट में अधिकार या हित, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अर्जित करें या लें, जो उस कार्यालय द्वारा दिया गया है।

आफ़िसरों और कर्मचारियों द्वारा जानकारी आदि का न देना।

76. पेटेन्ट कार्यालय का कोई आफ़िसर या कर्मचारी, उस दशा के सिवाय जब कि इस अधिनियम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या नियंत्रक के लिखित निदेश के अधीन या न्यायालय के आदेश द्वारा उससे ऐसी अपेक्षा की जाए या उसे प्राधिकृत किया जाए,—

(क) ऐसे किसी विषय में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अथवा
1911 का 2 भारतीय पेटेन्ट और डिज़ाइन अधिनियम, 1911 के अधीन कोई कार्यवाही की जा रही है या की जा चुकी है, जानकारी नहीं देगा; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन या भारतीय पेटेन्ट और डिज़ाइन
1911 का 2 अधिनियम, 1911 के अधीन पेटेन्ट कार्यालय में जमा की जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात कोई दस्तावेज न तो तैयार करेगा और न उसके तैयार किए जाने में सहायता करेगा; अथवा

(ग) पेटेन्ट कार्यालय के अभिलेखों में कोई तलाशी संचालित नहीं करेगा।

अध्याय 15

नियंत्रण की साधारणतः शक्तियां

नियंत्रक को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां प्राप्त होना।

77. (1) इस निमित्त बनाए गए किन्ही नियमों के अध्यधीन यह है कि नियंत्रक को इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष की किन्हीं कार्यवाहियों में निम्नलिखित विषयों के बारे में सिविल न्यायालय की वे सब शक्तियां प्राप्त
1908 का 5 होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय उसे प्राप्त हैं; अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समनित करना और उसे हाज़िर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज़ के प्रकट या पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) साक्षियों या दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ङ) ख़र्चा दिलाना;

(च) विहित समय के भीतर और विहित रीति से आवेदन किए जाने पर स्वयं अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;

(छ) विहित समय के भीतर और विहित रीति से आवेदन किए जाने पर एकपक्षीय पारित आदेश को अपास्त करना;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ख़र्च दिलाने के किसी आदेश का जो नियंत्रक द्वारा दिया गया है निष्पादन सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह किया जा सकेगा।

नियंत्रक की लिपिकीय गलतियों आदि को शुद्ध करने की शक्ति।

78. (1) आवेदनों और पूर्ण विनिर्देशों के संशोधन की बाबत धारा 57 और 59 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा धारा 44 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि किसी पेटेन्ट में या किसी विनिर्देश में या अन्य दस्तावेज़ में जो ऐसे आवेदन के अनुसरण में फाइल किया गया है या पेटेन्ट के लिए

किसी आवेदन में किसी लिपिकीय गलती को या रजिस्टर में प्रविष्ट किसी विषय में किसी लिपिकीय गलती को नियंत्रक इस धारा के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध कर सकेगा।

(2) इस धारा के अनुसरण में शुद्धि या तो किसी हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा की गई ऐसी लिखित प्रार्थना पर, जिसके साथ विहित फीस दी गई है, अथवा ऐसी प्रार्थना के बिना की जा सकेगी।

(3) जहां कि नियंत्रक इस धारा के अधीन की गई प्रार्थना के अनुसरण से अन्यथा, यथापूर्वोक्त कोई शुद्धि करने की प्रस्थापना करता है, वहां वह यथा-स्थिति पेटेन्टधारी या पेटेन्ट के लिए आवेदक को तथा ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो उसे सम्पृक्त प्रतीत होता है, प्रस्थापना की सूचना देगा और शुद्धि करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर देगा।

(4) जहां कि पेटेन्ट में या पेटेन्ट के लिए आवेदन में या ऐसे आवेदन के अनुसरण में फाइल की गई दस्तावेज़ में किसी गलती की शुद्धि के लिए इस धारा के अधीन प्रार्थना की जाती है और नियंत्रक को यह प्रतीत होता है कि शुद्धि उस दस्तावेज़ का, जिस से प्रार्थना सम्बद्ध है, अर्थ या क्षेत्र तत्वतः परिवर्तित करेगी और ऐसी शुद्धि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना दिए बिना नहीं की जानी चाहिए, वहां वह प्रस्थापित शुद्धि की प्रकृति की सूचना विहित रीति से विज्ञापित किए जाने की अपेक्षा करेगा।

(5) यथापूर्वोक्त किसी विज्ञापन के पश्चात् विहित समय के भीतर कोई हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थना का विरोध करने की सूचना नियंत्रक को दे सकेगा और जहां कि विरोध की ऐसी सूचना दी जाती है, वहां नियंत्रक उसकी सूचना उस व्यक्ति को देगा जिसके द्वारा वह प्रार्थना की गई थी और मामले का विनिश्चय करने के पूर्व वह उसे तथा विरोधी को सुनवाई का अवसर देगा।

साक्ष्य किस प्रकार से दिया जाए और उसकी बाबत नियंत्रक की शक्तियां।

79. इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन यह है कि इस नियम के अधीन नियंत्रक के समक्ष की किसी कार्यवाही में, नियंत्रक के तत्प्रतिकूल निदेशों के अभाव में शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य दिया जाएगा, किन्तु किसी मामले में, जिसमें नियंत्रक ऐसा करना ठीक समझता है, वह शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य के बदले में या उसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य ले सकेगा या किसी पक्षकार की उसके शपथ-पत्र की अन्तर्वस्तु पर प्रति-परीक्षा किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

विवेकाश्रित शक्तियों का नियंत्रक द्वारा प्रयोग।

80. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी ऐसे उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के सुनने की या किसी ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने की नियंत्रक से अपेक्षा करता है, नियंत्रक पेटेन्ट के लिए या विनिर्देश के संशोधन के लिए किसी आवेदक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियंत्रक में निहित किसी विवेकाधिकार का उस आवेदक के प्रतिकूल प्रयोग करने से पूर्व सुनवाई का अवसर (यदि विहित समय के भीतर आवेदक ऐसी अपेक्षा करे) देगा।

समय के विस्तारण के लिए आवे-

81. जहां कि इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन नियंत्रक कोई कार्य करने के लिए समय का विस्तारण कर सके वहां

इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे विस्तारण का विरोध करने में हितबद्ध पक्षकार को सूचना देने या उसे सुने जाने की अपेक्षा करने वाली न समझी जाएगी और न ऐसा विस्तारण अनुदत्त करने वाले नियंत्रक के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

दनों का नियंत्रक द्वारा निपटाया जाना।

अध्याय 16

पेटेन्ट का क्रियान्वयन, वैवश्यक अनुज्ञप्तियाँ, अधिकार की अनुज्ञप्तियाँ और प्रतिसंहरण

"पेटेन्टकृत वस्तुओं" और "पेटेन्टधारी" की परिभाषाएं।

82. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पेटेन्टकृत वस्तु" के अन्तर्गत पेटेन्टकृत प्रक्रिया द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु आती है; और

(ख) "पेटेन्टधारी" के अन्तर्गत अनन्य अनुज्ञप्तिधारी आता है।

पेटेन्टकृत आविष्कारों के क्रियान्वयन को लागू साधारण सिद्धांत।

83. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में निम्नलिखित साधारण बातों का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात्—

(क) कि पेटेन्ट आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदत्त किए जाते हैं कि आविष्कार वाणिज्यिक मापमान पर और उस पूर्णतम विस्तार तक भारत में क्रियान्वित किए जाते हैं जो असम्यक् विलम्ब के बिना युक्तियुक्त रूप से साध्य है; तथा

(ख) कि वे केवल इसलिए अनुदत्त नहीं किए जाते हैं कि पेटेन्टधारियों को पेटेन्टकृत वस्तु के आयात के लिए एकाधिकार का उपयोग करने में समर्थ करें।

वैवश्यक अनुज्ञप्तियां।

84. (1) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी भी समय, यह अभिकथित करने वाला कि पेटेन्टकृत आविष्कार की बाबत सर्वसाधारण की युक्तियुक्त आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है तथा पेटेन्टकृत आविष्कार को क्रियान्वित करने के लिए वैवश्यक अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए प्रार्थना करने वाला आवेदन नियंत्रक से कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि वह पहले से ही पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति का धारक है और कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा चाहे ऐसी अनुज्ञप्ति में या अन्यथा की गई किसी स्वीकृति के कारण ही अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति उसके द्वारा प्रतिगृहीत किए जाने के कारण ही इस बात का अभिकथन करने से विबंधित नहीं होगा कि पेटेन्टकृत आविष्कार की बाबत सर्वसाधारण की युक्तियुक्त आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है।

(3) उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन में आवेदक के हित की प्रकृति को ऐसी विशिष्टियों के साथ जैसी विहित की जाएं और उन तथ्यों को जिन पर आवेदन आधारित है उपवर्णित करने वाला कथन अन्तर्विष्ट होगा।

(4) इस धारा के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर विचार करने में नियंत्रक धारा 85 में उपवर्णित विषयों को ध्यान में रखेगा।

(5) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि पेटेन्टकृत आविष्कार की बाबत सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, या पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं हैं तो वह पेटेन्टधारी को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आदेश ऐसे निबंधनों पर दे सकेगा जैसे वह उचित समझे।

(6) जहां कि नियंत्रक पेटेन्टधारी को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का निदेश देता है, वहां वह तदनुषंगिक रूप में धारा 93 में उपवर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

वैवश्यक अनुज्ञप्तियों का अनुदान करने में विचार के लिए जाने वाले विषय।

85. धारा 84 के अधीन फाइल किए गए आवेदन के अनुसरण में कोई आदेश दिया जाए या नहीं इसका अवधारण करने में नियंत्रक निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा —

(i) आविष्कार की प्रकृति, वह समय जो तब से बीत गया है जब पेटेन्ट मुद्रांकित किया गया था और आविष्कार का पूर्ण उपयोग करने के लिए पेटेन्टधारी या किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले से ही किए गए उपाय,

(ii) लोक फायदे के लिए आविष्कार को क्रियान्वित करने में आवेदक की योग्यता,

(iii) यदि आवेदन मंजूर कर लिया जाए, तो पूंजी का उपबन्ध करने और आविष्कार को क्रियान्वित करने में जोखिम उठाने की आवेदक की समर्थता,

किन्तु उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह आवेदन के किए जाने के पश्चात्वर्ती विषयों को विचार में ले।

"अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों का पेटेन्ट पर पृष्ठांकन।

86. (1) पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी भी समय केन्द्रीय सरकार नियंत्रक से यह आदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगी कि पेटेन्ट को "अधिकार की अनुज्ञप्ति" शब्दों से पृष्ठांकित इस आधार पर किया जाए कि पेटेन्टकृत आविष्कार की बाबत सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है।

(2) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि पेटेन्टकृत आविष्कार की बाबत सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है तो वह आदेश दे सकेगा कि पेटेन्ट को "अधिकार की अनुज्ञप्ति" शब्दों से पृष्ठांकित किया जाए।

(3) जहां कि अतिरिक्त के लिए पेटेन्ट प्रवर्तन में है, वहां या तो मूल पेटेन्ट के या अतिरिक्त के लिए पेटेन्ट के पृष्ठांकन के लिए इस धारा के अधीन दिए गए किसी आवेदन को दोनों पेटेन्टों के पृष्ठांकन के लिए एक आवेदन के रूप में बरता जाएगा तथा जहां कि अतिरिक्त के लिए पेटेन्ट किसी ऐसे पेटेन्ट के बारे में अनुदत्त किया जाता है, जो इस धारा के अधीन पहले से ही पृष्ठांकित है, वहां अतिरिक्त के लिए पेटेन्ट भी ऐसे पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(4) पेटेन्टों के इस धारा के अधीन किए गए सब पृष्ठांकन रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे और राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से जैसी पृष्ठांकन को विनिर्माताओं की सूचना में लाने के लिए नियंत्रक वांछनीय समझे, प्रकाशित किए जाएंगे ।

कतिपय पेटेन्टों का "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित होना समझा जाना ।

87. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त हर ऐसा पेटेन्ट, जो—

(i) ऐसे पदार्थों से, जो खाद्य के रूप में या ओषधि या औषधि के रूप में उपयोग में आते हैं, या उपयोग में लाए जाने के योग्य हैं,

(ii) किसी ऐसे पदार्थ के, जो उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट हैं, विनिर्माण या उत्पादन के ढंगों या प्रक्रियाओं से,

(iii) रासायनिक पदार्थों के (जिनके अन्तर्गत मिश्र धातु समांगी-काच अर्धचालक और अन्तराधातुक यौगिक आदि आते हैं) विनिर्माण या उत्पादन के ढंगों या प्रक्रियाओं से सम्बन्धित आविष्कारों के बारे में है,

इस अधिनियम के प्रारम्भ से या भारतीय पेटेन्ट और डिजायन अधिनियम, 1911 के अधीन पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने की तारीख से तीन वर्षों के अवसान से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित हुआ समझा जाएगा; और

(ख) धारा 5 में यथानिर्दिष्ट किसी आविष्कार की बाबत इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुदत्त हर पेटेन्ट,

पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने की तारीख से, तीन वर्षों के अवसान की तारीख से "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित हुआ समझा जाएगा ।

* * *

(2) हर ऐसे पेटेन्ट की बाबत जो इस धारा के अधीन "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित हुआ समझा जाता है, धारा 88 के उपबन्ध लागू होंगे ।

"अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पेटेन्ट के पृष्ठांकित होने का प्रभाव ।

88. (1) जहां कि पेटेन्ट "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित किया गया है, वहां कोई भी व्यक्ति जो पेटेन्टकृत आविष्कार के भारत में क्रियान्वयन से हितबद्ध है, पेटेन्टधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि इस बात के होते हुए भी कि वह पेटेन्ट के अधीन पहले से ही अनुज्ञप्ति का धारक है वह उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति को ऐसे निबन्धनों पर अनुदत्त करे जिन पर परस्पर सहमति हो जाए ।

(2) यदि पक्षकार अनुज्ञप्ति के निबन्धनों पर सहमत नहीं हो पाते तो उनमें से कोई उसके निबन्धनों को तय करने के लिए नियंत्रक से आवेदन विहित रीति से कर सकेगा ।

(3) नियंत्रक पक्षकारों को सूचना देने के और उनकी सुनवाई के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी वह ठीक समझे, करने के पश्चात् उन निबन्धनों का विनिश्चय करेगा जिन पर पेटेन्टधारी द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी ।

(4) नियंत्रक, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के बारे में पारस्परिक सहमति हो जाने अथवा नियंत्रक द्वारा विनिश्चित किए जाने के पूर्व किसी भी समय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उससे आवेदन किए जाने पर, जिसने ऐसी कोई अध्यपेक्षा की है, जैसी उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, उसको पेटेन्टकृत आविष्कार को क्रियान्वित करने के लिए अनुज्ञा ऐसे निबन्धनों पर दे सकेगा जैसे नियंत्रक, पक्षकारों के बीच सहमति होने अथवा नियंत्रक द्वारा विनिश्चय किए जाने तक, अधिरोपित करना ठीक समझे ।

(5) धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट और उस उपधारा के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अधीन "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित समझे गए किसी आविष्कार के बारे में हर पेटेन्ट की दशा में, वह स्वामिस्व और अन्य पारिश्रमिक, जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी व्यक्ति को अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन पेटेन्टधारी को आरक्षित है, किसी भी दशा में पेटेन्टकृत वस्तु की, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, अवधारित की गई शुद्ध कारखाना द्वारे पुंज-विक्रय कीमत के (जिसके अन्तर्गत वे कर, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उदगृहीत किए जाते हैं और देय कोई कमीशन नहीं आते हैं) पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(6) उपधारा (5) में अन्यथा उपवन्धित के सिवाय धारा 93 की उपधाराओं (1), (2), (4), और (5) के (नियंत्रक की शक्तियों विषयक) उपबन्ध और धारा 94 और धारा 95 के उपबन्ध इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्तियों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 84 के अन अधीन अनुदत्त ज्ञप्तियों को लागू होते हैं ।

* * *

क्रियान्वित न किए जाने के कारण नियंत्रक द्वारा पेटेन्टों का प्रतिसंहरण ।

89. (1) जहां कि पेटन्ट के बारे में, वैवश्यक अनुज्ञप्ति अनदत्त की गई है, या "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" पृष्ठांकित कर दिया गया है या कर दिया गया समझा जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार या कोई भी हितबद्ध व्यक्ति यथास्थिति प्रथम वैवश्यक अनुज्ञप्ति के अनुदान के आदेश की तारीख से या धारा 88 के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति के अनुदान की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नियंत्रक से पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के आदेश के लिए आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि पेटेन्टकृत आविष्कार की बाबत सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन में ऐसी विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, और वे तथ्य, जिन पर आवेदन आधारित है, अन्तर्विष्ट होंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवेदन से भिन्न आवेदन की दशा में आवेदक के हित की प्रकृति भी उपदर्शित होगी ।

(3) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि पेटेन्टकृत आविष्कार की बाबत सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं या पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है तो वह पेटेन्ट के प्रतिसंहरण का आदेश दे सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन का हर आवेदन मामूली तौर पर उसके नियंत्रक को उपस्थित किए जाने के एक वर्ष के भीतर विनिश्चित किया जाएगा ।

यह बात कि सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, कब समझी जाएगी ।

90. धाराओं 84, 86 और 89 के प्रयोजनों के लिए यह बात कि सर्वसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, उस दशा में समझी जाएगी —

(क) जिसमें कि पेटेन्टकृत वस्तु या पेटेन्टकृत वस्तु के किसी ऐसे भाग के, जो उसके दक्ष क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, पेटेन्टधारी द्वारा भारत में पर्याप्त मात्रा में विनिर्माण और युक्तियुक्त निबन्धनों पर प्रदाय न करने के कारण अथवा युक्तियुक्त निबन्धनों पर अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्तियां अनुदान करने से पेटेन्टधारी के इन्कार के कारण,—

(i) उस व्यापार या उद्योग पर जो भारत में विद्यमान है, या उसके विकास पर या किसी नए व्यापार या उद्योग की भारत में स्थापना करने पर अथवा भारत में के किसी व्यक्ति के व्यापार या उद्योग या व्यापार करने वाले या विनिर्माण करने वाले व्यक्तियों के वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; अथवा

(ii) वह मांग जो पेटेन्टकृत वस्तु के लिए है, भारत में होने वाले विनिर्माण से पर्याप्त मात्रा में या युक्तियुक्त निबन्धनों पर पूरी नहीं हो रही है; अथवा

(iii) ऐसा कोई बाजार जिसको भारत में विनिर्मित उस पेटेन्टकृत वस्तु का निर्यात होता है उस वस्तु का प्रदाय नहीं पा रहा है या विकसित नहीं किया जा रहा है****; अथवा

(iv) भारत में वाणिज्य की स्थापना या विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) जिसमें कि पेटेन्टधारी द्वारा पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान पर अथवा पेटेन्टकृत वस्तु या प्रक्रिया के क्रय, भाड़े या उपयोग पर (चाहे इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात्) अधिरोपित शर्तों के कारण उन पदार्थों के विनिर्माण, उपयोग या विक्रय पर जो पेटेन्ट द्वारा संरक्षित नहीं है, अथवा भारत में किसी व्यापार या उद्योग की स्थापना या विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; अथवा

(ग) जिसमें कि पेटेन्टकृत आविष्कार भारत में वाणिज्यिक मात्रा में पर्याप्त विस्तार तक क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है अथवा उस पूर्णतम विस्तार तक जो युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, ऐसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; अथवा

(घ) जिसमें कि भारत में पेटेन्टकृत वस्तु की मांग—

(i) पेटेन्टधारी अथवा उससे व्युत्पन्न हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा; अथवा

(ii) उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रय करने वाले व्यक्तियों द्वारा ; अथवा

(iii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनके विरुद्ध अतिलंघन के लिए कार्यवाहियां पेटेन्टधारी नहीं कर रहा है या उसने नहीं की हैं; विदेश से निर्यात द्वारा सारवान् विस्तार तक पूरी की जा रही है ; अथवा

(ङ) जिसमें कि पेटेन्टधारी अथवा पूववर्ती खण्ड में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों द्वारा विदेश से पेटेन्टकृत वस्तु के आयात से पेटेन्टकृत आविष्कार का भारत में वाणिज्यिक मात्रा में क्रियान्वयन निवारित या प्रतिबाधित हो रहा है ।

कतिपय मामलों में वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदनों को स्थगित करने, आदि के बारे में नियंत्रक की शक्ति ।

91. (1) जहां कि, यथास्थिति, धारा 84, धारा 86 या धारा 89 के अधीन आवेदन धारा 90 के खण्ड (ग) में वर्णित आधार पर किया जाता है और नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि पेटेन्ट को जब मुद्रांकित किया गया तब से जो समय बीता है वह वाणिज्यिक मात्रा में पर्याप्त विस्तार तक आविष्कार का क्रियान्वयन किए जाने के लिए या आविष्कार को उस पूर्णतम विस्तार तक जो युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, ऐसे क्रियान्वित किए जाने के लिए किसी कारणवश अपर्याप्त रहा है, तो वह आदेश द्वारा आवेदन की आगे सुनवाई कुल मिलाकर बारह मास से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा जैसी उसे उस आविष्कार के क्रियान्वित किए जाने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती हो :

परन्तु किसी ऐसी दशा में जिसमें कि पेटेन्टधारी यह साबित कर देता है कि पेटेन्टकृत आविष्कार का यथापूर्वोक्त क्रियान्वयन आवेदन की तारीख से पूर्व न किए जा सकने का कारण कोई राज्य या केन्द्रीय अधिनियम या उसके अधीन बनाया गया कोई नियम या विनियम था अथवा सरकार का कोई ऐसा आदेश था जो भारत में आविष्कार के क्रियान्वयन के लिए या पेटेन्टकृत वस्तुओं के अथवा ऐसी वस्तुओं के, जो उस प्रक्रिया द्वारा या पेटेन्टकृत संयंत्र, मशीनरी या साधित्र के उपयोग से बनाई गई हैं, व्ययन के लिए शर्त के तौर से अन्यथा अधिरोपित किया गया था, वहां स्थगन की कालावधि, जिसका आदेश इस उपधारा के अधीन दिया गया था, उस तारीख से संगणित की जाएगी जिसको आवेदन की तारीख से यथासंगणित उस कालावधि का अवसान होता है जिसके दौरान उस आविष्कार का क्रियान्वयन ऐसे अधिनियम, नियम या विनियम या सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित हुआ था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई स्थगन आदेश तब के सिवाय नहीं दिया जाएगा जबकि नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि वाणिज्यिक मात्रा में पर्याप्त विस्तार तक आविष्कार का भारत में क्रियान्वयन चालू करने के लिए पर्याप्त और युक्तियुक्त कदम पेटेन्टधारी ने क्षिप्रता के साथ नहीं उठाए हैं।

धाराओं 84, 86 और 89 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया।

92. (1) जहां कि नियंत्रक का इस बारे में समाधान धारा 84, धारा 86 या धारा 98 के अधीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् हो जाता है कि आदेश देने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बन गया है, वहां आवेदक को आवेदन की प्रतियों की पेटेन्टधारी पर और किसी अन्य व्यक्ति पर जो रजिस्टर से उस पेटेन्ट के बारे में किसी बाबत आवेदन किया गया है, हितबद्ध प्रतीत हो, तामील करने का निदेश देगा तथा आवेदन को शासकीय राजपत्र में विज्ञापित करेगा।

(2) पेटेन्टधारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो आवेदन का विरोध करने की वांछा करता है, ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जैसा नियंत्रक (विहित समय के अवसान के या तो पूर्व या पश्चात् किए गए) आवेदन पर अनुज्ञात करे, अपने विरोध की सूचना नियंत्रक को देगा।

(3) विरोध की किसी ऐसी सूचना में एक कथन अन्तर्विष्ट होगा जिसमें वे आधार उपदर्शित होंगे जिन पर आवेदन का विरोध किया जा रहा है।

(4) जहां कि विरोध की कोई ऐसी सूचना सम्यक्तः दी गई है, वहां नियंत्रक आवेदन को अधिसूचित करेगा तथा आवेदन और विरोधी को मामले का विनिश्चय करने के पहले सुनवाई का अवसर देगा।

वैवश्यक अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करने की नियंत्रक की शक्तियां।

93. (1) जहां कि नियंत्रक का धारा 84 के अधीन दिए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि पेटेन्ट द्वारा संरक्षित न किए गए पदार्थों के विनिर्माण, उपयोग या विक्रय पर उन शर्तों के कारण, जो पेटेन्टधारी द्वारा पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान पर या पेटेन्टकृत वस्तु या प्रक्रिया के क्रय, भाड़े या उपयोग पर अधिरोपित की गई है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां वह उस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आवेदक के ऐसे ग्राहकों को, जिन्हें वह ठीक समझे, और आवेदक को भी पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान का आदेश दे सकेगा।

(2) जहां कि धारा 84 के अधीन आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति का धारक है, वहां नियन्त्रक, यदि आवेदक को अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आदेश देता है तो, विद्यमान अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने का आदेश दे सकेगा अथवा यदि वह ठीक समझे तो आवेदक को अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आदेश देने के बजाए विद्यमान अनुज्ञप्ति को संशोधित किए जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) जहां कि धारा 84 के अधीन आवेदन पर नियंत्रक अनुज्ञप्ति के अनुदान का आदेश देता है, वहां वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि अनुज्ञप्ति के प्रवर्तन से—

(क) पेटेन्टधारी ऐसे किसी अधिकार से वंचित हो जाएगा, जो वह पेटेन्टधारी के रूप में आविष्कार को बनाने, उपयोग और प्रयोग

में लाने या बेचने अथवा पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्तियां अनुदान करने के बारे में रखता है ;

(ख) आविष्कार की बाबत सब अनुज्ञप्तियां प्रतिसंहृत हो जाएंगी ।

(4) जहां कि दो या अधिक पेटेन्ट एक ही पेटेन्टधारी द्वारा धारित ह और वैवश्यक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक यह सिद्ध कर देता है कि लोक की युक्ति-युक्त अपेक्षाएं उक्त पेटेन्ट में से कुछ ही की बाबत पूरी नहीं हुई हैं, वहां यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उन पेटेन्टों के अधीन उसे अनदत्त अनज्ञप्ति को दक्षता से और समाधानपूर्वक, पेटेन्टधारी द्वारा धारित अन्य पेटन्टों का अतिलंघन किए बिना क्रियान्वित नहीं कर सकता तो, वह अनुज्ञप्तिधारी को उस पेटेन्ट, या उन पेटन्टों को क्रियान्वित करने को समर्थ बनाने के लिए, जिनकी बाबत धारा 84 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अन्य पेटन्टों की बाबत भी अनुज्ञप्ति के अनुदान का निदेश आदेश द्वारा दे सकेगा ।

(5) जहां कि अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें नियंत्रक द्वारा तय की गई हैं, वहां अनुज्ञप्तिधारी, आविष्कार को वाणिज्यिक मात्रा में कम से कम बारह मास की कालावधि के लिए क्रियान्वित करने के पश्चात्, किसी समय, नियंत्रक से निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि परिनिर्धारित निबन्धन और शर्तें उनसे अधिक दुर्भर साबित हुई हैं जो मूलतः प्रत्याशित थीं और उनके परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी हानि उठाए बिना आविष्कार को क्रियान्वित करने में असमर्थ है :

परन्तु ऐसा कोई आवेदन दूसरी बार ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

* * *

वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के अनुदान के लिए साधारण प्रयोजन ।

94. धारा 84 के अधीन किए गए आवेदन विषयक नियन्त्रक की शक्तियां निम्नलिखित साधारण प्रयोजनों को उपलब्ध करने की दृष्टि से प्रयुक्त की जाएंगी, अर्थात्—

(क) यह कि पेटन्टकृत आविष्कार भारत में वाणिज्यिक मात्रा में असम्यक् विलम्ब के बिना और उस पूर्णतम विस्तार तक, जो युक्तियुक्ततः साध्य हो, क्रियान्वित किए जाते हैं;

(ख) यह कि आविष्कार को भारत में पेटेन्ट के संरक्षण के अधीन तत्समय क्रियान्वित या विकसित करने वाले किसी व्यक्ति के हितों पर अक्रजुतापूर्वक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

वश्यक अनुज्ञप्तियों के निबन्धन और शत ।

95. (1) धारा 84 के अधीन अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों को तय करने में नियंत्रक यह सुनिश्चित करने के का प्रयास करेगा कि—

(i) पेटेन्टधारी या फ़ायदाप्रद रूप के हकदार अन्य व्यक्ति को आरक्षित स्वामिस्व तथा अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आविष्कार की

प्रकृति को, आविष्कार को बनाने में या उसे विकसित करने में और पेटेन्ट अभिप्राप्त करने में और उसे प्रवर्तन में रखने में उपगत व्यय को तथा अन्य सुसंगत कारणों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हैं;

(ii) पेटेन्टकृत आविष्कार उस व्यक्ति द्वारा, जिसको अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, पुर्णतम विस्तार तक और उसके युक्तियुक्त लाभ के साथ क्रियान्वित किया जाता है;

(iii) पेटेन्टकृत वस्तुएं सर्वसाधारण को युक्तियुक्त कीमतों पर उपलब्ध की जाती हैं ।

(2) नियंत्रक द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति किसी अनुज्ञप्तिधारी को पेटेन्टकृत वस्तु या पेटेन्टकृत प्रक्रिया से बनाई गई किसी वस्तु या पदार्थ का विदेश से आयात करने को वहां प्राधिकृत न करेगी, जहां कि ऐसा आयात ऐसे प्राधिकार के न होने पर पेटेन्टधारी के अधिकारों का अतिलंघन गठित करेगा ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो, तो वह नियन्त्रक को किसी भी समय निदेश दे सकेगी कि वह किसी पेटेन्ट के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को पेटेन्टकृत वस्तु या पेटेन्टकृत प्रक्रिया बनाई गई कोई वस्तु या पदार्थ विदेश से आयात करने का प्राधिकार (ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो वह अन्य बातों के अलावा पेटेन्टधारी को संदेय स्वामिस्व या अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आयात की मात्रा, आयात की गई वस्तु की विक्रय कीमत और आयात की कालावधि की बाबत अधिरोपित करना आवश्यक समझे) दे और तत्पश्चात् नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

सम्बन्धित पेटेन्टों का अनुज्ञापन ।

96. (1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी यह है कि पेटेन्ट के मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य पेटेन्टकृत आविष्कार को या तो उसके पेटेन्टधारी के नाते या उसके अनन्य या अन्यथा अनुज्ञप्तिधारी के नाते क्रियान्वित करने का अधिकार रखता है, नियन्त्रक से प्रथम वर्णित पेटेन्ट की अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना अन्य आविष्कार को दक्षता के साथ या सर्वोत्तम सम्भव लाभ के साथ क्रियान्वित करने से निवारित रहता है या प्रतिबाधित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि नियत्रंक का यह समाधान नहीं हो जाता कि—

(i) आवेदक पेटेन्टधारी को और उसके अनुज्ञप्तिधारी को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो, उस अन्य आविष्कार की बाबत युक्तियुक्त निबन्धनों पर अनुज्ञप्ति का अनुदान करने के लिए या अनुदान उपाप्त करने के लिए समर्थ और इच्छुक है; तथा

(ii) उस अन्य आविष्कार ने भारत में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों के स्थापन या विकास में सारवान् योग दिया है ।

(3) जब कि नियत्रंक का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में वर्णित शर्त आवेदक द्वारा सिद्ध कर दी गई है, तब वह प्रथम वर्णित पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, अनुदत्त करते हुए आदेश दे सकेगा तथा अन्य पेटेन्ट के अधीन वैसा ही आदेश यदि प्रथम वर्णित पेटेन्ट के स्वत्वधारी या उसके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रार्थना की गई हो, तो दे सकेगा ।

(4) धाराओं 92 और 110 के उपबन्ध इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्तियों को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे धारा 84 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्तियों को लागू होते हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना पर वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के लिए विशेष उपबन्ध ।

97. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का किसी प्रवर्तनशील पेटेन्ट या पेटेन्टों के वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में यह आवश्यक या समीचीन है कि उनके मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् किसी समय वैवश्यक अनुज्ञप्तियां आविष्कार या आविष्कारों के क्रियान्वयन के लिए अनुदत्त की जानी चाहिएं तो वह शासकीय राजपत्र में उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगी और तदुपरि निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(i) अधिसूचना के पश्चात् किसी भी समय किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर नियंत्रक आवेदन को पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति ऐसे निबन्धनों पर, जैसे वह ठीक समझे, अनुदत्त करेगा ;

(ii) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के निबन्धनों को तय करने में, नियत्रंक इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पेटेन्ट के अधीन विनिर्मित वस्तुएं सर्वसाधारण को ऐसी निम्नतम कीमतों पर उपलम्य होंगी, जो पेटेन्टधारियों द्वारा उनके पेटेन्ट अधिकारों से युक्तियुक्त लाभ की व्युत्पत्ति से संगत हों ।

(2) धाराओं 92, 93, 94 और 95 के उपबन्ध इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान के बारे में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे धारा 84 के अधीन अनुज्ञप्तियों के, अनुदान के बारे में लाग होते हैं ।

अनुज्ञप्ति के लिए आदेश का प्रवर्तन सम्पृक्त पक्षकारों के बीच विलेख के रूप में होगा ।

98. इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए कोई आदेश इस तरह प्रवर्तित होगा, मानो वह पेटेन्टधारी और समस्त अन्य आवश्यक पक्षकारों द्वारा निसपादित ऐसा विलेख हो जिसमें नियंत्रक द्वारा तय किए गए निबन्धन और शर्तें, यदि कोई हों, सन्निविष्ट करने वाला अनुज्ञप्ति के अनुदान का विलेख हो ।

सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कारों का उपयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा आविष्कारों का अर्जन

सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कारों के उपयोग का अर्थ।

99. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आविष्कार के बारे में यह बात कि वह सरकार के प्रयोजनों के लिए उद्योग में लाया जाता है उस दशा में कही जाती है, जिसमें वह केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम के प्रयोजनों के लिए बनाया, उपयोग में लाया, प्रयोग में लाया या बेचा जाता है**** ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अनुदत्त किए गए किसी पेटेन्ट के अन्तर्गत आने वाली किसी मशीन, उपकरण अथवा अन्य वस्तु के किसी आविष्कार का सरकार द्वारा या उसकी ओर से, केवल उसके अपने उपयोग के प्रयोजनार्थ, आयात; और

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अनुदत्त किए गए किसी पेटेन्ट के अन्तर्गत आने वाली किसी ओषधि या औषधि के किसी आविष्कार का सरकार द्वारा या उसकी ओर से,—

(i) केवल उसके अपने उपयोग के प्रयोजनार्थ; अथवा

(ii) सरकार द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित किसी औषधालय, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था में या किसी ऐसे अन्य औषधालय, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था में जो केन्द्रीय सरकार उस लोक सेवा का ध्यान रखते हुए जो ऐसा औषधालय, अस्पताल या चिकित्सीय संस्था संपन्न करती हो, इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, वितरण के प्रयोजनार्थ आयात इस अध्याय के प्रयोजनार्थ सरकार के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आविष्कार का उपयोग समझा जाएगा।

(3) इस अध्याय में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी मशीन, उपकरण या अन्य वस्तु के ऐसे आयात, बनाए जाने या उपयोग की या किसी प्रक्रिया के ऐसे उपयोग की या किसी ओषधि या औषधि के ऐसे आयात, उपयोग या वितरण की बाबत, जो धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से एक या अधिक के आधार पर किया जाए, लागू न होगी।

आविष्कार का सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

100. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि पेटेन्ट कार्यालय में पेटेन्ट के लिए आवेदन फाइल किए जाने के या पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति आविष्कार को सरकार के प्रयोजनों के लिए इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार उपयोग में ला सकेगा।

(2) जहां कि आविष्कार सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से पेटेन्टधारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे वह हक व्युत्पन्न करता है, प्रत्यक्षत. या परोक्षत: आविष्कार की संसूचना के परिणामस्वरूप किए जाने से अन्यथा, पूर्ण विनिर्देश के सुसंगत दावे की पूर्विकता तारीख के पूर्व, दस्तावेज में अभिलिखित कर लिया गया है या परख लिया गया है या परीक्षित कर लिया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उस आविष्कार का सरकार के प्रयोजनों के लिए, कोई उपयोग पेटेन्टधारी को कोई स्वामित्व या अन्य पारिश्रमिक दिए बिना किया जा सकेगा।

(3) यदि और जहां तक कि आविष्कार यथापूर्वोक्त रूप से न तो अभिलिखित किया गया है, न परखा गया है और न परीक्षित किया गया है, तो और वहां तक आविष्कार का ऐसा कोई उपयोग जो पेटेन्ट की बाबत पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के पश्चात् किसी समय या यथापूर्वोक्त किसी ऐसी संसूचना के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए, ऐसे निबन्धनों पर किया जाएगा, जिन पर उपयोग के पूर्व या पश्चात् केन्द्रीय सरकार के या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के और पेटेन्टधारी के बीच करार हुआ हो अथवा जो करार न होने की दशा में धारा 103 के अधीन निर्देश पर उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएं।

परन्तु यह कि किसी ओषधि या औषधि या खाद्य-वस्तु की बाबत किसी पेटेन्ट के किसी ऐसे उपयोग की दशा में स्वामिस्व और अन्य पारिश्रमिक किसी भी दशा में, ऐसी रीति से अवधारित, जो विहित की जाए, पेटेंटकृत वस्तु की शुद्ध कारखाना द्वारे पुर्जे विक्रय कीमत के (जिसमें से तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्गृहीत करों और किन्हीं देय कमीशनों को अपवर्जित किया जाएगा) पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(4) आविष्कार की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन प्राधिकरण पेटेन्ट के अनुदत्त किए जाने के या तो पूर्व या पश्चात् और उन कार्यों के, जिनकी बाबत ऐसा प्राधिकरण दिया गया है, किए जाने के या तो पूर्व या पश्चात्, दिया जा सकेगा, तथा किसी व्यक्ति को, चाहे वह आविष्कार को बनाने, उपयोग में लाने, प्रयोग में लाने या बेचने के लिए या ऐसे पेटेन्ट के अन्तर्गत आने वाली किसी मशीन, उपकरण या अन्य वस्तु के आयात के लिए आवेदक या पेटेन्टधारी द्वारा प्रत्यक्षत: या परोक्षत: प्राधिकृत हो या नहीं, दिया जा सकेगा।

(5) जहां कि इस धारा के अधीन सरकार के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार से आविष्कार उपयोग में लाया गया है, वहां जब तक कि सरकार को यह प्रतीत न हो कि ऐसा करना लोक हित के प्रतिकूल होगा, सरकार यथासाध्यशीघ्र पेटेन्टधारी को वह

तथ्य अधिसूचित करेगी और उसको आविष्कार के उपयोग में लाने के विस्तार के बारे में ऐसी जानकारी देगी जिसकी वह समय-समय पर युक्ति-युक्त रूप से अपेक्षा करे; और जहां कि आविष्कार सरकारी उपक्रम**** के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे उपक्रम से ऐसी सूचना मांग सकेगी जैसी इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(6) उपधारा (1) के अधीन सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कार के बनाने, उपयोग में लाने, प्रयोग में लाने या बेचने के अधिकार के अन्तर्गत उस माल को बेचने का अधिकार आता है, जो उस अधिकार के प्रयोग में बनाया गया है, और ऐसे बेचे गए माल के क्रेता को और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को माल को इस प्रकार बरतने की शक्ति होगी, मानो केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति आविष्कार का पेटेन्टधारी हो।

(7) जहां कि ऐसे पेटेन्ट की बाबत, जो इस धारा के अधीन प्राधिकरण का विषय रहा है, कोई ऐसा अनन्य अनुज्ञप्तिधारी है, जैसा धारा 101 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, या जहां कि ऐसे पेटेन्ट का पेटेन्टधारी को समनुदेशन उन स्वामिस्वों और अन्य फ़ायदों के प्रतिफलस्वरूप, जो आविष्कार के उपयोग के प्रति निर्देश द्वारा अवधारित किए गए हैं, (और जिनके अन्तर्गत निम्नतम स्वामिस्व के तौर के संदाय आते हैं) वहां उपधारा (5) के अधीन दिए जाने के लिए निर्दिष्ट सूचना, यथास्थिति, ऐसे अनन्य अनुज्ञप्तिधारी या समनुदेशक को भी दी जाएगी और उपधारा (3) में पेटेन्टधारी के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे समनुदेशक या अनन्य अनुज्ञप्तिधारी के प्रति निर्देश आता है, यह समझा जाएगा।

सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कार के उपयोग की बाबत पर-व्यक्तियों के अधिकार।

101. (1) (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा या धारा 100 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; अथवा

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार पेटेन्टधारी या पेटेन्ट के लिए आवेदक द्वारा;

सरकार के प्रयोजनों के लिए पेटेन्टकृत आविष्कार के, या ऐसे आविष्कार के जिसकी बाबत पेटेन्ट के लिए आवेदन लम्बित है, किसी उपयोग की बाबत पेटेन्टधारी या पेटेन्ट के लिए आवेदक (या किसी व्यक्ति के जो उससे हक व्युत्पन्न करता है या जिससे वह हक़ व्युत्पन्न करता है) के और केन्द्रीय सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति के बीच किसी अनुज्ञप्ति, समनुदेशन या करार के उपबन्धों का, चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व चाहे पश्चात् अनुदत्त किया गया हो, वहां तक कोई प्रभाव न होगा जहां तक कि वे उपबन्ध---

(i) आविष्कार के या उससे सम्बन्धित किसी प्रतिमान, दस्तावेज या सूचना के उपयोग को सरकार के प्रयोजनों के लिए निर्बन्धित या विनियमित करते हैं; अथवा

(ii) आविष्कार के या उससे सम्बन्धित प्रतिमान दस्तावेज या जानकारी के ऐसे उपयोग की बाबत जो सरकार के प्रयोजनों के लिए किया गया है संदाय (जिनके अन्तर्गत निम्नतम स्वामिस्व के तौर के संदाय आते हैं) करने के लिए उपबन्ध करते हैं;

तथा सरकार के प्रयोजनों के लिए उक्त उपयोग के संसंग में किसी प्रतिमान या दस्तावेज के पुनरुत्पादन या प्रकाशन के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह प्रतिमान या दस्तावेज में अस्तित्वशील किसी प्रतिलिप्यधिकारी का अतिलंघन करता है।

(2) जहां कि पेटेन्ट का या पेटेन्ट के लिए आवेदन करने या उसको अभिप्राप्त करने के अधिकार का पेटेन्टधारी को समनुदेशन उन स्वामिस्वों या अन्य फ़ायदों के (जिनके अन्तर्गत निम्नतम स्वामिस्व के तौर के संदाय आते हैं) प्रतिफलस्वरूप जो आविष्कार के उपयोग के प्रति निर्देश से अवधारित किए गए हैं, किया गया है वहां आविष्कार के किसी ऐसे उपयोग के सम्बन्ध में, जो पेटेन्टधारी द्वारा सरकार के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार किया गया है, धारा 100 की उपधारा (3) ऐसे प्रभावी होगी, मानो वह उपयोग उस धारा के अधीन दिए गए प्राधिकार के आधार पर किया गया था; और उस धारा की उपधारा (3) के आधार पर सरकार के प्रयोजनों के लिए आविष्कार का कोई उपयोग ऐसे प्रभावी होगा, मानो पेटेन्टधारी के प्रति निर्देश के अन्तर्गत पेटेन्ट के समनुदेशक के प्रति निर्देश आता है, तथा उस उपधारा के आधार पर देय कोई राशि पेटेन्टधारी और समनुदेशक के बीच ऐसे अनुदत्त में विभाजित की जाएगी जिसका उनके बीच करार हो जाए या करार न होने की दशा में, जो धारा 103 के अधीन निर्देश पर उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) जहां कि धारा 100 की उपधारा (3) के आधार पर आविष्कार के सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा या उस धारा की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा संदाय किए जाने अपेक्षित हैं और जहां कि ऐसे पेटेन्ट की बाबत कोई ऐसा अनन्य अनुज्ञप्तिधारी है, जो आष्किार का सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग अपनी अनुज्ञप्ति के अधीन करने के लिए प्राधिकृत है, वहां ऐसी राशि पेटेन्टधारी और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे अनुपातों में, यदि कोई हों, बांट ली जाएगी जिनका उनके बीच करार हो जाए या करार न होने की दशा में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा—

(क) उक्त आविष्कार का विकास करने में; अथवा

(ख) आविष्कार के उपयोग के प्रति निर्देश से अवधारित स्वामिस्वों या अन्य फ़ायदों से भिन्न संदाय जिनके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के प्रतिफलस्वरूप निम्नतम स्वामिस्व के तौर के संदाय आते हैं, पेटेन्ट-धारियों को करने में,

उपगत किसी व्यय को ध्यान में रखते हुए, उस निर्देश पर जो धारा 103 के अधीन किया गया हो, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायासंगत अवधारित किए जाएं।

आविष्कारों और पेटेन्टों का केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जन।

102. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि यह आवश्यक है कि जो आष्किार पेटेन्ट के लिए आवेदन का विषय है उस आविष्कार का या पेटेन्ट का अर्जन आवेदक से या पेटेन्टधारी से लोक प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए, तो वह उस प्रभाव की अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर सकेगी और तदुपरि वह आविष्कार या पेटेन्ट या उस आविष्कार या पेटेन्ट की बाबत समस्त अधिकार इस धारा के बल से केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

(2) अर्जन की सूचना आवेदक को और जहां कि पेटेन्ट अनुदत्त कर दिया गया है, वहां पेटेन्टधारी को और अन्य व्यक्तियों को, यदि कोई हों, जो पेटेन्ट में हित रखने वालों के रूप में रजिस्टर में अंकित हैं, दी जाएगी।

(3) केन्द्रीय सरकार आवेदक को या, यथास्थिति, पेटेन्टधारी और अन्य व्यक्तियों को, जो पेटेन्ट में हित रखने वालों के रूप में रजिस्टर में अंकित हैं, उतना प्रतिकर देगी जिसका केन्द्रीय सरकार और आवेदक या पेटेन्टधारी और अन्य व्यक्तियों के बीच करार हो जाए, या करार न होने की दशा में जितना आविष्कार के संसंग में उपगत व्यय को और पेटेन्ट की दशा में उसकी अवधि को, उस कालावधि को, जिसके दौरान और उस रीति को, जिससे वह पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है (इसके अन्तर्गत ऐसी कालावधि के दौरान पेटेन्टधारी द्वारा या उसके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे वह अनन्य हो या अन्य प्रकार का हो, उठाए गए लाभ आते हैं) और अन्य सुसंगत कारणों को ध्यान में रखते हुए उस निर्देश पर, जो धारा 103 के अधीन किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायसंगत अवधारित किया जाए।

सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग के बारे में विवादों का उच्च न्यायालय को निर्देश।

103. (1) धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग के बारे में या तदधीन आविष्कार का सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने विषयक निबन्धनों के बारे में, या उस धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में किए गए संदाय के किसी भाग को प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के अधिकार के बारे में, या धारा 102 के अधीन आविष्कार या पेटेन्ट के अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम के बारे में के किसी विवाद को उस विवाद के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उच्च न्यायालय को ऐसी रीति से निर्देशित किया जा सकेगा, जैसी उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) इस धारा के अधीन की ऐसी किसी कार्यवाही में, जिसमें केन्द्रीय सरकार पक्षकार है, केन्द्रीय सरकार—

(क) उस दशा में जिसमें पेटेन्टधारी कार्यवाहियों में पक्षकार है किसी ऐसे आधार पर, जिस पर धारा 64 के अधीन पेटेन्ट प्रतिसंहृत किया जा सकता हो, पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए अर्जी प्रतिदावे के तौर पर दे सकेगी; तथा

(ख) चाहे पेटेन्टधारी कार्यवाहियों में पक्षकार हो चाहे न हो, पेटेन्ट की विधिमान्यता को, उस पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए अर्जी दिए बिना, विवाद्य कर सकेगी।

(3) यदि यथापूर्वोक्त कार्यवाहियों में ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि आविष्कार धारा 100 में यथावर्णित रूप से अभिलिखित हो गया है, परखा जा चुका है या परीक्षित हो गया है या नहीं तथा आविष्कार विषयक किसी दस्तावेज के या उसकी परख या उसके परीक्षण के किसी साक्ष्य के प्रकटन का केन्द्रीय सरकार की राय में लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो प्रकटन अन्य पक्षकार के अभिवक्ता को या किसी ऐसे स्वतन्त्र विशेषज्ञ को जिसके बारे में परस्पर करार हो जाए गोपनीय ढंग से किया जा सकेगा।

(4) आविष्कार का उपयोग सरकार के प्रयोजनों के लिए करने के लिए निबन्धनों के बारे में केन्द्रीय सरकार और किसी व्यक्ति के बीच के किसी विवाद का अवधारण इस धारा के अधीन करने में, उच्च न्यायालय ऐसे किसी फ़ायदे या प्रतिकर को ध्यान में रखेगा, जो वह व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हक व्युत्पन्न करता है, प्रश्नास्पद आविष्कार का सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की बाबत प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है।

(5) इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही में, उच्च न्यायालय सम्पूर्ण कार्यवाही या उसमें उद्भूत कोई प्रश्न या तथ्य का विवाद्यक सरकारी निर्देशिती, आयुक्त या मध्यस्थ को निर्दिष्ट किए जाने के लिए किसी समय ऐसे निबन्धनों पर, जैसे उच्च न्यायालय निदिष्ट करे, आदेश दे सकेगा और इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(6) जहां कि पेटेन्ट में दावाकृत आविष्कार ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो उस समय, जब वह किया गया था, केन्द्रीय सरकार की या राज्य सरकार की सेवा में था या सरकारी उपक्रम का कर्मचारी था और आविष्कार की विषय-वस्तु के बारे में सुसंगत सरकार द्वारा या सरकारी उपक्रम के प्रधान आफ़िसर द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि वह उस कार्य से संसक्त है, जो सरकारी सेवक या सरकारी उपक्रम के कर्मचारी के प्रसामान्य कर्तव्यों के अनुक्रम में किया जाता है, वहां इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, आविष्कार से सम्बन्धित उपधारा (1)

में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी विवाद का निपटारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के उपबन्ध के अनुरूप, जहां तक वह लागू किए जा सकें, किया जाएगा, किन्तु ऐसा करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार पेटेन्टधारी और ऐसे अन्य पक्षकारों को, जिनको वह मामले में हित रखने वाले समझती है, सुनवाई का अवसर देगी।

अध्याय 18

पेटेन्टों के अतिलंघन से सम्पृक्त वाद

अधिकारिता।

104. धारा 105 के अधीन कोई घोषणा करने के या धारा 106 के अधीन किसी अनुतोष के लिए या पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए कोई वाद उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय से अवर किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा;

परन्तु जहां कि पेटेन्ट के प्रतिसंहरण का कोई प्रतिदावा प्रतिवादी द्वारा किया जाता है वहां प्रतिदावे सहित वह वाद विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दिया जाएगा :

अतिलंघन के बारे में घोषणा करने की न्यायालय की शक्ति।

1963 का 47

105. (1) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति इस बात की घोषणा के लिए कि किसी प्रक्रिया का उसके द्वारा उपयोग, या किसी वस्तु का उसके द्वारा बनाना, उपयोग करना या बेचना पेटेन्ट के दावे का अतिलंघन गठित नहीं करता है या नहीं करेगा, पेटेन्टधारी या पेटेन्ट के अधीन अनन्य अनुज्ञप्ति के धारक के विरुद्ध वाद इस बात के होते हुए भी कि पेटेन्टधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई तत्प्रतिकूल प्राख्यान नहीं किया गया है, उस दशा में संस्थित कर सकेगा, जिसमें यह दर्शित हो—

(क) कि वादी ने पेटेन्टधारी या अनन्य अनुज्ञप्तिधारी से दावाकृत घोषणा के प्रभाव की लिखित अभिस्वीकृति के लिए लिखित आवेदन किया है और उसको प्रश्नास्पद प्रक्रिया या वस्तु की पूर्ण विशिष्टियां लिखित रूप में दे दी है; तथा

(ख) कि अनुज्ञप्तिधारी या पेटेन्टधारी ने ऐसी अभिस्वीकृति दे देने से इन्कार कर दिया है या देने में उपेक्षा की है।

(2) घोषणा के लिए वाद में जो इस धारा के आधार पर लाया गया है सब पक्षकारों के खर्च, जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से अन्यथा आदेश देना ठीक न समझे, वादी द्वारा दिए जाएंगे।

(3) पेटेन्ट के विनिर्देश के दावे की विधिमान्यता पर, घोषणा के लिए वाद में जो इस धारा के आधार पर लाया गया हो, आक्षेप नहीं किया जाएगा और तदनुसार पेटेन्ट के मामले में ऐसी घोषणा के करने या

उसके करने से इन्कार करने के बारे में यह न समझा जाएगा कि उनसे यह विवक्षित है कि पेटेन्ट विधिमान्य या अविधिमान्य है।

(4) घोषणा के लिए वाद इस धारा के आधार पर पेटेन्ट के पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख के पश्चात् किसी समय लाया जा सकेगा और इस धारा में पेटेन्टधारी के प्रति निर्देशों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

अतिलंघन कार्यवाहियों की निराधार धमकियों के मामलों में अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति।

106. (1) जहां कि कोई व्यक्ति (चाहे वह पेटेन्ट में या पेटेन्ट के लिए आवेदन में हकदार या हितवद्ध हो या नहीं), किसी अन्य व्यक्ति को, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को सम्बोधित परिपत्रों या विज्ञापनों द्वारा या मौखिक या लिखित संसूचनाओं द्वारा, पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए कार्यवाहियों की धमकी देता है, वहां तद्द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना करते हुए वाद ला सकेगा, अर्थात्—

(क) इस प्रभाव की घोषणा कि धमकियां न्यायसंगत नहीं हैं;

(ख) धमकियों के बने रहने के विरुद्ध व्यादेश; तथा

(ग) ऐसी नुकसानी, यदि कोई हो, जैसी तद्द्वारा उसने उठाई है।

(2) जब तक कि ऐसे वाद में प्रतिवादी यह साबित नहीं करता है कि वे कार्य जिनकी बाबत कार्यवाहियों की धमकी दी गई थी, पेटेन्ट का या ऐसे अधिकारों का, जो विनिदश के ऐसे दावे की बाबत, जिसे वादी ने अविधिमान्य नहीं दिखाया है, पूर्ण विनिर्देश के प्रकाशन से उद्भूत हों, अतिलंघन गठित करते हैं या यदि किए गए तो गठित करेंगे न्यायालय वादी को उन सब अनुतोषों का या उनमें से किसी का अनुदान कर सकेगा, जिनके लिए प्रार्थना की गई है।

स्पष्टीकरण—पेटेन्ट के अस्तित्व की अधिसूचना मात्र इस धारा के अर्थ में कार्यवाही की धमकी गठित नहीं करती है।

अतिलंघन के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं, आदि।

107. (1) पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी वाद में हर ऐसा आधार जिस पर वह धारा 64 के अधीन प्रतिसंहृत किया जा सकता है, प्रतिरक्षा के आधार के तौर पर उपलभ्य होगा।

(2) किसी मशीन, उपकरण या अन्य वस्तु को बनाकर, उसका उपयोग करके या उसका आयात करके या किसी प्रक्रिया का उपयोग करके या किसी ओषधि या औषधि का आयात, उपयोग, या वितरण करके किसी पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी वाद में यह प्रतिरक्षा का आधार होगा कि ऐसा बनाना, उपयोग करना, आयात या वितरण धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक या अधिक के अनुसार है।

(3) धारा 5 में निर्दिष्ट पदार्थ के विनिर्माण के ढंग या प्रक्रिया की बाबत अनुदत्त पेटेन्ट के अतिलंघन के किसी वाद में किसी भी ऐसे पदार्थ के बारे में, जो उसी रासायनिक संघटन या गठन का हो जैसा कि प्रथम

वर्णित पदार्थ है, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह पूर्वोक्त पेटेन्टकृत ढंग या प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है।

अतिलंघन के लिए वादों में अनुतोष।

108. अतिलंघन के लिए किसी वाद में जो अनुतोष न्यायालय द्वारा अनुदत्त किए जा सकेंगे, उनके अन्तर्गत (ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जैसे न्यायालय ठीक समझे) व्यादेश और वादी के विकल्प पर या तो नुकसानी या लाभों का लेखा हो सकेगा।

अतिलंघन के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनन्य अनुज्ञप्तिधारी का अधिकार।

109 (1) अनन्य अनुज्ञप्तिधारक को, पेटेन्ट के ऐसे किसी अतिलंघन के बारे में, जो अनुज्ञप्ति की तारीख के पश्चात् किया गया है, वाद संस्थित करने का वही अधिकार होगा, जो पेटेन्टधारी का होता है तथा किसी ऐसे वाद में नुकसानी अधिनिर्णीत करने में या लाभों के लेखा में या किसी अन्य अनुतोष का अनुदान करने में, न्यायालय यथास्थिति, किसी ऐसी हानि को, जो अनन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस हैसियत में सहन की गई है या सहन करना सम्भाव्य हो, अथवा उन लाभों को जो अतिलंघन के कारण उपार्जित हुए हैं, वहां तक जहां तक कि वह अनन्य अनुज्ञप्तिधारी के उस हैसियत में अधिकारों का अतिलंघन गठित करता है, विचार में लेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनन्य अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी वाद में, पेटेन्टधारी, यदि वह वादी के रूप में सम्मिलित नहीं हुआ है तो प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाएगा, किन्तु जब तक कि प्रतिवादी के रूप में ऐसे जोड़ा गया पेटेन्टधारी उपसंजात न हो और कार्यवाहियों में भाग न ले, वह किसी खर्चे के लिए दायी न होगा।

अतिलंघन के विरुद्ध कार्यवहियां करने का अनुज्ञप्तिधारी का धारा 84 के अधीन अधिकार।

110. जिस व्यक्ति को धारा 84 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, वह पेटेन्टधारी से यह मांग करने का हकदार होगा कि वह पेटेन्ट के किसी अतिलंघन के निवारण के लिए कार्यवाहियां करे और ऐसे मांग किए जाने के पश्चात् दो मास के भीतर यदि पेटेन्टधारी ऐसा करने से इन्कार करता है या ऐसा करने में उपेक्षा करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के नाम में अतिलंघन के लिए कार्यवाहियां पेन्टेटधारी को प्रतिवादी बनाकर ऐसे संस्थित कर सकेगा, मानो वह पेटेन्टधारी हो, किन्तु जब तक कि प्रतिवादी के रूप में ऐसे जोड़ा गया पेटेन्टधारी उपसंजात न हो और कार्यवाहियों में भाग न ले, वह किसी खर्चे के लिए दायी न होगा।

अतिलंघन के लिए नुकसानी या लाभों का लेखा मंजूर करने की न्यायालय की शक्ति पर निर्बन्धन।

111. (1) पेटेन्ट के अतिलंघन के वाद में नुकसानी या लाभों का लेखा ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध मंजूर नहीं किया जाएगा जो साबित कर देता है कि अतिलंघन की तारीख को वह इस बात से न परिचित था और न यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण ही रखता था कि पेटेन्ट अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण—केवल "पेटेन्ट", "पेटेन्टकृत" शब्द या ऐसे कोई शब्द या शब्दावली जिनसे यह अभिव्यक्त या विवक्षित होता है कि उस वस्तु के लिए पेटेन्ट अभिप्राप्त कर लिया गया है, किसी वस्तु पर लगे होने के कारण ही किसी व्यक्ति के बारे में यह बात तब के सिवाय जब कि

पेटेन्ट की संख्या के साथ-साथ प्रश्नास्पद शब्द या शब्दावली भी है, न समझी जाएगी कि वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह पेटेन्ट अस्तित्वशील है।

(2) पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी वाद में, न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, विहित कालावधि के भीतर किसी नवीकरण-फीस के देने में असफलता के पश्चात् और उस कालावधि के किसी विस्तारण के पूर्व किए गए किसी अतिलंघन की बाबत कोई नुकसानी या लाभों का लेखा मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) जहां कि विनिर्देश के प्रकाशन के पश्चात्, दावात्याग, शुद्धि या स्पष्टीकरण के तौर पर विनिर्देश का संशोधन इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात किया गया है, वहां किसी कार्यवाही में संशोधन को अनुज्ञात करने वाले विनिश्चय की तारीख से पूर्व आविष्कार के उपयोग की बाबत कोई नुकसानी या लाभों का लेखा तब के सिवाए मंजूर नहीं किया जाएगा, जब कि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यथामूलतः प्रकाशित विनिर्देश सद्भावपूर्वक तथा युक्तियुक्त कौशल और ज्ञान के साथ विरचित किया गया था।

(4) इस धारा की कोई बात पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी वाद में व्यादेश अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

कतिपय मामलों में व्यादेश अनुदत्त करने का न्यायालय की शक्ति पर निर्बन्धन।

112. "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित समझे गए पेटेन्ट के (अन्य देशों से पेटेन्टकृत वस्तु के आयात से अन्यथा) अतिलंघन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में, यदि अतिलंघन करने वाला प्रतिवादी धारा 88 में यथा उपबन्धित अनुज्ञप्ति ऐसे निबन्धनों पर, जो नियन्त्रक द्वारा स्थिर किए जाएंगे, लेने को तैयार है, तो उसके विरुद्ध कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा और नुकसानी के तौर पर उसके विरुद्ध वसूलीय रकम (यदि कोई हो) उस रकम की दुगनी से अधिक न होगी, जो उसके विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वसूलीय होती, यदि ऐसी अनुज्ञप्ति सर्वप्रथम अतिलंघन के पूर्व अनुदत्त की गई होती।

विनिर्देश की विधिमान्यता का प्रमाणपत्र और उसके अतिलंघन के लिए पश्चात्वर्ती वादों के खर्चे।

113. (1) धारा 64 के अधीन पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही में, यदि विनिर्देश के किसी दावे की विधिमान्यता का प्रतिवाद किया जाता है और वह दावा न्यायालय द्वारा विधिमान्य पाया जाता है तो, न्यायालय यह प्रमाणित कर सकेगा कि उस दावे की विधिमान्यता उन कार्यवाहियों में प्रतिवादित की गई थी और पुष्ट कर दी गई थी।

(2) जहां कि कोई ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, वहां पेटेन्ट के उस दावे के अतिलंघन के लिए न्यायालय के समक्ष किसी पश्चात्वर्ती वाद में या पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए किसी पश्चात्वर्ती कार्यवाही में, वहां तक, जहां तक वह उस दावे से सम्बन्धित है, यदि पेटेन्टधारी या

दावे की विधिमान्यता पर निर्भर करने वाला अन्य व्यक्ति अपने पक्ष में अन्तिम आदेश या निर्णय अभिप्राप्त कर लेता है, तो वह किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के या उससे आनुषंगिक अपने उन सब खर्चों, प्रभारों और व्ययों के जो उचित रीति से उपगत किए गए हों, संदाय के लिए आदेश का हकदार वहां तक होगा, जहां तक कि वे उस दावे से संसक्त हैं जिसके बारे में प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, जब तक कि वाद या कार्यवाही का विचारण करने वाला न्यायालय अन्यथा निदेश न दे :

परन्तु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट खर्चों का आदेश तब नहीं दिया जाएगा, जब दावे की विधिमान्यता का प्रतिवाद करने वाला पक्षकार न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि वह उस समय, जबकि उसने वह प्रतिवाद किया था, प्रमाणपत्र के अनुदान से परिचित नहीं था तथा जैसे ही उसे प्रमाणपत्र का परिचय मिला उसने ऐसी प्रतिरक्षा का तुरन्त प्रत्याहरण कर लिया था।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ यह न लगाया जाएगा कि वह अतिलंघन के वादों या प्रतिसंहरण की अर्जियों में की डिक्रियों या आदेशों से अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय को इस धारा में निर्दिष्ट माप-मान पर खर्चों के लिए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

भागतः विधिमान्य विनिर्देश के अतिलंघन के लिए अनुतोष।

114. (1) यदि पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए कार्यवाहियों में यह पाया जाता है कि विनिर्देश का कोई दावा, जो ऐसा दावा है जिसके बारे में अतिलंघन अभिकथित है, विधिमान्य है, परन्तु कोई अन्य दावा अविधिमान्य है, तो न्यायालय ऐसे किसी विधिमान्य दावे की बाबत, जिसका अतिलंघन किया गया है, अनुतोष अनुदत्त कर सकेगा :

परन्तु न्यायालय उपधारा (2) में वर्णित परिस्थितियों को छोड़कर व्यादेश के सिवाय कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं करेगा :

(2) जहां कि वादी साबित कर देता है कि अविधिमान्य दावा सद्भावपूर्वक और युक्तियुक्त कौशल और ज्ञान के साथ विरचित किया गया था, वहां न्यायालय ऐसे किसी विधिमान्य दावे की बाबत जिसका अतिलंघन किया गया है, अनुतोष, खर्चों के बारे में और उस तारीख के बारे में जिससे नुकसानी या लाभों का लेखा संगणित किया जाना चाहिए, अपने विवेकाधिकार के अधीन मंजूर कर सकेगा तथा ऐसे विवेकाधिकार के प्रयोग में न्यायालय पक्षकारों का वह आचरण ध्यान में रखेगा जो विनिर्देश में ऐसे अविधिमान्य दावों को अन्तःस्थापित करने के विषय में या उनको वहां बने रहने देने के विषय में उनका रहा है।

वैज्ञानिक सलाहकार।

115. (1) अतिलंघन के किसी ऐसे वाद में या किसी ऐसी कार्यवाही में जो न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अधीन हो रही है, न्यायालय किसी समय, और चाहे उस प्रयोजन के लिए किसी पक्षकार ने आवेदन किया हो या नहीं, एक स्वतन्त्र वैज्ञानिक सलाहकार इस बात के

लिए नियुक्त कर सकेगा कि वह न्यायालय की सहायता करे अथवा किसी तथ्य या राय विषयक किसी ऐसे प्रश्न की (जिसमें विधि का प्रश्न या निर्वचन अन्तर्वलित नहीं है) जिसे वह तदर्थ सूचित करे, जांच करे और अपनी रिपोर्ट उस पर दे।

(2) वैज्ञानिक सलाहकार का पारिश्रमिक न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाएगा और उसके अन्तर्गत रिपोर्ट देने के खर्चे और ऐसे किसी दिन के लिए उचित दैनिक फीस, जिसको वैज्ञानिक सलहाकार न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए अपेक्षित किया जाए, होंगे और ऐसा पारिश्रमिक संसद् द्वारा विधि द्वारा तदर्थ उपबन्धित धन से चुकता किया जाएगा।

अध्याय 19

अपीलें

अपील।

116. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए या निकाले गए किसी विनिश्चय, आदेश या निदेश से अथवा किसी ऐसे विनिश्चय, आदेश या निदेश को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए नियन्त्रक के किसी कार्य या आदेश से कोई अपील न होगी।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबन्धित के सिवाय, निम्नलिखित उपबन्धों में से किसी के अधीन नियन्त्रक के किसी विनिश्चय, आदेश या निदेश से उच्च न्यायालय में अपील होगी, अर्थात्—

धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 25, धारा 27, धारा 28, धारा 51, धारा 54, धारा 57, धारा 60, धारा 61, धारा 63, धारा 69 की उपधारा (3), धारा 78, धारा 84, धारा 86, धारा 88(3), धारा 89, धारा 93, धारा 96 और धारा 97।

(3) इस धारा के अधीन हर अपील लिखित रूप में होगी और यथास्थिति नियन्त्रक के विनिश्चय, आदेश या निदेश की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा उच्च न्यायालय धारा 158 के अधीन अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अनुज्ञात करे, होगी।

अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया।

117. (1) धारा 116 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष की हर अपील अर्जी द्वारा होगी और ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी प्रविष्टियां होंगी जैसी उच्च न्यायालय द्वारा धारा 158 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) हर ऐसी अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी :

परन्तु कोई ऐसा न्यायाधीश, यदि वह ऐसा ठीक समझे, अपील को कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को निर्देशित कर सकेगा।

(3) ऐसी हर अपील की सुनवाई यथासंभव शीघ्रता के साथ की जाएगी और अपील को उस तारीख से, जिसको वह फाइल की गई थी, बारह मास की कालावधि के भीतर विनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

अध्याय 20

शास्तियां

कतिपय आविष्कारों से संबंधित गोपनीयता उपबन्धों का उल्लंघन।

118. यदि कोई व्यक्ति धारा 35 के अधीन दिए गए किसी निदेश के अनुपालन में असफल रहेगा, या धारा 39 का उल्लंघन कर पेटेन्ट के अनुदान के लिए आवेदन करेगा या कराएगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

रजिस्टर इत्यादि में प्रविष्टियों का मिथ्याकरण।

119. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रखे गए किसी रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि, या ऐसा कोई लेख जिसका ऐसे रजिस्टर में की प्रविष्टि की प्रति होना मिथ्या रूप से तात्पर्यित है, करेगा या करवाएगा या किसी ऐसे लेख को यह जानते हुए कि प्रविष्टि या लेख मिथ्या है, साक्ष्य में पेश करेगा, या निवेदित करेगा, या पेश या निवेदित कराएगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

पेटेन्ट अधिकारों का अप्राधिकृत दावा।

120. यदि कोई मिथ्या रूप से यह व्यपदेश करेगा कि उसके द्वारा बेची गई कोई वस्तु भारत में पेटेन्टकृत है, या भारत में पेटेन्ट के लिए आवेदन का विषय है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह बात—

(क) कि वस्तु भारत में पेटेन्टकृत है, उस दशा में समझी जाएगी, जिसमें कि उस वस्तु पर पेटेन्ट या पेटेन्टकृत शब्द, या कोई अन्य शब्द जिससे यह अभिव्यक्त या विवक्षित होता है कि उस वस्तु के लिए पेटेन्ट भारत में अभिप्राप्त कर लिया गया है, स्टाम्पित, उत्कीर्ण या विमुद्रित है, या उस पर अन्यथा लगा है;

(ख) कि वस्तु भारत में पेटेन्ट के लिए आवेदन का विषय है, उस दशा में समझी जाएगी जिसमें कि वस्तु पर 'पेटेन्ट आवेदित', 'पेटेन्ट लम्बित' या कुछ अन्य शब्द, जिनसे यह विवक्षित होता है कि वस्तु के लिए पेटेन्ट के लिए भारत में आवेदन कर दिया गया है, स्टाम्पित, उत्कीर्ण या विमुद्रित हैं या उस पर अन्यथा लगे हैं।

स्पष्टीकरण 2—"पेटेन्ट", "पेटेन्टकृत", "पेटेन्ट आवेदित", "पेटेन्ट लम्बित" शब्दों के या ऐसे अन्य शब्दों के उपयोग से यह अभिव्यक्त या विवक्षित होता है कि वस्तु पेटेन्टकृत है या पेटेन्ट के लिए आवेदन कर दिया गया है, यथास्थिति, भारत में प्रवर्तित पेटेन्ट या भारत में पेटेन्ट के लिए लम्बित आवेदन के प्रति निदेश तब के सिवाय समझा जाएगा जबकि साथ में ही यह उपदर्शित है कि भारत से बाहर के किसी देश में पेटेन्ट अभिप्राप्त कर लिया गया है या उसके लिए आवेदन कर दिया गया है।

'पेटेन्ट कार्यालय' शब्दों का सदोष उपयोग।

121. यदि कोई व्यक्ति अपने कारबार के स्थान पर या अपने द्वारा जारी की गई किसी दस्तावेज पर या अन्यत्र पेटेन्ट कार्यालय शब्द या किसी अन्य शब्द का, जो युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास पैदा करते हैं कि कारबार का उसका स्थान पेटेन्ट कार्यालय है या उससे शासकीय रूप से संसक्त है, उपयोग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

सूचना देने से इंकार करना या उसमें असफलता।

122. (1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी सूचना जिसे वह धारा 100 की उपधारा (5) के अधीन देने के लिए अपेक्षित है;

(ख) नियन्त्रक को ऐसी सूचना या कथन जिसे वह धारा 146 द्वारा या उसके अधीन देने के लिए अपेक्षित है;

देने से इन्कार करेगा या उसमें असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित होते हुए, ऐसी सूचना या कथन देगा जो मिथ्या है और जिसका या तो मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है अथवा सच्चा होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अरजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ताओं द्वारा वृत्ति।

123. यदि कोई व्यक्ति धारा 129 के उपबन्धों का अतिक्रमण करेगा तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध की दशा में पांच सौ रुपए तक और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में दो हजार रुपए तक का हो सकेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

124. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो कम्पनी तथा हर व्यक्ति, जो ऐसे अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के दायित्व के अधीन न करेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या आफिसर की सम्मत्ति या मौनानुकूलता से किया गया था या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए––

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 21

पेटेन्ट अभिकर्ता

पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्टर।

125. नियन्त्रक एक रजिस्टर रखेगा, जो पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्टर कहलाएगा, जिसमें उन सब व्यक्तियों के नाम और पते प्रविष्ट होंगे, जो धारा 126 के अधीन अपने नामों को ऐसे प्रविष्ट कराने के लिए अर्हित हों।

पेटेन्ट अभिकर्ताओं के तौर पर रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं।

126. (1) कोई व्यक्ति पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में अपने नाम को प्रविष्ट कराने के लिए उस दशा में अर्हित होगा जिसमें वह निम्नलिखित शर्तों को पूरी करता है, अर्थात्––

(क) वह भारत का नागरिक है;

(ख) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ग) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से कोई उपाधि प्राप्त कर ली है, या ऐसी अन्य समतुल्य अर्हताएं रखता है जैसी केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इसके अतिरिक्त,—

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ में अधिवक्ता है; अथवा 1961 का 25

(ii) उस प्रयोजन के लिए विहित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है;

अथवा

(घ) उसने ऐसी फीस दे दी है जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से पूर्व पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में वृत्ति करता रहा है और जिसने उक्त तारीख से पूर्व पांच से अन्यून पूर्ण विनिर्देश फाइल कर दिए हैं, विहित फीस के दिए जाने पर, पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए अर्हित होगा।

पेटेन्ट अभिकर्ताओं के अधिकार।

127. इस अधिनियम में और तदधीन बनाए गए किन्हीं अधिनियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हर एक पेटेन्ट अभिकर्ता, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, निम्नलिखित का हकदार होगा :—

(क) नियन्त्रक के समक्ष वृत्ति करना, तथा

(ख) इस अधिनियम के अधीन नियन्त्रक के समक्ष की किसी कार्यवाही के संसंग में सब दस्तावेजें तैयार करना, सब कामकाज और संव्यवहार करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसे विहित किए जाएं।

पेटेन्ट अभिकर्ताओं द्वारा कतिपय दस्तावेजें हस्ताक्षरित करना और सत्यापित करना।

128. (1) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अधीन नियन्त्रक को सब आवेदन और संसूचनाएं ऐसे पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जा सकेंगे, जो सम्पृक्त व्यक्ति द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत हो।

(2) निम्नलिखित दस्तावेजें, अर्थात्—

(i) पेटेन्टों के लिए आवेदन,

(ii) व्यपगत पेटेन्टों के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन,

(iii) पेटेन्टों के मुद्रांकित किए जाने के लिए उस समय के अवसान के पश्चात् आवेदन, जो धारा 43 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के द्वारा या के अधीन उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात हो,

(iv) संशोधन की इजाजत के लिए आवेदन,

(v) वैवश्यक अनुज्ञप्तियों के लिए या उसके प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, तथा

(vi) पेटेन्टों के अभ्यर्पण की सूचनाएं,

विहित रीति से उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएंगी, जिसने ऐसे आवेदन किए हैं या ऐसी सूचनाएं दी हैं ;

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति भारत से अनुपस्थित है तो वे उसके द्वारा उस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जा सकेंगी ।

पेटेन्ट अभिकर्ताओं के तौर पर वृत्ति करने पर निर्बन्धन ।

129. (1) कोई व्यक्ति या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी में, पेटेन्ट अभिकर्ता के तौर पर वृत्ति नहीं करेगा, अपने आपको वर्णित या प्रकटित नहीं करेगा या अपना ऐसे वर्णित या प्रकटित किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा, जब तक कि वह पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो या यथास्थिति, जब तक कि वह और उसके सब भागीदार ऐसे रजिस्ट्रीकृत न हों ।

(2) कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय पेटेन्ट अभिकर्ता के तौर पर वृत्ति नहीं करेगा, अपने आपको वर्णित या प्रकटित नहीं करेगा; या अपना ऐसे वर्णित या प्रकटित किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—पेटेन्ट अभिकर्त्ता के तौर पर वृत्ति के अन्तर्गत इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्यों में से कोई आता है, अर्थात्—

(क) भारत में या अन्यत्र पेटेन्टों के लिए आवेदन करना या उन्हें अभिप्राप्त करना ;

(ख) इस अधिनियम के या किसी अन्य देश की पेटेन्ट विधि के प्रयोजनों के लिए विनिर्देश या अन्य दस्तावेज़ें तैयार करना ;

(ग) पेटेन्टों की विधिमान्यता या उनके अतिलंघन के बारे में वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति की सलाह से भिन्न सलाह देना ।

रजिस्टर से पेटेन्ट अभिकर्ताओं का हटाया जाना और प्रत्यावर्तन ।

130. (1) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में तब हटा सकेगी जब कि उसका उस व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी करना वह उचित समझे, यह समाधान हो जाता है—

(i) कि उसका नाम रजिस्टर में गलती से या दुर्व्यपदेशन या तात्त्विक तथ्यों के छिपाने से प्रविष्ट हो गया है ;

(ii) कि वह किसी अपराध का सिद्धदोष हो चुका है और कारावास की किसी अवधि से दण्डित हो चुका है और अपनी वृत्तिक हैसियत में ऐसे अवचार का दोषी हो चुका है, जो केन्द्रीय सरकार की राय में उसे रजिस्टर में रखे जाने के लिए अयोग्य बनाती है ।

(2) रजिस्टर में से हटाए गए किसी व्यक्ति के नाम का केन्द्रीय सरकार आवेदन पर और पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर प्रत्यावर्तन कर सकेगी।

कतिपय अभिकर्ताओं से व्यौहार करने से इन्कार करने की नियंत्रक की शक्ति।

131. (1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन यह है कि नियंत्रक—

(क) किसी व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है;

(ख) किसी व्यष्टि को जो धारा 123 के अधीन अपराध का सिद्धदोष हो चुका है ;

(ग) पेटेन्ट अभिकर्ता के तौर पर न रजिस्ट्रीकृत हुए किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में नियंत्रक की राय है कि वह भारत में या अन्यत्र पेटेन्टों के लिए आवेदन उस व्यक्ति के नाम में या उसके निमित्त, जिसके द्वारा वह नियोजित है, करने में अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने में सम्पूर्णतः या मुख्यतः लगा हुआ है ;

(घ) किसी कम्पनी या फर्म को, उस दशा में जिसमें कि कोई व्यक्ति, जिसे नियंत्रक इस अधिनियम के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के तौर पर मान्यता देने से इन्कार कर सकता था, उस कम्पनी के निदेशक या प्रबन्धक की हैसियत में कार्य कर रहा है या फर्म में भागीदार है;

किसी कारबार की बाबत इस अधिनियम के अधीन अभिकर्त्ता के तौर पर मान्यता देने से इन्कार कर सकेगा ।

(2) किसी कारबार के बारे में अभिकर्ता के तौर पर इस अधिनियम के अधीन मान्यता देने से नियंत्रक किसी व्यक्ति को इन्कार कर सकेगा, जो भारत में न तो रहता है, न उसका वहां कारबार का स्थान है।

अभिकर्ताओं की हैसियत में कार्य करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के बारे में वृत्तियां।

132. इस अध्याय की कोई बात—

(क) पेटेन्ट के लिए आवेदक को, या किसी व्यक्ति को जो पेटेन्ट अभिकर्ता नहीं है और जो आवेदक द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत है, किसी विनिर्देश के प्रारूप बनाने से या नियंत्रक के समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने से ; अथवा

(ख) किसी अधिवक्ता को, जो पेटेन्ट अभिकर्ता नहीं है इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी विनिर्देश के प्रारूप बनाने से अन्यथा भाग लेने से

प्रतिषिद्ध करने वाली न समझी जाएगी ।

अध्याय 22

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं

अभिसमय देशों के बारे में अधिसूचना।

133. (1) भारत के बाहर के किसी ऐसे देश से, जो भारत में पेटेन्टों के लिए आवेदकों को या भारत के नागरिकों को वैसे ही विशेषाधिकार देता

है, जैसे उसके अपने नागरिकों को पेटेन्टों के अनुदान और पेटेन्ट अधिकारों के संरक्षण के बारे में अनुदत्त किए जाते हैं, संधि, अभिसमय या व्यवस्था को पूरा करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे देश का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिसमय देश होना घोषित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा इस अधिनियम के या तो सब उपबन्धों या उनमें से कुछ ही के प्रयोजनों के लिए की जा सकेगी और वह देश, जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों में से कुछ के प्रयोजनों के लिए ही की गई घोषणा प्रवर्तन में है, उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए ही अभिसमय देश समझा जाएगा ।

व्यतिकार के लिए उपबन्ध न करने वाले देशों के बारे में अधिसूचना ।

134. जहां कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई देश पेटेन्टों के अनुदान और पेटेन्ट अधिकारों के संरक्षण की बाबत भारत के नागरिकों को वही अधिकार नहीं देता है, जो वह अपने राष्ट्रिकों को देता है, वहां ऐसे देश का राष्ट्रिक अकेला या संयुक्ततः किसी अन्य व्यक्ति के साथ—

(क) पेटेन्ट के अनुदान के लिए आवेदन करने या पेटेन्ट के स्वत्वधारी के तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने का;

(ख) पेटेन्ट के स्वत्वधारी के समनुदेशिती के तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने का ; अथवा

(ग) इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त पेटेन्ट के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने का या उसे धारण करने का;

हक़दार न होगा ।

अभिसमय आवेदन ।

135. (1) धारा 6 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कि किसी व्यक्ति ने अभिसमय देश में आविष्कार की बाबत पेटेन्ट के लिए आवेदन (जिसे एतस्मिन्पश्चात् "मूल आवेदन" कहा गया है) किया है और वह व्यक्ति या उसका विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती उस तारीख से बारह मास के भीतर, जिसको मूल आवेदन किया गया था, पेटेन्ट के लिए इस अधिनियम के अधीन आवेदन करता है, वहां पूर्ण विनिर्देश के दावे की, जो मूल आवेदन में प्रकट किए गए मामले पर आधारित दावा है, पूर्विकता तारीख़ मूल आवेदन के करने की तारीख़ है ।

स्पष्टीकरण—जहां कि किसी आविष्कार की बाबत वैसे ही संरक्षण के लिए दो या अधिक अभिसमय देशों में आवेदन किए गए हैं, वहां इस उपधारा में निर्दिष्ट बारह मास की कालावधि उस तारीख से संगणित की जाएगी, जिसको उक्त आवेदनों में से पूर्वतर या पूर्वतम आवेदन किया गया था ।

(2) जहां कि दो या अधिक ऐसे आविष्कारों के बारे में जो तुल्य प्रकृति के हैं, या उनमें से एक दूसरे का उपांतर है, संरक्षण के लिए आवेदन एक या अधिक अभिसमय देशों में किए गए हैं, वहां धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि उन आविष्कारों की बाबत एकल अभिसमय आवेदन संरक्षण के लिए उक्त आवेदनों में से सर्वप्रथम की तारीख से बारह मास के भीतर किसी समय किया जा सकेगा;

परन्तु ऐसा आवेदन करने पर संदेय फीस वही होगी मानो उक्त आविष्कारों में से हर एक की बाबत पृथक् आवेदन किए गए हों तथा धारा 136 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाएं किसी ऐसे आवेदन की दशा में, उक्त आविष्कारों में से हर एक के बारे में संरक्षण के लिए आवेदनों को पृथक्तः लागू होंगी ।

अभिसमय आवेदनों से संबंधित विशेष उपबन्ध ।

136. (1) हर अभिसमय आवेदन—

(क) पूर्ण विनिर्देश के साथ होगा ; तथा

(ख) वह तारीख जिस पर और वह अभिसमय देश, जिसमें संरक्षण के लिए आवेदन या यथास्थिति, ऐसे आवेदनों में से प्रथम किया गया था, विनिर्दिष्ट करेगा ; तथा

(ग) यह कथन करेगा कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन अभिसमय देश में उस तारीख से पूर्व आवेदक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे वह हक व्युत्पन्न करता है, नहीं किया गया है ।

(2) धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि अभिसमय आवेदन के साथ फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश के अन्तर्गत ऐसे आविष्कार के विकासों या अतिरिक्तियों की बाबत दावे, जिसकी बाबत संरक्षण के लिए आवेदन अभिसमय देश में किया गया था, आ सकेंगे, यदि विकास और अतिरिक्तियां ऐसी हैं जिन की बाबत आवेदक धारा 6 के उपबन्धों के अधीन पेटेन्ट के लिए पृथक् आवेदन करने का हक़दार है ।

(3) अभिसमय आवेदन धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी तारीख़ से उत्तरदिनांकित नहीं होगा, जो उस तारीख़ के पश्चात् की हो, जिसको इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवेदन किया जा सकता था ।

बहुल पूर्विकताएं ।

137. (1) जहां कि आविष्कारों की बाबत पेटेन्टों के लिए दो या अधिक आवेदन एक या अधिक अभिसमय देशों में किए गए हैं और वे आविष्कार ऐसे सम्बन्धित हैं कि एक ही आविष्कार गठित करते हैं, वहां धारा 135 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी या सब के द्वारा एक आवेदन उस तारीख से बारह मास के भीतर किया जा सकेगा, जिसको उन विनिर्देशों में, जो मूल आवेदनों के साथ थे प्रकट किए गए आविष्कारों की बाबत उन आवेदनों में से पूर्वतर या पूर्वतम आवेदन किया गया था ।

(2) पूर्ण विनिर्देश के दावे की पूर्विकता तारीख, यदि दावा मूल आवेदनों में से एक या अधिक में प्रकट किए हुए विषयों पर आधारित है तो, वह तारीख है जिसको वह विषय सब से पहले ऐसे प्रकट किया गया था।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई विषय अभिसमय देश में संरक्षण के लिए मूल आवेदन में प्रकट कर दिया गया समझा जाएगा, यदि वह उस आवेदन में या उस आवेदन के समर्थन में संरक्षण के लिए आवेदक द्वारा निवेदित किन्हीं दस्तावेजों में और उसी समय पर जो उस आवेदन का है, (पूर्विक कला के दावात्याग या अभिस्वीकृति के तौर से अन्यथा) दावाकृत या प्रकटीकृत था; किन्तु किसी ऐसी दस्तावेज में किए गए किसी प्रकटन को विचार में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि दस्तावेज की प्रति पेटेन्ट कार्यालय में अभिसमय आवेदन के साथ या उस आवेदन के फाइल करने के पश्चात् ऐसी कालावधि के भीतर जैसी विहित की जाए फाइल न कर दी गई हो ।

अभिसमय आवेदनों के बारे में पूरक उपबन्ध ।

138. (1) जहां कि अभिसमय आवेदन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार किया गया है, वहां आवेदक पूण विनिर्देश के अतिरिक्त उस अभिसमय देश में के, जिसमें मूल आवेदन किया गया था, पेटेन्ट कार्यालय में उस आवेदक द्वारा फाइल किए गए या निक्षिप्त किए गए, विनिर्देशों या समरूपी दस्तावेजों की प्रतियां, जो अभिसमय देश के पेटेन्ट कार्यालय के शासकीय प्रधान या अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हैं या अन्यथा नियंत्रक को समाधानप्रद रूप में सत्यापित हैं, आवेदन के साथ-साथ देगा या तत्पश्चात् तीन मास के भीतर देगा या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर देगा, जैसी नियंत्रक अच्छे हेतुक पर अनुज्ञात करे ।

(2) यदि कोई ऐसा विनिर्देश या अन्य दस्तावेज विदेशी भाषा में है, तो उस विनिर्देश या दस्तावेज का अंग्रेजी में अनुवाद जो शपथपत्र द्वारा या नियंत्रक को अन्यथा समाधानप्रद रूप में सत्यापित है उस विनिर्देश या दस्तावेज के साथ उपाबद्ध किया जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वह तारीख़, जिसपर अभिसमय देश में आवेदन किया गया था, वह तारीख है जिसके बारे में अभिसमय देश के पेटेन्ट कार्यालय के शासकीय प्रधान या अध्यक्ष के प्रमाणपत्र द्वारा या अन्यथा नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि वह वही तारीख है जिसपर उस अभिसमय देश में वह आवेदन किया गया था ।

अधिनियम में के अन्य उपबन्धों का अभिसमय आवेदनों को लागू होना ।

139. इस अध्याय में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के सब उपबन्ध अभिसमय आवेदन के सम्बन्ध में और उसके अनुसरण में अनुदत्त पेटेन्ट के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे मामूली आवेदन और उसके अनुसरण में अनुदत्त पेटेन्ट को लागू होते हैं।

अध्याय 23

प्रकीर्ण

कतिपय निर्बंधनकारी शर्तों का परिवर्तन ।

140. (1) (i) पेटेन्टकृत वस्तु या पेटेन्टकृत प्रक्रिया द्वारा बनाई गई किसी वस्तु के विक्रय या पट्टे के लिए या से सम्बन्धित किसी संविदा में, अथवा

(ii) पेटेन्टकृत वस्तु के विनिर्माण या उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति में, अथवा

(iii) पेटेन्ट द्वारा संरक्षित किसी प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए अनुज्ञप्ति में,

कोई ऐसी शर्त अन्तःस्थापित करना विधिपूर्ण नहीं होगा, जिसका प्रभाव—

(क) पेटेन्टकृत वस्तु से भिन्न कोई वस्तु या पेटेन्टकृत प्रक्रिया से निर्मित वस्तु से भिन्न कोई वस्तु विक्रेता, पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक या उसके नामनिर्देशितियों से अर्जित करने की अपेक्षा, क्रेता, पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी से अर्जित करने का या अर्जित करने से उसे प्रतिषिद्ध करने का या किसी व्यक्ति से अर्जित करने के उसके अधिकार को किसी रीति से या किसी विस्तार तक निर्बन्धित करने का अथवा विक्रेता, पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक या उसके नामनिर्देशितियों से अर्जित करने के सिवाय किसी रूप से अर्जित करने से उसे प्रतिषिद्ध करने का हो; अथवा

(ख) पेटेन्टकृत वस्तु से भिन्न कोई वस्तु, या पेटेन्टकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित वस्तु से भिन्न किसी वस्तु का, जिसका प्रदाय विक्रेता या पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक या उसके नामनिर्देशिती द्वारा नहीं किया गया है, उपयोग करने से क्रेता, पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिषिद्ध करने का, या क्रेता, पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी के उसका उपयोग करने के अधिकार को किसी रीति से या किसी विस्तार तक निर्बन्धित करने का हो; अथवा

(ग) पेटेन्टकृत प्रक्रिया से भिन्न किसी प्रक्रिया के उपयोग से क्रेता, पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिषिद्ध करने का या उपयोग करने के क्रेता, पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को किसी रीति से या किसी विस्तार तक निर्बन्धित करने का हो ;

तथा कोई भी ऐसी शर्त शून्य होगी ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की शर्त उस उपधारा के भीतर आने वाली शर्त नहीं रह गई है, यह बात केवल इस तथ्य के कारण ही न समझी जाएगी कि उसको अन्तर्विष्ट रखने वाला करार पृथक्तः किया गया है, भले ही वह पेटेन्टकृत वस्तु या प्रक्रिया के विक्रय, पट्टा या अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित संविदा के पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(3) पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों में यह साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि अतिलंघन के समय पेटेन्ट

से सम्बन्धित और इस धारा द्वारा अवैध घोषित शर्त को अन्तर्विष्ट रखने वाली संविदा प्रवर्तन में थी :

परन्तु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें कि वादी संविदा का पक्षकार नहीं है और न्यायालय को समाधानप्रद रूप से साबित कर देता है कि निर्बन्धनकारी शर्त संविदा में उसके अभिव्यक्त या विवक्षित ज्ञान और सम्मति के बिना अन्तःस्थापित की गई थी।

(4) इस धारा की कोई भी बात—

(क) संविदा की ऐसी शर्त पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति के माल से भिन्न माल को बेचने से प्रतिषिद्ध किया जाता है ;

(ख) ऐसी संविदा को विधिमान्य नहीं बनाएगी जो इस धारा के न होने पर अविधिमान्य होती;

(ग) पेटेन्टकृत वस्तु के पट्टे की संविदा में या उसके उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति में की ऐसी शर्त पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसके द्वारा पट्टाकर्ता या अनुज्ञापक अपने लिए या अपने नामनिर्देशिती के लिए पेटेन्टकृत वस्तु के ऐसे नए भागों के प्रदाय के, जैसे अपेक्षित हों या मरम्मत करके उसको ठीक हालत में रखने या बनाए रहने के, अधिकार को आरक्षित करता है ।

(5) इस धारा के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई संविदाओं को भी उस दशा में और उस विस्तार तक लागू होंगे जिसमें कि और जिस विस्तार तक उस धारा द्वारा अवैध घोषित निर्बन्धनकारी कोई शर्तें ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् प्रवर्तन में बनी रहती हैं।

कतिपय संविदाओं का पर्यवसान।

141. (1) कोई संविदा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई हो या पश्चात्, जो पेटेन्टकृत वस्तु के विक्रय या पट्टे के लिए या पेटेन्टकृत वस्तु या प्रक्रिया के विनिर्माण, उपयोग या क्रियान्वयन के लिए अनुज्ञप्ति के लिए है या ऐसे किसी विक्रय, पट्टे या अनुज्ञप्ति से सम्बद्ध है, उस समय के पश्चात् जब ऐसा पेटेन्ट या ऐसे सब पेटेन्ट जिसके या जिनके द्वारा वस्तुएं या प्रक्रिया संविदा करने के समय संरक्षित थीं, प्रवर्तन में नहीं रह गया है या नहीं रह गए हैं, किसी समय और उस संविदा या किसी अन्य संविदा में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यथास्थिति, पेटेन्ट के क्रेता या पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में तीन मास की सूचना देकर पर्यवसित की जा सकेगी ।

(2) इस धारा के उपबन्ध संविदा का पर्यवसान करने के किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो इस धारा से पृथक्तः प्रयोक्तव्य है ।

फीसें।

142. (1) पेटेन्टों के अनुदान के और उनके लिए आवेदनों के और इस अधिनियम के अधीन पेटेन्टों के अनुदान से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए ऐसी फीसें दी जाएंगी, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(2) जहां कि नियंत्रक द्वारा किसी कार्य के करने लेखे कोई फीस संदेय हो, वहां नियंत्रक उस कार्य को तब तक नहीं करेगा जब तक फीस न दे दी गई हो ।

(3) जहां कि पेटेन्ट कार्यालय में दस्तावेज़ फाइल करने की बाबत कोई फीस संदेय है, वहां दस्तावेज़ के बारे में यह बात कि वह कार्यालय में फाइल नहीं की गई है, तब तक समझी जाएगी, जब तक कि फीस न दे दी गई हो ।

(4) जहां कि पेटेन्ट के लिए आवेदन की तारीख से दो वर्षों के पश्चात् मुख्य पेटेन्ट अनुदत्त किया जाता है, वहां फीसें जो इस दौरान शोध्य हों, रजिस्टर में पेटेन्ट के अभिलेखन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर दी जा सकेंगी ।

विनिर्देशों के प्रकाशन पर निर्बन्धन ।]

143. अध्याय 7 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि पेटेन्ट के लिए आवेदन और उसके अनुसरण में फाइल किया गया कोई विनिर्देश आवेदक की सम्मति के बिना नियंत्रक द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा और न धारा 23 के अनुसरण में आवेदन के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख़ से पहले किसी समय लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

परीक्षकों की रिपोर्टों का गोपनीय होना ।

144. इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक को परीक्षकों की रिपोर्टें लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी और न नियंत्रक द्वारा प्रकाशित की जाएंगी, और ऐसा कोई दायित्व कि किसी विधिक कार्यवाही में ऐसी रिपोर्टें पेश की जाएं या निरीक्षित की जाएं तब के सिवाय न होगा जब कि न्यायालय यह भी प्रमाणित कर देता है कि उन्हें पेश करना या निरीक्षित करना न्याय के हितों में वांछनीय है और अनुज्ञात किया जाना चाहिए ।

* * * *

पेटेन्टकृत आविष्कारों का प्रकाशन ।

145. नियंत्रक पेटेन्टकृत आविष्कारों का कालिक प्रकाशन निकालेगा जिस में ऐसी जानकारी अन्तर्विष्ट की जाएगी जैसी केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।

पेटेन्टधारियों से जानकारी मांगने की नियंत्रक की शक्ति ।

146. (1) नियंत्रक पेटेन्ट के बने रहने के दौरान किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा पेटेन्टधारी या अनुज्ञप्तिधारी से चाहे वह अनन्य हो या अन्य प्रकार का हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना की तारीख से दो मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जैसा नियंत्रक अनुज्ञात करे, उसको ऐसी जानकारी या ऐसे कालिक कथन, जैसे उस सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस विस्तार तक दे जिस तक पेटेन्टकृत आविष्कार वाणिज्यिक रूप से भारत में क्रियान्वित हो चुका है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक पेटेन्टधारी और प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी (चाहे वह अनन्य हो या अन्य प्रकार का हो) ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में और (छः मासों से अन्यून के) ऐसे अन्तरालों पर जो विहित किए जाएं, उस विस्तार तक कथन प्रस्तुत करेगा जिस तक पेटेन्टकृत आविष्कार भारत में वाणिज्यिक मापमान पर क्रियान्वित हो चुका है ।

(3) नियंत्रक उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई सूचना ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विहित की जाए ।

प्रविष्टियों, दस्तावेजों आदि का साक्ष्य ।

147. (1) किसी ऐसी प्रविष्टि, विषय, या बात के बारे में जिसे वह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा बनाने या करने के लिए प्राधिकृत है, नियंत्रक द्वारा हस्तान्तरित तात्पर्यित होने वाला प्रमाणपत्र उस प्रविष्टि के कर दिऐ जाने का और उसकी विषय-वस्तु का और उस विषय या बात के किए जाने या लोप किए जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा ।

(2) किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की या पेटेन्ट कार्यालय में रखी गई किसी दस्तावेज़ की या किसी पेटेन्ट की प्रति या किसी ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज़ से उद्धरण जो नियंत्रक द्वारा प्रमाणित हो और जिसका पेटेन्ट कार्यालय की मुद्रा से मुद्रांकित होना तात्पर्यित हो, सब न्यायालयों में और सब कार्यवाहियों में अतिरिक्त सबूत के या मूल के पेश किए जाने के बिना साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा ।

(3) नियंत्रक या पेटेन्ट कार्यालय का कोई अन्य आफिसर किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें वह पक्षकार नहीं है, रजिस्टर को या अपनी अभिरक्षा में की किसी अन्य दस्तावेज़ को जिसकी विषय-वस्तु इस अधिनियम के अधीन निकाली गई प्रमाणित प्रति के पेश करने द्वारा साबित की जा सकती है, पेश करने के लिए या उसमें अभिलिखित विषयों को साबित करने के लिए साक्षी के तौर पर उपसंजात होने के लिए तब के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा जब कि न्यायालय विशेष हेतुकों से ऐसा किए जाने का आदेश दे ।

शिशु, पागल आदि के द्वारा घोषणा ।

148. (1) यदि कोई व्यक्ति अप्राप्तवयता, पागलपन या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई कथन करने या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात किसी बात के करने में असमर्थ है, तो निर्योग्यता के अध्यधीन व्यक्ति का वैध संरक्षक, सुपुर्ददार या प्रबन्धक (यदि कोई हो) या यदि कोई न हो, तो उसकी सम्पत्ति की बाबत अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति वह कथन या ऐसा कथन, जो उसके इतना निकट समरूप है जितना परिस्थितियां अनुज्ञात करें, कर सकेगा, और निर्योग्यता के अध्यधीन व्यक्ति के नाम में और उसकी ओर से वह बात कर सकेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय द्वारा कोई नियुक्ति निर्योग्यता के अध्यधीन व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की अथवा कथन के किए जाने में या बात के करने में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की अर्जी पर की जा सकेगी ।

डाक द्वारा सूचनाओं आदि की तामील ।

149. इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत कोई सूचना और किए जाने या फाइल किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन या अन्य दस्तावेज डाक द्वारा दी, की या फाइल की जा सकेगी ।

खर्चों के लिए प्रतिभूति ।

150. यदि कोई पक्षकार जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन विरोध की सूचना दी गई है या जिसके द्वारा पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए नियंत्रक से आवेदन किया गया है, न तो भारत में रहता और न कारबार करता है, तो नियंत्रक कार्यवाहियों के खर्चे के लिए प्रतिभूति देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर विरोध या आवेदन को परित्यक्त समझ सकेगा ।

न्यायालयों के आदेशों का नियंत्रक को पारेषण ।

151. (1) प्रतिसंहरण के लिए अर्जी पर दिया गया उच्च न्यायालय का हर आदेश, जिसके अन्तर्गत किसी दावे की विधिमान्यता के प्रमाणपत्र अनुदान करने वाले आदेश आते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रक को पारेषित किए जाएंगे जो उसकी प्रविष्टि या उसके प्रति निर्देश रजिस्टर में कराएगा ।

(2) जहां कि पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी वाद में या धारा 106 के अधीन के किसी वाद में किसी दावे या विनिर्देश की विधिमान्यता का प्रतिवाद किया जाता है और उस दावे की बाबत, यथास्थिति, न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वह विधिमान्य है या विधिमान्य नहीं है, वहां न्यायालय अपने निर्णय और डिक्री की प्रति नियंत्रक को पारेषित करेगा जो उसके प्राप्त होने पर ऐसी कार्यवाही की बाबत प्रविष्टि पूरक अभिलेख में विहित रीति से कराएगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध उस न्यायालय को भी लागू होंगे जिससे उन उपधाराओं में निर्दिष्ट न्यायालय के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलें होती हैं ।

विनिर्देशों आदि की प्रतियों का पारेषण और उनका निरीक्षण ।

152. पेटेन्ट कार्यालय में छोड़े गए सब ऐसे विनिर्देशों रेखाचित्रों और संशोधनों की प्रतियां जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लोक-निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहते हैं, उनकी मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होने के यथाशीघ्र पश्चात् ऐसे प्राधिकारियों को पारेषित की जाएंगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और सब युक्तियुक्त समयों पर ऐसे स्थानों पर जो उन प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी ।

पेटेन्टों से संबंधित जानकारी ।

153. कोई व्यक्ति जो नियंत्रक से प्रार्थना, उस प्रार्थना में विनिर्दिष्ट किसी पेटेन्ट की बाबत या ऐसे विनिर्दिष्ट पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन की बाबत किन्हीं ऐसे मामलों से सम्बन्धित, जैसे विहित किए जाएं, जानकारी के लिए विहित रीति से करता है, विहित फीस का संदाय कर देने पर इस बात का हक़दार होगा कि उसे तदनुसार जानकारी दी जाए ।

पेटेंटों की हानि या नाश ।

154. यदि पेटेन्ट खो जाता है, या नष्ट हो जाता है, या उसके पेश न किए जाने का लेखा-जोखा नियंत्रक को समाधानप्रद रूप से दे दिया जाता है, तो नियंत्रक किसी समय विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और विहित फीस के संदाय पर उसकी द्वितीय प्रति मुद्रांकित करवाएगा और आवेदक को परिदत्त करवाएगा ।

नियंत्रक की रिपोर्टों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

155. केन्द्रीय सरकार वह रिपोर्ट जो इस अधिनियम का निष्पादन नियंत्रक के द्वारा या अधीन किए जाने की बाबत हो, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष वर्ष में एक बार रखवाएगी ।

पेटेन्ट का सरकार को आबद्ध करना ।

156. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट ऐसे उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए पेटेन्ट समस्त आशयों के लिए सरकार के विरुद्ध वैसा ही असर रखेगा जैसा वह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध रखता है ।

157. इस अधिनियम की कोई बात सरकार की या सरकार से प्रत्यक्षत: या परोक्षत: हक व्युत्पन्न करने वाले किसी व्यक्ति की उस शक्ति पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समपहृत किन्हीं वस्तुओं को बेचने या उपयोग करने की उसकी है, प्रभाव नहीं डालेगी । समपहृत वस्तुओं को बेचने या उपयोग करने का सरकार का अधिकार ।

158. उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष की सब कार्यवाहियों के बारे में संचालन और प्रक्रिया विषयक ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से संगत हों । उच्च न्यायालयों की नियम बनाने की शक्ति ।

159. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी । नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किन्हीं के लिए उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्—

(i) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन, कोई विनिर्देश या रेखाचित्र और कोई अन्य आवेदन या दस्तावेज, पेटेन्ट कार्यालय में फाइल किया जा सकेगा ;

(ii) वह समय जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य या बात की जा सकेगी, जिसके अन्तर्गत वह रीति जिससे और वह समय जिसके भीतर कोई विषय इस अधिनियम के अधीन विज्ञापित किया जा सकेगा, आते हैं;

(iii) वे फीसें जो इस अधिनियम के अधीन संदेय हों और उन फीसों के संदाय की रीति;

(iv) वे विषय जिनकी बाबत परीक्षक नियंत्रक को रिपोर्ट दे सकेगा;

(v) पेटेन्ट को मुद्रांकित करने के लिए प्रार्थना का प्ररूप;

(vi) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर कोई सूचना इस अधिनियम के अधीन दी जा सकेगी;

(vii) वे उपबन्ध जो ऐसे व्यक्तियों के संरक्षण के लिए पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आदेश में अन्त:स्थापित किए जा सकें, जिन्होंने पेटेन्ट के न रहने के पश्चात् पेटेन्ट की विषय-वस्तु का लाभ उठाया हो;

(viii) पेटेन्ट कार्यालय के शाखा कार्यालयों की स्थापना और पेटेन्ट कार्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके शाखा कार्यालय आते हैं, के कामकाज का साधारणत: विनियमन;

(ix) पेटेन्टों के रजिस्टर का रखा जाना और उसमें प्रविष्ट किए जाने वाले विषय ;

(x) वे विषय जिनके बारे में नियंत्रक की सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी ;

(xi) वह समय जब और वह रीति जिससे रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेज, जो निरीक्षण के लिए उपलब्ध हो, इस अधिनियम के अधीन निरीक्षित किया जा सकेगा ;

(xii) धारा 115 के प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक सलाहकारों की अर्हताएं और उनकी सूची का तैयार किया जाना;

(xiii) वह रीति जिससे आविष्कार के सरकार द्वारा अर्जन के लिए प्रतिकर दिया जा सके;

(xiv) वह रीति जिससे पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्टर रखा जा सकेगा, पेटेन्ट अभिकर्ताओं के लिए अर्हक परीक्षाओं का संचालन, उनकी वृत्ति और आचार से संसक्त विषय जिनके अन्तर्गत पेटेन्ट अभिकर्ताओं के विरुद्ध अवचार के लिए अनुशासनिक कार्यवाहियां करना आता है;

(xv) विनिर्देशों की अनुक्रमणिकाओं और संक्षेपणों को और पेटेन्ट कार्यालयों में की अन्य दस्तावेज़ों को बनाने, मुद्रित करने, प्रकाशित करने और बेचने का विनियमन, और अनुक्रमणिकाओं और संक्षेपणों और अन्य दस्तावेज़ों का निरीक्षण;

(xvi) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बनाए जाने की शर्त के अध्यधीन होगी ।

नियम संसद् के समक्ष रखे जाएंगे ।

160. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

1911 के अधिनियम 2 के अधीन इन्कार किए हुए समझे गए कतिपय आवेदनों की बाबत विशेष उपबन्ध ।

161. (1) जहां कि नियंत्रक द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 की धारा 12 के अधीन या परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 के अधीन की गई किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किया गया पेटेन्ट के लिए आवेदन इण्डियन पेटेन्ट एण्ड डिजाइन ऐक्ट, 1911 में (जो एतत्पश्चात् इस धारा में निरसित अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तदर्थ विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिगृहीत नहीं किया जा सका और परिणामतः निरसित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के कारण नामंजूर कर दिया गया समझा गया था, वहां आवेदन, यदि आवेदक, या, यदि वह मर गया है, तो, उसका विधिक प्रतिनिधि, इस निमित्त विहित रीति से इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर नियंत्रक से प्रार्थना करता है, तो ऐसे पुनर्जीवित किया और निपटाया जा सकेगा, मानो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित ऐसा आवेदन हो जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध धारा 162 की उपधारा (3) के आधार पर लागू होते हैं ।

1948 का 29
1962 का 37
1911 का 2

(2) नियंत्रक उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी प्रार्थना पर कार्यवाही करने में अग्रसर होने के पहले मामले को केन्द्रीय सरकार को इस बाबत निदेशों के लिए निर्दिष्ट करेगा कि क्या आविष्कार परमाणु ऊर्जा से सम्बद्ध है तथा उसके द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप कार्य करेगा ।

(3) जहां कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी आवेदन के अनुसरण में पेटेन्ट अनुदत्त किया जाता है, वहां पेटन्टधारी के अधिकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे, जैसी नियंत्रक उन व्यक्तियों की संरक्षा या प्रतिकर के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे, जिन्होंने पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख से पूर्व पेटेन्टकृत आविष्कार से फ़ायदा उठाना आरम्भ कर दिया हो अथवा फ़ायदा उठाने के लिए संविदा द्वारा या अन्यथा निश्चित कदम उठा लिए हों ।

(4) किसी ऐसे आवेदन के अनुसरण में, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, अनुदत्त पेटेन्ट पर वह तारीख अंकित की जाएगी जिसको ऐसे आवेदन को पुनर्जीवित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना की गई थी ।

1911 के अधिनियम 2 का वहां तक निरसन जहां तक वह पेटेन्टों से सम्बद्ध है तथा व्यावृत्तियां ।

162. (1) इंडियन पेटेन्ट एण्ड डिजाइन ऐक्ट, 1911 वहां तक जहां तक वह पेटेन्टों से सम्बद्ध है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, अर्थात् उक्त अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा ।

(2) इंडियन पेटेन्ट एण्ड डिजाइन ऐक्ट, 1911 का, वहां तक जहां तक वह पेटेन्टों से सम्बद्ध है, निरसन होते हुए भी—

(क) उस अधिनियम की धारा 21क के और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उस धारा के अनुसरण में अनुदत्त किसी पेटेन्ट के बारे में लागू बने रहेंगे; तथा

(ख) उस अधिनियम के अधीन अनुदत्त पेटेन्ट की बाबत नवीकरण फीस वह होगी जो उसके अधीन नियत की गई है ।

(3) उपधारा (2) में यथा अन्यथा उपवन्धित के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन को और परिणामतः उस पर की गई किन्हीं कार्यवाहियों को और उसके अनुसरण में अनुदत्त किसी पेटेन्ट को लागू होंगे ।

(4) इस धारा में विशिष्ट मामलों का वर्णन निरसनों की बाबत साधारण

1897 का 10 खण्ड अधिनियम, 1897 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(5) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेन्ट के अतिलंघन का कोई वाद या पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए कोई कार्यवाही, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी न्यायालय में लम्बित है उसी प्रकार चालू रहेगी और निपटाई जाएगी मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

1958 के अधिनियम 43 का संशोधन ।

163. व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 4 की

1911 का 2 उपधारा (1) में "और इण्डियन पेटेन्टे एण्ड डिज़ाइन ऐक्ट, 1911 के प्रयोजनों के लिए पेटेन्ट और डिजाइन का नियंत्रक" शब्द और अंक लुप्त कर दिए जाएंगे ।

अनुसूची

(धारा 162 देखिए)

भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 में संशोधन

1. दीर्घ नाम—"आविष्कारों और" का लोप कीजिए ।

2. उद्देशिका—"आविष्कारों और" का लोप कीजिए ।

3. धारा 1—उपधारा (1) में "भारतीय पेटेन्ट और" का लोप कीजिए ।

4. धारा 2—

(क) खण्ड (1) का लोप कीजिए;

(ख) खण्ड (2) में "(डिजाइन की बाबत)" का लोप कीजिए;

(ग) खण्ड (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

"(3) 'नियंत्रक' से अभिप्रेत है व्यापार और वाणिज्यिक चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पेटेन्टों, डिज़ाइनों और व्यापार चिह्नों का महानियंत्रक"; 1958 का 43

(घ) खण्ड (5) में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 478 में यथापरिभाषित व्यापार चिह्न या" के लिए "व्यापार और वाणिज्यिक चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (v) में यथापरिभाषित व्यापार चिह्न या भारतीय दण्ड संहिता की" प्रतिस्थापित कीजिए ; 1958 का 43

(ङ) खण्ड (6) का लोप कीजिए ;

(च) खण्ड (7) में उपखण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित कीजिए,—

"(च) दादरा और नागर हवेली तथा गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में मुम्बई का उच्च न्यायालय ;

(छ) पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, मद्रास का उच्च न्यायालय";

* * *

(ठ) खंड (8), (10) और (11) का लोप कीजिए ;

(ज) खंड (12) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

"(12) 'पेटेन्ट कार्यालय' से पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 74 में निर्दिष्ट पेटेन्ट कार्यालय अभिप्रेत है ।" ।

5. भाग 1 का लोप कीजिए ।

6. धारा 51ख के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

"51ख. रजिस्ट्रीकृत डिजाइन सब आशयों के लिए सरकार के विरुद्ध वैसा ही प्रभाव रखेगा जैसा वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध रखता है तथा पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अध्याय 17 के उपबन्ध रजिस्ट्रीकृत डिजाइनों को ऐसे लागू होंगे जैसे वे पेटेन्टों को लागू होते हैं।"। डिजाइनों का सरकार को आबद्ध करना।

7. धारा 54 में "इस अधिनियम के उपबन्ध" के लिए "पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबन्ध" प्रतिस्थापित कीजिए।

8. धाराओं 55 और 56 का लोप कीजिए।

9. धारा 57, उपधारा (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

"(1) डिजाइनों के रजिस्ट्रीकरण के और उनके लिए आवेदनों की बाबत और इस अधिनियम के अधीन डिजाइनों से संबद्ध अन्य मामलों की बाबत ऐसी फीसें दी जाएंगी जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।"।

10. धारा 59क का लोप कीजिए।

11. धारा 61 के उपखंड (1) का लोप कीजिए।

12. धारा 62 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

"62. नियंत्रक, विहित फीस के साथ लिखित प्रार्थना पर, डिजाइन के प्रतिरूपण में या किसी डिजाइन के स्वत्वधारी के नाम और पते में या डिजाइनों के रजिस्टर में प्रविष्ट किसी अन्य मामले में किसी लिपिकीय गलती को शुद्ध कर सकेगा।"। लिपिकीय गलतियों को शुद्ध करने की नियंत्रक की शक्ति।

13. धारा 63—

(क) उपधारा (1) में "पेटेन्ट का या" तथा "पेटेन्ट या" का लोप कीजिए;

(ख) उपधारा (2) में, "पेटेन्ट या" का लोप कीजिए और "यथास्थिति पेटेन्ट या डिजाइनों" के लिए "डिजाइनों" प्रतिस्थापित कीजिए।

(ग) उपधारा (3) में "पेटेन्ट या", जहां कहीं वह पद आता है, का लोप कीजिए;

(घ) उपधारा (4) में, "पेटेन्ट की बाबत या" का लोप कीजिए।

14. धारा 64—

(क) उपधारा (1) में, "पेटेन्टों या" का लोप कीजिए और "दोनों रजिस्टरों में से किसी" शब्द जहां कहीं भी वे आते हैं, उनके लिए "रजिस्टर" प्रतिस्थापित कीजिए;

(ख) उपधारा (5) के खण्ड (क) का लोप कीजिए।

15. धारा 66 का लोप कीजिए।

16. धारा 67—"पेटेन्ट के लिए या किसी आवेदन के या विनिर्देश के संशोधन के लिए अथवा" का लोप कीजिए ।

17. धारा 69—उपधारा (1) में, "ऐसे आविष्कार के लिए पेटेन्ट का अनुदान या" का लोप कीजिए ।

18. धारा 71क—"पेटेन्टों, विनिर्देशों और अन्य" का लोप कीजिए ।

19. धारा 72 का लोप कीजिए ।

20. धारा 74क और 75 का लोप कीजिए ।

21. धारा 76—

(क) उपधारा (1) में, "अन्य" का लोप कीजिए;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) में, "विरोधी" का लोप कीजिए ।

22. धारा 77—

(क) उपधारा (1) में—

(i) खण्ड (ग) और (घ) में "विनिर्देशों" का लोप कीजिए;

(ii) खण्ड (ङ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

"(ङ) पेटेन्ट कार्यालय में दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए और उस रीति का, जिसमें वे प्रकाशित किए जा सकें, उपबन्ध करने के लिए;"

(iii) खण्ड (ङङ) का लोप कीजिए ।

(ख) उपधारा (2क) का लोप कीजिए ।

23. धारा 78 का लोप कीजिए ।

24. धारा 78क के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए—

यूनाइटेड किंग्डम और अन्य कामन-वेल्थ देशों के साथ व्यतिकारी व्यवस्था ।

"78क. (1) कोई व्यक्ति, जिसने यूनाइटेड किंग्डम में किसी डिजाइन के लिए संरक्षा के लिए आवेदन किया है या उसका विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्ततः यह दावा करने का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन उक्त डिज़ाइन का रजिस्ट्रीकरण अन्य आवेदकों से पूर्विकता में होगा और उसकी वही तारीख होगी जो तारीख यूनाइटेड किंग्डम में आवेदन की थी :

परन्तु—

(क) यह तब जब कि आवेदन यूनाइटेड किंग्डम में संरक्षा के लिए आवेदन से छह मास के भीतर कर दिया गया है; तथा

(ख) इस धारा की कोई बात डिज़ाइन के स्वत्वधारी को उस वास्तविक तारीख से, जिसको डिज़ाइन भारत में रजिस्ट्रीकृत हुआ है, पूर्व होने वाले अतिलंघन के लिए नुकसानी वसूल करने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(2) इस धारा में विनिर्दिष्ट उस कालावधि के दौरान, जिसके भीतर आवेदन किया जा सके, भारत में डिज़ाइन के प्रदर्शन या उपयोग के अथवा उसके वर्णन या प्रतिरूपण के प्रकाशन के कारण से ही डिज़ाइन का रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य नहीं होगा ।

(3) इस धारा के अधीन डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसी रीति से किया जाना चाहिए जैसे कि इस धारा के अधीन मामूली आवेदन किया जाता है ।

(4) जहां कि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत कराया जाता है कि किसी ऐसे अन्य कामनवेल्थ देश के विधान-मण्डल ने, जैसा इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, भारत में रजिस्ट्रीकृत डिज़ाइनों की संरक्षा के लिए समाधानप्रद उपबन्ध कर दिया है, वहां केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध ऐसे फेरफार या परिवर्धनों के साथ, यदि कोई हों, जैसे ऐसी अधिसूचना में उपवर्णित हों, उस कामनवेल्थ देश में रजिस्ट्रीकृत डिज़ाइन की संरक्षा को लागू होंगे ।"।

25. धारा 78ख, 78ग, 78घ, और 78ङ का लोप कीजिए ।

26. अनुसूची का लोप कीजिए ।

M 123 M of Law/69—575—11-5-70—GIPF.

परिशिष्ट--एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव--

"कि पेटेन्टों सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा समेकित करने के लिये विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के 22 सदस्य अर्थात् :--

(1) श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ
(2) श्री सी० सी० देसाई
(3) श्री बी० डी० देशमुख
(4) श्री कंवर लाल गुप्त
(5) श्री हरि कृष्ण
(6) श्री अमिय कुमार किस्कू
(7) श्री मधु लिमये
(8) श्री मी० रु० मसानी
(9) श्री जी० एस० मिश्र
(10) श्री श्रीनिवास मिश्र
(11) श्री जुगल मण्डल
(12) श्री के० आनंद नम्बियार
(13) डा० सुशीला नायर
(14) श्री सरजू पाण्डेय
(15) श्री वी० पार्थसारथी
(16) श्री टी० राम
(17) श्री इरा सेझियान
(18) श्री दीवान चन्द शर्मा
(19) श्री मद्दी सुदर्शनम्
(20) श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(21) श्री रमेश चन्द्र व्यास

(22) श्री फखरुद्दीन अली अहमद, और

राज्य सभा के 11 सदस्य हों।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लाग होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

परिशिष्ट—दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा पेटेन्टों संबंधी विधि को संशोधित तथा समेकित करने संबंधी विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाये, अर्थात :—

1. श्री एस० के वैशम्पायन
2. श्री कृष्ण कान्त
3. श्री आर० पी० खैतान
4. श्री अर्जुन अरोड़ा
5. श्री टी० वी० आनंदन
6. श्री ओम मेहता
7. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी
8. श्री पीतम्बर दास
9. श्री डाह्याभाई वी० पटेल
10. श्री गौड़े मुराहरि
11. अच्युत मेनन "

परिशिष्ट--तीन

(देखिये प्रतिवेदन को पैरा 7)

उन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन/राय आदि प्राप्त हुई थी।

---

1. फारमेस्यूटिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, वाशिंगटन ।

2. नेशनल एसोसियेशन आफ मैन्यूफैक्चरर्स, न्यूयार्क ।

3. दी एसोसियेशन आफ दी ब्रिटिश फारमेस्यूटिकल इण्डस्ट्री, लंदन ।

4. दी चार्टर्ड इन्स्टीच्यूट आफ पेटेन्ट एजेन्टस, लंदन ।

5. इंण्डस्ट्रीयल प्रापर्टी सैक्शन आफ दी लंदन चैम्बर आफ कामर्स (इनकार्पोरटेड), लंदन ।

6. कनफैडरेशन आफ ब्रिटिश इण्डस्ट्री, लंदन ।

7. वरबैड डर कमीशन इण्डस्ट्री ई० वी०, फ्रैंकफर्ट, (वस्ट जर्मनी)

8. बुंडेस्वर बैंडइेर इ्यूटशेन इण्डस्ट्री ई० वीं०, कोल्स, (वेस्ट जर्मनी) ।

9. बुंडेस्वर बैड डेर फार्माज्यूटिशेन इण्डस्ट्री ई० वी०, फ्रैंकफर्ट ।

10. युनाईटेड इन्टरनेशनल ब्यूरम्स फार दी प्रोटैक्शन आफ इन्टैलैक्चुअल प्रापर्टी, जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) ।

11. सैन्टर यूरोपियन 'डेस-फैडरेशन डी एल' इण्डस्ट्री किमिक, ज्यूरिच ।

12. श्यूवेजरीशे गैसेलशैफ्ट फर कैमिशे इण्डस्ट्री, ज्यूरिच ।

13. फार्मीटालिया, मिलान, (इटली) ।

(एक) डाक्टर ग्लूलिओ बर्टिनी, प्रबंध निदेशक ।

(दो) प्रोफैशर ब्रनो केमैरिको, अनुसंधान निदेशक ।

14. लेपेटिट एस० पी० ए० मिलान (इलली) के श्री गाईडो जैरिल्ली मरिमो ।

15. प्रोफेसर डाक्टर स्टोजन प्रेटनर ल्जूब्लीजाना, यूगोस्लाविया ।

16. फैडरेशन आफ इकानामिक आर्गनाईजेशन, टोकियो ।

17. जापान पेटेन्ट एसोसियेशन, टोकियो, जापान ।

18. दी इण्डियन मर्चेन्टस् चैम्बर, बम्बई ।

19. आगनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोडयूसर्स आफ इण्डिया. बम्बई।
20. दी आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन, बम्बई।
21. सीवा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के निदेशक डा० टी० आर० गोविंदाचारी।
22. ट्रेड मार्कस ओनर एसोसियेशन आफ इण्डिया, बम्बई।
23. स्टार लाइट कारपोरेशन, बम्बई।
24. डा० के० ए० हमीद, सी आई पी एल ए, बम्बई।
25. इण्डियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, बम्बई।
26. निदेशक लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, बम्बई।
27. साराभाई रिसर्च सैन्टर, बड़ौदा के निदेशक श्री एस० एल० मुकर्जी।
28. अलैम्बिक कैमिकल वर्क्स, बड़ौदा।
29. रैम्फी एण्ड सन, कलकत्ता।

30. दी एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, आफ इण्डिया, कलकत्ता।

31. बैल्स असबैस्टोस एण्ड इंजीनियरिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता।

32. मैसर्ज एल० एस० डावर एण्ड कं०, कलकत्ता।
33. डीपैनिंग एण्ड डीपैनिंग, कलकत्ता।
34. इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग्ज, लिमिटेड, कलकत्ता।
35. श्री के० रामापाई, कलकत्ता।
36. इण्डियन कैमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, कलकत्ता।
37. इण्डियन टी एसोसियेशन, कलकत्ता।
38. टी रिसर्च एसोसियेशन, कलकत्ता।

39. श्री एन० अधिकारी, बंगाल कैमकिल एण्ड फारमेस्यूटिकलस् लिमिटेड, कलकत्ता।

40. श्रीमति असिमा चटर्जी, यूनीवर्सिटी कालिज आफ साइन्स, कलकत्ता।
41. इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता।
42. डा० एस० रोहतगी, प्रैसीडेंट फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, कानपुर।
43. श्री राम इन्स्टीच्यूट आफ इण्डस्ट्रीयल रिसर्च, दिल्ली।
44. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई-दिल्ली।
45. फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई-दिल्ली।
46. मेजर जनरल एस० एस० सोखे, एफ० एन० आई०, नई-दिल्ली।
47. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली।

48. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेट, नई-दिल्ली के परामर्श-दाता श्री एस० के० बोरकर ।

49. श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना ।

50. वाराणसी के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, श्री सूरज प्रसाद गुप्त ।

51. भारत के महान्यायावादी श्री नीरेन डे ।

परिशिष्ट---चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 9)

वे औद्योगिक एकक, अनुसंधान संस्थाएं आदि जिनके कार्य का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिये, पेटेन्ट विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति के अध्ययन दलों ने उनका निरीक्षण किया ।

अध्ययन दल की रचना	दौरों की तारीखें तथा निरीक्षित एककों के नाम
अध्ययन दल---एक	**14 दिसम्बर, 1968**
1. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ–सभापति 2. श्री मधु लिमये 3. श्री श्रीनिवास मिश्र 4. श्री आर० पी० खैतान 5. श्री पीतम्बर दास	1. सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, लखनऊ । 2. रिसर्च, डिजाइनस् एण्ड स्टैंडर्डस आर्गनाईजेशन (रेलवे), लखनऊ ।
अध्ययन दल-दो	**21 दिसम्बर, 1968**
1. श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ–सभापति 2. श्री कंवर लाल गुप्त 3. श्री ओम मेहता 4. श्री टी० वी० आनंदन 5. श्री एस० के० वैशम्पायन	1. एन्टीबायोटिक्स प्लांट, ऋषिकेश । 2. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार ।
अध्ययन दल-तीन	**28 मई, 1969**
1. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ---सभापति 2. श्री सी० सी० देसाई 3. श्री जुगल मण्डल 4. श्री टी० राम 5. डा० सुशीला नायर 6. श्री रमेश चन्द्र व्यास 7. श्री अटल बिहारी वाजपेयी 8. श्री मधु लिमये 9. श्री कृष्ण कान्त 10. श्री आर० पी० खैतान 11. श्री अर्जुन अरोड़ा	1. टाटा इंस्टीच्यूट आफ फन्डामैंटल रिसर्च, बम्बई । 2. झण्डू फार्मेस्यूटिकल वर्कस लिमिटेड, बम्बई । **29 मई, 1969** 1. मैसर्ज फीजर लिमिटेड प्लांट नं० 16, थाना बेलापुर रोड, थाना । 2. नेशनल आर्गनिक कैमीकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (एन ओ सी आई), थाना, बम्बई ।

अध्ययन दल की रचना	दौरों की तारीखें तथा निरीक्षित एककों के नाम
12. श्री टी० बी० आनंदन 13. श्री ओम मेहता	3. यूनाइटेड कार्बन लिमिटेड थाना-बेलापुर रोड, थाना ।
14. श्री पीताम्बर दास	30 मई, 1969 1. मैसर्ज लासन एण्ड टूब्रो वर्कस, पवाई, बम्बई । 2. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड, फैक्टरी, ट्राम्बे, बम्बई । 31 मई, 1969 यूनिकैम लैबोरेट्रीज, जोगेश्वरी, बम्बई। 2 जुन, 1969 1. सीबा रिसर्च सैन्टर, गोरेगांव, बम्बई । 2. हिन्दुस्तान लीवर रिसर्च सैन्टर, अन्धेरी, बम्बई । 3. संल्डोज (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई । 3 जून, 1969 1. अलेम्बिक, कैमीकल वर्कस, बड़ौदा । 2. साराभाई कैमीकल्स, बड़ौदा । 3. गुजरात रिफाइनर लिमिटेड, बड़ौदा । 4 जून, 1969 1. खीरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्ज यूनियन मिल्क प्रोडयूसिंग प्लांट आदि, आनंद । 2. गुजरात फर्टिलाइजर्स, बड़ौदा । 5 जून, 1969 भाभा अटोमिक रिसर्च सैन्टर, ट्राम्बे, बम्बई ।

अध्ययन दल की रचना	दौरों की तारीखें तथा निरीक्षित एककों के नाम
	6 जून, 1969
	1. टाटा इंजीनियरिंग रिसर्च सैन्टर, पिम्परी, पूना ।
	2. हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना ।
	3. एंटीफ्रिक्शन बियरिंग्स कार्पोरेशन फैक्टरी लोनवाला, (अनौपचारिक निरीक्षण) ।
	7 जून, 1969
	1. ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, थाना ।
	2. हाएक्स्ट फार्मेस्यूटिकल्स, भंडूप बम्बई ।

अध्ययन दल-चार

1. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ —सभापति	**3 जुलाई, 1969**
2. श्री बी० डी० देशमुख	1 मैसर्ज बंगाल पाटरीज, कलकत्ता
3. श्री कंवर लाल गुप्त	2. डेज मेडिकल स्टोर्स (मैन्युफैक्चरिंग)
4. श्री हरि कृष्ण	प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ।
5. श्री मद्दी सुदर्शनम्	3. बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल
6. श्री के० आनंद नाम्बियार	वर्कस, लिमिटेड, कलकत्ता ।
7. श्री सरजू पाण्डेय	**4 जुलाई, 1969**
8. श्री ए० के० किस्कू	मैसर्ज हिन्दुस्तान पिलिंगटन
9. श्री श्रीनिवास मिश्र	ग्लास वर्क्स, आसनसोल ।
10. श्री एस० के० पैशंपायन	**5 जुलाई, 1969**
11. श्री डाह्याभाई वी० पटेल	1 सैन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक्स रिसर्च
12. श्री गौड़े मुराहरि	इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ।
	2. मैसर्ज स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कं० लिमिटेड, कलकत्ता ।
	3. जूट रिसर्च सैन्टर, कलकत्ता ।
	4. इण्डियन टी एसोसियेशन, कलकत्ता।

अध्ययन दल की रचना	दौरों की तारीखें तथा निरीक्षित एककों के नाम
	7 जुलाई, 1969
	1. सिफको लिमिटेड, हैदराबाद ।
	2. इण्डियन डिटोनेटर्स लिमिटेड, हैदराबाद
	3. सिनथैटिक ड्रग प्राजैक्ट इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद
	4. एच यू—फोम (प्राइवेट) लिमिटेड, हैदराबाद
	5. मैसर्ज़ वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड, हैदराबाद
	8 जुलाई, 1969
	1. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हैदराबाद
	2. इलैक्ट्रौनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद
	9 जुलाई, 1970
	हैदराबाद कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद

परिशिष्ट–पांच

(देखिये प्रतिवेदन का पैराग्राफ़ 10)

संघों/व्यक्तियों आदि की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया

क्रमांक	संघों/व्यक्तियों के नाम	तारीख जिसको साक्ष्य लिया गया
1	प्रोफेसर डा० स्तोयान प्रेत्नर, ल्यूबलियाना, युगोस्लाविया	17–1–69
2	दी युनाइटेड इन्टरनेशनल ब्यूरो फार दी प्रोटेक्शन आव इन्टेलेक्च्युल प्रापर्टी, (बी० आई० आर० पी० आई०), जेनेवा, स्विटजरलैण्ड	17–1–69
	प्रवक्ता : प्रोफेसर जी० एस० सी० बोदनहासेन, निदेशक, बी० आई० आर० पी० आई०	
3	नेशनल एसोसिएशन आव मेन्युफैक्चरर्स एण्ड फारमेक्यूटिकल मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, संयुक्त राज्य अमेरिका	20–1–69
	प्रवक्ता : श्री हरमेन सीद	
4	एसोसिएशन आव दी ब्रिटिश फारमेक्यूटिकल इण्डस्ट्रीज, लंदन	21–1–69
	प्रवक्ता : श्री आर० एफ० हसलम	
5	स्विस सोसाइटी आफ केमिकल इण्डस्ट्रीज यूरिच (स्विटजरलैण्ड)	22–1–69
	प्रवक्ता : श्री ओ० एच० नोवोत्नी	

क्रमांक	संघों/व्यक्तियों के नाम	तारीख जिसको साक्ष्य लिया गया
6	वेरबेंद डेर केमिशेन इण्डस्ट्रीज, ई० वी०, पश्चिम जर्मनी	22-1-69
	प्रवक्ता :	
	प्रोफेसर डा० ए० क्राफ्ट	
7	फेडरेशन आव दी फारमेक्यूटिकल इण्डस्ट्री आव दी फेडरेल रिपब्लिक आव जर्मनी .	23-1-69
	प्रवक्ता :	
	डा० हंस हार्म्स	
	डा० स्कॉल, सलाहकार	
8	एसोसिएशन आफ फारमेक्युटिकल मेनूफेक्चरर्स इन दी फेडरेल रिपब्लिक आव जर्मनी .	23-1-69
	प्रवक्ता :	
	श्री कुर्त ऐंजलहार्न	
	डा० स्कोल, सलाहकार	
9	ताकेदा केमिकल इण्डस्ट्रीस लिमिटेड, ओसाका (जापान) और जापान पेटेंट एसोसिएशन और फेडरेशन आव इक्नामिक्स आर्गेनाइजेशन	24-1-69
	प्रवक्ता :	
	श्री शोजी मतसुइ	
10	फार्मीतालिया, मिलानो (इटली) . .	25-1-69
	प्रवक्ता :	
	प्रो० फ्रेंको निकोलाई	
11	मेसर्स एल० एस० डाबर एण्ड कम्पनी, पेटेंट अटार्नीस, कलकत्ता . . .	14-2-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एल० एस० डाबर	
	2. श्री जी० एस० डाबर	
12	बेस्टोवेल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता .	14-2-1969
	प्रवक्ता :	
	श्री एस० बी० मेहरा	

क्रमांक	संघों/व्यक्तियों के नाम	तारीख जिसको साक्ष्य लिया गया
13	केमिकल, इण्डस्ट्रीयल एण्ड फारमेक्यूटिकल लेबारट्रीज लिमिटेड, बम्बई-8	14-2-1969
	प्रवक्ता : डा० के० ए० हमीद	
14	मेसर्स दीपेन्निग एण्ड दीपेन्निग, पेटेंट एण्ड ट्रेड मार्क्स एजेन्टस, कलकत्ता तथा	
	मेसर्स स्टारलाइट कारपोरेशन, मेनुफेक्चरर्स आव इमीटेशन स्टोनस, बम्बई	15-2-1969
	प्रवक्ता : 1. श्री के० रामापाई 2. श्री ए० आर० सिन्हा	
15	श्री के० रामापाई, रिटायर्ड कन्ट्रोलर आव पेटेंट्स एण्ड डिज़ाइनस, भारत सरकार, 37, मनोहर पुकार रोड, कलकत्ता-29	15-2-1969
16	एसोशिएटड चेम्बर्स आव कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आव इण्डिया, कलकत्ता	15-2-1969
	प्रवक्ता : 1. श्री आई० मेकीनान 2. श्री एच० डब्ल्यू० जे० नेश 3. डा० एस० वरदाराजन	
17	आल इण्डिया मेनुफेक्चरर्स आर्गेनाइज़ेशन, बम्बई	17-6-1969
	प्रवक्ता : 1. श्री एस० जी० सोमानी 2. श्री जी० एम० पारिख	

क्रमांक	संघो/व्यक्तियों के नाम	तारीख जिसको साक्ष्य लिया गया
18	डा० एस० रोहतगी, पी० एच० डी० (लंदन), ए फ० एल० एस० पोस्टबाक्स 227, कानपुर	17-6-1969
19	इण्डियन ड्रग मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई	17-6-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री जी० पी० नायर	
	2. डा० के० एम० पारिख	
20	फेडरेशन आव इण्डियन चेम्बर्स आव कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली	18-6-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री रमनभाई बी० अमीन	
	2. श्री पी० चेंतसाल राव	
	3 श्री वी० पी० जुनेजा	
21	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंगस लिमिटेड, कलकत्ता	18-6-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री पी० एल० पसरीचा	
22	इण्डियन केमिकल मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन, कलकत्ता	18-6-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एम० एस० शास्त्री	
	2. श्री ए० एम० गाडगिल :	
23	ट्रेड मार्क्स आउनर्स एसोसिएशन आव इण्डिया बम्बई	19-6-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एस० एच० गुरसहानी	
	2. श्री आर० ए० शाह	
	3. श्री सी० के० वी० राव	
24	इण्डियन मर्चेंट्स चेम्बर, बम्बई	20-6-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री जे० एच० डोशी	
	2. श्री एस० पी० गोदरेज	
	3. श्री पी० ए० नारियलवाला	
	4. श्री सी० एल० घीवाला	

क्रमांक	संघों/व्यक्तियों के नाम	तारीख जिसको साक्ष्य लिया गया
25	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेक्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	16-7-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री आर० के० चन्द्रशेखरन्, प्रबंध निदेशक	
	2. श्री एस० के० बोरकर	
26	डा० बी० शाह, औद्योगिक सलाहकार (औषधि) और डा० पी० आर० गुप्त, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास महानिदेशालय, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	16-7-1969
27	हेफ़किन संस्थान, बम्बई	16-7-1969
	प्रवक्ता :	
	1. डा० एन० के० दत्त, निदेशक	
	2. डा० सी० बी० देलीवाला	
28	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना	17-7-1969
	प्रवक्ता :	
	डा० बी० डी० तिलक, निदेशक	
29	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू तव्वी	17-7-1969
	प्रवक्ता :	
	डा० के० गणपति, निदेशक	
30	हिन्दोस्तान एंटीबाइटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पूना,	17-7-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री सी० ए० सुब्रह्मन्यम, प्रबन्ध निदेशक	
	2. डा० एम० जे० तिरुमलाचार	
31	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली	18-7-1969
	प्रवक्ता :	
	1. डा० आत्माराम	
	2. श्री बलदेव सिंह	
	3. श्री आर० बी० पाई	
32	डा० एस० एल० मुकर्जी, द्वारा साराभाई अनुसंधान केन्द्र बड़ौदा	18-7-1969

क्रमांक	संघों/व्यक्तियों के नाम	तारीख जिसको साक्ष्य लिया गया
33	आर्गेनाइज़ेशन आव फारमेक्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आव इण्डिया, बम्बई . . .	19-7-1969
	प्रवक्ता :	
	1. श्री कीर्थ सी० राय	
	2. श्री एस० वी० दिवेचा	
	3. श्री ए० वी० मोडी	
	4. श्री एल० जे० वाइमेन	
	5. श्री जे० एन० चौधरी	
34	श्री सी० आई० वी० ए० अनुसंधान केन्द्र, गोरगांव, बम्बई-63 . . .	26-7-1969
	प्रवक्ता :	
	डा० टी० आर० गोविन्दाचारी, निदेशक	
35	श्री बलदेव सिंह, आई० एल० एण्ड० ई० ओ० वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली . . .	26-7-1969
36	श्री नीरेन डे, भारत के महान्यायवादी .	29-1-1970

GMGIPND—RS II—1249 (B) LS—18-8-70—250

लोक सभा

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

(3 अगस्त, 1970 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 1970/श्रावण, 1892 (शक)

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969 का

शुद्धिपत्र

उक्त विधेयक में --

1. पृष्ठ 1 की पंक्ति 7 में `म` के स्थान पर `में` पढ़ें ।
2. पृष्ठ 2 की पंक्ति 4 में `धारा 2 में` के पश्चात् तारकचिन्ह अन्त:स्थापित करें तथा पंक्ति 32 के पार्श्व में `धारा 10 का संशोधन ।` पार्श्व शीर्षक अन्त:स्थापित करें और इसी पृष्ठ की पंक्ति 33 में `धारा 64 की उपधारा` के स्थान पर `धारा 64 की उपधारा ` पढ़ें ।
3. पृष्ठ 8 की पंक्ति 11 में `बावत` के स्थान पर `बाबत` पढ़ें ।
4. पृष्ठ 10 की पंक्ति 9 में `मौक` के स्थान पर `मौके` पढ़ें और पंक्ति 22 में `रेल-साइडिंग` के स्थान पर `रेलवे-साइडिंग ` पढ़ें ।
5. पृष्ठ 11 की पंक्ति 27 में `संपरिदित` के स्थान पर `संपरीदित` पढ़ें ।
6. पृष्ठ 14 की पंक्ति 28 में `. कोष्ठों` के स्थान पर `कोष्ठकों` पढ़ें ।
7. पृष्ठ 15 की पंक्ति 8 में `सनिर्माण` के स्थान पर ` संनिर्माण पढ़ें ।
8. पृष्ठ 16 की पंक्ति 23 में `अन्त:स्थापित` के स्थान पर `अन्त:स्थापित` पढ़ें ।
9. पृष्ठ 17 की पंक्ति 37 में पार्श्व शीर्षक में `असुविधाग्रस्त` के स्थान पर `असुविधाग्रस्त` पढ़ें ।
10. पृष्ठ 18 की पंक्ति 10 में `तन्निमित` के स्थान पर `तन्निमित्त` पढ़ें ।
11. पृष्ठ 22 की पंक्ति 5 से 10 तक के सामने की पार्श्व रेखा लुप्त करें ।
12. पृष्ठ 24 की पंक्ति 37 में `अप्राप्तवय` के स्थान पर `अप्राप्तवय अपत्य` पढ़ें ।
13. पृष्ठ 29 , की पंक्ति 22 में पार्श्व शीर्षक में `276 ग` के पश्चात् `और 276 घ` अन्त:स्थापित करें ।
14. पृष्ठ 30 की पंक्ति 20 में `धारा 276` के स्थान पर `धारा 276 ग` पढ़ें ।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 15, पंक्ति 18 में, "अविभक्त कुटुम्ब" के स्थान पर "हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब" पढ़िए ।

पृष्ठ 29, पंक्ति 30 में, "दण्डनीय" के स्थान पर "या दोनों से दण्डनीय" पढ़िए ।

विषय - सूची

		पृष्ठ
1.	प्रवर समिति की रचना	(iii)
2.	प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(V)
3.	विभक्ति टिप्पण	(xxxvi)
4.	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	I
	परिशिष्ट	
*	परिशिष्ट एक - विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव ।	-
*	परिशिष्ट दो - उन संगठनों/व्यक्तियों आदि की सूची जिन से प्रवर समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए ।	-
*	परिशिष्ट तीन - उन संगठनों की सूची जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया ।	-
*	परिशिष्ट चार - प्रवर समिति की बैठकों के कार्यवाही - सारांश ।	-

---

* परिशिष्ट (अपेन्डिसेज) केवल अंग्रेजी संस्करण में संलग्न है

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969

संबन्धी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही - सभापति

सदस्य

2. श्री जहान उद्दीन अहमद
3. सरदार बूटा सिंह
4. श्री नि. चं. चटर्जी
5. श्री जे. के. चौधरी
6. श्री एस. आर. दयानी
7. श्री नारायण दाभेकर
8. श्री पी.टी. गोपालन
9. श्री कंवर लाल गुप्त
10. श्री वी. ना. सुब्बय्या
11. श्री यशवंत सिंह कुशवाह
12. श्री वी. कृष्णामूर्ति
* 13. श्री पी. गोविन्द मेनन
14. श्री यशवन्तराव मुकने
15. श्री सो. क. पाटिल
16. श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद
17. श्री आर. दशरथ राव रेड्डी
% 18. श्री विश्वनाथ राय
19. श्री नरेन्द्र कुमार सालवे
20. श्री न. कु. साधी
** 21. श्री बेणी शंकर शर्मा
22. श्री योगेन्द्र शर्मा

---

* 23 मई, 1970 को निधन हो गया ।

% 22 जुलाई, 1970 को त्यागपत्र दे दिया ।

** श्री बृज भूषण लाल, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, के स्थान पर 24.12.69 को निर्वाचित किये गये ।

23. श्री जनार्दन जगन्नाथ सिंकरे

24. श्री रा. कृ. सिंह

25. श्री नन्द कुमार सोमानी

26. श्री वेल्लेटि सिंहाचलम

27. श्री राम सेवक यादव

$28. श्री प्रकाशचन्द जी. सेठी

विधायी परामर्शदाता

श्री के. के. सुन्दरम, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

श्री. आर. वी. एस. पेरिशास्त्री, अपर विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

1. श्री टी. गोविन्दन नायर, सचिव

2. श्री आर. एन. भुल्लु , सभापति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

3. श्री आर. डी. शाह, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

4. श्री टी. रामसामी आयर, उप-सचिव

5. श्री आर. आर. खोसला, उप-सचिव

6. श्री एस. पी. चौधरी, अवर-सचिव

सचिवालय

श्री एस. सी. चावला - उप सचिव

$ 31 जुलाई, 1979 को त्यागपत्र दे दिया ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, प्रवर समिति का सभापति, जिसको आय कर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957, दान कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाला* विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर; यह प्रतिवेदन जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है, प्रस्तुत करता हूँ ।

2. यह विधेयक 23 जुलाई, 1969 को पुरः स्थापित किया गया था । प्रवर समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रकाशचन्द बी. सेठी, द्वारा 30 अगस्त, 1969 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा इस पर उसी दिन विचार किया गया तथा वह स्वीकृत हुआ । (परिशिष्ट - एक)

3. समिति की कुल 31 बैठकें हुई ।

4. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम बनाने के लिये 1 सितम्बर, 1969 को हुई । इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि व्यक्तियों, लोक निकायों, व्यापार संगठनों, आयकर विधिज्ञ वर्ग संगठनों, राज्यसनदप्राप्त लेखापाल संस्थानों, लागत तथा निर्माण लेखापाल संस्थानों आदि का साक्ष्य सुना जाये तथा इस प्रयोजन के लिए ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये । सभापति को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया कि वह व्यक्तियों, संस्थाओं, आदि से प्राप्त ज्ञापनों की जांच करने के बाद यह निर्णय करे कि उनमें से किन को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाये ।

5. विधेयक के बारे में समिति को विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं, आदि से 88 ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए (परिशिष्ट - दो)

---

* अध्यक्ष की पूर्व-अनुमति से, दिनांक 20 मई, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

6. समिति ने क्रमशः दिनांक 31 अक्तूबर और 1 नवम्बर, 1969, 8, 9, 10, 15, 16, 17 और 31 जनवरी, 5, 6, और 7 फरवरी, 7 और 24 अप्रैल, 19, 20, 21, और 22 जून, 1970 को हुई अपनी चौथी, पांचवी, 8वीं, 9 वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं 17वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं बैठकों में व्यक्तियों/संस्थाओं आदि द्वारा दिये गये साक्ष्य सुने जैसा कि परिशिष्ट-तीन में दिया गया है ।

8वीं, 9वीं और 10वीं बैठकें काउन्सिल चैम्बर, कलकत्ता में हुई, 11वीं, 12वीं और 13वीं बैठकें काउन्सिल हाल, बम्बई में हुई, 15वीं और 16वीं बैठकें सेन्ट्रल हाल, लेजिस्लेटर्ज होस्टल (पुराना), मद्रास में हुईं, 17वीं बैठक कान्सफ्रेन्स हाल, विधान सौध, बंगलौर में हुई, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 26वीं और 27वीं बैठकें विधान सभा भवन, श्रीनगर, में हुई; 22वीं बैठक पहलगांव क्लब, पहलगांव में हुई और 24वीं बैठक गुलमर्ग क्लब, गुलमर्ग में हुई ।

7. समिति ने स्थल पर अध्ययन करने के सम्बन्ध में घाटशिला (जमशेदपुर के निकट) स्थित तांबा अयस्क खानों का भी निरीक्षण किया ।

8. समिति का प्रतिवेदन अगले सत्र (अर्थात् लोक सभा (1969) के शीतकालीन सत्र) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत किया जाना था । चूंकि ऐसा नहीं किया जा सका अतः समिति ने 31 अक्तूबर, 1969 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि 30 अप्रैल, 1970 तक बढ़ाने की मांग की जाये । इस आशय का आवश्यक प्रस्ताव 18 नवम्बर, 1969 को सभा में पेश किया गया और उसी दिन स्वीकृत हुआ । 24 अप्रैल, 1970 को हुई अपनी बैठक में समिति ने पुनः निर्णय किया कि प्रतिवेदन

प्रस्तुत करने के समय को वर्षाकालीन सत्र (1970) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाने की माँग की जाये । इसका कारण यह था कि समिति ने महसूस किया कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्यों का विश्लेषण करना तथा बजट सत्र के दौरान विधेयक पर विचार करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि सदस्य सभा में अधिक आवश्यक वित्तीय कार्य में व्यस्त रहेंगे । आवश्यक प्रस्ताव 27 अप्रैल, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

9. समिति ने यह निर्णय भी किया कि समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य मुद्रित किया जाये तथा सभा-पटल पर रखा जाये ।

10. समिति ने 23, 24 और 25 जून तथा 7, 8 और 9 जुलाई, 1970 को हुई अपनी 25 वीं, 26 वीं, 27वीं, 28वीं 29वीं और 30वीं बैठकों में विधेयक पर खण्डवार पर विचार किया ।

11. समिति ने 23 जुलाई, 1970 को प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकृत किया ।

12. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचारों का ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है । (निम्न पैराग्राफों में 'नये खण्डों' का हवाला समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक के खण्डों से है)

13. विधेयक में किये गये दो मुख्य परिवर्तनों के बारे में जिनसे अनेक खण्डों पर प्रभाव पड़ता है, आरम्भ में ही स्पष्टीकरण करना उचित होगा । इन में से एक परिवर्तन फर्मों की तथा उनके भागीदारों की आय के कराधान के प्रयोजन के लिये भागीदारी फर्मों के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर ऐसी फर्मों की 'मान्यता' के लिए एक नयी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए विधेयक में की जाने वाली व्यवस्था से सम्बन्धित है ।

समिति का विचार है कि भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने

की नई प्रक्रिया को लागू करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां होंगी और इससे ऐसी फर्मों को भी कठिनाई हो सकती है । इसलिए समिति महसूस करती है कि नई प्रक्रिया को विधेयक से निकाल दिया जाये और भागीदारी फर्मों के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया में कुछ ऐसे उपान्तर करके उसे ही जारी रखा जाये जिससे कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयाँ दूर हो जाएं जो इसे लागू करने में अनुभव की गई हैं और वैधानी भागीदारों को दिखाकर कर केदायित्व से कमी करने की गुंजाइश समाप्त हो जाये ।ये उपान्तरइस प्रकार हैं:-

(क) फर्मों के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत, आयकर अधिकारी को फर्म की वास्तविकता तथा भागीदारी के दस्तावेज में निर्दिष्ट उसके गठन की जांच पड़ताल करनी होती है और यदि उसका इस विषय में समाधान हो जाये कि यह फर्म वास्तव में विद्यमान है / गत वर्ष विद्यमान थी, और उसका गठन भी निर्दिष्ट रूप में ही है तो वह उसको रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकता है । अब इस उपबन्ध में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि कोई फर्म उस दशा में असली नहीं मानी जायगी जब उस फर्म का कोई भागीदार, फर्म की आय या सम्पत्ति में अपने पूर्ण अंश या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी ऐसे अन्य भागीदार का वेनामीदार था जिससे प्रथम वर्णित भागीदार का सम्बन्ध पति-पत्नी या अपत्य का न हो ।(देखिए नया खण्ड 34)

(ख) वर्तमान कानून के अन्तर्गत, किसी फर्म को किसी करनिर्धारण वर्ष के लिये अनुदत्त पंजीकरण, प्रक्रिया सबंधी कुछ शर्तें पूरी किये जाने पर, पश्चातवर्ती प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये भी प्रभावी रहता है । इन में से एक शर्त यह है कि संगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी के साथ फर्म इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करे कि फर्म के गठन अथवा भागीदारी के शेयरों

में, जैसा कि भागदारी के दस्तावेज में निर्दिष्ट है जिसके आधार पर पंजीकरण अनुदत्त किया गया था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अब इसं शर्त में कुछ उपान्तर कर दिया गया है जिससे कि आय की विवरणी देने की निर्धारित तारीख से पूर्व किसी भी समय घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त जहाँ आयकर अधिकारी का समाधान हो जाये कि वह फर्म उक्त अवधि में घोषणा देने में पर्याप्त हेतुक से निवारित थी वहाँ वह फर्म को इस बात के लिये अनुज्ञात कर सकेगा कि वह निर्धारण किये जाने के पूर्व किसी भी समय घोषणा दे ' । (देखिए नया खण्ड 34)

(ग) इस समय कानून में इस स्थिति के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ कि फर्म द्वारा दी गई इस आशय की घोषणा त्रुटिपूर्ण है - कि फर्म के गठन अथवा भागीदारी के शेयरों में, जैसा कि भागीदारी के दस्तावेज में निर्दिष्ट है, जिसके आधार पर पंजीकरण अनुदत्त किया गया था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । पश्चातवर्ती वर्ष में केवल घोषणा पत्र की तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी फर्म का अरजिस्ट्रीकृत फर्म के रूप में निर्धारण किये जाने की संभावना को समाप्त करने के लिये, आयकर ~~/~~ विधि नियम/ के संगत उपबन्ध में संशोधन करके अब यह व्यवस्था की जा रही है कि आयकर अधिकारी फर्म को त्रुटि प्रज्ञापित करेगा तथा उसको एक मास की कालावधि के भीतर परिशुद्ध करने का अवसर देगा । यदि उस कालावधि के भीतर वह त्रुटि परिशुद्ध नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, यह घोषणा करेगा कि पूर्ववर्ती वर्ष के लिये फर्म को अनुदत्त पंजीकरण पश्चावर्ती वर्ष के लिये प्रभावी नहीं होगा (देखिए नया खण्ड 33)

(घ) आयकर अधिकारी के किसी फर्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पत्र को इस आधार पर रद्द करने के आदेश के विरूद्ध कि आवेदन पत्र में कुछ त्रुटियां थी जो कि आयकर अधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय में परिशुद्ध नहीं की गई तथा इस आदेश के विरूद्ध भी जिसके द्वारा यह घोषणा की जाये कि फर्म को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के लिये प्रभावी नहीं होगा क्योंकि फर्म द्वारा दी गयी घोषणा में कुछ त्रुटियां थीं जिन्हें आयकर अधिकारी द्वारा अनुज्ञात कालावधि के भीतर परिशुद्ध नहीं किया गया, अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील करने की अब व्यवस्था की गई है (देखिए नया खण्ड 44)

14. दूसरे परिवर्तन का जिससे विधेयक के कई खण्डों पर प्रभाव पड़ता है, संबंध उस तारीख से है जिससे विधेयक के विभिन्न खण्ड लागू होंगे । चूंकि जिस वर्ष विधेयक को पारित करके अधिनियम का रूप दिया जाये, और ऐसा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हो जाने की संभावना है, उसके बिल्कुल अगले निर्धारण वर्ष के निर्धारणों के संबंध में विधेयक के अधिकांश उपबन्धों को भावेष्यलक्षी रूप से लागू करने का विचार है । अतः विधेयक के उपबन्धों को 1 अप्रैल, 1971 अर्थात कर निर्धारण वर्ष 1971-72, से लागू करना इस विचार के अनुरूप ही होगा । विधेयक के कुछ उपबन्धों में कुछ मामलों में कर में रियायतों तथा राहतों के देने की व्यवस्था की गई है जबकि अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत करदाताओं पर अतिरिक्त दायित्व डालने की व्यवस्था है । यदि इन उपबन्धों को कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के निर्धारणों पर लागू किया गया तो 1970-71 के निर्धारण कार्य की प्रगति में विलम्ब होगा क्योंकि करदाता इस वर्ष की अपनी आय की विवरणियां नहीं दे सकेंगे

अथवा विधेयक के अधीन उन पर डाले जाने वाले दायित्वों का पालन नहीं कर सकेंगे । अतः समिति ने यह निश्चय किया है कि विधेयक के प्रथम खण्ड में विशेष रूप से यह व्यवस्था करने के लिये संशोधन किया जाना चाहिये कि विधेयक के विभिन्न उपबन्ध, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, 1 अप्रैल, 1971 से लागू होंगे ताकि यह कर निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू किये जा सकें । इसके फलस्वरूप अन्य खण्डों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जायेगा जिससे कि वे खण्ड । के इस सामान्य उपबन्ध के अनुरूप हो सकें । विधेयक के अधिनियमित होने पर इस परिवर्तन के फलस्वरूप, प्रशासन को विधेयक के उपबन्धों का अध्ययन करने तथा उनको कर निर्धारण वर्ष 1971-72 में ठीक ठीक कर निर्धारण करने के पहले से लागू करने के लिये पर्याप्त समय मिलेगा और इसी प्रकार करदाताओं को अपने अगले वर्ष की विवरणियां देते समय विधेयक के उपबन्धों का पालन करने के लिये पर्याप्त समय मिलेगा ।

15. खण्ड 2 भागीदारी फर्मों को मान्यता देने की नयी प्रक्रिया से संबंधित विधेयक के उपबन्धों को निकालने के समिति के निर्णय को कार्यरूप में परिणत करने के लिये और 'कृषि आय' की परिभाषा को वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा संशोधित रूप में आयकर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (14) में उल्लिखित 'पूंजी आस्ति' की परिभाषा के अनुरूप बनाने के लिये भी इस खण्ड में संशोधन किया गया है । दी गई 'कृषि आय' की परिभाषा में/ परः स्थापित रूप में विधेयक में/किये गये संशोधन के अन्तर्गत, फर्म के भवन से प्राप्त आय उसी अवस्था में कृषि आय की श्रेणी में आयेगी जबकि वह भवन किसी भी सीमाओं/ नगरपालिका या छावनी बोर्ड की निकटतम स्थानीय/से 8 किलोमीटर के बाहर हो और उस भूमि पर या उसके ठीक निकट स्थित न हो जिस पर या तो भारत में भूराजस्व निर्धारित हो या वह ऐसे स्थानीय रेट के अधीन हो जो सरकार के

अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता हो । समिति महसूस करती है कि 10 हजार से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं तथा छावनी बोर्ड तथा ऐसी नगरपालिकाओं से लगे हुए क्षेत्र वास्तव में ग्रामीण ही हैं । समिति यह भी महसूस करती है कि 10 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं तथा छावनी बोर्डों के मामले में भी 8 किलो मीटर के मानदंड उपयुक्त नहीं होंगे क्योंकि ऐसी नगरपालिकाओं तथा छावनी बोर्डों से लगे हुए क्षेत्रों का नगरीकरण प्रत्येक नगरपालिका तथा छावनी बोर्ड में भिन्न भिन्न होता है । अतः समिति सिफारिश करती है कि 10 हजार से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं तथा छावनी बोर्डों में स्थित फार्म भवनों से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय माना जाये और यह उन मामलों में भी लागू किया जाये जहां उस भूमि पर, जिस पर इस प्रकार के भवन स्थित है, कोई भू-राजस्व अथवा स्थानीय रेट नहीं दिया जाता हो ।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि जिन नगरपालिकाओं और छावनी बोर्डों की जनसंख्या दस हजार या उससे अधिक है उनके सम्बन्ध में सरकार को वित्त अधिनियम 1970 द्वारा संशोधित 'पूंजी आस्ति' की परिभाषा के अन्तर्गत प्रत्येक मामले पर अलग अलग विचार करना चाहिए और इस प्रकार की प्रत्येक नगरपालिका या छावनी बोर्ड के निकट के क्षेत्रों के नगरीकरण तथा अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक ऐसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड के बारे में उचित सीमा (जो अधिक से अधिक 8 किलोमीटर हो) अधिसूचित करनी चाहिए । इस संशोधन के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृ॰ चं॰ सेठी) ने समिति को आश्वासन दिया था कि किसी क्षेत्र को किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से बाहर अधिसूचित करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार जनता से टिप्पणियां और सुझाव मांगेगी ।

समिति आशा करती है कि मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन तदनुसार कार्यान्वित किया जायेगा ।

16. खण्ड 3 समिति ने इस खण्ड में कुछ संशोधन किये है जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है :-

(एक) उपखण्ड (ख) द्वारा आयकर अधिनियम में यह नया उपबन्ध अन्तःस्थापित किया जाता है कि जहां केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार किसी कर निर्धारिती के सम्बन्ध में, जो किसी विदेशी राष्ट्रीयता वाला व्यक्ति हो या जो व्यक्ति से भिन्न कोई अन्य अनिवासी व्यक्ति हो, कर का दायित्व वहन करे तो सरकार द्वारा इस प्रकार वहन की गई कर की रकम पर निर्धारिती के आय के रूप में और आगे कर नहीं लगेगा । समिति अनुभव करती है कि यह उपबन्ध आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसे निकाल दिया गया है ।

(दो) उपखण्ड (ग) (नया उपखण्ड) (ख)

समिति अनुभव करती है कि किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो गृह यात्रा रियायत या सहायता के सम्बन्ध में इस उपखण्ड में जिस छूट की व्यवस्था की गई है वह ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में किसी स्थान की यात्रा पर भी लागू की जानी चाहिए किन्तु इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि छूट की अधिकतम रकम किसी भी दशा में उस यात्रा रियायत या सहायता से अधिक नहीं होगी जो गृह यात्रा रियायत या सहायता के रूप में इस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जानी थी या उसे देय होती । समिति यह भी अनुभव करती है कि यह तर्क उत्पन्न न होने देने के लिए कि छूट छूट केवल पुरुष कर्मचारियों को ही प्राप्त है उपबन्ध में पत्नी शब्द के स्थान पर 'पति या पत्नी' रखा जाना चाहिए । इस

उपखण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

(तीन) उपखण्ड (घ) (एक) (नया उप-खण्ड (ग)

में/

(एक) : इस उपबन्ध /'पत्नी' शब्द के स्थान पर 'पति या पत्नी' रखा दिया गया है जिसका कारण पूर्ववर्ती पैराग्राफ में स्पष्ट कर दिया गया है ।

(चार) उप-खण्ड (घ) (दो) तथा (घ) (तीन)

(नया उपखण्ड (ग) (दो) तथा (घ) (तीन): सीमित नेभारतीय तकनीकज्ञों की उपलब्धता, देश की आवश्यकता तथा अन्य संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत में काम करने वाले विदेशी तकनीकज्ञों के पारिश्रमिक को कर से मुक्त करने की नई योजना में निम्न प्रकार से संशोधन किया है :

(क) जो तकनीकज्ञ औद्योगिक या कारबार के प्रबन्ध के तकनीकों या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के वितरण या कुक्कुट पालन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों, वे अपने पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कर में कोई छूट पाने के अधिकारी नहीं होंगे ।

(ख) अन्य तकनीकज्ञ के मामलों में 4,000 रुपये प्रति महीने तक के पारिश्रमिक को कर से छूट देने की अवधि, जो विधेयक में 36 महीने रखी गयी है, घटाकर 24 महीने कर दी गयी है ।

(ग) विदेशी तकनीकज्ञों की सेवा के करार पर केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए, जिससे कि उसे कर से छूट मिल सके, विनिर्दिष्ट समय सीमा अब केवल ऐसी मंजूरी प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु ऐसी करने मंजूरी के लिए आवेदन के लिए लागू होगी । दूसरे शब्दों

में, यदि तकनीकज्ञ की भारत में सेवा आरम्भ होने के संबंध से छः महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही आवेदन कर दिया जाता है तो वह कर में रियायतें पाने का अधिकारी होगा चाहे मंजूरी इस अवधि के बाद प्रदान की जाये ।

(घ) भारत में काम करने वाले विदेशी तकनीकज्ञों को कर में छूट देने की नयी योजना केवल उन्हीं तकनीकज्ञों पर लागू होगी जो 31.3.1971 के बाद भारत में काम करना प्रारम्भ करेंगे । जो तकनीकज्ञ 31.3.1971 को या उससे पहले भारत में काम करना आरम्भ करेंगे उनके सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के वर्तमान उपबन्ध ही लागू रहेंगे ।

(पाँच) <u>उपखण्ड (च) (नया उपखण्ड (ङ.))</u>

चाय की झाड़ियों के पुनः रोपण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के अधीन चाय उद्योग के मामले में मिलने वाली किसी साहायिकी पर कर की छूट देने के लिए उपखण्ड (च) में किये गये नए उपबन्ध को, चाय की पुरानी झाड़ियों के स्थान पर नई झाड़ियां लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के अधीन प्राप्त साहायिकी पर भी लागू कर दिया गया है

(छः) इस निर्णय को कि वर्षेरक के उपबंध वर्ष 1970-71 के स्थान पर क सामान्यतः कर निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू होने चाहिए, (देखिए पैरा 14) कार्य रूप देने के लिए इस खण्ड में कुछ अन्य संशोधन भी किए गए हैं ।

17. <u>खण्ड 4</u> समिति अनुभव करती है कि उस गृह सम्पत्ति के जो स्वामी के अधिभोग में स्वयं उसके निवास के लिए हो वार्षिक मूल्य की संगणना, करते/ सरल, उस सम्पत्ति की तरह ही जो किराए पर उठाई जाती है नगरपालिका/ करों/ के लिए कटौती अनुज्ञात की जानी चाहिए । इसलिए खण्ड उपान्तरित कर दिया गया है जिससे/ वही स्थिति

प्रत्यावर्तित हो सके जो 1962-63 से पहले विद्यमान थी जबकि स्वायी के अधिभोग में जो सम्पत्ति होती थी उस पर भी नगरपालिका नगरपालिका करों के लिए कटौती मिलती थी .। इस खण्ड में किए गए अन्य संशोधन या तो परिणामिक है या प्रासंगिक सम्बन्धी है या

निधारिण) विधेयक के उपबन्धों को वर्ष 1970-71 के स्थान पर सामान्यतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने के निर्णय (देखिए पैरा 14) को कार्यान्वित करने के लिए किए गए हैं ।

18. खण्ड 5 समिति अनुभव करती है कि यह निश्चय करना प्रशासकीय दृष्टि से कठिन होगा कि किराए के भवन के नवीकरण आदि पर निधारिती द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय उसके द्वारा उसके कारबार या वृत्ति के लिए सद्भावपूर्वक उपगत किया गया या अथवा नहीं । इसलिए 'सद्भावपूर्वक शब्दों का लोप कर दिया गया है । इस खण्ड में किए गए अन्य संशोधन प्रासंगिक सम्बन्धी है या पारिणामिक है या पैरा 13 के अनुसार, पशुओं को 'क्रूरता' देने सम्बन्धी नई प्रक्रिया को न अपनाने के निर्णय तथा, पैरा 14 के अनुसार, इस विधेयक के उपबन्धों को वर्ष निधारिण वर्ष 1970-71 के स्थान पर सामान्यतः वर्ष 1971-72 से लागू करने के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए किए गए हैं ।

19. खण्ड 6 इस खण्ड को अवक्षयण छूट देने सम्बन्धी शर्तों के अभिप्राय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है ।

20 खण्ड 7 इस खण्ड में किया गया संशोधन प्रासंगिक सम्बन्धी है ।

21. खण्ड 8 पुरःस्थापित रूप में विधेयक के इस खण्ड द्वारा आयकर अधिनियम में तीन और नई धाराएं (35 घ, 35 ङ. तथा 35 च) अन्तःस्थापित की जानी थी जिनके द्वारा (एक) भारतीय कम्पनियों के मामलों में कुछ प्रारम्भिक व्ययों का,

(दो)सभी वर्गों के करदाताओं के मामले में औद्योगिक उपक्रमों के **स्थानान्तरण** सम्बन्धी व्यय **का** और (तीन) भारतीय कम्पनियों के मामले में विनिर्दिष्ट खनिजों की .. खोज तथा उनके विकास सम्बन्धी व्यय के समायोजन की व्यवस्था की जाती थी । समिति ने इन उपबन्धों में निम्नलिखित परिवर्तन किये हैं :-

(एक) <u>भारतीय कम्पनियों के मामलों में कुछ प्रारम्भिक व्ययों का समायोजन(धारा 35 घ) :-</u>

(क) यह रियायत भारतीय कम्पनियों के अतिरिक्त स्थानिक अनिगमित निधारितयों के मामलों में भी उपलब्ध होगी । तथापि इसके लिए यह आवश्यक होगा कि संगत वर्षों के जिनमें कि व्यय किया गया था निधारितयों के (कम्पनी या सहकारी समिति से भिन्न) खातों की एक राजस्वनद प्राप्त लेखापाल द्वारा लेखा -परीक्षा कराई जाये तथा ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए निधारित प्रपत्र में पहले वर्ष की, जिसमें समायोजन की माग की गई हो आय/की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(ख) समायोजन के लिए व्यय की राशि की सीमा परियोजना लागत, अर्थात उस पूर्व वर्ष के, जिसमें निधारिती का कारबार आरम्भ हो, अंतिम दिन निधारिती के खातों में दिखाई गई अचल आस्तियों (भूमि, भवन, भूमि - पट्टे, संयंत्र, मशीनें, फर्नीचर, फिटिंग तथा रेलवे साइडिंग्स, जिसमें भूमि तथा भवन के विकास सम्बन्धी व्यय की शामिल हैं की वास्तविक लागत का 2-1/2 प्रतिशत होगी । औद्योगिक उपक्रम के विस्तारण या नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना के मामले में इस प्रयोजन के लिए 'परियोजना लागत' का अर्थ होगा, अचल आस्तियों

(उपर्युक्त अनुसार), जैसा कि वे जिस पूर्व वर्ष में, यथास्थिति, औद्योगिक उपक्रम का विस्तारण पूरा हो जाये या नई औद्योगिक इकाई उत्पादन या कार्य करना प्रारम्भ करे उसके अंतिम दिन विद्यमान थी बहीखातों/ गयी हों, जहां तक कि ऐसी अचल आस्तियां औद्योगिक उपक्रम के विस्तारण या नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में अर्जित या विकसित की गई हों, की वास्तविक लागत ।

भारतीय कम्पनियों के मामले में, कम्पनी अपने कारबार में नियोजित पूंजी की 2-1/2 प्रतिशत की सीमा तक प्रारम्भिक व्ययों के प्रयोजन की पूर्ति कर सकेगी । नियोजित पूंजी में कम्पनी की हिस्सा पूंजी, डिबेंचरों तथा दीर्घकालिक उधारों पर, जो कि औद्योगिक उपक्रम के विस्तारण अथवा कम्पनी की नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में जारी या अभिप्राप्त किये गये हों, विचार किया जायेगा ।

यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि दीर्घकालिक उधारों में वे ऋण भी शामिल होंगे जिन्हें कम्पनी ने विदेशों में पूंजीगत सामान और मशीनें खरीदने के लिए दीर्घकालीन आधार पर लिया हो ।

(ग) साध्यता प्रतिवेदन या परियोजना प्रतिवेदन के तैयार करने या निधारिती के कारबार से सम्बन्धित बाजार सर्वेक्षण अथवा किसी अन्य सर्वेक्षण या इंजीनियरी सेवाओं पर हुए व्ययों का सम्प्रयोजन केवल उन्हीं मामलों में ही नहीं होगा जिनमें कार्य किसी अन्य कम्पनी द्वारा किया गया हो (जैसा कि विधेयक में उपबन्धित है) अपितु उसमें भी होगा जहां कार्य निधारिती द्वारा स्वयं किया गया/। तथापि, जहां ऐसा कार्य किसी अन्य कम्पनी को सौंपा गया हो वहां व्यय का सम्प्रयोजन केवल तभी किया जा सकेगा जब कि इसके लिए कम्पनी को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो ।

(घ) 31 मार्च, 1970 के पश्चात केवल विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अधीन किये गये प्रारम्भिक व्ययों का ही सम्प्रयोजन किया जा सकेगा । पुरःस्थापित रूप में विधेयक में इसके लिए 31.3.1969 तारीख विनिर्दिष्ट थी)

इस उपबन्ध के प्रयोजन के लिए व्यय की अन्य उपयुक्त मदों को शामिल करने के लिए सदस्यों द्वारा इस खण्ड में संशोधनों के लिए दी गई सूचनाओं पर विचार करते समय समिति को बताया गया था कि तकनीकी जानकारी के लिए एकमुश्त अदायगी तथा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सम्मेलन / विलयन के सम्बन्ध में हुए व्यय जैसी मदों को शामिल करने के मामलों में, आयकर निर्णयों में हुई कमी के अन्य मद निर्धारित करते समय जांच की जाएगी, जिसके लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आवश्यक शक्ति प्रदान की जा रही है । समिति आशा करती है कि विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करते समय इस आश्वासन को ध्यान में रखा जाएगा ।

(दो) औद्योगिक उपक्रमों के स्थानान्तरण पर व्यय

(धारा) 35 ङ.)

समिति ने विषय किया है कि इससे सम्बन्धित उपबन्धों का विधेयक से लोप कर

दिया जाये क्योंकि स्थानीय कानूनों की प्रयुक्ति से बचने की दृष्टि से कारखानों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण को कर की रियायत देकर ~~से~~ प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए ।

(तीन) <u>विनिर्दिष्ट खनिजों के विकास के लिए ~~[illegible]~~ के पूर्वेक्षण पर व्यय (धारा 35 च अब पुनर्संख्यांकित धारा 35 ङ)</u>

(क) यह उपबन्ध/ उपबन्ध भारतीय कम्पनियों के, अतिरिक्त स्थानिक अनिगमित करदाताओं पर भी लागू होगा । तथापि, इस के लिए यह आवश्यक होगा कि संगत वर्षों के जिन में कि व्यय किया गया था, करदाता के (कम्पनी अथवा सहकारी समिति से भिन्न) खातों की एक राजसनद प्राप्त लेखापाल द्वारा लेखा परीक्षा की जाये और ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में, पहले वर्ष से जिसमें संयोजन की मांग की गई हो, आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(ख) विशेषक व्यय का संयोजन ऐसे खनिज अथवा खनिजों के/ जिनके लिए व्यय किया गया/ वाणिज्यिक विदोहन से उदभूत लाभों से करने की अनुमति दी जायेगी । इसमें निर्धारिती द्वारा पूर्व स्थापित ऐसे खनिज अथवा खनिजों के वाणिज्यिक उत्पादन से होने वाले लाभ भी सम्मिलित हैं ।

(ग) केवल 31 मार्च, 1970 के/पश्चात् विनिर्दिष्ट खनिज अथवा खनिजों के पूर्वेक्षण तथा विकास पर किये गये व्यय का ही परिशोधन हो सकेगा । (विधेयक के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए सम्बद्ध तारीख 31.3.1969 थी)। इस खण्ड के अन्य परिशोधन या तो पारिणामिक है अथवा प्रासंगिक सम्बन्धी है । जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है (देखिए पैराग्राफ 14) इस खण्ड के उपबन्ध वर्ष 1970-71 के बजाय 1971-72/निर्धारण वर्ष से भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होंगे ।

22. <u>नया खण्ड 10</u> समिति महसूस करती है कि कर्मचारियों के हितों, सुविधाओं अथवा परिलब्धियों की व्यवस्था करने के लिए किसी कारोबार अथवा व्यवसाय में किए गए व्यय को उचित सीमा तक उचित राशि पर वृद्धि अधिनियम की धारा 40 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (पांच) को लागू करने में किसी विदेशी तकनीकज्ञ के वेतन पर नियोजक द्वारा दिये गये कर को, जो विदेशी तकनीकज्ञ की आय के रूप में अग्रेतर कर से छूट का पात्र है, हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए । इसलिए आय कर अधिनियम की धारा 40 में संशोधन करने के लिए एक नया खण्ड अन्तःस्थापित किया गया है ।

23. <u>खण्ड 11, 12, और 13 (नये खण्ड 12, 13 और 14)</u>

इन खण्डों को कतिपय ऐसे संशोधन करने के लिए संशोधित किया गया है जो कि प्रासंगिक अथवा पारिणामिक है और जिन का प्रयोजन खण्डों में अन्तर्निहित उद्देश्य को अधिक स्पष्ट करना है ।

24. <u>नया खण्ड 15</u> पुरःस्थापित रूप में विधेयक के क्रमशः खण्ड 5 और 10 के अधीन आय-कर अधिनियम की धारा 32 और 41 में किए गए संशोधनों को देखते हुए समिति महसूस करती है कि उन आस्तियों की बिक्री पर जिनके सम्बन्ध में 'अन्य साधनों से आय' शीर्ष के अन्तर्गत आय की गणना करते समय अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है, लगाये जाने वाले संतुलन/शुल्क से सम्बन्धित आय-कर अधिनियम

की धारा 59 का संशोधन किया जाना चाहिए । तदनुसार यह नया खण्ड अन्तःस्थापित किया गया है ।

25. खण्ड 14 (नया खण्ड 16) : इस खण्ड का निम्नलिखित मामलों के संबंध में संशोधन किया गया है ,

(एक) यह उपबंध अब निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू होगा (देखिए पैराग्राफ 14)

(दो) किसी व्यक्ति की अपनी पृथक् सम्पत्ति से, जो उस हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की, जिसका वह सदस्य हो, सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित की गई हो, होने वाली आय इस खण्ड के उपबंध के विस्तार क्षेत्र में तभी आयेगीजब परिवर्तन 31.12.1969 के पश्चात् किया गया हो । (इस प्रयोजन के लिए विधेयक में विनिर्दिष्ट तारीख 31.3.1965 थी)

(तीन) इस उपबंध के अन्तर्गत परिवर्तित सम्पत्ति से होने वाली आय पर, इस बात का ध्यान रखे बिना कि इससे राजस्व को लाभ होगा अथवा नहीं, परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की आय के रूप में कर लगाया जायेगा । समिति महसूस करती है कि हर वर्ष यह सुनिश्चित करने में व्यवहारिक रूप से गंभीर कठिनाइयां होगी कि क्या ऐसी आय, व्यष्टि की आय के रूप में पड़ कर लगाने से राजस्व को लाभ होगा अथवा नहीं और यदि विधेयक के इस विषय से संबंधित उपबंध को रहने दिया गया तो इससे निर्धारण में विलम्ब होगा ।

26 खण्ड 15, 16, 17 और 18 : भागीदारी फर्मों को 'अन्यता' प्रदान करने की नई प्रक्रिया को विधेयक से निकाल दिये जाने ; (देखिए पैराग्राफ 13) के परिणाम स्वरूप इन खण्डों का लोप कर दिया गया है ।

27. खण्ड 19 (नया खण्ड 17) — पैराग्राफ 14 के अनुसार विधेयक के उपबंधों को निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय आयान्यतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने के प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिए इस खण्ड का संशोधन किया गया है ।

28. <u>खण्ड 21</u> —विधेयक के खण्ड 43 के अन्तर्गत भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने की नई प्रक्रिया के निकाल दिये जाने के परिणाम स्वरूप इस खण्ड का लोप कर दिया गया है ।

29. <u>खण्ड 24</u> (नया खण्ड 21) इस खण्ड में दिये गये संशोधनों का उद्देश्य विधेयक के उपबंधों को निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय आनुषंगिकतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने के प्रस्ताव को कार्य रूप देना है ।

30. <u>खण्ड 25 (नया खण्ड 22)</u> — इस खण्ड में संशोधन एक ऐसे निकाली व्यक्ति की कुल आय की संगणना में, जो पूर्णतः अन्धा होने अथवा जो किसी अन्य स्थायी शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित हो, छूटों की रकम को 2000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये/करने के लिए, किया गया है । इस खण्ड में किया गया उपबंध भी, पैराग्राफ 14 के अनुसार निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू होगा ।

31. <u>खण्ड 26</u> — पैराग्राफ 13 के अनुसार, भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने की नई प्रक्रिया के निकाल दिये जाने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप इस खण्ड का लोप कर दिया गया है ।

32. <u>खण्ड 27 (नया खण्ड 23)</u> — प्रस्तुत संशोधन करती है कि उन दशाओं में, जब कि वेतन आदि एकमुश्त अथवा औसत के रूप में दिया जाता हो, राशि देने के लिए धारा 89 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी आयकर आयुक्त के बजाय आयकर अधिकारी होना चाहिए । इस खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

33. <u>खण्ड 28 (नया खण्ड 24)</u> :— इस खण्ड में किया गया संशोधन प्रासंगिक है ।

34. <u>खण्ड 29 (नया खण्ड 25)</u> :— प्रस्तुत संशोधन करती है कि धारा 119 के अधीन अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश देने की

बोर्ड की शक्ति के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए कि वह किसी आय कर प्राधिकारी से कोई विशेष निर्धारण करने अथवा किसी विशेष मामलें को किसी विशेष ढंग से निपटाने के लिये कहे।

नीति का यह भी विचार है कि जब भी कभी बोर्ड द्वारा धारा 119 के अधीन सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी किये जायें जिनके द्वारा राजस्व के निर्धारण अथवा संग्रहण अथवा शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ करने से संबंधित कार्य में लगाकर प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों या प्रक्रियाओं के बारे में, यदि बोर्ड के विचार से ऐसा करना लोक हित के लिये आवश्यक है, निदेश या अनुदेश दिये गये हों तो ऐसे आदेशों को जनसाधारण की जानकारी के लिये निर्धारित रूप में प्रकाशित कराया जाना चाहिये। तदनुसार इस खण्ड में संशोधन किया गया है। इस खण्ड में जो अन्य संशोधन किये गये हैं वे या तो स्पष्टीकरण संबंध रखते है या विधेयक के उपबंधों को निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय सामान्यतः 1971-72 से लागू करने के प्रस्तावों को कार्य रूप देने के लिए किये गए है।

35. खण्ड 30 (नया खण्ड 26) :— इस खण्ड में जो संशोधन किये गये हैं वे विधेयक के उपबंधों को सामान्यतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने से संबंधित प्रस्ताव तथा भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने की नयी प्रक्रिया के समाप्त किये जाने (देखिए पैराग्राफ 13 और 14) के परिणामस्वरूप किये गये हैं।

36. खण्ड 31 (नया खण्ड 27) :-

समिति समझती है कि इस समय जबकि कम आय वाले अधिकांश करदाता अपने सांविधिक दायित्वों को समझने तथा उनका निर्वाह करने की स्थिति में नहीं हैं, स्वतः निर्धारण करके कर का भुगतान करने के आयकर अधिनियम की धारा 140 क के उपबंध के क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव से जिससे कि यह धारा उन मामलों में लागू हो सके जहाँ विवरणी में घोषित कुल आय पर देय शुद्ध कर की राशि 100 रुपये से अधिक हो, व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। तदनुसार, समिति ने वर्तमान कानून के अन्तर्गत विद्यमान स्थिति जारी रखने का निश्चय किया है और यह निर्धारित किया है कि स्वतः निर्धारण करके कर का भुगतान केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक होगा जिनमें विवरणी में घोषित कुल आय पर देय शुद्ध कर की राशि 500 रुपये से अधिक हो। इस खण्ड में जो अन्य संशोधन किया गया है उसका उद्देश्य पैराग्राफ 14 के अनुसार विधेयक के उपबन्धों को निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय सामान्यतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को कार्यरूप देना है।

37. खण्ड 32 (नया खण्ड 28) :- इस खण्ड में संशोधन, पैराग्राफ 14 के अनुसार विधेयक के उपबन्धों को निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय सामान्यतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को कार्य रूप देने के लिये किया गया है।

38. खण्ड 33 (नया खण्ड 29) :- समिति चाहती है कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि आयकर अधिनियम की धारा 141 क के अन्तर्गत अनन्तिम निर्धारण करते समय केवल अनवशोषित अवक्षयण छूट, अनवशोषित विकास छूट आदि के कारण कटौतियाँ देने अथवा पूर्व वर्षों से आगे लाई गई हानियों को हिसाब में लेने के लिए ही आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारिती के गत वर्षों के निर्धारण का निर्देश किया जा सकता है। इस खण्ड में इसलिये भी संशोधन किया गया है ताकि वित्त विधेयक, 1968 के संबंध में वाद विवाद

के दौरान उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये इस आश्वासन के सार का विधेयक में समावेश किया जा सके कि जिस मामले में नियमित निर्धारण में आय की विवरणी की प्राप्ति की तारीख से 6 मास का विलम्ब हो गया हो, उसमें आयकर अधिकारी धारा 141क के अधीन अनन्तिम निर्धारण करेगा तथा करदाता का जो रकम इस प्रकार वापसी रहेगी उसको वापिस करेगा। इस खण्ड में जो अन्य संशोधन किये गये हैं उनका अभिप्राय या तो प्रारम्भ संबंधी स्पष्टीकरण देना है, विधेयक के उपबन्धों को सामान्यतः या निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने के प्रस्ताव को कार्य रूप देना है या ऐसे संशोधन भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने की नई प्रक्रिया के निकाल दिये जाने के प्रस्ताव के पारिणामिक है (देखिए पैराग्राफ 13 और 14)।

39. खण्ड 34 (नया खण्ड 30) :- समिति ने नई धारा 143 में प्रस्तावित नियमित निर्धारण को पूरा करने की नई प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :-

(एक) यह स्पष्ट किया गया है कि विवरणी तथा उसके साथ संलग्न लेखे तथा दस्तावेज़ों, यदि कोई हों, के आधार पर नयी धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण करते समय केवल अनवशोषित अवक्षयण छूट, अनवशोषित विकास छूट, पिछली हानि आदि के कारण कटौतियाँ, देने लागू करने के प्रयोजन से ही आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारिती के पिछले वर्षों के निर्धारण के रिकार्ड का निर्देश किया जा सकता है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

(दो) ऐसे मामले में जहाँ नई धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी के साथ संलग्न लेखे तथा दस्तावेज़ों, यदि कोई हों, के आधार पर निर्धारिती की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा अपनी विवरणी के समर्थन में साक्ष्य पेश किये जाने की अपेक्षा किये बिना निर्धारण किया गया हो। आयकर को अधिकारी को इस धारा की उपधारा (2) के अधीन लेखे/तथा अन्य साक्ष्य की जाँच करने तथा इस जाँच के आधार पर नया निर्धारण करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

समिति का विचार है कि जहाँ ऐसे मामले में आय निर्धारण से छूट गई हो वहां आयकर अधिकारी निर्धारण से छूट गई आय के संबंध में पुनः निर्धारण करने की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए अधिनियम धारा 147 तथा 148 के वर्तमान उपबन्धों का आश्रय ले सकता है । इस प्रयोजन के लिये, जब आयकर अधिकारी परवर्ती वर्ष का निर्धारण कार्य आरम्भ करे तो वह धारा 142 (1) के अधीन एक सूचना जारी करके पूर्व वर्ष के लेखे को मंगा सकता है । यदि पूर्व वर्ष के लेखे की जांच के बाद आयकर अधिकारी को यह पता चले कि उस वर्ष आय निर्धारण से छूट गई है तो वह धारा 147 तथा 148 के अधीन पुनः निर्धारण की कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा । तथापि, इस प्रकार के मामलों में पुनः निर्धारण की कार्यवाही न करने देने के लिये पूर्व वर्ष के लेखे के प्रस्तुत न किये जाने को रोकने के लिए, समिति का विचार है कि न्यायालय के समक्ष दोषसिद्ध हो जाने पर ऐसे व्यक्ति के लिए एक वर्ष तक के कठोर कारावास तथा इसके साथ ही जुर्माने के दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये । तदनुसार विधेयक के खण्ड 63 (नये खण्ड 52) में इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त व्यवस्था की गयी है ।

(तीन) इस खण्ड के अन्तर्गत नियमित निर्धारण पूर्ण करने की नई प्रक्रिया भी । अप्रैल 1971 से लागू होगी ।

विधेयक के उपबन्धों को ।

40. खण्ड 35 (नया खण्ड 31) :- इस खण्ड के संशोधनों का अभिप्राय, पैराग्राफ 14 के अनुसार । निर्धारण वर्ष 1970-71 के बजाय सामान्यतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू करने के प्रस्ताव को कार्य रूप देना है ।

41. खण्ड 36, 37, 38 तथा 39 :- पैराग्राफ 13 द्वारा भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने की नयी प्रक्रिया के निकाल दिये जाने के परिणामस्वरूप इन खण्डों का लोप कर दिया गया है ।

42. खण्ड 40 (नया खण्ड 32) :- भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने की नयी प्रक्रिया को निकाल देने तथा कराधान के प्रयोजन के लिये इस प्रकार की फर्मों के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखने के निर्णय को

ध्यान में रखते हुए (देखिए पैराग्राफ 13) अब इस खण्ड में द्वारा आयकर अधिनियम की अरजिस्ट्रीकृत फर्मों के निर्धारण से संबंधित धारा 183 के वर्तमान उपबन्धों में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जा रही है कि जिस मामले में आयकर अधिकारी को यह पता चले कि फर्म द्वारा सदेय कर की, यदि उस पर रजिस्ट्रीकृत फर्म के रूप में निर्धारण किया गया होता, और भागीदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सदेयकर की, यदि फर्म पर इस प्रकार निर्धारण किया गया होता, रकम मिलाकर, फर्म द्वारा अरजिस्ट्रीकृत फर्म के रूप में सदेय कर की और भागीदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सदेय कर की संकलित रकम से अधिक होगी, तो वह निर्धारण के लिए इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानो कि वह रजिस्ट्रीकृत फर्म हो, और जहाँ यह प्रक्रिया अपनाई जाती है वहाँ फर्म की कुल आय पर उसी प्रकार कर लगाया जायेगा जिस प्रकार कि रजिस्ट्रीकृत फर्म पर लगाया जाता है। तथा उसके भागीदारों की अपनी अपनी आय के भागों पर भी यह मानते हुए कर लगया जायेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत फर्म के भागीदार हैं। इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि विधेयक में प्रस्तावित भागीदारी फर्मों को मान्यता देने की नयी प्रक्रिया के अन्तर्गत इसी प्रकार का उपबंध उन फर्मों के निर्धारण के लिये किया गया था जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। परन्तु चूंकि नई प्रक्रिया को बिल्कुल निकाला जा रहा है, इसलिए अरजिस्ट्रीकृत फर्म के निर्धारण के सम्बन्ध में तत्समान उपबन्ध किया जा रहा है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

43. खण्ड 41:— भागीदारी फर्मों को मान्यता देने की नई प्रक्रिया के समाप्त किये जाने के परिणाम स्वरूप इस खण्ड का लोप कर दिया गया है ।

44. खण्ड 42 (नया खण्ड 33) :— भागीदारी फर्मों को "मान्यता" देने की नई प्रक्रिया को समाप्त करने तथा इस प्रकार की फर्मों के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को कायम रखने के संदर्भ में, भागीदारी फर्मों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित आयकर कानून के वर्तमान उपबन्धों में कुछ उपान्तर किये गये हैं । इन में से एक उपान्तर आयकर अधिनियम की धारा 184 में है । इस उपान्तर की व्याख्या पैराग्राफ 13 में की गई है, लेकिन उस पैराग्राफ का भाग (ख) । अतः इस खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

45. खण्ड 43 (नया खण्ड 34):— जैसा कि पैराग्राफ 13 में स्पष्ट किया गया है समिति ने भागीदारी फर्मों को मान्यता देने की नई प्रक्रिया को समाप्त करने तथा ऐसी फर्मों के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को कुछ उपान्तरों के साथ जारी रखने का निर्णय किया है । इन उपान्तरों की व्याख्या उक्त पैराग्राफ 13 में की गई है । उस पैराग्राफ के उप खंड (क) और (ग) में उल्लिखित उपान्तर एक रजिस्ट्रीकृत फर्म के निर्धारण के लिए वर्तमान उपबन्ध से सम्बन्धित है । इन उपान्तरों को प्रभावी रूप देने के लिए आयकर अधिनियम खण्ड 43 के स्थान पर एक नया खण्ड प्रतिस्थापित किया गया है । की धारा

इस खण्ड में जिन उपान्तरों को प्रभावी रूप दिया गया है उन 185 के पर चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि सरकार को यह अवधारित करने की दृष्टि से कौनसी गतिविधियों से संबंधित वर्तमान कानून की जाँच करनी चाहिए कि क्या ऐसे सौदों को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिये या नहीं । समिति इस सुझाव से सहमत हो गई थी । ऐसे मामलों में जिन में किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधि फर्म के रजिस्ट्रीकरण को जारी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर देते हैं,

होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रश्न के संबंध में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) ने बताया था कि इस मामले पर कुछ नियम लागू होते हैं और इसकी जांच अलग से की जायेगी । समिति आशा करती है कि सरकार पूर्वोक्त मामलों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

46. खण्ड 44 — भागीदारी फर्मों को 'मान्यता देने की नई प्रक्रिया के समाप्त किये जाने के परिणाम स्वरूप इस खण्ड का लोप कर दिया गया है ।

47. खण्ड 45, 46, 47, 49, 50, 51, और 52 (नये खण्ड 35, 36, 37, 39, 40, 41 और 42)— इन खण्डों में जो संशोधन किये गये हैं वे या तो प्रासंगिक हैं या उनका उद्देश्य विधेयक के उपबन्धों को सामान्यत 1 अप्रैल, 1971 से लागू करने के निर्णय को कार्य रूप देना है अथवा वे भागीदारी फर्मों को 'मान्यता' देने की नई प्रक्रिया को समाप्त करने के प्रस्ताव के परिणामिक हैं, (देखिए पैराग्राफ 13 और 14)।

48. खण्ड 53 (नया खण्ड 43) — समिति का विचार है कि अपील पुनरीक्षण आदि में दिये गये आदेश अथवा अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप इतिहास करने में विलम्ब होने की दशा में व्यावसायिक की गणना उस पूरी बात के अन्त जिसमें अपील पुनरीक्षण आदि में आदेश किया जाता है, 3 मास की अवधि समाप्त होने की तारीख से, की जानी चाहिए न कि उस 1 महीने 7 के अन्त .. से तीन महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख तारीख से जिसमें आयुक्त को ऐसा आदेश प्राप्त हो । इस खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है । इस खण्ड में किये गये अन्य संशोधन विधेयक के उपबन्धों को सामान्य तौर पर 1.4.1971 से लागू करने के निर्णय के परिणामिक हैं ।

49. खण्ड 54 (नया खण्ड 44)— आयकर अधिकारी के किसी फर्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदनपत्र को इस आधार पर रद्द करने के आदेश के विरुद्ध कि आवेदन पत्र में कुछ त्रुटियाँ थी जो कि आयकर अधिकारी द्वारा अनुशंसित समय में परिशुद्ध नहीं की गई तथा इस आदेश के विरुद्ध भी जिसके द्वारा यह घोषणा की जाये कि फर्म को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि फर्म द्वारा दी गई घोषणा में कुछ त्रुटियाँ थी, जिन्हें आयकर अधिकारी द्वारा अनुशंसित कालावधि के भीतर परिशुद्ध नहीं किया गया, अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील की व्यवस्था करने के लिए इस खण्ड का संशोधन किया गया है।

इस खण्ड में किये गये अन्य संशोधन (पैराग्राफ 13 के अनुसार) भागीदारी फर्मों को मान्यता प्रदान करने की नई प्रक्रिया समाप्त किये जाने के परिणामिक हैं अथवा उनका उद्देश्य (पैराग्राफ 14 के अनुसार) विधेयक के उपबंधों को सामान्य तौर पर 1.4.1971 से लागू करने के निर्णय को कार्य रूप देना है।

50. खण्ड 55 — समिति का विचार है कि अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील करने के लिए कोई शुल्क विहित करना उचित नहीं होगा। समिति की यह राय भी है कि अनुचित मामलों में देर से प्राप्त होने वाली अपीलों को स्वीकार करने के संबंध में अपीलीय सहायक आयुक्त के स्वविवेक पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए इस खण्ड को लोप कर दिया गया है।

51. खण्ड 56 (नया खण्ड 45) — समिति सहमत करती है कि उस प्रयोजन के लिए, 250 रुपये की बजाय 125 रुपये की फीस पर्याप्त होगी जिस के लिए कि धारा 253 के अधीन अपीलार्थी पर लगाई जाती है। इस खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

52. खण्ड 57 (नया खण्ड 46) — समिति महसूस करती है कि आयकर अपीलीय अधिकरण के एकल सदस्यीय पीठों के क्षेत्राधिकार का 50,000 रुपये तक के निर्धारणों के लिए विस्तार करना वांछनीय नहीं है । समिति का मत है कि यह सीमा कम करके 40,000 कर दी जानी चाहिए । तदनुसार इस खण्ड में संशोधन कर दिया गया है ।

54. खण्ड 59 और 62 (नये खण्ड 48 और 51): इन खण्डों में किये गये
55. खण्ड 63 (नया खण्ड 52) — समिति महसूस करती है कि संशोधन

पारिणा-
मिक

दण्ड विधिशास्त्र के स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार विवरणी न देने अथवा दस्तावेजों आदि के पेश न किये जाने पर तभी दण्ड दिया जाना चाहिए जब कि ऐसा जान बूझ कर किया गया हो । समिति यह भी महसूस करती है कि स्वेच्छा से अथवा आयकर अधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना के उत्तर में, आय की विवरणी न भेजने के लिए दण्ड, न्यायालय के विवेक के अनुसार, एक वर्ष तक का कठिन कारावास अथवा व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए न्यूनतम 4 रुपये तथा अधिकतम 10 रुपये के बीच जुर्माना अथवा दोनों होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, समिति का विचार है कि विवरणी देने में आय की स्वेच्छा से ले व्यतिक्रम किये जाने के मामलों में ऐसे दण्ड नहीं दिये जाने चाहिए जिन में निर्धारित निर्धारण में अवधारित कुल आय पर देय शुद्ध कर (अर्थात् कुल कर में से स्रोत पर काटे गये अथवा पहले अदा किये गये कर को घटा कर) 3,000/- रुपये से अधिक नहीं है । सूचना द्वारा मांगी गई खाता बहियों तथा अन्य दस्तावेजों को पेश करने में

किये गये व्यक्तियों के संबंध में, समिति महसूस करती है कि सामान्य तौर पर ऐसे अपराधों के लिए दण्ड एक वर्ष तक का कठिन कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों होना चाहिए ।

तथापि, उन मामलों में जिन में नोटिस द्वारा मांगी गई खाता बहियाँ किसी ऐसे पूर्व वर्ष से संबंधित हैं जिसके लिए नयी धारा 143 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पहले ही निर्धारण किया जा चुका है तो ऐसे मामलों को पेश करने में व्यतिक्रम के लिए दण्ड अधिक प्रभोत्पादक होना चाहिए अर्थात् एक वर्ष तक के कठिन कारावास तथा जुर्माना दोनों से दण्डित किया जाना चाहिए ।

तदनुसार खण्ड 68 में संशोधन किया गया है और यह 1.4.1971 से लागू होगा जैसा कि पहले पैराग्राफ 14 में स्पष्ट कर दिया गया है ।

56. खण्ड 64, 65 और 66 (नये खण्ड 53, 54 और 55) — इन खण्डों में किये गये संशोधन तात्विक हैं ।

57. खण्ड 68 (नया खण्ड 57) — समिति का मत कि आयकर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत यह अपेक्षित नहीं होना चाहिये कि मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों अथवा अनुमोदित अभिदायी निधियों अथवा उपदान निधियों की रकमों की 50 प्रतिशत से अधिक रकमें सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई जायें । इसलिए इस खण्ड का तदनुसार संशोधन किया गया है ।

58. खण्ड 69 (नया खण्ड 58) — इस खण्ड का संशोधन आयकर सप्तम अधिनियम की प्रस्तावित अनुसूची में खनिजों और सरकारी खनिजों के समूहों की सूचियों में "रेत्युगीनिय अभ्रक" और बौक्साइट, लेटराइट तथा इन से संबंधित कुछ अन्य खनिजों को सम्मिलित करने के लिए किया गया है ताकि खनिजों की खानों के पूर्वेक्षण तथा विकास के लिए नई या किये गये व्यय के लाभों पर लगायोजन के लिए नई धारा के उपबंध (देखिये खण्ड 8, नया खण्ड 35 च, जिसे अब पुनः 35 ङ. संख्या दी गई है) ऐसे खनिजों के संबंध में भी लागू हो

सकें । इस खण्ड में किये गये अन्य संशोधन पारिणामिक हैं ।

59. <u>खण्ड 72</u> (नया खण्ड 61) — इस खण्ड में संशोधन प्रस्ताव संबंधी है ।

60. <u>खण्ड 73</u> — समिति सिफारिश करती है कि अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपीलें करने के लिये कोई भी फीस निर्धारित करने उपयुक्त मामलों में विलम्ब से की जाने वाली अपीलों को ग्रहण करने के संबंध में अपीलीय सहायक आयुक्त के विवेक पर कोई प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए इस खण्ड का तदनुसार लोप कर दिया गया है ।

61. <u>खण्ड 74, 75, और 76(नये खण्ड 62, 63, और 64)</u>— समिति सिफारिश करती है कि धन-कर अधिनियम की धारा 24, 26, और 27 के अन्तर्गत निर्धारितियों द्वारा दिये गये दो-सौ रुपये से बढ़ाकर ढाई सौ रुपये करने के लिए इन खण्डों के द्वारा संशोधन करने का जो प्रस्ताव किया गया है वह बहुत से अधिक है । यदि फीस दो-सौ रुपये से बढ़ाकर सवा सौ रुपये कर दी जाये तो इतना ही पर्याप्त होगा । तदनुसार इन खण्डों में संशोधन कर दिया गया है ।

62. <u>खण्ड 79</u> — समिति का विचार है कि अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील के साथ निर्धारिती द्वारा ₹0 रुपये की फीस जमा किये जाने तथा उस कालावधि को तीस दिन तक सीमित करने, जिसमें अपीलीय सहायक आयुक्त .. निर्धारिती को उसके समक्ष अपील करने में विलम्ब के लिए माफी दे सकता है, का उपबन्ध करने के संबंध में धन-कर अधिनियम, 1958 की धारा 22 में संशोधन करने के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है । तदनुसार इस खण्ड का लोप कर दिया गया है ।

63. —

63. (खण्ड 80, 81, और 82 (नये खण्ड 67, 68, 69):-

समिति महसूस करती है कि दान कर अधिनियम की धारा 23, 25 और 26 में उपबंधित रु पैसे को एक सौ रुपये से बढ़ाकर बढ़ाकर ढाई सौ रुपये करने का प्रस्ताव बहुत अधिक है । इस पैसे को एक सौ रुपये से बढ़ाकर एक सौ रुपये कर देना ही पर्याप्त होगा । तदनुसार, इन खण्डों में संशोधन कर दिया गया है ।

64. खण्ड 85 — समिति यह महसूस करती है कि अपीलीय सहायक आयुक्त को की जाने वाली हर अपील के साथ 10 रुपये की फीस अदा करने, तथा उस कालावधि को तीन दिनों तक सीमित करने, जिस में अपीलीय सहायक आयुक्त उसके समक्ष निर्धारिती द्वारा अपील करने में किये गये विलम्ब की माफी दे सकता है, का उपबन्ध करने के लिए कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 11 का संशोधन करने के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए इस खण्ड संशोधन कर दिया गया है ।

65. खण्ड 86 (नया खण्ड 72) — समिति महसूस करती है कि कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 12 के अन्तर्गत उपबंधित अपीलों के संबंध में पैसे सौ रुपये से बढ़ाकर ढाई सौ रुपये/करने का प्रस्ताव बहुत अधिक है । ऐसी फीस सौ रुपये से बढ़कर बढ़ाकर एक सौ पच्चीस रुपये करना ही पर्याप्त होगा। इसलिए इस खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

66. खण्ड 1 -- इस खण्ड में किये गये संशोधन का स्पष्टीकरण पैराग्राफ 14 में किया गया है ।

67. अधिनियमन सूत्र —अधिनियमन सूत्र में किये गये परिवर्तन औपचारिक ढंग के है ।

68. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

नई दिल्ली
23 जुलाई, 1970

चिन्तामणि पाणिग्राही
सभापति,
प्रवर समिति ।

1 श्रावण 1892 (शक)

विसंति टिप्पण

मैंने लोक सभा की प्रवर समिति के करांधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969 संबंधी प्रतिवेदन का बड़े ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है । जहां तक प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार पुनः प्रास्थापित विधेयक के खण्ड 8, 16, 30, 34, तथा 52 का संबंध है, मुझे बहुत खेद है कि मुझे उक्त प्रतिवेदन के संबंध में विसंति टिप्पण देना पड़ा है ।

खण्ड 8 (व्ययों का परिशोधन)

मैं मानता हूँ कि समिति के प्रतिवेदन के अनुसार पुनःप्रास्थापित खण्ड 8 ने व्यय के परिशोधन की मात्रा से संबंधित उपबंध को अधिक तर्कसंगत तथा व्यवहारिक बना दिया है । परन्तु मुझे तकनीकी 'जानकारी' के लिये एक मुश्त रकम के भुगतान तथा कम्पनी के 'समामेलन' या 'विलयन, पर होने वाले व्यय अथवा निगमनपूर्व या निगमन उपरांत, व्यापार-पूर्व प्रशासनिक व्यय को परिशोधन लागों की परिधि में सम्मिलित न करने की न्यायसंगतता दिखाई नहीं पड़ती । मेरे विचार में इन भुगतानों को परिशोधन से प्रथक रखने का कोई तर्क संगत आधार नहीं है जबकि साध्यता रिपोर्ट पर व्यय
परियोजना रिपोर्ट पर व्यय/बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, जानियरी सेवाएँ इत्यादि परिशोधित की जा सकती हैं । मेरा सम्मानपूर्वक निवेदन है कि समिति को प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इस आश्वासन को स्वीकार करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए था कि बोर्ड परिशोधित किये जाने वाले और मदों की सूची की जांच करेगा तथा उसमें वृद्धि करेगा । मेरा सम्मानपूर्वक निवेदन है कि इस विषय पर विस्तारपूर्वक साक्ष्य लेने के बाद समिति को स्वयं ही निर्णय करके परिशोधित की जाने वाली व्यय सूची का निश्चय कर लेना चाहिए था । इससे इस विषय में समिति द्वारा इतने अध्ययन तथा परिश्रम के बाद इस टिप्पणी की, " कि समिति आशा करती है कि विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करते समय इस आश्वासन को ध्यान में रखा जायगा" आवश्यकता नहीं रहती । यह आश्वासन परिशोधित किये जाने वाले व्ययों की सूची में वृद्धि करने से संबंधित है ।

इस खण्ड का दूसरा पहलू, जिसके संबंध में, मुझे खेद है, मैं सहमत नहीं हूँ, यह प्रस्तावित उपबंध है कि साध्यता रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण या

या अन्य इंजीनियरी सेवाओं के मामले में
अन्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के मामले में व्यय का परिशोधन उसी स्थिति में करने दिया जायगा जबकि उपयुक्त सेवाएं उसी फर्म से प्राप्त की गई हो, जिसे प्रत्यक्ष कर बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो । सामान्य सैद्धान्तिक रूप से यदि कोई व्यय वास्तविक नहीं है और उसमें वाणिज्यक दृष्टि के अतिरिक्त कोई तत्व अंतर्विष्ट है, तो उसे परिशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जायगा । यदि यह विधि का माना हुआ सिद्धान्त है, तो उन फर्मों, जिनकी सेवाएँ ही करदाता को व्यय के परिशोधन का अधिकारी बना देती हैं के चुनाव तथा मान्यता देने का अधिकार बोर्ड को देने की बात मुझे नहीं जचती । यदि बोर्ड द्वारा फर्म का चुनाव नहीं किया जाता है तथा उसको मान्यता नहीं दी जाती है तो चाहे वह कितना भी व्यय वास्तविक और उपयुक्त क्यों न हो, उसके परिशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी । प्रथम बात यह है कि व्यवसायिक विवादों को लाभ का मूल्यांकन करने के लिये बोर्ड उचित प्राधिकरण नहीं है । इसके अतिरिक्त हमारी वित्तीय विधियां और अधिक कार्यात्मक तथा व्यवसायिक प्रकृति की होनी चाहियें । आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी जड़, कठिन तथा बेकार के कार्यों से, जो कर विभाग में फालतू काम बढ़ाते हैं तथा जिससे निर्धारिती के लिये अनावश्यक सिरदर्द पैदा हो जाता है परन्तु राजस्व विभाग अथवा सरकार को भी किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, उन विधियों को मुक्त किया जाए । इस खण्ड में बोर्ड की पूर्व स्वीकृति की व्यवस्था एक अनोखा उपबंध है जिससे बोर्ड ने अपने ऊपर अनावश्यक भार ले लिया है तथा अपने अधिकार बढ़ा लिए हैं जोकि जरा भी न्यायोचित नहीं है और इससे सरकारी कोष को कोई लाभ नहीं पहुँचता ।

खण्ड 16 (हिन्दू संयुक्त परिवार को सौंपी गई सम्पत्तियाँ)

इस खण्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है । । संशोधित रूप में विधि के अन्तर्गत अंतरक को, अपनी पृथक निजी संपत्ति पर, जिसे उसने 31 दिसम्बर, 1969 के बाद अव्यस्कों तथा पति या पत्नि के हिस्से की सीमा तक कुटुम्ब की सम्मिलित सम्पति में मिला दिया है, कर देना होगा । विधेयक में मूलरूप से यह व्यवस्था की कि यदि 31 दिसम्बर 1965 से सम्पति को संयुक्त कुटुम्ब की सम्पति का रूप दे दिया गया था तो अंतरक पर कर लगाया जायेगा । परन्तु इस विषय पर विधि को भूतलक्षी प्रभाव देने के विरुद्ध कड़े विरोध को

ध्यान में रखते हुए है, निर्धारण वर्ष 1971-72 तथा उन अगले वर्षों के लिये 31 दिसम्बर, 1969 के बाद संपरिवर्तित की गई संपत्तियों के संबंध में उपबंध लागू करने की खुले दिल से सराहना करता हूँ ।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के पीछे निहित सिद्धान्त का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ । हमारे कर कानूनों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उस आय पर कर लगाया जाता है जो उसको उस संपत्ति से प्राप्त होती है जिसे उसने अव्यस्क बच्चों या अपने पति अथवा पत्नी को पर्याप्त प्रतिफल लिये बिना हस्तांतरित कर दिया हो । यदि कोई व्यक्ति संयुक्त कुटुम्ब का उपयोग अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को अव्यस्क बच्चों या पति अथवा पत्नी के नाम हस्तांतरित करने में करता है तो कानून उसको समुचित अंकुश प्रदान करता था । प्रस्तावित कानून में इन दोषों के उपचार करने की व्यवस्था है ।

जहाँ तक इन दोषों के उपचार का संबंध है मैं समिति के प्रतिवेदन तथा ब्रण्ड 16 में अंकित धारा 64 के संशोधन से पूर्णतया सहमत हूँ । फिर भी, मेरे लिये इस बात को न्यायसंगत अथवा तर्कसंगत मानना कठिन है कि 'संपरिवर्तित संपत्ति' से होने वाली आय के लिये संयुक्त कर की स्थिति में लगाया जाए जबकि 'संपरिवर्तित संपत्ति' अव्यस्क बच्चों तथा पति-पत्नि बँटवारे तक नहीं गई हो और उसको संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में ही कायम रखा गया हो । यह हिन्दु संयुक्त कुटुम्बों के विरुद्ध अनुचित भेदभाव है ।

यदि इस भेदभाव से धनी तथा समृद्ध संयुक्त कुटुम्बों पर ही प्रभाव पड़ा होता तो मैं इस विषय में इससे असहमत न होता । यह भेदभाव मुख्यतया उन हिन्दू संयुक्त कुटुम्बों पर प्रभाव डालेगा जिनके आय के साधन बहुत कम तथा छोटे हैं । मेरी राय में स्व-नियोजित को, जो अपनी बहुत थोड़ी संचित बचत को अपने संयुक्त परिवार को हस्तांतरित कर देता है और उसको अपने अव्यस्क बच्चों अथवा पति या पत्नी में विभाजित या हस्तांतरित नहीं करता तो ऐसी स्थिति में कराधान में उसको कुछ लाभ मिलना ही चाहिये, यदि और किसी कारण नहीं तो इस साधारण कारण से ही कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत अंतरक को केवल अव्यस्क बच्चों अथवा पति या पत्नी को हस्तांतरित की गई संपत्ति से ही प्राप्त आय पर कर लगेगा तथा अन्य किसी को हस्तांतरित किसी संपत्ति के लिए नहीं । इसलिए यदि संपत्ति को संयुक्त कुटुम्ब की संपत्ति के रूप में कायम रखा जाता है तथा उसका अंतरक के अव्यस्क बच्चों अथवा पति या पत्नी में विभाजन अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाता तो उसके लिये अंतरक पर कर

लगाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है । जिस उपबन्ध का मैं सुझाव दे रहा हूँ उससे धनी संयुक्त परिवारों को शायद ही कोई लाभ हो ।

<u>खण्ड 34 (नया खण्ड 30):</u> (करदाता की अनुपस्थिती में संक्षिप्ततः निर्धारण)

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 30 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143 की उ धारा (1) का प्रारम्भ पूर्णतया नये सिरे से लगाया गया है । आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 141, जो आयकर अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह अस्थायी रूप से निर्धारण कर सके, निकाल दी गई है तथा इसके स्थान पर धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन आयकर अधिकारी करदाता की अनुपस्थिती में अन्य बातों के साथ साथ विवरणी, तथा विवरणी के साथ आये दस्तावेज़ों और लेखों के आधार पर संक्षिप्ततः निर्धारण कर सकता है (2) यह निर्धारण अंतिम निर्धारण भी हो सकता है । जो करदाता इस प्रकार निर्धारण को उचित नहीं समझता, वह उसके विरुद्ध अपील कर सकता है । उपधारा 1 के अधीन किये गये निर्धारण का, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 तथा 148 के अन्तर्गत, सदैव दोबारा से निर्धारण किया जा सकता है बशर्ते कि वह उक्त दोनों धाराओं की परिसीमाएं तथा शर्तों के अधीन रहें । परन्तु यदि आयकर अधिकारी करदाता को बुलाना आवश्यक समझता हो तो वह धारा 143 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्धारिती को उपयुक्त सूचना देकर, उसकी लेखापुस्तिकों की जांच करने के बाद निर्धारण कर सकता है ।

इसलिए अब तथा प्रस्तावित विधि में परिकल्पना की गई है कि निर्धारिती द्वारा अपनी विवरणी में कर के लिए स्वीकृत की गई रकम से अधिक कुल रकम का धारा 143 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारण किया जायेगा । इन दो आंकड़ों के भिन्न होने पर कोई आपत्ति नहीं है । सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि ऐसा निर्धारण निर्धारिती को सूचना दिये बिना तथा उसकी विवरणी में दिये गये आंकड़ों का स्पष्टीकरण देने के लिए उसे अवसर दिये बिना आयकर अधिकारी द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, निर्धारिती के पीछे किया गया ऐसा निर्धारण अन्तिम है और मांगा गया कर देना निर्धारिती के लिए आवश्यक है । जहां

. . . . /—

तक आय कर अधिकारी का सम्बन्ध है, उसे उसका पुनरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा । इसका एकमात्र उपचार यह है कि निर्धारिती को उसके पीछे किये गये इस निर्धारण के विरुद्ध अपील करनी होगी ।

यह एक नई बात है जो अत्यन्त आपत्तिजनक है क्योंकि इससे न्याय, सार तथा शुद्ध अन्तःकरण के सहज सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है । निर्धारिती को अपनी आय की सही विवरणी देनी होती है । यदि वह ऐसा नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है तथा उस पर शास्ति अधिरोपित की जाती है । परन्तु प्रत्येक निर्धारिणी द्वारा विवरणी में दिखाये गये आंकड़ों को अस्वीकार करने तथा निर्धारिती द्वारा अपनी विवरणी में दिखाई गई रकम से भिन्न रकम पर कर निर्धारित करने से पहले उन्हें सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

सविनय निवेदन है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में समिति के दृष्टिकोण पर मुझे कुछ आश्चर्य है । विशेष रूप से, जब प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सभापति ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह मान लिया था कि यदि आय - कर अधिकारी निर्धारिती की अनुपस्थिति में कोई निर्धारण करता है और सम्बन्धित निर्धारिती ऐसे निर्धारणों का विरोध करता है तो आय - कर अधिकारी द्वारा निर्धारिती को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए और इस दौरान निर्धारिती उस आय पर कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जिसका वह विरोध नहीं करता । दूसरे शब्दों में, जब कोई निर्धारिती ऐसे निर्धारण का विरोध करता है जो उप - धारा (1) के अन्तर्गत उसके पीछे किया गया है, तो आयकर अधिकारी के लिए उसे बुलाना तथा उसकी सुनवाई करना आवश्यक होना चाहिए । उसके बाद आयकर अधिकारी कोई ऐसा निर्धारण कर सकता है जो न्यायसंगत और उचित लगता है तथा जो कानून के अनुसार है ।

..... /—

यदि आवश्यक हो तो वह निधारिती द्वारा अपनी विवरणी में दिखाये गये आंकड़ो को रद्द कर सकता है । एक ऐसे कर दायित्व को पूरा करने के लिए निधारिती को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है जो उस निधारिती की सुनवाई किये बिना आय - कर अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिसका वह विरोध करता है । ऐसे उपबन्ध से करदाताओं के, जिन्हें ऐसे निरंकुश निर्धारण से अपनी रक्षा करने की समुचित ढंग से पूर्व सूचना दिये बिना विवरणी में बतायी गई आय पर उनके दायित्व से अधिक कर की निरंकुश मांगों के सामने समर्पित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, संविधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण होने के खतरे की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया से अधिक मुकदमें होंगे । ब्रिटेन में, जहां लगभग 2 करोड़ निधारिती हैं । अपीलें हर वर्ष कुछ सौ से अधिक नहीं होती । हमारे देश में, जहां 28 लाख निधारिती हैं । हर वर्ष एक लाख निर्धारणों के बारे में अपील की जाती है । कर सम्बन्धी मुकदमा सबसे अधिक अनुत्पादक मुकदमा होता है । इसलिए अनिवार्य विवाद उठाने और ऐसी अपीलों की संख्या बढ़ाने का औचित्य समझना मेरे लिए कठिन है । जब आय - कर अधिकारी विवरणी में दिये आंकड़े को अस्वीकार कर देगा और निधारिती की सुनवाई किये बिना अधिक रकम का निर्धारण करेगा तो ऐसी अपीलें अनिवार्य हो जायेंगी ।

मैं एक चेतावनी देना भी आवश्यक समझता हूं । यद्यपि संशोधन का यह विचार प्रतीत होता है कि एक बार उप - धारा (1) के अधीन संक्षिप्त निर्धारण हो जाने के बाद यह देखने पर कि यह कम निर्धारण है, आयकर अधिकारी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 और 148 के अधीन दूसरी बार आसानी से निर्धारण कर सकेगा । यह एक ऐसा विचार है जिससे मैं पूर्णतया: असहमत हूं, चाहे मुझे इससे कितनी सहानुभूति हो । इन दो धाराओं की प्रयोज्यता पर गम्भीर प्रतिबन्धों सम्बन्धी संस्थापित विधि के अधीन

दूसरा निर्धारण इतना सरल नहीं होगा ।

उक्त दो धाराओं के अधीन दूसरा निर्धारण करना बहुत कठिन होगा । मेरे मत के अनुसार ऐसा राजस्व के लिए एक दिन अनर्थकारी सिद्ध होगा । धारा 147 और 148 के अन्तर्गत पुनः निर्धारण के सैंकड़ों मुकदमों को अदालतों द्वारा इसलिये रद्द कर दिया जाता है कि वे उक्त दो धाराओं के अन्तर्गत आय - कर अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं आते ।

अतः अन्त में मुझे निवेदन करना है कि जब कि ईमानदार निर्धारितियों को इस उपबन्ध से बहुत ही अनुचित कठिनाई होगी, ऐसी संभावना है कि उप - धारा (1) के अन्तर्गत संक्षिप्त निर्धारण करने से जो निर्धारिती के अपील न करने पर उसके लिए अन्तिम हो जाता है, बेईमान निर्धारितियों से उचित तथा वैध कर वसूल करना विभाग के लिए कठिन हो जायेगा ।

खण्ड 43 (नया खण्ड 34)

(फर्मों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में)

इस खण्ड के द्वारा आय - कर अधिनियम, 1961 की धारा 185 का संशोधन करने का प्रस्ताव है । यह स्वीकार किया गया है कि वास्तविक फर्मों के रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न किया जाये । मैं समिति के इस विचार से सहमत हूं लेकिन मैं विधेयक के खण्ड 34 के अनुसार आय - कर अधिनियम, 1961 की धारा 185 की उप - धारा (1) के पश्चात् अब जो स्पष्टीकरण जोड़ने का विचार है उससे सहमत होने में असमर्थ हूं । स्पष्टीकरण में उपबन्ध है कि यदि फर्म के किसी भागीदार का किसी अन्य भागीदार के साथ ऐसे, जो पहले भागीदार के लेनदार के रूप में कार्य करता हो, उक्त भागीदारी में कोई हित होता है तो फर्म को वास्तविक नहीं समझा जायेगा और ऐसी फर्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जायेगा ।

प्रभाव पड़ता था ।

दिए जिनका उन पर विपरीत और जिनके बारे में, उन्हें जानकारी नहीं थी । इसलिए यह आवश्यक है कि कोई द्वारा अपने अधीनस्थों को दिए गए कोई आदेशों, निदेशों या अनुदेशों में शक और सन्देह की कोई गुंजइश न हो और उन्हें यथाविधि प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा संसद के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए । इन अनुदेशों आदि को कब प्रकाशित किया जाए और कब नहीं इस बात का निश्चय दोर्ड पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए

खण्ड 63 (नया खण्ड -52)

इस खण्ड द्वारा आयकर अधिनियम में एक नये सिद्धान्त लाने की व्यवस्था की गई है, अर्थात उन अपनी निर्धारितियों को शास्तिक दण्ड दिया जाए जो आय का विवरण देने में विलम्ब करें अथवा अपने खाते और दस्तावेज उस तिथि तक न प्रस्तुत करें जिस तक आयकर अधिकारी ने उनको प्रस्तुत करने के लिए कहा हो । यह उपबन्ध अत्यन्त कठोर है । हमारी राय में अभी भारत में ऐसा समय नहीं आया है कि कराधान विधि में इतना कठोर उपबन्ध रखा जाए । हमें बताया गया है कि यह उपबन्ध अमरीकी कानून से लिया गया है । परन्तु हम यह बताना आवश्यक समझते हैं कि भारत और अमरीका की परिस्थितियों में बहुत अन्तर है । अमरीका में साक्षरता की इतनी ऊंची प्रतिशतता के अतिरिक्त करों का भार वहां की कुल जनसंख्या के 35 प्रतिशत द्वारा वहन किया जाता है जबकि भारत की केवल 5 प्रतिशत जनता पर ही करों का सारा भार पड़ता है । तथा अमरीका में उन कर अधिकारियों को दण्ड देने के लिए भी व्यवस्था है जो अनावश्यक रूप से निर्धारितियों से अधिक कर लेने के दोषी होते हैं । इसके अतिरिक्त भारत की अपेक्षा अमरीका में वैयक्तिक कर तथा निगमित कर कहीं कम है । इसलिए हमारी राय यह है

पूर्णतया अनुचित उपबंध है ।

खण्ड 63(नया खण्ड 52): (धारा 139(1) और 139(2) के अधीन स्वैच्छिक विवरणी न देने पर अभियोजन के संबंध में) ।

मैं समिति द्वारा बनाये गये इस खण्ड से सहमत हूँ जिसमें उसके लिए कारावास का उपबंध है जो जानबूझ कर निर्धारित तारीख से पहले स्वैच्छिक विवरणी नहीं देते और जिनका देय शुद्ध कर 3000/- रुपये से अधिक होता है । इसमें केवल एक ऐसा पहलू है जिसकी उपेक्षा की गई दिखाई देती है । ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिसने दो या तीन वर्ष अपनी विवरणी न दी हो और एकदम विवरणी देता है तो प्रस्तावित उपबंध के अधीन निर्धारिती को तीन भिन्न अभियोगों के अधीन, तीन वर्ष के कठिन कारावास(प्रत्येक वर्ष के लिए एक वर्ष) का दण्ड दिया जा सकता है ।

मेरी राय में यह बहुत भारी दण्ड होगा । अतः मैं सिफारिश करता हूँ कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के अन्तर्गत लगातार तीन वर्ष तक चूक होती रही हो तो किन्हीं तीन वर्षों की निरंतर चूक के लिये एक वर्ष से अधिक कारावास नहीं दिया जाना चाहिये ।

नई दिल्ली
दिनांक 26 जुलाई, 1970

नरेन्द्र कुमार सालवे

2

हालांकि विधेयक में यद्यपि सुधार किया गया है, फिर भी उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें अपनी राय प्रकट करनी चाहिये । इनमें जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में निम्नलिखित पैराग्राफों में व्याख्या की गई है ।

2. खण्ड 2 : हम लोगों में से एक (श्रीदाण्डेकर) ने एक संशोधन का सुझाव दिया था जिसका उद्देश्य इस खण्ड में "हिन्दु अविभाजित कुटुम्ब" की परिभाषा शामिल करने का था, जिससे इसकी परिधि में ऐसे कुटुम्ब आजायें गोवा, दमन तथा दीव के वर्तमान संघ राज्य क्षेत्र के एक या अधिक भूतपूर्व पुर्तगाली(हिन्दू) नागरिकों पर सम्मिलित हों और उन क्षेत्रों में रह रहे हों ।

दुर्भाग्यवश जिस पैमाने में इस संशोधन को विधेय बाह्य ठहराया गया उसमें यह(श्री दाण्डेकर) इस प्रकार की परिभाषा की अत्यंत आवश्यकता तथा विधेयक के खण्ड 14 (नया खण्ड 16) के प्रस्तावित संशोधन की प्रत्यक्ष संगतता दोनों का महत्व समझाने के लिये उपस्थित नहीं हो सके । हमने इस विषय पर पुनः ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस प्रकार की परिभाषा की आवश्यकता तथा विधेयक के साथ संगतता के बारे में जो हमारी धारणा है, उसे दोहराना आवश्यक है ।

3. <u>खण्ड 3</u>

(क) पुराना उपखण्ड (घ) दो और (च) (तीन)

नया उपखण्ड (ग) (दो) तथा (घ) (तीन):—

देश की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिन क्षेत्रों में भारतीय तकनीशियनों की कमी है, उनमें कर से छूट देने की योजना (भारत में रखे गये विदेशी तकनीशियनों के पारिश्रमिक) पर अब प्रतिबंध लगाया जायेगा जिससे इसकी अवधि 36 मास से घट कर 24 मास रह जायेगी (अलग अलग मामलों में) तथा अन्य संगत परिस्थितियों पर भी प्रतिबंध लगेगा, अतः हमारी राय से किसी तकनीशियन के कर से मुक्त मासिक पारिश्रमिक की राशि कम से कम 7500/— रुपये प्रति मास होनी चाहिये ।

3. खण्ड 8 :—

(क) प्रारंभिक व्यय का परिशोधन :—

(नयी धारा 35 च का अन्तः स्थापन)

दो पक्षों के बीच में हुए अपनी अनहदति प्रकट करते हैं :—

(एक) जिस पर्ष में व्यवसायिक दृष्टि से योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों और जो साध्यता रिपोर्ट अथवा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाज़ार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करने या निर्धारिती के व्यापार के संबंध में इंजीनियरी सेवाएं देने के योग्य हो तो उस पर्ष को इस धारा के अन्तर्गत किन्हीं प्रारंभिक व्ययों को परिशोधन की श्रेणी में लाने के लिये सरकार की स्वीकृति (प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा) लेने वाली बात बिल्कुल अटपटी लगती है ।

(दो) इस धारा के अधीन परिशोधन के लिये अन्य व्यय के लिये परियोजना लागत के .6 ई प्रतिशत की सीमा, या (कम्पनी के मामले में) "निवेशित पूँजी" के 6.ई प्रतिशत की सीमा , जो भी अधिक हो, के परिणाम स्वरूप छोटे उद्यमियों तथा/या छोटी परियोजनाओं के प्रति अनावश्यक भेदभाव होगी । हमारा विश्वास है कि यदि इस प्रकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी ही है तो वह इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिये:—

"2,00,000 रुपये या "परियोजना लागत" का 5 प्रतिशत अथवा (कम्पनी के मामले में) निवेशित पूँजी का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ।

(ख) औद्योगिक उपक्रमों को अन्य स्थानों पर ले जाने पर हुए व्यय पर छूट :—

प्रवर समिति का इस प्रस्ताव को न मानने का यह तर्क कि "स्थानीय कानूनों से बचने के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य में कारखाने ले जाने को, कर में छूट देकर प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये," यह भूखे के साथ धान भी फेंकने की कहावत का शानदार उदाहरण है। छूट के इस काल्पित दुर्पयोग से, जो कि ऊपर बताया गया है पर्याप्त बचाव के लिये केवल इतना ही काफी था कि एक 'परन्तुक' की व्यवस्था कर दी जाती, जिसके अन्तर्गत ऐसे मामलों में संबद्ध राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक कर दी जाती। कुछ भी हो, औद्योगिक उपक्रमों के राज्य के अन्दर स्थानान्तरण के लिये दी जाने वाली प्रस्तावित छूट को अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण के संबंध में न देने का कोई कारण नहीं है। राज्य के औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित क्षेत्रों के उद्योगों को उन स्थानों से औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में ले जाने को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की छूट अत्यंत आवश्यक है। अतः हमारा अनुरोध है कि ऊपर सुझाये गये परन्तुक के साथ मूल प्रस्ताव फिर से लागू कर दिया जाना चाहिये।

(ग) विनिर्दिष्ट खनिजों के विकास तथा खनन के लिए पूर्वेक्षण पर व्यय— (प्रस्तावित नई धारा 35 – ङ) : भारत में खनिज संसाधनों के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। एक नई धारा को जोड़ कर, जिसकी संख्या भूल से 35-ङ थी अब उसकी संख्या 35 - च कर दी गई है, दी जाने वाली रियायत विदेशी कम्पनियों को भी — विशेष कर उन कम्पनियों को, जो वित्त अधिनियम के अधीन 'घरेलू कम्पनियों' की परिधि में आती हैं, —

भारत में विनिर्दिष्ट खनिजों के पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण, विकास तथा खनन के लिए दी जानी चाहिए । ऐसी कम्पनियां यदि खनिजों के विकास का कार्य करती हैं तो उसके विरुद्ध उनसे भेदभाव करने के लिए कोई औचित्य नहीं है और उन्हें इस कार्य के लिए रियायत न देने से हम उन्हें ही वंचित नहीं करेंगे, अपितु देश के विकास को भी अवरुद्ध करेंगे ।

नई दिल्ली,
दिनांक 30 जुलाई, 1970

एन0 दाण्डेकर
एन0 के0 ओझानी

3.

हम यह बात रिकार्ड में लाना चाहते हैं कि प्रवर समिति के समक्ष विस्तार पूर्वक दिये गए मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार के विस्तृत साक्ष्य का अच्छी तरह अध्ययनकरनेके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम

खण्ड 14(नया खण्ड 16) के संबंध में प्रवर समिति के अपने अधिकांश सहयोगियों के साथ सहमत नहीं हो सकते ।

यदि 31 मार्च, 1965 के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1957 के बाद किसी भी समय अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब का सदस्य अपनी पृथक सम्पत्ति को अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की सम्पत्ति का रूप देता है तो नया खण्ड 16 उस के कानूनी प्रभाव को समाप्त करने की व्यवस्था करता है । खण्ड को पूरी तरह से निकालने के लिए काफी विवाद होने के बाद यह बाद वाली तारीख दी गई, क्योंकि यह खण्ड संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति के हिन्दू कानून की संकल्पना के अनुकूल नहीं था । यद्यपि यह खण्ड भावी तारीख से लागू होगा तथापि इस पर जो वास्तविक आपत्ति उठाई गई थी उसका समाधान नहीं हुआ । इस तरह इस खण्ड से यह क्या उत्पन्न होता है कि सम्पत्ति को अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की सम्पत्ति का रूप देने से यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से कुटुम्ब के पास रहने के लिए कुटुम्ब के सदस्यों में

हस्तान्तरित समझी जायगी तथा ऐसी सम्पत्ति से पति पत्नी अथवा व्यक्ति विशेष के अव्यस्क पुत्र की होने वाली आय उस व्यक्ति की आय ही समझी जायगी । अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा सहदायिकी सम्पत्ति का विचार शताब्दियों से हमारे यहां वर्तमान रहा है और इसे मान्यता मिली है । किसी अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब में हिन्दू कानून के अधीन कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की सम्पत्ति के हर हिस्से का भागीदार होगा चाहे उसकी वैयक्तिक योग्यतायें और उपलब्धियां कुछ भी हों । हमारे विचार से ऐसी प्राचीन संस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए दूसरी ओर अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की संस्था को सुरक्षित रखना हमारे समाज के लिए हितकर होगा ।

यह तर्क ठीक नहीं है कि विधेयक का खण्ड 14 (नया खण्ड 16) का सम्बंध संयुक्त कुटुम्ब की कर देयता से ही है और यह मूल कानून में परिवर्तन नहीं करता है यदि पृथक सम्पत्ति को संयुक्त सम्पत्ति में सम्मिलित करने के तत्काल पश्चात उनसे ले लिया गया तो तत्पश्चात संयुक्त कुटुम्ब व्यवस्था दुर्बल हो जायगी । आयकर अधिनियम ने हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को कर प्रयोजनों के लिए जो पृथक अस्तित्व के रूप में मान्यता दी थी वह इसी लिए दी थी कि सामाजिक दृष्टि से इसका जो महत्व है उसे देखते हुए संयुक्त कुटुम्ब की व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है । खण्ड 14 (नया खण्ड 16) के इस विचार बिल्कुल प्रतिकूल तथा इसीलिए यह न केवल प्रतिगामी है बल्कि आयकर अधिनियम में अन्तर्निहित आधारभूत तथा मूलभूत सिद्धान्तों से असंगत है । हमारी राय से इस खण्ड को पूरी तरह से निकाल दिया जाना चाहिए ।

प्रवर समिति द्वारा रखे गए रूप में खण्ड 14 (नया खण्ड 16) के उपबंधों को भविष्य में कार्यान्वित करने में अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । जन्म तथा मृत्यु के कारण अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य बदलते रहते हैं । इसलिए हिन्दू कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति, पति पत्नी या अवयस्क पुत्र के हितों में तदनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है । अविभक्त

हिन्दू कुटुम्ब सम्पत्ति के स्वरूप तथा आय में भी परिवर्तन होता रहेगा । यह कम हो सकती है या बिल्कुल समाप्त हो सकती है या बढ़ भी सकती है । इस प्रकार "समझा जायेगा" उपबंध का जो प्रभाव सम्पत्ति या उस से होने वाली आय पर पड़ेगा वह समय समय पर घटता बढ़ता रहेगा । इन सभी मामलों से निवारितियों तथा विभाग के बीच विवादों तथा मतभेदों का एक बड़ा क्षेत्र खुल जाने की संभावना है जिससे ऐसी मुकदमेबाजी शुरू हो जायगी जिस से बचा जा सकता है । प्रवर समिति द्वारा विचार विमर्श के दौरान विभाग द्वारा राजस्व की उस हानि के बारे में संतोषजनक आंकड़े नहीं दिए जा सके थे जो सरकार को हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति की आय पर कर के बारे में वर्तमान कानून के परिणाम स्वरूप होती है । वास्तव में दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई और कलकत्ता में आयकर विभाग ने जो नमूना सर्वेक्षण किया था और जिसका उद्देश्य एक वर्ष के लिए उस अतिरिक्त आय का अनुमान लगाना था जो खण्ड 14(नया खण्ड 16) के उपबंध / को उस आय पर लागू करने से होती जो 1.4.1965 से 31.3.1969 तक की अवधि में स्वयं प्राप्त सम्पत्ति को हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में बदले जाने के बाद होती उससे राजकोष को किसी अतिरिक्त प्राप्ति के रूप में कोई उल्लेखनीय वृद्धि का पता नहीं चला । इसलिए प्रश्न यह है कि क्या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के ढांचे और उसके उन सिद्धान्तों को नष्ट करना उचित है जो इस देश में शताब्दियों से चले आ रहे हैं । यद्यपि प्रवर समिति ने यह सिफारिश करके कि जो सम्पत्ति 31 दिसम्बर, 1969 के बाद किसी समय परिवर्तित की गई हो उस पर खण्ड 14 (नया खण्ड 16) के उपबंध लागू होने चाहिए, इस खण्ड की पूर्वव्यापिता को काफी हद तक दूर कर दिया है फिर भी हम ये अनुभव करते हैं कि इस खण्ड को सम्पत्ति परिवर्तन के उन्हीं मामलों तक सीमित रखना न्यूनतम आवश्यकता है जो उस तिथि के बाद जब यह कानून

वन जाए ।

इसके अतिरिक्त इस खण्ड को किसी व्यक्ति द्वारा एक आवासीय भवन परिवर्तित करने पर, यदि उसभवन का बाजार दर से मूल्य एक लाख रुपए से अधिक न हो तथा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का से कम दो पुरुष सदस्यों पर सम्मिलित हो, लागू नहीं किया जाना चाहिए । हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह खण्ड उन मामलों लागू नहीं किया जाना चाहिए जिनमें परिवर्तित सम्पत्ति पाउस के किसी भाग का पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन उस तिथि से पांच वर्ष के अन्दर जिस तिथि पर व्यक्ति ने अपनी पृथक सम्पत्ति को परिवर्तित सम्पत्ति में बदला हो, परिवार के सदस्यों के बीच नहीं किया गया है ।

नई दिल्ली
29 जुलाई, 1970

तेन्नेटी विश्वनाथम
एन. जी. चटर्जी ।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह बताया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के कुछ उपबन्धों को सुसंगत बनाया जाए और आयकर, धनकर, दान तथा अतिकर अधिनियमों में उचित संशोधन करके करों के निर्धारण तथा वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए । लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान विधेयक द्वारा जो संशोधन रखे जा रहे हैं उनसे इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी । विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में यह भी कहा गया है कि जो संशोधन रखने की अनुमति मांगी जा रही है । उन्हें प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों और सुझावों तथा श्री भूतलिंगम के करों के ढांचे की सुसंगत तथा सरल बनाने सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है । हमें यह फिर कहना पड़ता है कि उपरोक्त निकायों द्वारा की गई सिफारिशों को इस विधेयक में पूरी तरह तथा ईमानदारी से सम्मिलित नहीं किया गया है बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है तथा संदर्भ से पृथक रखा गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि कर सम्बन्धी कानूनों के उपबन्धों को सरल तथा सुसंगत बनाने के बजाय उन्हें और अधिक जटिल बना दिया गया है । स्थायित्व हो पूर्व समिति इस उपबन्ध में सुधार नहीं कर सके है क्योंकि ऐसा करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपबन्धों की आवश्यकता होती और पूर्व समिति इन्हें कारणों से ऐसा नहीं कर सकती । इसलिए समिति को अपना ध्यान विधेयक के वर्तमान उपबन्धों तक सीमित रखना पड़ा तथा सीमित क्षेत्र के अन्दर उसका संशोधन करना पड़ा ।

लेकिन हमारा मत है कि यदि कर सम्बन्धी विधियों के सरलीकरण तथा सुसंगत बनाने के वास्तविक उद्देश्य को पूरा किया जाना है तो उचित समय पर एक अधिक व्यापक विधेयक बनाना होगा ।

इस तथ्य से हमारे मत की पुष्टि होती है कि इस विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने के तुरन्त पश्चात् वित्त अधिनियम, 1979 में अनेक छोटी खण्ड ला कर इस अधिनियम में कुछ आमूल परिवर्तन किये गये थे। यह सिद्ध करने के लिए कि विधेयक का प्रारूप ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया तथा यह एक अधूरा विधान है और इससे स्थायी कर संहिता बनाने सम्बन्धी वेग की मांग पूरी नहीं होती थी, केवल यही तथ्य पर्याप्त है।

जब आयकर अधिनियम, 1922 में आमूल परिवर्तन किये गये थे तथा एक बिल्कुल नया अधिनियम (1961 का अधिनियम संख्या 43) बनाया गया था उस समय भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि आयकर अधिनियम में बार-बार संशोधन नहीं किये जायेंगे। 1969 का आयकर शोध करते समय माननीय वित्त मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री ने इस आश्वासन को दोहराया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये 13 मई, 1969 को संसद में यह विधेयक पेश किया गया था। लेकिन इस विधेयक की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि सरकार ने इन सभी आश्वासनों की परवाह न करते हुए वित्त विधेयक, 1979 के द्वारा अनेकों संशोधन रखे। उचित यह था कि सरकार जल्दबाजी से वित्त विधेयक के माध्यम से ऐसे परिवर्तन करने की बजाय उसे विधेयक में सम्मिलित करने तथा चर्चा के लिए प्रवर समिति को सौंपती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

अब कर-अपवंचन की आशंकाओं तथा उनसे सम्बद्ध मामलों की जांच करने तथा उन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए न्यायाधीश वांचू की अध्यक्षता में एक और आयोग नियुक्त किया गया है। हमें विश्वास है कि आयोग द्वारा अपना काम पूरा कर लिये जाने के बाद, इस आयोग द्वारा की कुछ सिफारिशों को जायेंगी और वित्त मंत्री को कोई न सिफारिशों के आधार पर अधिनियम

में अंतर्वेशन करने का प्रस्ताव सभा में रखेंगे । इन दोनों संशोधनों से अधिनियम जटिल हो गया है, तथा और अधिक जटिल हो जायेगा ।

इस प्रदेश में एक स्थायी, सर्वेक्षण तथा असेसमेन्ट कर सहित जिसके परिणाम उपबन्धों के प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्त अधिनियम द्वारा बदले जाने अथवा संशोधित किये जाने की संभावना न हो सा, करना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए हमारा सुझाव है कि सातवें आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हो जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें ।

अब जहां तक विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, हम महसूस करते हैं कि सम्प्रति विधेयक के अनेकों आपत्तिजनक उपबन्धों से प्रकट प्रीति ने अधिक रूप से यथा रूप किया है, उन्हें तथा कुछ अन्य में अभी भी संशोधन करने अथवा आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसलिए उनकी उन पर टिप्पणी की जानी चाहिए ।

खण्ड 2

इस खण्ड का उद्देश्य 'कृषि आय' को क्या अर्थ देना है । लेकिन इससे पहले कि प्रवेवेक इस प्रश्न पर विचार करती, वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 2(14) (तीन) का संशोधन कर दिया गया था, जिसमें 'कृषि भूमि' की नयी व्याख्या की गई थी । यह घोड़े के आगे गाड़ी रखने वाली बात है । कृषि आय की व्याख्या करते समय प्रवेवेक को संशोधित धारा 2(14) (तीन) में दी गई 'कृषि भूमि' की परिभाषा का ध्यान रखना पड़ा । इन दो परस्पर विरोधी परिभाषाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हुए प्रवेवेक ने सरकार

पर अनावश्यक उत्तरदायित्व डालने से बचा जाय 'कृषि आय' की परिभाषा को अधिक/दुरुह बना दिया । समिति ने सिफारिश की थी कि वह ऐसे नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड, जिनकी आबादी 10,000 से कम हो, के क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में कोई छूट आय कर के प्रयोजन के लिए कृषि आय मानना बंद कर दिया जाय और उस पर सारे कर देय हों। समिति ने यह भी सिफारिश की कि ऐसी नगरपालिकाओं तथा छावनी बोर्डों के संबंध में, जिनकी आबादी 10,000 अथवा इससे अधिक है, सरकार को नित्त अधिनियम, 1970 द्वारा संशोधित रूप में कृषि आय की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक मामले अलग से विचार करना चाहिए और प्रत्येक ऐसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड के संबंध में ऐसी नगरपालिकाओं अथवा छावनी बोर्डों के शहरीकरण की सीमा के संबंध में उचित सीमा अधिसूचित करनी चाहिए (जो अधिक से अधिक 8 किलोमीटर हो) । इस संबंध में प्रवर समिति में उपस्थित मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) को भी समिति को आश्वासन देना पड़ा कि किसी ऐसे तो भी किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड को स्थानीय क्षेत्रों से बाहर कोई भी घोषणा करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार राज्य से सुझाव तथा टिप्पण मंगेगी ।

हमारे मत से अनावश्यक है ।

'पर्वतीय क्षेत्रों' से होने वाली आय को कुछ स्थितियों में करमोक्ष आय से संबंधित करने से कोई अतिरिक्त/आय नहीं होने की संभावना नहीं है/कि पलटू धन नहीं है । इसलिए हमारा सुझाव है कि 50,000 अथवा इससे अधिक की आबादी वाले नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड के क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाली आय की छूट दी जाये । हम यह भी महसूस करते हैं कि इस परिभाषा से उन किसानों को काफी परेशानी होगी जो इसी प्रकृति में अपने भारी योगदान के परिणामस्वरूप कुछ उच्चतर जीवन स्तर की आशा करते हैं ।

खण्ड - 14 (ना खण्ड 16)

जहां तक खण्ड 16 का सम्बन्ध है, हर सिद्धान्त के तौर पर हिन्दू सम्प्रदाय के व्यक्तिगत कानूनों में सरकार द्वारा किसी तरह के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। हिन्दू कानून के अनुसार मुखिया का कोई सदस्य किसी भी सुरक्षा वाली सम्पत्ति में अपने निजी सम्पत्ति शामिल कर सकता है और इसी तरह इसे कुटुम्ब के सदस्यों के लाभ के लिये हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सृजन कर सकता है। यह कुछ सार है क्योंकि यह एक दृढ़ तथा सरलतावादी सिद्धान्त पर आधारित है। हर मानते है कि कभी-कभी इस प्रथा का उपयोग कुछ व्यक्ति तथा वैसे-लोगों ने अपने कर का अपवंचन करने के उद्देश्य से किया जिन्होंने अपनी आत्मअर्जित सम्पत्ति अपने सभी से अपनी पत्नियों अथवा छोटे बच्चों के नाम हस्तान्तरित कर दी और उसके तुरन्त बाद उसे वापस दिया और इस तरह आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64/के उपबन्धों की अवहेलना की परन्तु संसद द्वारा जो तथा तथा आंकड़े दिए गए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कोई संकेत नहीं है कि ऐसी प्रथा का कोई विशेष प्रचलन नहीं है और न ही इससे हमारे राजस्व की आय में कोई विशेष कमी होती है। इस दोष को दूर करने/की उत्सुकता में सरकार ने सुझाव दिया है कि यदि 31 दिसम्बर, 1969 के बाद कोई व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति से कुटुम्ब - जिसमें वह स्वयं, उसके पत्नी तथा अवयस्क बच्चे शामिल हैं-की संयुक्त सम्पत्ति में शामिल कर देता है तो उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चों को उस सम्पत्ति से मिलने वाली आय को उसकी आय में सम्मिलित किया जायगा। हमारी राय में यह विचार ठीक नहीं है। ऐसे कई वास्तविक मामले हैं और हो सकते

है जिनमें हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता अपने आश्रितों के भविष्य के लिए धन जुटाना चाहता हो । विधेयक में ऐसा उपबन्ध उसके लिये बाधक होगा । इसलिए उन सभी व्यक्तियों को जो अपनी निजी सम्पत्तियों को संयुक्त कुटुम्ब की संयुक्त सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, इस उपबन्ध की परिधि में लाना ठीक नहीं है । यदि हम वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इस संस्था के माध्यम से धारा 64 के उपबन्धों की उपेक्षा करके अपनी परिसम्पत्तियों को अपनी पत्नी या अवयस्क बच्चों में अप्रत्यक्ष रूप में हस्तान्तरण को रोकना चाहते हैं; तो इस आशय का एक अधिनियम बनाना ही पर्याप्त होगा कि एक सीमित अवधि में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निजी सम्पत्ति को संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में परिवर्तित करने के बाद उस कुटुम्ब का वृत्तिम विभाजन होता है तो उस सम्पत्ति को उपरोक्त रूप में ही समझा जायेगा । ऐसी व्यवस्था एक तरफ तो ईमानदार निधारितियों के मार्ग में बाधक नहीं होगा दूसरी ओर निश्चित रूप से यह बेईमान व्यक्तियों द्वारा करापवंचन की बुराई को रोकेगा । वर्तमान रूप में यह उपबन्ध हिन्दू कानून की जड़ी पर ही कुठाराघात करता है, अतः हम इसका विरोध करते हैं ।

खण्ड 29 (नया खण्ड-25)

इस खण्ड द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 119 में संशोधन करने का प्रयत्न किया गया है तथा अधिनियम को उचित रूप से लागू करने के लिए बोर्ड को यह शक्ति मिली है कि वह अपने अधीनस्थों को आदेश, अनुदेश तथा निर्देश जारी कर सके । परन्तु उन्हें तब तक सार्वजनिक नहीं बनाना चाहिए जब तक बोर्ड का यह मत न हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है । हमारी राय में बोर्ड को दी गई इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि निधारितियों के कुछ वर्गों ने यह शिकायत की है कि कई बार बोर्ड ने अधिकारियों को कुछ ऐसे निदेश, अनुदेश

आरम्भ में यह स्पष्ट करना होगा कि जहां वेनामीदारों की संख्या का प्रयोग कर-अपवंचन के गलत इरादे को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, वहां इस की पूरी सख्ती से रोकथाम करनी होगी । लेकिनदेश के सामान्य कानून के अनुसार ऐसे वेनामीदारों के माध्यम से उन मामलों में लेनदेन किया जा सकता है जो कपटपूर्ण नहीं हों । कोई व्यक्ति एक वेनामीदार के नाम से अपना पूरा कारबार कर सकता है और जब तक हितकारी स्वामी अपने निजी कर-निर्धारिणी में लाभ दिखाता है, तब तक सामान्य कानून अथवा कर संबंधी कानून में इस के लिए कोई शास्ति नहीं है । इसलिए जहां वेनामीदार कर-अपवंचन अथवा कपट के इरादे से नहीं रखा जाता, फर्म का रजिस्ट्रीकरण न करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता जब कि करविधि में भी अन्य सभी मामलों में वेनामीदार के माध्यम से कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी ढंग से दण्ड नहीं दिया जाता है । प्रस्तावित स्पष्टीकरण का दूसरा अवांछनीय पहलू यह होगा कि यदि दो भागीदार बेईमानी करते हैं, जो यह नहीं बताते कि एक दूसरे का वेनामीदार है, तो सच्चे भागीदारों को नुकसान होगा और उनकी फर्म का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर दिया जायेगा यद्यपि अपने सही लाभ बताने में फर्म कोई बेईमानी नहीं करती और यद्यपि फर्म को ऐसे दो भागीदारों के बीच कपट की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है ।

इसलिए मैं प्रस्तुत रूप में स्पष्टीकरण को बिल्कुल असंगत तथा अनुचित समझता हूं । किसी ऐसे भागीदार को अनिवार्य कारावास देने का उपबंध करने के लिए, जो वेनामीदार के माध्यम से काम करता है और आय-कर अधिकारियों को अपने हितों तथा लाभों की पूर्वसूचना नहीं देता है कानून में संशोधन किया जाता तो बहुत ही उचित होता । एक ऐसे ईमानदार भागीदार को दंड देना जो वेनामीदार के माध्यम से काम करता है और अपनी आय-विवरणी में अपने हित की जानकारी सही तथा समुचित से देता है अथवा ऐसे अन्य भागीदारों को दण्ड देना जिन्हें दो भागीदारों के बीच ऐसे प्रबंध की कोई जानकारी न हो ।

कि हम या तो अमरीका के सारे कानून को पूरी तरह से नकल करें या फिर उसकी बिल्कुल भी नकल न करें । इसलिए हमें अपने विवेक से और अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ही कार्यवाही करनी चाहिए । इसलिए हम यह सुझाव देते हैं कि किसी निधारिती को केवल इसीलिए शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए कि उसे आय कर विवरण देने में देर हो गयी जिसके अनेक कारण हो सकते हैं अथवा आयकर अधिकारी के समक्ष निधारिती को अपने खाते तथा कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत न कर सकने के भी कई कारण हो सकते हैं । तथापि जहां तक आय को छिपाने का प्रश्न है उसके लिए ऐसा उपबन्ध आवश्य हो सकता है तथा यह व्यवस्था कानून में पहले से ही है । इसलिए हमारा सुझाव है कि इस खण्ड को पूरी तरह से निकाल दिया जाना चाहिए ।

वेणी शंकर शर्मा

यशवन्त सिंह कुशवाह

कंवर लाल गुप्त

एन. सी. चटर्जी

जे. जे. सिंकरे

नई दिल्ली
31.7.1970

5

मुझे प्रवर समिति का सदस्य होने तथा उसकी अधिकांश चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिला । जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है समिति के समक्ष अनेक व्यापारिक तथा कर संस्थाओं और अधिवक्ताओं की ओर से नए संशोधन विधेयक से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर समिति का ध्यान आकर्षित करने के लिए लम्बे चौड़े साक्ष्य दिए गए ।

विधेयक पर खण्डवार विचार करते समय, विधेयक के कुछ खण्डों में समाज पर व्यावहारिक, सामाजिक तथा धार्मिक

प्रभाव सम्बन्धी कुछ मूलभूत बातों को सरकार ने ध्यान नहीं दिया है ।

इस विधेयक से लोगों को पहली बार कुछ राहत मिलेगी क्योंकि वे दस वर्ष की अवधि में अपने प्रारम्भिक व्ययों के दावे कर सकेंगे, परन्तु इसमें इसके व्यावहारिक पक्ष की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है क्योंकि साक्ष्य से यह पता चला है कि अधिकांश कम्पनियों तथा निकायों के प्रारम्भिक व्यय 4 से 6 प्रतिशत होता है । जब कोई लाभ दिया जाता है तो परियोजना लागत या लगाई गई पूंजी के 2-1/2% तक को सीधा निश्चित करके इसका ग्रहण समाप्त नहीं किया जाना चाहिए अपितु इसे लगाई गई पूंजी या परियोजना लागत का 4 से 5 प्रतिशत होना चाहिए था ।

आय विवरण के न देने से या खाते प्रस्तुत न करने पर विधेयक में एक वर्ष तक का कड़ा कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की व्यवस्था है ।

धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन पूर्ण किये गये मामलों में बहियें उपस्थित न करने के लिए इसमें कारावास तथा जुर्माना दोनों की व्यवस्था है । एक प्रजातंत्र देश में राजस्व कानूनों के अन्तर्गत शारीरिक दण्ड की व्यवस्था करना एक प्रकार से पुलिस राज्य की नीति अपनाना है । जब कार्यपालिका के हाथ प्रशिक्षित कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा की गारंटी नहीं की जा सकती, तब सुचारू रूप से कार्य चलाने के लिए कार्यपालिका के हाथ में इतने गंभीर कानून सौंपना उचित नहीं है । कारावास के दण्ड को इससे से निकाल देना चाहिये था ।

खण्ड 14 (नया खण्ड 16) के अन्तर्गत संपरिवर्तित संपत्ति से होने वाली आय को अंतरक की आय मानने वाले प्रस्तावित कानून से लोगों की धार्मिक भावना को भारी ठेस लगेगी । यह हिन्दु कानून के अन्तगर्त आने वाले अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की विचारधारा तथा प्रणाली के प्रति एक कलंक है ।

नई दिल्ली
31-7-1970

एन0 के0 गांधी

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969 का

शुद्धिपत्र

उक्त विधेयक में --

1. पृष्ठ 1 की पंक्ति 7 में `म` के स्थान पर `में` पढ़ें ।
2. पृष्ठ 2 की पंक्ति 4 में `धारा 2 में` के पश्चात् तारकचिन्ह अन्त:स्थापित करें तथा पंक्ति 32 के पार्श्व में `धारा 10 का संशोधन ।` पार्श्व शीर्षक अन्त:स्थापित करें और इसी पृष्ठ की पंक्ति 33 में `धारा 64 की उपधारा` के स्थान पर `धारा 64 की उपधारा ` पढ़ें ।
3. पृष्ठ 8 की पंक्ति 11 में `बावत` के स्थान पर `बाबत` पढ़ें ।
4. पृष्ठ 10 की पंक्ति 9 में `मौक` के स्थान पर `मौके` पढ़ें और पंक्ति 22 में `रेल-साइडिंग` के स्थान पर `रेलवे-साइडिंग ` पढ़ें ।
5. पृष्ठ 11 की पंक्ति 27 में `संपरिदित` के स्थान पर `संपरीदित` पढ़ें ।
6. पृष्ठ 14 की पंक्ति 28 में `. कोष्ठों` के स्थान पर `कोष्ठकों` पढ़ें ।
7. पृष्ठ 15 की पंक्ति 8 में `सनिर्माण` के स्थान पर ` संनिर्माण पढ़ें ।
8. पृष्ठ 16 की पंक्ति 23 में `अन्त:स्थापित` के स्थान पर `अन्त:स्थापित` पढ़ें ।
9. पृष्ठ 17 की पंक्ति 37 में पार्श्व शीर्षक में `असुविधाग्रस्त` के स्थान पर `असुविधाग्रस्त` पढ़ें ।
10. पृष्ठ 18 की पंक्ति 10 में `तन्निमित` के स्थान पर `तन्निमित्त` पढ़ें ।
11. पृष्ठ 22 की पंक्ति 5 से 10 तक के सामने की पार्श्व रेखा लुप्त करें ।
12. पृष्ठ 24 की पंक्ति 37 में `अप्राप्तवय` के स्थान पर `अप्राप्तवय अपत्य` पढ़ें ।
13. पृष्ठ 29 , की पंक्ति 22 में पार्श्व शीर्षक में `276 ग` के पश्चात् `और 276 घ` अन्त:स्थापित करें ।
14. पृष्ठ 30 की पंक्ति 20 में `धारा 276` के स्थान पर `धारा 276 ग` पढ़ें ।

1969 का विधेयक सं० 49

[टेक्ज़ेशन लॉज (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1969 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969

खण्डों का क्रम

खण्ड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

अध्याय 2

आयकर अधिनियम, 1961 का संशोधन

2. धारा 2 का संशोधन ।
3. धारा 10 का संशोधन ।
4. धारा 23 का संशोधन ।
5. धारा 32 का संशोधन
6. धारा 34 का संशोधन ।
7. धारा 35 का संशोधन ।
8. नई धारा 35घ और 35ङ का अन्त:स्थापन ।
9. धारा 38 का संशोधन ।
10. धारा 40 का संशोधन ।
11. धारा 41 का संशोधन ।
12. धारा 43 का संशोधन ।
13. धारा 55 का संशोधन ।
14. धारा 57 का संशोधन ।
15. धारा 59 का संशोधन ।
16. धारा 64 का संशोधन ।
17. धारा 80क का संशोधन ।
18. धारा 80ख का संशोधन ।
19. धारा 80छ का संशोधन ।
20. धारा 80ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
21. नई धारा 80थथ का अन्त:स्थापन ।
22. धारा 80प के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

23. धारा 89 का संशोधन ।

24. धारा 112क का संशोधन ।

25. धारा 119 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

26. धारा 139 का संशोधन ।

27. धारा 140क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

28. धारा 141 का लोप ।

29. धारा 141क का संशोधन ।

30. धारा 143 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

31. धारा 153 का संशोधन ।

32. धारा 183 का संशोधन ।

33. धारा 184 का संशोधन ।

34. धारा 185 का संशोधन ।

35. धारा 209 का संशोधन ।

36. धारा 210 का संशोधन ।

37. धारा 215 का संशोधन ।

38. धारा 221 का संशोधन ।

39. धारा 233 का लोप ।

40. धारा 234 का संशोधन ।

41. धारा 235 का संशोधन ।

42. धारा 243 का संशोधन ।

43. धारा 244 का संशोधन ।

44. धारा 246 का संशोधन ।

45. धारा 253 का संशोधन ।

46. धारा 255 का संशोधन ।

47. धारा 256 का संशोधन ।

48. धारा 271 का संशोधन ।

49. धारा 274 का संशोधन ।

50. धारा 275 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

51. धारा 276 का संशोधन ।

52. नई धारा 276ग और 276घ का अन्त:स्थापन ।

53. धारा 279 का संशोधन ।

54. धारा 280यक का संशोधन ।

55. धारा 295 का संशोधन ।

56. द्वितीय अनुसूची का संशोधन ।

57. चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

58. सप्तम अनुसूची का अंत:स्थापन ।

अध्याय 3

धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन

59. धारा 5 का संशोधन ।

60. धारा 15ख का संशोधन ।

61. धारा 18 का संशोधन ।

62. धारा 24 का संशोधन ।

63. धारा 26 का संशोधन ।

64. धारा 27 का संशोधन ।

65. नई धारा 44ग और 44घ का अन्त:स्थापन ।

66. धारा 46 का संशोधन ।

अध्याय 4

दानकर अधिनियम, 1958 का संशोधन

67. धारा 23 का संशोधन ।

68. धारा 25 का संशोधन ।

69. धारा 26 का संशोधन ।

70. नई धारा 44क और 44ख का अन्त:स्थापन ।

71. धारा 46 का संशोधन ।

अध्याय 5

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का संशोधन

72. धारा 12 का संशोधन ।

73. धारा 14 का संशोधन ।

74. धारा 25 का संशोधन ।

1969 का विधेयक सं० 49

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं लगी हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन उपदर्शित करते हैं; तारक चिह्न लोप उपदर्शित करते हैं]

आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दामकर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

5 | 1. (1) यह अधिनियम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहा जा सकेगा। | संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 2

आयकर अधिनियम, 1961 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयकर अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, खण्ड 1 में,-- 1961 का 43

(i) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित् किया जाएगा और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) ऐसी भूमि से व्युत्पन्न कोई भाटक या आमदनी, जो भारत में स्थित है और कृषि-प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है;" ;

(ii) उपखण्ड (ग) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्:--

"परन्तु यह तब जब कि--

(i) वह भवन उस भूमि पर या उसके ठीक निकट स्थित हो और ऐसा भवन हो, जिसकी आवश्यकता भाटक या आमदनी के प्राप्तकर्ता को, या खेतिहर को, या वस्तु रूप में भाटक के प्राप्तकर्ता को उस भूमि से अपने संसंग के कारण निवास-गृह के रूप में अथवा भण्डार-गृह या अन्य बाह्य भवन के रूप में हो; तथा

(ii) उस भूमि पर या तो भारत में भूराजस्व निर्धारित हो या वह ऐसे स्थानीय रेट के अध्यधीन हो जो सरकार के अधिकारियों द्वारा उस रूप में निर्धारित और संगृहीत किया जाता हो या जहां कि भूमि पर ऐसा भू राजस्व निर्धारित न हो या वह ऐसे स्थानीय रेट के अध्यधीन न हो वहां वह,--

(क) किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित न हो, जो किसी नगरपालिका (चाहे वह नगर-पालिका, नगरनिगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरक्षेत्र समिति, नगर समिति या किसी भी अन्य नाम से ज्ञात हो) या छावनी बोर्ड की अधि-कारिता के अन्दर समाविष्ट हो और जिसकी जनसंख्या उस अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्वतन वर्ष के प्रथम दिन से पूर्व प्रकाशित हो चुके हों, दस हजार से कम न हो; या

(ख) मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से ऐसी दूरी के जो आठ किलोमीटर से अधिक न हो, अन्दर के किसी भी ऐसे क्षेत्र में स्थित न हो जिसे केन्द्रीय सरकार, उस क्षेत्र के नागरीकरण के लिए उसकी सीमा और विस्तार को और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;" ।

* * * * *

3. आयकर अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) खण्ड (2) में "हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब" के पूर्व "धारा 64 की पधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि" शब्द, अंक और कोष्ठक,*** अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

* * * * *

(ख) खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्:--

"(5) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार विहित करे किसी, ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत का नागरिक हो,--

(i) किसी भी निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में, जो 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् की तारीख को प्रारम्भ होने वाला निर्धारण वर्ष न हो, किसी ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य जो ऐसे व्यक्ति को,--

(क) भारत में अपने गृह-जिले के लिए छुट्टी पर जाने के सम्बन्ध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक से प्राप्त या उसके द्वारा देय हो;

(ख) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् या अपनी सेवा के पर्यवसान के पश्चात् भारत में अपने गृह जिले के लिए जाने के सम्बन्ध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से प्राप्त या उसके द्वारा देय हो ;

(ii) किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य जो ऐसे व्यक्ति को,--

(क) भारत में किसी भी स्थान के लिए छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक से प्राप्त या उसके द्वारा देय हो ;

(ख) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् या अपनी सेवा के पर्यवसान के पश्चात् भारत में किसी भी स्थान के लिए छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से प्राप्त या उसके द्वारा देय हो :

परन्तु इस उपखण्ड के मद (क) या मद (ख) के अधीन छूट प्राप्त रकम किसी भी दशा में उस यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य से अधिक नहीं होगी जो, ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, भारत में अपने गृह-जिले के लिए छुट्टी पर या सेवा से निवृत्त होने के या अपनी सेवा के पर्यवसान के पश्चात जाने के संबंध में प्राप्त या देय होती,";

(ग) खण्ड (6) में,--

(i) उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, ऐसा यात्रा-धन या ऐसी निःशुल्क या रियायती यात्रा का मूल्य जो ऐसे व्यक्ति को--

(क) भारत के बाहर गृहार्थ छुट्टी पर जाने के सम्बन्ध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक से प्राप्त या उसके द्वारा देय हो ;

(ख) भारत में सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् या ऐसी सेवा के पर्यवसान के पश्चात् भारत के बाहर अपने देश के लिए जाने के सम्बन्ध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से प्राप्त या उस के द्वारा देय हो; ";

(ii) उपखण्ड (vii) में,—

(क) "की गई सेवाओं" शब्दों के स्थान पर "की गई (1971 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व की तारीख को प्रारम्भ होने वाली) सेवाओं" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, '"तकनीकज्ञ"' शब्द के स्थान पर "इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, तकनीकज्ञ"' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपखण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viiक) जहां कि ऐसा व्यक्ति सरकार के, या किसी स्थानीय प्राधिकारी के, या किसी विशेष विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के, या वैज्ञानिक अनुसंधान चलाने के लिए भारत में स्थापित किसी ऐसी संस्था या निकाय के, जो विहित प्राधिकारी द्वारा इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया जाए, नियोजन में या भारत में चलाए जाने वाले किसी कारबार में तकनीकज्ञ के रूप में 1971 के मार्च के इकतीसवें दिन के पश्चात् की तारीख को प्रारंभ होने वाली सेवा करता हो और निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात्:—

(1) वह व्यष्टि जिस वित्तीय वर्ष में भारत में पहुंचा उसके ठीक पूर्ववर्ती चार वित्तीय वर्षों में से किसी में भारत में निवासी न रहा हो, तथा

(2) भारत में उसकी सेवा की संविदा ऐसी सेवा के प्रारम्भ के पूर्व या ऐसे प्रारम्भ से छह मास के भीतर, केन्द्रीय सरकार को ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन किए जाने पर, उस सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी जाए,

वहां ऐसी सेवा के लिए उसे देय या उसके द्वारा प्राप्त ऐसा पारिश्रमिक जो "सम्बलम्" शीर्ष के अधीन प्रभार्य हो, उस परिमाण तक जो नीचे वर्णित है, अर्थात्:—

*　　*　　*　　*

(क) उसके भारत पहुंचने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली चौबीस मास की कालावधि के दौरान उसे देय था उसके द्वारा प्राप्त ऐसा पारिश्रमिक, जहां तक कि वह पारिश्रमिक चार हजार रुपए प्रति मास की दर से परिकलित रकम से अधिक न हो और जहां

कि पूर्वोक्त कालावधि के लिए इस प्रकार परिकलित रकम के ऊपर के उस पारिश्रमिक के आधिक्य पर, यदि कोई हो, कर केन्द्रीय सरकार को नियोजक द्वारा दिया जाए (जो कर, नियोजक के कम्पनी होने की दशा में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दिया जा सकेगा) वहां नियोजक द्वारा दिया गया कर भी; तथा

1956 का 1

(ख) जहां कि वह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, जो कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अक्तूबर के प्रथम दिन के पूर्व अभिप्राप्त कर लिया गया हो, पूर्वोक्त चौबीस मास की कालावधि के अवसान के पश्चात् भारत में नियोजन में बना रहे और उसकी आय पर "सम्बलम्" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कर केन्द्रीय सरकार को उसके नियोजक द्वारा दिया जाए (जो कर, नियोजक के कम्पनी होने की दशा में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दिया जा सकेगा), वहा पहले उल्लिखित चौबीस मास के अवसान के ठीक पश्चात् के चौबीस मास से अनधिक की कालावधि के लिए नियोजक द्वारा इस प्रकार दिया गया कर ।

स्पष्टीकरण--इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए "तकनीकज्ञ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे निम्नलिखित का विशेष ज्ञान और अनुभव हो :—

(i) सन्निर्माण या विनिर्माण की संक्रियाएं, या खनन, या विद्युत, या किसी अन्य रूप की शक्ति का उत्पादन* * *, अथवा

(ii) कृषि, पशु-पालन, डेरी उद्योग, * * * * * * * गहरे समुद्र में मछली मारना, या पोतनिर्माण,* * *

* * *

और जो भारत में किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है जिसमें ऐसे विशेष ज्ञान और अनुभव का वास्तव में उपयोग होता है;";

(घ) खण्ड (26) में, "और जो सरकार की सेवा में न हो" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा और सदैव से किया गया समझा जाएगा ;

(ङ) खण्ड (29) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से अन्तःस्थापित किया जाएगा और किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(30) ऐसे निर्धारिती की दशा में जो भारत में चाय उगाने तथा विनिर्मित करने का कारबार करता हो, चाय की झाड़ियों के पुनःरोपण या प्रतिस्थापन की ऐसी स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, चाय बोर्ड से या उसके माध्यम से प्राप्त साहाय्यिकी की रकम:

परन्तु यह तब जब कि निर्धारिती संबद्ध निर्धारण वर्ष की आय की अपनी विवरणी के साथ, या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जो आयकर अधिकारी अनुज्ञात करे, पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती

को दी गई ऐसी साहाय्यिकी की रकम की बाबत चाय बोर्ड का प्रमाणपत्र आयकर अधिकारी को प्रस्तुत करे ।

स्पष्टीकरण--इस खण्ड में "चाय बोर्ड" से चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है;" । 1953 का 29

धारा 23 का संशोधन ।

4. आयकर अधिनियम की धारा 23 में,--

(क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन यथा अवधारित वार्षिक मूल्य में से,--

(क) एक या अधिक निवास-इकाइयों वाले ऐसे भवन की दशा में, जिसका परिनिर्माण 1961 के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात्, आरम्भ किया गया हो और 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व पूरा हो गया हो, उस भवन के पूरे होने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक उतनी राशि घटा दी जाएगी जो निम्नलिखित के योग के बराबर हो :--

(i) किसी ऐसी निवास-इकाई की बाबत, जिसका इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य छह सौ रुपए से अधिक न हो--ऐसे वार्षिक मूल्य की रकम;

(ii) किसी ऐसी निवास-इकाई की बाबत, जिसका इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य छह सौ रुपए से अधिक हो--छह सौ रुपए की रकम;

(ख) एक या अधिक निवास-इकाइयों वाले ऐसे भवन की दशा में, जिसका परिनिर्माण 1961 के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात आरम्भ किया गया हो और 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन के पूर्व पूरा हो गया हो उस भवन के पूरे होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि तक उतनी राशि घटा दी जाएगी जो निम्नलिखित के योग के बराबर हो:--

(i) किसी ऐसी निवास-इकाई की बाबत, जिसका इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य बारह सौ रुपए से अधिक न हो--ऐसे वार्षिक मूल्य की रकम;

(ii) किसी ऐसी निवास-इकाई की बाबत, जिसका इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य बारह सौ रुपए से अधिक हो--बारह सौ रुपए की रकम;

किन्तु इस प्रकार कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी निवास-इकाई की बाबत आय किसी भी दशा में हानि न हो।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा********प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) जहां कि सम्पत्ति में एक या अधिक गृह हों और ऐसा गृह या ऐसे गृह स्वामी के अधिभोग में स्वयं उसके निवास के प्रयोजनों के लिए हो या हों, वहां ऐसे गृह का वार्षिक मूल्य, या जहां कि ऐसे दो गृह हों वहां ऐसे हर एक गृह का वार्षिक मूल्य या जहां ऐसे गृह दो से अधिक हों वहां ऐसे दो*** गृहों का (जो निर्धारिती स्वविकल्प के अनुसार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर सकेगा) वार्षिक मूल्य पहले ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा मानो वह संपत्ति पट्टे पर दी गई हो और फिर हर एक दशा में उसमें से, इस प्रकार अवधारित रकम के आधे या एक हजार आठ सौ रुपये में से जो भी कम हो, वह, घटा दिया जाएगा :

परन्तु जहां कि इस प्रकार निकली राशि स्वामी की कुल आय के (इस प्रयोजन के लिए कुल आय, ऐसी सम्पत्ति से होने वाली किसी आय को सम्मिलित किए बिना और अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती किए बिना, संगणित की जाएगी) दस प्रतिशत से अधिक हो वहां वह आधिक्य हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—जहां कि कोई ऐसी निवास-इकाई, जैसी उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट है, स्वामी के अधिभोग में स्वयं उसके निवास के प्रयोजन के लिए हो वहां, उस परन्तुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस निवास-इकाई के वार्षिक मूल्य की संगणना करने में लागू न होगी ।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि ऐसी किसी सम्पत्ति में जो इस उपधारा में निर्दिष्ट की गई है, दो से अधिक गृह हों वहां उन गृहों से जिनका वार्षिक मूल्य इस उपधारा के अधीन अवधारित किया जाना अपेक्षित है, भिन्न गृहों का वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के अधीन ऐसे अवधारित किया जाएगा मानो ऐसे गृह पट्टे पर दिए गए हों ।"

5. आयकर अधिनियम की धारा 32 में,—

धारा 32 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जहां कि कारबार या वृत्ति ऐसे भवन में चलाई जाए जो निर्धारिती के स्वामित्व में न हो किन्तु जिसकी बाबत निर्धारिती पट्टा या अधिभोग का अन्य अधिकार रखता हो और उस भवन में या उसके सम्बन्ध में, कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी संरचना के सन्निर्माण या किसी कार्य के करने पर और उसके नवीकरण, विस्तारण या सुधार के रूप में 1970 के मार्च के इकत्तीसवें दिन के पश्चात् कोई पूंजीगत व्यय निर्धारिती द्वारा **** उपगत किया जाए, वहां ऐसी संरचना या कार्य के अवक्षयण की बाबत निम्नलिखित कटौतियां धारा 34 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएंगी:—

(i) उस संरचना या कार्य के अवलिखित मूल्य पर इतने प्रतिशत जो किसी मामले या मामलों के वर्ग में विहित किया जाए;

(ii) किसी ऐसी संरचना या कार्य की दशा में, जिसे पूर्ववर्ष में (जो उस वर्ष से भिन्न हो जिसमें वह सन्निर्मित हो या किया जाए) बेच दिया जाए, तज दिया जाए, तोड़ दिया जाए या नष्ट कर दिया

जाए, या उस भवन की बाबत पट्टे या अधिभोग के अन्य अधिकार के पर्यवसान के परिणामस्वरूप अभ्यर्पित कर दिया जाए, उतनी रकम जितना कि क्षेप्य मूल्य की, यदि कोई हो, रकम के सहित ऐसी संरचना या कार्य की बाबत संदेय धन उसके अवलिखित मूल्य से कम पड़े:

परन्तु यह तब जब कि ऐसी कमी निर्धारिती की पुस्तकों में वास्तव में अवलिखित कर दी जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी संरचना या कार्य की बाबत "संदेय धन" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :—

(क) उसकी बावत संदेय कोई बीमा या प्रतिकर का धन;

(ख) जहां कि संरचना या कार्य बेचा जाए वहां वह कीमत जिस पर वह बेचा जाए तथा

(ii) 'बेचा' का वही अर्थ होगा जो उपधारा (1) के खंड (iii) के स्पष्टीकरण में उसे दिया गया है ।";

(ख) उपधारा (2) में,*** "के अधीन" शब्दों के पश्चात् "या उपधारा (1क) के खण्ड (i) के अधीन" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

6. आयकर अधिनियम की धारा 34 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उपधारा (1) में" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपधारा (1) या उपधारा (1क) में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खण्ड (i) में,—

(क) "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) "संयंत्र या फर्नीचर" शब्दों के स्थान पर "संयंत्र, फर्नीचर, संरचना या कार्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) धारा 32 की उपधारा (1क) के खण्ड (i) की कोई बात, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी ऐसे भवन में या उसके सम्बन्ध में, जिसे बेच दिया जाए, तज दिया जाए, गिरा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए या उस भवन की बाबत उस वर्ष में पट्टे या अधिभोग के अन्य अधिकार के पर्यवसान परिणामस्वरूप अभ्यर्पित कर दिया जाए, किसी संरचना या कार्य की बाबत किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी राशि के मोक को प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी ।" ।

7. आयकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (iv) में, 'धारा' 32 की उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii) और (iii)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii) और (iii) या धारा 32 की उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे। धारा 35 का संशोधन ।

8. आयकर अधिनियम की धारा 35ग के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 35घ, 35 ङ का अंत:-स्थापन ।

35घ. (1) जहां कि कोई निर्धारिती जो भारतीय कम्पनी होते हुए या (कम्पनी से भिन्न) कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए जो भारत में निवास करता है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय, 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन के पश्चात् :— कतिपय प्रारम्भिक व्ययों का समा-योजन ।

(i) अपने कारबार के प्रारम्भ के पूर्व, अथवा

(ii) अपने कारबार के प्रारम्भ के पश्चात्, अपने औद्योगिक उपक्रम के विस्तारण के सम्बन्ध में या अपनी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में,

उपगत करता है, वहां उस निर्धारिती को, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और उनके अध्यधीन रहते हुए, उतनी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो, यथास्थिति, उस पूर्व वर्ष से, जिसमें उसका कारबार प्रारम्भ हो या उस पूर्व वर्ष से जिसमें औद्योगिक उपक्रम का विस्तारण पूरा हो जाए या नई औद्योगिक इकाई उत्पादन या कार्य करना प्रारम्भ करे, प्रारम्भ होने वाले दस क्रमवर्ती पूर्व वर्षों में से हर एक के लिए उस व्यय के दशांश के बराबर हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय ऐसा व्यय होगा जो निम्नलिखित खण्डों में से एक या अधिक के अन्तर्गत आए, अर्थात्,—

(क) निम्नलिखित के सम्बन्ध में व्यय—

(i) साध्यता रिपोर्ट तैयार करना;

(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना;

(iii) निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना;

(iv) निर्धारिती के कारबार के सम्बन्ध में इंजीनियरी सेवाएं :

परन्तु यह तब जब कि इस खण्ड में निर्दिष्ट साध्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार का सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करने या इंजीनियरी सेवाएं करने से सम्बन्धित कार्य स्वयं निर्धारिती द्वारा किया गया हो या किसी ऐसे समुत्थान द्वारा किया गया हो जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त तत्समय अनुमोदित हो;

(ख) निर्धारिती के कारबार की स्थापना या उसके संचालन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए निर्धारिती तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी करार का प्रारूप बनवाने के लिए विधिक प्रभार;

(ग) जहां कि निर्धारिती कोई कम्पनी है वहां निम्नलिखित व्यय भी,—

(i) कम्पनी के संगम के ज्ञापन और अनुच्छेदों के प्रारूप बनाने के विधिक प्रभार;

(ii) संगम के ज्ञापन और अनुच्छेद छपाने पर व्यय;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन कम्पनी की रजिस्ट्री कराने के लिए फीसें; 1956 का 1

(iv) कम्पनी के शेयरों या डिबेंचरों को लोक अभिदाय के लिए जारी करने के सम्बन्ध में व्यय, जो निम्नांकन कमीशन, दलाली और प्रोस्पेक्टस का प्रारूप बनवाने, उसे टाइप करवाने या छपाने और उसके विज्ञापन के लिए प्रभारों के रूप में हों;

(घ) व्यय की अन्य ऐसी मदें (जो ऐसे व्यय न हों जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन किसी मौक या कटौती के पात्र हों) जिन्हें विहित किया जाए ।

(3) जहां कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय की कुल रकम,—

(क) परियोजना की लागत के, या

(ख) उस दशा में जब निर्धारिती भारतीय कम्पनी है, उस कम्पनी के विकल्प पर कम्पनी के कारबार में नियोजित पूंजी के,

ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित रकम से अधिक हो, वहां आधिक्य उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय कटौती की संगणना करने के प्रयोजनार्थ हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) "परियोजना की लागत" से अभिप्रेत है,—

(i) उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में नियत आस्तियों की, जो भूमि, भवन, पट्टाधृत्तियां, संयंत्र मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, और रेल-साइडिंग हों, वह वास्तविक लागत (जिसके अन्तर्गत भूमि और भवनों के विकास पर व्यय भी है) जो उस पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन जिसमें निर्धारिती का कारबार प्रारम्भ हुआ हो, निर्धारिती की बहियों में दिखाई गई हो;

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, वहां तक जहां कि निर्धारिती के औद्योगिक उपक्रम के विस्तारण या नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में नियत आस्तियां अर्जित या विकसित की गई हों, ऐसी नियत आस्तियों की, जो भूमि, भवन, पट्टाधृत्तियां, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंगें और रेलवे-साइडिंग हों, वह वास्तविक लागत जो उस पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन जिसमें, यथास्थिति, औद्योगिक उपक्रम का विस्तारण पूरा हो गया हो या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन करना या कार्य करना प्रारम्भ कर दिया हो, निर्धारिती की बहियों में दिखाई गई हों—

(ख) "कम्पनी के कारबार में नियोजित पूंजी" से अभिप्रेत है,—

(i) उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, जारी की गई शेयर पूंजी, डिबेंचरों और दीर्घकालिक उधारों की वह कुल रकम जो उस पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन को हो जिसमें कम्पनी का कारबार प्रारम्भ किया गया हो;

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में वहां तक जहां तक कि शेयर पूंजी, डिबेंचर और दीर्घकालिक उधार कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम के विस्तारण या नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में जारी किए गए हों या अभिप्राप्त किए गए हों, जारी की गई शेयर पूंजी, डिबेंचरों और दीर्घकालिक उधारों की वह कुल रकम जो उस पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन को हो जिसमें, यथास्थिति, औद्योगिक उपक्रम का विस्तारण पूरा हो गया हो या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन करना या कार्य करना प्रारम्भ कर दिया हो।

(ग) "दीर्घकालिक उधार" से अभिप्रेत है,—

(i) कम्पनी द्वारा सरकार से या भारतीय वित्त निगम से या भारतीय औद्योगिक उधार और विनिधान निगम से या किसी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित हो या किसी बैंककारी संस्था से (जो ऊपर निर्दिष्ट वित्तीय संस्था न हो) उधार लिया गया धन; या

(ii) पूंजी संयंत्र और मशीनरी के भारत से बाहर क्रय की बाबत किसी अन्य देश में उसके द्वारा उधार लिया गया कोई धन या उपगत कोई ऋण, उस दशा में जब वे निबन्धन जिन पर ऐसा धन उधार लिया गया हो या ऋण उपगत किया गया हो सात वर्ष से अन्यून कालावधि के दौरान उसके प्रतिसंदाय का उपबन्ध करते हों ।

(4) जहां कि निर्धारिती किसी कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति हो, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय उपगत किया गया हो, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरिक्षित न कर दिए गए हों और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया हो, आय की विवरणी सहित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं, उपवर्णित हों, प्रस्तुत न कर दे ।

(5) जहां किसी ऐसी भारतीय कम्पनी का जो उपधारा (1) के अधीन कटौती की हकदार हो, उपक्रम, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दस वर्ष की कालावधि के अवसान के पूर्व किसी अन्य भारतीय कम्पनी को किसी समामेलन की स्कीम के अधीन अन्तरित किया जाए वहां—

(i) समामेलक कम्पनी की दशा में, उस पूर्व वर्ष के लिए जिसमें समामेलन हो, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी; तथा

(ii) इस धारा के उपबन्ध समामेलित कम्पनी को, यथाशक्य, ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक कम्पनी को तब लागू होते यदि समामेलन न हुआ होता ।

(6) जहां कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का इस धारा के अधीन कोई दावा किया गया हो और वह अनुज्ञेय की गई हो वहां उस व्यय के आधार पर जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की

गई हो उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कटौती नहीं की जा सकेगी ।

कतिपय खनिजों के लिए पूर्वेक्षण आदि पर व्यय के लिए कटौती ।

35. ङ (1) जहां कि कोई निर्धारिती जो भारतीय कम्पनी हो या (कंपनी से भिन्न) कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो भारत में निवास करता है, खनिज के लिए पूर्वेक्षण से संबंधित संक्रियाओं में या उस खनिज को निकालने या उसके उत्पादन से संबंधित संक्रियाओं में लगा हुआ हो, और उपधारा (2) में विनिदिष्ट कोई व्यय 1970 के मार्च के इकत्तीसवें दिन के पश्चात् उपगत करे, वहां उस निर्धारिती को सुसंगत पूर्व वर्षों में से हर एक के लिए ऐसे व्यय की रकम के दशांश के बराबर रकम की कटौती इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय वह है जो निर्धारिती द्वारा उस उपधारा में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी समय, वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष के दौरान और उसके ठीक पूर्ववर्ती चार * * * वर्षों में से एक या अधिक के दौरान, सप्तम अनुसूची के क्रमशः भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज या सहचारी खनिजों के समूह के लिए पूर्वेक्षण से संबंधित किन्हीं संक्रियाओं पर या ऐसे किसी खनिज या सहचारी खनिजों के समूह की खान या अन्य प्राकृतिक निक्षेप के विकास पर पूर्णतः तथा अनन्यतः किया जाए :

परन्तु ऐसे व्यय में से उसका वह प्रभाग निकाल दिया जाएगा जो किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः चुकाया जाए और ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई किसी सम्पत्ति या अधिकार की बाबत निर्धारिती द्वारा आप्त विक्रय, उद्धारण, प्रतिकर या बीमा का धन भी निकाल दिया जाएगा ।

(3) कोई व्यय जो,—

(i) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी खनिज या सहचारी खनिजों के समूह के स्रोतस्थल के, अथवा ऐसे स्थल में या उस पर किन्हीं अधिकारों के अर्जन पर हो;

(ii) ऐसे खनिज या सहचारी खनिजों के समूह के निक्षेपों के या उन में या उन पर किन्हीं अधिकारों के अर्जन पर हो; अथवा

(iii) किसी ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की बाबत हो जिसके लिए अवक्षयण के रूप में मोक धारा 32 के अधीन अनुज्ञेय हो, और पूंजीगत प्रकृति का हो;

निर्धारिती द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए उपगत व्यय नहीं समझा जाएगा ।

(4) किसी सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती —

(क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय के दशांश के (जिस दशांश को इस उपधारा में, इसके पश्चात् किस्त कहा गया है) बराबर रकम;

(ख) ऐसी रकम जो उस पूर्व वर्ष की आय को (जैसी कि वह इस धारा के अधीन कटौती करने के पूर्व संगणित हो) जो किसी खान या किसी खनिज के अन्य प्राकृतिक संचय के या यथापूर्वोक्त खनिज अथवा सहचारी खनिजों के समूह में से एक या अधिक खनिजों के, जिनकी बाबत व्यय उपगत किया गया था, वाणिज्यिक विदोहन से, [चाहे ऐसा वाणिज्यिक विदोहन उपधारा (2) में निर्दिष्ट संक्रियाओं या विकास के परिणामस्वरूप हो या नहीं], उद्भूत हो, शून्य बनाने के लिए पर्याप्त हो;

इनमें से जो भी रकम कम हो, होगी :

परन्तु किसी सुसंगत पूर्व वर्ष से संबंधित किस्त की रकम, जहां तक वह अननुज्ञात रहे, अग्रणीत की जाकर निकट आगामी पूर्व वर्ष से संबंधित किस्त में जोड़ी जाएगी तथा उस किस्त का भाग समझी जाएगी और इसी प्रकार पश्चातवर्ती पूर्ववर्षों के लिए किया जाएगा, किन्तु यह इस प्रकार कि कोई किस्त वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष से संगणित दस वर्ष से आगे अग्रणीत न की जाएगी।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पूर्वेक्षण से संबंधित संक्रिया" से कोई ऐसी संक्रिया अभिप्रेत है जो किसी खनिज के निक्षेपों की खोज करने, उनका स्थान पता लगाने, या उनकी परख करने के प्रयोजन के लिए की जाए और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी संक्रिया भी है जो निष्फल या व्यर्थ सिद्ध हो;

(ख) "वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष" से अभिप्रेत है वह पूर्ववर्ष जिसमें पूर्वेक्षण संबंधी किसी संक्रिया के परिणामस्वरूप, सप्तम अनुसूची के क्रमशः भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज का या सहचारी खनिजों के समूह में से एक या अधिक खनिजों का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो;

(ग) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष से प्रारम्भ होने वाले दस पूर्ववर्ष अभिप्रेत हैं।

(6) जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति हो, वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय न होगी जब तक कि उस वर्ष या उन वर्षों के जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ हो निर्धारिती के लेखाओं को धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित न कर दिया गया हो और निर्धारिती ने उस प्रथम वर्ष की जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया हो, आय की अपनी विवरणी सहित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो और जिसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित हों जो विहित की जाएं न दे दी हो।

(7) जहां कि किसी ऐसी भारतीय कम्पनी का, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती की हकदार हो, उपक्रम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट दस वर्ष की कालावधि के अवसान के पूर्व किसी अन्य भारतीय कम्पनी को किसी समामेलन की स्कीम के अधीन अंतरित किया जाए, वहां,—

(i) समामेलक कम्पनी की दशा में, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें समामेलन हो उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी; तथा

(ii) इस धारा के उपबन्ध समामेलित कम्पनी को यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक कम्पनी को लागू होते यदि समामेलन न हुआ होता।

(8) जहां कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का इस धारा के अधीन कोई दावा किया गया हो और वह अनुज्ञात की गई हो वहां उस व्यय के आधार पर जिसकी बाबत इस प्रकार कटौती अनुज्ञात की गई है उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कटौती नहीं की जा सकेगी"।

धारा 38 का संशोधन

9. आयकर अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, "(iii) के अधीन" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "(iii) और उपधारा (1क) के अधीन" कोष्ठक, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 40 का संशोधन ।

10. आयकर अधिनियम की धारा 40 के खण्ड (क) के उपखंड (v) के प्रथम परन्तुक में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) धारा 10 के खण्ड (6) के उपखण्ड (vii) या उपखंड (viiक) में निर्दिष्ट कर का कोई संदाय ;" ।

धारा 41 का संशोधन ।

11. आयकर अधिनियम की धारा 41 में,—

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी अर्थात्:—

"(2क) जहां कि कोई ऐसी संरचना या कार्य, जो धारा 32 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट संरचना या कार्य हो, बेचा जाए, तजा जाए, नष्ट किया जाए या उस भवन की बाबत पट्टे या अधिभोग के अन्य अधिकार के पर्यवसान के परिणामस्वरूप अभ्यर्पित कर दिया जाए, और क्षेप्य मूल्य की रकम के, यदि कोई हो, सहित, ऐसी संरचना या कार्य की बाबत संदेय धन अवलिखित मूल्य से अधिक हो वहां उतना आधिक्य, जो कि संरचना या कार्य की वास्तविक लागत तथा उसके अवलिखित मूल्य के अन्तर से अधिक न हो, उस कारबार या वृत्ति की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें कि संरचना या कार्य के लिए संदेय धन देय हुआ, आय के रूप में आयकर प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण 1—जहां कि इस उपधारा में निर्दिष्ट संरचना या कार्य की बाबत संदेय धन उस पूर्ववर्ष में देय हुआ हो जिसमें वह कारबार या वृत्ति, जिसके प्रयोजन के लिए वह संरचना की गई या कार्य किया गया, अस्तित्व में न रह जाए वहां, इस उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह कारबार या वृत्ति उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में हो ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "संदेय धन" पद और "बेचा" पद के वे ही अर्थ होंगे जो धारा 32 की उपधारा (1क) में हैं ।";

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

12. आयकर अधिनियम की धारा 43 के खण्ड (1) के,—

(क) स्पष्टीकरण 1 में "धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (i), खण्ड (ii) या खण्ड (iii)" शब्दों, कोष्ठों और अंकों के स्थान पर "धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (i), खण्ड (ii) या खण्ड (iii) या धारा 32 की उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण 4 में "धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) या धारा 41 की उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) या उपधारा (1क) के खण्ड (ii) या धारा 41 की उपधारा (2) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 55 का संशोधन ।

13. आयकर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में, "धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) या धारा 41 की उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) या उपधारा (1क) के खण्ड (ii) या धारा 41 की उपधारा (2) या (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

14. आयकर अधिनियम की धारा 57 के खण्ड (ii) में, "धारा 32 की उपधारा (1) और (2) " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 32 की उपधारा (1), (1क) और (2)" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । धारा 57 का संशोधन ।

15. आयकर अधिनियम की धारा 59 में, स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्त:- स्थापित की जाएगी, अर्थात्,— धारा 59 का संशोधन ।

"(3) जहां किसी ऐसे भवन में या उसके संबंध में जिसको धारा 56 की उपधारा (2) का खण्ड (iii) लागू होता है धारा 32 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई संरचना या सनिर्माण बेचा जाए, तजा जाए, गिराया जाए, नष्ट किया जाए या उस भवन की बाबत पट्टे या अधिभोग के अन्य अधिकार के पर्यवसान के परिणामस्वरूप अभ्यर्पित कर दिया जाए, वहां धारा 41 की उपधारा (2क) के उपबन्ध, यावतशक्य, धारा 56 के अधीन निर्धारिती की आय संगणित करने में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की आय संगणित करने में लागू होते हैं ।" ।

16. आयकर अधिनियम की धारा 64, * * * उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्,— धारा 64 का संशोधन ।

"(2) जहां कि ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य हो, कोई संपत्ति, जो उस व्यष्टि की पृथक् संपत्ति रही हो, 1969 के दिसम्बर के इकत्तीसवें दिन के पश्चात् किसी समय उस व्यष्टि द्वारा, उस पृथक् संपत्ति को कुटुम्ब की संपत्ति का रूप देकर या कुटुम्ब की सम्मिलित सम्पत्ति में मिलाकर, कुटुम्ब की संपत्ति के रूप में संपरिवर्तित की गई हो (ऐसी सम्पत्ति को इसमें इसके पश्चात् संपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है), वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी यह है कि 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को या तत्पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यष्टि की कुल आय की इस अधिनियम के अधीन संगणना के प्रयोजन के लिए—

(क) यह समझा जाएगा कि उस व्यष्टि ने संपरिवर्तित सम्पत्ति को कुटुम्ब के माध्यम से कुटुम्ब के सदस्यों को, उनके द्वारा संयुक्त रूप से धारित किए जाने के लिए, अंतरित कर दिया है ;

(ख) संपरिवर्तित संपत्ति या उसके किसी भाग से व्युत्पन्न आय, जहां तक कि वह कुटुम्ब की संपत्ति में उस व्यष्टि के हित के कारण मानी जा सकती हो, उस व्यष्टि को उद्भूत होने वाली समझी जाएगी, न कि कुटुम्ब को;

(ग) संपरिवर्तित संपत्ति या उसके किसी भाग से व्युत्पन्न आय, जहां तक कि वह कुटुम्ब की संपत्ति में उस व्यष्टि के पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे के हित के कारण मानी जा सकती हो, और जहां कि संपरिवर्तित संपत्ति कुटुम्ब के सदस्यों के बीच (आंशिक या पूर्ण) विभाजन का विषय रही हो वहां ऐसी संपरिवर्तित संपत्ति से व्युत्पन्न आय भी जो पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे को, विभाजन पर प्राप्त हो, ऐसी समझी जाएगी कि वह उस व्यष्टि द्वारा उस पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित आस्तियों से उस पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे को उद्भूत हुई और उपधारा (1) के उपबन्ध यावत्शक्य तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट आय व्यष्टि की कुल आय में सम्मिलित किए जाने पर, यथास्थिति, कुटुम्ब की अथवा उस व्यष्टि के पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे की कुल आय में से निकाल दी जाएगी :

* * * * *

स्पष्टीकरण––उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,––

(1) "संपत्ति" के अंतर्गत है जंगम या स्थावर संपत्ति में कोई हित, उसके विक्रय के आगम और कोई धन या विनिधान जो तत्समय उसके विक्रय के आगम के रूप में हो और जहां कि संपत्ति किसी भी ढंग से किसी अन्य संपत्ति में संपरिवर्तित की जाए वहां ऐसी अन्य संपत्ति;

(2) "कुटुम्ब की सम्पत्ति में उस व्यष्टि का हित" और "कुटुम्ब की संपत्ति में उस व्यष्टि के पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे का हित" से क्रमश: अभिप्रेत है वह अनुपात जिसमें, यथास्थिति, व्यष्टि अथवा पति या पत्नी या अवयस्क बच्चा कुटुम्ब की संपत्ति में अंश का हकदार तब होता जब कुटुम्ब का पूर्ण विभाजन, जिस निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यष्टि का निर्धारण उपधारा (2) के अधीन किया जाना हो उसके सुसंगत पूर्व वर्ष के अंतिम दिन होता।"।

* * * *

धारा 80क का संशोधन।

17. आयकर अधिनियम की धारा 80क की उपधारा (3) में "धारा 80ठ या" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "धारा 80थथ" शब्द, अंक और अक्षर * * * अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 80ख का संशोधन।

18. आयकर अधिनियम की धारा 80ख के खण्ड (5) में "और धारा 64 के उपबन्धों को लागू किए बिना" शब्दों और अंकों का, 1968 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से लोप कर दिया जाएगा और कर दिया गया समझा जाएगा।

* * * * *

धारा 80छ का संशोधन।

19. आयकर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (4) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक 1968 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किया जाएगा और किया गया समझा जाएगा, अर्थात्,––

"परन्तु जहां कि ऐसे योग के अन्तर्गत कोई ऐसे संदान हों, जो उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, और ऐसा योग इस उपधारा में विनिर्दिष्ट दो लाख रुपए की सीमा से बढ़ जाए वहां ऐसी सीमा पूर्वोक्त संदानों के उस भाग को अन्तर्गत करने के लिए, जो ऐसे योग और उक्त सीमा के अन्तर के बराबर हो, बढ़ा दी जाएगी, किन्तु यह इस प्रकार कि बढ़ाई गई सीमा निर्धारित की पूर्वोक्त रूप से घटाकर आई सकल कुल आय के दस प्रतिशत या पांच लाख रुपए में से जो भी कम हो उससे अधिक न होगी।"।

धारा 80ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

20. आयकर अधिनियम की धारा 80ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1968 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित की जाएगी और की गई समझी जाएगी, अर्थात् :––

नए औद्योगिक उपक्रमों या पोतों या होटल कारबार

"80ट. जहां कि ऐसे निर्धारिती की सकल कुल आय में, जो––

(क) किसी कम्पनी के शेयर या शेयरों का स्वामी हो, अथवा

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व के कम्पनी के शेयर या शेयरों के लाभांश के रूप में आय पर इस अधिनियम के अधीन कर-प्रभार्य हो, उन लाभांशों के रूप में आय सम्मिलित हो जो उस शेयर या उन शेयरों की बाबत उस कम्पनी द्वारा दिए गए हों या दिए गए समझे जाएं, वहां उसकी कुल आय की संगणना करने में लाभांशों के रूप में ऐसी आय में से, ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यधीन जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए जाएं, उतनी रकम को कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो उसके ऐसे भाग के बराबर हो जो किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार से उस कम्पनी को व्युत्पन्न उन लाभों और अभिलाभों के फलस्वरूप माना जा सकता हो जिन पर 1968 के अप्रैल के प्रथम दिन के पहले प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा कोई कर संदेय न हो या जिनकी बाबत कम्पनी 1968 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए या उसके पश्चात् के किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ञ के अधीन कटौती की हकदार हो।"।

के लाभों और अभिलाभों के फलस्वरूप लाभांशों की बाबत कटौती।

21. आयकर अधिनियम की धारा 80थ के पश्चात् निम्नलिखित धारा * * * अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्, :—

नई धारा 80थथ का अन्त: स्थापन।

"80थथ. (1) जहां कि किसी निर्धारिती की दशा में, 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से या उसके ठीक पश्चात्वर्ती चार निर्धारण वर्षों में से किसी से सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हों जो पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन या पुस्तकों के प्रकाशन के भारत में चलाए जाने वाले कारबार से व्युतपन्न हों, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में ऐसे लाभों और अभिलाभों में से उनके बीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और उनके अध्यधीन अनुज्ञात की जाएगी।

पुस्तकों के प्रकाशन के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती।

(2) उस दशा में, जबकि निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों में किसी भाग के सम्बन्ध में धारा 80ज या धारा 80ञ या धारा 80त के अधीन कटौती का भी हकदार हो उपधारा (1) के अधीन कटौती धारा 80ज, 80ञ और 80त के अधीन कटौती को घटाकर आई सकल कुल आय में सम्मिलित ऐसे लाभों और अभिलाभों के प्रति निर्देश से अनुज्ञात की जाएगी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पुस्तकों" के अन्तर्गत समाचार-पत्र, जर्नल, पत्रिकाएं, डायरियां, विवरणिकाएं, ट्रैक्ट, पेम्फलेट और उस प्रकृति के अन्य प्रकाशन, वे चाहे जिस नाम से ज्ञात हों, नहीं हैं।"।

22. आयकर अधिनियम की धारा 80प के स्थान पर निम्नलिखित धारा * * * प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

धारा 80प के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"80प. किसी ऐसे व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में जो निवासी हो और पूर्व वर्ष के अन्त के समय,—

पूर्णत: अन्धे या शारीरिक दृष्टि से असुविद्याग्रस्त निवासी व्यक्तियों की दशा में कटौती।

(i) पूर्णत: अन्धा हो, अथवा

(ii) अन्धेपन से भिन्न ऐसी स्थायी शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हो या उससे पीड़ित हो, जिसका प्रभाव यह होता हो कि अभिलाभपूर्ण नियोजन या उपजीविका में लगने की उसकी सामर्थ्य सारत: घट जाती है,

चार हज़ार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा व्यष्टि उस प्रथम निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाए, आयकर अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित प्रमाणपत्र पेश करे :—

(क) खण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का, जो नेत्ररोग-विशेषज्ञ हो, अपने पूर्ण अन्धेपन का प्रमाणपत्र; तथा

(ख) खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का उस खण्ड में निर्दिष्ट स्थायी पूर्ण निःशक्तता का प्रमाणपत्र ।" ।

* * * *

धारा 89 का संशोधन ।

23. आयकर अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1) और (2) में "आयुक्त, निर्धारिती द्वारा, तन्निमित किए गए आवेदन पर, ऐसी राहत दे सकेगा जैसी वह समुचित समझता है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"आयकर अधिकारी उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर ऐसी राहत दे सकेगा जो विहित की जाए" ।

धारा 112क का संशोधन ।

24. आयकर अधिनियम की धारा 112क में,—

(क) खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 1968 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) कुल आय पर, जैसी कि वह ऐसी अन्तर्गत हुई रकम को घटाकर आए, संदेय आयकर की रकम, यदि ऐसे घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय होती; धन

(ख) कुल आय के अन्तर्गत हुए ऐसे ब्याज की रकम पर आयकर की उस औसत दर से परिकलित आयकर की रकम, जो कुल आय पर लागू होती यदि ऐसे ब्याज की रकम और धारा 28 के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्रतिकर या अन्य संदाय की और पूंजी अभिलाभों की, यदि कोई हों, रकम उसका भाग न होती ।";

(ख) स्पष्टीकरण 1 का 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से लोप कर दिया जाएगा और कर दिया गया समझा जाएगा ।

धारा 119 का प्रतिस्थापन ।

अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश ।

25. आयकर अधिनियम की धारा 119 के स्थान पर निम्नलिखित धारा *** प्रतिस्थापित की जाएगी, *** अर्थात् :—

"119. (1) बोर्ड अन्य आयकर प्राधिकारियों के लिए समय-समय पर ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए ठीक समझे और वे प्राधिकारी तथा इस अधिनियम के निष्पादन में लगे सब अन्य व्यक्ति बोर्ड के ऐसे आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का अनुपालन और अनुसरण करेंगे :

परन्तु कोई आदेश, अनुदेश या निदेश इस प्रकार नहीं दिए जा सकेंगे कि उनसे—

(क) कोई आयकर प्राधिकारी विशिष्ट निर्धारण करने के लिए अथवा किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति से निपटारा करने के लिए, अपेक्षित हो जाए, या

(ख) सहायक आयुक्त (अपील) के अपीली कृत्यों के प्रयोग में उसके विवेकाधिकार में हस्तक्षेप होता हो ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के काम के उचित और दक्ष प्रबन्ध के लिए, समय-समय पर (चाहे धारा 143, 144, 147, 148, 154, 155, 210, 271 और 273 के उपबन्धों में से किसी के शिथिलीकरण के रूप में या अन्यथा) साधारण या विशेष आदेश आयों के किसी वर्ग या मामलों के किसी वर्ग की बाबत जारी कर सकेगा, जिनमें राजस्व के निर्धारण या संग्रहण से शास्तियां अधिरोपित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करने से सम्बन्धित काम में अन्य आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग-दर्शकों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के बारे में (निर्धारितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाले) निदेश या अनुदेश हों; और यदि बोर्ड की राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो कोई ऐसा आदेश, सर्वसाधारण की सूचना के लिए, विहित रीति से, प्रकाशित किया जा सकेगा;

(ख) यदि बोर्ड किसी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय या समीचीन समझे तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा आयुक्त या आयकर अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी छूट, कटौती, प्रतिदाय या अन्य राहत के लिए कोई आवेदन या दावा, ऐसा आवेदन या दावा करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण करे और गुणागुणों पर विधि के अनुसार उसे निपटाए ।

(3) इस अधिनियम के निष्पादन में लगा हुआ हर आयकर अधिकारी ऐसे अनुदेशों का अनुपालन और अनुसरण करेगा जो उसके मार्गदर्शन के लिए उसे निरीक्षण निदेशक द्वारा या आयुक्त द्वारा या निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अपने कृत्यों का पालन करता है, जारी किए जाएं ।" ।

धारा 139 का संशोधन ।

26. आयकर अधिनियम की धारा 139 में,--

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक*** प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"परन्तु विहित रीति से किए गए आवेदन पर, आयकर अधिकारी विवरणी देने की तारीख को स्वविवेकानुसार बढ़ा सकेगा और, इस बात के होते हुए भी कि तारीख इस प्रकार बढ़ाई गई, ब्याज उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार प्रभार्य होगा;";

(ख) उपधारा (1क) का***लोप कर दिया जाएगा;

(ग) उपधारा (2) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक*** प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु विहित रीति से किए गए आवेदन पर, आयकर अधिकारी विवरणी देने की तारीख को स्वविवेकानुसार बढ़ा सकेगा, और, इस बात के होते हुए भी कि विवरणी देने की तारीख (चाहे वह मूलत: या बढ़ाकर नियत की गई हो), उपधारा (8) में निर्दिष्ट सितम्बर के तीसवें दिन के पश्चात् पड़ती हो, उक्त उपधारा के उपबन्धों के अनुसार ब्याज प्रभार्य होगा ।";

(घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के अन्दर" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या ऐसे अतिरिक्त समय के अन्दर जो विहित रीति से किए गए आवेदन पर आयकर अधिकारी स्वविवेकानुसार अनुज्ञात करे" शब्द***अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) के खण्ड (क) में, "और उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (iii) के उपबन्ध ऐसे हर मामले में लागू होंगे" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "और ऐसे हर मामले में उपधारा (8) के उपबन्ध लागू होंगे" शब्द, कोष्ठक और अंक * * * * * प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(च) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा * * * प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8) (क) जहां कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी निर्धारण वर्ष के सितम्बर के तीसवें दिन के पश्चात् दी जाए, या वह न दी जाए, तो [चाहे आयकर अधिकारी ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी देने की तारीख बढ़ाई हो या नहीं], निर्धारिती नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सादा ब्याज देने के दायित्वाधीन होगा जो उस निर्धारण वर्ष के अक्तूबर के प्रथम दिन से उस तारीख तक, जब विवरणी दी गई हो, या जहां कि विवरणी न दी गई हो वहां धारा 144 के अधीन निर्धारण के पूरे होने की तारीख तक, उस रकम पर संगणित किया जाएगा जो नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर संदेय कर की रकम में से, दिए गए अग्रिम कर की, यदि कोई हो, और स्रोत पर काटे गए कर की रकमों को घटाने पर आए:

परन्तु ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आय में कारबार या वृत्ति से ऐसी आय सम्मिलित हो, जिसकी बाबत पूर्व वर्ष निर्धारण वर्ष के ठीक पहले के वर्ष के दिसम्बर के इकत्तीसवें दिन के पश्चात् अवसित हुआ हो, ऐसा ब्याज निर्धारण वर्ष के अक्तूबर के प्रथम दिन के बजाय जनवरी के प्रथम दिन से संगणित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि आयकर अधिकारी इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय ब्याज ऐसी दशाओं में और ऐसी परिस्थितियों में, जो विहित की जाएं, घटा सकेगा या अधित्यक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—(क) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कि निर्धारिती, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत फर्म हो या ऐसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म हो जिसका निर्धारण धारा 183 के खण्ड (ख) के अधीन किया गया हो, वहां कुल आय पर संदेय कर, कर की वह रकम होगी जो फर्म का निर्धारण, अरजिस्ट्रीकृत फर्म के रूप में किए जाने पर संदेय होती।

(ख) जहां कि धारा 154, या धारा 155, या धारा 250, या धारा 254, या धारा 260, या धारा 262, या धारा 264 के अधीन आदेश के परिणामस्वरूप कर की वह रकम जिस पर ब्याज इस उपधारा के अधीन संदेय था घटाई गई हो वहां, ब्याज तदनुसार घटा दिया जाएगा और दिए गए ब्याज का आधिक्य, यदि कोई हो, प्रतिदत्त किया जाएगा।"।

धारा 140क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। स्वतः निर्धारण।

27. आयकर अधिनियम की धारा 140क के स्थान पर निम्नलिखित धारा * * * प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"140क.(1) जहां कि कोई विवरणी धारा 139 के अधीन दी गई हो और उस विवरणी के आधार पर संदेय कर, जैसा कि वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पहले ही दिए गए कर को घटाकर आए पांच सौ रुपयों से अधिक हो वहां निर्धारिती इस प्रकार संदेय कर विवरणी देने के तीस दिन के भीतर देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई रकम धारा 143 या धारा 144 के अधीन नियमित निर्धारण कर दिए जाने के पश्चात् नियमित निर्धारण के मद्धे दी गई समझी जाएगी ।

(3) यदि कोई निर्धारिती उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कर या उसका कोई भाग देने में असफल रहे तो वह, उस दशा के सिवाय जब धारा 143 या धारा 144 के अधीन नियमित निर्धारण उस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन के अवसान के पूर्व कर दिया जाए, शास्तिस्वरूप ऐसी रकम, जैसी आयकर अधिकारी निदिष्ट करे, और चालू रहने वाली असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त रकम या रकमें जैसी आयकर अधिकारी समय-समय पर निदिष्ट करे, देने के दायित्वाधीन होगा, किन्तु इस प्रकार कि शास्ति की कुल रकम, यथास्थिति, ऐसे कर या भाग की रकम के पचास प्रतिशत से अधिक न हो :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति उद्गृहीत करने के पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।" ।

धारा 141 का लोप ।

28. आयकर अधिनियम की धारा 141 का * * * लोप कर दिया जाएगा ।

धारा 141क का संशोधन ।

29. आयकर अधिनियम की धारा 141क में,—

(क) उपधारा (1) में "ऐसी विवरणी, लेखाओं और दस्तावेज़ों के आधार पर," शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"विवरणी में घोषित आय या हानि में ऐसे समायोजन करने के पश्चात् जो ऐसी विवरणी, लेखाओं और दस्तावेज़ों के प्रति निर्देश से और उपधारा (2) के खण्ड (iv) में निर्दिष्ट समायोजनों के प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्षों के निर्धारणों के, यदि कोई हों, अभिलेखों के प्रति निर्देश से भी, उपधारा (2) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित हैं :

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां बिवरणी के प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर नियमित निर्धारण न किया गया हो वहां आयकर अधिकारी इस धारा के अधीन अनन्तिम निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा ।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा * * * प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इस धारा के अधीन कोई निर्धारण करने में आयकर अधिकारी विवरणी में घोषित आय या हानि में निम्नलिखित समायोजन करेगा, अर्थात् वह—

(i) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी, लेखाओं और दस्तावेज़ों में गणित्-सम्बन्धी गल्तियों का परिशोधन करेगा;

(ii) कोई ऐसी कटौती, मोक या राहत अनुज्ञात करेगा जो ऐसी विवरणी, लेखाओं और दस्तावेज़ों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रथमदृष्ट्या अनुज्ञेय हो, किन्तु विवरणी में उसका दावा न किया गया हो;

(iii) विवरणी में दावा की गई किसी ऐसी कटौती, मोक या राहत को अननुज्ञात करेगा जो ऐसी विवरणी, लेखाओं या दस्तावेजों में उपलभ्य जानकारी के आधार पर प्रथमदृष्ट्या अननुज्ञेय हो;

(iv) धारा 32 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मोक को, धारा 33 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) या धारा 33क की उपधारा (2) के खण्ड (ii) या धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (i) या धारा 35क की उपधारा (1) या धारा 35घ की उपधारा (1) या धारा 35ङ की उपधारा (1) या धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ix) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कटौती को, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन अग्रणीत किसी हानि को, और धारा 80ञ की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी ऊनता को, जिनमें से हर एक पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए नियमित निर्धारण में यथा संगणित हो, सम्यक् रूप से प्रभावी करेगा ।" ।

* * * *

धारा 143 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन । निर्धारण ।

30. आयकर अधिनियम की धारा 143 के स्थान पर निम्नलिखित धारा * * * * प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"143. (1)(क) जहां कि धारा 139 के अधीन विवरणी दी गई हो वहां आयकर अधिकारी निर्धारिती की उपस्थिति की या उसके द्वारा अपनी विवरणी के समर्थन में साक्ष्य पेश किए जाने की अपेक्षा किए बिना, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण, उसके साथ के लेखाओं और दस्तावेजों के, यदि कोई हों, प्रति निर्देश से तथा खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट समायोजनों के प्रयोजनों के लिए पिछले वर्षों के, निर्धारणों के, यदि कोई हों, अभिलेखों के प्रति निर्देश से भी, विवरणी में घोषित आय या हानि में ऐसे समायोजन करने के पश्चात् जो किए जाने के लिए खण्ड (ख) के अधीन अपेक्षित हैं, कर सकेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि अवधारित कर सकेगा ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने में आयकर अधिकारी विवरणी में घोषित आय या हानि में निम्नलिखित समायोजन करेगा, अर्थात् वह—

(i) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विवरणी, लेखाओं और दस्तावेजों में गणित-सम्बन्धी गल्तियों का परिशोधन करेगा;

(ii) कोई ऐसी कटौती, मोक या राहत अनुज्ञात करेगा जो ऐसी विवरणी, लेखाओं और दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रथमदृष्ट्या अनुज्ञेय हो, किन्तु विवरणी में उसका दावा न किया गया हो;

(iii) विवरणी में दावा की गई किसी कटौती, मोक या राहत को अनुज्ञात करेगा जो ऐसी विवरणी, लेखाओं या दस्तावेजों में उपलभ्य जानकारी के आधार पर प्रथमदृष्ट्या अननुज्ञेय हो;

(iv) धारा 32 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मोक को, धारा 33 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) या धारा 33क की उपधारा (2) के खण्ड (ii) या धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (i) या धारा 35क की उपधारा (1) या धारा 35घ की उपधारा (1) या धारा 35ङ की उपधारा (1) या धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ix) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कटौती को, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन अग्रणीत किसी हानि को, और धारा 80ञ की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी ऊनता को, जिनमें से हर एक पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए नियमित निर्धारण में यथा संगणित हो, सम्यक् रूप से प्रभावी करेगा ।"।

(2) जहां कि धारा 139 के अधीन विवरणी दी गई हो, और उपधारा (1) के अधीन निर्धारण न किया गया हो, वहां, यदि आयकर अधिकारी निर्धारिती की उपस्थिति या इस निमित्त साक्ष्य पेश किए जाने की अपेक्षा करके विवरणी की शुद्धता और पूर्णता सत्यापित कराना आवश्यक या समीचीन समझे तो, वह निर्धारिती पर ऐसी सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या तो आयकर अधिकारी के कार्यालय में हाजिर हो या वह कोई ऐसा साक्ष्य, जिस पर निर्धारिती अपने विवरणी के समर्थन में निर्भर करता हो, पेश करे या पेश कराए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निकाली गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को या तत्पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, ऐसा साक्ष्य जो निर्धारिती पेश करे और ऐसा अन्य साक्ष्य जिसकी आयकर अधिकारी विनिर्दिष्ट बातों पर अपेक्षा करे, सुनने के पश्चात् तथा ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर जो उसने एकत्र की हो, विचार करने के पश्चात् आयकर अधिकारी, ***लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि अवधारित करेगा ।"

***

धारा 153 का संशोधन ।

31. आयकर अधिनियम की धारा 153 में,—

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा *** अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और उसके पश्चात् के किसी निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में धारा 146 के अधीन या धारा 250, धारा 254, धारा 263 या धारा 264 के अधीन निर्धारण को अपास्त या रद्द करने के आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अन्त से, जिसमें धारा 146 के अधीन निर्धारण को रद्द करने का आदेश आयकर अधिकारी द्वारा दिया जाए, या धारा 250 या धारा 254 के अधीन आदेश आयुक्त को प्राप्त हो, या यथास्थिति, धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा किया जाए, दो वर्ष के अवसान के पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा ।";

(ख) उपधारा (3) में "लागू नहीं हों जिनको" शब्दों के पश्चात् "उपधारा (2क) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए" शब्द, कोष्टक, अंक और अक्षर, ***अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

* * * *

धारा 183 का संशोधन ।

32. आयकर अधिनियम की धारा 183 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) यदि उसकी राय, में फर्म द्वारा संदेय कर की, यदि उस पर रजिस्ट्रीकृत फर्म के रूप में निर्धारण किया गया होता, और भागीदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संदेय कर की, यदि फर्म पर इस प्रकार निर्धारण किया गया होता, संकलित रकम, फर्म द्वारा खण्ड (क) के अधीन संदेय कर की और उस कर की जो भागीदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संदेय होता, संकलित रकम से अधिक होगी तो वह धारा 182 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानो वह फर्म रजिस्ट्रीकृत फर्म हो, और जहां इस खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया किसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म को लागू की जाती है, वहां धारा 182 की उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्ध उसको वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के संबंध में लागू होते हैं ।"।

* * * *

धारा 184 का संशोधन ।

33. आयकर अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (7) के परन्तुक में खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) फर्म, ऐसे पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी को देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के अवसान के पूर्व (चाहे वह मूल रूप से उतना ही निश्चित किया गया हो या विस्तृत किया गया हो), उस प्रभाव की घोषणा जो विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित हो, दे दे, किन्तु यह इस प्रकार कि जहां आयकर अधिकारी का समाधान हो जाए कि वह फर्म अनुज्ञात समय में घोषणा देने में, पर्याप्त हेतुक से निवारित थी, वहां वह फर्म को इस बात के लिए अनुज्ञात कर सकेगा कि वह निर्धारण के किए जाने के पूर्व किसी भी समय घोषणा दे दे ।"।

धारा 185 का संशोधन ।

34. आयकर अधिनियम की धारा 185 में—

(क) उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा और धारा 186 के प्रयोजनों के लिए, कोई फर्म उस दशा में असली नहीं मानी जाएगी जब उस फर्म का कोई भागीदार, फर्म की आय या सम्पत्ति में अपने पूर्ण अंश या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी ऐसे अन्य भागीदार का बेनामीदार था जिससे प्रथम वर्णित भागीदार का सम्बन्ध पति-पत्नी या अपत्य का न हो ।";

(ख) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कि आयकर अधिकारी यह समझता है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विधिवत् नहीं है वहां वह त्रुटि फर्म को प्रज्ञापित करेगा और उसे आवेदन में त्रुटि को ऐसे प्रज्ञापन की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर परिशुद्ध करने का अवसर देगा, और यदि उस

कालावधि के भीतर वह त्रुटि परिशुद्ध नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, आवेदन को नामंजूर करेगा ।

(3) जहां कि आयकर अधिकारी यह समझता है कि धारा 184 की उपधारा (7) के अनुसरण में फर्म द्वारा दी गई घोषणा विधिवत् नहीं है वहां वह त्रुटि फर्म को प्रज्ञापित करेगा और उसे आवेदन में त्रुटि को ऐसे प्रज्ञापन की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर परिशुद्ध करने का अवसर देगा, और यदि त्रुटि उस कालावधि के भीतर परिशुद्ध नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, घोषणा करेगा कि उस फर्म को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, प्रभावी न होगा ।" ।

* * * *

धारा 209 का संशोधन ।

35. आयकर अधिनियम की धारा 209 में खण्ड (घ) और अंत के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड और स्पष्टीकरण *** प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) उन दशाओं में जहां कि—

(i) सबसे अन्त के उस पूर्व वर्ष की कुल आय, [जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट पूर्व वर्ष के पश्चात् का वर्ष हो,] जिसके आधार पर निर्धारिती द्वारा धारा 140क के अधीन कर दिया गया हो, खण्ड (क) में निर्दिष्ट कुल आय से अधिक हो, अथवा

(ii) आयकर अधिकारी धारा 210 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट संशोधित आदेश उस कुल आय के आधार पर करे जिस पर निर्धारिती द्वारा धारा 140क के अधीन कर दिया गया हो,

वहां खण्ड (क) में निर्दिष्ट कुल आय यथा निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी :—

(1) उपखण्ड (i) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, उस कुल आय द्वारा, जिसके आधार पर धारा 140क के अधीन कर दिया गया हो; तथा

(2) उपखण्ड (ii) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, उस कुल आय द्वारा, जिसके आधार पर धारा 210 की उपधारा (3) के अधीन संशोधित आदेश किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—यदि निर्धारिती किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म *** का भागीदार हो और उस सबसे अन्त के पूर्व वर्ष से, जिसके लिए निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया जा चुका हो, पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए फर्म का निर्धारण पूरा कर दिया गया हो तो, फर्म के उक्त निर्धारण के आधार पर फर्म की आय में उसका अंश खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा ।" ।

धारा 210 का संशोधन ।

36. आयकर अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, *** प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि आयकर अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन आदेश किए जाने के पश्चात् और उस तारीख के पूर्व जो धारा 211 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय अग्रिम कर की अंतिम किस्त संदेय होने की तारीख के

पन्द्रह दिन पहिले की हो, किसी समय निर्धारिती द्वारा धारा 140क के अधीन कर दिया जाए या निर्धारिती का (या रजिस्ट्रीकृत *** फर्म का जिसका वह भागीदार हो) नियमित निर्धारण उस पूर्व वर्ष की बाबत कर दिया जाए जो आयकर अधिकारी के आदेश में निर्दिष्ट पूर्व वर्ष के पश्चात् का हो तो आयकर अधिकारी संशोधित आदेश कर सकेगा जो निर्धारिती से यह अपेक्षा करे कि वह एक किस्त में उस विनिर्दिष्ट तारीख को, या ऐसी किस्तें एक से अधिक होने की दशा में समान किस्तों में उन विनिर्दिष्ट तारीखों को, जो संशोधित आदेश की तारीख के पश्चात् पड़ती हों, उस कुल आय के आधार पर, जिस पर धारा 140क के अधीन कर दिया गया हो या जिसकी बाबत पूर्वोक्त नियमित निर्धारण किया गया हो, संगणित अग्रिम कर का संदाय, उसमें से ऐसी रकम, यदि कोई हो, घटा कर जो मूल आदेश के अनुसर दे दी गई हो, करे।"।

धारा 215 का संशोधन।

37. आयकर अधिनियम की धारा 215 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा *** प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कि नियमित निर्धारण पूर्ण होने की तारीख के पूर्व निर्धारिती ने धारा 140क के अधीन या अन्यथा कर दिया हो वहां,—

(i) ब्याज पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार उस तारीख तक परिकलित किया जाएगा जिसको कर इस प्रकार दिया गया; तथा

(ii) तत्पश्चात् पूर्वोक्त दर से ब्याज उस रकम पर परिकलित किया जाएगा जितना कि इस प्रकार दिया गया कर (जहां तक वह अग्रिम कर के अध्यधीन आय से सम्बद्ध हो) निर्धारित कर से कम हो।"।

धारा 221 का संशोधन।

38. आयकर अधिनियम की धारा 221 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जब निर्धारिती कर का संदाय करने में व्यतिक्रमी हो या व्यतिक्रमी समझा जाए, तो वह बकाया की रकम और धारा 220 की उपधारा (2) के अधीन संदेय ब्याज की रकम के अतिरिक्त ऐसी रकम शास्ति के रूप में देने के दायित्वाधीन होगा जिसका आयकर अधिकारी निदेश दे और चालू रहने वाले व्यतिक्रम की दशा में ऐसी अतिरिक्त रकम या रकमें देने के दायित्वाधीन होगा जिसका या जिनका आयकर अधिकारी समय-समय पर निदेश दे, किन्तु इस प्रकार कि शास्ति की कुल रकम बकाया कर की रकम से अधिक न हो :

परन्तु ऐसी किसी शास्ति का उद्ग्रहण करने के पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां कि आयकर अधिकारी का समाधान हो जाए कि व्यतिक्रम अच्छे और पर्याप्त कारणों से हुआ वहां इस धारा के अधीन कोई शास्ति उद्गृहीत न की जाएगी।"।

धारा 233 का लोप।

39. आयकर अधिनियम की धारा 233 का *** लोप कर दिया जाएगा।

धारा 234 का संशोधन।

40. आयकर अधिनियम की धारा 234 में,—

(क) "धारा 141" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 141 या धारा 141क" शब्द, अंक और अक्षर 1968 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जाएंगे और किए गए समझे जाएंगे;

(ख) "धारा 141 या" शब्दों और अंकों का *** लोप कर दिया जाएगा।

धारा 235 का संशोधन ।

41. आयकर अधिनियम की धारा 235 में,—

(क) खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) में "साढ़े सत्ताइस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय आयकर की रकम" शब्द *** प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अन्तःस्थापित किया जाएगा और सदैव से अन्तःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—जहां कि शेयर-धारक से भिन्न किसी व्यक्ति से इस धारा में निर्दिष्ट लाभांश पर इस अधिनियम के अधीन कर-प्रभार्य हो वहां इस धारा में शेयर-धारक के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि वे उस अन्य व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं ।"

धारा 243 का संशोधन ।

42. आयकर अधिनियम की धारा 243 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा *** प्रतिस्थापित कि जाएगी, अर्थात् :—

"(1) यदि आयकर अधिकारी,—

(क) किसी ऐसे मामले में जिसमें कि निर्धारिती की कुल आय एकमात्र प्रतिभूतियों पर ब्याज या लाभांशों की आय न हो, उस मास के अंत से तीन मास के भीतर जिसमें कि कुल आय इस अधिनियम के अधीन अवधारित हो, तथा

(ख) किसी अन्य मामले में उस मास के अन्त से, जिसमें कि प्रतिदाय का दावा इस अध्याय के अधीन किया जाए, तीन मास के भीतर,

प्रतिदाय अनुदत्त न करे तो केन्द्रीय सरकार निर्धारिती को, यथास्थिति, पूर्वोक्त तीन मास की कालावधि के अवसान के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से उस तारीख तक जब प्रतिदाय अनुदत्त करने का आदेश किया जाए नौ प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज देगी ।

स्पष्टीकरण—यदि पूर्वोक्त तीन मास की कालावधि के भीतर प्रतिदाय में हुआ विलम्ब, चाहे पूर्णतः या भागतः, निर्धारिती के कारण हुआ माना जा सकता हो तो विलम्ब की वह कालावधि, जो उसके कारण मानी जा सकती हो, उस कालावधि में से अपवर्जित कर दी जाएगी जिस के लिए ब्याज संदेय हो ।" ।

धारा 244 का संशोधन ।

43. आयकर अधिनियम की धारा 244 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "उस मास के, जिसमें, *** ऐसा आदेश दिया जाए, अन्त से तीन मास की कालावधि के भीतर" शब्द, और अंक, *** प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "पूर्वोक्त छह मास की कालावधि" शब्दों के स्थान पर "पूर्वोक्त तीन मास की कालावधि" शब्द, *** प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

* * * *

(ख) उपधारा (2) में "धारा 241 में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छह मास" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जिस मास में धारा 241 में निर्दिष्ट आदेश दिया जाए, उसके अन्त से तीन मास" शब्द *** और अंक, प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 246 का संशोधन ।

44. आयकर अधिनियम की धारा 246 में, —

(क) खण्ड (ग) में "धारा 143 की उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 143 की उपधारा (1) या उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक ****** प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;"

(ख) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— 5

"(ञ) धारा 185 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन आदेश" ।

* * * * * *

धारा 253 का संशोधन ।

45. आयकर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (6) में "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचीस रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 10

धारा 255 का संशोधन ।

46. आयकर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) में "पचीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 256 का संशोधन ।

47. आयकर अधिनियम की धारा 256 की उपधारा (1) में "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचीस रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271 का संशोधन ।

48. आयकर अधिनियम की धारा 271 *** की उपधारा (4क) में, परन्तुक के 15 स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु—

(i) यदि किसी मामले में सुसंगत वर्ष के लिए उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन अधिरोपणीय न्यूनतम शास्ति, या जहां कि ऐसा प्रकटीकरण एक से अधिक वर्षों से संबंधित हो वहां उन वर्षों के लिए 20 उक्त खण्ड के अधीन अधिरोपणीय शास्ति का योग, पचास हजार रुपयों की राशि से अधिक हो, अथवा

(ii) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आने वाले मामले में आय की वह रकम जिसकी बाबत शास्ति सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, या जहां कि ऐसा प्रकटन एक से अधिक वर्षों से संबंधित हो 25 वहां उन वर्षों के लिए ऐसी आय की कुल रकम पांच लाख रुपयों से अधिक हो,

तो शास्ति को घटाने या अधित्यक्त करने का आदेश आयुक्त द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया गया हो ।" ।

धारा 274 का संशोधन ।

49. आयकर अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2) में "अधिरोपणीय न्यूनतम 30 शास्ति एक हजार रुपयों से अधिक हो" शब्दों के स्थान पर "उस आय की रकम (जैसी कि वह आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारण पर अवधारित की गई हो), जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हों या अशुद्ध विशिष्टियां दी गई हों, पचीस हजार रुपयों की राशि से अधिक हो" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 275 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा ।

50. आयकर अधिनियम की धारा 275 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित 35 की जाएगी, अर्थात्:—

"275. इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश,—

(क) उस दशा में, जब कि सुसंगत निर्धारण आदेश या अन्य आदेश सहायक आयुक्त (अपील) को धारा 246 के अधीन अपील का या अपील अधिकरण को धारा 253 की उपधारा (2) के अधीन अपील 40

का विषय हो, निम्नलिखित कालावधियों में से जो भी बाद में अवसित हो, उसके अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा—

(i) उस वित्तीय वर्ष के अन्त से दो वर्ष जिसमें कि वह कार्यवाही पूर्ण हो जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्रवाई आरम्भ की गई, अथवा

(ii) उस मास के अन्त से छह मास जिसमें, यथास्थिति, सहायक आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश आयुक्त को प्राप्त हो ;

(ख) किसी अन्य दशा में उस वित्तीय वर्ष के अन्त से, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्रवाई आरम्भ की गई, दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में उस समय को, जो धारा 129 के परन्तुक के अधीन निर्धारिती को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा हो और उस कालावधि को जिसके दौरान इस अध्याय के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण की कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक रखी गई हो, अपवर्जित किया जाएगा ।" ।

धारा 276 का संशोधन ।

51. आयकर अधिनियम की धारा 276 में,—

(क) खण्ड (ख) में "धारा 139 की उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का, *** लोप कर दिया जाएगा ;

(ख) खण्ड (ग) का, *** लोप कर दिया जाएगा ।

नई धारा 276ग का अन्तःस्थापन ।

52. आयकर अधिनियम की धारा 276ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं***, अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आय की विवरणी देने में असफल रहना ।

276ग. यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी जिसके देने के लिए वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 139 की उपधारा (2) या धारा 148 के अधीन दी गई सूचना द्वारा, अपेक्षित है नियत समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो हरदिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी नियत समय के भीतर देने से असफल रहने के लिए इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही—

(i) 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए नहीं होगी, या

(ii) 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस दशा में नहीं होगी जब—

(क) वह निर्धारण वर्ष के अवसान के पूर्व विवरणी दे दे; या

(ख) संदत्त किए गए अग्रिम कर को, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किए गए किसी कर को घटाकर नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर उसके द्वारा संदेय कर तीन हजार रुपए से अधिक न हो ।

लेखे और दस्तावेजें पेश करने में असफल रहना ।

276घ. यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अपने पर तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व ऐसे लेखे और दस्तावेजें जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट हों, पेश करने में या पेश कराने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह,—

(क) उस दशा में जब ऐसे लेखे और दस्तावेजें ऐसे निर्धारण वर्ष से जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण किया गया है, सुसंगत पूर्व वर्ष के संबंध में हों, कठिन कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और वह जुर्माने से भी जो उस हर दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, दण्डनीय होगा ।

(ख) अन्य किसी दशा में कठिन कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से उस हर दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।"

धारा 279 का संशोधन ।

53. आयकर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1) में "या धारा 276ख" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "या धारा 276 या धारा 276घ" शब्द, अंक और अक्षर, *** अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 280 यक का संशोधन ।

54. आयकर अधिनियम की धारा 280यक में,—

(क) उपधारा (1) में "लोक कम्पनी" शब्दों के स्थान पर "कम्पनी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में "लोक कम्पनी" तथा "ऐसी कम्पनी" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "कम्पनी" तथा "उस कम्पनी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 295 का संशोधन ।

55. आयकर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड, *** अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) कोई व्यष्टि जो धारा 64 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन निर्धारण के दायित्वाधीन हो;";

(ख) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(टट) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज या सरकार द्वारा निर्धारिती को संदेय ब्याज के परिकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत आता है उस कालावधि का, जिसके लिए ब्याज का परिकलन किया जाना हो, तब पूर्णांकन जब ऐसी कालावधि में मास का भाग सम्मिलित हो, तथा वे परिस्थितियां जिनमें और वह मात्रा जिस तक, निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की छोटी-मोटी रकमें छोड़ी जा सकेंगी विनिर्दिष्ट करना; " ।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन ।

56. आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में नियम 60 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में, "छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से" शब्दों के स्थान पर "नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

57. आयकर की चतुर्थ अनुसूची में,—

(क) भाग क के नियम 15 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि के धन के विनिधान या निक्षेप का विनियमन :

1944 का 18

परन्तु इस खण्ड के अधीन बना कोई नियम लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसी निधि के धनों के पचास प्रतिशत से अधिक के विनिधान की अपेक्षा नहीं करेगा ।";

(ख) भाग ख में,—

(i) नियम 4 के उपनियम (1) में "नियमों की तथा उस अन्तिम वर्ष के लिए जिसके लिए ऐसे लेखे तैयार कर लिए गए हों, निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भेजी जाएंगी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; अर्थात् :—

"नियमों की दो प्रतियां तथा जहां कि निधि ऐसे वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रही हो, जो उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती के हों जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाए, वहां ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों से (जो उक्त आवेदन किए जाने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक न होंगे) संबंधित, जिनके लिए ऐसे लेखे तैयार कर लिए गए हों, निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भी भेजी जाएंगी";

(ii) नियम 11 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गग) मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि के धन के विनिधान या निक्षेप का विनियमन:

1944 का 18

परन्तु इस खण्ड के अधीन बना कोई नियम लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसी निधि के धनों के पचास प्रतिशत से अधिक के विनिधान की अपेक्षा नहीं करेगा ।";

(ग) भाग ग में,—

(i) नियम 4 के उपनियम (1) में "नियमों की तथा उन अंतिम तीन वर्षों के लिए जिनके लिए लेखे तैयार कर लिए गए हों निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भेजी जाएंगी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"नियमों की दो प्रतियां तथा जहां कि निधि ऐसे वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रही हो जो उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती हों, जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाए, वहां ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों से (जो उक्त आवेदन किए जाने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक न होंगे) संबंधित, जिनके लिए ऐसे लेखे तैयार कर लिए गए हों, निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भी भेजी जाएंगी।";

(ii) नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

उपदान निधियों की बाबत दी जाने वाली विशिष्टियां।

"8क. अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी और कोई भी नियोजक जो अनुमोदित निधि के लिए अभिदाय करता हो, आयकर अधिकारी द्वारा सूचना द्वारा अपेक्षित किए जाने पर, ऐसी कालावधि के भीतर, जो सूचना की तारीख से इक्कीस दिन से कम की न होगी और जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी, विवरण, विशिष्टियां या जानकारी देगा जैसी आयकर अधिकारी अपेक्षित करे।";

(iii) नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) अनुमोदित उपदान निधि के धन के विनिधान या निक्षेप का विनियमन :

परन्तु इस खण्ड के अधीन बना कोई नियम लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसी निधि के धनों के पचास प्रतिशत से अधिक के विनिधान की अपेक्षा नहीं करेगा।"। 1944 का 18

सप्तम सूची का अंत:स्थापन।

58. आयकर अधिनियम की षष्ठ अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची, * * * अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सप्तम अनुसूची

(धारा 35 ङ देखिए)

भाग क—खनिज

1. एल्यूमीनियम अयस्क।
2. ऐपाटाइट और फास्फेटी अयस्क।
3. वैदूर्य।
4. क्रोम अयस्क।
5. कोयला और लिग्नाइट।
6. कोलम्बाइट, समर्स्काइट तथा "रेयर अर्थ स" समूह के अन्य खनिज।
7. तांबा।
8. सोना।
9. जिप्सम।
10. लोह अयस्क।
11. सीसा।

12. मैंगनीज अयस्क ।

13. मौलिबडेनम ।

14. निकल अयस्क ।

15. प्लैटिनम और अन्य बहुमूल्य धातुएं तथा उनके अयस्क ।

16. पिचब्लेन्ड और अन्य युरेनियम अयस्क ।

17. बहुमूल्य रत्न ।

18. रुटाइल ।

19. चांदी ।

20. गंधक और उसके अयस्क ।

21. रांगा ।

22. टंगस्टन अयस्क ।

23. यूरैनीफेरस एलेनाइट, मोनेजाइट और अन्य थोरियम खनिज ।

24. तांबा और सोना, इल्मेनाइट और अन्य टाइटनियम अयस्क निकालने के पश्चात् अयस्कों में का यूरेनियम युक्त अवशिष्ट ।

25. वैनेडियम अयस्क ।

26. जस्ता ।

27. जरकान ।

भाग ख—सहचारी खनिजों के समूह

1. ऐपाटाइट, वैदूर्य, कैसीटेराइट, कोलम्ब्राइट, पन्ना, फैल्सपार, लेपीडोलाइट, अभ्रक, पिचब्लेन्ड, स्फटिक, समस्काइट, शीलाइट, पुखराज, टेन्टेलाइट, तुरमली ।

2. लोहा, मैंगनीज, टाइटेनियम, वैनेडियम और निकल खनिज ।

3. सीसा, जस्ता, तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, निकल, मोलिबडेनम और यूरेनियम खनिज, तथा सोना और चांदी, आर्सेनो पाइराइट, कैल्कोपाइराइट, पाइराइट, पाइफ्रोटाइट, पेंटेलडाइट ।

4. क्रोमम, आस्मिरीडियम, प्लैटिनम और निकल खनिज ।

5. कायनाइट, सिलीमैनाइट, कुरंड, ड्यूमरटाइराइट और पुखराज ।

6. सोना, चांदी, टेल्यूरियम, सिलीनियम और पाइराइट ।

7. बैराइटीज, फ्लोराइट, कैल्कोसाइट, सिलीनियम, और जस्ता, सीसा और चांदी के खनिज ।

8. रांगा और टंग्स्टन खनिज ।

9. चूना पत्थर, डोलोमाइट और मग्नेसाइट ।

10. इल्मेनाइट, मोनेजाइट, जरकान, रूटाइल, गार्नेट और सिलीमैनाइट ।

11. ताँबा और लोहे के सल्फाइड ।

12. कोयला, अग्निसह मिट्टी, और शेल ।

13. मैगनेटाइट और ऐपाटाइट ।

14. मैग्नेसाइट और क्रोमाइट ।

15. टैल्क (सेलखड़ी और स्टिऐटाइट) और डोलोमाइट ।

16. बैक्साइट, लेटेराइट, ऐलुमिनस मिट्टी, लिथोमार्ज, टाइटेनियम, वेनाडियम, गैलियम और कोलम्बियम खनिज ।" ।

अध्याय 3

धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन

धारा 5 का संशोधन ।

59. धन-कर अधिनियम, 1957 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 5 की उपधारा (1) में, खण्ड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड, 1965 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से अन्त:स्थापित किया जाएगा और किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 1957 का 27

"(vi क) आयकर अधिनियम की धारा 280घ के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय रकार द्वारा संदेय कोई वार्षिकी प्राप्त करने का निर्धारिती का अधिकार," ।

धारा 15ख का संशोधन ।

60. धन-कर अधिनियम की धारा 15ख की उपधारा (3) में, "ऐसी रकम देने के दायित्वाधीन होगा जैसी कि धन-कर अधिकारी निदिष्ट करे, किन्तु यह इस प्रकार कि शास्ति की रकम, यथास्थिति, ऐसे कर या भाग की रकम के पचास प्रतिशत से अधिक न हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"ऐसी रकम, जैसी धन-कर अधिकारी निदिष्ट करे, और चालू रहने वाली असफलता की दशा में, ऐसी अतिरिक्त रकम या रकमें जैसी धन-कर अधिकारी समय-समय पर निदिष्ट करे, देने के दायित्वाधीन होगा, किन्तु इस प्रकार के शास्ति की कुल रकम, यथास्थिति ऐसे कर या भाग के पचास प्रतिशत से अधिक न हो :" ।

धारा 18 का संशोधन ।

61. धन-कर अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, वह रकम जिसकी बाबत शास्ति सुसंगत वर्ष के लिए या जहां कि ऐसा प्रकटन एक से अधिक निर्धारण वर्ष से संबंधित हो वहां सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी एक के लिए अधिरोपण हो, पांच लाख रुपयों से अधिक हो वहां, शास्ति घटाने या अधित्यक्त करने का आदेश आयुक्त द्वारा तब तक न किया जाएगा जब तक कि बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो ।";

(ख) उपधारा (3) में, "अधिरोपणीय न्यूनतम शास्ति एक हजार रुपए की राशि से अधिक हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"वह रकम (जैसी कि वह धन-कर अधिकारी द्वारा निर्धारण पर अवधारित हो) जिसकी बाबत शास्ति उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अधिरोपणीय हो, पचीस हजार रुपयों की राशि से अधिक हो" ;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश,—

(क) उस दशा में जब कि वह निर्धारण जिसके संबंध में शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही हो, सहायक आयुक्त (अपील) को धारा 23 के अधीन अपील का या अपील अधिकरण

को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अपील का विषय हो, निम्नलिखित कालावधियों में से जो भी बाद में अवसित हो उसके अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा :—

(i) उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हो जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्रवाई आरंभ की गई; अथवा

(ii) उस मास के अंत से छह मास, जिसमें यथास्थिति, सहायक आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश आयुक्त को प्राप्त हो;

(ख) किसी अन्य दशा में उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्रवाई आरंभ की गई, दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमाकाल की संगणना करने में उस समय को, जो धारा 39 के परन्तुक के अधीन निर्धारिती को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा हो और उस कालावधि को जिसके दौरान इस धारा के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण की कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक रखी गई हो, अपवर्जित किया जाएगा ।" ।

* * *

62. धन-कर अधिनयम की धारा 24 की उपधारा (4) में "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचीस रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । — धारा 24 का संशोधन ।

63. धन-कर अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में, "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचीस रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । — धारा 26 का संशोधन ।

64. धन-कर अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचीस रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । — धारा 27 का संशोधन ।

65. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 44ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— — नई धारा 44ग और 44घ का अंत:स्थापन ।

44ग. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार संगणित शुद्ध धन की रकम का भाग हो तो वह भाग पचास रुपए या अधिक होने की दशा में वह रकम निकटतम सौ रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी, और, इस प्रयोजन के लिए पैसों को उच्चतर रकम तक जो सौ का गुणज हो, बढ़ा दी जाएगी और वह भाग पचास रुपए से कम होने की दशा में वह रकम निकटतर रकम तक, जो सौ का गुणज हो, घटा दी जाएगी; और इस प्रकार पूर्णांकित रकम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस निर्धारिती का शुद्ध धन समझी जाएगी । — शुद्ध धन का पूर्णांकन ।

44घ. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन धन-कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय राशि तथा देय प्रतिदाय की रकम निकटतम पूरे रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां कि ऐसी रकम में पैसों के रूप में रुपए का भाग — कर आदि का पूर्णांकन ।

हो वहां ऐसा भाग पचास पैसे या अधिक होने की दशा में बढ़ाकर एक रुपया कर दिया जाएगा, तथा ऐसा भाग पचास पैसे से कम होने की दशा में छोड़ दिया जाएगा।" ।

धारा 46 का संशोधन।

66. धन-कर अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घघ) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज या सरकार द्वारा निर्धारिती को संदेय ब्याज के परिकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत आता है उस कालावधि का, जिसके लिए ब्याज का परिकलन किया जाना हो, तब पूर्णांकन जब ऐसी कालावधि में मास का भाग सम्मिलित हो तथा वे परिस्थितियां जिनमें, और वह मात्रा जिस तक, निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की छोटी-मोटी रकमें छोड़ी जा सकेंगी, विनिर्दिष्ट करना ;" ।

अध्याय 4

दान-कर अधिनियम, 1958 का संशोधन

* * * *

धारा 23 का संशोधन।

67. दान-कर अधिनियम, 1958 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् दान-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 23 की उपधारा (4) में, "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचास रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1958 का 18

धारा 25 का संशोधन।

68. दान-कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में, "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचीस रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 26 का संशोधन।

69. दान-कर अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में, "एक सौ रुपए की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचास रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 44क और 44ख का अन्तःस्थापन।

70. दान-कर अधिनियम की धारा 44 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

करार्धेय दानों का पूर्णांकन।

"44क. सब करार्धेय दानों के मूल्य के रूप में इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार निर्धारित रकम दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए पैसों के रूप में रुपए का कोई भाग छोड़ दिया जाएगा, और तत्पश्चात् यदि वह रकम दस रुपए का गुणज न हो तो उस रकम का अंतिम अंक पांच या अधिक होने की दशा में वह रकम निकटतम उच्चतर रकम तक, जो दस का गुणज हो, बढ़ा दी जाएगी, और अंतिम अंक पांच से कम होने की दशा में वह रकम निकटतम न्यूनतर रकम तक, जो दस का गुणज हो, घटा दी जाएगी; और इस प्रकार पूर्णांकित रकम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती के [illegible] देय दानों का मूल्य समझी जाएगी।

कर आदि का पूर्णांकन।

44ख. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दान-कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय राशि तथा देय प्रतिदा[illegible] की रकम निकटतम पूरे रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां कि ऐसी रकम में पैसों के रूप में रुपए का भाग हो वहां ऐसा भाग पचास पैसे या अधिक होने की दशा में बढ़ाकर एक रुपया कर दिया जाएगा, तथा ऐसा भाग पचास पैसे से कम होने की दशा में छोड़ दिया जाएगा।" ।

धारा 46 का संशोधन।

71. दान-कर अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) में खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङङ) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज या सरकार द्वारा निर्धारिती को संदेय ब्याज के परिकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली

प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत आता है उस कालावधि का जिसके लिए ब्याज का परिकलन किया जाना हो, तब पूर्णांकन जब ऐसी कालावधि में मास का भाग सम्मिलित हो, तथा वे परिस्थितियां जिनमें, और वह मात्रा जिस तक, निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की छोटी-मोटी रकमें छोड़ी जा सकेंगी विनिर्दिष्ट करना ;" ।

5 अध्याय 5

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का संशोधन

* * * *

1964 का 7 धारा 12 का संशोधन ।

72. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की [जिसे इसके पश्चात् कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम कहा गया है] धारा 12 की उपधारा (6) में, "एक सौ रुपए 10 की फीस" शब्दों के स्थान पर "एक सौ पचीस रुपए की फीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन ।

73. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम की धारा 14 में, "धारा 154 या धारा 155" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 154, 155, 250, 254, 260, 262, 263, या 264" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

15 **74.** कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चच) इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज या सरकार द्वारा निर्धारिती को संदेय ब्याज के परिकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत आता है उस कालावधि का, जिसके लिए ब्याज का परिकलन किया जाना हो, तब पूर्णांकन जब ऐसी कालावधि में मास का भाग सम्मिलित हो, तथा वे परिस्थितियां 20 जिनमें और वह मात्रा जिस तक निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की छोटी-मोटी रकमें छोड़ी जा सकेंगी, विनिर्दिष्ट करना;" ।

59MofLaw/70—575—29-8-70—GIPF.

सी० बी० (II) संख्या 245

लोक-सभा

अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968

(राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

(12 अगस्त, 1970 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1970 / श्रावण, 1892 (शक)

मूल्य : 75 पैसे

लोक-सभा

1 अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968

(राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में)

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

का

शुद्धि-पत्र

1. पृष्ठ (iii), पंक्ति 6, में 'श्री डी० के० कुन्ट' के स्थान पर, 'श्री डी० के० कुन्टे' पढ़िये ।
2. पृष्ठ (iii), पंक्ति 25, में 'श्री तन्नेटि विश्वनाथम' के स्थान पर, 'श्री तेन्नेटि विश्वनाथम' पढ़िये ।
3. पृष्ठ (iii), पंक्ति 28, में 'श्री मोहम्मद युनुस सलीम' के स्थान पर 'श्री मोहम्मद युनस सलीम' पढ़िये ।
4. पृष्ठ 3, पंक्ति 1 में 'क्षत्रों' के स्थान पर 'क्षेत्रों' पढ़िये ।
5. पृष्ठ 3, पंक्ति 6 में 'प्रतस्थापित' के स्थान पर 'प्रतिस्थापित' पढ़िये ।
6. पृष्ठ 8, पंक्ति 20 में 'अस्तित्वाव वधि' के स्थान पर 'अस्तित्वावधि' पढ़िये ।
7. पृष्ठ 12, पंक्ति 30, में '(कड़)' के स्थान पर '(क ड०)' पढ़िये ।

8. पृष्ठ 13, पंक्ति 1, में (कड़ड़) के स्थान
(क ह० ह०) पढ़िये ।

9. पृष्ठ 13, हाशिया शीर्षक 3, पंक्ति 3 में कड़
के स्थान पर क ह० पढ़िये ।

10. पृष्ठ 14, पंक्ति 6 में मुस्ता के स्थान पर
मुस्तार पढ़िये ।

11. पृष्ठ 14, पंक्ति 23 में सम्बन्ध में व के स्थान
पर सम्बन्ध में वे पढ़िये ।

12. पृष्ठ 17, पंक्ति 31 में प्रश्न के स्थान पर
प्रश्न पढ़िये ।

13. पृष्ठ 18, अंतिम पंक्ति में बिहर के स्थान
पर विहार पढ़िये ।

14. पृष्ठ 24, पंक्ति 6 में आम के स्थान पर
आज पढ़िये ।

15. पृष्ठ 27, पंक्ति 4 में अक्रिव वता के स्थान
पर अधिवक्ता पढ़िये ।

16. पृष्ठ 29, पंक्ति 5 में श्री रा० दो० भण्डार
के स्थान पर श्री रा० दो० भण्डारे पढ़िये ।

17. पृष्ठ 29, नीचे से पंक्ति 3 में (श्री पो० गोविन्द
मैनन) के बाद नें पढ़िये ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्रवर समिति की रचना . . .	(iii)
2. प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . .	(v)
3. विधेयक	1
परिशिष्ट I --विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव ।	17
परिशिष्ट II --विधिज्ञ परिषदों / व्यक्तियों आदि के नामों का विवरण जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन / अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए । .	18
परिशिष्ट III--विधिज्ञ परिषदों के नामों का विवरण जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया । .	19
परिशिष्ट IV--विधेयक तथा उसके कारणों के कथन को वापस लेने के प्रस्ताव की सूचना । . .	20
परिशिष्ट V --प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही-सारांश . .	22

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 सम्बन्धी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री रा० ढो० भण्डारे—सभापति

सदस्य

2. श्री डी० के० कुन्ट
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री शिवाजी राव शं० देशमुख
5. श्री ए० के० गोपालन
6. श्री श्रीचन्द गोयल
7. श्री एस० एम० जोशी
8. श्री विक्रम चन्द महाजन

*9. श्री पी० गोविन्द मेनन

10. श्री श्रीनिवास मिश्र
11. श्री एफ० एच० मोहसिन
12. श्री ही० ना० मुकर्जी
13. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
14. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
15. श्री विश्वनाथ पाण्डेय
16. चौधरी रणधीर सिंह
17. श्री के० नारायण राव
18. श्रीमती सावित्री श्याम
19. श्री ए० के० सेन
20. श्री शान्ति लाल शाह
21. श्री तन्नेटि विश्वनाथम
22. श्री जी० विश्वनाथन
23. श्री एस० जेवियर
24. श्री मोहम्मद यूनुस सलीम

---

*23 मई, 1970 को देहान्त हो गया ।

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० वी० वेन्कटसुब्रमनियम, संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार

2. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता

3. श्री दलीप सिंह, उप-विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, प्रवर समिति का सभापति, जिसे राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाला *विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में तत्कालीन उप-मंत्री श्री मोहम्मद यूनुस सलीम द्वारा 8 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर उसी दिन चर्चा की गई तथा वह उसी दिन स्वीकृत हुआ । (परिशिष्ट I)

3. समिति की कुल 9 बैठकें हुईं।

4. प्रवर समिति की पहली बैठक उसके काम का भावी कार्यक्रम बनाने के लिए 17 दिसम्बर, 1969 को हुई थी। इस बैठक में समिति ने निर्णय किया कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसके द्वारा विधेयक के उपबन्धों के बारे में व्यक्तियों, सार्वजनिक संस्थाओं , विधिज्ञ परिषदों, विधिज्ञ संगठनों, उच्च न्यायालयों, राज्यों के महा अधिवक्ताओं और विभिन्न विश्वविद्यालयों, के विधि संकायों से ज्ञापन आमंत्रित किये जायें। समिति ने सभापति को यह प्राधिकार दिया कि वह लिखित ज्ञापनों तथा मौखिक साक्ष्य के लिए प्रार्थनायें प्राप्त होने पर मौखिक साक्ष्य के लिए पक्षों का चयन करें। ज्ञापनों तथा मौखिक साक्ष्य के लिए प्रार्थनाओं के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 17 जनवरी, 1970 थी। 27 जनवरी, 1970 को हुई अपनी दूसरी बैठक में समिति ने उसकी प्रेस विज्ञप्ति का सामाचार पत्रों द्वारा कम प्रचार किये जाने पर विचार किया और ज्ञापनों तथा मौखिक साक्ष्य के लिए प्रार्थनाओं के प्राप्त होने की तारीख को 10 फरवरी, 1970 तक बढ़ाने का निश्चय किया और इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की । इस बैठक में समिति ने यह भी निर्णय किया कि सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों और सभी उच्च न्यायलय विधिज्ञ संगठनों को एक परिपत्र भजकर प्रस्तावित विधान के उपबन्धों पर उन के विचार मांगे जायें।

5. विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न विधिज्ञ परिषदों/ व्यक्तियों आदि से समिति को 15 ज्ञापन / अभ्यावेदन प्राप्त हुए जो समिति के सदस्यों को परिचालित किये गये (परिशिष्ट II)।

6. 18 और 19 फरवरी, 1970 को हुई अपनी चौथी और पांचवी बैठकों में, समिति ने क्रमश: बार काउन्सिल आफ इन्डिया, नई दिल्ली और मैसूर स्टेट

---

*यह विधेयक दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2, में प्रकाशित हुआ था और 16 दिसम्बर, 1968 को राज्य सभा द्वारा पास किया गया था।

बार काउन्सिल , बंगलौर के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्ष्य की सुनवाई की (परिशिष्ट III)।

7. समिति का प्रतिवेदन दसवें सत्र के प्रथम दिन तक सदन में प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि ऐसा न किया जा सका, अतः समिति ने 18 फरवरी, 1970 को हुई अपनी चौथी बैठक में यह निश्चय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को ग्यारहवें सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाने की मांग की जाये। 20 फरवरी, 1970 को आवश्यक प्रस्ताव सदन में रखा गया तथा स्वीकृत हुआ। 31 जुलाई, 1970 को हुई अपनी आठवीं बैठक में समिति ने पुनः निर्णय किया कि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बारहवें सत्र के प्रथम दिन तक अग्रेतर बढ़ाने की मांग की जाये जिसकी स्वीकृति सभा द्वारा 3 अगस्त, 1970 को दे दी गई।

8. समिति ने यह भी निर्णय किया कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को मुद्रित न किया जाये बल्कि उसकी एक साईक्लोस्टाइल्ड प्रति सभा-पटल पर तथा संसद्-ग्रंथालय में भी रख दी जाये।

9. 12 मार्च, 1970 को हुई समिति की छठी बैठक में, विधेयक के भार-साधक मंत्री ने समिति को बताया था कि उनका विचार समिति के विचाराधीन विधेयक के स्थान पर चालू सत्र (बजट सत्र, 1970) के दौरान एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का है। विधि मंत्री ने संकेत दिया था कि अधिवक्ता अधि-नियम, 1961 का संशोधन करने हेतु खण्डशः विधान से बचने की दृष्टि से नये विधेयक में विभिन्न विधिज्ञ परिषदों, विधिज्ञ संगठनों, आदि द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित किया जायेगा। विधि मंत्री ने यह भी बताया कि उनका विचार निर्धनों के लिए कानूनी सहायता का उपबन्ध करने का था तथा साथ ही वह भारत के न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के प्रयोजन से कानून की विदेशी उपाधियों को मान्यता देने के लिए ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर, उचित उपबन्ध सम्मिलित करने की वांछनीयता पर भी विचार कर रहे थे। तदनुसार विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) द्वारा विधयक को वापस लेने के प्रस्ताव की एक सूचना दी गई, जो लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 110 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत प्रवर समिति को सौंपी मानी गयी। (परिशिष्ट IV)।

10. समिति ने विधेयक को वापस लेने की सूचना तथा उसके साथ संलग्न विवरण पर, जिसमें विधेयक को वापस लेने के कारण बताये गए थे, 11 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में विचार किया। समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर भी उसी दिन विचार किया तथा उसे स्वीकृत किया।

11. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

नई दिल्ली;
11 अगस्त, 1970

रा० ढो० भण्डारे,
सभापति,
प्रवर समिति।

1968 का विधेयक संख्या 33-CA

[ऐडवोकेट्स (सैकेण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1968 का हिन्दी अनुवाद]

अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968

(राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1968 को पारित रूप में)
(प्रवर समिति द्वारा विचार किये गये रूप में)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1968 कहा जा सकेगा।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 1 का संशोधन ।

2. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की (जिसे एतस्मिन्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 में— 1961 का 25

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।" 5

(ख) उपधारा (3) में, "उस तारीख को प्रवृत्त होगा" शब्दों के स्थान पर "उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में उस तारीख को प्रवृत्त होगा" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्— 10

"(4) यह अधिनियम, जम्मू-काश्मीर राज्य के और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।" 15

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(क) "अधिवक्ता" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी नामावली में प्रविष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो वकील या प्लीडर या अटार्नी रहा हो और किसी ऐसी नामावली में प्रविष्ट हो ; 20

(ख) खण्ड (च) लुप्त किया जाएगा ।

(ग) खण्ड (छ) के उपखण्ड (ii) में, "पंजाब का उच्च न्यायालय" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली का उच्च न्यायालय" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 25

धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(क) उपधारा (1) में–

(i) खण्ड (क) में, "गुजरात" के तश्चात् "जम्मू-काश्मीर", शब्द अन्त:स्थापित किए जायेंगे ; 30

(ii) खण्ड (गगग) में, "दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली

के तथा गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षत्रों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (क) में, "दिल्ली की राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में, भारत का अपर सालिसिटर जनरल, पदेन" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्—

"असम और नागालैंड की राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में, असम और नागालैंड राज्यों में से हर एक का महाधिवक्ता, पदेन; पंजाब और हरियाणा की राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में, पंजाब और हरियाणा राज्यों में से हर एक का महाधिवक्ता; दिल्ली की राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में, भारत के महान्यायवादी द्वारा नामनिर्देशित कोई अधिवक्ता ;

(ii) खण्ड (ख) में "असम की विधिज्ञ परिषद्" शब्दों के स्थान पर "असम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद्, जम्मू-काश्मीर की विधिज्ञ परिषद्" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"3 (क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट हर एक राज्य विधिज्ञ परिषदों के लिये, सम्पृक्त राज्य का महाधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विधिज्ञ परिषद् के लिये, यथास्थिति असम राज्य का महाधिवक्ता या नागालैंड राज्य का महाधिवक्ता, इनमें से जो भी अधिक समय तक निरन्तर ऐसा पद धारण करता रहा हो उसका अध्यक्ष होगा;

(ग) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट विधिज्ञ परिषद् के लिये केरल राज्य का महाधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा ;

(घ) उपधारा (1) के खण्ड (गग) में निर्दिष्ट विधिज्ञ परिषद् के लिये मद्रास राज्य का महाधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा;

(ङ) उपधारा (1) के खण्ड (गगग) में निर्दिष्ट विधिज्ञ परिषद् के लिये महाराष्ट्र का महाधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा;

(च) उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट विधिज्ञ परिषद् के लिये यथास्थिति पंजाब राज्य का महाधिवक्ता या हरियाणा राज्य का महाधिवक्ता इन में से जो भी अधिक समय तक निरन्तर ऐसा पद धारण करता रहा हो, उसका अध्यक्ष होगा ;

(छ) दिल्ली की विधिज्ञ परिषद् के लिए, अध्यक्ष परिषद् द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो विहित की जाए;

(3क) हर एक विधिज्ञ राज्य परिषद् का एक उपाध्यक्ष भी होगा जो परिषद् द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो विहित की जाए।

धारा 4 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में "पदेन" शब्द के पश्चात्, "जो परिषद् का अध्यक्ष होगा" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा" शब्दों के स्थान पर "एक उपाध्यक्ष भी होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) के खण्ड (1) में, "उसकी निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष" शब्दों के पश्चात् "या तब तक जब कि उसके राज्य विधिज्ञ परिषद् का सदस्य रहना समाप्त हो जाये, इनमें से जो भी पूर्वतर हो" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे ;

धारा 6 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

"(2) राज्य विधिज्ञ परिषद्—

(क) निधन या अशक्त अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिये ;

(ख) गरीबों को विधिक सहायता देने के लिये ; कोई निधि या निधियां विहित रीति से गठित कर सकेगी।"

धारा 7 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित की जाएगी, और—

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित की गई उपधारा (1) में खण्ड (क) लुप्त कर दिया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित की गई उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2) भारत की विधिज्ञ परिषद् गरीबों को विधिक सहायता देने के लिए विहित रीति से एक निधि गठित कर सकेगी।"

8. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात्--

नई धारा 7क का अन्त:स्थापन।

"7क--भारत की विधिज्ञ परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय विधिक निकायों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विधिज्ञ संगम या अन्तर्राष्ट्रीय विधिक सहायता संगम की सदस्य बन सकेगी, अभिदाय के तौर पर या अन्यथा ऐसे निकायों को ऐसी राशियां अभिदत्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे और किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन या अध्ययन गोष्ठी में अपने प्रतिनिधियों के भाग लेने के संबंध में व्यय प्राधिकृत कर सकेगा।"

अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 में--

धारा 8 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात--

1966 का 23

"परन्तु अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों की पदावधि, उनके निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष होगी।"

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्--

"(3) दिल्ली की राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में, भारत के महान्यायवादी द्वारा, धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्देशित अधिवक्ता की पदावधि, उसके नाम-निर्देशन की तारीख से पांच वर्ष होगी;

परन्तु ऐसा अधिवक्ता अपना पद भारत के महान्यायवादी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा त्याग सकेगा।"

10. मूल अधिनियम की धारा 9 में--

धारा 9 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में--

(i) "जो धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखता हो और" शब्द, कोष्ठक और अंक लुप्त किए जाएंगे; तथा

(ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्--

"परन्तु कोई व्यक्ति जो धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अर्हताएं नहीं रखता हो, किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य

के रूप में, यथास्थिति, निर्वाचित या सहयोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा ;"

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी ; अर्थात्—

"(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ के पूर्व गठित कोई अनुशासनिक समिति अपने समक्ष लम्बित कार्यवाहियों का निस्तारण कर सकेगी मानो यह धारा उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित की गई हो।"

धारा 15 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में—

(क) "निधि" शब्द के पश्चात् "या निधियों" शब्द अन्त:स्थापित किए जायेंगे ;

(ख) "देने के लिए" शब्दों के पश्चात् "या गरीबों को विधिक सहायता देने के लिए" शब्द अस्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, "बार में अनुभव और सेवाकाल के आधार पर" शब्दों के स्थान पर "बार में सेवाकाल या विधि में विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में, "और जो विहित समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर "जिनके अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व किसी भी ऐसे क्षेत्र में जो उक्त तारीख के पूर्व गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 1935 में यथा-परिभाषित भारत में समाविष्ट था अधिवक्ताओं के रूप में नामावलिगत थे और जो किसी भी समय" शब्द, अंक और, अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में खंड (ग) लुप्त किया जाएगा ;

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापना।

14. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा अन्त:-स्थापित की जाएगी, अर्थात—

उच्चतम न्यायालय के कतिपय-अधिवक्ताओं के नामावलिगत किए जाने

"20—(1) इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हर अधिवक्ता जो नियत दिन से अव्यवहितपूर्व उच्चतम न्यायालय में विधि वसाय करने के लिए साधिकार हकदार था और जिसका नाम किसी भी राज्य नामावलि में प्रविष्ट नहीं है, किसी राज्य

विधिज्ञ परिषद की नामावलि में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए, विहित प्ररूप में अपना आशय विहित समय के भीतर भारत की विधिज्ञ परिषद् को अभिव्यक्त कर सकेगा और उसकी प्राप्ति पर भारत की विधिज्ञ परिषद यह निदेश देगी कि ऐसे अधिवक्ता का नाम उस राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावलि में, कोई भी फीस लिए बिना, प्रविष्ट किया जाए, और सम्पृक्त राज्य विधिज्ञ परिषद् ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी। क लिए विशेष उपबन्ध ।

(2) उपधारा (1) के अधीन भारत की विधिज्ञ परिषद के निदेश के अनुपालन मे राज्य नामावलि में की गई कोई भी प्रविष्टि ज्येष्ठता क्रम में की जाएगी जिसे धारा 17 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(3) जहां कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिवक्ता विहित समय के भीतर अपना आशय अभिव्यक्त करने में लोप करता है या असफल रहता है, वहां उसका नाम दिल्ली की राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावलि में प्रविष्ट किया जाएगी ।"

15. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-- धारा 21 का संशोधन ।

"(2) यथापूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए यह है कि यदि किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता की बाबत कोई विवाद उठता है तो उसे सम्पृक्त राज्य विधिज्ञ परिषद को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा।"

16. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-- धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"22--राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा हर व्यक्ति को जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखी गई अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट किया जाता है, नामावलिगत किए जाने का प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में दिया जाएगा।" नामावलिगत किए जाने का प्रमाण-पत्र ।

17. मूल अधिनियम की धारा 23 में -- धारा 23 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) लुप्त कर दी जाएगी ;

(ख) उपधारा (4) में, "उपधाराओं (1), (2) और (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधाराओं (1) और (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 24 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 24 में--

(1) उपधारा (1) में--

(I) खण्ड (ग) में--

(क) उपखण्ड (iii) में "यदि डिग्री इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त हों" शब्दों के स्थान पर "जो मान्यता प्राप्त हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखण्ड (iv) में "अथवा" शब्द लुप्त किया जाएगा ; तथा

(ग) "वह बैरिस्टर है" शब्द लुप्त किए जाएंगे ;

(II) खण्ड (घ) के परन्तुक में--

(i) खंड (1) में "मार्च 1964 के 31वें दिन से या ऐसी अन्य पश्चात्वर्ती तारीख से, जो विहित की जाए, पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जनवरी, 1969 प्रथम दिन से पूर्व" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात--

"(1क) कोई भी व्यक्ति, जो भारत में के किसी विश्वविद्यालय से, जनवरी 1969 के प्रथम दिन के पश्चात, विधि में डिग्री विधि में ऐसा पाठयक्रम पूरा करने के पश्चात् जिसकी अस्तित्वाव वधि तीन शैक्षिक वर्षों से कम की नहीं है अभिप्राप्त करता है या विधि में मास्टर की डिग्री या कोई उच्चतर डिग्री, अभिप्राप्त करता है।"

(2) उपधारा (3) में खंड (ख) लुप्त किया जाएगा।

धारा 26क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 26क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात--

नामावली में से नाम हटाने की शक्ति ।

"26क--राज्य विधिज्ञ परिषद् राज्य नामावली में से किसी ऐसे अधिवक्ता का नाम हटा सकेगी जो मर गया है या जिससे उस आशय की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है।"

धारा 30 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 30 में, "सामान्य नामावली" शब्दों के स्थान पर "राज्य नामावली" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

21. मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्— धारा 34 का संशोधन ।

"(1क) उच्च न्यायालय ऐसी फीस को जो उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में की कार्यवाहियों पर, किसी पक्षकार द्वारा, उसके विरोधी के अधिवक्ता की फीस की बाबत खर्चे के रूप में संदेय हो, नियत करने और विनिर्धारण द्वारा या अन्यथा विनियमित करने के लिए नियम बनाएगा ।"

22. मूल अधिनियम की धारा 35 में— धारा 35 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात—

"(1क) राज्य विधिज्ञ परिषद या तो स्वप्रेरणा पर या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसे किए गए किसी आवेदन पर ऐसी कार्यवाही प्रत्याहृत कर सकेगी जो उसकी अनुशासनिक समिति के समक्ष लम्बित है और यह आदेश दे सकेगी कि जांच उस राज्य विधिज्ञ परिषद की किसी अन्य आनुशासनिक समिति द्वारा की जाए ।"

(ख) उपधारा (2) में "यदि वह परिवाद को संक्षिप्तः प्रतिक्षेपित न कर दे तो" शब्द लुप्त किए जाएंगे ।

(ग) स्पष्टीकरण में "भारत का अपर सालिसिटर जनरल" शब्दों के स्थान पर "भारत के महान्यायवादी द्वारा इस निमित्त नाम-निर्देशित अधिवक्ता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

23. मूल अधिनियम की धारा 36 में— धारा 36 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "सामान्य नामावली में का" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "स्वप्रेरणा पर" शब्दों के स्थान पर "या तो स्वप्रेरणा पर या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसे किए गए किसी आवेदन पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपधारा (4) में, "भारत की विधिज्ञ परिषद के समक्ष" शब्दों के स्थान पर "भारत की विधिज्ञ परिषद की आनुशासनिक समिति के समक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 36क का अन्तःस्थापन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात्---

आनुशासनिक समितियों के गठन में परिवर्तन ।

"36क. जब कभी धारा 36 या धारा 36 के अधीन की किसी कार्यवाही को वाद राज्य विधिज्ञ परिषद् की कोई आनुशासनिक समिति या भारत की राज्य विधिज्ञ परिषद् की कोई अनुशासनिक समिति का अधिकारिता का प्रयोग करना समाप्त हो जाता है और कोई अन्य ऐसी समिति उसकी उत्तरवर्ती बनती है जिसे अधिकारिता है और जो अधिकारिता का प्रयोग करती है, तो, यथास्थिति, इस प्रकार उत्तरवर्ती बनने वाली राज्य विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति या भारत की विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति उसी प्रक्रम से कार्यवाहियां जारी रख सकेगी जिस पर उसकी पूर्ववर्ती समिति द्वारा कार्यवाहियां इस प्रकार छोड़ी गई थीं;

परन्तु संयुक्त अधिवक्ता यह मांग कर सकेगा कि कार्यवाहियों के इस प्रकार जारी रखे जाने से पूर्व पूर्वगामी कार्यवाहियां या उनका कोई भाग पुनः शुरू किया जाए या उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसको फिर से सुनवाई की जाए" ।"

धारा 37 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (2) में---

(क) "ऐसा आदेश" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अन्तर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड में फेरफार करने वाला आदेश भी आता है)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात ---

"परन्तु राज्य विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति किसी भी आदेश में भारत की विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति द्वारा कोई भी फेरफार व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।"

धारा 38 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 38 में,---

(क) "ऐसा आदेश" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अन्तर्गत भारत की विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड में फेरफार करने वाला आदेश भी आता है)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु भारत की विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति के किसी भी आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी फेरफार व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।" ।

धारा 39 का लोप ।

27. मूल अधिनियम की धारा 39 लुप्त कर दी जाएगी ।

धारा 40 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 40 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:सख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2) जहां कि आदेश के रोकने का कोई आवेदन धारा 37 या धारा 38 के अधीन उस आदेश से अपील करने के लिए अनुज्ञात समय के अवसान से पूर्व किया जाता है, वहां, यथास्थिति, राज्य विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति या भारत की विधिज्ञ परिषद् की आनुशासनिक समिति पर्याप्त हेतुक से यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे आदेश को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर रोक दिया जाए जिन्हें वह ठीक समझे।" ।

धारा 41 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 41 में—

(क) उपधारा (1) में—

(i) खण्ड (ख) लुप्त किया जाएगा; और

(ii) "यथास्थिति" और "या सामान्य नामावली" शब्द लुप्त किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) लुप्त की जाएगी ।

धारा 42 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 42 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(4) आनुशासनिक समिति के समक्ष किसी मामले की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को उसके अध्यक्ष या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के होते हुए भी, आनुशासनिक समिति, यदि वह ठीक समझे तो ऐसे नियत तारीख पर कार्यवाहियां कर सकेगी या चालू रख

सकेगी और ऐसी कोई कार्यवाहियां और ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में आनुशासनिक समिति द्वारा किया गया कोई आदेश, केवल किसी ऐसी तारीख पर उसके अध्यक्ष या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य न होगा ।

परन्तु धारा 35 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई अन्तिम आदेश किसी कार्यवाही में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुशासनिक समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उपस्थित न हों ।"

नई धारा 42क का अन्त:स्थापन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्--

भारत की विधिज्ञ परिषद् और अन्य समितियों की शक्तियां ।

"42क--धारा 42 की उपधाराओं (1), (2), (3) और (4) के उपबन्ध, यावतशक्य, भारत की विधिज्ञ परिषद्, किसी विधिज्ञ परिषद् की नामावलीगमन समिति, निर्वाचन समिति या किसी अन्य समिति के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वह किसी विधिज्ञ परिषद् की अनुशासनिक समिति के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"

नई धारा 46क का अन्त:स्थापन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 46 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्,--

राज्य विधिज्ञ परिषद् को वित्तीय सहायता ।

"46क--भारत की विधिज्ञ परिषद्, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् को इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों पालन करने के प्रयोजन के लिए निधियों की आवश्यकता है तो उस विधिज्ञ परिषद् को अनुदान के रूप में या अन्यथा ऐसी वित्तीय सहायता दे सकेगी जैसी कि वह उचित समझे ।"

धारा 48 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 48 में, "किसी विधिज्ञ परिषद" शब्दों के पश्चात् "या उसकी किसी समिति" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 48कक का अन्त:स्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 48क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्--

पुनर्विलोकन ।

"48कक--भारत की विधिज्ञ परिषद् या उसकी अनुशासनिक समिति से भिन्न उसकी समितियों में से कोई भी समिति स्वप्रेरणा पर या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी ।"

धारा 49 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 49 में खण्ड (कड़) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा; अर्थात्,

(कड़ड़) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं;"

धारा 49क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

36. मूल अधिनियम की धारा 49क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

केन्द्रीय सरकार के नियमों को बनाने का निदेश देने की या नियमों को बनाने या संशोधित करने की शक्ति।

"49क. (1) जहां कि केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना समीचीन है वहां वह लिखित आदेश द्वारा किसी विधिज्ञ परिषद् को निदेश दे सकेगी कि वह ऐसी कालावधि के भीतर जो कि वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कोई नियम बनाए या पहले ही से बनाए गए नियमों को संशोधित या प्रतिसंहृत करे।

(2) यदि ऐसी विधिज्ञ विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है या उपेक्षा करती है तो केन्द्रीय सरकार या तो आदेश में विनिर्दिष्ट प्ररूप में या ऐसे उपान्तरों सहित जोकि केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, यथास्थिति, नियम बना सकेगी या उस विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों को संशोधित या प्रतिसंहृत कर सकेगी।"

नई धाराएं 58कख ख, 58कग, 58-कघ और 58कड़ का अन्त:स्थापन।

37. मूल अधिनियम की धारा 58कख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी; अर्थात्—

कतिपय विधि स्नातकों के अधिवक्ता के रूप में स्वीकृत किये जाने की बाबत विशेष उपबन्ध।

"58 (कखख) इस अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिग्री या आदेश अथवा भारत की विधिज्ञ परिषद् द्वारा पारित किसी संकल्प या दिए गए किसी निदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ग्रामीण शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में दिया गया डिपलोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारंभ के पूर्व, भारत में के किसी विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अभिप्राप्त कर ली है, केवल इस कारणवश कि ऐसी डिग्री स्नातक होने के पश्चात् अभिप्राप्त नहीं की गई है; अधिवक्ता के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिए निरर्हित नहीं होगा।"

भारत में प्रवास करने वाले कति-

"58कग. इस अधिनियम द्वारा विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के या विधि व्यवसाइयों के स्वीकृत किए जाने और नामावलिगत

पय व्यक्तियों की बाबत विशेष उपबन्ध ।

किए जाने से सम्बद्ध किसी अन्य विधि के (जिन्हें एतस्मिन् पश्चात् इस धारा में ऐसे अधिनियम या विधि कहा गया है) निरसन के होते हुए भी हर व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र से जो अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन से पूर्व भारत सरकार अधिनियम, 1935 में यथापरिभाषित भारत में समाविष्ट था, भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवास करता है और जो ऐसे प्रवास से पूर्व ऐसे क्षेत्र में प्लीडर, मुख्ता या राजस्व अभिकर्त्ता, उसमें प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहा है, ऐसे अधिनियम या विधि के सुसंगत उपबन्धों के अधीन यथास्थिति प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्त्ता के रूप में स्वीकृत और नामावलिगत किया जा सकेगा यदि वह—

(क) ऐसे अधिनियम या विधि के अधीन समुचित प्राधिकारी से इस प्रयोजन के लिए आवेदन करता है; और

(ख) भारत का नागरिक है और अन्य किन्हीं ऐसी शर्तों को, यदि कोई हों, जो इस निमित्त पूर्वोक्त समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं पूरी करता है,

और इस अधिनियम द्वारा ऐसे अधिनियम या विधि के सुसंगत उपबन्धों के निरसन के होते हुए भी ऐसे नामवलिगत हर प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्त्ता को किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष व्यवसाय करने की बाबत वही अधिकार होंगे और वह उसी प्राधिकारी की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन होगा जिसके अधीन वह ऐसे अधिनियम या विधि के सुसंगत उपबन्धों के अधीन होता मानों उनका निरसन नही किया गया था और तदनुसार ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में व उपबन्ध प्रभावशील होंग।

गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध।

58कघ. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उन सब व्यक्तियों के बारे में जो उस तारीख से अव्यवहितपूर्व जिसको कि अध्याय 3 के उपबन्ध गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त किए जाएं, विधि-व्यवसाय करने के (चाहे अभिवचन करके या कार्य करके या दोनों प्रकार से) उक्त संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन हकदार थे या जो ऐसे हकदार होते यदि वे उक्त तारीख को लोक सेवा में न होते, धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926

के अधीन किसी उच्च न्यायालय की नामावलि में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट थे और हर ऐसा व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो कि महाराष्ट्र की विधिज्ञ परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस निमित्त आवेदन करने पर उस संघ राज्यक्षेत्र की बाबत रखी गई राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो पूर्वोक्त आवेदन की तारीख को भारत का नागरिक नहीं था।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हर व्यक्ति जो उस तारीख से अव्यवहितपूर्व जिसको कि उपधारा (4) के उपबन्ध गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त किए जाएं, विधि-व्यवसाय (चाहे अभिवचन कर के या कार्य कर के या दोनों प्रकार से या किसी अन्य प्रकार से) उस संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के आधार पर कर रहा था और जो उपधारा (1) के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामावलिगत किए जाने का निर्वाचन नहीं करता या उस के लिए अर्ह नहीं है, इस अधिनियम द्वारा ऐसी विधि के सुसंगत उपबन्धों के निरसन के होते हुए भी किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय की बाबत वही अधिकार रखता रहेगा और उसी प्राधिकारी के अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन बना रहेगा जो उक्त तारीख से अव्यवहितपूर्व, यथा स्थिति, उस के थे या जिस के अधीन तब वह था, और तदनुसार पूर्वोक्त विधि के सुसंगत उपबन्ध ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसे प्रभाव-शील होंगे मानो वह निरसित नहीं किए गए थे।

(3) उस तारीख को जिसको कि यह अधिनियम या इसका कोई भाग उक्त संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त होता है, उस संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि भी जो इस अधिनियम या ऐसे भाग के तत्समन हो, और जो इस अधिनियम की धारा 50 के उपबन्धों के आधार पर निरसित न होती हो, निरसित हो जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध।

"58कङ (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उन सभी अधिवक्ताओं के बारे में जो उस तारीख से अव्यवहितपूर्व जिसको कि अध्याय 3 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त किए जाएं उस राज्य के उच्च न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने के हकदार थे या जो ऐसे हक़दार होते यदि वे उक्त तारीख को लोक सेवा में न होते, धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिये यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 के अधीन किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट थे और हर ऐसा व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो कि भारत की विधिज्ञ परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट

1926 का 38

किया जाए, इस निमित्त आवेदन करने पर उस राज्य की बाबत रखी गई राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर व्यक्ति जो उस तारीख से अव्यवहितपूर्व जिसको कि अध्याय 3 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत किए जाएं अधिवक्ता के रूप में अन्यथा विधि-व्यवसाय करने का (चाहे अभिवचन करके या कार्य करके या दोनों प्रकार से) उक्त राज्य म प्रवृत किसी विधि के उपबन्धों के आधार पर हक़दार था या जो ऐसे हक़दार होता यदि वह उक्त तारीख़ को लोक सेवा में न होता, उक्त राज्य की बाबत रखी गई राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा यदि वह—

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे नामावलिगत किए जाने के लिए आवेदन करता है, और

(ii) धारा 24 की उपधारा (1) के खण्डों (क), (ख), (ङ) और (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है ।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हर व्यक्ति जो उस तारीख से अव्यवहितपूर्व जिस को कि अध्याय 4 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत किए जाएं विधि-व्यवसाय (चाहे अभिवचन करके, या कार्य करके या दोनों प्रकार से या किसी अन्य प्रकार से) उस में प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध के आधार पर कर रहा था और जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामावलिगत किए जाने का निर्वाचन नहीं करता या उस के लिए अर्ह नहीं है, इस अधिनियम द्वारा ऐसी विधि के सुसंगत उपबन्धों के निरसन के होते हुए भी किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय की बाबत वही अधिकार रखता रहेगा और उसी प्राधिकारी की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन बना रहेगा जो उक्त तारीख़ से अव्यवहितपूर्व उस के थे या जिस के अधीन तब वह था और तदनुसार पूर्वोक्त विधि के सुसंगत उपबन्ध ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसे प्रभाव शील होंगे मानों वह निरसित नहीं किए गए थे ।

(4) उस तारीख को जिस को कि यह अधिनियम या इसका कोई भाग जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त होता है उस राज्य में प्रवृत्त विधि भी जो इस अधिनियम या ऐसे भाग के तत्समान हो और जो इस अधिनियम की धारा 50 के उपबन्धों के आधार पर निरसित न होती हो, निरसित हो जाएगी ।"

परिशिष्ट–एक

[देखिये प्रतिवेदन का पैरा 21]

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये लोक सभा में प्रस्ताव—

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने के लिये विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित 24 सदस्यों की प्रवर समिति को सौंपा जाये, अर्थात :—

(1) श्री रा० ढो० भण्डारे
(2) श्री डी० के० कुण्टे
(3) श्री जे० के० चौधरी
(4) श्री शिवाजीराव शं० देशमुख
(5) श्री ए० के० गोपालन
(6) श्री श्रीचन्द गोयल
(7) श्री स० मो० जोशी
(8) श्री विक्रम चन्द महाजन
(9) श्री पी० गोविन्द मेनन
(10) श्री श्रीनिवास मिश्र
(11) श्री एफ० एच० मोहसिन
(12) श्री ही० ना० मुकर्जी
(13) श्री आनन्द नारायण मुल्ला
(14) श्री जगन्नाथ पहाड़िया
(15) श्री विश्वनाथ पाण्डेय
(16) चौधरी रणधीर सिंह
(17) श्री के० नारायण राव
(18) श्रीमती सावित्री श्याम
(19) श्री ए० के० सेन
(20) श्री शान्ति लाल शाह
(21) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
(22) श्री जी० विश्वनाथम
(23) श्री एस० जेवियर; और
(24) श्री मोहम्मद यूनस सलीम

और आगामी अधिवेशन के प्रथन दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें।"

———

परिशिष्ट--दो

[देखिए प्रतिवेदन का पैरा 5]

विधिज्ञ परिषदों/व्यक्तियों आदि के नामों का विवरण जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/ अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए

क्रम संख्या	जिनसे प्राप्त हुआ
1	बार काउन्सिल आफ इण्डिया ।
2	श्री जितेन्द्र मोहन गुप्त 'प्रेमी' एलेक्जण्डर रोड, लंदन ।
3	सर्वश्री जी०मित्रा, दि आनरेबल सोसाइटी आफ ग्रेज इन, लण्दन के विद्यार्थी तथा जी० राय चौधरी, आनरेबल सोसाइटी आफ इनर टेम्पल, लण्दन के विद्यार्थी ।
4	इण्डियन बार स्टूडेण्ट्स, लण्दन ।
5	पंजाब तथा हरियाणा विधिज्ञ परिषद, चण्डीगढ़
6	महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद, बम्बई
7	श्री सत्य नारायण लाल गुप्त, नेताजी सुभाष रोड, आसनसोल ।
8	मध्य प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद, जबलपुर
9	श्री सुखमय सेन, तुलसीपुर पुलिस कालोनी, कटक ।
10	मैसूर राज्य विधिज्ञ परिषद, बंगलौर
11	उड़ीसा राज्य विधिज्ञ परिषद, कटक
12	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, हैदराबाद (श्री तेन्नेटी विश्वनाथम संसद सदस्य के द्वारा)
13	उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद, इलाहाबाद
14	विधि सलाहकार भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय लण्दन, के पत्र की प्रति ।
15	बिहर राज्य विधिज्ञ परिषद, पटना

परिशिष्ट–तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 6)

विधिज्ञ परिषदों के नामों का विवरण जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया ।

क्रम संख्या	विधिज्ञ परिषद का नाम	साक्ष्य दिये जाने की तारीख
1.	भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली . .	18·2·70
2.	मैसूर राज्य विधिज्ञ परिषद, बंगलौर . .	19·2·70

परिशिष्ट–चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 9)

तत्काल/संसद् कार्य

संख्या एफ० 41(10)/67–जे

भारत सरकार

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य मंत्रालय)

सेवा में

सचिव,
लोक सभा,
नई दिल्ली ।

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1970

महोदय,

मैं एतद द्वारा लोक सभा के वर्तमान सत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करने के अपने इरादे की सूचना देता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को, जो 16 दिसम्बर, 1968 को राज्य सभा द्वारा पास किया गया था और जो अब इस सभा की प्रवर समिति को सौंपा हुआ है, वापस लेने के लिए सभा द्वारा प्रदान की जा रही अनुमति से सहमत हो।"

भवदीय,
ह:
(जगन्नाथ राव)
विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को, जो राज्य सभा में पारित किया गया था और जो अब लोक सभा की प्रवर समिति के विचाराधीन है, वापस लेने के संक्षिप्त कारणों का विवरण।

अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 नामक इस विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने के बाद अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने के बारे में विभिन्न संस्थाओं, आदि से कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ सुझाव उपर्युक्त विधेयक की परिधि में नहीं आते और इसलिए लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 80 के खण्ड (एक) की दृष्टि से तत्सम्बन्धी संशोधन इस सभा की प्रवर समिति के समक्ष स्वीकार्य नहीं होंगे । इन परिस्थितियों में, यह प्रस्ताव है, कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये और इस विषय पर एक नया व्यापक विधेयक पुर: स्थापित किया जाये। नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उसे संसद के चालू सत्र में पुर:स्थापित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा ।

प्रमाणीकृत

हस्ताक्षर/—

नई बिल्ली;
5 अगस्त, 1970

(जगन्नाथ राव)
विधि तथा समाज कल्याण विभाग में
राज्य मंत्री।

परिशिष्ट--पांच

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968, संबंधी प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही-सारांश।

I

पहली बैठक

समिति की बैठक बुद्धवार, 17 दिसम्बर, 1969 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री रा० ढो० भंडारे --सभापति

सदस्य

2. श्री डी० के० कुन्टे
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री शिवाजी राव शं० देशमुख
5. श्री एस० एम० जोशी
6. श्री आनन्द नरायण मल्ला
7. श्री विश्व नाथ पाण्डेय
8. चौधरी रणधीर सिंह
9. श्री के० नारायण राव
10. श्रीमती सावित्री श्याम
11. श्री शान्ती लाल शाह
12. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
13. श्री जी० विश्वनाथन
14. श्री मोहम्मद यूनस सलीम

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
2. श्री दलीप सिंह, उपविधि सलाहकार

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला--उप-सचिव

2. प्रारंभ में सभापति महोदय ने प्रवर समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के समक्ष प्रस्तावित विधान तथा उस कार्य के महत्व का उल्लेख किया ।

3. कुछ सदस्यों ने बताया कि विधेयक के उपबन्धों के संबंध में उन्हें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिस में बताया गया है कि विधि का अध्ययन कर रहे छात्र प्रस्तावित विधान से बहुत असंतुष्ट हैं।

4. तत्पश्चात् समिति ने इस बात पर विचार किया कि विधेयक के संबंध में साक्ष्य लिये जायें अथवा नहीं। कुछ चर्चा के पश्चात यह निश्चित किया गया कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसके द्वारा व्यक्तियों, सार्वजनिक निकायों, विधिज्ञ परिषदों, विधिज्ञ संगठनों, उच्च न्यायालयों, राज्यों के महाधि-वक्ताओं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि संकायों से 17 जनवरी, 1970 तक ज्ञापन मांगे जायें। इसके पश्चात समिति ने प्रेस विज्ञप्ति को स्वीकृत किया (अनुबंध ....)।

5. समिति ने सभापति को अधिकार दिया कि वह पार्टियों से लिखित ज्ञापन प्राप्त करने के बाद उन में से मौखिक साक्ष्य के लिये पार्टियों का चयन करें तथा प्रत्येक मामले में साक्ष्य का समय तथा तिथि निश्चित करें।

6. कुछ सदस्यों के इस सुझाव पर कि इच्छुक पार्टियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए समिति को देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बैठकें बुलानी चाहियें, यह निश्चय किया गया कि विभिन्न पार्टियों से ज्ञापन प्राप्त हो जाने के पश्चात जनवरी, 1970 में होने वाली समिति की अगली बैठक में इस विषय पर विचार किया जायेगा।

7. तत्पश्चात् समिति ने यह निश्चय किया कि ज्ञापन पर विचार करने तथा मौखिक साक्ष्य लेने के लिय समिति की बैठक मंगलवार तथा बुधवार, क्रमशः 27 और 28 जनवरी, 1970 को प्रतिदिन 11.00 बजे की जाये।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबन्ध

लोक सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति की पहली बैठक में जो श्री रा० ढो० भंडारे संसद् सदस्य के सभापतित्व में ग्राम सम्पन्न हुई, यह निश्चय किया गया कि वे व्यक्ति, सार्वजनिक निकाय, विधिज्ञ परिषदें, विधिज्ञ संगठन, उच्च न्यायालय, राज्यों के महाधिवक्ता, तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों की विधि संकाय, जो विधेयक के सम्बन्ध में समिति के विचारार्थ ज्ञापन भेजने की इच्छुक हों, ज्ञापन की 50–50 प्रतियां भेजें जो 17 जनवरी, 1970 या इससे पूर्व सचिव, लोक सभा, संसद् भवन, नई निल्ली, के पास पहुंच जानी चाहियें। समिति को जो ज्ञापन दिये जायेंगे, वे समिति के अभिलेख का एक अंग होंगे और उन्हें पूर्णतः गोपनीय समझा जाना चाहिये तथा किसी को परिचालित नहीं किया जाना चाहिये और इस प्रकार का कार्य समिति के विशेषाधिकार को भंग करना समझा जायेगा।

जो व्यक्ति ज्ञापन देने के अतिरिक्त समिति के सम्मुख मौखिक साक्ष्य देना चाहते हों, उनसे अनुरोध है कि वे समिति के विचारार्थ इस बात की सूचना लोक सभा सचिवालय को दें।

मौखिक साक्ष्य लेने के लिये समिति की बैठक 27 तथा 28 जनवरी, 1970 को प्रति दिन 11.00 बजे से होगी।

नई दिल्ली;
दिनांक 17 दिसम्बर, 1969

17 दिसम्बर, 1969
संख्या 15/4/सी-दो/69

---

26 अग्रहायण, 1891 (शक)

प्रति समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, नई दिल्ली, को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उपरोक्त विषय को निरन्तर तीन दिन आकाशवाणी से प्रसारित किया जाये।

ह०
(एस० पी० गुप्त)
कृते उप-सचिव।

दूसरी बैठक

समिति की बैठक, मंगलवार, 27 जनवरी, 1970 को 11.00 बजे से 11.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री रा०ढो० भंडारे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री डी० के० कुन्टे
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री एस० एम० जोशी
6. श्री विक्रम चन्द महाजन
7. श्री एफ० एच० मोहसिन
8. श्री ही० ना० मकर्जी
9. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
10. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
11. श्री विश्वनाथ पाण्डेय
12. श्रीमती सावित्री श्याम
13. श्री शान्ती लाल शाह
14. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
15. श्री जी० विश्वनाथन्

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एल० गुप्त—अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
2. श्री दलीप सिंह—उप-विधि सलाहकार

सचिवालय

1. श्री एम० सी० चावला—उप-सचिव
2. श्री एस० पी० गुप्त —अनुभाग अधिकारी

2. प्रारम्भ में समिति ने विभिन्न पार्टियों से प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों पर विचार किया। समिति ने निश्चय किया कि यदि भारत की विधिज्ञ परिषद् के प्रतिनिधि 28 जनवरी, 1970 को आने में असमर्थ हैं तो उनका मौखिक साक्ष्य फरवरी, 1970 के दूसरे सप्ताह में लिया जाये।

3. समिति ने अनुभव किया कि जो प्रेस विज्ञप्ति पहले जारी की गई है उसका पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया। अतः समिति ने दूसरी प्रेस-विज्ञप्ति जारी करने का निश्चय किया जिसके द्वारा विधेयक के उपबन्धों के विषय में व्यक्तियों, सार्वजनिक निकायों, विधिज्ञ परिषदों, विधिज्ञ संगठनों, उच्च न्यायालयों, राज्यों के महाधिवक्ताओं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों की विधि संकायों से 10 फरवरी, 1970 तक ज्ञापन भेजने को कहा जाये (अनुबन्ध—एक)।

4. समिति ने यह भी निश्चय किया कि समस्त राज्य विधिज्ञ परिषदों तथा समस्त उच्च न्यायालय विधिज्ञ संगठनों को एक पत्र भेजा जाये, जिसमें उनसे अनुरोध किया जाये कि, यदि वे ज्ञापन भेजने के इच्छुक हों तो, अधिक से अधिक 10 फरवरी, 1970 तक अपने ज्ञापनों की 50 प्रतियां लोक सभा सचिवालय को भेज दें। (अनुबन्ध—दो)।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि विधि मंत्रालय विभिन्न विश्व-विद्यालयों/विधि कालेजों में विधि पाठ्यक्रमों के विषयों तथा उनकी अवधि के सम्बन्ध में प्रवर समिति के सदस्यों के सूचनार्थ जानकारी दे। विधि मंत्रालय अधिवक्ता (द्वतीय संशोधन), विधेयक, 1968 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, के खण्डों पर टिप्पण करने के साथ-साथ एक विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों का एक विवरण भी दें।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 28 फरवरी, 1970 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

अनुबंध—एक

लोक सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

अक्रिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति ने आज श्री रा० ढो० भण्डारे, संसद सदस्य, के सभापतित्व में हुई अपनी दूसरी बैठक में उन व्यक्तियों, सरकारी निकायों, विधिज्ञ परिषदों, विधिज्ञ संगठनों, उच्च न्यायालयों, राज्यों के महाधिवक्ताओं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि संकायों से, जो इस विधेयक के सम्बन्ध में समिति के विचारार्थ ज्ञापन भजने के इच्छुक हों, ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त करने की तारीख को 10 फरवरी, 1970 तक बढ़ाने का निश्चय किया। इसलिए उन्हें प्रत्येक ज्ञापन की 50 प्रतियां भेजनी चाहिए जोकि 10 फरवरी, 1970 तक या इससे पूर्व, सचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली के पास पहुंच जानी चाहिएं। समिति को जो ज्ञापन भेजे जाएंगे वे समिति के अभिलेख का एक अंग होंगे और उन्हें पूर्णतः गोपनीय समझा जाना चाहिए तथा किसी को परिचालित नहीं किये जाने चाहिए और इस प्रकार का कार्य समिति के विशेषाधिकार को भंग करना समझा जाएगा ।

जो व्यक्ति ज्ञापन भेजने के अतिरिक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देना चाहते हों, उनसे अनुरोध है कि वे समिति के विचारार्थ इस बात की सूचना लोक सभा सचिवालय को दें ।

मौखिक साक्ष्य लेने के लिए समिति की बैठक फरवरी, 1970 के दूसरे सप्ताह में होगी ।

नई दिल्ली ;

दिनांक 27 जनवरी, 1970

संख्या 15/4/सी II/69

27 जनवरी, 1970

प्रति समाचार सम्पादक आकाशवाणी, नई दिल्ली, को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उपरोक्त विषय को निरन्तर तीन दिन आकाशवाणी से प्रसारित किया जाये ।

ह०
(मेहरचन्द चावला)
उप-सचिव

अनुबन्ध दो

27 जनवरी, 1970
7 माघ, 1891 (शक)

संख्या 15/4/सी–दो/69

प्रेषक

श्री मेहर चन्द चावला,
उप-सचिव ।

सेवा में

सचिव,

सभी राज्यों की विधिज्ञ परिषदें/सभी उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघ

विषय : अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1968, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति ।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदश मिला है कि अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1968, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति ने 27 जनवरी, 1970 को हुई अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों/सभी उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघों से यह कहा जाये कि यदि वे अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, के उपबन्धों के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां या सुझाव समिति के विचारार्थ भेजना चाहें तो भेज दें जो कि 10 फरवरी, 1970 तक सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली के पास पहुंच जाने चाहिए। विधेयक की एक प्रति तुरन्त हवाले के लिए इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

2. यदि कोई टिप्पणियां या सुझाव भेजे जाएं तो यह अनुरोध है कि उसकी 50 प्रतियां इस सचिवालय को भेजी जाएं जिससे उन्हें प्रवर समिति के सदस्यों में परिचालित किया जा सके ।

भवदीय,

संलग्न—एक

उप-सचिव ।

III

तीसरी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 28 जनवरी, 1970 को 11.00 बजे से 12.35 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री रा० डो० भण्डारे—सभापति

2. श्री दत्तात्रेय कुण्टे
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री स० मो० जोशी
5. श्री पी० गोविन्द मेनन
6. श्री एफ० एच० मोहसिन
7. श्री ही० ना० मुकर्जी
8. श्री आनन्द नारायण मल्ला
9. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
10. श्री शान्ति लाल शाह
11. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
12. श्री जी० विश्वनाथन

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एल० गुप्त—अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
2. श्री दलीप सिंह—उप विधि सलाहकार

सचिवालय

1. श्री महरचन्द चावला— उप-सचिव
2. श्री एस० पी० गुप्त—अनुभाग अधिकारी

2. चूंकि भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रतिनिधि मौखिक साक्ष्य देने के लिए नहीं आए, इसलिए समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा आरम्भ की। चर्चा के दौरान, विधेयक के प्रभारी मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) समिति को बताया कि सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि एक अध्यादेश जारी किया जाए जिसस विधेयक के खण्ड 37 के एक भाग को तुरन्त कार्यरूप

दिया जा सके जिसके द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में एक नया खण्ड 58 क ख-ख जोड़ा जाना है जिससे कि राजस्थान के जिन युवा विधि स्नातकों ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की उच्चतर देहाती शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रदत्त देहाती सेवा के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के बाद एल० एल० बी० की डिग्री प्राप्त की है उन्हें इस तकनीकी आधार पर नाम दर्ज करने से वंचित न कर दिये जायें कि उनका डिप्लोमा बी० ए० डिग्री के समकक्ष नहीं है, जैसा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने किया है। मंत्री महोदय ने बताया कि इस डिप्लोमा को अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड तथा भारत के कई विश्वविद्यालयों द्वारा बी० ए० डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद मंत्री ने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बात पर विचार करें कि उक्त विधि स्नातकों की कठिनाइयों को कैसे और किस हद तक कम किया जा सकता है। इस पर इस विषय पर लम्बी चर्चा आरम्भ हुई।

3. तथापि कुछ सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि जब विधेयक प्रवर समिति के समक्ष विचाराधीन है तो उचित यह प्रतीत होता है कि विधेयक के किसी एक खण्ड को कार्यरूप देने के लिए अध्यादेश जारी न किया जाये। कुछ सदस्यों ने विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया कि यदि अध्यादेश जारी किया भी गया तो भी सरकार को लोक सभा और राज्य सभा में जाना होगा इसलिए समिति को चाहिए कि वह कुछ दिन तक बैठे और सम्पूर्ण विधेयक पर विचार विमर्श पूरा करे।

4. प्रवर समिति के सदस्यों की सामान्य जानकारी के लिए कार्यवाही को शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. समिति ने निश्चय किया कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् तथा साक्ष्य देने वाले अन्य पक्षों के साक्ष्यों को सुनने के लिए 18 और 19 फरवरी, 1970 प्रतिदिन 11.00 बजे से बैठेगी।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

IV

चौथी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 18 फरवरी, 1970 को 11.30 बजे से 13.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री रा० ढो० भण्डारे—सभापति

सदस्य

2. श्री दत्तात्रेय कुण्टे
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री विक्रम चन्द महाजन
6. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
7. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
8. श्री विश्वनाथ पाण्डेय
9. चौधरी रणधीर सिंह
10. श्री शान्ति लाल शाह
11. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० वेंकटसुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार
2. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
3. श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप सचिव

[समिति ने अपनी कार्यवाही 11-30 बजे प्रारम्भ की चूंकि सभापति तथा विधिज्ञ परिषद् के सचिव देर से पहुंचे थे।]

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साक्ष्य सुनने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया :—

(1) श्री एच० डी० श्रीवास्तव, सभापति, भारतीय विधिज्ञ परिषद्

(2) श्री ए० एन० वीरराघवन, सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद

(3) श्री पी० रामचन्द्र राव, अधिवक्ता, सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद

(11.30 बजे से 13.35 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति ने अनुभव किया कि आगामी बजट सत्र के दौरान सदस्य सभा की कार्यवाही से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण विषयों में अत्याधिक व्यस्त रहेंगे इसलिए सत्र के दौरान उनके लिए बैठना और आगे साक्ष्य की सुनवाई पूर्ण करना तथा तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डवार विचार को आरम्भ करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए, समिति ने निश्चय किया कि वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को अगले सत्र (वर्षाकालीन सत्र) के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ाने का अनुरोध करेगी।

5. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् को, यह अधिकार दिया कि वह इस आशय का प्रस्ताव सभा में पहले दिन अर्थात् 20 फरवरी, 1970 को प्रस्तुत करें।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 19 फरवरी 1970 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 19 फरवरी, 1970 को 11.00 बजे से 12.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री रा० ढो० भंडारे—सभापति

सदस्य

2. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री ए० के० गोपालन
5. श्री श्रीचन्द गोयल
6. श्री विश्वनाथ पाण्डेय
7. श्री शान्ति लाल शाह
8. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० वैंकटसुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार
2. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
3. श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

4. श्री एम० सी० चावला—उप-सचिव

2. मैसूर राज्य विधिज्ञ परिषद के निम्नलिखित प्रतिनिधि का साक्ष्य लेने के पूर्व, सभापति महोदय ने उसका ध्यान लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया :—

श्री ए० सी० बिरप्पा, सभापति, मैसूर राज्य विधिज्ञ परिषद्, बंगलौर

(11.00 बजे से 11.50 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. वर्तमान अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अत्यधिक प्रभाव डालने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने अन्तर सत्रावधि के दौरान

स्थानीय विधिज्ञ परिषदों/विधिज्ञ संस्थाओं के साक्ष्य लेने के लिए अन्तर सत्रावधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर बैठक करने का निश्चय किया ।

एक. श्रीनगर—यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर राज्य तथा गोआ दमन तथा द्वीव संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार लागू किया जा रहा था।

दो. चण्डीगढ़—पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयों की विधिज्ञ परिषद्

तीन. बम्बई—महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद्

चार. पणजी (गोवा)—स्थानीय विधिज्ञ संस्था

पांच. एरणाकुलम—केरल विधिज्ञ संस्था

छः. पाण्डिचेरी—स्थानीय विधिज्ञ संस्था—कुछ व्यक्तियों को जो फ्रांसीसी शासनकाल में वकालत कर रहे थे, प्रस्तावित संशोधित रूप में विधेयक के अधीन वह व्यावसाय करनें से रोके जाने की संभावना है।

सात. हैदराबाद—आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय विधिज्ञ परिषद

आठ. भुवनेश्वर—उड़ीसा उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघ राज्य विधिज्ञ परिषद् तथा वकालत व्यवस्था में लगा एक अधिवक्ता, जिसने समिति को अपना ज्ञापन भेजा था।

समिति ने हैदराबाद से भुवनेश्वर जाते समय स्थानीय विधिज्ञ संघ से अनौपचारिक भेंट करने के लिये विशाखापत्तनम में एक दिन रुकने का भी निश्चय किया ।

समिति ने मई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में पश्चिमी तथा दक्षिणी राज्यों का तथा जून के मध्य में उत्तरी राज्यों का दौरा करने का भी निश्चय किया। सभापति को यह अधिकार दिया गया कि वह दिल्ली के बाहर प्रस्तावित बैठकें करने के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करे तथा उसके बाद उपरोक्त स्थानों पर बैठकों के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम तैयार करे।

5. तत्पश्चात् समिति ने विधि मंत्री द्वारा पहले दिये गये इस सुझाव पर विचार किया कि संशोधित रूप में जो विधेयक होगा, उसके क्षेत्र का विस्तार किया जाये ताकि विधेयक इतना व्यापक हो जाये कि अलग-अलग खण्डों में संशोधन करने की आवश्यकता ही न रहे। यह निश्चय किया गया कि विधि मंत्री के बीमारी से उठते ही समिति की बैठक की जाय।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

VI

छठी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 12 मार्च, 1970 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री रा० ढो० भंडारे—सभापति

सदस्य

2. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री पी० गोविन्द मैनन
5. श्री श्रीनिवास मिश्र
6. श्री एफ० एच० मोहसिन
7. श्री आनंद नारायण मुल्ला
8. श्री विश्वनाथ पाण्डेय
9. श्रीमती सावित्री श्याम
10. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
11. श्री मौहम्मद यूनस सलीम

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
2. श्री दलीप सिंह, उप-विधि-सलाहकार

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला—उप-सचिव

2. प्रारंभ में विधेयक के प्रभारी मंत्री ने समिति को बताया कि उनका विचार चालू सत्र में वर्तमान विधेयक के स्थान पर, जो प्रवर समिति के विचाराधीन है, एक व्यापक विधेयक लाने का है । उस विधेयक में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिये विभिन्न विधिज्ञ परिषदों/विधिज्ञ संस्थाओं ने अब तक जो विभिन्न सुझाव दिये हैं, उनको सम्मिलित किया जायेगा । उनका यह विचार भी था कि "गरीब लोगों के लिये विधि संबंधी सहायता" की व्यवस्था करने के साथ-साथ भारत के न्यायालयों में वकालत करने के उद्देश्य से

विदेशों की विधि उपाधियों को इस आधार पर कि ब्रिटेन सहित अन्य देश भी इस विषय में भारत की विधि उपाधियों को मान्यता देंगे, मान्यता देने के लिये उपयुक्त उपबन्ध सम्मिलित किया जाये ।

3. विधि मंत्री ने बताया कि जहां तक संभव होगा, नया विधेयक इसी प्रवर समिति को सौंपा जायेगा तथा उसके बाद समिति अगली अन्तरसत्रावधि के दौरान उन स्थानों में बैठकें रखे जहां उच्च न्यायालय स्थित हैं, विभिन्न विधिज्ञ परिषदों/संस्थाओं तथा वकालत व्यवसाय में लगे समस्त भारत के व्यक्तियों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

VII

सातवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 7 मई, 1970 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री रा० ढौ० भंडारे—सभापति

सदस्य

2 श्री दत्तात्रेय कुन्टे
3. श्री श्रीचन्द गोयल
4. श्री विक्रम चन्द महाजन
5. श्री आनंद नारायण मुल्ला
6. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
7. चौधरी रणधीर सिंह
8. श्रीमती सावित्री श्याम
9. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता
2 श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार
3. श्री ए० के० श्रीवास्तव, सहचारी

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला—उप-सचिव

2. प्रारंभ में सभापति ने बताया कि विधि मंत्रालय ने उनको बताया है कि नये अधिवक्ता विधेयक का अस्थाई मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा इसको अन्तिम रूप देने में कुछ और समय लगने की संभावना है। अतः लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 110 के परन्तुकों में निर्धारित औपचारिकताओं को चालू सत्र में पूर्ण करना मंत्री महोदय के लिए सम्भव नहीं होगा ।

3. कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने यह आशा व्यक्त की कि मंत्री महोदय अगले सत्र में शीघ्र ही नया विधान ला सकेंगे ।

4. तत्पश्चात् समिति ने साक्ष्य लेने के लिये विभिन्न राज्यों के अपने प्रस्तावित दौरे को स्थगित करने का निश्चय किया ।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि इस विषय में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये अगले (वर्षाकालीन) सत्र के प्रथम सप्ताह में फिर बैठक की जाये ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

VIII

आठवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई, 1970 को 16.00 बजे से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री रा० ढो० भण्डारे--सभापति

सदस्य

2. श्री दत्तात्रेय कुण्टे
3. श्री शिवाजी राव शं देशमुख
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री ही० ना० मुकर्जी
6. श्री विश्वनाथ पाण्डेय
7. चौधरी रणधीर सिंह
8. श्री के० नारायण राव
9. श्रीमती सावित्री श्याम
10. श्री शान्ति लाल शाह
11. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
12. श्री जी० विश्वानाथन

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० वी० वेन्कटसुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार
2. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला--उप-सचिव

2. आरम्भ में, सभापति ने समिति को बताया कि उन्होंने विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जगन्नाथ राव को प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार समिति की बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में भाग लेने की अनुमति दे दी है।

3. विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समिति को सूचित किया कि उनका विचार इस विधेयक को वापस लेने और इसके बजाय चालू सत्र में एक व्यापक संशोधी विधेयक पेश करने और तत्पश्चात् उसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपने का है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि दोनों सभाओं के स्थगित होने से पूर्व ही सभी कार्यवाही पूरी कर दी जानी चाहिए जिससे कि प्रस्तावित संयुक्त समिति बिना किसी विलम्ब के विधेयक पर विचार करने में अग्रसर हो सके।

4. चूंकि समिति के लिए अपने कार्य में आगे प्रगति करना तथा अपने प्रतिवेदन को चालू सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन सभा में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं था तथा इस बात को भी देखते हुए कि सरकार ने समिति में अभी तक नये विधि मंत्री की नियुक्ति नहीं की थी, समिति ने सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती सावित्री श्याम को प्राधिकृत किया कि वह समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को संसद के शीतकालीन सत्र (नवम्बर-दिसम्बर, 1970) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाने की मांग करने का एक प्रस्ताव सोमवार, 3 अगस्त, 1970 को सभा में प्रस्तुत करें।

5. उसके बाद समिति ने गुरुवार, 20 अगस्त, 1970 को 4.00 बजे मध्याह्न पश्चात बैठक करने का निर्णय किया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

IX

नवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 11 अगस्त, 1970 को 16.00 से 16.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री रा० ढो० भण्डारे—सभापति

सदस्य

2. श्री ए० के० गोपालन
3. श्री श्रीचन्द गोयल
4. श्री विक्रम चन्द महाजन
5. श्री एफ० एच० मोहसिन
6. श्री ही० ना० मुकर्जी
7. श्रीमती सावित्री श्याम
8. श्री ए० के० सेन
9. श्री शान्ति लाल शाह

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० वी० वेन्कटसुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार
2. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त विधायी, परामर्शदाता
3. श्री दलीप सिंह, उप-विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप-सचिव

2. आरम्भ में, सभापति ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जगन्नाथ राव को लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार समिति की बैठक में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने की अनुमति दे दी है ।

3. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकृत किया ।

4. समिति ने साक्ष्य को मुद्रित न कराने का निर्णय किया क्योंकि नये विधेयक के प्रस्तावित पुरःस्थापन के कारण उसका काम पूरा न हो सका। तथापि, समिति ने निर्णय किया कि साक्ष्य की एक साइक्लोस्टाइल्ड प्रति सभा पटल पर रखी जाये तथा संसद-ग्रन्थालय में भी रखी जाये ।

5. समिति ने बुधवार, 12 अगस्त, 1970 को सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभापति को तथा उन की अनुपस्थिति में श्री श्रीचन्द गोयल को प्राधिकृत किया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

लोक-सभा

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम, संसद् सदस्य

द्वारा

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

(9 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
नवम्बर, 1970/कार्तिक, 1892 (शक)
मूल्य : 45 पैसे

शुद्धि-पत्र

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम, संसद् सदस्य

द्वारा

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

(9 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत किया गया)

---

1. पृष्ठ संख्या (तीन), पंक्ति 15, क्रम संख्या 11, "श्री के. आनन्द निम्बयार" के स्थान पर "श्री के आनन्द नम्बियार" पढ़िये ।

2. पृष्ठ संख्या (तीन), पंक्ति 17, क्रम संख्या 13, "श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ" के स्थान पर "श्री इब्राहीम सुलेमान सेट" पढ़िये ।

3. पृष्ठ संख्या (पांच), पंक्ति 10, "उच्च न्यायालय विधिज्ञ संगठनों," के स्थान पर "उच्च न्यायालय।विधिज्ञ संगटनों," पढ़िये ।

4. पृष्ठ संख्या (छः), पंक्ति 11, "कि ो" के स्थान पर "किसी" पढ़िये ।

5. पृष्ठ संख्या (छः), पंक्ति 20, "व ों" के स्थान पर "वर्षों" पढ़िये ।

6. पृष्ठ संख्या (छः) पंक्ति 28, "ोषसिद्ध" के स्थान पर "दोषसिद्ध" पढ़िये ।

7. पृष्ठ संख्या (छः), पंक्ति 34, "होंग" के स्थान पर "होंगे" पढ़िये ।

8. पृष्ठ संख्या 3, पंक्ति 22, "अनदेश" के स्थान पर "अनुदेश" पढ़िये ।

9. पृष्ठ संख्या 4, पंक्ति 30, क्रम संख्या 25, "श्री एच.एम. सीरवई" के स्थान पर "श्री एच.एम. सीरवाई" पढ़िये ।

10. पृष्ठ संख्या 6, पंक्ति 7, क्रम संख्या 3, "श्री एन.एन. जैन" के स्थान पर "श्री एस.एन. जैन" पढ़िये ।

11. पृष्ठ संख्या 7, पंक्ति 16, क्रम संख्या 8, "श्री तेन्नेटि विश्वनाथम" के स्थान पर "श्री तेन्नेटी विश्वनाथम" पढ़िये ।

12. पृष्ठ संख्या 7, पंक्ति 24, "काय" के स्थान पर "कार्य" पढ़िये ।

13. पृष्ठ संख्या 7, पंक्ति 29 "रजिस्टारों" के स्थान पर "रजिस्ट्रारों" पढ़िये ।

14. पृष्ठ संख्या 7, पंक्ति 31, "इन्टक ए.आई.टी.यू.सी." के स्थान पर "इन्टक।ए.आई.टी.यू.सी." पढ़िये ।

15. पृष्ठ संख्या 8, पंक्ति 5-6, "वाणिज्य मंडल संगठन संस्थारं" के स्थान पर "वाणिज्य मण्डल, संगठन, संस्थारं" पढ़िये ।

16. पृष्ठ संख्या 8, पंक्ति 8, "नई देल्ली" के स्थान पर "नई दिल्ली" पढ़िये ।

17. पृष्ठ संख्या 8, पंक्ति 10 "समचार" के स्थान पर "समाचार" पढ़िये ।

18. पृष्ठ संख्या 9, पंक्ति 14, "राज्यों के विधिज्ञ परिषद्" के स्थान पर "राज्यों की विधिज्ञ परिषदें" पढ़िये ।

19. पृष्ठ संख्या 9, पंक्ति 24, 26, 29 और 34, "श्री तेन्नेटि विश्वनाथम" के स्थान पर "श्री तेन्नेटी विश्वनाथम" पढ़िये ।

20. पृष्ठ संख्या 9, पंक्ति 30, ~~"इन्क्लुक"~~ के स्थान पर "इक्लुक पढ़िये ।

21. पृष्ठ संख्या 10, पंक्ति 23, "(एक) श्री एम.सी. सीतलवाड" के स्थान पर "श्री एम.सी. सीतलवाद" पढ़िये ।

22. पृष्ठ संख्या 10, पंक्ति 24 "(दो) श्री नानी ए. पालखीवाला" के स्थान पर "श्री नानी.ए. पालकीवाला" पढ़िये ।

23. पृष्ठ संख्या 10, पंक्ति 27, "(पांच) श्री मोहन कुमारमंगल" के स्थान पर "श्री मोहन कुमारमंगलम" पढ़िये ।

24. पृष्ठ संख्या 10, पंक्ति 36, "के रजिस्ट्री रजिस्ट्रारों" के स्थान पर "के रजिस्ट्रारों" पढ़िये ।

25. पृष्ठ संख्या 15, पंक्ति 34, "लां रिपोर्ट" के स्थान पर "ला रिपोर्ट" पढ़िये ।

26. पृष्ठ संख्या 21, पंक्ति 12, "विधेयी परामर्शदाता" के स्थान पर

"विधायी परामर्शदाता" पढ़िये ।

नई दिल्ली ;

11 दिसम्बर, 1970

20 अग्रहायण, 1892(शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
1. प्रवर समिति की रचना	तीन
2. प्रवर समिति का प्रतिवेदन	पांच
3. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	1
परिशिष्ट—एक	
प्रवर समिति को विधेयक सौंपने के लिये लोक सभा में प्रस्ताव	3
परिशिष्ट—दो	
प्रवर समिति को प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों का विवरण	4
परिशिष्ट—तीन	
उन व्यक्तियों के नामों की सूची जिन्होंने प्रवर समिति के सामने साक्ष्य दिया है	6
परिशिष्ट—चार	
प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश	7
परिशिष्ट—पांच	
प्रवर समिति की उपसमिति की बैठकों की कार्यवाही का सारांश	22

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् संसद् सदस्य के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 सम्बन्धी प्रवर समिति

समिति की रचना

सभापति

सदस्य

श्री दत्तात्रय कुन्टे–
2. श्री चपला कांत भट्टाचार्य
3. श्री कंवर लाल गुप्त
4. श्री शिव चन्द्र झा
5. श्री कृ० मा० कौशिक
6. श्री वी० कृष्णामूर्ति
*7. श्री हनुमन्तय्या
8. श्री श्रीनिवास मिश्र
9. श्री एस० एन० मिश्र
10. श्रीमती शारदा मुकर्जी
11. श्री के० आनन्द निम्बयार
**12. श्री म० सि० सहगल
13. श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ
14. श्री म० कृ० सेन
15. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम्
16. चौधरी रणधीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उपविधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय।

विधि मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उपविधि सलाहकार, विधि मंत्रालय।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप-सचिव

---

*श्री पी० गोविन्द मेनन के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर 31, जुलाई, 1970 से नियुक्त।
**17 सितम्बर, 1970 को निधन हुआ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, प्रवर समिति का सभापति, जिसे भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिये* विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक के साथ उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह विधेयक 21 फरवरी, 1969 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था । प्रवर समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव चौधरी रणधीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा 27 फरवरी, 1970 को प्रस्तुत किया गया था तथा इस पर उसी दिन विचार किया गया तथा वह स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट—एक) ।

3. समिति की कुल नौ बैठकें हुईं ।

4. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए 11 मार्च, 1970 को हुई । इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि विधिज्ञ परिषदों, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय विधिज्ञ संगठनों, सार्वजनिक निकायों, वाणिज्य मंडलों, व्यक्तियों आदि से, जो विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में अपने सुझाव/विचार प्रस्तुत करने अथवा समिति के सामने साक्ष्य देने के लिए इच्छुक हों, समिति के विचारार्थ उनके सम्बन्ध में 5 मई, 1970 तक ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की जाये । समिति ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में विशेष रूप से राज्य सरकारों, संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत के महा न्यायावादी, सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं, भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, विधिज्ञ परिषदों/विधिज्ञ संगठनों तथा कुछ महत्वपूर्ण विधायी समितियों/संस्थाओं के विचार मांगें ।

5. विधेयक के बारे में प्रवर समिति को परिशिष्ट-दो में उल्लिखित विभिन्न पक्षों से, जिनमें राज्य सरकारें/संगठन/व्यक्ति भी शामिल हैं, 38 ज्ञापन/अभ्यावेदन/टिप्पण प्राप्त हुए ।

6. समिति ने 11 मई, 1970 को हुई अपनी दूसरी बैठक में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों तथा प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं का साक्ष्य सुनने का निश्चय किया । तदनुसार, समिति ने क्रमशः दिनांक 21 तथा 22 जुलाई और 1 अगस्त, 1970 को हुई अपनी तीसरी, चौथी और पांचवी बैठकों में उनका साक्ष्य सुना । लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 263(1) के अन्तर्गत नियुक्त की गई एक उप-समिति ने 8 और 9 सितम्बर, 1970 को श्री एच० एम० सीरवाई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र और श्री एन० ए० पालकीवाला, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के विधेयक के उपबन्धों के बारे में विचार कौंसिल हाल, बम्बई में सुने । (परिशिष्ट—तीन) ।

7. समिति का प्रतिवेदन वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन अर्थात् 27 जुलाई, 1970 तक प्रस्तुत किया जाना था । चूंकि ऐसा नहीं किया जा सकता था, इसलिये समिति ने 22 जुलाई, 1970 को हुई अपनी चौथी बैठक में यह निर्णय किया कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि अगले अधिवेशन के अन्तिम दिन तक बढ़ाने की प्रार्थना की जाये । इस बारे में आवश्यक प्रस्ताव 28 जुलाई, 1970 को सभा में रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

8. समिति ने निर्णय किया है कि समिति तथा उप-समिति के सामने दिया गया साक्ष्य तथा 12 अक्तूबर, 1970 को हुई समिति की सातवीं बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड मुद्रित किया जाये एवं पटल पर रखा जाये ।

9. समिति ने यह भी निश्चय किया है कि विभिन्न संस्थाओं / संगठनों / राज्य सरकारों आदि से प्राप्त ज्ञापनों / अभ्यावेदनों आदि का एक सेट सदस्यों के देखने के लिये संसद् ग्रन्थालय में रखा जाये ।

10. समिति ने 12 और 13 अक्तूबर, 1970 को हुई बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया ।

11. समिति ने 6 नवम्बर, 1970 को इस प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकृत किया ।

---

*दिनांक 21 फरवरी, 1969, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित ।

12. विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचारों का ब्यौरा आग पैराग्राफों में दिया गया है।

13. **खण्ड 2**—समिति महसूस करती है कि इस खण्ड द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 में जो संशोधन करने का प्रस्ताव है उसका प्रयोजन न्यायालय द्वारा शब्दों के पश्चात् 'केवल' शब्द जोड़ने से अधिक अच्छी तरह पूरा हो जायेगा। यह शब्द जोड़ने से न्यायालय के लिये आवश्यक हो जायेगा कि वह 'रिट' याचिका पर गुणों के आधार पर विचार करे। किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने के सम्बन्ध में की गई रिट याचिका को रद्द करने के लिये न्यायालय को, बिलम्ब के अतिरिक्त, कुछ अन्य कारणों पर विचार करना पड़ेगा। इस खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

14. **खण्ड** 3—जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है समिति महसूस करती है कि यह बात विशिष्ट रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए कि प्रस्तावित संशोधन में केवल ऐसी 'रिट' याचिकायें आयेंगी जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में हों। यदि यह खण्ड विधेयक में दिये गये रूप में अधिनियमित हो जाये तो वह न केवल ऐसे अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में 'रिट' याचिकाओं पर बल्कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत परिकल्पित 'किसी अन्य प्रयोजन' के सम्बन्ध में की गई 'रिट' याचिकाओं पर भी लागू होगा। इस स्थिति को स्पष्ट करने तथा इस खण्ड को विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के कथन के अनुकूल बनाने की दृष्टि से उसमें यह उपबन्ध किया गया है कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा केवल विलम्ब के आधार पर किसी अर्जीदार को इस अनुच्छेद के अधीन किसी उपचार से, जहां तक इसका संबंध भाग 3 से है वंचित नहीं किया जायेगा। इस खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

15. **खण्ड** 1—इस खण्ड में संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी संशोधन है।

16. **अधिनियम सूत्र**—अधिनियम सूत्र में किया गया संशोधन भी प्रारूपण सम्बन्धी संशोधन है।

17. यहां समिति यह मत व्यक्त करना चाहती है कि समिति तिलोक चन्द मोती चन्द बनाम एच० बी० मुंशी (1969) 2 एस सी आर 824 न्यायाधिपति के० एस० हैडगे द्वारा दिये गये इस मत से सहमत है कि :

> "यह आशंका अतिशयोक्ति प्रतीत होती है कि कुछ वर्षों के बाद सरकार के विरुद्ध भूले हुए दावों तथा छोड़े हुए अधिकारों को लागू करने की मांग की जा सकती है यदि यह निर्णय दिया जाता है कि बिना किसी समय सीमा के मूलभूत अधिकारों को लागू किया जा सकता है। अपना अधिकार सिद्ध करना उस पक्षकार का काम है जो किसी अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है। समय व्यतीत होने के साथ-साथ उसका कार्य अधिकाधिक कठिन हो जाना अवश्यम्भावी है। वह केवल विद्यमान अधिकार को लागू कर सकता है। कोई अधिकार किसी सक्षम न्यायालय के पूर्ववत निर्णय अथवा विभिन्न अन्य बातों के कारण खत्म हो सकता है। यदि कोई अधिकार किसी कारण खत्म हो जाता है तो अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ हम एक ऐसे व्यक्ति का मामला लेते हैं जिसे किसी ऐसे कानून के आधार पर जो कथित अपराध करने से काफी समय पूर्व समाप्त कर दिया गया था दोषसिद्ध किया जाता है और दो वर्षावधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जाता है। अपील करने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के काफी समय बाद उसे उस कानून के निरसन का पता चलता है। न्यायाधिपति बचावत और मितर के निर्णय के अनुसार ऐसी परिस्थिति में उसे—न्यायालय के स्वविवेक के अलावा—बन्दी प्रत्यक्षीकरण के 'रिट' के सम्बन्ध में इस न्यायालय में मामला दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा . . . . . क्या इस न्यायालय को जो एक ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से ऐसे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के प्रयोजन से बनाई गई है जिनकी गारन्टी संविधान के भाग 3 में दी गई है उन अधिकारों में कमी करनी चाहिए ? इस निर्णय के प्रभाव दूरगामी होंगे। इस के कारण मूलभूत अधिकारों के अपने वर्तमान उच्च स्तर पर न रह कर अन्य नागरिक अधिकारों के स्तर पर आ जाने की संभावना है . . . . .।"

18. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

नई दिल्ली;
6 नवम्बर, 1970

15 कार्तिक, 1892 (शक)

दत्तात्रय कुन्टे,
सभापति,
प्रवर समिति।

1969 का विधेयक संख्या 2क

[दि कांस्टीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 1969 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है)

(जिन शब्दों के नीचे रेखाएं लगी हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन उपदर्शित करते हैं ; तारक चिह्न लोप उपदर्शित करते हैं)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) यह अधिनियम तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 32 का संशोधन

2. संविधान के अनुच्छेद 32 में, खण्ड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित *खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2क) उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल विलम्ब के आधार पर किसी अर्जीदार को इस अनुच्छेद के अधीन किसी भी उपचार से वंचित नहीं किया जायेगा ।"

3. संविधान के अनुच्छेद 226, में, खण्ड (2) के पश्चात्, **निम्नलिखित *खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— अनुच्छेद 226 का संशोधन 5

"(3) किसी उच्च न्यायालय द्वारा केवल विलम्ब के आधार पर किसी अर्जीदार को इस अनुच्छेद के अधीन किसी उपचार से, जहां तक इसका सम्बन्ध भाग 3 से है, वंचित नहीं किया जायेगा ।"

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसके 16 ;सदस्य, अर्थात :—

(1) श्री चपलाकांत भट्टाचार्य
(2) श्री कंवर लाल गुप्त
(3) श्री शिव चन्द्र झा
(4) श्री कृ० मा० कौशिक
(5) श्री वी० कृष्णामूर्त्ति
(6) श्री दतात्रय कुन्टे
(7) श्री पी० गोविन्द मेनन
(8) श्री श्रीनिवास मिश्र
(9) श्री एस० एन० मिश्र
(10) श्रीमती शारदा मुकर्जी
(11) श्री के० आनन्द नम्बियार
(12) श्री अ० सि० सहगल
(13) श्री इब्राहीम सुलेमान से:
(14) श्री अ० कु० सेन
(15) श्री तेन्नेटी विश्वनाथम
(16) श्री रणधीर सिंह चौधरी

हों, और उसे अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देने के अनदेश दिये जायें।

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 5)

प्रवर समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों/टिप्पणियों आदि का विवरण

क्रम संख्या	जिससे प्राप्त हुआ
1	2
1	श्री बी० ए० मसोदकर, एडवोकेट, महाराष्ट्र की विधिज्ञ परिषद् के सदस्य ।
2	हरियाणा के महाधिवक्ता ।
3	श्री बलभद्र सी० जोशी, एडवोकेट, महाराष्ट्र की विधिज्ञ परिषद् के सदस्य ।
4	श्री एस० एन० जैन, कार्यवाहक निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली ।
5	उड़ीसा उच्च न्यायालय।
6	श्री पी० तिरुपाल चेट्टी, एडवोकेट, सदस्य, आन्ध्र प्रदेश विधिज्ञ परिषद्, हैदराबाद ।
7	आंध्र प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद्, हैदराबाद ।
8	उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद्।
9	मैसूर के महाधिवक्त। ।
10	इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्याय पीठ के माननीय न्यायाधीश ।
11	विधिज्ञ पुस्तकालय क्लब, उच्च न्यायालय, कलकत्ता–1 ।
12	उच्च न्यायालय, जम्मू तथा काश्मीर ।
13	उच्च न्यायालय, (अपीलीय) बम्बई ।
14	विधि अनुस्मारक, चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़।
15	उड़ीसा विधिज्ञ परिषद्।
16	पंजाब सरकार ।
17	बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद्।
18	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ।
19	उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघ, इंदौर।
20	पश्चिम बंगाल सरकार ।
21	भारत की विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली।
22	उच्च न्यायालय, पटना के माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे माननीय न्यायाधीश ।
23	बिहार सरकार ।
24	दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
25	श्री एच० एम० सीरवई, महाधिवक्ता बम्बई ।
26	गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीश ।
27	मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता।
28	माननीय न्यायमूर्ति डी० बसु, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, कलकत्ता।

1	2
29	मैसूर उच्च न्यायालय ।
30	गुजरात सरकार ।
31	मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ।
32	श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद् सदस्य ।
33	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।
34	राज्य विधि आयोग, पश्चिम बंगाल ।
35	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ।
36	केरल सरकार ।
37	श्री एन० ए० पालकीवाला, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, बम्बई ।
38	आंध्र प्रदेश सरकार ।

परिशिष्ट तीन

(**देखिये** प्रतिवेदन का पैरा 6)

प्रवर समिति के साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों के नाम

क्रम संख्या	पक्षकारों के नाम	साक्ष्य लिये जाने की तारीख
1	श्री बी० ए० मसोदकर, एडवोकेट, सदस्य, विधिज्ञ परिषद्, महाराष्ट्र . .	21-7-70
2	माननीय न्यायमूर्ति डा० बसु, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, कलकत्ता	21-7-70 22-7-70
3	श्री एन० एन० जैन, कार्यवाहक निदेशक, भारतीय विधि-संस्थान, नई दिल्ली।	22-7-70
4	श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद् सदस्य	1-8-70
5	श्री सी० के० दफ्तरी, भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी . .	1-8-70
6	श्री एच० एम० सीरवाई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र , बम्बई . . .	8-9-70 9-9-70
7	श्री एन० ए० पालकीवाला, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, बम्बई .	8-9-70

परिशिष्ट चार

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् संसद सदस्य द्वारा

प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, 1960 पर प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

एक

प्रथम बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 11 मार्च, 1970 को 16.00 से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रय कुन्टे सभापति

सदस्य

2. श्री कंवर लाल गुप्त
3. श्री शिव चन्द्र झा
4. श्री कु० मा० कौशिक
5. श्री श्रीनिवास मिश्र
6. श्री अ० सि० सहगल
7. श्री इब्राहिम सुलेमान सेट
8. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उप विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय ।

विधि मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला, उपसचिव

2. बैठक के प्रारम्भ में सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और प्रस्तावित विधायी कार्यवाही के महत्व तथा समिति के काय पर प्रकाश डाला ।

3. समिति ने इसके बाद प्रैस विज्ञप्ति के मसौदे का अनुमोदन किया जिसे लोक निकायों, व्यापार संगठनों, विधिज्ञ संघों, विधिज्ञ परिषदों, व्यक्तियों तथा दूसरों को जो विधेयक के बारे में अपने सुझाव अथवा विचार समिति के सामने साक्ष्य देना चाहते हैं, जारी करने का निर्णय किया गया और उनसे इस सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय को 5 मई, 1970 तक लिखित रुप में ज्ञापन भेजने का अनुरोध किया गया। (अनुबन्ध एक)

4. तदुपरान्त समिति ने राज्य सरकारों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के रजिस्टारों, 'बार एसोशियेशन आफ इण्डिया' के सचिव आदि को सम्बोधित किये जाने वाले प्रस्तावित पत्र के मसौदे का अनुमोदन किया। विधेयक के बारे में विभिन्न वाणिज्य संघों, विधि संस्थान, इन्टक ए० आई० टी० यू० सी०/हिन्द मजदूर सभा आदि जैसे मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय मजदूर संघों आदि से उनके विचार आंमत्रित करने के लिये उनको भी पत्र भेजने का निर्णय किया गया। (अनुबन्ध दो)।

5. समिति ने तब अपनी अगली कार्यवाही के लिये कार्यक्रम तैयार करने तथा लिखित रुप में ज्ञापन प्राप्त होने के बाद उनमें से मौखिक साक्ष्य देने के लिये पक्षकार चुनने के लिये सोमवार, 11 मई, 1970 को 16.00 बजे बैठक करने का निर्णय किया।

उसके बाद समिति स्थगित हुई।

अनुबन्ध एक

लोक-सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम, संसद सदस्य के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 संबंधी लोक–सभा की प्रवर समिति ने अपनी पहली बैठक में, जो श्री दत्तात्रय कुन्टे, संसद सदस्य के सभापतित्व में हुई, यह निश्चय किया है कि सार्वजनिक निकायों, वाणिज्य मण्डल संगठन संस्थाऐं, अखिल भारतीय मजदूर संघ, विधिज्ञ परिषद्, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय, विधिज्ञ संस्थाएं और व्यक्तियों तथा अन्य, जो विधेयक के संबंध में समिति के विचारार्थ, ज्ञापन भेजने के इच्छुक हैं, वे 5 मई, 1970 तक अथवा इससे पूर्व अपने ज्ञापनों की 40 प्रतियां सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दल्ली को भेज दें। समिति को भेजे जाने वाले ज्ञापन समिति के रिकार्ड का अंग होंगे और उनको नितान्त गोपनीय समझा जाना चाहिये तथा वे किसी अन्य को परिचालित नहीं किये जाने चाहिये क्योकि ऐसा करना समिति के विशेषाधिकारों का हनन होगा। जो लोग ज्ञापन के अतिरिक्त, समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना लोक सभा सचिवालय को दें ताकि समिति उस पर विचार कर सके।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, संसद् सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 लोक सभा में पुरःस्थापित रुप में, दिनांक 21 फरवरी, 1969 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित हुआ था। विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 226 में यह उपबन्ध करने के लिये संशोधन करना है कि इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत उपलब्ध उपचार से किसी को उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब के कारण वंचित नहीं किया जायेगा।

नई दिल्ली ;
दिनांक 11 मार्च, 1970
संख्या 15/1/सी दो/70

11 मार्च, 1970/20 फाल्गुन, 1891 (शक)

प्रति, आकाशवाणी, नई दिल्ली के समचार सम्पादक को सूचनार्थ प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि इसको लगातार तीन दिन आकाशवाणी के समस्त केन्द्रों से प्रसारित किया जाये।

ह० मेहर चन्द चावला,
उप सचिव।

अनुबन्ध दो

लोक सभा सचिवालय

संसद् भवन,
नई दिल्ली–1
11 मार्च, 1970/20 फाल्गुन, 1891 (शक)

संख्या 15/1/सी दो /70

प्रेषक

श्री मेहरचन्द चावला,
उप सचिव

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, सभी राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र
2. भारत के महान्यायवादी, नई दिल्ली
3. सभी राज्यों के महाधिवक्ता
4. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय/सभी उच्च न्यायालय
5. सचिव, भारत विधि परिषद्/ उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संस्था/सभी राज्यों क विधिज्ञ परिषद/सभी उच्च न्यायालयों की विधिज्ञ संस्थाएं ।
6. सचिव, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली/एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता –1 ।
7. महासचिव, अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस, नई दिल्ली/भारतीय राष्ट्रीय मजदूर यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली/ हिन्द मजदूर सभा, बम्बई,/यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता ।
8. सचिव,

भारतीय विधि संस्था, नई दिल्ली/ इण्डियन इंटीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली/इंस्टीच्यूट आफ कांस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली/इण्डियन सोसायटी आफ इन्टरनेशनल ला, नई दिल्ली/इनकारपोरेटेड ला सोसायटी, कलकत्ता/ इन्टरनेशनल कमीशन आफ जूरिस्ट्स, नई दिल्ली/विधिज्ञ ग्रंथालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय ।

विषय:– श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, संसद् सदस्य के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 संबंधी प्रवर समिति ।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, संसद् सदस्य के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 32 तथा 226 का संशोधन) संबधी लोक सभा की प्रवर समिति ने अपनी बैठक में, जो 11 मार्च, 1970 को हुई, निश्चय किया कि सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायलयों तथा सभी विधि परिषदों /विधिज्ञ संस्थाओं आदि को लिखा जाय कि यदि वे श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, संसद् सदस्य के संविधान (संशोधन) विधेयक , 1969 के उपबन्धों के संबंध में अपने टिप्पण अथवा सुझाव समिति के विचारार्थ भेजने के इन्च्छुक हों तो उनकों अधिक से अधिक, 5 मई, 1970 तक सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद् भवन, नई दिल्ली को भेज दें ।

2. समिति ने यह भी निश्चय किया कि यदि समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों तो वे ऐसा भी कर सकेगें ।

3. मौखिक साक्ष्य लेने के लिये समिति क बैठकें 11 मई, 1970 से नई दिल्ली में होगी ।

4. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, संसद् सदस्य, का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 , लोक सभा में पुर:स्थापित रुप में, दिनांक 21 फरवरी, 1969 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खण्ड 2, में प्रकाशित हुआ था । विधेयक की एक प्रति तुरन्त हवाले के लिये इस पत्र के साथ भेजी जा रही है ।

5. यदि आपको कोई टिप्पण अथ वा सुझाव भेजने हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप उक्त टिप्पण अथवा सुझाव की 40 प्रतियां इस सचिवालय को भेजें ताकि वे प्रवर समिति के सदस्यों को परिचालित की जा सके ।

भवदीय,

ह० मेहर चन्द चावला,
उप-सचिव ।

संलग्न : एक

दूसरी बैठक

समिति की बैठक, सोमवार, दिनांक 11 मई, 1970 को 16.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रय कुन्टे—— सभापति

सदस्य

2. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य
3. श्री शिव चन्द्र झा
4. श्री के० आनन्द नम्बियार
5. श्री अ० सि० सहगल
6. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उप विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय।

विधि मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उपविधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उपसचिव

2. प्रारंभ में समिति ने विभिन्न पक्षों से प्राप्त ज्ञापनों पर, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों के दोनों पक्ष तथा विपक्ष दोनों में थे, सरसरी तौर से विचार किया।

कुछ चर्चा के बाद समिति ने निश्चय किया कि निम्नलिखित प्रसिद्ध विधि शास्त्रियों तथा संवैधानिक विशेषज्ञों को लिखा जाय कि वे समिति को ज्ञापन भेजें जिसमें इस विधेयक के संबंध में उनके विचार उल्लिखित हों और यदि वे समिति के समक्ष साक्ष्य देने के इच्छुक हों तो वे साक्ष्य भी दें:—

(एक) श्री एम० सी० सीतलवाड, संसद् सदस्य

(दो) श्री नानी ए० पालखीवाला

(तीन) श्री एच० एम० सीरवाई, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र

(चार) श्री सी० के० दफतरी—भूतपूर्व महान्यायवादी

(पांच) श्री मोहन कुमारमंगल, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।

(छः) श्री ए० एस० आर० चारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।

(सात) श्री डी० डी० बसु—न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय,

(आठ) श्री एस० एन० जैन, इंडियन ला इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक।

समिति ने ज्ञापन भेजने की अंतिम तिथि 30 जून, 1970 निश्चित की।

3. समिति चाहती थी कि विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) उसे विलंब के आधार पर अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उपचार संबंधी दावे को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उपयोक्त अनुच्छेदों के संबंध में दिये गये निर्णयों का सारांश प्रस्तुत करे।

4. समिति ने यह भी निश्चय किया कि पिछले दस वर्षों में अनुच्छद 32 तथा 226 के अधीन जिन मामलों पर प्रारम्भिक विचार किया गया है उनको उनकी सूची का पता लगाने के लिये उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्री रजिस्ट्रारों को लिखा जाय। यह भी मालूम किया जाये कि क्या किसी उच्च न्यायालय ने कोई ऐसे नियम बनाये हैं जिनमें वह समय सीमा निर्धारित की गई हो जिसके अन्दर अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका दायर की जानी चाहिये।

5. तत्पश्चात् समिति ने 14 और 15 जुलाई, 1970 को प्रतिदिन 10.00 बजे बठक करने का निश्चय किया।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 21 जुलाई, 1970 को 14.30 बजे से 17.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रय कुन्टे—सभापति

सदस्य

2. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य
3. श्री कंवर लाल गुप्त
4. श्री शिव चन्द्र झा
5. श्री कृ० मा० कौशिक
6. श्री एस० एन० मिश्रा
7. श्रीमती शारदा मुकर्जी
8. श्री अ० सि० सहगल
9. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उप विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय।

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—**उपसचिव**

2. प्रारम्भ में समिति ने भतपूर्व विधि मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन के निधन पर शोक प्रकट करते हुए निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

"समिति अपने अत्यन्त सम्माननीय सहयोगी तथा विधि मंत्री, श्री पी० गोविन्द मेनन के 23 मई, 1970 को अचानक निधन पर गहन शोक व्यक्त करती है तथा उनके शोक सन्तप्त परिवार को अपनी शोक सम्वेदना भेजती है।"

3. इसके बाद सभापति ने समिति को बताया कि उन्हें विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगन्नाथ राव से दिनांक 18 जुलाई, 1970 का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है:

"मुझे खेद है कि मैं प्रवर समिति की 21 तथा 22 जुलाई, 1970 को होने वाली बैठकों में उपस्थित न हो सकूंगा क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेरा शहर से बाहर रहना अनिवार्य है ।

विधि मंत्री भी दौरे पर हैं तथा वे भी उपर्युक्त तारीखों में होने वाली समिति की बैठकों में उपस्थित न हो सकेंगे।

मुझे आशा है कि आप इन परिस्थितियों को देखते हुये हमारी अनुपस्थिति के लिये हमें क्षमा करेंगे। मैंने विधि मंत्रालय के अधिकारियों को बैठकों में उपस्थित होने का अनुदेश दे दिया है।

4. इससे पूर्व कि समिति निम्नलिखित साक्षियों का साक्ष्य लेती सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों क निदेश 58 की ओर दिलाया:

1. श्री बी० ए० मसोदकर,
   अधिवक्ता, महाराष्ट्र
   विधिज्ञ परिषद के सदस्य ।
   (14.35 बजे से 16.10 बजे)

2. न्यायमूर्ति डी० बसु, न्यायाधीश,
   उच्च न्यायालय, कलकत्ता ।
   (16.15 बजे से 17.15 बजे)

सगिति के स्थगित होने तक साक्षी का साक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। उनसे अनुरोध किया गया कि वह अगले दिन 10.00 बजे अपना साक्ष्य जारी करें।

5. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया है ।

6. समिति, बुधवार, 22 जुलाई, 1970 के 10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौथी बैठक

समिति की बैठक, 22 जुलाई, 1970 को 10.00 बजे से 12.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रय कुन्टे—सभापति

सदस्य

2. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य
3. श्री शिव चन्द्र झा
4. श्री कृ० मा० कौशिक
5. श्री एस० एन० मिश्र
6. श्रीमती शारदा मुकर्जी
7. श्री अ० सिं० सहगल
8. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उप विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय।

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप सचिव**

2. समिति ने न्यायमूर्ति डी० बसु, न्यायाधीश, उच्चन्यायालय, कलकत्ता के साक्ष्य की आगे सुनवाई आरम्भ की। साक्ष्य 12.22 बजे पूरा हुआ।

3. लोक सभा के सदस्य श्री आनन्द नारायण मुल्ला, न्यायमूर्ति श्री डी० बसु के साक्ष्य के दौरान कुछ समय के लिये उपस्थित थे।

4. सभापति द्वारा श्री एस० एन० जैन, कार्यवाहक निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, भगवान दास रोड, नई दिल्ली, का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाये जाने के बाद समिति ने उनके साक्ष्य की सुनवाई आरम्भ की।

(12.24 बजे से 12.45 बजे)

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

6. सभापति ने बताया कि समिति को अभी दो अन्य प्रमुख विधिवेताओं—भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद् सदस्य तथा श्री सी० के० दफ्तरी—का साक्ष्य सुनना है जिनसे उनकी सुविधा का

पता लगाने के बाद 1 अगस्त, 1970 को समिति की बठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है । अतः समिति, अगले सत्र के प्रथम दिन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगी । इसलिए समिति को प्रतिवदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने की मांग करनी पड़ेगी ।

7. समिति ने कुछ चर्चा के बाद यह निश्चय किया कि वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नवम्बर-दिसम्बर, 1970 में होने वाले सत्र के अन्तिम दिन तक समय बढ़ाने की मांग करे तथा सभापति की, और उनकी अनुपस्थिति में श्री अ० सिं० सहगल को, प्राधिकृत किया कि वह अगले सत्र के प्रथम दिन सभा में इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।

8. उसके बाद समिति स्थगित हुई ।

पांच

पांचवी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 1 अगस्त, 1970 को 10.00 बजे से 12.50 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री दत्तात्रय कुन्टे—सभापति

सदस्य

2. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य
3. श्री शिवचन्द्र झा
4. श्री कृ० मा० कौशिक
5. श्री हनुमन्तय्या
6. श्री श्रीनिवास मिश्र
7. श्रीमती शारदा मुकर्जी
8. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उपविधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय ।

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उपविधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला —उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने नये विधि मंत्री, श्री हनुमंतय्या का स्वागत किया, जिन्हें श्री पी० गोविन्द मेनन के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर 31 जुलाई, 1970 को समिति में नियुक्त किया गया था।

3. सभापति ने प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अंतर्गत विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जगन्नाथ राव, को प्रवर समिति की बैठक में उपस्थित होने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने की भी अनुमति दी।

4. इससे पूर्व कि समिति निम्नलिखित विधिवेताओं के साक्ष्य सुनती, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :

एक. श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद सदस्य,
भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी ।
(10.05 बजे से 11.00 बजे तक)

दो. श्री सी० के० दफ्तरी,
भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी ।
(11.05 बजे से 12.50 बजे तक)

5. सभापति ने समिति के समक्ष इस बात का उल्लेख किया कि उनको विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जगन्नाथ राव से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि चूंकि न्यायामूर्ति श्री डी० बसु ने गत जुलाई में समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए बम्बई लॉ रिपोर्ट में प्रकाशित महाराष्ट्र के महाधिवक्ता, श्री एच० एम० सीखाई के "तिलोक चन्द बनाम बी० एच० मुन्शी—सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का अनुच्छेद 32 तथा परिसीमा" विषयक लेख के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं अतः

यह अच्छा होगा कि समिति की श्री सीरवाई के विचार भी सुने, विशेषकर इस दृष्टि से कि न्यायामूर्ति श्री डी० बसु ने इसके विपरीत अपने दृढ़ विचार व्यक्त किये हैं तथा इस विषय में श्री सीरवाई के भी सुस्पष्ट विचार हैं जैसा कि उनके उपर्युक्त लेख से प्रकट है तथा जैसा कि समिति को उनके द्वारा भेजे गये इस ज्ञापन से कि उच्चतम न्यायालय के बहुमत से किये गये फैसले में जो कारण दिये गये हैं वे उनकी राय में सही तथा न्यायोचित हैं।

सभापति ने समिति को बताया कि श्री सीरवाई ने अपना ज्ञापन भेजते हुये दिनांक 29 जून, 1970 के अपने पत्र में यह लिखा था :

> "जहां तक मौखिक साक्ष्य देने का प्रश्न है, मुझे खेद है कि मैं इस समय कुछ भी कहने में असमर्थ हूं।"

चूंकि समिति इस विषय में श्री सीरवाई के विचार सुनने के लिये बहुत उत्सुक थी इसलिए यह निश्चय किया गया कि पहले श्री सीरवाई से यह अनुरोध किया जाये कि क्या वह समिति के समक्ष साक्ष्य दे सकेंगे और यदि उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट की तो समिति 7 सदस्यों की एक उप-समिति नियुक्त करेगी जो अगामी अन्तर्सत्रावधि के दौरान बम्बई जाकर श्री सीरवाई के साक्ष्य को लेख-बद्ध करेगी। समिति ने सभापति को सात सदस्यों की एक उप-समिति (विधि मंत्री को छोड़कर) नियुक्त करने तथा बम्बई में एक दिन के लिये समिति की बैठक का आयोजन करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये अध्यक्ष से बातचीत करने का भी प्राधिकार दिया। सभापति ने कहा कि उप समिति प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 263(1) के अंतर्गत कार्य करेगी ।

6. समिति ने विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) द्वारा उन मामलों के एक विवरण दिये जाने की मांग की जिन पर उच्चत न्यायालय द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रारम्भिक चर्चा की गई है।

7. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है ।

8. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 अगस्त, 1970 को 16.00 बजे से 16.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री दतात्रय कुन्टे—सभापति

सदस्य

2. श्री कंवर लाल गुप्त
3. श्री हनुमन्तय्या
4. श्री एस० एन० मिश्र
5. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम
6. चौधरी रणधीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति उप विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप सचिव**

2. प्रारम्भ में सभापति ने, प्रक्रिया नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अंतर्गत विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगन्नाथ राव को बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्शों में भाग लेने की अनुमति दी।

3. समिति ने तत्पश्चात् अपने भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार किया। कुछ विचार विमर्श के पश्चात् उन्होंने विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिए 12 और 13 अक्तूबर, 1970 को प्रतिदिन 11.00 बजे से बैठक बुलाने का निश्चय किया। इसके पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए समिति की बैठक 7 नवम्बर, 1970 को होगी।

4. सभापति ने सुझाव दिया कि सदस्यों को संशोधन नोटिस, यदि कोई हो तो, 3 अक्टूबर, 1970 तक दे देने चाहिए।

5. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 12 अक्टूबर, 1970 को 11.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रय कुन्टे---सभापति

सदस्य

2. श्री चपलांकात भट्टाचार्य
3. श्री कंवर लाल गुप्त
4. श्री शिव चन्द्र झा
5. श्री कृ० मा० कौशिक
6. श्री हनुमन्तय्या
7. श्री एस० एन० मिश्र
8. श्रीमती शारदा मुकर्जी
9. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
10. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति, उप विधायी, परामर्शदाता विधायी विभाग, विधि मंत्रालय

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री महेर चन्द चावला ---**उप सचिव**

2. प्रारम्भ में समिति ने, समिति के सदय श्री अ० सि० सहगल के निधन पर निम्नलिखित शोक प्रस्ताव पारित किया :—

"समिति अपने सम्मानीय साथी श्री अ० सि० सहगल के निधन पर अपनी गहरी संवेदना रिकार्ड करती है तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को हार्दिक संवेदना भेजनी है।"

तत्पश्चात् सदस्य दिवगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

3. इसके बाद सभापति ने, लोकसभा सचिवालय के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अंतर्गत विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगन्नाथ राव को बैठक में उपस्थित होने तथा उसके विचार विमर्श में भाग लेने की अनुमति दी।

4. समिति ने, विधेयक के उपबन्धों पर कुछ विख्यात विधिवेताओं, कानूनी विशेषज्ञों आदि द्वारा समिति के सम्मुख दिये गये साक्ष्यों का पुनरीक्षण किया। विधि मंत्री ने परिचायक वक्तव्य दिया।

5. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

6. समिति की बैठक मंगलवार, 13 अक्तूबर, 1970 को 11.00 बजे तक के लिये विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिये स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 13 अक्तूबर, 1970 को 11 बजे से 12 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री दत्तात्रेय कुन्टे— सभापति

सदस्य

2. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य
3. श्री कंवर लाल गुप्त
4. श्री शिवचन्द्र झा
5. श्री कृ० मा० कौशिक
6. श्री वी० कृष्णामूर्ति
7. श्री हनुमन्तय्या
8. श्रीमती शारदा मुकर्जी
9. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
10. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम्

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उपविधायी परामर्शदाता विधायी विभाग, विधि मंत्रालय ।

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार चर्चा शुरू की ।
3. खण्ड 2 :—कुछ विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8, "न्यायालय द्वारा" के पश्चात्

"केवल" **अन्तःस्थापित** किया जाये ।

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

4. खण्ड 3 :—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 1, पंक्ति 12, "न्यायालय द्वारा" के पश्चात्

"केवल" **अन्तःस्थापित** किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 1, पंक्ति ,13 "उपचार से" के **पश्चात्**

"जहां तक इस का संबंध भाग 3 से है' **जोड़ा** जाये ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

5. खण्ड 1 :—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, "1969" के **स्थान पर**

"1970" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. अधिनियमन सूत्र :—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "बीसवें" के **स्थान पर**,

"इक्कीसवें" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

7. **विधेयक का पूरा नाम** :—विधेयक का पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया।

8. समिति ने विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया कि वह विधेयक में स्पष्ट त्रुटियों की शुद्धि करें तथा आनुषंगिक किस्म के संशोधन विधेयक में करें।

9. समिति न निश्चय किया कि समिति के सामने दिये गये साक्ष्य और समिति को 12 अक्टूबर, 1970 की बैठक की कार्यवाही को मुद्रित करके सभा पटल पर रखा जाये।

10. समिति ने निश्चय किया कि संसद के सम्मुख समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रवर समिति को प्राप्त हुए ज्ञापनों/अभ्यावेदनों को सदस्यों द्वारा देखे जाने के लिये संसद् ग्रन्थालय में रखा जाये।

11. सभापति न सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर दिलाया।

12. समिति ने निश्चय किया कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक तैयार करके प्रारूप प्रतिवेदन के साथ सदस्यों में 30 अक्तूबर, 1970 तक परिचालित किया जाये।

13. समिति ने विधेयक के अंतिम चरणों में विधि मंत्री द्वारा दिये गये बहुमूल्य परामर्श की भी हार्दिक सराहना की।
समिति ने समिति का ठीक ढंग से कार्य संचालन करने के लिये सभापति की भी सराहना की।
समिति ने सभापति के मार्गदर्शन में उपसमिति द्वारा बम्बई की बैठक में किये गये कार्य की भी सराहना की।

14. समिति ने लोक-सभा के सचिव, दूसरे अधिकारियों, स्टाफ तथा रिपोर्टरों और विधायी परामर्शदाता तथा उप-विधि सलाहकार द्वारा की गई बहुमूल्य सहायता की भी हार्दिक सराहना की।

15. इसके पश्चात् समिति गुरुवार, 5 नवम्बर, 1970 के 12 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 6 नवम्बर, 1970 को 12.00 बजे से 12.40 बज तक हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रेय कुन्टे—सभापति

सदस्य

2. श्री कंवर लाल गुप्त
3. श्री शिव चन्द्र झा
4. श्री कृ० मा० कौशिक
5. श्री हनुमन्तय्या
6. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम

विधेयी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उप विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय विधायी विभाग।

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दिलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला— उप सचिव

2. समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

3. इसके बाद समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

4. सभापति ने घोषित किया कि समिति का प्रतिवेदन सोमवार, 9 नवम्बर, 1970 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. सभापति ने यह भी घोषित किया कि सदस्यों के विमति—टिप्पणी, यदि हों, तो लोक-सभा सचिवालय को सोमवार, 9 नवम्बर, 1970 के 10—00 बजे तक भेज दिये जायें। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि यदि सम्भव हो तो वे अपने विमति टिप्पणियों की चार-चार प्रतियां भेजें।

6. समिति ने सभापति को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री कृ० मा० कौशिक को, 9 नवम्बर, 1970 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और 12 अक्तूबर, 1970 को हुई समिति की बैठक में दिये गये साक्ष्य और कार्यवाही को सभा-पटल पर रखने के लिये प्राधिकृत किया।

7. इसके बाद समिति स्थगित हुई।

परिशिष्ट--पांच

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम, संसद सदस्य के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 की प्रवर समिति की उप-समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

उप समिति की बैठक, मंगलवार, 8 सितम्बर, 1970 को 10-00 बजे से 13.10 बजे तथा पुनः 15.00 से 16.30 बजे तक काउंसिल हाल, बम्बई में हुई ।

उपस्थित

श्री दत्तात्रेय कुन्टे--सभापति

सदस्य

2. श्री शिव चन्द्र झा
3. श्री कृ० मा० कौशिक
4. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम

विधायी परामर्शदाता

श्री निवासमूर्ति, उपविधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उप सचिव

2. प्रारम्भ में सभापति ने उप समिति को, विधि मंत्री, श्री हनुमन्तैया के बैठक में अनुपस्थित रहने के बारे में, क्योंकि वे विदेश गये हुये थे, बताया ।

3. इससे पूर्व कि उप समिति निम्न साक्षियों का साक्ष्य सुनती, सभापति ने साक्षियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर दिलाया ।

1. श्री ए ब० एम० सोरवाई महाधिवक्ता, (महाराष्ट्र, बम्बई) ।
   (10.00 से 13.10 बजे तक)

साक्ष्य समाप्त न कर सकने के कारण उपसमिति ने साक्ष्य जारी रखने के लिये अगले दिन 10.00 बजे प्रातः बैठने का निश्चय किया ।

उप समिति दोपहर के भोजन के लिये 13.10 बजे स्थगित हुई तथा 15.00 बजे बैठक पुनः आरम्भ हुई ।

2. श्री एन० ए० पालकी वाला, भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ट अधिवक्ता, बम्बई ।
   (15.00 बजे से 16.30 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

5. इसके पश्चात समिति बुधवार, 9 सितम्बर, 1970 के 10.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दो

दूसरी बैठक

उप समिति की बैठक बुधवार, 9 सितम्बर, 1970 को 10 बजे से 13.00 बजे तक काउंसिल हाल, बम्बई में हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रेय कुन्टे—सभापति

सदस्य

2. श्री शिव चन्द्र झा

3. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, उप विधायी, परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री दलीप सिंह, उप-विधि सलाहकार

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव ।

2. उप समिति ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता, श्री एच० एम० सीरवाई के साक्ष्य की अग्रेतर सुनवाई प्रारम्भ की ।

साक्ष्य 13.00 बजे तक चला ।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. उप समिति ने काउंसिल हाल, बम्बई में बैठक करने में महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय द्वारा दी गई सहायता की हार्दिक प्रशंसा की ।

5. इसके पश्चात् उप समिति की बैठक स्थगित हुई ।

सी० बी० II संख्या 250

लोक-सभा

जाँच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

(9 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

नवम्बर, 1970/कार्तिक, 1892 (शक)

मूल्य : 60 पैसे

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969

सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का

शुद्धि - पत्र ।

1. पृष्ठ (तीन), पंक्ति 15 में ''तदात्रेय'' के स्थान पर 'दत्तात्रेय' पढ़िये ।

2. पृष्ठ (छः), पंक्ति 16 में ''अन्तर्गत'' के पश्चात् 'विघटित' पढ़िये ।

3. पृष्ठ (छः), पंक्ति 44 में से 'के' का लोप कर दिया जाये ।

4. पृष्ठ (सात), पंक्ति में "8" के स्थान पर '9' पढ़िये ।

5. पृष्ठ (सात), पंक्ति 3 में "को" के स्थान पर 'का' पढ़िये ।

6. पृष्ठ (नौ), पंक्ति 17 में "372" के स्थान पर '370' पढ़िये ।

7. पृष्ठ (नौ), पंक्ति 39 में "व्यस्त" के स्थान पर 'व्यक्त' पढ़िये ।

8. पृष्ठ (नौ), पंक्ति 42 में "4" के पश्चात 'के' जोड़ा जाये ।

9. पृष्ठ (दस), पंक्ति 4 में "सोमित" शब्द "लिए" के पश्चात् पढ़ने के बजाय 'प्रयोजन' से पूर्व पढ़ा जाये ।

10. पृष्ठ (दस), पंक्ति 25 में 'में' के स्थान पर "में" पढ़िये ।

11. पृष्ठ (ग्यारह), पंक्ति 18 में "3" के स्थान पर 'उन' पढ़िये ।

12. पृष्ठ (ग्यारह), पंक्ति 34 में "का" के स्थान पर 'के' पढ़िये ।

13. पृष्ठ (दो), पंक्ति 20 में "6" के पश्चात 'के' पढ़िये ।

जैहर चन्द वाक्ला

उप - सचिव

नई दिल्ली,
19 जनवरी, 1970

29 पौष, 1892 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

1. संयुक्त समिति की रचना . . . . . (तीन)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . . . (पांच)
3. विमति टिप्पण . . . . . (आठ)
4. विधेयक जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया 1

परिशिष्ट एक—संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव . . . 5

परिशिष्ट दो—राज्य-सभा में प्रस्ताव 6

परिशिष्ट तीन—उन संस्थाओं, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए 7

परिशिष्ट चार—उन व्यक्तियों आदि की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया . 8

परिशिष्ट पांच—संयुक्त समिति की बैठकों की कार्यवाही का सारांश . . . 9

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य लोक-सभा

2. श्री नि० चं० चटर्जी
*3. श्रीमती इन्दिरा गांधी
4. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
5. श्री सी० टी० दंडपाणि
6. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
7. श्री हेम राज
8. श्री वे० न० जाधव
9. श्री भोगेन्द्र झा
10. श्री नी० श्रीकान्तन नायर
11. श्रीमती सुचेता कृपलानी
12. श्री तदात्रेय कुन्टे
13. श्री बलराज मधोक
14. श्री धुलेश्वर मीना
15. श्री पी० राममूर्ति
16. श्री एस० एस० सईद
17. श्री गजराज सिंह राव
18. श्री भोला राउत
19. श्री रवि राय
20. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी
**21. श्री सुन्दर लाल
22. डा० शिशिर कुमार साहा
23. श्री शान्ति लाल शाह
24. श्री वीरेन शाह
25. श्री विश्वनारायण शास्त्री
26. श्री एस० एम० सिद्दय्या
27. श्री सन्त बख्श सिंह
28. श्री श्रद्धाकर सूपकार
29. श्री प० रं० ठाकुर
***30. श्री कृष्ण चन्द्र पंत

राज्य सभा

†31. श्री फूल सिंह
32. श्री गुलाम नबी उन्टू
33. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
34. श्री विंबक गोपाल देशमुख
35. श्री कोटा पुन्तैया
‡36. श्री रामनिवास मिर्धा

---

*श्री यशवन्त राव चह्वाण के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था, 1 सितम्बर, 1970 को नियुक्त की गई।

**श्री विश्वनाथ राय के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था, 1 सितम्बर, 1970 को नियुक्त किए गए।

***श्री विद्याचरण शुक्ल के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था, 1 सितम्बर, 1970 को नियुक्त किए गए।

†27 नवम्बर, 1970 को मृत्यु हो गई।

‡श्री शील भद्र याजी के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था, 21 अगस्त, 1970 को नियुक्त किए गए।

37. श्री मलप्पा लिंगप्पा कोल्लूर
38. कुमारी शांता वशिष्ठ
39. श्री बी० टी० केम्पराज
40. श्री चन्द्र मौलि जगरलामूड़ी
41. श्री रुद्र नारायण झा
42. श्री को० प० सुब्रह्मण्यम मेनोन
43. श्री बाल चन्द्र मेनन
44. श्री जयन्त श्रीधर तिलक
45. श्री प्रणव कुमार मुकर्जी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर, अपर विधायी परामर्शदाता, विधी मंत्रालय

गृह कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव
2. श्री बी० शुक्ल, उप सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला, उप सचिव

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति, जिसको जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए *विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, यह प्रतिवेदन, जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है, प्रस्तुत करता हूं।

2. यह विधेयक लोक-सभा में 21 नवम्बर, 1969 को पुरःस्थापित किया गया था। संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव गृह-कार्य मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा 24 दिसम्बर, 1969 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस पर उसी दिन विचार किया गया तथा वह स्वीकृत हुआ। (परिशिष्ट एक)।

3. राज्य-सभा में उक्त प्रस्ताव पर 1 अप्रैल, 1970 को चर्चा हुई तथा 2 अप्रैल, 1970 को प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। (परिशिष्ट दो)।

4. राज्य-सभा से प्राप्त संदेश लोक-सभा में 6 अप्रैल, 1970 को पढ़ कर सुनाया गया।

5. समिति की कुल 11 बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम बनाने के लिए 1 मई, 1970 को हुई। इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, लोक निकायों, वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों, संगठनों, संघों, श्रमिक संघों, विधिज्ञ परिषदों, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघों तथा व्यष्टियों से 30 जून, 1970 तक विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए।

7. जैसा कि परिशिष्ट तीन में उल्लेख है, विधेयक के बारे में समिति को विभिन्न व्यक्तियों/निकायों आदि से 24 ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

8. समिति ने क्रमशः 20 अगस्त, 1 सितम्बर, 28 सितम्बर तथा 29 सितम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठकों में व्यक्तियों द्वारा दिए गए साक्ष्य सुने। 21 अक्तूबर, 1970 को विधान सभा भवन, श्रीनगर में हुई। अपनी बैठक में समिति ने जम्मू तथा कश्मीर सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए साक्ष्य भी सुने (परिशिष्ट चार)।

9. समिति ने निर्णय किया कि समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य मुद्रित किया जाए तथा संसद् के दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखा जाए।

10. समिति का प्रतिवेदन लोक-सभा के 11वें सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि ऐसा नहीं किया जा सका, अतः समिति ने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि 12वें सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाने का अनुरोध किया, जो 27 जुलाई, 1970 को सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

11. समिति ने क्रमशः 22 तथा 23 अक्तूबर, 1970 को विधान सभा भवन, श्रीनगर में हुई अपनी 9वीं तथा 10वीं बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

12. समिति ने 8 नवम्बर, 1970 को अपने प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकृत किया।

13. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचारों का ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

14. **खण्ड 2**—समिति यह अनुभव करती है कि लोक महत्व के किसी मामले की जांच के लिए जब एक जांच आयोग नियुक्त कर दिया जाता है, इसकी रचना के समय उसे जो कार्य सौंपा जाता है, उसे पूरा कर लेने से पूर्व कार्यपालिका सरकार को आयोग का विघटन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और आयोग को अपनी जांच अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा अपना प्रतिवेदन समुचित सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए।

समिति का यह भी विचार है कि जांच के किसी भी प्रक्रम पर आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए समुचित सरकार को शक्ति प्रदत्त करने की जो व्यवस्था है, उससे जनता में भ्रांति पैदा होने तथा सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है, अतः तदनुसार समिति का यह विचार है कि समुचित सरकार को इस प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के दौरान समिति को यह बताया गया कि अनेक बार राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण मामलों पर जांच आयोग के प्रतिवेदन प्रकाशित ही न हो सके, हालांकि उन पर सरकारी धन बड़ी मात्रा

---

*दिनांक 21 नवम्बर, 1969 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

में व्यय किया गया था। अतः समिति यह आवश्यक समझती है कि मूल अधिनियम में एक विशिष्ट उपबन्ध किया जाए जिसमें यह व्यवस्था हो कि समुचित सरकार आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छः मास के भीतर यथास्थिति लोक-सभा या राज्य विधान-सभा के पटल पर रखें। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए खण्ड को तदनुसार संशोधित किया गया है।

विधेयक पर विचार करते समय समिति ने इस आशय के और उन संशोधनों पर, जिनकी सूचना सदस्यों ने दी थी, विचार किया कि एक बार जब जांच आयोग नियुक्त हो जाए, उसे अपनी जांच अवश्य पूरी करनी चाहिए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए तथा सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि आयोग के जांच पूरी करने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले वह आयोग का विघटन कर सके। समिति ने यह अनुभव किया कि आयोग के अपनी जांच पूरी करने तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, उसका विघटन करने की सरकार की शक्तियों को समाप्त कर देने का संशोधन यदि स्वीकृत कर लिया जाता है तो वह मूल अधिनियम की धारा 7 के प्रतिकूल होगा तथा यह समिति के विचाराधीन विधेयक के क्षेत्र से बाहर का विषय होगा। अतः समिति सरकार से सिफारिश करती है कि आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से पूर्व आयोग का विघटन करने की सरकार की शक्तियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

समिति अनुभव करती है कि उक्त संशोधन का होना आवश्यक है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय लोक-सभा अथवा विधान-सभा के संकल्प द्वारा गठित आयोग भी सरकार द्वारा मूल अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत किया जा सकता है।

15. **खण्ड 3**—इस खण्ड में किया गया संशोधन खण्ड 2 में किए गए उस संशोधन का परिणाम है, जिसके द्वारा मूल अधिनियम का विस्तारण जम्मू-कश्मीर पर भी किया गया है।

16. **खण्ड 4**—खण्ड में प्रयुक्त शब्दावली के अनुसार इसमें वही व्यक्ति आते हैं जो आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देते। इसमें उन व्यक्तियों के लिए कोई उपबन्ध नहीं है जो आयोग को मिथ्या जानकारी देते हैं अतः समिति यह अनुभव करती है कि इस खण्ड में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ताकि इसमें ऐसे मामले भी आ जाएं। तदनुसार इस खण्ड में संशोधन कर दिया गया है।

17. **खण्ड 5**—समिति महसूस करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्वेषण अभिकरण की तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी अथवा अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति होनी चाहिए तथा वह अधिकारी अथवा अभिकरण, जिसकी सेवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, व्यक्तियों को समन करने तथा उनसे पूछताछ करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा तथा लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने के लिए समर्थ होना चाहिए। समिति यह भी अनुभव करती है कि किसी अधिकारी अथवा अन्वेषण अभिकरण, जिसकी सेवाएं आयोग द्वारा प्रयोग में लाई गई हैं, समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन किसी सिविल तथा आपराधिक कार्यवाही में उसके विरुद्ध प्रयोग में नहीं किया जाएगा तथा मूल अधिनियम की धारा 6 के उपबन्ध उन कथनों पर भी लागू किए जाने चाहिएं। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस खण्ड में संशोधन कर दिया गया है।

18. **खण्ड 6**—इस खण्ड में जो मूल अधिनियम में नयी धारा 6-क अन्तःस्थापित करता है, व्यापार के हित में यह उपबन्ध है कि इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा आयोग के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को किसी माल के विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया प्रकट करने के लिए बाध्य होना पड़े, तथापि समिति यह अनुभव करती है कि इस खण्ड के अन्तर्गत संरक्षण उन मामलों में लागू नहीं होना चाहिए जिनमें आयोग को व्यापक रूप से किसी माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के बारे में जांच करनी होती है। तदनुसार खण्ड में संशोधन कर दिया गया है।

19. **खण्ड 8**—नयी धारा 8-क की उपधारा (1), जिसे इस खण्ड द्वारा मूल अधिनियम में अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है, आयोग के अविरत कार्य करने के लिए उपबन्ध करता है। तथापि उस उप-धारा के परन्तुक में यह व्यवस्था है कि यदि समुचित सरकार आयोग को अधिसूचित करती है कि अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध होनी बन्द हो गई हैं तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग कार्य नहीं करेगा। समिति यह अनुभव करती है कि यह परन्तुक धारा 8-क द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का महत्व घटा देगा। तदनुसार यह परन्तुक छोड़ दिया गया है।

समिति यह भी अनुभव करती है कि आयोग को उस प्रत्येक व्यक्ति, जिसक प्रतिकूलतः प्रभावित होने की सम्भावना है, की बात को सुने जाने का उपयुक्त अवसर देगा तथा समुचित सरकार अथवा व्यक्तियों, जिन की प्रतिकूलतः प्रभावित होने की सम्भावना है, को साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का तथा आयोग के सामने अपने मामले की किसी वकील अथवा आयोग की मंजूरी से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पैरवी कराने का अधिकार होना चाहिए। समिति को पता है कि इन उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय जांच आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1960 के नियम 4 और 5 में पहले ही उपबन्ध है। तथापि समिति का यह विचार है कि इन प्रयोजनों के लिए मूल अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध किए जाने चाहिएं। इस खण्ड द्वारा मूल अधिनियम में अन्तःस्थापित किए जाने वाली प्रस्तावित धारा 8-ख तथा 8-ग इन मामलों के लिए उपबन्ध करती है।

20. **खण्ड 8**—समिति यह अनुभव करती है कि आयोग अथवा किसी सदस्य की बदनामी करने के हेतु प्रकल्पित कार्य के लिए निर्धारित शास्ति बहुत अधिक है। समिति का विचार है कि कारावास की शास्ति दो वर्ष से घटाकर छः मास की सादा कारावास कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, खण्ड में संशोधन कर दिया गया है। समिति ने इस आशय के उन संशोधनों, जिनकी सूचना सदस्यों ने दी थी, कि जांच आयोग को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक न्यायालय माना जाए, पर विचार किया तथा समिति का यह विचार था कि आयोग को विद्वेषपूर्ण अभिकथन से संरक्षण दिया जाए। अतः समिति सिफारिश करती है कि इस प्रयोजन के लिए सरकार को या तो मूल अधिनियम में अथवा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

21. **खण्ड 11**—समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के आधिक्य, जिसमें मूल अधिनियम का जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण करने के पक्ष में कहा गया है तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है यह सामान्यतः राष्ट्र तथा विशेषतः जम्मू और काश्मीर राज्य के हित में होगा कि मूल अधिनियम के उन उपबन्धों का विस्तार उस राज्य पर भी कर दिया जाए जिनका सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची, जो उस राज्य में लागू होती है, की सूची एक अथवा सूची तीन में दी गई प्रविष्टियों में दर्ज मामलों की जांच से है। खण्ड में इसके लिए उपबन्ध करने के लिए संशोधन कर दिया गया है।

समिति यह भी अनुभव करती है कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर मूल अधिनियम के विस्तारण के परिणाम-स्वरूप, अर्थात् मूल अधिनियम की धारा 1 और 2 में संशोधन और जम्मू और कश्मीर में लागू न किए गए कानून बनाने का उपबन्ध करने वाली नयी धारा का मूल अधिनियम में अन्तःस्थापन, इस खण्ड में भी आवश्यक संशोधन किए जाएं। उपरोक्त परिणामी संशोधनों की व्यवस्था करने के लिए खण्ड में संशोधन कर दिया गया है।

22. खण्ड 1 तथा अधिनियमित सूत्र—खण्ड 1 तथा अधिनियमन सूत्र में किए गए संशोधन औपचारिक ढंग के हैं।

23. अन्य संशोधन जो किए गए हैं, वे आनुसंगिक या प्रारूप सम्बन्धी संशोधन हैं।

24. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित कर दिया जाए।

नई दिल्ली;
8 नवम्बर, 1970
17 कार्तिक, 1892 (शक)

नरेन्द्र कुमार साल्वे,
सभापति,
संयुक्त समिति।

विमति टिप्पण

एक

संयुक्त समिति के समक्ष विधेयक में सुचारू रूप से संशोधन करना बहुत जटिल काम था। परन्तु कुल मिलाकर संयुक्त समिति ने अपनी सीमाओं के अन्दर जहां तक सम्भव था, सराहनीय कार्य किया है, तथापि मेरा विचार है कि समिति ने विधेयक में काफी हद तक सुधार किया है और मैं समिति की सिफारिशों से, जो प्रायः सर्वसम्मत हैं, पूर्णतः सहमत हूं।

किन्तु सरकार ने जिस असावधानी से यह विधेयक प्रस्तुत किया है उससे मैं यहां अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे प्रशासन में जांच आयोग का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है तथा हाल के वर्षों की अस्थिर राजनैतिक स्थिति के कारण इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच आयोग की गरिमा तथा निष्पक्षता को बनाए रखा जाए तथा जांच आयोग कार्यपालिका के किसी हस्तक्षेप के बिना अपने कार्य का निष्पादन कर सके। मेरा विचार है कि संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, हालांकि 1952 के इस अधिनियम में संशोधन 1970 में किया जा रहा है। यहां तक कि इस विषय पर विधि आयोग की सब सिफारिशों को स्वीकार भी नहीं किया गया।

मुझे यह समझ नहीं आता कि विधेयक सभा के समक्ष लाने से पूर्व यह बात सरकार के ध्यान में क्यों नहीं आई कि इस अधिनियम और विधेयक को जम्मू और काश्मीर राज्य पर विस्तारण हेतु इस विषय में राज्य सरकार की सहमति ली जाए। संयुक्त समिति को इस बात का कुछ श्रेय दिया जा सकता है कि समिति ने इस मामले में पहल की और यह एक शुभ लक्षण है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस बात के लिए तुरन्त सहमत हो गई तथा अब यह विधेयक पूरे नागालैण्ड तथा जम्मू और काश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा। एक बार आयोग का कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित खण्ड को हटा कर तथा एक नया प्रस्ताव लाकर भी, कि आयोग नियुक्त हो जाने के बाद आयोग को अपना प्रतिवेदन पूरा करना चाहिए तथा प्रस्तुत करना चाहिए; कार्यांग के लिए आयोग के कार्य में हस्तक्षेप करना अथवा आयोग के कार्य को बन्द करना बड़ा कठिन होगा। इस सिफारिश को पूरी तरह से कारगर बनाने के लिए सरकार को मूल अधिनियम की धारा 7 में अविलम्ब समुचित उपान्तर करना चाहिए ताकि इस मुख्य सिफारिश को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आने पाए। अभी भी केन्द्रीय तथा कुछ राज्यों के वर्तमान अधिनियमों में कुछ और कमियां भी हैं, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली ;
8 नवम्बर, 1970

सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

दो

विधेयक के समुचित महत्व, विधेयक के दोषों और कमियों को बताने वाले विधि आयोग के प्रतिवेदन की पृष्ठभूमि में, समिति ने विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के इतिहास पर पूरी तरह ध्यानपूर्वक विचार किया है। 1952 के पहले अधिनियम में मुख्यतः यह दोष अथवा कमियां थीं : (1) आयोग की नियुक्ति में देरी और कठिनाइयां; आयोग के कार्यचालन और समुचित सरकार या विधानमण्डल को प्रतिवेदन देने में विलम्ब; (2) आयोग का तथ्यों की जांच सम्बन्धी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए कानूनी व्यवस्था का अभाव; (3) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त आयोगों के काम में सहायता देने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच समन्वय का अभाव।

अधिनियम में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य जनता के संदेहों का निवारण करना और किन्हीं लोक महत्व के मामलों में जनता की उग्र भावनाओं का शमन करके जनता में विश्वास जागृत करना है। यह सर्वविदित ही है कि विधि आयोग के कई सुझावों और महत्वपूर्ण निष्कर्षों का विधेयक में समावेश नहीं किया गया है।

एक. मुख्य अधिनियम की धारा 2 में से 'जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय' जैसे आपत्तिजनक तथा वैधानिक दृष्टि से अतर्कसंगत शब्दों को हटाने की सिफारिश की गई है, परन्तु खण्ड 2 में इसके स्थान पर जो दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसका प्रारूप बनाया है वह वैधानिक रूप से तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ठीक नहीं है। संक्षेप में प्रारूप की भाषा से यह आभास होता है कि भारत, जम्मू और कश्मीर तथा कोहिमा जिला आदि अलग-अलग देश हैं और उनमें इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी प्रसंविदा या करारों द्वारा अधिनियमित किया गया है।

कानून का यह सुस्थापित मूलभूत सिद्धान्त है कि सार्वभौमिक नियमों का कोई अपवाद नहीं होता, परन्तु सामान्य कानून में अपवाद, दशा-भेद तथा उपान्तर हैं और हो सकते हैं। यह अधिनियम सामान्य

कानून की कोटि में आता है तथा जम्मू और काश्मीर राज्य में इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन तथा कोहिमा आदि में राज्यपाल के विशेष अधिकारों द्वारा लागू किया जा सकता था।

वास्तविक बातों को ध्यान में रखते हुए भी, अनुच्छेद 370 (सी०ओ० 1954) के अधीन राष्ट्रपति का आदेश 1954 में प्रवृत्त हुआ तथा दूसरे बहुत से संशोधन सम्बन्धी आदेश 17 दिसम्बर, 1969 तक पारित किए जा चुके हैं। यह बात विशेषतः सातवीं अनुसूची की सूची एक की 94वीं प्रविष्टि के सम्बन्ध में है तथा इसी प्रकार सूची तीन के समवर्ती क्षेत्राधिकार की 45वीं प्रविष्टि के सम्बन्ध में है।

अतः कुछ अपवादों सहित यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर में 1954 से लागू रहा है। इसीलिए इस अधिनियम (अर्थात् संशोधन अधिनियम) के लागू होने की तारीख से इस अधिनियम का जम्मू और काश्मीर में लागू होना भाषा का प्रयोग वैधानिक रूप से उचित नहीं है।

सूची—2 में सम्मिलित मामलों के सम्बन्ध में भी उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय ए० आई० आर० 1958 एस० सी० 538 महत्वपूर्ण है जिसमें यह कहा गया है कि जांच का क्षेत्र सूची (94) में उल्लिखित किन्हीं विशेष बातों या विशिष्ट मामलों तक ही सीमित नहीं अपितु आनुषंगिक मामले भी जांच के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

फिर ए० आई० आर० 1967 जे० के० 37 (42) के मामले जो अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं—उनके विरुद्ध जांच वैधानिक है। सूची-2 को लागू करने के सम्बन्ध में भी गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री, श्री मिर्धा ने एक वक्तव्य में समिति को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रपति से सम्पर्क स्थापित कर इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 372 के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर में लागू कराने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे, लेकिन प्रतिवेदन में इसका कहीं उल्लेख नहीं है।

इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए मैं केवल दो विशिष्ट मामलों का उल्लेख करूंगा :—

(एक) यदि जम्मू और काश्मीर सरकार आयोग नियुक्त करे तो उसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवायें तथा अभिकरणों से सहायता नहीं मिलेगी। (विशेष रूप से सूची–2 में उल्लिखित विषयों से संबंधित)।

(दो) यदि जांच के क्षेत्र का दो या दो से अधिक राज्यों पर विस्तारण किया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार को मूल अधिनियम की धारा 3(ख) के अनुसार मामले (अर्थात् आयोग की नियुक्ति पर कार्यवाही करनी चाहिये)। यदि आयोग किसी ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर जांच करना चाहता है जिसमें कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की भी रुचि है और अन्य राज्यों के साथ वह भी उसके अन्तर्ग्रस्त है तथा कुछ या पूरा मामला सूची-2 में है तो कानून के इस उपबन्ध को कैसे लागू किया जायेगा। क्या जम्मू तथा काश्मीर भारत का एक राज्य नहीं है। चिल्ला-चिल्ला कर यह कहा जाता है कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में, धारा 3(ख) के उपबन्धों को लागू नहीं किया जा सकेगा तथा भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पायेगी। यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है?

दो सरकारी सलिसिटर नियुक्त करने की सिफारिश नहीं है (विधि आयोग द्वारा अभिशंसित–बम्बई उच्च न्यायालय के विचार—रिकार्ड पर श्री पालकीवाला का साक्ष्य तथा साक्ष्य अभिलेखबद्ध)।

(तीन) आयोग के अनुरोध और सिफारिश पर समुचित मामलों में असेसर की नियुक्ति के संबंध में प्रतिवेदन में कोई सिफारिश नहीं की गई है। इस संबंध में सांविधिक व्यवस्था होनी चाहिये न कि, नियमों में गौण (सेकिन्ड ग्रेड) व्यवस्था।

(चार) परिणामी संशोधन तथा समिति के प्रतिवेदन में व्यस्त सशक्त विचारों के कारण मुख्य अधिनियम में से धारा 7 हटा दी जानी चाहिये।

(पांच) दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 19 के आदेश 16 में निहित किसी बात के बावजूद मुख्य अधिनियम की धारा 4 अन्त में इन शब्दों को "जहां तक साक्षी को समन करना है।" जोड़ना वैधानिक रूप से आवश्यक है।

(छः) खण्ड 6 के दुरुपयोग होने की सम्भावना है। इसलिये खण्ड के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ने का उपबन्ध करना चाहिये : "जहां आयोग आवश्यक, अनिवार्य तथा वैधानिक रूप से अनुमत्य और संगत समझता है, ऐसी आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।"

(सात) न्यायालय का अवमान करने के संबंध में प्रतिवेदन में जो उल्लेख है वह अस्पष्ट है, और इस कारण इस मामले के कार्यान्वयन में अधिक समय लग सकता है। न्यायालय अवमान अधिनियम में संशोधन करना, इसका कोई उपाय नहीं है तथा न ही यह वैधानिक

रूप से व्यवहार्य और तर्कसंगत है । निम्नलिखित को खण्ड 10(ख) के रूप में जोड़ने से प्रयोजन पूरा हो सकता है :—

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 35 के प्रयोजन के लिये जांच आयोग न्यायालय समझा जायेगा तथा अधिनियम की धारा 228 तथा 480 के प्रयोजन के लिये सीमित इसके समक्ष होने वाली कार्यवाही को न्यायिक माना जायेगा (1958–एस० सी० 538–नोट-गैर-न्यायिक आयोग) । आयोग के सदस्यों को न्यायालय में आने की छूट दी जाये तथा यह अपराधी यदि कोई हो, की अपील के प्रयोजन के लिये आयोग का स्थान होगा । यह नितांत आवश्यक है ।

(आठ) विधि आयोग प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये मूल अधिनियम की धारा 12 में निम्नलिखित मामलों पर नियम बनाने के लिये ठोस उपबन्ध होना चाहिये, अर्थात्

(क) मृत्यु, त्याग-पत्र, किसी विशिष्ट अवधि तक उपस्थित न होने के परिणामस्वरूप पदों को भरने की व्यवस्था संबंधी नियम;

(ख) समुचित सरकार द्वारा समय बढ़ाया जाना और संबंधित विधानमण्डल को तत्संबंधी सूचना;

(ग) यदि निश्चित पार्टियां हैं तो प्रतिवेदन को निर्णय मानना तथा सर्वसम्मत रूप से प्रारम्भ से ही लिखित रूप में सहमति देना कि आयोग का प्रतिवेदन निर्णय के रूप में स्वीकार किया जायेगा और प्रतिवेदन के बाद कोई भी आपत्ति केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर;

(घ) प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने तथा उसके कार्यान्वयन के लिये आवश्यक नियम आदि बनाने से पूर्व आयोग के गठन को पूरा करना दूसरी सहमति के दस्तावेज तथा अन्य सामग्री ।

मेरे विचार—मैंने पहले ही ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है और ये सभी प्रश्न उसमें हैं । मेरा विनम्र मत है कि रिपोर्ट की गलतियों अथवा विधेयकों में संशोधन करने से लक्ष्य शीघ्र प्राप्त नहीं हो पायेगा और उसमें कठिनाइयां हैं तथा अधिनियम का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा, इसलिये यह विमति टिप्पण में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

गजराज सिंह राव

नई दिल्ली :
8 नवम्बर, 1970

तीन

यद्यपि जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 में बहुत से सुधार किये गये हैं, किन्तु जब तक कि आयोग के निष्कर्ष को निर्णय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तथा सरकार के लिये उन पर कार्यवाही करना अनिवार्य नहीं किया जाता है तब तक इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा जिसकी जांच करने के लिये किसी आयोग का गठन किया जाता है । हमारा पिछला अनुभव यह है कि आयोगों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की उपेक्षा की जाती है और उनमें से कुछ पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में, भविष्य में कोई स्वाभिमानी न्यायाधीश या प्रतिष्ठित समाजसेवी जांच आयोग अधिनियम के अधीन जांच करने के उत्तरदायित्व को कभी स्वीकार नहीं करेगा और लोगों का इस प्रकार के आयोगों पर से विश्वास उठने लगा है । इसलिये यह उचित समय है कि जांच आयोग अधिनियम के अधीन निष्कर्ष को निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए ।

प्रताप केशरी देव

नई दिल्ली :
9 नवम्बर, 1970

चार

मैं संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित सभी सुझावों से पूर्णतः सहमत हूं । मैं इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्यों को हमारे सुयोग्य सभापति के निर्देशन में इस कठिन विधान पर किये गये उत्तम कार्य के लिये बधाई देता हूं । फिर भी, मैं समझता हूं कि "जांच आयोग अधिनियम, 1952" के प्रवर्तन से प्राप्त

पिछले 18 वर्षों का अनुभव स्पष्टतया यह बताता है कि दोषी व्यक्तियों को तब तक दण्ड नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उनके विरुद्ध उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते । लोक-सभा तथा राज्य सभा विधान सभाओं के अधिकतर संकल्पों में भी कभी-कभी केवल रोष ही प्रकट किया जाता है या उनसे इस बात का पता लगता है अधिकतर लोगों की भावना, बिना किसी निश्चित प्रमाण के, दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के पक्ष में है ।

दूसरी ओर यदि व्यथित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जो यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि वे अभिकथन को सिद्ध करने में समर्थ हैं और अभिकथन सिद्ध न कर सकने पर उनकी जमानत जब्त कर ली जायें तथा इसके साथ-साथ उन्हें मनगढ़न्त, निरर्थक, तंग करने वाले अथवा द्वेषपूर्ण दोषारोपणों के लिए कठोर दण्ड दिया जाये। सरकार से जांच आयोग नियुक्त करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार दिया जाता है और यदि सरकार के लिए इन परिस्थितियों में भी आयोग का गठन करना बाध्यकर होता है, तो तभी और केवल तभी इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति हो सकेगी । यदि संबंधित सरकार तथा आवेदक/आवेदकों के बीच में मतभेद हो तो इस बात को, कि क्या 'मामला लोक महत्व का' है, वादयोग्य मामला बनाया जा सकता है । चूंकि संशोधन विधेयक का खण्ड 2 अधिनियम की धारा 3 को इस समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाता है, अतः समिति "जांच आयोग अधिनियम, 1952" की धारा 3 में इस प्रकार का संशोधन करने के लिए सक्षम है ।

समिति के कुछ सदस्यों की यह आपत्ति कि यह संशोधन किसी व्यष्टि को विधानमण्डल के बहुमत के समान बना देगा, उचित नहीं है क्योंकि केवल 'व्यथित व्यष्टि' ही इस कानून को व्यवहृत करा सकता है । इस अधिनियमन का उद्देश्य लोक महत्व के मामलों में वास्तविक तथ्यों का पता लगाना है और उ व्यक्तियों को, जिनके पास अपेक्षित प्रमाण हैं, पहल करने की अनुमति देने से जांच प्रक्रिया की गति तेज हो जायेगी ।

इस आशंका का, कि प्राइवेट व्यक्तियों को ऐसा अधिकार दिये जाने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हैं कठोर दण्ड की व्यवस्था करने से निवारण किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यह अनुभव कि केरल में अब तक केवल एक जांच कार्य किया गया है, जिसमें गैर-सरकारी व्यष्टि को 500 रुपये की जमानत के साथ मुख्य सचिव के पास आवेदन करने की अनुमति दी जाती है और जिसमें द्वेषपूर्ण आवेदकों के विरुद्ध दण्ड की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जहां प्रमाण का दायित्व अभियोक्ता पर है न कि अभियुक्त पर, वहां कोई भी व्यक्ति सभी कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कर पायेगा ।

अतः अधिनियम की धारा 3 का संशोधन विधेयक के खण्ड 3 के संशोधन के द्वारा निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :—

(1) खण्ड 2, मूल अधिनियम की धारा 3 में 'राज्य की विधान सभा' शब्दों के पश्चात् **यह अन्तः स्थापित किया जाये :**

"अथवा यदि कोई व्यथित व्यष्टि 500 रुपये की जमानत के साथ उचित प्रमाण प्रस्तुत करने की योग्यता के शपथ-पत्र सहित सरकार से आवेदन करता है।"

(2) विधेयक का खंड 2 को खण्ड 2क के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाये।

(3) एक नया खण्ड 2ख, निरर्थक, तंग करने वाले अथवा द्वेषपूर्ण अभिकथन को लगाने के हेतु कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिए, समाविष्ट किया जाये ।

नी० श्रीकान्तन नायर

नई दिल्ली :
9 नवम्बर, 1970

1969 का विधेयक संख्या 97

[कमीशन आफ इंक्वायरी (अमेंडमेंट) बिल, 1969 का हिन्दी अनुवाद]

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969

(जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं लगी हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन उपदर्शित करते हैं; तारक चिह्न लोप उपदर्शित करते हैं]

जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम जांच आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहा जा सकेगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

1952 का 60

2. जांच आयोग अधिनियम, 1952 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में,—***

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"समुचित सरकार, लोक महत्व के किसी निश्चित मामले में जांच के और जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसे कृत्यों को और ऐसे समय के अन्दर करने के प्रयोजनार्थ, एक जांच आयोग यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक है तो नियुक्त कर सकती है और यदि इस निमित्त, यथास्थिति, लोक सभा द्वारा या उस राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किया गया है तो नियुक्त करेगी, और इस प्रकार नियुक्त आयोग तदनुसार जांच करेगा और कृत्य करेगा ;";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार*** किसी ऐसी रिक्ति को भर सकेगी जो आयोग के किसी सदस्य के पद में हुई हो (आयोग में चाहे एक सदस्य हो या एक से अधिक सदस्य हों) ।

* * *

(4) समुचित सरकार, यथास्थिति, लोक-सभा या, राज्य की विधान सभा के समक्ष, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट, उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित, रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से छह मास की कालावधि के अन्दर रखवाएगी ।"

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (क) में, "किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना" शब्दों के स्थान पर "भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में, "और कोई व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की जाए भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला

1960 का 45 । 25

देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा" शब्द और अंक अंत में अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 5क का अन्तःस्थापन । जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारियों और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की आयोग की शक्ति ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5क. (1) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण के संचालन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकता है :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार की सहमति से ; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, उन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की यथास्थिति, उस राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से ।

(2) जांच से संबंधित किसी मामले का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन,—

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसे हाजिर करा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है ;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकता है ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा कर सकता है ।

(3) धारा 6 उपबंध किसी अधिकारी या अभिकरण के समक्ष, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाए वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, उस आयोग को रिपोर्ट (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा ।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों की तथा उसमें निकाले गए निष्कर्षों की, यदि कोई हो, शुद्धता के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया या उसमें सहायता की) कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे।"।

नई धारा 6क का अन्तःस्थापन । माल के विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए व्यक्तियों का बाध्य न होना ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6क. उस दिशा के सिवाय जिसमें आयोग से किन्हीं मालों के विनिर्माण की प्रक्रिया की जांच करने की अभिव्यक्त अपेक्षा है, इस अधिनियम की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह आयोग के समक्ष साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उनके विनिर्माण की किसी गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए विवश करती है ।"।

धारा 8 का संशोधन । 7. मूल अधिनियम की धारा 8 में, "और वह किसी सदस्य की अस्थायी अनुपस्थिति या अपने सदस्यों में से किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेगा" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ।

नई धारा 8क का अन्तःस्थापन । आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में, परिवर्तन होने के कारण अन्वेषण में कोई विघ्न न होना ।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"8क. (1) जहां आयोग दो या अधिक सदस्यों से गठित हो वहां वह अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति या अपने सदस्यों में किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेगा :

* * * *

(2) जहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान आयोग के गठन में कोई परिवर्तन, किसी रिक्ति के भरे जाने या आयोग की सदस्य-संख्या बढ़ाए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से हो जाए वहां आयोग के लिए यह आवश्यक न होगा कि जांच नए सिरे से प्रारंभ करे और जांच उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर परिवर्तन हुआ ।

8ख. यदि जांच के किसी अनुक्रम में, आयोग,— **उन व्यक्तियों का सुना जाना जिनके प्रतिकूलतः प्रभावित होने की संभाव्यता है ।**

(क) किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है तो;

आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुने जाने और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है ।

8ग. समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से, कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग ने अभिलिखित किया है,— **प्रतिपरीक्षा और विधि-व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार ।**

(क) उसके द्वारा पेश किए गए किसी साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकता है ;

(ख) आयोग को संबोधित कर सकता है ; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है ।" ।

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— **नई धारा 10क का अन्तःस्थापन ।**

"10क. (1) यदि कोई व्यक्ति या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित हो तो वह सादे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा । **आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिये शास्ति ।**

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 198ख के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन अपराध के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त धारा 198ख की धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में लागू होते हैं ; किन्तु यह इस उपान्तर के अध्यधीन है कि ऐसे अपराध की बाबत कोई परिवाद लोक अभियोजक द्वारा निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग या ऐसे आयोग के सदस्य की दशा में केन्द्रीय सरकार ; अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग या ऐसे आयोग के सदस्य की दशा में राज्य सरकार ।" ।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— **धारा 12 का संशोधन ।**

"(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

1952 के अधिनियम 60 का जम्मू और कश्मीर राज्य को विस्तार, नागालैण्ड राज्य में कोहिमा और मोककसंग जिलों पर उसका लागू होना और उस अधिनियम में पारिणामिक संशोधन।

11. इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम,—

(क) का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य में होगा और वह वहां प्रवृत्त होगा जहां तक उस राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित किसी मामले के बारे में जांच से संबंधित है ;

(ख) नागालैण्ड राज्य में कोहिमा और मोककसंग जिलों को लागू होगा और वहां प्रवृत्त होगा ;

और तदनुसार मूल अधिनियम में,—

(i) धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्द छोड़ दिये जाएंगे ;

(ii) धारा 2 के, खंड क में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा ; अर्थात्:—

"परन्तु जम्मू और काश्मीर राज्य के संबंध में यह खण्ड निम्नलिखित उपान्तर के अधीन प्रभावी होगा —

(क) उसके उपखण्ड (1) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची 1 या सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जम्मू और कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उसके उपखण्ड (2) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जम्मू और कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।" ;

(iii) धारा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी :—

जम्मू और कश्मीर राज्य में जो प्रवृत्त नहीं है उन विधियों के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन।

"2क. इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के प्रति निर्देश का जो जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, उस राज्य के संबंध में, उस राज्य में लागू तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।"।

परिशिष्ट--एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

लोक सभा में विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् :—

1. श्री नि० चं० चटर्जी
2. श्री यशवंत राव चव्हाण
3. श्री हिज हाइनेस महाराज प्रताप केशरी देब
4. श्री सी० टी० दंडपाणि
5. श्री सुरेन्द्र नाथ दिवेदी
6. श्री हेम राज
7. श्री वें० न० जाधव
8. श्री भोगेन्द्र झा
9. श्री नी० श्रीकान्तन नायर
10. श्रीमती सुचेता कृपलानी
11. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
12. श्री बलराज मधोक
13. श्री धुलेश्वर मीना
14. श्री पी० राममूर्ति
15. श्री एस० एस० सईद
16. श्री गजराज सिंह राव
17. श्री भोला राउत
18. श्री रवि राय
19. श्री दशरथ राम रेड्डी
20. श्री विश्वनाथ राय
21. डा० शिशिर कुमार साह
22. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
23. श्री शान्ति लाल शाह
24. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह
25. श्री विश्व नारायण शास्त्री
26. श्री एस० एम० सिद्दया
27. श्री सन्त बखश सिंह
28. श्री श्रद्धाकर सूपकार
29. श्री प्र० रं० ठाकुर
30. श्री विद्याचरण शुक्ल,

और राज्य सभा के 15 सदस्य

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी :—

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक एक प्रतिवेदन देगी :

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

परिशिष्ट—दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा द्वारा अपनी 24 दिसम्बर, 1969 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा जांच आयोग अधिनियम, 1952 संशोधन करने के लिए बनायी गई विधेयक सम्बंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें :—

1. श्री फूल सिंह
2. श्री गुलाम नबी उन्टू
3. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
4. श्री त्रिबंक गोपाल देशमुख
5. श्री कोटा पुन्नैया
6. श्री शील भद्र याजी
7. श्री मलुप्पा लिंगप्पा कोल्लूर
8. कुमारी शान्ता वशिष्ठ
9. श्री बी० टी० केम्पराज
10. श्री चन्द्रमौलि जगरलामूडी
11. श्री रु नारायण झा
12. श्री को० प० सुब्रह्मण्यम मेनोन
13. श्री बाल चन्द्र मेनन
14. श्री जयन्त श्रीधर तिलक
15. श्री प्रणब कुमार मुकर्जी

और यह सदन लोक-सभा को सिफारिश करता है कि संयुक्त समिति को वर्षाकालीन सत्र, 1970 के पहले सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दे ।"

परिशिष्ट–तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 7)

उन संस्थाओं/व्यष्टियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन/विचार प्राप्त हुए हैं

1. महाधिवक्ता, पंजाब ।
2. गोवा, दमन और दीव सरकार ।
3. पंजाब सरकार ।
4. असम और नागालैण्ड , उच्च न्यायालय, गौहाटी ।
5. बम्बई उच्च न्यायालय ।
6. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।
7. उड़ीसा उच्च न्यायालय ।कटक के माननीय न्यायमूर्ति एस० के० रे०, बी० के० पाल तथा आर० एन० मिश्र ।
8. जम्मू तथा काश्मीर उच्च न्यायालय।
9. दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
10. केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
11. बार लाइब्रेरी क्लब, कलकत्ता।
12. भारत की विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली।
13. बिहार राज्य की विधिज्ञ परिषद्, पटना।
14. चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़।
15. महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश।
16. पटना स्थित उच्च न्यायालय।
17. मैसूर सरकार।
18. गुजरात सरकार।
19. श्री श्रीचन्द गोयल, संसद् सदस्य।
20. मध्य प्रदेश की राज्य विधिज्ञ परिषद्।
21. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति एस० के० वर्मा, डी० एस० माथुर तथा बी० एन० लोकुर।
22. महाधिवक्ता, मैसूर।
23. टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।
24. जम्मू तथा काश्मीर सरकार।

परिशिष्ट–चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 8)

उन व्यक्तियों आदि की सूची जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया

क्रम संख्या	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य लिये जाने की तारीख
1.	श्री चन्द गोयल, संसद् सदस्य	20.8.1970
		1.9.1970
2.	श्री जी० गोपी नाथन नायर, संसद् सदस्य	28.9.1970
3.	श्री एन० ए० पालकीवाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय	29.9.1970
4.	जम्मू तथा काश्मीर सरकार का प्रतिनिधि	21.10.1970

प्रवक्ता

1. श्री एम० कौल, राजस्व मंत्री ।।
2. श्री पी० के० दवे, मुख्य सचिव, जम्मू तथा काश्मीर सरकार।

परिशिष्ट--पांच

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों की कार्यवाही के सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार 1 मई, 1970, 15.00 बजे से 15.45 तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री नि० चं० चटर्जी
3. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देब
4. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
5. श्री हेमराज
6. श्री बलराज मधोक
7. श्री धुलेश्वर मीना
8. श्री एस० एस० सईद
9. श्री गजराज सिंह राव
10. श्री भोला राउत
11. श्री रवि राय
12. श्री विश्वनाथ राय
13. श्री विश्वनारायण शास्त्री
14. श्री श्रद्धाकर सूपकार
15. श्री प्र० ई० ठाकुर
16. श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य सभा

17. श्री फूल सिंह
18. श्री गुलाम नबी उन्टू
19. श्री त्रिंबक गोपाल देशमुख
20. कुमारी शांता वशिष्ठ
21. श्री बी० टी० केम्पराज
22. श्री चन्द्र मौलि जगरलामुडी
23. श्री रुद्र नारायण झा
24. श्री जयन्त श्रीधर तिलक
25. श्री प्रणब कुमार मुकर्जी ।

विधायी परामर्शदाता

श्री हरिहर अय्यर--अतिरिक्त विधायी सलाहकार, विधि मंत्रालय

गृह कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री बी० शुक्ल--गृह-कार्य मंत्रालय के उप-सचिव

सचिवालय

श्री एस० पी० गुप्त--अनुभाग अधिकारी ।

2. सभापति ने आरंभ में संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत और समिति के कार्य तथा उसके लिये प्रस्तावित उपायों का उल्लेख किया और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969 सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने के समय अध्यक्ष द्वारा 27 अप्रैल, 1970 को सभा में व्यक्त इस विचार की ओर समिति का ध्यान दिलाया कि उन्हें आशा है कि समितियां अपने प्रतिवेदनों को पूरा करने में कम समय लगायेंगी।

3. तत्पश्चात् समिति ने इस बात पर विचार किया कि क्या विधेयक पर साक्ष्य लिया जाये अथवा नहीं। कुछ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्धों के सम्बन्ध में राज्यों

संघराज्य क्षेत्रों की सरकारों, लोक निकायों, वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों, संगठनों, संस्थाओं, श्रमिक संघों, विधिज्ञ परिषदों, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के विधिज्ञ संस्थाओं तथा व्यष्टियों से 30 जून, 1970 तक ज्ञापन मंगवाने के लिये प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये । उसके बाद समिति ने प्रेस विज्ञप्ति (अनुबन्ध-एक) अनुमोदन किया ।

4. समिति ने यह भी निर्णय किया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, भारत के महान्यायवादी, सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों तथा विधिज्ञ परिषदों आदि को एक परिपत्र भेजा जाये जिसमें कि उनसे कहा जाये कि यदि वे चाहें तो विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में समिति के विचारार्थ अपनी टिप्पणियां भेज दें और वे अधिक से अधिक 30 जून, 1970 तक सचिव, लोक सभा सचिवालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को मिल जाने चाहिए । तत्पश्चात् समिति ने परिपत्र (अनुबन्ध-दो) का अनुमोदन किया ।

5. समिति ने सभापति को, प्राधिकृत किया कि वह पार्टियों से लिखित ज्ञापन प्राप्त हो जाने के पश्चात् मौखिक साक्ष्य के लिये पार्टियों का चयन करें तथा प्रत्येक मामले में समय और तारीख निर्धारित करें ।

6. तत्पश्चात् समिति ने ज्ञापनों पर विचार करने तथा मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये नई दिल्ली में सोमवार, 6 जुलाई, मंगलवार, 7 जुलाई, 1970 को 10 बजे बैठक करने का निर्णय किया ।

7. इसके बाद समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबन्ध–एक

लोक सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक 1969 सम्बन्धी समिति ने आज श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे, संसद् सदस्य के सभापतित्व में हुई पहली बैठक में यह निर्णय किया कि समिति के विचारार्थ विधेयक पर ज्ञापन प्रस्तुत करने की इच्छुक राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, लोक निकाय, वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संगठन संस्थायें, श्रमिक संघ, विधिज्ञ परिषद्, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय विधिज्ञ संस्थायें तथा व्यष्टि अपने ज्ञापन की 60 प्रतियां भेज दें और वे ज्ञापन सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली को 30 जून, 1970 को या इससे पहले मिल जाने चाहिये । ये ज्ञापन जो समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं, समिति के रिकार्ड में रहेंगे और उन्हें पूर्णतः गोपनीय समझा जाना चाहिए और उन्हें किसी को भी नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना समिति के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करना होगा ।

जो लोग ज्ञापन भेजने के साथ-साथ समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों उनसे निवेदन है कि वे समिति के विचारार्थ इस आशय की सूचना लोक सभा सचिवालय को दें ।

लोक सभा में पुरः स्थापित किये गये रूप में जांच आयोग (संशोधन) विधेयक 1969, भारत के असाधारण राज पत्र भाग दो, खण्ड दो में—21 नवम्बर, 1969 को प्रकाशित किया गया था ।

मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये समिति की बैठक 6 और 7 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में होंगी ।

नई दिल्ली;

दिनांक 1 मई, 1970 — **1 मई, 1970**

संख्या 16/1/सी-11/70 — **11 बैशाख, 1892 (शक)**

समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, नई दिल्ली को प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

यह अनुरोध है कि इसे बराबर तीन दिन तक आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जाये।

एस० पी० गुप्त,
कृते उप-सचिव ।

अनुबन्ध–दो

लोक सभा सचिवालय

संसद् भवन,
नई दिल्ली ।

संख्या 16/1/सी०-11/70 — 1 मई, 1970/11 वैशाख, 1892 (शक)

प्रेषक

श्री मेहर चन्द चावला
उप-सचिव

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत का महान्यायवादी, नई दिल्ली।

3. सभी राज्यों के महाधिवक्ता।

4. उच्चतम न्यायालय/सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार ।

5. भारत की विधिज्ञ परिषद्/उच्चतम न्यायालय की विधिज्ञ परिषद्/सभी राज्यों की विधिज्ञ परिषद्/सभी उच्च न्यायालयों की विधिज्ञ परिषदों के सचिव।

6. भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली/भारतीय लोक-प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन-संस्थान, नई दिल्ली/इण्डियन सोसाइटी आफ इन्टरनेशनल ला, नई दिल्ली—इन कारपोरेटेड ला सोसाइटी, कलकत्ता/इण्टरनेशनल कमीशन आफ ज्यूरिस्ट, नई दिल्ली/बार लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय, कलकत्ता के सचिव ।

विषय :—जांच-आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 सम्बन्धी संयुक्त समिति।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 सम्बन्धी समिति ने 1 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा सभी विधिज्ञ परिषदों/विधिज्ञ संस्थाओं आदि से कहा जाये कि यदि वे जांच आयोग, विधेयक 1969 के उपबन्धों पर समिति के विचारार्थ अपनी टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के इच्छुक हों तो उन्हें भेज दें और वे **अधिक से अधिक** 30 जुन, 1970 तक सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद् भवन, नई दिल्ली को मिल जाने चाहिए ।

2. समिति ने यह भी निर्णय किया कि यदि वे इच्छुक हों तो समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी दे सकते हैं ।

3. मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये समिति की बैठकें 6 और 7 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में होंगी ।

4. लोक सभा में पुरःस्थापित किये गये रूप में जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969, भारत असाधारण राजपत्र भाग-दो, खण्ड दो में 21 नवम्बर, 1969 को प्रकाशित किया गया था । तत्काल हवाले के लिये विधेयक की एक प्रति इस पत्र के साथ-साथ भेजी जा रही है।

5. यदि कोई टिप्पणियां या सुझाव दिये जायें तो यह अनुरोध है कि उनकी 70 प्रतियां संयुक्त समिति के सदस्यों को देने के लिये इस सचिवालय को भेजी जायें ।

भवदीय

एस० पी० गुप्त,
कृते उप-सचिव ।

संलग्न—एक

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 6 जुलाई, 1970 को 10.00 बजे से 12.15 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री दत्तात्रेय कुन्टे—पीठासीन

सदस्य

लोक सभा

2. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
3. श्री सूरेन्द्र नाथ द्विवेदी
4. श्री हेम राज
5. श्री वें० न० जाधव
6. श्री भोगेन्द्र झा
7. श्रीमती सुचेता कृपालानी
8. श्री बल राज मधोक
9. श्री घुलेश्वर मीना
10. श्री एस० एस० सईद

11. श्री गजराज सिंह राव
12. श्री भोला राउत
13. श्री रवि राय
14. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी
15. श्री शान्ति लाल शाह
16. श्री विश्वनारायण शास्त्री
17. श्री एस० एम० सिद्दया
18. श्री संत बक्श सिंह
19. श्री प्र० रं० ठाकुर
19a. श्री श्रद्धाकर सूपकार

राज्य सभा

20. श्री फूल सिंह
21. श्री गुलाब नबी उन्टू
22. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
23. श्री शील भद्र याजी
24. श्री मलप्पा लिंगप्पा कोल्लूर
25. कुमारी शान्ता वशिष्ठ
26. श्री वी० टी० केम्पराज
27. श्री रुद्र नारायण झा
28. श्री को० प० सुब्रह्मण्य मेनेन
29. श्री जयन्त श्रीधर तिलक
30. श्री प्रणब कुमार मुकर्जी

विधायी परामर्शदाता

श्री हरिहर अय्यर—अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
2. श्री एम० एन० वलवेकर, उप-सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. आरम्भ में (समिति के सचिव ने) समिति को सूचित किया कि समिति के सभापति श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे को संयुक्त राष्ट्र के किसी कार्य से विदेश जाना पड़ा है इसलिये वह सभा की इस बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258 के उपनियम (3) के अन्तर्गत इस बैठक के लिए किसी अन्य सदस्य को सभापति चुन लिया जाये ।

3. उपरोक्त नियम 258(3) के अन्तर्गत इस बैठक के लिए श्री दत्तात्रेय कुन्टे को सभापति चुना गया ।

4. सभापति ने गृह-कार्य मंत्रालय में नये राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा को अपने नये पद का भार संभालने पर बधाई दी और उपरोक्त नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार उन्हें समिति को संबोधित करने की अनुमति दी ।

5. सभापति द्वारा पूछे जाने पर, सचिव ने समिति को उसकी पहली बैठक के पश्चात् विभिन्न राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, राज्यों के महाधिवक्ताओं से, जिन्हें 1 मई, 1970 को इस विषय में परिपत्र भेजा गया था, ज्ञापनों की प्राप्ति के बारे में जिन में प्रस्तावित विधान के उपबन्धों पर उनकी टिप्पणियां आनी थीं, हुई प्रगति से अवगत कराया ।

सचिव ने बताया कि लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजे गये परिपत्र के उत्तर में निम्न राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों/निकायों/व्यक्तियों ने अपने विचार/सुझाव भेजे हैं, जिन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है :—

(1) महाधिवक्ता, पंजाब ।
(2) आसाम और नागालैण्ड उच्च न्यायालय ।
(3) उच्च न्यायालय, बम्बई ।

(4) जम्मू तथा काश्मीर, श्रीनगर का उच्च न्यायालय।
(5) उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सर्वश्री आर० एन० मिश्र, बी० के० पात्र और एस० के० रे।
(6) पंजाब सरकार।
(7) केरल सरकार।
(8) गोवा, दमन तथा दीव सरकार।
(9) दिल्ली प्रशासन।
(10) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

सचिव ने आगे बताया कि निम्नलिखित संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों: उच्च न्यायालों ने सूचित किया है कि उन्हें विधेयक के उपबन्धों पर कोई टिप्पणी नहीं देनी है:—

(1) दादर तथा नगर हवेली सरकार।
(2) त्रिपुरा सरकार।
(3) लक्कादीव, मिनीकाय तथा अमिनदिवी द्वीपसमूह सरकार।
(4) दिल्ली उच्च न्यायालय।
(5) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय।

मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध, सचिव ने यह बताया कि किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध नहीं किया गया।

6. समिति चाहती है कि उन सभी राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों आदि को, जिन्होंने उन्हें भेजे गए परिपत्रों का कोई भी उत्तर नहीं दिया है, अनुस्मारक भेजा जाये और उन्हें 21 जुलाई, 1970 तक प्रस्तावित विधान के उपबन्धों पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए अनुरोध किया जाये।

7. इसके बाद समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा की।

8. कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 को भारत का अविभाज्य अंग होने के कारण जम्मू-काश्मीर राज्य पर भी लागू किया जाना चाहिए। गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने यह बताया कि इस संबंध में कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं। सभापति ने सुझाव दिया कि मंत्री महोदय, इस विषय के संवैधानिक पहलू पर एक टिप्पण तैयार करें और इसे समिति को प्रस्तुत करें।

9. शब्दशः कार्यवाही वृतांत रखा गया।

10. समिति ने यह निर्णय किया कि गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री आज की बैठक में हुई सामान्य चर्चा का कल की बैठक में उत्तर देंगे। समिति ने गृह-कार्य मंत्री को तब तक प्राप्त विभिन्न ज्ञापनों पर अपने मंत्रालय के विचार प्रस्तुत करने को भी कहा।

11. इसके बाद समिति मंगलवार, 7 जुलाई, 1970 को 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 7 जुलाई, 1970 को 11.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री दत्तात्रेय कुन्टे—पीठासीन

सदस्य

लोक सभा

2. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
3. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी
4. श्री हेम राज
5. श्री वें० न० जाधव
6. श्री भोगेन्द्र झा
7. श्रीमती सुचेता कृपालानी
8. श्री बलराज मधोक
9. श्री एस० एस० सईद
10. श्री गजराज सिंह राव
11. श्री भोला राउत
12. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी

13. श्री शांति लाल शाह
14. श्री विश्वनारायण शास्त्री
15. श्री एस० एम० सिद्दया
16. श्री संत बक्श सिंह
17. श्री प्र० रं० ठाकुर

राज्य सभा

18. श्री फूल सिंह
19. श्री गुलाम नबी उन्टू
20. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
21. श्री त्रिबक गोपाल देशमुख
22. श्री शीलभद्र याजी
23. श्री मलप्पा लिंगप्पा कोल्लूर
24. कुमारी शांता वशिष्ठ
25. श्री बी० टी० केम्पराज
26. श्री रुद्र नारायण झा
27. श्री को० प० सुब्रह्मण्य मेनेन
28. श्री जयन्त श्रीधर तिलक
29. श्री प्रणब कुमार मुकर्जी
30. श्री राम निवास मिर्धा (सभापति की अनुमति से)

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर—अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एम० एन० वलवेकर—उप-सचिव, गृहकार्य मंत्रालय

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 258 के उपनियम (3) के अन्तर्गत संसद् सदस्य श्री दत्तात्रेय कुन्टे को इस बैठक का सभापति चुना गया।

3. गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने विधेयक के उपबन्धों पर कल हुई सामान्य चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों, विशेषकर जांच आयोग अधिनियम 1952 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक वक्तव्य दिया।

यह प्रश्न उठाये जाने पर कि समिति को तब तक विधेयक पर आगे विचार नहीं करना चाहिए जब तक जम्मु-काश्मीर राज्य में इस विधेयक को लागू करने के बारे में निर्णय नहीं कर लिया जाता, सभापति ने विनिर्णय दिया कि समिति विधेयक पर आगे विचार कर सकती है और यदि सदस्य चाहें तो इस विधेयक पर संशोधनों की सूचना दे सकते हैं जिनमें विधेयक को जम्मु-काश्मीर राज्य में भी लागू किये जाने के सुझाव दिये जा सकते हैं।

तथापि समिति यह चाहती है कि उसके द्वारा अधिनियम को जम्मु-काश्मीर राज्य में लागू करने पर हुये विचार-विमर्श को दृष्टि में रखते हुये मंत्री महोदय सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत करें।

4. इसके बाद मंत्री महोदय ने सामान्य चर्चा के दौरान उठाये गये अन्य प्रश्नों अर्थात् (एक) एक जांच आयोग की नियुक्ति और गठन (दो) आयोग की शक्तियां (तीन) आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया आदि के बारे में स्पष्टीकरण दिया।

5. समिति ने यह निर्णय किया कि विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिये बहुत पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कम समय होने और सभा के कार्यों में व्यस्त होने से समिति के लिए अगले सत्र के दौरान कोई बैठक कर पाना संभव न होने के कारण समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कुछ और समय बढ़ाने के लिये कहना होगा। कुछ विचार-विमर्श के बाद समिति ने नवम्बर-दिसम्बर 1970 वाले सत्र के पहले दिन तक इस अवधि को बढ़ाने के लिए अनुरोध करने का निर्णय किया। समिति ने सभापति श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे को और उनकी अनुपस्थिति में संसद् सदस्य श्री दत्तात्रेय कुन्टे को अगले सत्र के पहले दिन सदन में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखने के लिये प्राधिकृत किया।

सभापति ने घोषणा की कि सदस्य इस बीच 21 जुलाई, 1970 तक अपने संशोधनों की यदि कोई हैं, सूचना दे दें।

6. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

7. इसके बाद समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबन्ध

संयुक्त समिति की बैठक में गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री राम निवास मिर्धा द्वारा दिया गया वक्तव्य

जम्मू और कश्मीर राज्य पर मूल अधिनियम का विस्तार

जांच आयोग अधिनियम, 1952 का विस्तार जम्मू और काश्मीर राज्य के सिवाय [धारा 1 (2) द्वारा] सम्पूर्ण भारत पर है। जांच आयोग अधिनियम, 1952 की विषय वस्तु का सम्बन्ध संविधान की निम्नलिखित प्रविष्टियों से है अर्थात् :—

सूची 1 में प्रविष्टि 94

"इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के सांख्यकी।"

सूची 3 में प्रविष्टि 45,—

"सूची (2) या सूची (3) में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और सांख्यकी।"

सूची (एक) में प्रविष्टि 94 जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू होती है तथा सूची (3) में प्रविष्टि 45 उस राज्य पर कुछ रूपभेद के साथ लागू होती है। प्रविष्टि 45 जिस रूप में जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू होती है, निम्नलिखित है :—

"इस सूची में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और सांख्यकी।"

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सूची 1 में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए तथा सूची (3) में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच करने के विषय में जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये कानून बनाने के लिये संसद् को विधायी क्षमता प्राप्त है। सूची 2 में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच के विषय में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिये कानून बनाने के लिये संसद् को विधायी क्षमता प्राप्त नहीं है। मूल अधिनियम के जम्मू और काश्मीर राज्य पर विस्तार किये जाने में कोई कानूनी आपत्ति नहीं है यदि संविधान के अनुच्छेद 370 में दी हुई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन राष्ट्रपति को समवर्ती सूची में से किसी विषय को जम्मू और काश्मीर राज्य की सहमति से उस राज्य पर लागू करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश, 1954 जिसमें संविधान के उपबन्धों के, कुछ रूपभेद के साथ, लागू किये जाने का उपबन्ध किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से जारी किया गया था। यदि आशय यह है कि सूची 1, 2 और 3 के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच के सम्बन्ध में मूल अधिनियम के उपबन्धों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया जाये तो प्रविष्टि 45 (जिस रूप में यह जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय किसी भी राज्य पर लागू है) को उपरोक्त 1954 के आदेश में उपयुक्त संशोधन करके उस राज्य पर लागू करना होगा। यह संशोधन केवल राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि आशय यह है कि सूची 1 और सूची 3 में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच के सम्बन्ध में मूल अधिनियम के उपबन्ध लागू किये जायें तो उपरोक्त 1954 के आदेश में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। यदि मूल अधिनियम की धारा 1 (2) में इस उद्देश्य से उपयुक्त संशोधन कर दिया जाये तो पर्याप्त होगा।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 20 अगस्त, 1970 को 16.00 से 17.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति]

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वी० एन० जाधव
3. श्री भोगेन्द्र झा

4. श्री श्रीकान्तन नायर
5. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
6. श्री बलराज मधोक
7. श्री धुलेश्वर मीना
8. श्री एस० एस० साईद
9. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी
10. श्री विश्व नारायण शास्त्री
11. श्री पी० आर० ठाकुर

राज्य सभा

12. श्री फूल सिंह
13. श्री गुलाम नबी उन्टू
14. श्री कोत्ता पुनैया
15. श्री बी० टी० केम्पराज
16. श्री रुद्र नारायण झा
17. श्री बालचन्द्र मेनन
18. श्री जयंत श्रीधर तिलक

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर—अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जे० ऐम० लालवानी, संयुक्त सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय
2. श्री एन० सी० सरीन, उप सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय

सचिवालय

श्री.एम० सी० चावला—उप-सचिव

2. सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा को संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने की अनुमति दे दी।

3. सभापति द्वारा श्री श्रीचन्द गोयल संसद् सदस्य का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाये जाने के बाद उसने विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में साक्ष्य देना आरम्भ किया।

(16.00 बजे से 16.50 बजे तक)

क्योंकि श्री गोयल को सदन में 5 बजे सांय अल्पकालिक चर्चा उठानी थी इसलिये वे अपना साक्ष्य पूरा नहीं कर सके और उन्होंने समिति से अनुरोध किया कि उन्हें चालू सत्र में किसी दिन इसे समाप्त करने हेतु एक और अवसर मिलना चाहिये। अतः समिति ने इस उद्देश्य से 26 तारीख को 4 बजे सांय बैठने का निश्चय किया।

4. सभापति ने समिति को बताया कि समिति की पिछली बैठक के बाद केवल स्टेट बार कौंसिल, मध्य प्रदेश, जबलपुर के सचिव से ही साक्ष्य देने के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ था। समिति ने चालू सत्र में, और इस प्रयोजनार्थ 1 सितम्बर, 1970 को 4 बजे सांय का समय निश्चित किया।

5. तब समिति ने 28, 29, 30 सितम्बर, 1970 को बैठने का निश्चय किया। 28 तारीख को समिति शायद केरला से एक साक्षी का साक्ष्य सुने और उसके पश्चात् 29 और 30 सितम्बर, 1970 को विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करे।

6. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

7. सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे विधेयक के अपने संशोधन, यदि कोई हैं तो, 12 सितम्बर, 1970 तक भेजें।

8. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित ई।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक, मंगलवार, 1 सितम्बर, 1970 को 3.30 से 4.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. हिज हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
3. श्री वी० एन० जाधव
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री श्रीकान्तन नायर
6. श्रीमती सुचेता कृपलानी
7. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
8. श्री बलराज मधोक
9. श्री धुलेश्वर मीना
10. श्री एस० एस० सईद
11. श्री भोला राउत
12. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी
13. श्री सुन्दर लाल
14. श्री सिद्या
15. श्री श्रद्धाकर सूपकार
16. श्री प्र० रं० ठाकुर

राज्य सभा

17. श्री फूल सिंह
18. श्री राम निवास मिर्धा
19. श्री बालचन्द्र मेनन

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर—अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव
2. श्री बी० शुक्ल, उप सचिव

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला—उप सचिव

2. समिति ने श्री श्रीचन्द गोयल, संसद् सदस्य के विधेयक उपबन्धों के सम्बन्ध में साक्ष्य की आगे सुनवाई शुरू की। साक्ष्य की सुनवाई 4.40 बजे म० प० तक होती रही।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. सभापति ने समिति को बताया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री एन० ए० पालकीवाला से अनुरोध किया गया था कि वह समिति के सामने मौखिक साक्ष्य दें। उन्हें आज भी तार द्वारा एक स्मरण पत्र भेजा जा रहा है।

5. समिति ने निश्चय किया कि यदि श्री एन० ए० पालकीवाला समिति के सामने प्रस्तुत होने को सहमत हों तो समिति 19 सितम्बर, 1970 को बैठेगी अन्यथा समिति अपनी पिछली बैठक में किये गये निश्चय के अनुसार 28, 29 सितम्बर को 10 बजे प्रातः तथा 30 सितम्बर को 3 बजे सायं बैठेगी।

6. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 28 सितम्बर, 1970 को 10.00 से 11.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री नि० चं० चटर्जी
3. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
4. श्री हेम राज
5. श्री बी० एन० जाधव
6. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
7. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
8. श्री बलराज मधोक
9. श्री धुलेश्वर मीना
10. श्री पी० राममूर्ति
11. श्री एस० एस० सईद
12. श्री गजराज सिंह राव
13. श्री रवि राय
14. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी
15. श्री सुन्दर लाल
16. डा० शिशिर कुमार साहा
17. श्री विश्वनारायण शास्त्री
18. श्री एस० एम० सिद्दय्या
19. श्री संत बख्श सिंह
20. श्री श्रद्धाकर सूपकार
21. श्री प्र० रं० ठाकुर

राज्य सभा

22. श्री गुलाम नबी उन्टू
23. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
24. श्री राम निवास मिर्धा
25. श्री एम० एल० कोलूर
26. कुमारी शान्ता वशिष्ट
27. श्री बी० टी० केम्पराज
28. श्री रुद्र नारायण झा
29. श्री जे० एस० तिलक
30. श्री प्रणव कुमार मुकर्जी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव
2. श्री बी० शुक्ल, उप सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव

2. प्रारम्भ में सभापति ने समिति के सदस्य श्री फूल सिंह के 27 सितम्बर, 1970 को देहरादून में हुए निधन के बारे में समिति को सूचित किया । इसके पश्चात समिति ने निम्नलिखित शोक-प्रस्ताव पास किया :—

"समिति 27 सितम्बर, 1970 को अपने माननीय सहयोगी श्री फूल सिंह, सदस्य, राज्य सभा, के निधन पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है तथा प्रियविहीन परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजती है ।"

सदस्य, दिवंगत आत्मा की स्मृति और सम्मान में कुछ मिनटों तक मौन खड़े रहे ।

3. सभापति ने सुझाव दिया कि, चूंकि, सरकार, समिति के इन विचारों से सहमत हो गई है कि मूल अधिनियम का विस्तार जम्मू तथा कश्मीर पर भी किया जाय इसलिये, राज्य सरकार हाई कोर्ट बार एसोसियेशन तथा ऐसे अन्य निकायों जो साक्ष्य देना चाहें, के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनने के लिए समिति की बैठक एक या दो दिन के लिये श्रीनगर में होनी चाहिये, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समिति की बैठक श्रीनगर में 17 अक्तूबर, 1970 को होनी चाहिये, क्योंकि अक्तूबर, 1970 के अन्त में दरबार जम्मू में चला जायेगा, इसलिये यही बहुत उपयुक्त समय होगा । कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि उन्हें संसद् को अपना प्रतिवेदन निश्चित तिथि तक अर्थात, अगले सत्र के पहले दिन तक देने का प्रयत्न करना चाहिए और यदि वे श्रीनगर में एक या दो दिन की लगातार बैठकों के पश्चात् भी विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने और समाप्त करने के लिये बैठें तो सम्भवत: इससे मामले की छानबीन करने में सहायता मिलेगी । इसके पश्चात् अगले सत्र के शुरू होने से पूर्व समिति अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उसे स्वीकृत करने के लिये दिल्ली में एक दिन की बैठक बुला सकती है । समिति की राय लेने के पश्चात्, सभापति ने बताया कि उपरोक्त तारीखों पर श्रीनगर में बैठकें बुलाने के लिये वह तार द्वारा अध्यक्ष, जो इस समय भारत से बाहर हैं, की अनुमति लेंगे । इस बीच वे सचिवालय को हिदायत देंगे कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करें। एक सदस्य द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि समिति को एक दिन के लिये साक्ष्य देने के लिए इच्छुक किसी निकाय/संगठन का साक्ष्य लेने के लिए जम्मू में ठहरना चाहिये ।

श्रीनगर में और साक्ष्य लेने तथा उसके पश्चात् केवल खण्डवार विचार आरम्भ करने के निर्णय को देखते हुए, समिति ने 30 सितम्बर, 1970 की पूर्व निश्चित बैठक को रद्द कर देने का निश्चय किया ।

4. सभापति, श्री नायर का ध्यान अध्यक्ष के निर्देशों के निदेश 58 की ओर दिलाये जाने के पश्चात्, समिति ने राज्य सभा के सदस्य श्री जी० गोपीनाथन नायर का विधेयक के उपबन्धों के बारे में साक्ष्य सुना ।

5. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

6. इसके पश्चात् समिति मंगलवार, 29 सितम्बर, 1970 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 29 सितम्बर, 1970 को 11.00 से 11.50 बजे तथा पुन: 14.30 से 16.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

*श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री हेम राज
3. श्री वी० एन० जाधव
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
6. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
7. श्री बलराज मधोक
8. श्री धुलेश्वर मीना
9. श्री एस० एस० सईद
10. श्री गजराज सिंह राव
11. श्री रवि राय
12. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी

---

*केवल अपराह्न सत्र में उपस्थित हुये ।

13. श्री सुन्दर लाल
14. डा० शिशिर कुमार साहा
15. श्री विश्वनारायण शास्त्री
16. श्री एस० एम० सिद्द्या
17. श्री सन्त बख्श सिंह
18. श्री प्र० रं० ठाकुर

राज्य सभा

19. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
20. श्री टी० जी० देशमुख
21. श्री राम निवास मिर्धा
22. श्री एम० एल० कोलर
23. कुमारी शान्ता वशिष्ट
24. श्री रुद्र नारायण झा
25. श्री बालचन्द्र मेनन
26. श्री जे० एस० तिलक

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव
2. श्री बी० शुक्ल, उप सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला, उप सचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258 उप-नियम (3) के अनुसार पूर्वाह्न में बैठक के लिये श्री दतात्रेय कुन्टे, संसद सदस्य को सभापति के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया ।

3. समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा की । चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि गृह कार्य मंत्रालय को, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के लागू होने के पश्चात गठित विभिन्न आयोगों की विशिष्टयां, उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक नोट प्रस्तुत करने के लिये कहा जाये ।

कार्यवाहक सभापति ने विनिश्चय दिया कि मामले के इस पहलू पर सभापति द्वारा विचार किया जायेगा ।

4. चर्चा का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

5. इसके पश्चात् समिति मध्याह्न भोजन के लिये 11.50 बजे स्थगित हुई ।

6. मध्याह्न भोजन के पश्चात समिति 14.30 बजे पुनः समवेत हुई तथा सभापति द्वारा श्री पालकी वाला का ध्यान अध्यक्ष के निर्देशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाये जाने पर समिति ने भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट, श्री एन० ए० पालकीवाला, का साक्ष्य सुना ।

साक्ष्य 16.25 बजे समाप्त हुआ ।

7. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

8. सभापति ने बताया कि संशोधनों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 12 सितम्बर, 1970 थी । इसे अब 3 अक्तूबर, 1970 तक बढ़ा दिया जाये । उन्होंने यह भी बताया कि 17 अक्तूबर, 1970 को श्रीनगर में जम्मू तथा कश्मीर सरकार तथा हाई कोर्ट बार ऐसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साक्ष्य की सुनवाई के पश्चात् जिन संशोधनों की सूचना दी जायेगी वे यदि उपयुक्त पाये गये तो उन पर विचार किया जायेगा ।

9. सभापति, अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों के कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के सुझाव को आगे भेजने के लिए सहमत हो गये ।

10. इसके पश्चात समिति स्थगित हुई ।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 21 अक्तूबर, 1970 को 08.30 बजे से 10.00 बजे विधान सभा भवन, श्रीनगर में हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
3. श्री वी० एन० जाधव
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
6. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
7. श्री धुलेश्वर मीना
8. श्री एस० एस० सईद
9. श्री गजराज सिंह राव
10. श्री भोला राउत
11. श्री रवि राय
12. श्री शान्ति लाल शाह
13. श्री सिद्दय्या

राज्य सभा

14. श्री गुलाम नबी उन्टू
15. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
16. श्री राम निवास मिर्धा
17. श्री एम० एल० कोलर
18. कुमारी शान्ता वशिष्ट
19. श्री बी० टी० केम्पराज
20. श्री चन्द्र मौलि चोगरलामुड़ी
21. श्री प्रणव कुमार मुकर्जी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरीहर अय्यर—अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री जे० एम० लालवानी—संयुक्त सचिव

सचिवालय

श्री राम किशोर—सहायक समिति अधिकारी

2. साक्ष्य देने से पूर्व, भिन्न साक्षियों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया गया :—

(एक) श्री पी० के० दवे, मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर।

(दो) श्री एम० एन० कौल, राजस्व मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. इसके पश्चात् समिति दिनांक 22 अक्तूबर, 1970 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 22 अक्तूबर, 1970 के 11.00 बजे से 13.15 बजे तक तथा पुनः 14.30 से 17.15 बजे तक विधान सभा भवन, श्रीनगर में हुई ।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे, सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. हिज् हाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
3. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
4. श्री वी० एन० जाधव
5. श्री भोगेन्द्र झा
6. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
7. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
8. श्री धुलेश्वर मीना
9. श्री एस० एस० सईद
10. श्री गजराज सिंह राव
11. श्री भोला राउत
12. श्री रवि राय
13. श्री सुन्दर लाल
14. श्री शान्ति लाल शाह
15. श्री एस० एम० सिद्दय्या
16. श्री प्र० रं० ठाकुर

राज्य सभा

17. श्री गुलाम नबी उंटू
18. श्री एन० पी० चौधरी
19. श्री टी० जी० देशमुख
20. श्री रामनिवास मिर्धा
21. कुमारी शान्ता वशिष्ट
22. श्री बी० टी० केम्पराज
23. श्री चन्द्र मौलि जागरलामुड़ी
24. श्री प्रणव कुमार मुकर्जी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह कार्य मन्त्रालय का प्रतिनिधि

श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला, उपसचिव

2. विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने से पूर्व, समिति ने मूल अधिनियम के जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर विस्तार के प्रश्न पर विचार किया । समिति ने एकमत से निश्चय किया कि विधेयक के 11वें खण्ड में उपयुक्त संशोधन किया जाय ताकि उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके । ड्राफ्ट्समैन को खण्ड 11 का

तदनुसार उपयुक्त प्रारूप तैयार करने का निदेश दिया गया ताकि समिति उस पर अपराह्न सत्र में विचार कर सके । इसके पश्चात् समिति ने अन्य बातों के साथ खण्ड 2 के संशोधन पर विचार किया तथा 13.15 बजे समिति अपराह्न भोजन के लिये स्थगित हो गयी ।*

3. खण्ड 2—निम्न संशोधन स्वीकार किये गये :

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति संख्या 4 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

2. जांच आयोग अधिनियम, 1952 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में,

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"समुचित सरकार, लोक महत्व के किसी निश्चित मामले में जांच के और जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसे कृत्यों की और ऐसे समय के अंदर करने के प्रयोजनार्थ, एक जांच आयोग यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक है तो नियुक्त कर सकती है और यदि इस निमित, यथास्थिति, लोक सभा द्वारा या उस राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किया गया है तो नियुक्त करेगी, और इस प्रकार नियुक्त आयोग तदनुसार जांच करेगा और कृत्य करेगा ।"

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तः स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(3) आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार*** किसी ऐसी रिक्ति को भर सकेगी जो आयोग के किसी सदस्य के पद में हुई हो (आयोग में चाहे एक सदस्य हो या एक से अधिक सदस्य हों)।

* * * *

(4) समुचित सरकार, यथास्थिति, लोक सभा या, राज्य सभा की विधान के समक्ष, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट, उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित, रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से छह मास की कालावधि के अन्दर रखवाएगी ।"

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

4. समिति ने सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न संशोधनों पर विचार किया जो इस आशय के थे कि एक बार जांच आयोग की नियुक्ति हो जाने पर, आयोग को अपनी जांच पूरी करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये तथा सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह जांच पूरी होने तथा आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही आयोग के कार्य को रोक दे। समिति का विचार था कि यदि इस प्रकार संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो यह मूल अधिनियम की धारा 7 के विपरीत तथा विचाराधीन विधेयक के क्षेत्र से बाहर होगा : अतः समिति सरकार से यह सिफारिश करने के लिये सहमत हो गयी कि एक बार आयोग की नियुक्ति हो जाने पर, बिना रिपोर्ट प्रस्तुत किये आयोग को भंग कर देने के सरकार के अधिकार से उसे वंचित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। इस प्रकार का संशोधन इस दृष्टि से भी आवश्यक था क्योंकि अब सरकार को धारा 7 के अनुसार यह अधिकार है कि विधान मण्डल के प्रस्ताव द्वारा गठित आयोग को भी वह भंग कर दे।

5. खण्ड 3—निम्न संशोधन स्वीकार किया गया।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (क) में, "किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना" शब्दों के स्थान पर "भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

खण्ड, संशोधन रूप में, स्वीकृत हुआ।

6. खण्ड 4—निम्न संशोधन स्वीकार किया गया।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में, "और कोई व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की जाए भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा" शब्द और अंक अंत में अंतःस्थापित किए जायेंगे।

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

7. खण्ड 5—निम्न संशोधन स्वीकार किये गये :

"5क. (1) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण के संचालन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकता है—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, केन्द्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार की सहमति से; या

---

*समिति की बैठक मध्याह्न भोजन के बाद 14.30 बजे पुनः आरम्भ हुई ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, उस राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की, यथास्थिति, उस राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से।

(2) जांच से संबंधित किसी मामले का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन,—

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसे हाजिर करा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण एवं पेश किये जाने की अपेक्षा कर सकता है; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकता है।

(3) धारा 6 के उपबंध किसी अधिकारी या अभिकरण के समक्ष, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाए वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, उस आयोग को रिपोर्ट (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों की तथा उसमें निकाले गये निष्कर्षों की, यदि कोई हों, शुद्धता के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया या उसमें सहायता की) कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे।"।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

8. खण्ड 11—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया:—

पृष्ठ 3, 36 और 37 पंक्तियों के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये।

11. इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम,—

(क) का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य में होगा और वह वहां प्रवृत्त होगा जहां तक उस राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित किसी मामले के बारे में जांच से संबंधित है;

(ख) नागालैण्ड राज्य में कोहिमा और मोकोकसंग जिलों को लागू होगा और वहां प्रवृत्त होगा ;

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

9. समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मूल अधिनियम की धारा 1 और 3 में निम्नलिखित पारिणामिक संशोधन किये जायें:—

'धारा 1'

'धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू और काश्मीर" राज्य के सिवाय शब्द छोड़ दिये जायेंगे।

धारा 2 के, खंड क में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा; अर्थात्—

"परन्तु जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में यह खण्ड निम्नलिखित उपान्तर के अधीन प्रभावी होगा—

(क) उसके उपखण्ड (1) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची 1 या सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जम्मू और काश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ख) उसके उपखण्ड (2) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जम्मू और काश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे।";

10. खण्ड 6 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया:

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6क. उस दशा के सिवाय जिसमें आयोग से किन्हीं मालों के विनिर्माण की प्रक्रिया की जांच करने की अभिव्यक्त अपेक्षा है, इस अधिनियम की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह आयोग

के समक्ष साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उनके विनिर्माण की किसी गुप्त प्रकिया को प्रकट करने के लिए विवश करती है।"।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

11. इसके पश्चात् समिति शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 1970 को 09.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 1970 को 09.00 बजे से 10.30 बजे तक विधान सभा भवन, श्रीनगर में हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे, सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. महामहिम महाराजा प्रताप केशरी देव
3. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
4. श्री हेमराज
5. श्री वे० ना० जादव
6. श्री नी० श्रीकान्त नायर
7. श्री दत्तात्रेय कुन्टे
8. श्री धुलेश्वर मीना
9. श्री एस० एम० सईद
10. श्री गजराज सिह राव
11. श्री भोला राउत
12. श्री रवि राय
13. श्री सुन्दर लाल
14. श्री शान्ति लाल शाह
15. श्री एम० एम० सिद्य्या
16. श्री प्र० रं० ठाकुर

राज्य सभा

17. श्री एन० पी० चौधरी
18. श्री टी०जी० देशमुख
19. श्री रामनिवास मिर्धा
20. कुमारी शान्ता विशिष्ट
21. श्री बी० टी० केम्पराज
22. श्री चन्द्रभोलि जगरलामूड़ी
23. श्री प्रणव कुमार मुखर्जी

विधायी सलाहकार

श्री एम० हरिहर अय्यर, अपर विधायी सलाहकार, विधि मंत्रालय

गृह कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव।

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला, उप सचिव।

2. समिति ने विधेयक पर अग्रेतर खंडवार विचार आरम्भ किया।
3. खंड 7. खण्ड बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ।

4. खंड 8. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"8क. (1) जहां आयोग दो या अधिक सदस्यों से गठित हो वहां वह अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति या अपने सदस्यों में किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेगा :

* * * *

(2) जहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान आयोग के गठन में कोई परिवर्तन, किसी रिक्ति के भरे जाने या आयोग की सदस्य-संख्या बढ़ाए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से हो जाए वहां आयोग के लिए यह आवश्यक न होगा कि जांच नए सिरे से प्रारम्भ करें और जांच उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर परिवर्तन हुआ।

8ख. यदि जांच के किसी अनुक्रम में, आयोग,—

(क) किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है तो;

आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुने जाने और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वासनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।

8ग. समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से, कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग ने अभिलिखित किया है,—

(क) उसके द्वारा पेश किये गये किसी साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकता है;

(ख) आयोग को संबोधित कर सकता है; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है।"।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

5. खंड 9—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(1) पृष्ठ तीन, पंक्ति 11

(एक) "कारावास" से पहले "सादे"

अन्तः स्थापित किया जाये

(दो) "दो वर्ष" के स्थान पर "छह मास" अन्तःस्थापित किया जाये।

समिति ने उन संशोधनों पर जिनकी सूचना सदस्यों को दी गई विचार किया जिनके अनुसार किसी आयोग को उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय समझा जाये और समिति की राय थी कि आयोग को विद्वेषपूर्ण अभिकथनों से बचाव के लिये संरक्षण दिया जाना चाहिये। अतः समिति ने सिफारिश की कि इस प्रयोजन के लिये सरकार को मूल अधिनियम अथवा न्यायालय अवमान अधिनियम में संशोधन करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिये।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

6. खण्ड 10, इस खंड को बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

7. समिति ने निम्नलिखित नई धारा 2क पर मूल अधिनियम में अन्तःस्थापित करने के लिए विचार किया तथा उसे स्वीकार किया :

"2क. इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के प्रति निर्देश का जो जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, उस राज्य के सम्बन्ध में, उस राज्य में लागू तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।"

8. खण्ड 1 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृठ 1, पंक्ति 3, "1969" के स्थान पर "1970" प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

9. अधिनियमन सूत्र—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

10. **विधेयक का पूरा नाम.—विधेयक का पूरा नाम** बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ।

11. समिति ने विधायीपरामर्शदाता को विधेयक में प्रत्यक्ष त्रुटियां दूर करने तथा पारिणामिक स्वरूप में मौखिक संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया।

12. समिति ने निश्चय किया कि :

(एक) उसके समक्ष दिया गया साक्ष्य छापा जाये तथा दोनों सभाओं के सभा-पटल पर रखा जाये।

(दो) सभा में समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों की प्रतियां सदस्यों द्वारा देखने के लिए संसद् ग्रंथालय में रखी जायें।

13. इसके पश्चात् सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान विमति टिप्पणी के बारे में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर दिलाया।

14. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए रविवार 8 नवम्बर, 1970 को 12.00 बजे बैठने का निश्चय किया।

15. सभापति ने घोषणा की कि विमति टिप्पणी यदि कोई हो तो, लोक सभा सचिवालय को 9 नवम्बर, 1970 को 11.00 बजे तक भेज दिये जायें। सदस्यों से यह अनुरोध किया गया कि यदि संभव हो तो वे अपने-अपने टिप्पणों की पांच-पांच प्रतियां दें।

16. समिति ने सभा को अपना प्रतिवेदन सोमवार, 9 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत करने का निश्चय किया।

17. सभापति ने मंत्री महोदय तथा सदस्यों को विधेयक पर विचार के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान उनके मूल्यावान सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

18. सदस्यों ने भी गृह-कार्य मन्त्रालय और विधि मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता की प्रशस्ति की सराहना की।

19. समिति ने सभापति द्वारा प्रशंसनीय ढंग से समिति की कार्यवाही का संचालन किये जाने की भी हार्दिक सराहना की।

20. समिति ने अपने सचिव तथा अन्य अधिकारियों और लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा विधेयक पर विचार के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान दी गई बहुमूल्य सहायता तथा श्रीनगर में हुई बैठकों की व्यवस्था करने के लिए उनकी हार्दिक सराहना की।

21. समिति ने जम्मू और काश्मीर विधान सभा भवन, श्रीनगर में बैठकों को आयोजित करने में जम्मू और काश्मीर सरकार के मुख्य मंत्री, जम्मू और काश्मीर विधान सभा के सचिव तथा जम्मू और काश्मीर विधान सभा तथा उसके सभी अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनमें रिपोर्टर भी सम्मिलित हैं, द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता की हार्दिक सराहना की।

22. इसके पश्चात् समिति रविवार, 8 नवम्बर, 1970 को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक रविवार, 8 नवम्बर, 1970 को 12.00 बजे से 12.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे, सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री प्रताप केसरी देव
3. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
4. श्री हेमराज
5. श्री वी० एन० जाधव

6. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
7. श्रीमती सुचेता कृपालानी
8. श्री दत्ताभेय कुन्टे
9. श्री एस० एस० सईद
10. श्री गजराज सिंह राव
11. श्री रवि राय
12. श्री आर० दशरथ राम रेड्डी
13. श्री सुन्दर लाल
14. श्री शान्ति लाल शाह
15. श्री वीरेन शाह
16. श्री प्र० रं० ठाकुर

राज्य सभा

17. श्री राम निवास मिर्धा
18. श्री मलप्पा लिंगप्पा कोल्लूर
19. कुमारी शान्ता वशिष्ट
20. श्री चन्द्रमौलि जगरलामूड़ी
21. श्री बालचन्द्र मेनन
22. श्री प्रणव कुमार मुकर्जी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर, अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव ।
2. श्री वी० शुक्ल, उप-सचिव

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला, उप-सचिव ।

2. समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे संशोधित रूप में स्वीकार किया।

3. उसके पश्चात् समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

4. समिति ने सभापति को तथा उसकी अनुपस्थिति में श्री डी० के० कुन्टे को, प्राधिकृत किया कि वह 9 नवम्बर, 1970 को लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा सभा-पटल पर साक्ष्य रखे।

5. समिति ने कुमारी शान्ता वशिष्ट को, तथा उसकी अनुपस्थिति में श्री बी० टी० केम्पराज को, भी प्राधिकृत किया कि वह 9 नवम्बर, 1970 को राज्य सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और सभा-पटल पर साक्ष्य रखें।

6. सभापति ने एक बार फिर प्रभारी मंत्री तथा सदस्यों को पूरा सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया।

7. सदस्यों ने भी सभापति को बड़ी कुशलता से समिति की कार्यवाही का संचालन करने के लिये बधाई दी।

8. उसके पश्चात समिति स्थगित हुई।

MGIPRRND—I Sec.—10LSS—11-1-71—550

सी० बी० (II) संख्या-252

लोक-सभा

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

(16 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

नवम्बर, 1970/कार्त्तिक, 1892 (शक)

मूल्य 80 पैसे

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि पत्र ।

---

1. पृष्ठ (पांच), पंक्ति 2 "तत्सक्त" के स्थान पर "तत्संसक्त" पढ़िये ।

2. पृष्ठ (छः), पंक्ति 31 "महालेखापरीक्षक" शब्द के बाद आने वाले शब्द "का" का लोप किया जाय ।

3. पृष्ठ (दस), पंक्ति 9 "नियुक्त" के स्थान पर "नियुक्ति" पढ़िए ।

4. पृष्ठ (दस), पंक्ति 31 "केन्द्रीय सरकार के बाद आने वाले शब्द "का" का लोप किया जाय ।

5. पृष्ठ(द..), पंक्ति 41 "नियम" के स्थान पर "निकाय" पढ़िये ।

6. पृष्ठ (ग्यारह), पंक्ति 3 "प्रतिवेदित" के स्थान पर "प्रतिवेदित पढ़िये ।

7. पृष्ठ 2, पंक्ति 39 "किया जा" के स्थान पर "किया जाए" पढ़िये ।

8. पृष्ठ 5, पंक्ति 30 "ऐसी" के स्थान पर "ऐसे" पढ़िये ।

9. पृष्ठ 6, पंक्ति 10 "ऐसी" के स्थान पर "ऐसे" पढ़िये ।

10. पृष्ठ 26, पंक्ति 11 "पे" के स्थान पर "पै" पढ़िये ।

11. पृष्ठ 35, अंतिम पंक्ति में "प्रवृत्त" शब्द के बाद "नहीं" पढ़िये

12. पृष्ठ 38, पंक्ति 39-40 "भी प्राधिकृत किया" शब्दों का लोप किया जाय ।

नई दिल्ली,
20 जनवरी, 1971

मेहर चन्द खन्ना,
उप सचिव ।

30 पौष, 1892 (शक)

विषय--सूची

		पृष्ठ
1. संयुक्त समिति की रचना		(तीन)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन		(पांच)
3. विमति टिप्पण		(नौ)
4. संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किये गये रूप में विधेयक		1
परिशिष्ट एक	—विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये लोक-सभा में प्रस्ताव	9
परिशिष्ट दो	—राज्य सभा में प्रस्ताव	10
परिशिष्ट तीन	—संयुक्त समिति की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिये लोक-सभा में प्रस्ताव	11
परिशिष्ट चार	—संयुक्त समिति की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिये राज्य-सभा में प्रस्ताव	12
परिशिष्ट पांच	—उन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए	13
परिशिष्ट छः	—उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	14
परिशिष्ट सात	—संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश	16

नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचन

श्री एस० एम० जोशी—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सोनूभाउ दागड़ बसवन्त
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
†4. श्री यशवन्तराव चव्हाण
5. श्री दिनकर देसाई
6. श्री नागेश्वर द्विवेदी
7. श्री जे० एम० इमाम
8. श्री एस० कन्डप्पन
9. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी
10. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
11. श्री धुलेश्वर मीना
12. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
13. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
14. श्री डी० एन० पाटोदिया
15. चौधरी रणधीर सिंह
16. श्री एस० एम० सिद्द्या
17. श्री श० ना० शुक्ल
18. श्री सन्त बख्श सिंह
19. श्री आर० उमानाथ
20. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
@21. श्री पाओकाई हाओकिप
†22. श्री विद्या चरण शुक्ल

राज्य--सभा

23. श्री एम० आनन्दम
24. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
25. श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर
26. श्री सी० डी० पांडे
27. श्री टी० चेंगलवरायन
28. श्री सुन्दर मणि पटेल
29. श्री कल्याण राय
30. श्री तिल्लई विलल्लन
*31. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
**32. श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल
***33. श्री वी० वी० राजू

---

†26 अगस्त, 1970 को नियुक्त किये गये।

@श्री प्रकाशचन्द बी० सेठी के पद-त्याग करने के कारण उनके स्थान पर 1 सितम्बर, 1970 से नियुक्ति।

*राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने पर 2 अप्रैल, 1970 से संयुक्त समिति के सदस्य नहीं रहे तथा 23 मई, 1970 को पुनः नियुक्त किये गये।

**श्रीमती सरला भदौरिया के स्थान पर, जो 2 अप्रैल, 1970 से राज्य-सभा की सदस्यता से निवृत्त होने पर संयुक्त समिति की सदस्या नहीं रहीं, 23 मई, 1970 को नियुक्त किये गये।

***2 सितम्बर, 1970 को नियुक्त किये गये।

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा , संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा० आई० जी० पटेल, सचिव

2. श्री बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव (बजट)

3. श्री ए० जी० कृष्णन, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला, उप-सचिव

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को निहित करने और तत्समय या उससे आनुषंगिक विषय के लिए *विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक सहित, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 23 जुलाई, 1969 को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव तत्कालीन वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रकाशचन्द वी० सेठी द्वारा 30 अगस्त, 1969 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया जिस पर उसी दिन चर्चा हुई और स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट एक)।

3. राज्य सभा के इस प्रस्ताव पर 18 नवम्बर, 1969 को विचार किया और इससे सहमत हुई (परिशिष्ट दो)।

4. राज्य सभा का सन्देश लोकसभा को दिनांक 21 नवम्बर, 1969 को दिया गया।

5. वित्त मंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण ने 26 अगस्त, 1970 को संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने का प्रस्ताव लोक-सभा में रखा जिस पर उसी दिन चर्चा हुई और स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट तीन)। राज्य सभा ने 1 सितम्बर, 1970 को इस प्रस्ताव पर चर्चा की तथा सहमत हुई (परिशिष्ट चार) तथा राज्य सभा का संदेश लोक सभा को 2 सितम्बर, 1970 को दिया गया।

6. समिति की कुल 16 बैठकें हुई।

7. समिति के कार्य का भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिये उसकी पहली बैठक 18 दिसम्बर, 1969 को हुई। इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि भारत के भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षकों, भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के इच्छुक अन्य संगठनों/व्यक्तियों का साक्ष्य लिया जाये। तद्नुसार इस प्रयोजनार्थ ज्ञापन आमंत्रित करने के लिये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

8. इस विधेयक के संबंध में संयुक्त समिति को विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों आदि से 30 ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए। (परिशिष्ट पांच)।

9. समिति ने अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, आठवीं, नवीं, दसवीं तथा बारहवीं बैठकों में, जो क्रमशः 19 तथा 20 जनवरी, 16 फरवरी, 13 अप्रैल, 16 तथा 17 जून, 17 जुलाई तथा 30 सितम्बर, 1970 को हुई, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा अन्य व्यक्तियों और संगठनों का, जिनका परिशिष्ट छः में उल्लेख किया गया है, साक्ष्य लिया।

10. समिति का प्रतिवेदन लोकसभा के नौवें सत्र के अन्तिम दिवस तक प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि ऐसा नहीं किया जा सकता था इसलिये अपनी पहली बैठक में, जो 18 दिसम्बर, 1969 को हुई, समिति ने अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ग्यारहवें सत्र के प्रथम दिवस तक बढ़वाने का अनुरोध करने का निश्चय किया। सभा के समक्ष आवश्यक प्रस्ताव रखा गया जो 20 दिसम्बर 1969 को स्वीकृत हुआ। अपनी दसवीं बैठक में, जो 17 जुलाई, 1970 को हुई, समिति ने बारहवें सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिवस तक और अवधि बढ़वाने का अनुरोध करने का पुनः निश्चय किया जो सभा द्वारा 27 जुलाई, 1970 को स्वीकृत हुआ।

11. समिति ने अपनी चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं बैठकों में, जो क्रमशः 5 और 6 नवम्बर, 1970 को हुई, इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया।

12. समिति ने निश्चय किया है कि उसके समक्ष जो साक्ष्य दिया गया है, उसे पूर्णतया छपवाया जाये, तथा दोनों सभाओं के पटलों पर रखा जाये।

13. समिति ने यह भी निश्चय किया है कि लोक सभा में समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत हो जाने के उपरांत विभिन्न संस्थाओं, निकायों, संगठनों, सरकारी विभागों इत्यादि द्वारा भेजे गये ज्ञापनों की एक प्रति संसद ग्रंथालय में, सदस्यों के देखने के लिये रखी जाये।

---

*अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिनांक 20 मई, 1969 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 3 खण्ड 2 में प्रकाशित।

14. समिति ने 12 नवम्बर, 1970 को प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकृत किया।

15. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के विषय में समिति के विचार निम्नलिखित पैराग्राफों में दिये गये हैं।

16. **खण्ड 3.**—यद्यपि विधेयक में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिये 4,000 रुपये मासिक वेतन की, जो उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीश के वेतन के बराबर है, व्यवस्था की गई है, तथापि समिति का विचार है कि यदि इस आशय का उपबन्ध किया जाये कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन पाने का अधिकारी होगा तो यह नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दर्जे के अनुरूप ही होगा। तद्नुसार इस खण्ड में संशोधन कर दिया गया है।

17. **खण्ड 4.**—समिति का विचार है कि जहां तक संभव हो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होना चाहिये। अतः समिति का विचार है कि यद्यपि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यकाल तो विधेयक में दिये गये रूप में ही रखा जा सकता है तथापि इस आशय का एक उपबन्ध किया जाना चाहिये कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्वतर हो होगा। तद्नुसार इस खण्ड में संशोधन कर दिया गया है।

18. **खण्ड 6.**—मूल खण्ड में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबन्ध है कि नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के पद छोड़ने पर, यदि वह नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व किसी सेवा में था, उस सेवा पर जिसमें वह था, लागू नियमों के अधीन पेंशन तथा इसके अतिरिक्त नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के रूप में सेवा के हर एक पूरे वर्ष के लिए हुई सौ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त पेंशन का पात्र होगा जो कुल मिलाकर अधिक से अधिक 13,333.33 रुपये होगी। और उसमें मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन शामिल होगी। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति पद छोड़ने पर तेरह हजार तीन सौ तेंतीस रुपये और तेंतीस पैसे प्रतिवर्ष से अनधिक उतनी पेंशन का पात्र होगा जो राष्ट्रपति अव-धारित करे। समिति महसूस करती है कि पद छोड़ने पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय पेंशन की राशि पंद्रह हजार रुपये प्रतिवर्ष होनी चाहिये और यदि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक सेवा अधिकारी हो तो उसकी पेंशन में उसे संदेय सभी पेंशनें तथा उसकी पेंशन का संराशिकृत भाग, यदि कोई हो, एवं मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, जो उसे उन नियमों के अधीन प्राप्य होता जो उस सेवा को तत्समय लागू हों जिसमें वह था, सम्मिलित होनी चाहिये। तथापि यदि किसी समय वह उस सेवा को जिसमें वह था, शासित करने के लिये नियमों के अधीन पन्द्रह हजार रुपये की राशि से अधिक पेंशन का पात्र हो जाता है तो वह उक्त अधिक राशि पेंशन के रूप में लेने का पात्र होगा। समिति यह भी महसूस करती है कि कोई व्यक्ति, जो त्यागपत्र देकर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का पद छोड़ता है, इस तरह पद छोड़ने पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा के हर एक पूरे वर्ष के लिए प्रतिवर्ष दो हजार की दर पर पेंशन का पात्र होना चाहिये लेकिन ऐसे व्यक्ति को संदेय कुल वार्षिक पेंशन किसी स्थिति में उपरोक्त राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा कोई नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का पद ग्रहण करने से पहले किसी सेवा का हो तो वह नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के रूप में सेवा के हर एक पूरे वर्ष के लिए 2,000 रुपये के अतिरिक्त उस पेंशन के लिए भी पात्र होगा जो उस सेवा पर जिसका वह हो, लागू नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो परन्तु सभी पेंशनों का योग 15,000 रुपये अथवा इससे अधिक उस पेंशन से, जो उसे उस सेवा के, जिसका वह हो, नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय हो, अधिक नहीं होनी चाहिये। इस खण्ड में तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है।

19. **खण्ड 13.**—इस खण्ड में व्यवस्था है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अन्य बातों के साथ साथ संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गए सभी व्यवसायिक विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनपत्रों की संपरीक्षा करेगा। यद्यपि तुलनपत्रों में सहायक लेखे सम्मिलित होंगे, फिर भी स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से समिति महसूस करती है कि इस खण्ड में इस बात की विशेष रूप से व्यवस्था की जाये कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक सहायक लेखाओं की भी संपरीक्षा करेगा। इस खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

20. **खण्ड 14.**—इस खण्ड में यह नया उपबन्ध जोड़ा गया है कि जहां किसी निकाय या प्राधिकारी का वित्तपोषण पूर्णरूप से भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें विधानसभा हो, संचित निधि में से अनुदानों या ऋणों द्वारा किया जाए, वहां नियंत्रक और महालेखापरीक्षक उस निकाय या प्राधिकारी के व्यय की संपरीक्षा करेगा। समिति महसूस करती है कि न केवल 'पूर्ण' रूप से वित्तपोषित निकायों अथवा प्राधिकारियों के व्यय बल्कि ऐसे निकायों अथवा प्राधिकारियों के व्यय की भी नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए जिन्हें अनुदानों अथवा ऋणों के रूप में पर्याप्त राशि प्राप्त हुई है। समिति यह भी महसूस करती है कि ऐसी संपरीक्षा ऐसे निकायों या प्राधिकारियों की प्राप्तियों की भी की जानी चाहिए। इन बातों के लिए उपबन्ध करने हेतु इस खण्ड में संशोधन कर दिया गया है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि लेखाओं की संपरीक्षा के अधिकार में संपरीक्षा के परिणाम बताने का अधिकार भी आता है, समिति यह वांछनीय समझती है कि स्वतः धारा में ही इसे स्पष्ट कर दिया जाये। इसलिए इस तरह का एक संशोधन इस खंड में कर दिया गया है।

21. **खण्ड 16.**—इस खण्ड में उपबन्ध है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को उन सभी प्राप्तियों की संपरीक्षा करने का, जो अलग अलग संचित निधियों में संदेय हैं, तथा अपना यह समाधान करने का कि सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण आदि पर प्रभावी प्रतिबन्ध सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित हैं, और उस पर रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। "तथापि समिति महसूस करती है कि उन मामलों में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक पर इस कर्तव्य का बोझ नहीं डालना चाहिए जहां ऐसी प्राप्तियों की संपरीक्षा करवाना लोकहित में न हो। तद्नुसार इस खण्ड में एक परन्तुक जोड़ कर यह संशोधन किया गया है कि जहां राष्ट्रपति की यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक नहीं है, वहां वह आदेश द्वारा नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् उसे ऐसी प्राप्तियों की जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं संपरीक्षा करने के कर्त्तव्य से मुक्त कर सकेगा किसी राज्य की या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें विधानसभा हो, संचित निधि में संदेय प्राप्तियों के सम्बन्ध में ऐसी छूटें यथास्थिति, संबंधित राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से परामर्श करने के पश्चात् की जायेगी।

22. **नया खण्ड 20.**—वर्तमान कानून के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेंटस द्वारा की जायेगी जिनके पास कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों के संपरीक्षकों के रूप में कार्य करने की योग्यता है। ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संपरीक्षकों की सूची से हर वर्ष की जाती है। नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा इसके लेखाओं की संपरीक्षा करने की बाबत खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में कोई उपबन्ध नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत की संचित निधि से खाद्य निगम में काफी धन लगाया गया है, समिति महसूस करती है कि सरकारी कम्पनियों की तरह भारतीय खाद्य निगम के लेखाओं की कम से कम अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा करने के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को शक्ति प्रदान करने हेतु अधिनियम में विशिष्ट उपबन्ध किया जाना चाहिए। तद्नुसार नया खण्ड जोड़ दिया गया है। समिति यह विचार प्रकट करना चाहती है कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निगम के लेखाओं की संपरीक्षा की बाबत उपबन्ध करने हेतु सरकार खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे तो इस नये खण्ड को निकाला जा सकता है।

23. **नया खण्ड 27.**—कानून बन जाने पर विधेयक के लागू होने के बाद भारतीय (अनन्तिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अनुकूलित भारत सरकार (संपरीक्षा और लेखे) आदेश, 1936 के प्रवर्तन के बारे में किसी संदेह को दूर करने की दृष्टि से यह खण्ड जोड़ा गया है।

24. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

एस० एम० जोशी,
सभापति,
संयुक्त समिति।

नई दिल्ली-1;
12 नवम्बर, 1970
21 कार्तिक, 1892 (शक)

विमति टिप्पण

एक

यद्यपि मैं प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में इस विधेयक के सामान्य उद्देश्यों तथा योजना से सहमत हूं, तथापि मैं कुछ मामलों के सम्बन्ध में यह विमति टिप्पण देना आवश्यक समझता हूं। यद्यपि सरकार ने हमारी यह धारणा स्वीकार कर ली है कि भारतीय खाद्य निगम की भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा की जानी चाहिए, सरकार निम्नलिखित की ऐसी संपरीक्षा करने के लिए सहमत नहीं हुई है :—

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक;

(ख) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया, जहां तक विदेशी मुद्रा के आने और जाने सम्बन्धी सौदों का सम्बन्ध है;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा स्थापित सभी औद्योगिक वित्त निगम;

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, जहां तक लगे धन तथा निगम द्वारा क्रय, विक्रय और धारण से सम्बंधित सौदों का सम्बन्ध है।

2. मेरी राय के अनुसार जहां तक सामान्य संपरीक्षा का सम्बन्ध है, सांविधिक संपरीक्षकों द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा संतोषजनक है लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि पूर्वोक्त संस्थाओं के सौदों के औचित्य के पहलू की गहराई से जांच करना ऐसे संपरीक्षकों का काम नहीं है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि औचित्य के पहलू की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जैसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच की जाये।

3. मैं विशेषरूप से इस बात पर जोर दूंगा कि यह लोकहित में है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणों तथा अन्य कारबार की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा की जाए। मैंने मंत्री महोदय से विशेषरूप से यह आश्वासन देने के लिए कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा संपरीक्षा के क्षेत्र में लाया जायेगा लेकिन मालूम होता है कि सरकार ने इस विषय के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया है।

4. विधेयक के खण्ड 20 के अन्तर्गत सरकार को, राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करते हुए, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद किसी संस्था अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। प्रवर समिति के विभिन्न सदस्यों ने मंत्री महोदय से यह आश्वासन देने की मांग की थी कि ऐसे "प्राधिकरणों अथवा संस्थाओं" में गैर-सरकारी संस्थायें अथवा व्यक्तिगत व्यवसाय सम्मिलित नहीं होंगे। मंत्री महोदय ने ऐसा कोई आश्वासन देने से इन्कार कर दिया और हमारी यह धारणा है कि सरकार इस व्यापक खण्ड के माध्यम से किसी गैर-सरकारी संस्था की नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा अनुपूरक अथवा नमूने की जांच का आदेश देने के सम्बन्ध में असीम शक्तियां प्राप्त कर रही है। मेरी राय के अनुसार यह इस विधेयक के क्षेत्र से बहुत परे है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व सरकारी उपक्रमों की सार्वजनिक निधियों तथा सरकारी आय और व्यय के सम्बन्ध में है। सरकार नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा उपरोक्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की संपरीक्षा की व्यवस्था नहीं करना चाहती लेकिन वह ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा थोपने के लिए व्यापक शक्तियां ग्रहण कर रही है जिनमें सरकार का कोई वित्तीय हित न हो। इसमें कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। गैर-सरकारी संस्थाओं के निरीक्षण तथा जांच के सम्बन्ध में पर्याप्त शक्तियां, जहां आवश्यक हो, कम्पनी अधिनियम तथा आय-कर अधिनियम तथा आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई हैं। मेरी राय के अनुसार उन्हें इस विधेयक के खण्ड 20 के क्षेत्र में नहीं लाया जाना चाहिए था तथा उसे केवल सरकारी प्राधि-करणों और संस्थाओं तक सीमित रखा जाना चाहिए था। उपरोक्त टिप्पणी के साथ मैं विधेयक के उपबन्धों का स्वागत करता हूं।

स्वतंत्र सिंह कोठारी,
संसद्-सदस्य

नई दिल्ली;
12 नवम्बर, 1970

दो

"संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 मूल विधेयक की अपेक्षा अच्छा है लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। प्रतीत होता है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों और कर्त्तव्यों की परिभाषा इस तरह की गई है जैसा कि वह केवल कार्यपालिका का एक अंग हो और उन बातों को समझने का कोई प्रयास नहीं किया गया है जिनके कारण उसे संविधान में स्वतंत्र पद दिया गया था। संविधान में इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो जनता के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका की आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखे और राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के माध्यम से अपने विचार क्रमशः संसद् तथा राज्य विधानमंडलों को रिपोर्ट कर सके। 1953 के बाद यही अवसर है जबकि इन वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव से लाभ उठाकर कार्यपालिका की गतिविधियों को नियमित करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए था, लेकिन यह विधेयक इस सम्बन्ध में काफी हद तक असफल रहा है। इस विधेयक के अधीन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को केवल अपने पद की हैसियत से ही किसी कम्पनी अथवा निगम के लेखाओं की आवश्यकता होने पर संपरीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया है और इस प्रयोजन के लिए उसे अपनी शक्तियों के लिये संसद् द्वारा पारित किसी विशेष विधान की ओर देखना पड़ेगा अथवा उसे राष्ट्रपति की अनुमति पर निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि कार्यपालिका चाहे तो वह राष्ट्रपति को सलाह देकर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से रोक सकती है जो उसे कानून के अन्तर्गत दी गई हैं। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की यह असहाय स्थिति संविधान की भावना के विरुद्ध है। इसलिए मैं इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अपना विमति टिप्पण देना चाहता हूं।"

नई दिल्ली;
12 नवम्बर, 1970

भूपेन्द्र नारायण मंडल

तीन

इस विधेयक की मूल भावना तथा प्रमुख उपबन्धों के सम्बन्ध में मैं गंभीर मतभेद रखता हूं। इस विधेयक की मूल भावना यह है कि यदि सम्पूर्ण संगठन के शेष कर्मचारियों को छोड़कर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भारी वेतन, सेवा की आकर्षक शर्तें तथा बड़े हुए पद की सुविधायें दी जाती हैं तो उससे विधेयक में परिभाषित कार्य का सुचारू रूप से होना और शक्तियों का उचित प्रयोग सुनिश्चित हो जायेगा। कोई भी व्यक्ति, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधीन विभाग के संचालन से परिचित है उसको इस बात का पता होगा कि लेखे तैयार करना, उनकी जांच, अनियमितताओं को पकड़ना तथा संपरीक्षा आपत्तियां तथा संपरीक्षा पैरे तैयार करने का काय प्रारंभिक तथा मूलरूप से अधीनस्थ संपरीक्षा कर्मचारियों अर्थात् संपरीक्षकों तथा लेखापालों द्वारा किया जाता है। विभाग की संहिता पुस्तकों के अनुसार लेखे तैयार करने तथा संपरीक्षा करने का प्रथम स्तर संपरीक्षक है जिसका कार्य सचिवालय के सहायक के कार्य की तुलना में किसी भी प्रकार आसान (तथा कम महत्वपूर्ण) नहीं है। विभाग का दूसरा स्तर, जो पर्यवेक्षण का प्रारंभिक स्तर भी है, एस० ए० एस० लेखापाल है जो सचिवालय के अनुभाग अधिकारी की अपेक्षा अधिक कठिन तथा जटिल कार्य करता है। अतः यह अत्यावश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर संपरीक्षा कर्मचारियों को ऐसा दर्जा दिया जाये जिससे उनकी पहुंच उन अधिकारियों तक हो जाये जिनके निर्णय तथा लेन/देनों का उनको पुनरीक्षण करना होता है और वे उनसे आसानी से सम्पर्क स्थापित कर सकें क्योंकि केवल संपरीक्षा कर्मचारी ही उनके बारे में स्पष्टीकरण कर सकते हैं और आगे जानकारी दे सकते हैं। इसके बावजूद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां तक वेतन, दर्जा तथा सेवा की शर्तों का सवाल है, उनको केवल अपर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में रखा गया है। इसके कारण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में संपरीक्षा कर्मचारियों को वह सम्मान व प्राधिकार भी नहीं मिलता जो गैर-सरकारी संपरीक्षा अधिकरण को प्रारंभिक संपरीक्षा करते समय मिलता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां संपरीक्षक दल को संदेहास्पद औचित्य के वित्तीय लेनदेनों के संगत रिकार्ड स्थल पर निरीक्षण की अनुमति नहीं दी गई। मंत्रालयों और विभागों के कार्यकारी अधिकारियों को इस प्रकार का बर्ताव करने का साहस इस कारण होता है कि संपरीक्षा तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को नीचा दर्जा दिया गया है। लेनदेनों की जांच तथा उन पर टिप्पणियां करने के कार्य में संपरीक्षा कर्मचारियों पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि जिनके लेन देनों की वे संपरीक्षा कर रहे हैं उनकी स्थिति, दर्जा, वेतन तथा सेवा की शर्तें उनकी अपनी स्थिति, दर्जा, वेतन तथा सेवा की शर्तों के मुकाबले अच्छी हैं।

यही कारण है कि कई साक्षियों की जिनमें दो भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भी शामिल हैं राय है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के विभाग के कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के समान दर्जा, वेतन तथा सेवा की शर्तें दी जानी चाहियें। परन्तु यह विधेयक जो पदानुक्रम के उच्चतम वर्ग के लिये ऊंचा दर्जा, वेतन तथा सेवा की शर्तों की व्यवस्था करता है और जिस हेतु यह अपने पहले उपबन्धों में

संशोधन भी करता है तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्रदान करता है, विधेयक में परिभाषित कार्य को निभाने के लिये कर्मचारियों के दर्जे, वेतन तथा सेवा की शर्तों की समानता की आवश्यकता की मान्यता का भी समर्थन नहीं करता। मैं नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दर्जे को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष करने तथा सेवानिवृत्ति के लिये 65 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करने का विरोध करता हूं। वास्तव में संविधान सभा ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा देने के प्रश्न पर विचार किया था और इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। मेरा यह भी दृढ़ मत है कि समस्त स्तरों पर कर्मचारियों का दर्जा, वेतन तथा सेवा की शर्तों को केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के दर्जे, वेतन तथा सेवा की शर्तों के समान बनाने के लिये विधेयक में उपबन्ध किया जाना चाहिये।

मेरे विचार में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त के लिये कुछ न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की जानी चाहियें। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त लेने का उपबन्ध बहुत अधिक है। यह एक कार्यप्रणाली के रूप में कार्य करेगा जिसके द्वारा भारत सरकार के अधिकारियों, जो इस समय 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, का कार्यकाल और बढ़ा दिया जायेगा। इन परिस्थितियों में सेवा में पदार्पण करने पर अधिकारी यह सोचेगा कि सरकार ने उसके साथ रियायत की है और इस प्रकार उसके मन में आभार की भावना उत्पन्न होगी। अब जबकि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर कर दिया गया है, इस बात की संभावना और भी बढ़ गई है। उपरोक्त परिस्थितियों में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति करने की शक्ति कार्यपालिका में पक्षपात की भावना तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं की वृद्धि ही करेगा। इसके फलस्वरूप विभाग में जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है, वह भी समाप्त हो जायेगी।

मेरे विचार से पेन्शन का उपबन्ध अत्यधिक है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम को भी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा की परिधि में लाने के लिए उपबन्ध किये जाने चाहियें।

मुझे उस उपबन्ध पर तीव्र आपत्ति है जिसमें सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह जब आवश्यक समझे, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से लेखे तैयार करने के कार्य को वापस ले सकती है। साक्षियों के, जिनमें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भी सम्मिलित हैं, इस आशय के प्रबल साक्ष्य रिकार्ड पर है कि लेखे के पृथक-करण के फलस्वरूप असामान्य व्यय होगा जो इस पृथककरण से होने वाले लाभों की तुलना में कहीं अधिक होगा। इस आशय के साक्ष्य भी रिकार्ड पर हैं कि लेखे तैयार करने के कार्य को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पास बने रहने देने से अनियमितताओं के क्षेत्र तथा स्रोत का पता लगाने में सहायता मिलती है। जैसाकि दूरसंचार के विभाग में पृथककरण के नवीनतम प्रयोग से पता चला है, पृथककरण के कारण कर्मचारी फालतू हो जाते हैं तथा स्थानान्तरणों के कारण कर्मचारियों की परिस्थितियों तथा कार्य में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न होती है जिसके कारण पदोन्नति के अवसरों आदि में अवरोध उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के प्रयोग असफल सिद्ध हुए हैं। कहा जाता है कि इस विषय में 15 वर्ष के प्रयोग के बाद अब केन्द्रीय सरकार का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय लेखे तैयार करने का कार्य पुनः नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सौंपने का विचार कर रहा है। इन परिस्थितियों में सरकार को पृथक लेखे का अधिकार देने वाले उपबन्ध को विधेयक से हटाया जाना चाहिये तथा यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि समस्त पृथक लेखे नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को पुनः सौंपे जायें।

भारत की संचित निधि अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की, जहां विधान मण्डल हो, संचित निधि से अनुदान अथवा ऋण पाने वाले निकायों अथवा प्राधिकरणों के व्यय को, यदि ऋण अथवा अनुदान की राशि 5 लाख रुपये तक हो और उस निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से कम हो, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा की परिधि से पृथक रखने का उपबन्ध अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसके द्वारा इस ढंग से ऋण और अनुदान देने संभव होंगे कि उनको संपरीक्षा की परिधि से अलग रखा जा सके। उदाहरण के लिये यदि किसी नियम अथवा प्राधिकरण को जिसका कुल व्यय एक करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपये का अनुदान अथवा ऋण दिया जाता है तो इस उपबन्ध के अनुसार वह संपरीक्षा के अध्यधीन नहीं होगा।

मैं, उपरोक्त तथा अन्य कारणों से इस विधेयक को, इसके वर्तमान रूप में, एक प्रतिगामी विधेयक ही समझता हूं। इसमें काफी लम्बे चौड़े परिवर्तनों की आवश्यकता है और यदि यह नहीं किये जाते तो इसका विरोध किया जाना चाहिये।

नई दिल्ली;
12 नवम्बर, 1970

आर० उमानाथ

चार

संयुक्त समिति ने मूल प्रारूप विधेयक में कुछ सुधार किये हैं। फिर भी, हम समझते हैं कि समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में यह विधेयक सन्तोषजनक नहीं है। अब सरकार के कार्यक्षेत्र का विभिन्न दिशाओं में विस्तार हो गया है तथा प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासन, स्थानीय स्वायत शासन, निगम, सरकारी कम्पनियां आदि खरबों रुपया खर्च कर रही हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि संसद् विभिन्न तरह के वित्तीय कार्यों पर निगरानी रखे और संसद् की ओर से यह कार्य करने के लिए नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है।

2. संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिए आवश्यक विधान बनाने का कार्य संसद् पर छोड़ दिया।

3. विधेयक बनाने वालों ने केवल नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के ही कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें निर्धारित करने का निश्चय करते समय अत्यन्त संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के अधीन कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों के प्रश्न पर भी विचार करने के सम्बन्ध में संसद् पर संविधान के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया अथवा वर्जित नहीं किया गया है। वस्तुतः केवल नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के पद की स्वतंत्रता तथा गरिमा निश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक को उचित ढंग से कार्य करना है तो उसे कार्यालयों में कार्य करने वाले लाखों अन्य कर्मचारियों तथा अधिकारियों में से सभी की सेवाओं पूरी तरह से उपलब्ध होनी चाहिये। इसलिए इनसे सम्बन्धित कुछ न्यूनतम मामलों पर भी विचार करना आवश्यक था।

4. इस सम्बन्ध में हमने नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय के लिये आय-व्यय में आवंटन की वर्तमान व्यवस्था में त्रुटियों को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इस समय नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक अपने कर्त्तव्यों का प्रभावशाली ढंग से पालन करने के लिये आवश्यक कोई भी व्यय करने के लिये वस्तुतः कार्य-पालिका पर पूरी तरह से निर्भर है। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में जब कभी भी किसी तरह का मतभेद होता है तो वह वित्त मंत्री के साथ सीधे ही उस मामले पर बातचीत कर सकता है। परन्तु अन्तिम निर्णय वित्त मंत्री ही करता है। ऐसे उदाहरण हैं नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव किये जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिल सकी। हमारे विचार से यह उचित नहीं है कि एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को जो संसद् की ओर से इतना महत्वपूर्ण कार्य करता है, आवश्यक धन के लिये वित्त मंत्रालय पर ही निर्भर करना पड़े। यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि एक जिम्मेदार विभाग तथा उसका प्रमुख अपने समकक्ष अधिकारियों से कोई असाधारण मांग करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हम अनुभव करते हैं कि विधेयक में इस आशय की व्यवस्था की जाये कि भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा विभाग के प्रशासनिक व्यय को प्राक्कलन नियंत्रक तथा महालेखापरी-क्षक तैयार करें। उस पर चर्चा करना और उसे अन्तिम रूप देना संसद् का काम होना चाहिये।

5. विधेयक में एक और गम्भीर त्रुटि यह है कि उसमें कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को सौंपे गये कृत्यों को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए खण्ड 10 द्वारा उसे केन्द्र तथा राज्यों के लेखे तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। परन्तु राष्ट्रपति या राज्यपाल नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकते हैं। यद्यपि ऐसा उपबन्ध है कि नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक से परामर्श किया जाना चाहिये। परन्तु इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। लेखा रखने तथा संपरीक्षा करने के कार्यों को थोड़ा-थोड़ा करके अलग करने से गम्भीर प्रशासनिक कठिनाइयां भी उत्पन्न होंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी यह राय है कि यदि सरकार नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को किसी विभाग विशेष के लेखे रखने के कार्य से मुक्त करना चाहती है, तो उसे इसके लिये संसद् की अनुमति लेनी चाहिये।

6. हम अनुभव करते हैं कि कुछ संस्थाओं या निकायों के, जो बड़ी मात्रा में सरकारी धनराशि व्यय करते हैं, संपरीक्षा सम्बन्धी कार्यों को नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा किये जाने की अभी भी काफी गुंजाइश है। उदाहरणार्थ, प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उन ठेकेदारों के लेखे सम्बन्धी कार्य जिन्हें सरकार सार्वजनिक प्रतियोगी टेण्डरों द्वारा ठेका न देकर सीधी बातचीत के द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ठेके देती है, नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को सौंपे जायें। इस सिफारिश को विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार सरकारी कम्पनियों सम्बन्धी उपबन्ध भी और अधिक व्यापक होना चाहिये था।

7. इसलिए हम अनुभव करते हैं कि संयुक्त समिति द्वारा कुछ सुधार करने के बावजूद, इस विधेयक द्वारा नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के पद को सशक्त बनाने की दिशा में, ताकि वह वस्तुतः सरकारी धन के व्यय पर नियन्त्रण रख सकें, कोई विशेष सहायता नहीं मिलती।

नई दिल्ली;
12 नवम्बर, 1970

पी० के० वासुदेवन नायर
कल्याण राय

पांच

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की गतिविधियां में विस्तार होने के साथ नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कृत्य और उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ गये हैं। उसके सुचारु तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि उसका पद किसी भी मंत्रालय से स्वायत तथा स्वतन्त्र हो। इस समय नियुक्तियों तथा वित्तीय आवंटनों के मामले में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक वित्त मंत्रालय पर निर्भर करता है यद्यपि यही एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कार्य की नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक सबसे अधिक जांच पड़ताल तथा आलोचना करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध रखा जाये जिससे नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र को वित्त मंत्रालय से स्वतन्त्र किया जा सके।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का पद केन्द्र तथा राज्यों, उससे सम्बद्ध अन्य संस्थाओं और अधिकरणों के लेखे के परीक्षणों और जांच के विशेष उद्देश्य से बनाया गया था। विधेयक के कुछ उपबन्धों का प्रारूप तैयार करते समय सरकार स्पष्टतः उस परिधि से आगे बढ़ गई है जिसके अन्तर्गत कार्य करने की नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से आशा की जा सकती है। कुछ उपबन्धों में, विशेष रूप से खण्ड 20 में, इस प्रकार के मनमाने और विवेक के अनुसार प्रयुक्त होने वाले अधिकार दिये गये हैं जिनके अन्तर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, यदि वह सार्वजनिक हित की दृष्टि से आवश्यक समझें, तो किसी भी संस्था या अधिकरण के लेखे की जांच करने के लिये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को कहने के हकदार होंगे। इस खण्ड से प्राप्त शक्तियां इतनी व्यापक होंगी कि 'लोकहित' के नाम पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे निकायों और संस्थाओं के आंतरिक मामलों की भी निरुद्देश्य जांच की जा सकती है जिनमें सरकार का शेयर पूंजी, ऋण अथवा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये राजसहायता देने के रूप में किसी भी प्रकार का पर्याप्त अथवा मामूली हित नहीं है। विधेयक में पहले ही ऐसे उपबन्ध किये जा चुके हैं जिनके द्वारा जब भी कोई पर्याप्त अनुदान या ऋण दिया जाये अथवा जब भी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये कोई राजसहायता दी जाये तो नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के पास इन्हें प्राप्त करने वालों के खातों की संपरीक्षा करने के लिए यथेष्ट शक्तियां होंगी। निकायों अथवा प्राधिकरणों के कार्यालयों के कामकाज की हर प्रकार की जांच-पड़ताल करने के लिए कई अन्य अधिनियमों में पर्याप्त उपबन्ध हैं। इस प्रकार के नये विधान को लाने का कोई भी औचित्य नहीं है। जिसके द्वारा सरकार को गैर-सरकारी संस्थाओं की स्वाधीनता तथा उनके स्वतन्त्र कार्य संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए अधिभावी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अतः इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली;
12 नवम्बर, 1970

देवकीनन्दन पाटोदिया

[दि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल्स (ड्यूटीज, पावर्स एण्ड कन्डीशन्स आफ सरविस] बिल, 1969 का हिन्दी अनुवाद]

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969

(संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए रूप में)

[पार्श्वरेखांकित या अधोरेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन उपदर्शित करते हैं।]

भारत के नियंत्रक और महा लखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उसके कर्तव्यों और शक्तियों को विहित करने और तत्संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1970 कहा जा सकेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) किसी सरकार के वाणिज्यिक उपक्रम के सम्बन्ध में "लेखे" के अन्तर्गत व्यावसायिक विनिर्माण तथा लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र और अन्य समनुषंगी लेखे आते हैं;

(ख) "विनियोग लेखे" से वे लेखे अभिप्रेत हैं जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखे में लाए गए व्यय को उस विधि में विनिर्दिष्ट विभिन्न मदों से समबद्ध करते हैं जो संविधान

अथवा संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, भारत की या किसी राज्य की या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिस में विधान सभा हो, संचित निधि में से धन के विनियोग के लिए बनाई गई हो; 1963 का 20

(ग) "नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक" से संविधान के अनुच्छेद 148 के अधीन नियुक्त भारत का नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक अभिप्रेत है;

(घ) "राज्य" से संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है;

(ङ) "संघ" के अन्तर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र आता है चाहे उसमें विधान सभा हो या न हो।

अध्याय 2

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें

वेतन

3. नियंत्रक को महा लेखापरीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व संघ की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के अधीन, या किसी राज्य सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के अधीन, किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत (निर्योग्यता या क्षत पेंशन से विभिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था या प्राप्त करने के लिए पात्र होने पर उसने उस पेंशन का निर्वाचन किया था, तो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से—

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत उसे शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त कर लिया था, तो पेंशन के उस भाग की रकम; और

(ग) यदि पद ग्रहण करने के पूर्व, उसने ऐसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत कोई निवृत्ति उपदान प्राप्त किया था या वह उसके प्राप्त करने के लिए पात्र था, तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन, घटा दी जाएगी।

पदावधि

4. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करे छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु जहां वह छह वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त करले, वहां वह उस तारीख को पद रिक्त कर लेगा जिसको वह उक्त आयु प्राप्त कर ले।

परन्तु, यह और कि वह, किसी भी समय राष्ट्रपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की बाबत जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण कर रहा हो, छह वर्ष की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी जिसको उसने पद ग्रहण किया था।

छुट्टी

5. (1) किसी व्यक्ति को जो नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के पूर्व, सरकार की सेवा में था, उसके पद की अवधि के दौरान, न कि उसके पश्चात्, उन नियमों के अनुसार छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी जो उस सेवा को तत्समय लागू हों जिसमें वह ऐसी तारीख के पूर्व था और धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह ऐसी तारीख को अपने नाम जमा छुट्टी का अग्रनयन करने का हकदार होगा।

(2) किसी अन्य व्यक्ति को जिसे नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हों।

(3) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को छुट्टी अनुदत्त करने या नामंजूर करने की या उसे अनुदत्त की गई छुट्टी प्रतिसंहृत करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

पेंशन

6. (1) किसी व्यक्ति के बारे में जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, यह समझा जाएगा कि वह उस सेवा से उस तारीख को निवृत्त हो गया जिसको उसने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण किया, किन्तु नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा ऐसी चालू रहने वाली अनुमोदित्त सेवा के रूप में गिनी जाएगी जिसकी गणना उस सेवा में पेंशन के लिए की जाएगी जिसमें वह था।

(2) हर एक व्यक्ति, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करे, उक्त पद को छोड़ने पर पन्द्रह हजार रुपये वार्षिक की राशि की पेंशन का पात्र होगा और उक्त राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों का, उसकी पेंशन के संराशिकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, तथा उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, पेंशन समतुल्य का योग सम्मिलित होगा:

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन, किसी समय पन्द्रह हजार रुपये की उक्त राशि से अधिक पेंशन का पात्र हो या हो जाए तो वह पेंशन के रूप में उक्त अधिक रकम लेने का पात्र होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत कोई पेंशन पा रहा था या पाने का पात्र हो गया था नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने पर पंद्रह हजार रुपये वार्षिक की राशि की पेंशन का पात्र होगा और उक्त राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों का, उसकी पेंशन के संराशीकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, और उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, पेंशन समतुल्य का योग भी सम्मिलित होगा:

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति किसी समय उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन पंद्रह हजार रूपये की उक्त राशि से अधिक पेंशन का पात्र हो या हो जाए तो वह पेंशन के रूप में उक्त अधिक रकम लेने का पात्र होगा।

(4) कोई अन्य व्यक्ति, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए, उक्त पद को छोड़ने पर पंद्रह हजार रुपये वार्षिक की पेंशन का पात्र होगा।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, स्वविकल्पानुसार, या तो उन दरों से जो इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की दशा में उसे अनुज्ञेय होतीं या इस धारा में विनिर्दिष्ट दर से पेंशन लेने का पात्र होगा।

(6) कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद त्यागपत्र द्वारा छोड़े, इस प्रकार छोड़ने पर, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के हर एक पूरे वर्ष के लिए दो हजार रुपये वार्षिक की दर से पेंशन का पात्र होगा:

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, इस धारा के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की कुल रकम उस पेंशन की रकम के सहित, जो उस सेवा को, जिसमें वह नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय थी, यथास्थिति, पंद्रह हजार रुपये वार्षिक या उपधारा (2) या उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट अधिक पेंशन से अधिक न होगी।

(7) यदि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने वाला व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी पेंशन का पात्र न हो, किन्तु उस सेवा को, जिसमें वह नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, लागू नियमों के अधीन पेंशन का पात्र हो तो वह, इस धारा में किसी बात होते हुए भी, वह पेंशन लेने का पात्र होगा जो उसे उक्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो।

(8) तब के सिवाय जब वह त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़े, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह तभी समझा जायेगा कि उसने उस रूप में पद छोड़ दिया जब—

(क) वह धारा 4 में विनिर्दिष्ट पदावधि पूरी कर ले; अथवा

(ख) वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले: अथवा

(ग) चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उसका पद छोड़ना उसकी अस्वस्थता के कारण आवश्यक है।

पेंशन का संराशिकरण

7. तत्समय प्रवृत्त सिविल पेंशन (संराशिकरण) नियम ऐसे अनुकूलनों सहित जो उनमें राष्ट्रपति द्वारा किए जाएं, ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे जिसने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण किया था।

साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का अधिकार

8. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाला हर व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदाय करने का हकदार होगा।

सेवा की अन्य शर्तें

9. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके अन्तर्गत भारत के बाहर कर्त्तव्य की किसी कालावधि के दौरान उसकी उपलब्धियां और कर्त्तव्य पर यात्रा करते समय उसका यात्रा भत्ता भी है, उन नियमों द्वारा अवधारित की जाएंगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य को तत्समय लागू हों जो भारत सरकार के सचिव की पंक्ति धारण कर रहा हो:

परन्तु इस धारा में किसी बात का ऐसा प्रभाव नहीं होगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, पूर्वोक्त विषयों में से किसी की बाबत, निबन्धन उन निबन्धनों से जिनका वह उस सेवा के सदस्य के रूप में हकदार होता जिसमें वह था, कम सुविधाजनक हों और ऐसी दशा में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए उस सेवा में चालू रहने वाली सेवा गिनी जाएगी जिसमें वह था।

अध्याय 3

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का संघों और राज्यों के लेखाओं का संकलन करना।

10. (1) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक—

(क) संघ और हर एक राज्य के लेखाओं का संकलन उन प्रारम्भिक और समनुषंगी लेखाओं से करने के लिए जो ऐसे लेखाओं के रखने के लिए उत्तरदायी खजानों कार्यालयों या विभागों द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन के संपरीक्षा और लेखा कार्यालयों को दिए जाएं; और

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध में ऐसे लेखाओं के रखने के लिए जो आवश्यक हों;

उत्तरदायी होगा:

परन्तु संघ के लेखाओं के बारे में राष्ट्रपति और किसी राज्य के लेखाओं के बारे में उस राज्य का राज्यपाल, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा उसे, यथास्थिति, संघ या किसी राज्य की किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के लेखाओं के संकलन के उत्तरदायित्व से अवमुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह और कि राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा, उसे किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकृति के लेखाओं के रखने के उत्तरदायित्व से अवमुक्त कर सकेगा।

(2) जहां कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी ठहराव के अधीन,—

(i) संघ या किसी राज्य की किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के लेखाओं के संकलन के लिए; अथवा

(ii) किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकृति के लेखाओं के रखने के लिए उत्तरदायी रहा है वहां ऐसा ठहराव उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, वह खण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के आदेश द्वारा और खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रतिसंहृत न कर दिया जाए।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का लेखाओं को तैयार करना और राष्ट्रपति, राजाओं के राज्यपालों और उन संघ राज्यक्षेत्रों के जिन में विधान सभाएं हैं, प्रशासकों, को भेजना

11. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अपने द्वारा या उस निमित्त उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित किए गए लेखाओं से, हर एक वर्ष अपने-अपने शीर्षकों के अधीन संघ के हर एक राज्य के और हर एक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा हो, प्रयोजनों के लिए, वार्षिक प्राप्तियां और संवितरण दिखाने वाले लेखे (जिसके अन्तर्गत, उसके द्वारा संकलित लेखाओं की दशा में विनियोग लेखे आते हैं), तैयार करेगा और उन लेखाओं को, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक को ऐसी तारीखों को या उनके पूर्व जो वह सम्बद्ध सरकार की सहमति से अवधारित करे, भेजेगा।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का संघ और राज्यों को जानकारी देना और सहायता करना

12. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक वहां तक जहां तक कि वे लेखे जिनके संकलन या रखे जाने के लिए वह उत्तरदायी है, उसे समर्थ करें, यथास्थिति, संघ सरकार को, राज्य सरकारों को और उन संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को जिनमें विधान सभाएं हों, ऐसी जानकारी देना जिसकी वे समय-समय पर अपेक्षा करें और उनकी वार्षिक वित्तीय विवरणियों की तैयारी में ऐसी सहायता करेगा जिसकी वे युक्तियुक्त रूप से मांग करें।

संपरीक्षा के सम्बन्ध में साधारण उपबंध

13. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह :—

(क) भारत की और हर एक राज्य की और हर एक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में से किए गए व्यय की संपरीक्षा करे और यह अभिनिश्चित करे कि लेखाओं में संवितरित दिखाया गया धन विधिक रूप से उस सेवा या प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह किया गया या प्रभारित किया गया, उपलब्ध था और क्या वह व्यय उसे शासित करने वाले प्राधिकार के लिए अनुरूप है या नहीं;

(ख) आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं के सम्बन्ध में संघ और राज्यों के सभी संव्यवहारों की संपरीक्षा करे;

(ग) संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गये सभी व्यवसायिक, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलन-पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की संपरीक्षा करे;

और हर एक दशा में अपने द्वारा इस प्रकार संपरीक्षित किए गए व्यय; संव्यवहारों या लेखाओं पर रिपोर्ट दे।

संघ या राज्य राजस्वों से वित्त पोषित निकायों या प्राधिकारियों की प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा

14. जहां कि किसी निकाय या प्राधिकारी का वित्तपोषण पर्याप्त रूप से भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में से अनुदानों या ऋणों द्वारा किया जाए, वहां नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यथास्थिति, उस निकाय या प्राधिकारी को लागू तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उस निकाय या प्राधिकारी की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करेगा और इस प्रकार अपने द्वारा संपरीक्षित प्राप्तियों और व्यय पर रिपोर्ट देगा।

स्पष्टीकरण—जहां किसी वित्तीय वर्ष में, भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में से किसी निकाय या प्राधिकारी को दिया गया अनुदान या ऋण पांच लाख रुपये से कम न हो, और ऐसे अनुदान या ऋण की रकम उस निकाय या प्राधिकारी के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से कम न हो, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उस निकाय या प्राधिकारी का वित्तपोषण पर्याप्त रूप से, यथास्थिति से, ऐसे अनुदानों या ऋणों द्वारा किया जाता है।

अन्य प्राधिकारियों या निकायों को दिए गए अनुदानों या ऋणों की दशा में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कृत्य

15. (1) जहां कि भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा हो संचित निधि में से कोई अनुदान या ऋण किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी ऐसी प्राधिकारी या निकाय को दिया जाए जो विदेशी राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय संघटन न हो, वहां नियंत्रक और महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेगा जिनसे मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उन शर्तों के बारे में अपना समाधान करता है जिनके अध्यधीन ऐसे अनुदान या ऋण दिए गए, और इस प्रयोजन के लिए, उस प्राधिकारी या निकाय की बहियों और लेखाओं तक उसे युक्तियुक्त पूर्व सूचना देने के पश्चात्, पहुंच का अधिकार होगा :

परन्तु, यथास्थिति, राष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक, जहां उसकी यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात आदेश द्वारा, उसे ऐसा अनुदान या ऋण प्राप्त करने वाले किसी निकाय या प्राधिकारी की बाबत कोई ऐसी संवीक्षा करने से अवमुक्त कर सकेगा।

(2) तब के सिवाय जब कि वह, यथास्थिति, राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को उस समय जब कि वह उसे उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किसी ऐसे निगम की जिसे ऐसा अनुदान या ऋण दिए जाए जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, बहियों और लेखाओं तक पहुंच का उस दशा में अधिकार न होगा जब कि वह विधि जिसके द्वारा या जिसके अधीन ऐसा निगम स्थापित किया गया है, यह उपबन्ध करे कि ऐसे निगम के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से भिन्न किसी अभिकरण द्वारा की जाएगी :

परन्तु ऐसा कोई प्राधिकरण नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् किए जाने के सिवाय और अपनी बहियों और लेखाओं तक नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की पहुंच के अधिकार की प्रस्थापना के बारे में सम्बद्ध निगम को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा।

संघ और राज्यों की प्राप्तियों की संपरीक्षा

16. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की संपरीक्षा करे जो भारत की और हर एक राज्य की और हर एक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में संदेय हैं, और अपना यह समाधान करे कि उस बारे में सभी नियम और राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी प्रतिबन्ध सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित हैं और सम्यक् रूप से अनुपालित की जा रही हैं, और इस प्रयोजन के लिए लेखाओं की ऐसी परीक्षा करे जो वह ठीक समझे और उस पर रिपोर्ट करे:

परन्तु जहां राष्ट्रपति ी राय हो कि एसा करना लोकहित में आवश्यक है वहां वह, आदेश द्वारा, नियंत्रक और महालेखापरी क से परामर्श करने के पश्चात् उसे ऐसी प्राप्ति की, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, संपरीक्षा के कर्त्तव्य से मुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी राज्य की या ऐसी संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में संदेय प्राप्ति के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश, यथास्थिति, उस राज्य के राज्यपाल अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से परामर्श करने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

भण्डारों और स्टाक के लेखाओं की संपरीक्षा

17. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डारों या स्टाक के लेखाओं की संपरीक्षा करे और उन पर रिपोर्ट करे।

लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियां

18. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ो यह प्राधिकार होगा कि वह:—

(क) संघ के या किसी राज्य के नियंत्रण के अधीन लेखे कार्यालयों का जिनके अन्तर्गत खजाने और प्रारम्भिक या समनुषंगी लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायो ऐसे कार्यालय जो उसे लेखा भेजते हैं, आते हैं, निरीक्षण करे;

(ख) यह अपेक्षा करे कि कोई लेखे, बहियां, कागज या अन्य दस्तावेजों जो उन संव्यवहारों के जिन तक संपरीक्षा की बाबत उसके कर्त्तव्यों का विस्तार है, बारे में हों या उनका आधार हों या उनसे अन्यथा सुसंगत हों, ऐसे स्थान पर भेज दिए जाएं जो वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे;

(ग) कार्यालय के भारसाधक व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछे या ऐसी समुक्तियां करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जो वह उस लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा करे जिसकी तैयारी करना उसका कर्त्तव्य है।

(2) किसी ऐसे कार्यालय या विभाग का जिसके लेखाओं का निरीक्षण या संपरीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, भारसाधक व्यक्ति ऐसे निरीक्षण] के लिए सभी सुविधाएं देगा और जानकारी क लिए अनुरोध यथाशक्य पूर्ण प्ररूप में और युक्तियुक्त शीघ्रता से पूरे करेगा।

सरकारी कम्पनियो और निगमों की संपरीक्षा

19. (1) सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखा-प ीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग उसके द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार, किया जाएगा। 1956 का 1

(2) संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों के (जो कम्पनियां न हों) लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियों का पालन और प्रयोग, उसके द्वारा, सुसंगत अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(3) किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक, जहां कि उसकी यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से यह अनुरोध कर सकेगा, कि वह, यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखाओं की संपरीक्षा करे और जहां कि ऐसा अनुरोध किया जाए वहां नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा और ऐसी संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे ऐसे निगमों के लेखाओं की बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगा:

परन्तु ऐसा कोई अनुरोध नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् किए जाने के सिवाय और ऐसी संपरीक्षा की प्रस्थापना के बारे में उस निगम को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के लेखाओं की अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा करने की नियंत्रक और महालेखापरीक्षाक की शक्ति

20. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के लेखाओं की अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा करने की शक्ति होगी और जब वह इस शक्ति का प्रयोग करे तब कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के उपबन्ध ऐसी अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा को यथाशक्य इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में सरकारी कम्पनी हो। 1964 का 64, 1956 का 1

कतिपय प्राधिकारियों या निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा

21. (1) धारा 19 में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां कि किसी निकाय या प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन न्यस्त नहीं की गई है वहां वह यदि, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाए तो, ऐसे निकाय या प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और सम्बद्ध सरकार के बीच में तय हो जाएं और ऐसी संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे उस निकाय या प्राधिकारी की बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगा:

परन्तु ऐसा कोई अनुरोध नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा।

(2) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक से, किसी ऐसे निकाय या प्राधिकारी के जिसके लेखाओं की संपरीक्षा उसे विधि द्वारा न्यस्त नहीं की गई है, लेखाओं की संपरीक्षा के प्राधिकरण के लिए उस दशा में प्रस्थापना कर सकेगा जब उसकी यह राय हो कि ऐसी संपरीक्षा इस कारण आवश्यक है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा हो, सरकार द्वारा, ऐसे निकाय या प्राधिकारी में पर्याप्त रकम विनिहित की गई है या उसे उधार दी गई, और ऐसा अनुरोध किए जाने पर, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को ऐसे निकाय या प्राधिकारी लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपरीक्षा, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को तब तक न्यस्त नहीं की जाएगी जब तक कि, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है और जब तक कि ऐसी संपरीक्षा की प्रस्थापना के बारे में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर सम्बन्ध निकाय या प्राधिकारी को न दे दिया जाए।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्ति

22. इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई भी शक्ति उसके विभाग के ऐसे अधिकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी जिसे वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे:

परन्तु छुट्टी पर या अन्यथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अनुपस्थिति के दौरान के सिवाय कोई भी अधिकारी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से किसी ऐसी रिपोर्ट को भेजने के लिए प्राधिकृत न होगा जिसके, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा हो, प्रशासक को भेजने के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संविधान या संघ राज्यक्षेत्रों की सरकार अधिनियम, 1963 द्वारा अपेक्षित है।

1963 का 20

नियम बनाने की शक्ति

23. (1) केन्द्रीय सरकार नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए वहां तक नियम बना सकेगी जहां तक कि वे लेखाओं के रखे जाने के सम्बन्ध में हों—

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए और उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे अर्थात्—

(क) वह रीति, जिसमें संपरीक्षा या लेखा कार्यालयों को लेखे देने वाले खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रारम्भिक और समनुषंगी लेखे रखे जायेंगे;

(ख) वह रीति, जिसमें ऐसी किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकृति के लेखे जिसकी बाबत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखे संकलित करने या रखने के उत्तरदायित्व से अवमुक्त कर दिया गया है, संकलित किए जाएंगे या रखे जायेंगे;

(ग) वह रीति जिसमें, यथास्थिति, सभी या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग के भंडारों या स्टाक के लेखे रखे जायेंगे।

(घ) अन्य कोई विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

विनिमय बनाने की शक्ति

24. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए वहां तक विनियम बनाने के लिए जहां तक कि वे संपरीक्षा की परिधि और विस्तार के सम्बन्ध में हों, जिनके अन्तर्गत सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिए सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्त और प्राप्तियों तथा व्यय की संपरीक्षा के बारे में सामान्य सिद्धान्त आते हैं, एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

व्योरेवार संपरीक्षा को अभिमुक्त करने की शक्ति

25. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को, जब भी परिस्थितियों से ऐसा समर्थित हो, किन्हीं लेखाओं या संव्यवहारों के वर्ग की व्योरेवार संपरीक्षा के किसी भाग से अभिमुक्त करने के लिए और ऐसे लेखाओं या संव्यवहारों के सम्बन्ध में ऐसे परिसीमित प्रतिबन्ध लागू करने के लिए जो वह अवधारित करे, एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निरसन

26. नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1953 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 1953 का 20

शंकाओं को दूर करना

27. शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, भारत (अनंतिम संविधान) आदेश 1947 द्वारा यथाअनुकूलित भारत सरकार (संपरीक्षा और लेखे) आदेश 1936 किसी ऐसी बात या कार्रवाई की बाबत प्रवृत्त रहने के सिवाय जो उसके अधीन की जा चुकी हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा।

परिशिष्ट–एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में किया गया प्रस्ताव

"कि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने और उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने तथा तत्संबंधत अथवा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए। विधेयक दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के 20 सदस्य, अर्थात्—

1. श्री सोनुभाउ दागडू बसवंत
2. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
3. श्री दिनकर देसाई
4. श्री नागेश्वर द्विवेदी
5. श्री जे० एम० इमाम
6. श्री एस० एम० जोशी
7. श्री एस० कन्डप्पन
8. श्री स्वतंत्र सिंह कोटारी
9. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
10. श्री धुलेश्वर मीना
11. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
12. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
13. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
14. चौधरी रणधीर सिंह
15. श्री एम० एम० सिद्दय्या
16. श्री श० ना० शुक्ल
17. श्री संत बक्श सिंह
18. श्री आर० उमानाथ
19. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
20. श्री प्रकाशचंद्र बी० सेठी, और

राज्य-सभा के 10 सदस्य हों :

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के अंतिम दिन तक प्रतिवदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

परिशिष्ट–दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य-सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने और उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने तथा तत्संसक्त अथवा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाएं :—

1. श्री एम० आनन्दम्
2. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
3. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
4. पण्डित भवानी प्रसाद तिवारी
5. श्री सी० डी० पांडे
6. श्री टी० चेंगलवरायन
7. श्री सुन्दर मणि पटेल
8. श्रीमती सरला भदौरिया
9. श्री कल्याण राय
10. श्री तिल्लई विल्ललन"

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 5)

संयुक्त समिति की सदस्य संख्या में वृद्धि करने के लिये लोक-सभा में किया गया प्रस्ताव

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने और उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने तथा तत्संबन्ध अथवा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी लोक सभा की संयुक्त समिति में 3 और सदस्य शामिल किए जाएं जिनमें से 2 सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् :—

(1) श्री यशवन्त राव चह्वाण

(2) श्री विद्याचरण शुक्ल

और एक सदस्य राज्य-सभा से हो; और

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति में राज्य-सभा से 1 और सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य-सभा सहमत हो और संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को बताएं।"

परिशिष्ट चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 5)

संयुक्त समिति की सदस्य संख्या में वृद्धि करने के लिये राज्य-सभा में किया गया प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य-सभा के एक और सदस्य की नियुक्ति के लिए सहमत हो और संकल्प करती है कि श्री बी० बी० राजू को उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किया जाए।"

पैरिशिष्ट पांच

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 8)

संघों/व्यष्टियों इत्यादि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन/राय इत्यादि प्राप्त हुए।

1. श्री ए० के० राय, भारत के भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
2. श्री पी० सी० पाधी, भारत के भूतपूर्व उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
3. श्री ए० के० चन्दा, भारत के भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
4. इंडियन आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन, नई दिल्ली।
5. आल इंडिया नान-गजेटेड आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन, नई दिल्ली।
6. श्री एस० रंगानाथन, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
7. श्री च० चु० देसाई, संसद् सदस्य, नई दिल्ली।
8. लोक लेखा समिति, भारतीय संसद्।
9. श्री एम० एस० रामाय्यर, आई० ए० एण्ड ए० एस० (सेवानिवृत्त), मद्रास।
10. दि आल इंडिया एम० ए० एस० एसोसिएशन, नई दिल्ली।
11. केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. गवर्नर रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई।
13. चेयरमैन, भारतीय जीवन-बीमा निगम, बम्बई।
14. नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. दि स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई।
16. गुजरात सरकार, अहमदाबाद।
17. दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, कलकत्ता।
18. खाद्य सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
19. सचिव, वैदेशिक व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
20. सचिव, खान तथा धातु मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
21. दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली।
22. चेयरमैन, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई।
23. परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई।
24. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया, संसद्-सदस्य, नई दिल्ली।
25. लारसेन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, बम्बई।
26. भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
27. वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली।
28. श्री जी० भो० दभोलकर, कास्ट अकाउन्टेन्ट, बम्बई।
29. हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
30. वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।

परिशिष्ट छः

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 9)

संघ/व्यष्टियों इत्यादि की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के सामने साक्ष्य दिया

क्रम संख्या	संघ/व्यष्टि का नाम	साक्ष्य लिए जाने की तारीख
1	2	3
1.	श्री ए० के० रॉय, भारत के भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली	19-1-1970
2.	श्री ए० के० चन्दा, भारत के भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली	20-1-1970
3.	श्री पी० सी० पाधी, भारत के भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली	20-1-1970
4.	इंडियन आडिट एण्ड अकाउन्ट्स सर्विस एसोसिएशन, नई दिल्ली	16-2-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री टी० रंगाचारी, उप-प्रधान ।	
	(दो) श्री के० ललित, कार्यकारिणी समिति के सदस्य ।	
	(तीन) श्री ए० जे० तारू, कार्यकारिणी समिति के सदस्य ।	
5.	आल इंडिया नान-गजेटेड आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन, नई दिल्ली	16-2-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री ए० वी० वेंकट रमन, महासचिव ।	
	(दो) श्री एस० के० व्यास, अपर महासचिव ।	
6.	श्री एस० रंगनाथन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली	16-2-1970
7.	आल इंडिया एस० ए० एस० एसोसिएशन, नई दिल्ली	13-4-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री के० डैनियल पुरुषोत्तम, प्रधान ।	
	(दो) श्री एन० सी० मजूमदार, अपर महासचिव ।	
	(तीन) श्री तेज वर्मा, सदस्य, कार्यकारिणी समिति ।	
	(चार) श्री पी० के० बंसल, सदस्य, कार्यकारिणी समिति ।	
8.	श्री आर० के० तलवार, चेयरमैन, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई	16-6-1970
9.	श्री टी० ए० पै० चेयरमैन, भारतीय जीवन-बीमा निगम, बम्बई	16-6-1970
10.	डा० विक्रम ए० साराभाई, चेयरमैन, परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई	16-6-1970
11.	एयर इंडिया, बम्बई	16-6-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री एस० एस० चतुर्वेदी, महाप्रबन्धक ।	
	(दो) श्री के० के० उन्नी, सहायक महाप्रबन्धक ।	
	(तीन) श्री सी० वी० आर० राव, वित्तीय नियंत्रक ।	
12.	इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट आफ इंडिया, नई दिल्ली	17-6-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री एच० बी० दोंडी, प्रधान ।	
	(दो) श्री एम० सी० भण्डारी, उप-प्रधान ।	
	(तीन) श्री आर० एन० सेन, सदस्य ।	
	(चार) श्री सी० बालकृष्णन, सचिव ।	

1	2	3
13.	भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई	17-6-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री एस० के० दत्त, सचिव, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ।	
	(दो) श्री सी० पी० श्रीवास्तव, चेयरमैन, भारतीय जहाजरानी निगम, बम्बई ।	
14.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई	17-6-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) डा० आर० के० हजारी, डिप्टी गवर्नर ।	
	(दो) श्री आर० के० शर्मा, कार्यकारी निदेशक ।	
15.	गुजरात सरकार, अहमदाबाद	17-6-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री एल० आर० दलाल, मुख्य सचिव ।	
	(दो) श्री आर० के० अंकलेसरिया, बिक्रीकर आयुक्त ।	
	(तीन) श्री सी० एन० शाह, बिक्रीकर उप-आयुक्त (विशेष कार्य) ।	
16.	भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली	17-7-1970
	प्रवक्ता	
	(एक) श्री के० पी० मंथरानी, सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली ।	
	(दो) श्री आर० बालसुब्रमनियन, संयुक्त सचिव (नीति), खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली ।	
	(तीन) श्री शाह नवाज खां, चेयरमैन, भारतीय खाद्य निगम ।	
	(चार) श्री ए० के० मजूमदार, वाणिज्यिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम ।	
	(पांच) श्री सी० बी० रामाचन्द्रन, वित्तीय सलाहकार, भारतीय खाद्य निगम ।	
17.	श्री आर० एन० मुत्तू, चेयरमैन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली	30-9-1970

परिशिष्ट सात

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 18 दिसम्बर, 1969 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सोनूभाऊ दागडू बसवन्त
3. श्रीमती ज्योत्सना चंदा
4. श्री नागेश्वर द्विवेदी
5. श्री एस० कण्डप्पन
6. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
7. श्री धुलेश्वर मीना
8. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
9. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
10. श्री एस० एम० सिद्द्या
11. श्री श० ना० शुक्ल
12. श्री आर० उमानाथ
13. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
14. श्री प्रकाशचंद बी० सेठी

राज्य-सभा

15. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
16. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
17. श्री तिल्लई विल्ललन

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आई० जी० पटेल, विशेष सचिव
2. श्री ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री बी० मैत्रेयन, विशेष-कार्य अधिकारी (बजट)
4. श्री ए० जी० कृष्णन, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला—उप-सचिव

2. आरम्भ में, सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा उनके समक्ष यह जो कार्य था, उसका महत्व बताया।

3. इसके पश्चात् समिति ने इस बात पर विचार किया कि विधेयक पर साक्ष्य लिया जाए अथवा नहीं। कुछ चर्चा के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करके वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्ट, इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के विधिज्ञ संगठनों, लेखा परीक्षा तथा लेखाविभाग कर्मचारी संघ तथा अन्य सरकारी निकायों से 10 जनवरी, 1970 तक विधेयक के उपबंधों पर ज्ञापन मांगे जाएं। इसके पश्चात् समिति ने प्रैस विज्ञप्ति स्वीकार की (अनुबन्ध)।

4. समिति ने यह भी निश्चय किया कि भारत के भूतपूर्व नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक सर्वश्री एस० के० चंदा तथा ए० के० राय से क्रमशः सोमवार तथा मंगलवार अर्थात् 19 तथा 20 जनवरी, 1970 को और भूतपूर्व उप-नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक श्री पी० सी० पाधी से 20 जनवरी, 1970 की अपराह्न को मौखिक साक्ष्य देने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। समिति का विचार था कि इन सेवा-निवृत्त अधिकारियों से विधेयक के उपबंधों पर लिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाए ताकि उनके साक्ष्य अधिक सोद्देश्य तथा उपयोगी सिद्ध हो सकें।

5. समिति ने इसके बाद यह निश्चय किया कि लोक लेखा समिति के सभापति तथा सदस्यों के विचार, यदि वे प्रकट करना चाहें तो, और भारत के वर्तमान नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के विचार समिति की परवर्ती बैठकों में सुने जाएंगे। समिति ने सभापति को यह अधिकार दिया कि यदि अन्य कोई पक्ष मौखिक साक्ष्य देना चाहें तो वह उन पक्षों से लिखित ज्ञापनों के प्राप्त होने पर उनमें से कुछ का चयन कर सकता है।

6. क्योंकि चालू सत्र के अंतिम दिन तक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं था, जैसा कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव में निर्धारित किया गया था, अतः समिति ने निश्चय किया कि इस समय को वर्षाकालीन सत्र (1970) के प्रथम दिन तक बढ़ाने के लिए कहा जाए। समिति ने सभापति को और उसकी अनुपस्थिति में श्री एस० कण्डप्पन को यह अधिकार दिया कि वह समय को बढ़ाने के लिए शनिवार, 20 दिसम्बर, 1969 को सभा में आवश्यक प्रस्ताव पेश करें।

7. इसके पश्चात् समिति ने ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए सोमवार तथा मंगलवार, अर्थात् क्रमशः 19 और 20 जनवरी, 1970 को नित्य 11.00 बजे पूर्वाह्न बैठने का निश्चय किया।

8. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

प्रैस विज्ञप्ति

आज श्री एस० एम० जोशी, संसद् सदस्य के सभापतित्व में हुई नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 संबंधी संयुक्त समिति की पहली बैठक में यह निश्चय किया गया कि वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्ट, इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेट्रीज, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के विधिज्ञ संघों, लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग कर्मचारी संघ तथा अन्य सरकारी निकायों को, जो समिति के विचारार्थ विधेयक पर ज्ञापन भेजने के इच्छुक हों, प्रत्येक ज्ञापन की 60 प्रतिलिपियां भेजनी चाहिएं जो कि सचिव, लोक-सभा, संसद् भवन, नई दिल्ली के पास 10 जनवरी, 1970 या उससे पहले पहुंच जाएं। समिति को भेजे जाने वाले सभी ज्ञापन समिति के रिकार्ड का एक अंग होंगे और इसलिए उन्हें अत्यंत गोपनीय समझा जाना चाहिए तथा किसी को भी परिचालित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना समिति के विशेषाधिकार को भंग करना होगा।

ज्ञापन भेजने के अतिरिक्त, जो समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भेजने के इच्छुक हों, उनसे अनुरोध है कि वे इस बात की सूचना समिति के विचारार्थ लोक-सभा सचिवालय को भेज दें।

लोक-सभा में पुरःस्थापित रूप में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 दिनांक 23 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित किया गया था।

मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए समिति की बैठक नई दिल्ली में 19 जनवरी, 1970 से होगी।

नई दिल्ली-1;
दिनांक 18 दिसम्बर, 1969
संख्या 16/2/सो2/69

दिनांक 18 दिसम्बर, 1969

प्रतिलिपि समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि कृपया इसे निरंतर तीन दिन तक आकाशवाणी से प्रसारित करें।

मेहरचन्द चावला
उप-सचिव।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 19 जनवरी, 1970 को 11·00 बजे से 13.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सोनूभाऊ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चंदा
4. श्री नागेश्वर द्विवेदी
5. श्री जे० एम० इमाम
6. श्री एस० कण्डप्पन
7. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी
8. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
9. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
10. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
11. श्री एस० एम० सिद्दय्या
12. श्री एस० एन० शुक्ल
13. श्री संत बख्श सिंह
14. श्री आर० उमानाथ
15. श्री प्रकाशचंद बी० सेठी

राज्य-सभा

16. श्री एम० आनन्दम्
17. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
18. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
19. श्री सी० डी० पाण्डे
20. श्री सुन्दर मणि पटेल
21. श्रीमती सरला भदौरिया
22. श्री कल्याण राय
23. श्री तिल्लई विल्ललन

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय
2. श्री ए० पी० पाण्डे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा० आई० जी० पटेल, विशेष सचिव
2. श्री ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री के० एन० सिंह, निदेशक
4. श्री ए० जी० कृष्णन्, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री डी० सी० पाण्डे—अवर सचिव

श्री एस० पी० गुप्ता—अनुभाग अधिकारी

2. इससे पूर्व कि भारत के भूतपूर्व नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक श्री ए० के० रायं अपना साक्ष्य देते, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर दिलाया।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. इसके पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 20 फरवरी, 1970 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 20 जनवरी, 1970 को 11.00 से 13.00 बजे तक, तथा फिर 15.30 से 16.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सोनूभाउ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चंदा
4. श्री नागेश्वर द्विवेदी
5. श्री जे० एम० इमाम
6. श्री एस० कन्डप्पन
7. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी
8. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
9. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
10. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
11. चौधरी रणधीर सिंह
12. श्री एस० एम० सिद्दय्या
13. श्री आर० उमानाथ
14. श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य-सभा

15. श्री एम० आनन्दम्
16. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
17. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
18. श्री सी० डी० पांडे
19. श्री सुन्दर मणि भदौरिया
20. श्रीमती सरला भदौरिया
21. श्री कल्याण राय
22. श्री तिल्लई विल्ललन

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मित्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय
2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा० आई० जी० पटेल, विशेष सचिव
2. श्री ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री के० एन० सिंह, निदेशक
4. श्री ए० जी० कृष्णन, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री डी० सी० पांडे—अवर सचिव

श्री एस० पी० गुप्त—अनुभाग अधिकारी

2. इससे पूर्व कि भारत के भूतपूर्व नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक श्री ए० के० चंदा अपना साक्ष्य देते, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।

3. समिति 13.10 बजे मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित हुई ।

4. भारत के भूतपूर्व उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक श्री पी० सी० पाधी का साक्ष्य सुनने के लिये समिति मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 15.30 बजे पुनः समवेत हुई । श्री पाधी के अपना साक्ष्य देना आरम्भ करने से पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

6. कुछ विचारविमर्श के बाद समिति ने निम्नलिखित का साक्ष्य लेने के लिये 16 जनवरी, 1970 को बैठने का निश्चय किया ।

(1) श्री एस० रंगानाथन

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।

(2) श्री एम० एस० रामाय्यर,

भारत के भूतपूर्व अपर उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक, मद्रास

(3) इंडियन आडिट एंड एकाउन्टस सर्विसेज एसोसियेशन,

नई दिल्ली।

यह निर्णय किया गया कि यदि 16 फरवरी, 1970 को कार्य समाप्त नहीं हुआ तो समिति की बैठक 18 फरवरी, 1970 को भी होगी ।

7. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 16 फरवरी, 1970 को 10.00 से 12.40 बजे तक तथा फिर 15.00 से 17.55 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सोनूभाउ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चंदा
4. श्री नागेश्वर द्विवेदी
5. श्री एस० कन्डप्पन
6. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी
7. श्री धुलेश्वर मीना
8. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
9. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
10. चौधरी रणधीर सिंह
11. श्री एस० एम० सिद्द्या
12. श्री सन्त बख्श सिंह
13. श्री आर० उमानाथ
14. श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव
15. श्री प्रकाशचंद बी० सेठी

राज्य-सभा

16. श्री एम० आमन्दम्
17. श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
18. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
19. श्री सी० डी० पांडे
20. श्री सुन्दर मणि पटेल

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मित्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय
2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा० आई० जी० पटेल, विशेष सचिव
2. श्री ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री बी० मैत्रेयन, विशेष कार्य अधिकारी (बजट)
4. श्री के० एन० सिंह, निदेशक ।

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला, उप-सचिव

2. प्रारम्भ में समिति के सचिव ने समिति को सूचित किया कि सभापति को अचानक 15 तारीख को पटना जाना पड़ा और वे आज अपराह्न तक राजधानी वापस लौट आयेंगे । सभापति की इच्छानुसार, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का साक्ष्य सुनने का समिति का कार्यक्रम, जो पहले पूर्वाह्न के लिये रखा गया था, अब बदल कर अपराह्न के लिये कर दिया गया है, ताकि उस समय सभापति भी उपस्थित हो सकें। इंडियन आडिट एंड एकाउन्ट्स सर्विसेज एसोसियेशन और आल इंडिया नान-गजेटेड आडिट एंड एकाउन्ट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साक्षियों को जो पहले अपराह्न में साक्ष्य देने के लिये बुलाये गये थे अब पूर्वाह्न में साक्ष्य देने के लिये बुलाये गये हैं ।

तथापि, समिति के एक सदस्य श्री उमानाथ ने सुझाव दिया कि क्योंकि कुछ सदस्य आल इंडिया नान-गजेटेड आडिट एण्ड एकाउन्ट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से जिन्हें अपराह्न में साक्ष्य देना था, पूछ-ताछ के लिये तैयार नहीं है, अतः समिति उनके तो साक्ष्य पूर्वाह्न में ले सकती है लेकिन उनके ज्ञापन में उठाये गये और साक्ष्य के दौरान उनके द्वारा स्पष्ट किये जाने वाले प्रश्नों पर उनसे आगे विस्तृत सूचना आज की बैठक के अन्त में ली जाये ।

3. तत्पश्चात् समिति के सदस्य श्री पी० के० वासुदेवन नायर को लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 258(3) के अनुसार, बैठक के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए चुना ।

4. इससे पूर्व कि समिति निम्नलिखित संस्थाओं का साक्ष्य लेती, सभापति ने उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।

1. इंडियन आडिट एण्ड एकाउंट्स सर्विसेज, नई दिल्ली

(एक) श्री टी० रंगाचारी, उपाध्यक्ष

(दो) श्री के० ललित, सदस्य, कार्यकारिणी समिति ।

(तीन) श्री ए० जे० तोरो, सदस्य, कार्यकारिणी समिति ।

[10.15 से 11.55 बजे तक]

2. आल इंडिया नान-गजेटेड आडिट एण्ड एकाउंट्स एसोसियेशन, नई दिल्ली

(एक) श्री ए० बी० वेंकटरमन---महासचिव

(दो) श्री एस० के० व्यास --अपर महासचिव

(11.56 से 12.40 बजे तक)

साक्षियों से पुनः 17.00 बजे आने को कहा गया जब कि सदस्य उनके द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर उनसे आगे सूचना लेना चाहेंगे ।

5. समिति की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित हुई ।

6. मध्यान्ह भोजन के बाद समिति पुनः 15.15 बजे श्री एस० एन० जोशी के सभापतित्व में पुनः समवेत हुई ।

7. समिति ने, श्री एस० रंगानाथन, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली, का साक्ष्य लिया । श्री ए० के० मुकर्जी भारत के उप-नियन्त्रक महालेखापरीक्षक उनकी सहायता करते रहे । साक्ष्य 17.00 बजे समाप्त हुआ ।

8. समिति ने इसके पश्चात् आल इंडिया नान-गजेटेड आडिट एण्ड एकाउन्ट्स एसोसियेशन, नई दिल्ली, के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :—

(एक) श्री ए० बी० वेंकटरमन, महासचिव

(दो) श्री एस० के० व्यास, अपर महासचिव

(17.03 से 17.50 बजे तक)

9. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

10. समिति अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करने के लिये आगामी बजट सत्र में, सभापति द्वारा नियत किये जाने वाले दिन की बैठक तक के लिये स्थगित हुई ।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार 25 मार्च, 1970 को 16.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई

उपस्थित

श्री एम० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
3. श्री नागेश्वर द्विवेदी
4. श्री एस० कन्डप्पन
5. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी
6. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
7. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
8. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
9. श्री श० ना० शुक्ल
10. श्री आर० उमानाथ

राज्य सभा

11. श्री एम० आनन्दम्
12. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
13. श्री सी० डी० पांडे

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय
2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) का प्रतिनिधि

श्री बी० मैत्रेयन, विशेष कार्य अधिकारी (बजट)

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. आरम्भ में समिति ने मौखिक साक्ष्य देने की आल इण्डिया सबारडिनेट एकाउन्ट्स सर्विस एसोसियेशन की प्रार्थना पर विचार किया। समिति ने उनके साक्ष्य को सुनने के लिये सोमवार 13 अप्रैल, 1970 को 16.00 बजे का समय निश्चित किया।

3. समिति ने इसके बाद उस सुझाव पर विचार किया जिसमें कहा गया था कि व्यापार तथा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के जिनमें कुछ ऐसी निम्नलिखित सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रधान सम्मिलित थे जिनके बारे में यह सुझाव दिया गया था कि उनके लेखे की लेखा-परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक करे, तथा वित्त मंत्रालय के प्रत्येक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के बोर्डों के अध्यक्षों की टिप्पणियां आमंत्रित की जाय :

(एक) गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया
(दो) चेयरमैन, स्टेट बैंक आफ इण्डिया
(तीन) चेयरमैन, जीवन बीमा निगम
(चार) चेयरमैन, भारतीय खाद्य निगम
(पांच) चेयरमैन, परमाणु ऊर्जा आयोग
(छः) चेयरमैन, एयर इण्डिया

4. समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर निम्नलिखित संस्थानों की टिप्पणियां मंगवाने का भी निश्चय किया:

(एक) प्रेसीडेन्ट, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउन्टेन्ट्स
(दो) प्रेसीडेन्ट, इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेन्ट्स

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि राज सहायता के भुगतान, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सौदों की लेखा-परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा कराने के प्रस्ताव पर, नव-स्थापित बैंकिंग विभाग के सचिव और खाद्य, विदेश-व्यापार, नौवहन तथा परिवहन, खान धातु मंत्रालयों के सचिवों की भी टिप्पणियां मंगवाई जायें।

6. इस प्रस्ताव पर कि बातचीत द्वारा तय किये गये ठेकों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा करायी जाये, यह निश्चय किया गया कि पहले रेलवे, डाक तार, रक्षा, सिविल विभागों (जिसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा वैदेशिक व्यापार सम्मिलित हैं) के कुछ प्रमुख ठेकेदारों के नाम मंगवाने जाये फिर विधेयक के संगत उपबन्धों पर उनके विचार लिये जायें ।

7. समिति ने यह भी निश्यच किया कि उपरोक्त निकायों/व्यक्तियों से उनके विचार प्राप्त होने पर उन पार्टियों का चयन किया जायेगा जिन्हें मौखिक साक्ष्य के लिये बुलाया जाना चाहिये ।

8. उसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक सोमवार 13 अप्रैल, 1970 को 16.00 बजे से 17.40 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सोनूभाउ दागड़ू बसवन्त
3. श्री दिनकर देसाई
4. श्री नागेश्वर द्विवेदी
5. श्री धुलेश्वर मीना
6. श्री श० ना० शुक्ल
7. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
8. श्री प्रकाश चन्द बी० सेठी

राज्य सभा

9. श्री एम० आनन्दम्
10. श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर
11. श्री सी० डी० पांडे
12. श्री सुन्दर मणि पटेल
13. श्री कल्याण राय

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा — संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय
2. श्री ए० पी० पांडे — सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० आर० शिराली — संयुक्त सचिव (बजट)
2. श्री बी० मैत्रेयन — विशेषकार्य अधिकारी (बजट)

सचिवालय

श्री एस० पी० गुप्त—अनुभाग अधिकारी

2. इससे पूर्व कि समिति आल इण्डिया सबार्डिनेट एकाउन्ट्स सर्विस संघ, नई दिल्ली, के निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेती, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर दिलाया :

1. श्री के० डेनियल पुरुषोत्तम — अध्यक्ष
2. श्री एन० सी० मजूमदार — अतिरिक्त महासचिव
3. श्री तेज वर्मा — सदस्य कार्यकारिणी समिति
4. श्री पी० आर० बंसल — सदस्य कार्यकारिणी समिति

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. उसके पश्चात् समिति मई 1970 के दूसरे सप्ताह में पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 12 मई, 1970 को 16 बजे से 17.10 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिनकर देसाई
3. श्री नागेश्वर द्विवेदी
4. श्री जे० एम० इमाम
5. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
6. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
7. चौधरी रणधीर सिंह

राज्य सभा

8. श्री एम० आनन्दम्
9. श्री सुन्दर मणि पटेल
10. श्री तिल्लई विल्ललन

विधायी परामर्शदाता

1. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधाई परामर्शदाता, विधि मन्त्रालय

वित्त मन्त्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव (बजट)
2. श्री बी० मैत्रेयन, विशेष कार्य अधिकारी

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला—उप-सचिव

2. समिति ने भविष्य के कार्यक्रम के बारे में विचार किया ।

3. समिति ने मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिये एक सत्र 16 से 17 जून तक (पूर्वाहन तथा अपराहन दोनों में) तथा दूसरा सत्र 2 से 4 जुलाई, 1970 तक बुलाने का निश्चय किया । एक सुझाव यह दिया गया क्योंकि बहुत से साक्षी बम्बई में रहते थे इसलिये यदि समिति साक्ष्य की सुनवाई के लिये बम्बई में बैठक बुलाये तो उनके लिये अधिक सुविधाजनक होगा । समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों के साक्ष्य की सुनवाई के लिए 16 तथा 17 जून, 1970 को बम्बई में बैठक बुलाने का सुझाव स्वीकार कर लिया ।

तारीख	समय	साक्षी का ब्यौरा
16.6.70	9.30 बजे से 11.30 बजे तक	चेयरमैन, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बम्बई ।
	11.30 बजे से 13.00 बजे तक	चेयरमैन, जीवन बीमा निगम, बम्बई ।
	15.00 बजे से 16.30 बजे तक	चेयरमैन, परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई ।
	16.30 बजे से आगे	चेयरमैन, एअर इण्डिया, बम्बई ।
17.6.70	9.30 बजे से 11.30 बजे तक	श्री एच० बी० दोंडी, अध्यक्ष, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड ऐकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया, बम्बई ।
	11.30 बजे से 13.00 बजे तक	सचिव, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय और चेयरमैन, भारतीय नौवहन निगम, बम्बई ।
	15.00 बजे से 16.00 बजे तक	गवर्नर, रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया, बम्बई ।
	16.00 बजे से आगे	गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ।

4. समिति ने सभापति तथा समिति के सदस्य चौधरी रणधीर सिंह को अधिकार दिया कि वे बम्बई बैठकें बुलाने की अनुमति लेने के लिये अध्यक्ष से अनुरोध करें।

5. समिति ने सभापति को यह अधिकार भी दिया कि वे जुलाई सत्र में मौखिक साक्ष्य देने के लिए पार्टियों का चयन करें।

6. सभापति ने समिति को बताया कि सचिवालय को उन 376 फर्मों/ठेकेदारों/तथा सम्भरणकर्ताओं के नाम प्राप्त हुए हैं जो प्रतिरक्षा, रेल, पूर्ति, निर्माण तथा आवास मंत्रालयों आदि के पास पंजीकृत हैं। सभापति ने समिति को यह स्पष्ट किया कि वे नाम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के उस सुझाव की जांच करने की दृष्टि से मंगाए गए हैं जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें उन ठेकेदारों के लेखों की परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें सरकार ने बातचीत के आधार पर ही (टेन्डर मंगाए बिना) एक करोड़ रुपये से अधिक के ठेके दे दिए थे।

समिति ने सभापति को चार फर्मों/ठेकेदारों—दो माल सप्लाई करने वाले तथा दो कार्य निष्पादन करने वाले का चयन करने का अधिकार दिया जिन्हें साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

7. समिति ने यह भी इच्छा प्रकट की कि सम्बद्ध मंत्रालयों से यह कहा जाए कि वे पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में बातचीत के आधार पर उनके द्वारा विभिन्न फर्मों/सम्भरणकर्ताओं/ठेकेदारों को दिए गए 10 लाख रु० से अधिक राशि के ठेकों का ब्यौरा दें। समिति ने वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी यह कहा कि वह इस सूचना को एकत्र करके अपनी टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हों, तो समिति को एक समेकित विवरण भेजें।

8. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 16 जून, 1970 को 9.30 बजे से 13.00 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 17.00 बजे तक काउन्सिल हाल, बम्बई में हुई।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सोनूभाउ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. श्री दिनकर देसाई
5. श्री नागेश्वर द्विवेदी
6. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी
7. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
8. श्री धुलेश्वर मीना
9. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
10. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
11. चौधरी रणधीर सिंह
12. श्री एस० एम० सिद्दया

राज्य सभा

13. श्री एम० आनन्दम्
14. श्री सी० डी० पांडे
15. श्री सुन्दर मणि पटेल
16. श्री तिल्लई विल्ललन
17. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, विधायी परामर्शदाता तथा संयुक्त सचिव विधि मंत्रालय।
2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता विधि मंत्रालय।

वित्त मन्त्रालय (अर्थ विभाग) का प्रतिनिधि

श्री बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला उप-सचिव।

2. इससे पूर्व कि समिति निम्नलिखित साक्षियों का मौखिक साक्ष्य लेती सभापति ने साक्षियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में निदेश 58 की ओर दिलाया :—

1. श्री आर० के० तलवार, चेयरमैन स्टेट बैंक आफ इण्डिया बम्बई, (9.40 बजे से 11.20 बजे तक)

2. श्री टी० ए० पै चेयरमैन जीवन बीमा निगम, बम्बई। (11.30 बजे से 13.00 बजे तक)

समिति की बैठक 13.00 बजे मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् 15.00 बजे पुनः समिति की बैठक शुरू हुई।

3. डा० विक्रम ए० साराभाई, चेयरमैन परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई। (15.00 बजे से 16.30 बजे तक)

4. (एक) श्री एम० एस० चतुर्वेदी, महाप्रबन्धक, एयर इंडिया, बम्बई
(दो) श्री के०के० उन्नी, सहायक महाप्रबन्धक, एयर इंडिया, बम्बई
(तीन) श्री सी० वी० आर० राव, वित्त नियंत्रक, एयर इंडिया बम्बई।
} (16.35 बजे से 17.00 बजे तक)

3. सभापति ने समिति को बताया कि पिछली बैठक में समिति द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार सभी राज्यों सरकारों को (गुजरात सरकार को छोड़कर जिसने विधेयक पर अपने विचार पहले ही संयुक्त समिति को भेज दिये थे) को प्रस्तावित विधेयक पर टिप्पणियां समिति के विचारार्थ भेजने के लिये पत्र लिख दिये गये थे। परन्तु यह खेद का विषय है कि उनकी प्रक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। इसी प्रकार ठेकेदारों। सम्भरणकर्त्ताओं की जिन आठ फर्मों को पत्र लिखे गये थे उन्होंने न तो विधेयक पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं और न ही उस पर अपना साक्ष्य देने के लिये कहा है। सभापति ने अनुभव किया कि उनके उत्तर की और प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं है और यह सुझाव दिया कि समिति को अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ कर देना चाहिए और निर्धारित तिथि तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिये।

4. सभापति ने यह भी बताया कि यद्यपि इन्स्टीट्यूट आफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टटेन्टस् आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने ज्ञापन भेजा है परन्तु उसने मौखिक साक्ष्य देने के लिय विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। सभापति ने यह भी बताया कि सचिव बैंकिग विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 8 जून, 1970 को एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि विभाग, राष्ट्रीयकृत उद्योगों के संबंध में नियुक्त ब्रिटेन की प्रवर समिति द्वारा बैंक आफ इंगलैंड के बारे हाल ही में हाउस आफ़ कामन्स में प्रस्तुत रिपोर्ट को प्राप्त कर रहा है और यह कि इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विभाग विधेयक के उपबन्धों के बारे में अपने विचार एक ज्ञापन में भेज देगा। सभापति ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट बैंक आफ़ इंग्लैंड के कार्य-संचालन पर विशेष रूप से जहां तक प्रस्तावित विधान के उपबन्धों के सन्दर्भ में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा के क्षेत्र को बैंक आफ़ इंग्लैंड के लेखे की परीक्षा तक बढ़ाने का संबंध है, महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकती है। सभापति ने यह भी बताया कि बैंकिग विभाग को अधिक से अधिक 10 जुलाई, 1970 तक अपना ज्ञापन भेज देने के लिये कह दिया जाना चाहिये।

5. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने 2 से 4 जुलाई, 1970 तक के लिए निर्धारित अपनी बैठकों को रद्द करने और विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिये नई दिल्ली में 18 से 20 जुलाई, 1970 तक बैठक बुलाने का निश्चय किया। समिति ने यह भी निश्चय किया कि सदस्यों को जहां तक संभव हो अधिक से अधिक 10 जुलाई, 1970 तक अपने संशोधनों का नोटिस भेज देना चाहिये।

6. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

7. इसके पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 17 जून, 1970 के 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 17 जून, 1970 को 9.30 बजे से 12.35 बजे तक तथा फिर 15.00 बजे से 17.30 बजे तक काउन्सिल हाल, बम्बई में हुई ।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
3. श्री दिनकर देसाई
4. श्री नागेश्वर द्विवेदी
5. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
6. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
7. श्री धुलेश्वर मीना
8. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
9. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
10. श्री एस० एम० सिद्दय्या
11. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
12. श्री सोनूभाऊ दागडू बसवन्त

राज्य-सभा

13. श्री एम० आनन्दम्
14. श्री सी० डी० पांडे
15. श्री सुन्दरमणि पटेल
16. श्री कल्याण राय
17. श्री तिल्लई विल्ललन
18. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
19. श्री बी० एन० मंडल

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।
2. श्री ए० के० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

श्री बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप-सचिव

2. इससे पूर्व की समिति निम्नलिखित साक्षियों के साक्ष्य लेती, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :—

(एक) इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया

(एक) श्री बी० दोंडी, अध्यक्ष ।
(दो) श्री सी० भंडारी, उपाध्यक्ष ।

(तीन) श्री आर० एन० सेन, सदस्य ।

(चार) श्री सी० बालकृष्णन्, सचिव ।

(9.30 से 11.50 बजे तक)

(दो) भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई

(एक) श्री एस० के० दत्ता, सचिव, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ।

(दो) श्री सी० पी० श्रीवास्तव, चेयरमैन, भारतीय जहाजरानी निगम, लिमिटेड, बम्बई ।

(11.55 से 12.30 बजे तक)

3. समिति ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा विधेयक के उपबन्धों पर अपनी टिप्पणियों का ज्ञापन प्रस्तुत करने में, जिसकी मांग समिति ने बहुत पहले 28 मार्च, 1970 को की थी, काफी समय लगाये जाने पर चिन्ता व्यक्त की । इसलिये समिति ने भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन को मौखिक साक्ष्य के लिये 17 जुलाई, 1970 को 15.00 बजे नई दिल्ली में बुलाने का निश्चय किया । समिति ने यह भी निदेश दिया कि भारतीय खाद्य निगम से ज्ञापन को शीघ्र भेजने तथा 10 जुलाई, 1970 तक प्रस्तुत करने को कहा जाये।

4. समिति 12.35 बजे मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हुई ।

समिति मध्याह्न भोजन के पश्चात् 15.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

(तीन) भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई

(एक) श्री आर० के० हजारी, डिप्टी गवर्नर ।

(दो) श्री आर० के० शेषाद्रि, कार्यकारी निदेशक ।

(15.00 से 16.35 बजे तक)

(चार) गुजरात सरकार

(एक) श्री एल० आर० दलाल, मुख्य सचिव ।

(दो) श्री आर० के० अंकलेसरिया, बिक्रीकर आयुक्त ।

(तीन) श्री सी० एन० शाह, उप-बिक्रीकर आयुक्त (विशेष कार्य)

(16.36 बजे से 17.30 बजे तक)

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

6. समिति ने 16 तथा 17 जून, 1970 को काउन्सिल हाल, बम्बई में हुई बैठकों के आयोजन में महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिये उनकी सराहना की ।

7. इसके पश्चात् समिति शुक्रवार, 17 जुलाई, 1970 को 15.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बठक शुक्रवार, 17 जुलाई, 1970 को 15.00 बजे से 16.35 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी--सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सोनूभाऊ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. श्री दिनकर देसाई
5. श्री नागेश्वर द्विवेदी

6. श्री जे० एम० इमाम
7. श्री एम० कंडप्पन
8. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
9. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
10. श्री धुलेश्वर मीना
11. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
12. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
13. चौधरी रणधीर सिंह
14. श्री एम० एस० सिद्धय्या
15. श्री श० ना० शुक्ल
16. श्री आर० उमानाथ

राज्य-सभा

17. श्री एम० आनन्दम्
18. श्री सी० डी० पांडे
19. श्री कल्याण राय
20. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
21. श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा . . . . संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता विधि मंत्रालय ।
2. श्री ए० पी० पांडे . . . . सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

वित्त मन्त्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डाक्टर आई० जी० पटेल . . . सचिव
2. श्री बी० मैत्रेयन . . . . संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री एं० जी० कृष्णन . . . . उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप-सचिव

2. आरम्भ में सभापति ने बैठक में नये वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण तथा वित्त मंत्रालय में राजस्व तथा व्यय मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल का स्वागत किया तथा उन्हें प्रक्रिया नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अधीन समिति की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान की ।

3. सभापति ने समिति को बताया कि क्योंकि नये वित्त मंत्री को समिति के समक्ष दिये जा चुके साक्ष्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करने में कुछ समय लगेगा, इसलिये वर्तमान सत्र में पूर्व कार्यक्रम के अनुसार विधेयक पर खण्डवार विचार करना समिति के लिये संभव नहीं होगा । इसलिये समिति ने 18 तथा 20 जुलाई, 1970 के लिए निर्धारित बैठकों को रद्द कर दिया ।

4. इससे पूर्व कि समिति विधेयक के उपबन्धों पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) तथा भारतीय खाद्य निगम के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेती, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर दिलाया :

एक. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

1. श्री के० पी० मथरानी . . . सचिव,
खाद्य विभाग, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।
2. श्री आर० बालासुब्रामनियन, . . . संयुक्त सचिव (नीति),
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय,
(खाद्य विभाग)

दो. भारतीय खाद्य निगम

1. श्री शाहनवाज खां, चेयरमैन,
भारतीय खाद्य निगम ।
2. श्री ए० के० मजूमदार, वाणिज्यिक प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम ।
3. श्री सी० वी० रामचन्द्रन्, वित्तीय सलाहकार,
भारतीय खाद्य निगम ।

(15.05 बजे से 16.25 बजे तक)

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

6. समिति ने अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख को, नवम्बर, दिसम्बर, 1970 के सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मांग करने का निश्चय किया । समिति ने सभापति का, और उनकी अनुपस्थिति में श्री आनन्द नारायण मुल्ला को यह अधिकार दिया कि वह 27 जुलाई, 1970 को इस संबंध में एक प्रस्ताव सभा में पेश करें। वित्त मंत्री से कहा गया कि वे इस बीच समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्यों की जांच करें तथा यह निश्चय करें कि वे किस प्रकार के संशोधनों की सूचना देना चाहते हैं।

7. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 31 अगस्त, 1970 को 16.00 बजे से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री जे० एम० इमाम--पीठासीन हुए

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सोनूभाऊ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. श्री दिनकर देसाई
5. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
6. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
7. श्री धुलेश्वर मीना
8. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
9. चौधरी रणधीर सिंह
10. श्री आर० उमानाथ
11. श्री यशवन्त राव चव्हाण
12. श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य सभा

13. श्री एम० आनन्दम्
14. श्री सी० डी० पांडे
15. श्री टी० चेंगलवरायन
16. श्री सुन्दर मणि पटेल
17. श्री कल्याण राय
18. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
19. श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल

विधायी परामर्शदाता

श्री ए० पी० पांडे—सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डाक्टर आई० जी० पटेल . . . सचिव
2. श्री बी० मैत्रेयन . . . . संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री ए० जी० कृष्णन् . . . . उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप-सचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में समिति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 258 (3) के अधीन श्री जे० एम० इमाम को समिति की बैठक में सभापति के रूप में कार्य करने के लिये चुना ।

3. समिति ने श्री जे० एम० इमाम को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० उमानाथ को, यह अधिकार दिया कि वे श्री प्रकाशचन्द बी० सेठी के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, एक सदस्य की नियुक्ति करने के लिये 1 सितम्बर, 1970 को सभा में प्रस्ताव पेश करें।

4. उसके बाद समिति ने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया । कुछ विचार-विमर्श के बाद निम्न-लिखित तारीखों को बैठकें करने का निश्चय किया :

30 सितम्बर, 1970	प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के चेयरमैन तथा मैसर्स जी० बी० दमोलकर एण्ड कम्पनी, कास्ट एकाउन्टेंन्ट्स बम्बई, के श्री जी० बी० दमोलकर से पूछताछ करने के लिये ।
4 सितम्बर, 1970 को 10.30 बजे . .	अनौपचारिक विचार-विमर्श ।
5, 6 तथा 7 नवम्बर, 1970 . . .	विधेयक पर खण्डवार विचार ।

5. सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे विधेयक पर संशोधनों की सूचना, यदि कोई हो तो, 26 अक्टूबर 1970 तक भेज दें ।

6. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 30 सितम्बर, 1970 को 10.00 बजे से 11.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सोनूभाऊ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. श्री दिनकर देसाई
5. श्री नागेश्वर द्विवेदी
6. श्री जे० एम० इमाम
7. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
8. श्री धुलेश्वर मीना
9. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
10. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
11. श्री एस० एम० सिद्दय्या
12. श्री श० ना० शुक्ल
13. श्री संत बख्श सिंह
14. श्री आर० उमानाथ
15. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

16. श्री एम० आनन्दम्
17. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
18. श्री सी० डी० पांडे
19. श्री सुन्दर मणि पटेल
20. श्री कल्याण राय
21. श्री तिल्लई विल्ललन
22. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
23. श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल
24. श्री वी० बी० राजू

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा . . . . संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।
2. श्री ए० पी० पांडे . . . . सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।]

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव (बजट)
2. श्री ए० जी० कृष्णन, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप-सचिव

[सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री श्री के० आर० गणेश को समिति में होने वाले विचार-विमर्श में भाग लेने की अनुमति दे दी ।]

2. समिति ने प्रस्तावित विधान के उपबन्धों पर प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर०एन० मुट्ट द्वारा दिये गये साक्ष्य को सुना। साक्ष्य 11.45 बजे तक लिया गया ।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. इसके पश्चात् समिति ने अपनी भावी कार्यक्रम पर विचार किया । समिति ने विद्यमान कार्यक्रम को वैसा ही रहने देने का फैसला करने के साथ-साथ यह भी निश्चय किया कि समिति की बुधवार, 4 नवम्बर 1970 को होने वाली बैठक—जो कि समिति की आगामी बैठकों का पहला दिन होगा—10.30 बजे के स्थान पर 15.00 बजे होगी ।

5. इसके पश्चात् समिति बुधवार, 4 नवम्बर, 1970 को 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 4 नवम्बर, 1970 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एम० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सोनूभाऊ दागड़ू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. श्री यशवन्तराव चव्हाण
5. श्री दिनकर देसाई
6. श्री नागेश्वर द्विवेदी

7. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
8. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
9. श्री धुलेश्वर मीना
10. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
11. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
12. श्री एस० एम० सिद्दयया
13. श्री संत बख्श सिंह
14. श्री आर० उमानाथ
15. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
16. श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य सभा

17. श्री एम० आनन्दम्
18. श्री सी० डी० पांडे
19. श्री कल्याण राय
20. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
21. श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल
22. श्री बी० बी० राजू

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा . . . . संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।
2. श्री ए० पी० पांडे . . . . सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डाक्टर आई० जी० पटेल, सचिव
2. श्री बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री ए० जी० कृष्णन्, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. समिति ने उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य और विधेयक के विभिन्न संशोधनों को, जिनकी सूचना सदस्यों द्वारा दी गई थी, दृष्टिगत रखते हुए विधेयक के उपबन्धों पर औपचारिक विचार-विमर्श किया ।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिए 5 नवम्बर, 1970 को जो कि देशबन्धु चितरंजन दास की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया था—11.00 बजे से (पूर्वान्ह और मध्यान्ह दोनों समय) बैठने का निश्चय किया ।

4. इसके पश्चात् समिति की बैठक 5 नवम्बर, 1970 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 5 नवम्बर, 1970 को 11.00 बजे से 13.20 बजे तक तथा पुनः 14.15 बजे से 17.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एम० एम० जोशी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सौनुभाउ दागडू बसवंत
3. श्री यशवन्त राव चव्हाण
4. श्री दिनकर देसाई

5. श्री नागेश्वर द्विवेदी
6. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
7. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
8. श्री धुलेश्वर मीना
9. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
10. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
11. चौधरी रणधीर सिंह
12. श्री एस० एम० सिद्दयया
13. श्री आर० उमानाथ
14. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
15. श्री विद्या चरण शुक्ल

राज्य सभा

16. श्री एम० आनन्दम्
17. श्री सी० डी० पाण्डे
18. श्री कल्याण राय
19. श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल
20. पण्डित भवानी प्रसाद तिवारी
21. श्री बी० बी० राजू

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एम० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।
2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डा० आई० जी० पटेल, सचिव
2. श्री बी० मैत्रैयन, संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री ए० जी० कृष्णन, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव ।

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

3. **खण्ड 2**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

4. **खण्ड 3**—निम्न संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 17–18 में :—

"चार हजार रुपये प्रतिमास की दर से" **के स्थान पर** यह **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

"उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर ।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

5. **खण्ड 4**—निम्न संशोधन स्वीकृत हुए :

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 2 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :—

"परन्तु जहां वह छह वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, वहां वह उस तारीख को पद रिक्त कर देगा जिसको वह उक्त आयु प्राप्त कर ले ।"

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 3 "परन्तु" **के पश्चात्** "यह और कि" **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

यह खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

6. **खण्ड 5**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

7. खण्ड **6**—समिति ने नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक को ग्राह्य पेंशन की राशि के सम्बन्ध में विभिन्न शोधनों पर विचार किया । कुछ चर्चा के पश्चात् इस खण्ड पर आगे विचार समिति की अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया ।

8. **खण्ड 7, 8, 9**—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

(तत्पश्चात् समिति 13.20 बज मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हुई तथा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 14.15 बज पुनः समवेत हुई और विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया)

9. **खण्ड 10, 11 और 12**—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

10. खण्ड **13**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 6, पंक्ति 33, 34

"तुलन-पत्रों" **के पश्चात्**

"और अन्य सहायक लेखाओं" **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

11. **खण्ड 14**—निम्न संशोधन स्वीकृत हुए :

(एक) पृष्ठ 7, पंक्ति 1-2, "पूर्ण रूप से"

के स्थान पर "पर्याप्त रूप से" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

(दो) पृष्ठ 7, पंक्ति 6, **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

"**स्पष्टीकरण**—जहां किसी वित्तीय वर्ष में, भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की, जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में से किसी निकाय या प्राधिकारी को दिया गया अनुदान या ऋण पांच लाख रुपये से कम न हो और ऐसे अनुदान या ऋण की रकम उस निकाय या प्राधिकारी के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से कम न हो, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि उस निकाय या प्राधिकारी का वित्त पोषण पर्याप्त रूप से, यथास्थिति, ऐसे अनुदानों या ऋणों द्वारा किया जाता है ।"

(तीन) पृष्ठ 7, पंक्ति 6, "के सभी" **के स्थान पर** "की सभी प्राप्तियों और" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

(चार) पृष्ठ 7, पंक्ति 6, "करेगा"—**के पश्चात्** "और इस प्रकार अपने द्वारा संपरीक्षित प्राप्तिया और व्यय पर रिपोर्ट देगा" **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

यह खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

12. **खण्ज 15**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

13. **खण्ड 16**—निम्नलिखित संशोधन सिद्धान्त रूप में स्वीकृत हुआ लेकिन यह शर्त रखी गई कि यदि आवश्यक हो तो इसे प्रारूपकार द्वारा, पुनः तैयार किया जायेगा :

पृष्ठ 8, पंक्ति 8 **के पश्चात्** यह **अन्तःस्थापित किय जाये** :—

"परन्तु यदि राष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य-क्षेत्र, जिसमें विधान सभा हो, का प्रशासक, यथास्थिति, आदेश द्वारा नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक को उपर्युक्त सभी प्राप्तियों या उनमें से किसी प्राप्ति की ऐसी संपरीक्षा करने से मुक्त कर दे तो यह संपरीक्षा नहीं की जायेगी ।"

यह खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

14. **खण्ड 17, 18, 19 और 20**—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

15. **नया खण्ड 19क**—निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 9, पंक्ति 14 **के पश्चात्** यह **अन्तःस्थापित किया जाये** :—

"19क. नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक को खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के लेखाओं की अनुपूरक या नमने की संपरीक्षा करने की शक्ति होगी और जब वह इस शक्ति का प्रयोग करे तब कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्ध, ऐसी अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा पर यथाशक्य इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में सरकारी कम्पनी हो ।"

भारतीय खाद्य निगम के लेखाओं की अनुपूरक या नमूने की संपरीक्षा करने के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की शक्ति

16. **खण्ड 21, 22, 23, 24 और 25**—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

17. **नया खण्ड 26**—निम्नलिखित **नया खण्ड** स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 11, पंक्ति 25 **के पश्चात्** निम्न **जोड़ा जाये** :—

"26. शंकाओं को दूर करने के लिए एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अनुकूलित भारत सरकार (संपरीक्षा और लेखे) आदेश, 1936, किसी ऐसी बात या कार्रवाई की बाबत प्रवृत रहने के सिवाय जो उसके अधीन की जा चुकी हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा ।

शंकाओं को दूर करना

18. खण्ड 1—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, "1969" **के स्थान पर**

"1970" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

यह खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

19. **अधिनियमन सूत्र**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "बीसवें" **के स्थान पर** "इक्कीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये**

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

20. **पूरा नाम**—पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

21. समिति ने विधायी परामर्शदाता को विधेयक में प्रत्यक्ष गलतियों को ठीक करने तथा विधेयक में पारिणामिक मौखिक संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया ।

22. समिति ने निर्णय किया कि—

(एक) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य मुद्रित कराया जाये और दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये; और

(दो) समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत कर दिया जाने के पश्चात विभिन्न पक्षों से प्राप्त आपनों/अभ्यावेदनों की प्रतियां सदस्यों द्वारा हवाले के लिए संसद् ग्रन्थालय में रख दी जायें ।

23. तत्पश्चात् सभापति ने अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के विमति-टिप्पण सम्बन्धी निदेश 87 के उपबन्धों की ओर समिति के सदस्यों का ध्यान दिलाया ।

24. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए गुरुवार, 12 नवम्बर, 1970 को 10.00 बजे बैठने का निश्चय किया।

25. सभापति ने घोषणा की कि विमति-टिप्पण, यदि कोई हों तो, 16 नवम्बर, 1970 को 10.00 बजे तक लोक सभा सचिवालय में पहुंच जाने चाहियें । सदस्यों से अनुरोध किया गया कि यदि संभव हो तो वे अपने-अपने टिप्पण की पांच प्रतियां भेजें ।

26. समिति ने सोमवार, 16 नवम्बर, 1970 को सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निश्चय किया।

27. तत्पश्चात् समिति शुक्रवार, 6 नवम्बर, 1970 के 16.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 6 नवम्बर, 1970 को 16.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एस० एम० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सोनुभाउ दागडू बसवंत
3. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
4. श्री यशवंत राव चव्हाण
5. श्री दिनकर देसाई
6. श्री नागेश्वर द्विवेदी
7. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी
8. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
9. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
10. श्री पी० के० वासुदेवन नायर
11. श्री डी० एन० पाटोदिया
12. श्री एस० एम० सिद्दय्या
13. श्री एस० एन० शुक्ल
14. श्री सन्त बक्श सिंह
15. श्री विद्याचरण शुक्ल

16. श्री एम० आनन्दम्
17. श्री सी० डी० पाण्डे
18. श्री कल्याण राय
19. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
20. श्री बी० एन० मण्डल
21. श्री वी० बी० राजू

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।
2. श्री ए० पी० पाण्डे, सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. डाक्टर आई० जी० पटेल, सचिव
2. श्री बी० मैत्रेयन––संयुक्त सचिव (बजट)
3. श्री ए० जी० कृष्णन––उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप-सचिव

2. समिति ने खण्ड 16 तथा 6 के पुनः तैयार किये गये संशोधनों पर विचार प्रारम्भ किया (समिति की 5 नवम्बर, 1970 को हुई पन्द्रहवीं बैठक के कार्यवाही–सारांश के पैराग्राफ 13 तथा 7 देखिए)

3. खण्ड 16––पुनः तैयार किये गये रूप में निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 8, पंक्ति 8 **के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये :––**

"परन्तु जहां राष्ट्रपति की राय हो कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है वहां वह, आदेश द्वारा, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् उसे ऐसी प्राप्ति की, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, संपरीक्षक के कर्तव्य से मुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी राज्य की या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की, जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में संदेय प्राप्ति के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश, यथास्थिति, उस राज्य के राज्यपाल अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से परामर्श करने के पश्चात् ही किया जायेगा । अन्यथा नहीं ।"

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

4. खण्ड 6––निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 से 36 और पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 26 **के स्थान पर यहप्रतिस्थापित किया जाये :––**

पेंशन.––"6. (1) किसी व्यक्ति के बारे में, जो नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, यह समझा जाएगा कि वह उस सेवा से उस तारीख को निवृत्त हो गया जिसको उसने नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण किया, किन्तु नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा ऐसी चालू रहने वाली अनुमोदित सेवा के रूप में गिनी जाएगी जिसकी गणना उस सेवा में पेंशन के लिए की जाएगी जिसमें वह था ।

(2) हर एक व्यक्ति, जो नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करे, उक्त पद को छोड़ने पर 15 हजार रुपये वार्षिक की राशि की पेंशन का पात्र होगा और उक्त राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों का, उसकी पेंशन के संराशिकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, तथा उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, पेंशन समतुल्य का योग सम्मिलित होगा;

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन, किसी समय पन्द्रह हजार रुपये की उक्त राशि से अधिक पेंशन का पात्र हो या हो जाये तो वह पेंशन के रूप में उक्त अधिक रकम लेने का पात्र होगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत कोई पेंशन पा रहा था या पाने का पात्र हो गया था, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने पर पन्द्रह हजार रुपये वार्षिक की राशि की पेंशन का पात्र होगा और उक्त राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों का, उसकी पेंशन के संराशिकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, और

उस सेवा को, जिस में वह था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, पेंशन समतुल्य का योग भी सम्मिलित होगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति किसी समय उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन पन्द्रह हजार रुपये की उक्त राशि से अधिक पेंशन का पात्र हो या हो जाये तो वह पेंशन के रूप में उक्त अधिक रकम लेने का पात्र होगा

(4) कोई अन्य व्यक्ति, जो नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए, उक्त पद को छोड़ने पर पन्द्रह हजार रुपये वार्षिक की पेंशन का पात्र होगा ।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, स्वविकल्पानुसार, या तो उन दरों से जो इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की दशा में उसे अनुज्ञेय होतीं या इस धारा में विनिर्दिष्ट दर से पेंशन लेने का पात्र होगा ।

(6) कोई व्यक्ति जो, नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद त्यागपत्र द्वारा छोड़े, इस प्रकार छोड़ने पर, नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के हर एक पूरे वर्ष के लिए दो हजार रुपये वार्षिक की दर से पेंशन का पात्र होगा :

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, इस धारा के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की कुल रकम उस पेंशन की रकम के सहित जो उस सेवा को, जिसमें वह नियन्त्रक और महा लेखा-परीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय थी, यथास्थिति, पन्द्रह हजार रुपये वार्षिक या उपधारा (2) या उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट अधिक पेंशन से अधिक न होगी ।

(7) यदि नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने वाला व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी पेंशन का पात्र न हो, किन्तु उस सेवा को जिसमें वह नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, लागू नियमों के अधीन पेंशन का पात्र हो तो वह, इस धारा में किसी बाबत के होते हुए भी वह पेंशन लेने का पात्र होगा जो उसे उक्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो ।

(8) तब के सिवाय जब वह त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़े, नियन्त्रक और महा लेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह तभी समझा जायेगा कि उसने उस रूप में पद छोड़ दिया जब—

(क) वह धारा 4 में विनिर्दिष्ट पदावधि पूरी कर ले; अथवा

(ख) वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले; अथवा

(ग) चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उसका पद छोड़ना उसकी अस्वस्थता के कारण आवश्यक है।

5. समिति को प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि जब तक संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं हो जाती संशोधित रूप में विधेयक सदन में विचार किए जाने के लिए पेश नहीं किया जाएगा ।

6. समिति, प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये इस सुझाव से सहमत हो गई कि 5 नवम्बर, 1970 को हुई बैठक के कार्यवाही-सारांश के पैरा 15 में निम्नलिखित पाद टिप्पण जोड़ दिया जाये :

"यदि सम्बन्धित मंत्रालय समिति द्वारा स्वीकृत रूप में संशोधन में सुझाये गये तरीके के अनुसार खाद्य निगम के लेखाओं की संपरीक्षा की व्यवस्था करने हेतु खाद्य निगम अधिनियम 1964 में संशोधन करने के लिये कोई विधेयक लाता है तो यह संशोधन नहीं किया जाएगा"।

7. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी को 16 नवम्बर 1970 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य की प्रति लोक सभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

8. समिति ने श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल को और उनकी अनुपस्थिति में श्री वी० वी० राजू को भी प्राधिकृत किया 16 नवम्बर 1970 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य की प्रति राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया ।

9. सभापति ने विधेयक पर विचार के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान मंत्रियों तथा सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिये उनके प्रति आभार प्रकट किया ।

10. सदस्यों ने वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) और विधि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता के लिये उनकी सराहना की ।

11. समिति ने सभापति द्वारा अत्यन्त प्रशंसनीय ढंग में समिति की कार्यवाही का संचालन करने के लिये उनकी हार्दिक सराहना की।

12. समिति ने अपने सचिव तथा लोक-सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भी जिन्होंने विधेयक पर विचार के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान सहायता दी हार्दिक सराहना की।

13. इसके बाद समिति बृहस्पतिवार 12 नवम्बर, 1970 के 10.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सोलह

सोलहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार 12 नवम्बर को 10.00 से 10.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री स० मो० जोशी—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
3. श्री यशवन्त राव चव्हाण
4. श्री दिनकर देसाई
5. श्री स्वतन्त्र सिंह कोटारी
6. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
7. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
8. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव
9. श्री विद्या चरण शुक्ल

राज्य सभा

10. श्री सी० डी० पाण्डे
11. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
12. श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता विधि मंत्रालय ।
2. श्री ए० पी० पाण्डे, सहायक विधायी परामर्शदाता विधि मंत्रालय ।

विधि मंत्रालय (अर्थ विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव (बजट) .
2. श्री ए० जी० कृष्णन, उप-सचिव (बजट)

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया ।

3. नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्त मंत्रालय को दिये गये इस सुझाव का उल्लेख करते हुए कि इस प्रश्न की कानूनी दृष्टिकोण से जांच की जाये कि क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की किन्हीं 'प्राप्तियों' की संपरीक्षा करने की नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की शक्ति को निर्बन्धित करने का उपबन्ध संविधान के शक्ति प्ररस्तात् होगा वित्त मंत्री ने कहा कि विधि मंत्रालय का प्रतिनिधि समिति को इस बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट करे । विधायी परामर्शदाता ने इस सम्बन्ध में बताया विधि मंत्रालय ने उसे यह प्राधिकार दिया है कि वह इस मामले में मंत्रालय के विचारों को बताएं । उसने कहा कि तत्कालीन विधि मंत्री श्री ए० के० सेन की राय में संविधान में ऐसी कोई वर्जना नहीं है जो ऐसा विधान बनाने के संसद् की शक्ति को समाप्त कर सके । विधायी परामर्शदाता ने आगे स्पष्ट किया कि उसने भी स्वतन्त्र रूप से इस मामले की जांच की है और उसकी यह राय है कि संविधान का अनुच्छेद 151 संसद् की उस शक्ति को नहीं समाप्त करता जो संविधान के अनुच्छेद 149 और संघ सूची की प्रविष्टि 76 द्वारा उसे प्रदत्त है । समिति विधायी परामर्शदाता के विचार से सहमत हुई

4. उसके बाद समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया ।

5. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

MGIPRRND—II—11 L S S—5-1-71—550.

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

H10